पत्रांक– 3/17–आपदा /DDMP/प्रा0–02/2017 (खण्ड) 2922 प्रा0वि0

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001

प्रेषक,

सचिव,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना, बिहार।

पटना, दिनांक 28/9/2022

विषय:- "जिला आपदा प्रबंधन योजना" पटना का अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:– आपका पत्रांक 1211/आ० प्र० दिनांक 29-08-202

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपके जिले का आपदा प्रबंधन योजना अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है। इस संबंध में प्राधिकरण स्तर से जिला आपदा प्रबंधन योजना, पटना का अनुमोदन देकर soft कॉपी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है। प्रत्येक वर्ष जिला आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतीकरण किया जाना अनिवार्य है।

2 प्रस्ताव में माननीय उपाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

28/9/22

(मीनेन्द्र कुमार)
सचिव

Scanned by CamScanner

जिला आपदा प्रबंधन योजना, पटना

खंड–1

बहु–खतरा विश्लेषण, जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर योजना

छठ महापर्व, पटना

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

पटना

जिला आपदा प्रबंधन योजना,पटना
DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN, PATNA

बहु खतरा विश्लेषण, जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर योजना

खंड 1

MULTI-HAZARD ANALYSIS RISK REDUCTION & RESPONSE PLAN

VOLUME-1

जिला आपदा प्रबंधन योजना, पटना

प्रकाशक : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समाहरणालय परिसर, पटना–800001

मार्गदर्शन एवं सम्पुष्टि : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना ।
पिन कोड 800001

तकनीकि सहयोग : प्रो. जी.पी.सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट,
रोड नं. 10(एच), राजेन्द्र नगर, पटना । पिन कोड 800016
दूरभाष 0612–2071820 मो. 9334700107
Email ID : gpscdmrdpat@gmail.com,

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

परिभाषाएँ :

धारा–2 (घ) "आपदा" से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान् हानि या मानवीय पीड़ाएँ या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण (व्यापक) का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

धारा–2 (ड.) "आपदा प्रबंधन" से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक या समीचीन है –

i. किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण,

ii. किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या उनमें कोई कमी,

iii. क्षमता निर्माण,

iv. किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियाँ,

v. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरत बचाव

vi. किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिमाण का निर्धारण,

vii. निष्क्रमण, बचाव और राहत,

viii. पुनर्वास और पुनर्निर्माण,

United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) द्वारा फरवरी 2017 में आपदा न्यूनीकरण के संदर्भ में प्रकाशित कुछ अन्य प्रमाणिक परिभाषायें :–

- **आपदा (Disaster)** : कोई भी समुदाय या समाज की संवेदनशीलता तथा आपदा से मुकाबला करने की क्षमता किसी खतरे के सम्मुख अनावृत (Exposure) होने की स्थिति में इनके बीच अन्तर्क्रिया के फलस्वरूप मानव जीवन या सम्पत्ति अथवा आर्थिक या पर्यावरणीय क्षति या सदमा (Injury) होने से सामान्य क्रिया कलापों पर गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो जाय उसे आपदा कहते हैं।

- **खतरा (Hazard)** : कोई ऐसी दुर्घटनायें प्रक्रियायें या मानवीय गतिविधियाँ जो जान माल, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो अथवा जिनसे सम्पत्ति या पर्यावरण को नुकसान हो एवं दैनिकी सामाजिक–आर्थिक क्रिया कलापों में अकस्मात व्यवधान उत्पन्न हो जाता हो इसे खतरा (Hazard) कहा जायेगा। खतरे के प्रकार –

    - जैविक
    - पर्यावरणीय
    - भू–गर्भीय या भू–भौतिकी
    - जलवायु सम्बंधी
    - तकनीकी

- **आपदा जोखिम (Disaster Risk)** : किसी व्यवस्था, समाज अथवा समुदाय एवं स्थानिक पर्यावरण की संवेदनशीलता, आपदा से मुकाबला करने की क्षमता तथा प्रभावकारिता के फलस्वरूप होने वाले मृत्यु, शारीरिक सदमा, अथवा सम्पत्ति विनाश/क्षति की सम्भावना को आपदा जोखिम कहा जायेगा।

- **स्वीकार्य जोखिम (Acceptable Risk)** : तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों में जिस सीमा तक जोखिम को नजर अंदाज किया जा सकता है उसे ही स्वीकार्य जोखिम (acceptable risk) कहते।

- **अवशेष जोखिम (Residual Risk)** : जोखिम न्यूनीकरण के लिए यथा सम्भव जरूरी उपाय करने के बावजूद यदि आपदा जोखिम अवशेष रहे, जिसके लिए आकस्मिक आपदा मोचन अथवा पुनर्प्राप्ति की क्षमता अनिवार्य रूप से हासिल कर ली गई हो तो ऐसे जोखिम को अवशेष जोखिम कहा जायेगा।

- **आपदा जोखिम शासन (Disaster Risk Governance)** : जिन संस्थानों, प्रक्रियाओं नीतियों, नियम–कानून तथा अन्य व्यवस्थाओं के बीच एक प्रभावी सामंजस्य के साथ आपदा जोखिम का सफलता पूर्वक निषेधीकरण अथवा न्यूनीकरण को तत्पर व्यवस्था को आपदा जोखिम शासन कहेंगे।

- **आपदा जोखिम सूचना (Disaster Risk Information)** : आपदा जोखिम के सभी आयामों सहित किसी खतरे के बारे में अवस्थित संवेदनशील समूह सम्पत्ति या प्रभावित होने वाले व्यक्ति, समूह, संस्थान या राज्य एवं उनकी परिसम्पत्तियों से सम्बंधित जानकारियों को आपदा जोखिम सूचना कहा जायेगा।

- **आपदा जोखिम प्रबंधन (Disaster Risk Management)** : नये आपदा जोखिम का निषेधीकरण, वर्तमान जोखिम का न्यूनीकरण तथा अवशेष आपदा जोखिम का प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों तथा रणनीतियों का प्रयोग करते हुए आपदा क्षति में कमी लाना तथा आपदा से मुकाबला करने की शक्ति में अभिवृद्धि करना ही आपदा जोखिम प्रबंधन है।

- **संवेदनशीलता (Vulnerability)** : किसी व्यक्ति समुदाय सम्पत्ति या व्यवस्था को परिस्थिति विशेष में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय कारणों अथवा प्रक्रियाओं के चलते उत्पन्न खतरों की विभिषिका से मुकाबला करने को विवश होना पड़े तो इसे संवेदनशीलता कहते हैं।

- **क्षमता (Capacity)** : किसी संस्था, समुदाय या समाज के पास उपलब्ध संसाधन, शक्ति तथा अन्य विशेषताओं (attributes) जिसका उपयोग कर आपदा जोखिम का प्रबंधन किया जा सके। उसे क्षमता कहते हैं।

- **आपदा से मुकाबला करना (Coping Capacity)** : किसी व्यक्ति, संस्था या व्यवस्था के द्वारा उनके पास उपलब्ध कौशल एवं संसाधन का उपयोग करते हुये विपरीत परिस्थितियों में आपदा जोखिम से मुकाबला करने की क्षमता आयाम रखी है।

राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न पड़ाव

खण्ड 1

बहु खतरा विश्लेषण, जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर योजना

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
	कार्यकारी सारांश Executive Summary	
1	**परिचय** **Introduction** 1.1 उद्देश्य 1.2 योजना के कार्यक्षेत्र 1.3 योजना निर्माण पद्धति 1.4 जिला आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन मुख्य हितधारक तथा उनके दायित्व 1.5 योजना की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण	1–7
2	**जिले का परिचय** **District Profile** 2.1 भौगोलिक विवरण 2.2 जलवायु तथा मौसम 2.3 सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक परिचय 2.4 जनसंख्या 2.5 प्रशासनिक ढांचा 2.6 प्राकृतिक संसाधन	8–14
3	**खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण** **Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis** 3.1 जिला में संभावित खतरों का सामान्य चित्र 3.2 संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण 3.3 क्षमता विश्लेषण	15–62
4	**संस्थागत ढाँचा** **Instituional Arrangement** 4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 4.2 पंचायतें 4.3 समुदाय आधारित संगठन 4.4 जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र 4.5 समन्वय तंत्र	63–68
5	**आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय** **Prevention, Mitigation and Preparedness Measures** 5.1 विभाग/एजेंसी का विशिष्ट कार्य 5.2 सभी विभिन्न एजेंसी के लिए कार्य 5.3 विभागों/एजेंसियों के आपदानुकूल कार्य 5.4 विशेष संरचनाओं की तैयारी	69–87

6	**क्षमतावर्द्धन और प्रशिक्षण** **Capacity Building and Training** 6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण 6.2 समुदाय–समुदाय आधारित संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं सहित 6.3 पेशेवर विशेषज्ञ 6.4 प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य सुविधा 6.5 जागरूकता सृजन	88–93
7	**प्रत्युत्तर योजना** **Response Planning** 7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया (हादसा कमान अधिकारी) 7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य 7.3 प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक 7.4 आपदा की स्थिति में समन्वय तंत्र	94–107
8	**पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति** **Reconstruction, Rehabilitation and Recovery** 8.1 क्षति आकलन 8.2 पीड़ितों को राहत 8.3 आधार भूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन 8.4 जीवनदायी भवनों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण	108–111
9	**बजट एवं वित्तीय संसाधन** **Budget and Financial Resources** 9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्बंधित योजनाएं/कार्यक्रम 9.2 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम 9.3 अन्य स्रोत	112–113
10	**अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण** **Monitoring, Evaluation and Updation of DDMP** 10.1 योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन	114–116

खण्ड–1 (सारणी)

1	सारणी– (2.1) प्रखण्डवार जनसंख्या विवरणी	11
2	सारणी– (2.2) प्रखण्डवार सालाना भूजल उपलब्धता तथा इसकी भूमि के लिए (है॰ मी॰ में)	13
3	सारणी– (3.1) बिहार के बड़े भूकम्प	18
4	सारणी– (3.2) पटना जिले में सोन, गंगा एवं पुनपुन नदियों का उच्चतम जल स्तर	19
5	सारणी– (3.3) पटना जिले की बाढ़ प्रवणता (1987–2016)	20
6	सारणी– (3.4) बाढ़ क्षति विवरणी : दस वर्षों (2007–16) के दौरान बाढ़ क्षति का विवरण निम्न है	21
7	सारणी– (3.5) बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	21
8	सारणी– (3.6) बाढ़ प्रभावित फसली क्षेत्र (हेक्टेयर में)	21
9	सारणी– (3.7) सूखे की स्थिति पटना	24
10	सारणी– (3.8) पटना जिले में (2009–17) जून से सितम्बर माह तक का वर्षापात के आंकड़े (मि.मी.)	25
11	सारणी– (3.9) पटना जिला में अग्नि काण्ड का विवरण (वर्ष 2000 से 2015 तक)	26
12	सारणी– (3.10) जिले की मुख्य सड़कें	28
13	सारणी– (3.11) जिले में सड़क दुर्घटना (2010–2017 मई तक)	29
14	सारणी– (3.12) पटना शहरी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना (2011–2016 तक)	30
15	सारणी– (3.13) पटना हवाई अड्डे से उड़ान की संख्या	33
16	सारणी– (3.14) हवाई अड्डे पर एयरक्राफ्ट के पार्किंग की व्यवस्था	34
17	सारणी– (3.15) ग्रीष्म लहर की चेतावनी हेतु कलर कोड	38
18	सारणी– (3.16) वज्रपात से मृत्यु (2016)	40
19	सारणी– (3.17) उच्चशक्ति तथा संवेदनशीलता	40
20	सारणी– (3.18) पटना जिले में पानी की गुणवत्ता रिपोर्ट	41
21	सारणी– (3.19) अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की भर्ती की संख्या	43
22	सारणी– (3.20) इनसेफेलाइटिस प्रभावित मरीजों का मृत्यु दर	43
23	सारणी– (3.21) चिकनगुनिया से प्रभावित मरीजों की संख्या	44
24	सारणी– (3.22) डायरिया (गैस्ट्रोइन्टेराइटिस सहित) एवं कुत्ते के काटने से प्रभावित मरीजों की संख्या	44
25	सारणी– (3.23) जिले में प्रखण्डवार भूकम्प के काल्पनिक क्षति का आकलन (1934 के सन्दर्भ में)	46
26	सारणी– (3.24) सूखे के प्रति संवेदनशीलता	48
27	सारणी– (3.25) आग से प्रभावित थाने, परिवार एवं मुहल्ला(2016)	49
28	सारणी– (3.26) जिले में रेल दुर्घटना से संबंधित तथ्य	50
29	सारणी– (3.27) पटना जिला के मुख्य ब्लैक स्पॉट की सूची	51
30	सारणी– (3.28) अनुमण्डलस्तरीय बैठक में सड़क दुर्घटना के संबंध में प्राप्त जानकारियाँ	52
31	सारणी– (3.29) तूफान आंकड़ा	53
32	सारणी– (3.30) जिलावार सामान्यीकृत संवेदनशीलता सूचकांक	55
33	सारणी– (3.31) जिले के विभिन्न विभाग/एजेन्सी के पास उपलब्ध संसाधन	59
34	सारणी– (3.32) प्रखण्ड में उपलब्ध मानव संसाधन का वर्गीकरण	62
35	सारणी– (5.1) जिले में स्कूल में नामांकन का परिदृश्य	101
36	सारणी– (5.2) स्कूल प्रत्युत्तर दल का गठन (क्षमतावर्धन)	102
37	सारणी– (5.3) प्रदूषण मापने के स्केल	104
38	सारणी– (5.4) प्रदूषण के स्तर का वर्गीकरण	106

मानक संचालन प्रक्रिया, सुरक्षात्मक सुझाव एवं राज्यादेश, दिशा निर्देश, संसाधन सूची एवं अन्य
खण्ड 2 (अनुलग्नक अनुक्रमणिका)

अनु.सं.	मानक संचालन प्रक्रिया/अन्य	पृष्ठ सं.
1	सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)	1–33
2	सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन (SOP)	34
3	बाढ़ प्रबन्धन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)	39
4	अग्निकाण्ड से निपटान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)	56
5	पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)	60
6	NDRF के प्रतिनियोजन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)	65
7	भीषण गर्मी एवं लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में	74
8	मेला या भीड़ के मौके पर नियंत्रण हेतु हितधारकों की उत्तरदायित्व	78
9	हवाई अड्डा पर उपलब्ध आकस्मिक कार्य योजना एवं मानक संचालन प्रक्रिया	79
	आपदाओं से बचाव के उपाय एवं सुझाव	
10	गर्मी/लू लगने पर क्या करें	83
11	परित्यक्त बोरवेल एवं ट्यूबवेल में फंसे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों के संबंध में	84
12	सड़क दुर्घटना द्वारा निपटारा	87
13	सड़क सुरक्षा के उपाय	88
14	अगलगी से बचाव हेतु उपाय, लिस्ट एवं सुझाव	89
15	बिहार अग्निशमन सेवा की ओर से दुर्गापूजा, दीपावली एवं छठ में सुरक्षा उपाय	92
16	फसल अवशेष न जलाएं	93
17	जापानी इन्सेफेलाइटिस के लक्षण/डेंगू/चिकुनगुनिया से बचाव	94
18	वज्रपात (ठनका) क्या करें– क्या न करें	95
19	शीतलहर से बचाव	96
20	2012–13 में शीतलहर/पाले से निपटने के सम्बन्ध में	97
21	सर्दी के मौसम में पशुओं के देखभाल हेतु आवश्यक सुझाव	100
22	नाव दुर्घटना से बचने के उपाय – नाव मालिकों एवं जिला प्रशासन हेतु	101
23	नदियों/तालाबों में डूबने की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु जरूरी सलाह	103
24	भीड़/भगदड़ में क्या करें–क्या न करें	104
25	दशहरा/दुर्गापूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य बातें	105
26	छठ पूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव	106
	पीड़ितों को राहत प्रदान संबंधी राज्यादेश	
27	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ) द्वारा निर्धारित सहायता मानदर के अनुरूप सहायता मुहैय्या करने के संबंध में (2015–2020)	107
28	आपदा प्रभावितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल आदि के लिए निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड	123
29	राहत केन्द्र के सम्बन्ध में	129
30	राहत के विभिन्न मद/उपशीर्ष के अन्तर्गत आवंटित राशि का व्यय	133
31	राहत पहुँचाने में होने वाले व्यय के सम्बन्ध में दिशानिर्देश	135
32	अनुग्रह अनुदान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन	137
33	मृतक का शव बरामद नहीं होने पर अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता	138
34	अनुदान की राशि RTGS/NEFT या A/c Payee के माध्यम से भुगतान	139
35	प्राकृतिक आपदा से मृत पशु के अनुदान हेतु सक्षम पदाधिकारी	140
36	प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर अनुदान की शर्तें	141

37	बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ.आई.आर. के अनुग्रह अनुदान का भुगतान	142
38	जिले के अन्य जिलों में मृत व्यक्तियों के अनुग्रह अनुदान के संबंध में	143
39	भूकम्प के कारण क्षतिग्रस्त मकानों में रहने वाले के बीच नुकसान सहायता वितरण	144
40	आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के मुआवजा के सम्बन्ध में	145
41	अग्निकाण्ड से प्रभावितों के बीच विशेष राहत केन्द्रों का संचालन	146
42	अग्निकाण्ड में होने वाली फसल क्षति के विरुद्ध अनुदान के सम्बन्ध में	147
43	गैस लीक से अग्निकाण्ड से पीड़ित को अनुदान	150
44	अतिवृष्टि/चक्रवाती तूफान/भूकम्प से प्रभावितों को राहत वितरण	151
45	वज्रपात के कारण मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान	154
46	शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011	156
47	शताब्दी अन्न कलश योजना का कार्यान्वयन	163
48	एक क्विंटल अनाज के स्थान पर रूपये 3000/– की राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में	168
49	पशु राहत शिविर के संचालन के संबंध में	170
	दिशा निर्देश	
50	नाव एवं नाविकों की मजदूरी निर्धारण करने के संबंध में	171
51	राहत्य कार्य में लगे नाविकों की मजदूरी दर	173
52	संभावित बाढ़ 2012 की पूर्व तैयारी	174
53	नगर क्षेत्र में बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन	181
54	प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी दल का गठन	183
55	वार्ड स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन	185
56	अगलगी से बचाव हेतु कार्रवाई के सम्बन्ध में	187
57	अग्निशमन सेवा हेतु हाईड्रेन्ट का निर्माण	191
58	आँधी/चक्रवाती तूफान/ओलावृष्टि से हुई तैयारी, राहत, बचाव एवं क्षति निर्धारण एवं हाल मजदूरी दरों की विशिष्ट	192
59	शीतलहर (पाला) को आपदा की श्रेणी में रखने के संबंध में	196
60	पॉलीथीन शीट्स खरीदी के सम्बन्ध में	197
61	केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 118 अन्तर्गत गति नियंत्रक (Speed Governor) लगाए जाने की बाध्यता	198
62	सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़े संकलित करने हेतु प्रपत्र	202
63	दुर्घटना से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने का प्रपत्र	210
	संसाधन सूचो	
64	जिला प्रशासन एवं पुलिस के पदाधिकारियों की सम्पर्क सूची	211
65	विभिन्न नियंत्रण कक्ष एवं आपातकाल हेल्पलाइन की सम्पर्क सूची	211
66	पटना में अवस्थित अस्पतालों एवं एम्बुलेन्स की सम्पर्क सूची	211
67	निजी (प्राइवेट) एम्बुलेंस एवं एयर एम्बुलेंस सर्विसेज सेवा सूची	212
68	पटना जिले में (102) एम्बुलेन्स की उपलब्धता एवं सम्पर्क सूची	212
69	ब्लड बैंकों की सूची	214
70	पटना जिला चिकित्सकीय त्वरित प्रत्युत्तर दल	214
71	पटना जिले के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधा	215
72	आपदा प्रत्युत्तर के लिए पटना के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध शय्या की स्थिति	216
73	अनुमंडलीय मजिस्ट्रेट एवं अन्य पदाधिकारियों की सूची	217
74	प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों का सम्पर्क सूची	217
75	पटना नगर निगम/अंचल कार्यालय/नगर परिषद/सिटी मैनेजर की सूची	218
76	पटना नगर निगम में उपलब्ध मानव एवं यांत्रिक संसाधन	219

76(क)	बुडको द्वारा संचालित विभिन्न स्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन	
76(ख)	मॉनसून अवधि में संचालित अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन	
77	पटना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी की सूची	220
78	सम्पर्कक प्रखंड महिला पर्यवेक्षिकाओं की सूची	220
79	पुनपुन प्रखंड में कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं की सूची	221
80	पटना पूर्वी, नगर एवं पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख चिकित्सकों की सूची	221
81	पटना स्थित प्रशिक्षित गोताखोरों की सूची	228
82	जल खोज एवं बचाव प्रशिक्षित कर्मी	229
83	पटना जिले में नावों के निबंधन की सूची	230
84	महत्वपूर्ण नक्शा – पटना के सभी अस्पताल / पी.एम.सी.एच. / बिहार दिवस–2017–2015 / स्वतंत्रता दिवस / हेल्प डेस्क एवं दरबार हॉल का मानचित्र	231
85	नाव नाविकों की सूची	237
86	गांधी मैदान के पास जल स्रोत (हाइड्रेंट) की सूची	241
87	शहर में जल स्रोतों (हाइड्रेंट) की सूची	241
88	पंपिंग स्टेशन एवं पंपों की संख्या	241
89	यन्त्र उपस्कर (स्वचलित मशीन एवं मानव चालित अन्य मशीन सूची)	243
90	अन्य उपलब्ध निजी संसाधन – (टेन्ट उपलब्धता / सामुदायिक रसोई / जाल–महाजाल / निजी वाटर पम्प धारक / वाटर टैंकर / निजी संयोजक एवं स्वर रोधक)	243
91	छठ के मौके पर भीड़ नियंत्रण हेतु गठित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के दल	245
92	विद्युत जन शिकायत कक्ष की सूची	247
93	विद्युत क्षमता	248
94	बाढ़ प्रमंडलों के अभियन्ता एवं उनके अधीन पड़ने वाले तटबंधों की सूची	249
95	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के पास उपलब्ध विभिन्न मशीनों उपकरण	250
96	राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के पास उपलब्ध विभिन्न मशीनों उपकरण	252
97	आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर मुखिया एवं सरपंच का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	256
	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य	
98	जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य	258
	5 प्रतिशत पंचायतों में नमूना सर्वेक्षण के दौरान सकलित आंकड़े एवं अन्य सूची	
99	5 प्रतिशत पंचायतों में आपदा विश्लेषण	260
100	5 प्रतिशत अनुमण्डल स्तरीय बैठक के आधार पर चिह्नित खतरे तथा जोखिम	261
101	5 प्रतिशत पंचायतों में खतरा / जोखिम / संवेदनशीलता	264
102	विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त पंचायतों के खतरे / जोखिम / संवेदनशीलता	267
103	5 प्रतिशत पंचायतों में संरचनात्मक संसाधन	269
104	5 प्रतिशत पंचायतों में मानव संसाधन	270
105	पूर्व के वर्षों में विभिन्न नदियों के आप्लावित स्थलों की सूची	270
106	अंचलवार जल जमाव से प्रभावित स्थल एवं जल निकासी के उपाय की सूची (शहरी जलजमाव)	271
107	पटना के कुछ बड़े अपार्टमेन्ट कॉलनी (शहरी जलजमाव)	275
108	स्टैटिक / मोबाइल दलों की प्रतिनियुक्ति सूची	276
109	सुपर मोबाइल दलों की प्रतिनियुक्ति सूची	281
110	नियंत्रण कक्ष में पंजियों का संधारण, कर्मचारी उपस्थिति पंजी (Attendance Register) प्रपत्र में	282
111	पंपिंग स्टेशन एवं पंपों की संख्या	282
112	जिले में प्रखंडवार स्कूलों की संख्या	284
113	पटना जिला के जोखिम वाले स्थानों का चिह्नीकरण	285

संक्षिप्तियाँ

- ए.आई.डी.एम.आई — ऑल इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीच्यूट
- ए.टी.एल.एस. — एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट
- ए.टी.आई — एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट
- बी.एस.डी.एम.ए. — बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरिटी
- बिपार्ड — बिहार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट
- बी.एम.टी.पी.सी. — बिल्डिंग मैटिरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोमोशन काउंसिल
- बामेती — बिहार एग्रिकल्चर मार्केटिंग एक्सटेन्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट
- सी.बी.डी.एम. — कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट
- सी.बी.डी.पी. — कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस
- सी.एल.डब्ल्यू. — कम्युनिटी लेवल वर्कर
- सी.पी.सी. — कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कन्सलटेंट
- डी.ई.ओ.सी. — डिस्ट्रीक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर
- डी.आर.आर. — डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
- डी.डी.एम.ए. — डिस्ट्रीक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरिटी
- ई.आर.सी. — इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेन्टर
- जी.आई.एस. — जियोग्राफिक इंफोरमेशन सिस्टम
- एच.पी.सी. — हाई पावर्ड कमेटी
- एन.डी.एम.ए. — नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी
- एन.डी.आर.एफ. — नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स
- एन.जी.ओ. — नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
- निनी — नेशनल इन्लैंड नेविगेशन इंस्टीच्यूट
- एन.आई.डी.एम. — नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट
- पी.आर.आई. — पंचायती राज इंस्टीच्यूशन
- एस.एच.जी. — सेल्फ हेल्प ग्रुप
- एस.टी.एफ. — स्पेशल टास्क फोर्स
- एस.डी.आर.एफ. — स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स
- एस.ओ.पी. — स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर
- यू.एल.बी. — अर्बन लोकल बॉडी
- यू.एन.डी.पी. — यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
- क्यू.आर.टी. — क्विक रिस्पॉन्स टीम
- डब्ल्यू. एच.ओ. — वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
- यशदा — यशवंतराव चव्हाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन

संदर्भ
REFERENCES

- Bihar State Disaster Management Authority–2013, Mass Gathering Event Management : A case study of Chhath Pooja, Patna.
- Bihar State Disaster Management Authority – 2013-16 Table Top Calander.
- BSDMA– Website : www.bsdma.org, Training Modules
- BSDMA–2017, Heat Wave action Plan.
- Bihar State Pollution Control Board
- BSDMA–2017, मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (क्रियान्वयन दस्तावेज).
- BSDMA–2017,डूबने की घटनाओं की रोकथाम एवं कमी लाने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना
- Disaster Management Dept. GoB,– Website: www.disastermgmt.bih.nic.in, Standard Operating Procedures (SOPs).
- Department of Labour Resources, Bihar
- Flood Management Information System– Website : www.fmis.bih.nic.in.
- Govt. of Bihar – (2015-16 & 2016-17), Economic Survey.
- Govt. of Bihar, Disaster Management Dept. –2014,Bihar State Disaster Management Plan.
- Govt. of India– 2016, National Disaster Response Plan.
- Govt. of India, –2011, Ministry of Home Affairs, Census of India.
- Govt. of Bihar, Disaster Management Dept. – 2016, Damage Scenario - In Various Districts.
- Govt. of India–2007, BMTPC, (First Revision), Vulnerability Atlas of India.
- Govt. of India –2016, Ministry of Transport, Road Accidents in India/Bihar.
- Hari Narayan Srivastava & Rajendra Pd.– Prakritik Aapdayan Evam Bachao.
- IGNOU– 2012, Aapda Prabhandhan Mein Aadhar Pathyakram.
- IGNOU –2012, Understanding Natural Disaster.
- Ministry of Home Affairs – 2015, Disaster Risk Reduction : The Indian Model.
- Ministry of Agriculture & Cooperation, GoI–2001 High Powered Committee on Disaster Management.
- NCERT, Geography of India.
- NDMA–Website:www.ndma.gov.in
- National Institute of Disaster Management – April 2010, Journal, Disaster & Development.
- NIDM–Website : www.nidm.gov.in
- National Remote Sensing Centre & BSDMA –2012, Flood Hazard Atlas for Bihar.
- Radha Kant Bharti, NBT –2015, Rivers in India.
- State Environment Impact Assessment Authority– Website : www.seiaabihar.org

कार्यकारी सारांश

EXECUTIVE SUMMARY

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद–31(1) के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु योजना का निर्माण किया जाना है। इसी के आलोक में प्रस्तुत योजना का निर्माण राज्य आपदा प्रबंधन योजना को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पदाधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात् किया गया है।

2. जिला आपदा प्रबंधन योजना दो खण्डों में है। पहले खण्ड में, जिले में व्याप्त खतरे, जोखिम, खतरे, संवेदनशीलता आकलन तथा खतरा प्रभावित होने वाले संभावित जन समूह की पहचान की गयी है। आपदाओं में विभिन्न विभागों के कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व के साथ आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी की चर्चा की गयी है।

   दूसरे खण्ड में, राज्य द्वारा जारी किये गये मानक संचालन प्रक्रिया, राज्यादेश, सलाह एवं मानदर को अनुलग्नक के रूप में संकलित किया गया है।

3. जिले में व्याप्त विभिन्न खतरा जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता को देखते हुए विभिन्न आपदाओं का विश्लेषण किया गया है जिससे इसकी उच्च, मध्य एवं निम्न तीव्रता को सहज जाना जा सके तथा इससे निपटने हेतु पूर्व तैयारी एवं न्यूनीकरण के प्रयास किये जा सके। जिला में भूकम्प, बाढ़, आग, सड़क सुरक्षा तथा भीड़/भगदड़ को जोखिमकी दृष्टि से उच्च श्रेणी में रखा गया है जबकि सूखा, प्रदूषित जल, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को मध्य श्रेणी में रखा गया है। अन्य को निम्न श्रेणी माना गया है।

जिला	भूकम्प	बाढ़	सूखा	आग	सड़क सुरक्षा	औद्योगिक सुरक्षा	प्रदूषित जल	ओला	अत्यधिक ठंडा	शीतलहर	गर्मी/लू	भीड़/मेला	महामारी	आदमी –पशु संघर्ष	रेल सुरक्षा	नाव/दुर्घटना	ठनका/वज्रपात
पटना																	

तीव्रता मापक

उच्च	मध्य	निम्न

4. तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन, सेंडई, जापान की बैठक के बाद राज्य सरकार ने 10.05.2016 को बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप (2015–30) से संबंधित राज्यादेश अधिसूचित किया है। इसी के अनुरूप पटना जिला आपदा प्रबंधन योजना में निम्नलिखित चार बिंदुओं पर ध्यान रखा गया है। ये हैं –

- आपदा जोखिम की समझ विकसित करना।
- आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण का निवेश।
- प्रभावी रिस्पॉन्स के लिए पूर्व तैयारियों का प्रोत्साहन तथा 'पूर्व से बेहतर' पुनर्वास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण पर जोर ।

5. इस जिला योजना का मुख्य दृष्टिपथ है कि वर्ष 2030 तक आपदा मृत्यु दर तथा प्रभावितों की संख्या में कमी लाना, आर्थिक क्षति कम करना साथ ही न्यूनीकरण रणनीति से युक्त प्रखण्डों की संख्या में वृद्धि करना।

6. जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने के क्रम में 'बॉटम अप' योजना की प्रक्रिया अपनाई गयी है, जिसमें जिला के नीचले स्तर तक सहभागिता से परिचर्चा कराया गया है तथा इसके उपरान्त नीचे से ऊपर की ओर (पंचायत–प्रखण्ड–अनुमंडल–जिला) जोखिम, खतरे एवं संवेदनशीलता की पहचान की गयी है इस क्रम में जिला स्तर, अनुमंडल स्तर, प्रखण्ड स्तर तथा जिले के 5 चयनित पंचायतों (कुल 17 बैठकें) का भ्रमण किया गया । तदनुपरान्त प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए इस जिला योजना को वर्त्तमान रूप प्रदान किया गया है।

7. पटना जिला की कुल जनसंख्या 58,38,465 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 27,59,953 है। यहाँ अनुसूचित जाति की संख्या 9,20,918 है। जिले में 23 प्रखण्ड हैं जो पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी एवं पालीगंज अनुमंडलों में विभक्त है। जिले की कुल आबादी का 43.07 प्रतिशत नगरीय आबादी है। राजधानी पटना नगर निगम

के 75 गांवों तथा 4 अंचलों – नूतन राजधानी, बाँकीपुर, अजीमाबाद तथा पटना सिटी में विभक्त है। पटना जिले में जनसंख्या घनत्व 1823 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है

8. पटना जिला ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बंटा हुआ है जहाँ एक ओर त्रिस्तरीय पंचायत है तो दूसरी तरफ नगर निगम एवं स्थानीय शहरी शासकीय इकाईयाँ हैं। पटना के उत्तर में गंगा नदी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है तथा पश्चिम में सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहता हुआ दानापुर के निकट गंगा नदी में मिलती है। दक्षिण से पुनपुन, लोकाइन, दरधा, मोरहर, महाने, धोवा एवं मोहर, नदियाँ पटना जिला में प्रवेश करती है तथा उत्तर की ओर बहते हुए अंततः गंगा नदी में मिल जाती है

9. जिला में विगत 30 सालों के दौरान बाढ़ की बारम्बारता (पूर्णतः या आंशिक) का अध्ययन करने से पता चलता है कि कम से कम 6 प्रखण्ड यथा दानापुर, बख्तियारपुर, फतुहाँ, पटना सदर, पुनपुन एवं मनेर प्रखंड ऐसे हैं जहाँ औसतन 2–3 वर्षों में एक बार बाढ़ का आगमन हुआ है। अन्य प्रखंड में यथा बाढ़, मोकामा, धनरूआ, पंडारक, नौबतपुर और मसौढ़ी में यहाँ के लोगों को पूर्णतः या आंशिक रूप से 30 वर्षो में 9–10 बार बाढ़ का सामना करना पड़ा है। अतः उपरोक्त दोनों प्रकार के बाढ़ प्रवण प्रखण्डों को दो समूहों में रख कर इनकी जोखिम, संवेदनशीलता, क्षमता इत्यादि का विश्लेषण करते हुए बाढ़ प्रबंधन की तैयारी करनी होगी।

10. भूकम्प के संदर्भ में लिनामेंट (अनुरेखीय रेखा) के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि एक ''मेगा लिनामेंट'' जो गंगा नदी के समानान्तर गुजरती है, पटना जिला के मोकामा, घोसवरी, पंडारक तथा बेलछी प्रखंड को अधिक प्रभावित कर सकती है। एक दूसरा ''मेगा लिनामेंट'' पालीगंज, दुल्हिन बाजार, नौबतपुर, बिक्रम फुलवारी, दानापुर तथा पटना सदर प्रखंडों से होकर गुजर रही है। इसके अतिरिक्त दो अन्य स्थानीय रेखाएँ बिहटा, मनेर, पंडारक, मोकामा, बाढ़ तथा बेलछी प्रखंड से होकर गुजर रही है। साथ ही पटना जिला के पूर्वी भाग से ''मुंगेर–सहरसा फॉल्ट लाईन'' गुजरती है। जिसके अंतर्गत मोकामा, घोसवरी तथा पंडारक प्रखंड आता है एक दूसरा ''पूर्वी पटना फॉल्ट लाईन'' पटना जिले के खुसरूपुर तथा दनियावाँ प्रखंड होकर गुजर रही है। कुल 23 प्रखंडों में से 10 प्रखंड भूकम्प प्रवण है जिला भूकम्प के पैमाने पर सिस्मिक जोन–IV के अंतर्गत आता है। जिला में बिल्डिंग बाईलॉज के अनुपालन की आवश्यकता है

11. विगत 20 अगस्त 2016 की सुबह सोन नदी में मध्य प्रदेश के बाणसागर जलाशय तथा उत्तर प्रदेश के रिहन्द जलाशय से बिना किसी पूर्व चेतावनी के काफी अधिक मात्रा में जलश्राव निस्सरित किया गया। इन्द्रपुरी बराज पर पानी का काफी दबाव होने से वहाँ से लगभग 11 लाख क्युसेक पानी सोन नदी में छोड़े जाने से सोन एवं गंगा नदी उफान पर आ गई। इससे पटना जिला के दानापुर, मनेर, फतुहाँ, बख्तियारपुर, अथमलगोला, मोकामा, खुसरूपुर तथा पटना सिटी के निचले इलाकों में अचानक बाढ़ का परिदृश्य उत्पन्न हो गया। पड़ोसी राज्यों से वर्षा के मौसम में सूचनाओं का आदान–प्रदान जरूरी है।

12. विगत कुछ वर्षो में शहरी जल जमाव की तीव्रता में वृद्धि हुई है.पटना शहर ने वर्ष 1971 तथा 1975 में दो बार बाढ़ झेला है। पहली बाढ़ पुनपुन के बांध टूटने से आयी तथा पटना के पूर्वी हिस्से को ज्यादा प्रभावित किया, वहीं 23 अगस्त 1975 को गंगा और सोन नदी में आई बाढ़ ने पटना के पश्चिमी हिस्से को ज्यादा तबाह किया। इसके अलावा वर्ष 1990, 2002 तथा कई अन्य मौकों पर मुसलाधार बारिश शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न कर देती है। बरसात के कारण भी शहर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

13. पटना जिला में मुख्यतया खेती वर्षा जल, निजी नलकूप एवं नहर से प्राप्त जल से होती है। परन्तु विगत कुछ वर्षो से समय पर वर्षाभाव की वजह से खेती पर असर पड़ा है। जिले में धान, गेहूँ के अलावा सब्जी का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। सूखे का कारण मुख्यतया या तो समय पर वर्षा का कम या नहीं होना या फिर समय के बाद होना है। पटना जिले का पालीगंज, विक्रम, नौबतपुर, फुलवारीशरीफ के कुछ भू–भाग इन्द्रपुरी सोन कैनाल के अंतिम छोर पर होने के कारण सिंचाई से वंचित रह जाते हैं एवं सूखा से प्रभावित हो जाते है सूखे के लिए उत्तरदायी कारकों में कुछ कारक प्राकृतिक है तो कुछ मानवीय भी। मानवीय कारक के अन्तर्गत पाईन, आहर, तालाबें, बाँध, छिलका, सलूइस आदि का अतिक्रमण किया जाना है।

14. अध्ययन के क्रम में पाया गया कि यहाँ बड़े कार्यालयों, मॉल, सिनेमा हॉल एवं मकानों में विद्युत वायरिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है, छोटे उद्योगों में सावधानियाँ बरतने की जरूरत है। जिले में अग्निकांड से अप्रैल से मई (2016) में कुल 8 लोग, एवं 05 पशु जल मरे। इस वर्ष 102 गाँव के 1438 परिवार आग की घटनाओं से प्रभावित हुये।

15. पटना जिला में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिले में प्रतिवर्ष औसतन 1200 सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं जिनमें औसतन 514 लोगों की जानें जाती हैं एवं 553 लोग गम्भीर रूप से घायल होते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में प्रति 100 दुर्घटना के दौरान मरने वालों की संख्या को दुर्घटना की तीव्रता माने तो यह औसतन 42.86 आती है। वर्ष 2010 में यह तीव्रता 30.66 थी जो 2010 में बढ़ कर 52.44 हो गई, अर्थात प्रति 100 दुर्घटना में करीब 53 लोगों की जानें गईं। उपरोक्त आंकड़ा बताता है कि दुर्घटनाओं की भीषणता में लगातार वृद्धि हो रही है। सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर ध्यान देने की जरूरत है।

16. पटना में 1950 के दशक में छठ के सुबह अर्घ्य के बाद नारियल घाट (दीघा) में सम्भवतः राज्य की सबसे बड़ी नाव दुर्घटना हुई थी जिसमें लगभग 60 लोग डूब गये। 14 जनवरी 2017 को गंगा में हुई नाव दुर्घटना के उपरान्त 24 लोग डूब कर मरे तथा 7 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा बाढ़ के समय वर्ष 2016 में 106 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इन घटनाओं से बचाव हेतु पूर्व तैयारी, प्रशिक्षण एवं समय–समय पर चेतावनी जारी करने की आवश्यकता है

17. जिला भीड़/भगदड़ की दृष्टि से काफी संवेदनशील रहा है. अदालत घाट की छत की घटना (2012), गाँधी मैदान में रावण वध (2014) एवं राजनैतिक आयोजन के अवसरों (2013) पर की घटना इस श्रेणी की महत्वपूर्ण घटनाओं में से है। दुर्गा पूजा तथा छठ के मौके पर राजधानी में उमड़ने वाली भीड़ का प्रबंधन आवश्यक है। इन घटनाओं को देखते हुए जिला, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन एवं भीड़ में शामिल लोगों के लिए अलग–अलग पूर्व तैयारी तथा सावधानी हेतु प्रचार एवं प्रसार करनी चाहिए।

18. जलवायु परिवर्तन हेतु विगत 58 वर्षों के आंकड़ों को लेकर कृषि विभाग, बिहार द्वारा कराये गये अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला है कि इस जोन में वर्ष 2050 तक न्यूनतम तापक्रम में प्रतिवर्ष 0.003 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी, अधिकतम तापक्रम में 0.027 की वृद्धि, औसत तापक्रम में 0.012 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि तथा वर्षापात में 3.89 मि.मी. प्रतिवर्ष की कमी देखी जा रही है। इस प्रकार 2050 तक न्यूनतम तथा अधिकतम तापक्रम में क्रमशः 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि तथा वर्षापात में 15 से 30 प्रतिशत की कमी अनुमानित है।

19. पटना जिला में अब तक सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेन्टीग्रेड पाया गया है, तथा अधिकतम औसत तापमान 38 डिग्री सेन्टीग्रेड के बीच (मई महीने में) पाया गया है। तापक्रम सम्बंधी अभिलेख इस जिले की लू एवं उष्णता सम्बंधी जोखिम की तीव्रता बताते हैं। जिले में लू की सम्भावना रहती है। संवेदनशीलता की दृष्टि से भी यह जिला श्रेणी– IV में वर्गीकृत किया गया है। इस दौरान गर्मी से बचाव के उपाय तथा कुछ वर्गों के कार्य के समय में बदलाव लाया जा सकता है।

20. बिहार के कई जिलों में वज्रपात का प्रकोप देखने को मिला है जिसमें कई जानें चली गई हैं। विगत वर्ष 2010 में बिहार में 57 लोगों की मृत्यु एक ही दिन वज्रपात से हो गई। पटना जिला में भी वर्ष 2010 में वज्रपात से 25 लोगों की जान जाने की सूचना प्रतिवेदित है। वज्रपात में प्रायः खुले मैदानों में रहने वाले किसान, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले समुदाय, दीघा आदि के सम्पर्क में रहने वाले लोगों पर खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

21. तूफान, आँधी एवं ओलावृष्टि से जिला संवेदनशील है। पटना के सम्पूर्ण क्षेत्र में 47 मीटर/सेकेन्ड की दर से तेज आँधी आने की सम्भावना बनी रहती है। राज्य स्तर से इस तरह की सम्भावनाओं में पूर्व चेतावनी जारी की जाती है।

22. संदूषित जल के संदर्भ में प्रयोगशाला ने लगभग 20000 पानी के नमूने एकत्र किये तथा 15 प्रखंडों में आर्सेनिक युक्त जलदोष पाया. आर्सेनिक से सबसे प्रभावित प्रखंड में मनेर, दानापुर, मालोगंज, बख्तियारपुर तथा सम्पतचक प्रमुख हैं. 10 प्रखंड ऐसे हैं जहाँ 50 तक की सान्द्रता से जलस्रोतों में आर्सेनिक पाया गया है, जबकि 4 प्रखंडों में 51–100 जलस्रोतों में तथा पाँच प्रखंडों में गम्भीरता 100 से 400 पेयजल स्रोतों में आर्सेनिक की मात्रा पायी गयी

पटना सदर प्रखंड के चार पंचायतों नकटा दियारा, कुर्जी एवं पश्चिमी दीघा तथा उत्तरी मैनपुरा में आर्सेनिक पाया गया। दानापुर, मनेर, बिक्रम तथा पटना (कुछ हिस्सों) के प्रखंडों में तय मानक से पाँच गुणी ज्यादा आर्सेनिक युक्त पानी उपलब्ध है। पटना जिला में राष्ट्रीय पेयजल योजना (डी.डब्लू.एस.) जारी है, यह प्रयास करने की आवश्यकता है कि लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराया जा सके।

23. पटना जिला में वर्ष 2010–11 से मच्छर जनित डेंगू तथा विगत तीन वर्षों से चिकनगुनिया की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है तथा यह विकराल रूप ले रहा है. डेंगू और चिकनगुनिया के अधिकांश मरीज हर वर्ष अगस्त से दिसम्बर के बीच पाये गये हैं। 2015 की अवधि में पूरे जिला में डेंगू के कुल 1412 लक्षण प्रतिवेदित हुए। वर्ष 2014

में सिर्फ 175 रोगी दर्ज किए गये जबकि यह संख्या 2013 में बढ़कर 709 हो गई। 2016 में 792 तथा वर्ष 2017 में यह संख्या बढ़ कर 1543 मरीजों की हो गयी जो इसकी गंभीरता तथा इससे बचाव किये जाने की आवश्यकता को दर्शाता है

इसी प्रकार चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गयी। वर्ष 2016 में मात्र 352 मरीज चिन्हित किए जबकि पिछले वर्ष 2017 में इसस 1097 रोग ग्रसित मरीजों की पहचान की गयी है। अधिकांश रोगी सितम्बर, अक्टूबर तथा नवम्बर के महीनों में पाए गये।

24. जिले में से सभी संसाधन जो मानव तथा मशीनरी के रूप में विद्यमान हैं उनका संग्रहण किया गया है ताकि खतरे एवं जोखिम या आपदा के समय हमें पूर्व से ही उपलब्ध संसाधन की जानकारी हासिल हो। अग्निशमन संबंधित जानकारी में उपलब्ध अग्निशामक यंत्र की जानकारी दी गई है। यह प्रयास किया गया है कि संसाधन के रूप में सरकारी व्यवस्था के अलावा निजी संसाधन उपलब्धता को शामिल किया जाये ताकि आपदा के समय उनका त्वरित उपयोग हो सके।

25. इस योजना में विशेष तौर पर अस्पताल सुरक्षा, स्कूल सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा एवं ऐतिहासिक महत्व के संरचनाओं की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई है। अस्पताल सुरक्षा में आग, भूकम्प, जनसैलाब के समय की जाने वाली तैयारी की चर्चा की गई है वहीं स्कूल सुरक्षा में बच्चों में विभिन्न आपदाओं से लड़ने हेतु बच्चे, शिक्षक आदि को जानकारी हासिल करा कर क्षमता विकसित करने की चर्चा की गई है। औद्योगिक सुरक्षा के अंतर्गत जिले में अवस्थित सभी उद्योगों के प्रकार और उनके द्वारा किये जा रहे उत्पादन तथा कार्यरत कर्मचारियों की संख्या चिन्हित की गई है। जिससे खतरे का आकलन हो सके। इसके अलावा भी विभिन्न परिस्थितियों से निपटने की पूर्व तैयारी को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

26. जिला आपदा प्रबंधन योजना का एक मुख्य हिस्सा है कि सभी आपदाओं की पूर्व–तैयारी, निरोधीकरण, न्यूनीकरण, क्षमतावर्द्धन में आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित उनके भूमिका एवं दायित्व की चर्चा की जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर सभी लाईन विभाग पूर्व से ही अपेक्षित कार्रवाई में जुट जायें जिससे निम्न क्षति का सामना करना पड़े।

27. इस योजना में क्षमतावर्द्धन पर विशेष बल दिया गया है ताकि चिन्हित खतरों, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता के संदर्भ में आपदा से संबंधित विषयों पर ज्ञानवर्द्धन प्रशिक्षण के माध्यम से किए जा सकें। इसके लिए पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के विभिन्न प्रतिभागियों हेतु विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देने का एक खाका प्रस्तुत की गई है। इसके अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है।

28. इस योजना में आपातकालीन सहयोगी कार्य एवं इस हेतु लाईन विभाग एवं अन्य हितधारकों को विशेष रूप से पहचान की गयी है, साथ ही बाढ़, सूखा, अग्निकांड, मंगजल, सुखाड़ एवं अन्य से संबंधित सभी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को शामिल किया गया है। आपदा प्रबंधन हेतु मॉनिटरिंग तथा मौजूदा संसाधन पर भी चर्चा हुई है।

29. इस बात पर जोर दिया गया है कि जिला मुख्यालय में स्थापित आपातकालीन परिचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.) को सक्रिय करने के उपरांत इसे 24 घंटे कार्य करना आवश्यक होगा। क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र जिसे अनुमण्डल स्तर पर या आवश्यकतानुसार प्रखण्ड स्तर पर भी स्थापित किया जा सकता है, को सक्रिय रखकर जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के इन दोनों इकाइयों में उच्च स्तर का समन्वय स्थापित करना होगा और सभी सहयोगी हितधारक–सरकारी/गैर सरकारी को इन केन्द्रों के सम्पर्क में रहना चाहिए। सभी लाईन डिपार्टमेंट में से कुछ नोडल एजेन्सी तथा अधिकांश सहयोगी एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगे।

+ + + + + +

खंड – 1

पटना जिला आपदा प्रबंधन योजना

अध्याय : 1

परिचय (Introduction) : पटना जिला आपदा प्रबंधन योजना में इस जिले में संभावित प्राकृतिक अथवा मानवजनित भूजनित उत्पन्न खतरों के विभिन्न स्वरूपों, इन खतरों की चपेट में आने वाले संवेदनशील समूहों/सम्पत्तियों का ब्यौरा, इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने, कम करने अथवा आपदा से निपटने की वर्तमान क्षमता का आकलन करते हुए इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के उपायों का विवरण से वर्णन किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–31(1) के अनुसार "राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।"

इस योजना को विभिन्न स्तर के स्थानीय पदाधिकारीगण तथा अन्य हितधारकों से मिलकर तैयार किया जायेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह समेकित जिला आपदा प्रबंधन योजना को मूर्त रूप दे जिसे अनवरत अपनाया जा सके। यह आपदा जोखिम को रोकने तथा उसे कम करने (न्यूनीकरण) में सहायक हो। विभिन्न विकास के चरण में इसे इस तरह से सन्निहित किया जायेगा ताकि आपदा के समय प्रत्युत्तर, बचाव, राहत्य तथा पुनर्प्राप्ति के क्रम में समुदाय की कम से कम क्षति हो सके। आपदा न्यूनीकरण रोड मैप के उद्देश्यों से तालमेल कर इसे अपनाया जाना जरूरी होगा।

> **आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप**
>
> तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन सेन्डई, जापान में मार्च 2015 में आयोजित हुआ था, जिसमें विश्व के 190 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में वर्ष 2015 से वर्ष 2030 तक के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु चार प्राथमिकतायें एवं सात लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। उसके आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा 10.05.2016 को 'बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, 2015–2030' शीर्षक से एक दस्तावेज अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न प्राथमिकताओं को हासिल करने में यह जिला आपदा प्रबंधन योजना एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगी–
>
> - आपदा जोखिम की समझ विकसित करना। • आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।
> - आपदा जोखिम न्यूनीकरण का निवेश। • प्रभावी रिस्पॉन्स के लिए पूर्ण तैयारियों को बढ़ावा तथा "पूर्व से बेहतर" पुनर्वास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण

पटना जिले में पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मौजूद विभिन्न प्रकार की आपदाएँ, इन आपदाओं का इतिहास, आपदाओं के दरम्यान किए गए प्रत्युत्तर (समुदाय/सरकारी), तत्कालीन एवं आज का आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव, इस स्तर पर किए गए अच्छे व्यवहार, उपलब्ध संसाधन एवं जोखिम विश्लेषण आदि से इस योजना को दृष्टि मिली और इसके उपरान्त जिले का आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य निर्धारित किया जा सका है। योजना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार, भागीदारी एवं सामंजस्य रहा, जिससे योजना को अधिकतम व्यापक बनाया जा सका है। योजना की पहुँच उस व्यक्ति तक ले जाने की है, जो सीधे आपदा से प्रभावित होता है। 5 प्रतिशत ग्राम पंचायतों से सीधे वार्ता एवं अन्तःक्रिया ने इसे सम्पुष्ट किया है।

1.1 जिला आपदा प्रबंधन योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है (Main Objectives) :

- जिले के मुख्य जोखिम तथा इन जोखिम से प्रभावित होने वाले संवेदनशील क्षेत्र की पहचान करना।
- सभी सरकारी विभागों के समन्वित प्रयास से इन आपदाओं का निषेधीकरण तथा दुष्प्रभावों का न्यूनीकरण ।
- आपदा पूर्व तथा आपदा के समय एवं पश्चात् सभी हितधारकों के दायित्वों तथा कार्यों का निर्धारण तथा उनका नियोजन सुव्यवस्थित तरीके से करना
- जिलान्तर्गत प्रभावित समूह को ऐसे जोखिम का सामना करने हेतु उनका क्षमतावर्द्धन सुनिश्चित करना

- वर्षांकित योजना बनाकर सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्तियों, विशेषकर महत्वपूर्ण जन सुविधाओं तथा अधः संरचनाओं की आपदा क्षति में कमी लाने का प्रयास करना।
- जिलान्तर्गत आगामी विकास कार्यों के लिए प्राकृतिक आपदा जोखिम के दुष्प्रभावों में कमी लाना
- जिलास्तर पर प्रभावी तौर पर खोज बचाव तथा प्रत्युत्तर कार्यों का संचालन हेतु एक व्यापक आपातकालीन संचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.) की स्थापना।
- आपदा की स्थिति से निबटने के लिए एक प्रमाणिक तंत्र का विकास करना
- पूर्व सूचना तंत्र की स्थापना करना ताकि हितधारकों को आपदा जोखिम का सामना करने के लिए तैयार किया जाए तथा सूचना का आदान–प्रदान प्रभावी ढंग से हो सके।
- जिला में सूचना, शिक्षा तथा संचार का उपयोग कर आपदा से निष्प्रभावी रहने वाली निर्माण प्रक्रिया का अनुपालन करना तथा आपदा रोधी विकास के लिए समाज में जागरूकता फैलाना।
- आपदा प्रबंधन में मिडिया का उपयोग करने के उपायों को सुदृढ़ करना।
- जिलास्तरीय विभिन्न विभागों द्वारा आपदा से प्रभावित जनता के पुनर्वास की योजना बनाकर फलप्रद तरीके से क्रियान्वयन करना।

1.2 **योजना का कार्यक्षेत्र (Scope of the Plan)** : आपदा प्रबंधन योजना के दायरे में सम्पूर्ण पटना जिला जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है तथा 2011 की जनगणना में इसकी आबादी 58.39 लाख है, को लिया गया है। इस जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय, स्वायत्त शासी संस्थाएं तथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद तथा शहरी निकाय आते हैं। इसके अतिरिक्त इस जिले में पाटलीपुत्र एवं फतुहा औद्योगिक क्षेत्र तथा पूर्व मध्य रेलवे का दानापुर प्रमंडल कार्यालय अवस्थित है।

योजना बनाने के क्रम में जिन बातों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया गया, उनमें निम्नांकित मुख्य हैं :–

1. आपदा प्रबंधन योजना का निरूपण करते समय वहाँ जितने भी सरकारी/गैर सरकारी हितधारक हो सकते हैं, से सम्पर्क कर उनसे उनके द्वारा पूर्व में किए गये पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर, खतरों का चिह्निकरण, पुनर्वापसी (रिकवरी), शमन के अनुभवों को शामिल किया गया है।
2. इस क्रम में विभिन्न धार्मिक स्थलों, मेलों, हाट–बाट तथा स्कूल आदि को भी संवेदनशीलता के दायरे में रखा गया है।
3. जिले में सड़क दुर्घटना आपदा का स्वरूप लेने लगी है। अतः योजना में सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा को शामिल किया गया है।
4. लिंगीय मुद्दे आपदा प्रबंधन में महत्व के हो जाते हैं। इनकी संवेदनशीलता तब और बढ़ जाती है जब महिलाएँ गर्भवती होती हैं या इनकी गोद में बच्चे होते हैं अतः योजना बनाने के क्रम में लिंगीय मुद्दे भी शामिल हैं।
5. जलवायु परिवर्तन को भी योजना निर्माण के क्रम में दृष्टिगत रखा गया क्योंकि हमारे दैनिक जीवन को यह भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षापात, सुखाड़, तापक्रम में वृद्धि इत्यादि परिलक्षित हो रहा है।
6. वज्रपात हाल के वर्षों में अकस्मात दुर्घटना के रूप में उभर कर आयी है। इसके संबंध में भी 5 प्रतिशत पंचायतों के ग्रामीणों से भी इसकी जानकारी प्राप्त की गयी।
7. हाल के वर्षों में नीलगाय/सुअर का प्रकोप किसानों को झेलना पड़ा है। कुछ किसानों ने तो कुछ खास फसल लगाना ही छोड़ दिया और इस प्रकार आपदा का यह स्वरूप भी एक समस्या के रूप में उभर कर आया है।
8. इसके अतिरिक्त, आवश्यक सेवाओं को निरन्तर बनाए रखने हेतु किए जाने वाले कार्य एवं यंत्र–उपकरण के रखरखाव और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयासों को ध्यान में रख कर योजना निर्माण किया गया है।
9. आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय, सहयोग एवं एकीकरण की आवश्यकता होती है योजना निर्माण के क्रम में सभी स्तरों पर इसे अपनाने के प्रयास किए गए हैं

10. योजना बनाने के क्रम में आकस्मिक एवं सबसे बुरी स्थिति का आकलन कर, आकस्मिक योजना की तैयारी की गई है। इस योजना में अस्पताल, स्कूल, औद्योगिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है।

1.3 योजना बनाने की पद्धति (Plan Development Methodology) :

1.3.1 जिले में कार्यरत आपातकालीन सेवा प्रदाता :
इस जिले में आपदा के दौरान विभिन्न आकस्मिक सेवाओं के लिए निम्न सरकारी कार्यालय जिला स्तर पर कार्यरत हैं जिनकी भूमिका – आपदा पूर्व तैयारी, आपदा मोचन, राहत एवं बचाव, आवश्यक सेवाओं का पुनर्स्थापन तथा पुनर्निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है :–

- जिला समाहर्त्ता, पटना
- जिला परिषद्, पटना
- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना
- उप विकास आयुक्त, पटना
- असैनिक शल्य चिकित्सक, पटना
- वरीय अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन), पटना
- नगर निगम– पटना
- जिला दूरसंचार केन्द्र, पटना
- साउथ बिहार पावर होल्डिंग लि., पटना
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना (पूर्व एवं पश्चिम)
- बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, पटना
- पथ निर्माण प्रमंडल, पटना
- भवन निर्माण प्रमंडल, पटना
- जिला जनसंपर्क कार्यालय, पटना
- जिला कृषि पदाधिकारी का कार्यालय, पटना
- जिला पशुपालन कार्यालय, पटना

1.3.2 योजना निर्माण के लिए अपनाई गई पद्धति (Methodology) :
जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने के क्रम में 'बॉटम अप' योजना की प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें जिला से नीचले स्तर तक स्टेकहोल्डरों से परिचर्चा कराया गया है तथा इसके उपरांत नीचे से ऊपर की ओर (पंचायत– प्रखंड–अनुमंडल–जिला) जोखिम, खतरे एवं संवेदनशीलता की पहचान की गयी है।

योजना की सामग्री मुख्य रूप से दो श्रोत प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रोतों से एकत्रित की गई। योजना की सामग्री के अलावा विभिन्न आपदाओं से जुड़े विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनसे महत्वपूर्ण विमर्श किये गये। साथ ही जिले के 5 प्रतिशत पंचायत का भ्रमण कर हितधारकों से सीधा संपर्क भी स्थापित किया गया।

इस योजना के निर्माण के लिए अपनाई गई पद्धति, दृष्टिकोण एवं प्रक्रिया का विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है।

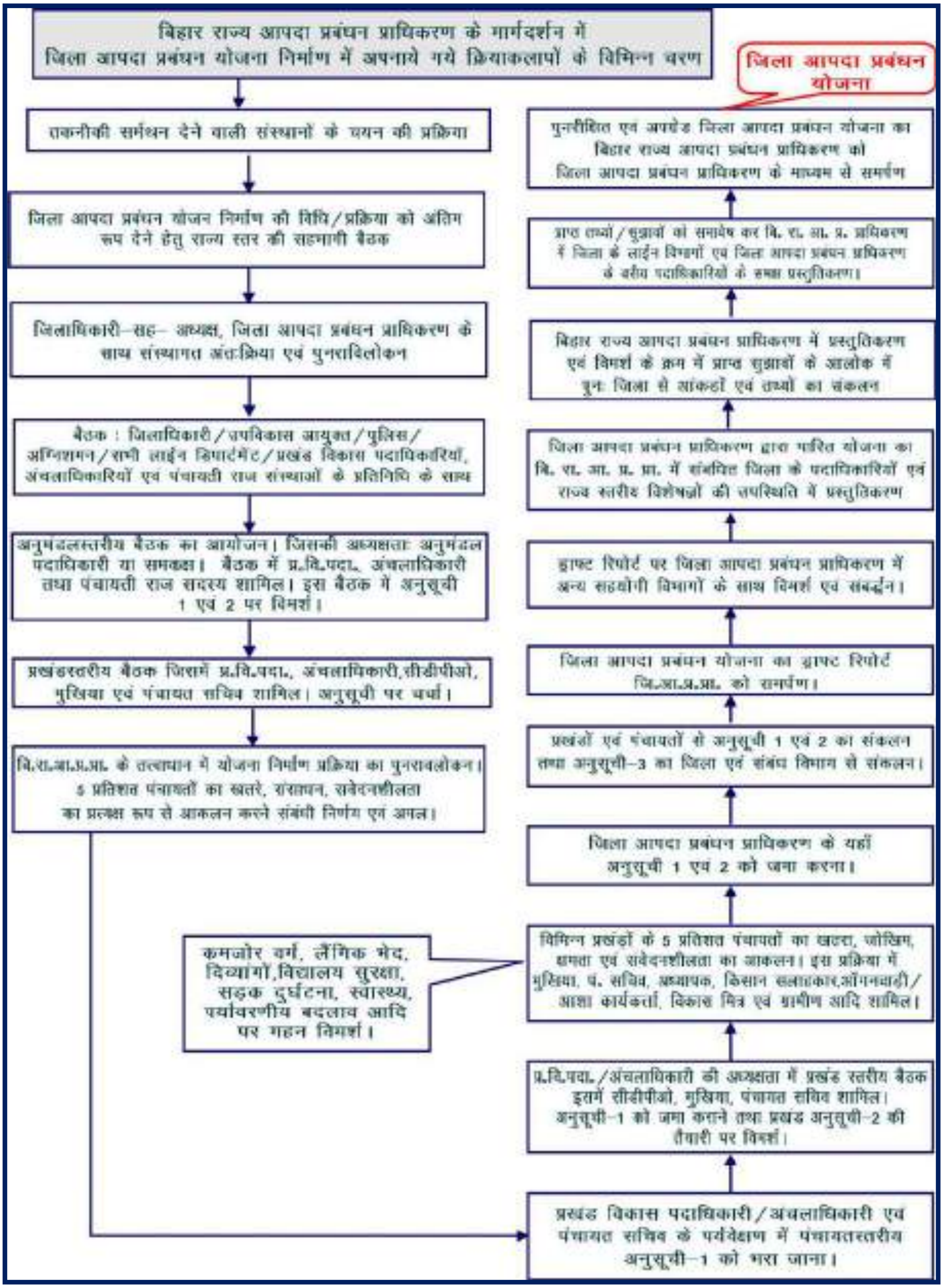

1.4 जिला आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन (Implementing DDMP) : इस जिले के लिए तैयार की गई योजना की पूर्ण जिम्मेदारी जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की होगी। इसके कार्यान्वयन में प्राधिकार के सदस्य, इस संदर्भ में गठित विशेष समिति तथा लाइन विभाग से सहयोग लिया जाता है। जिला के समक्ष खतरे, जोखिम से उत्पन्न होने वाली सभी संभावित आपदाओं के संबंधित निरोधीकरण, न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर एवं पुनर्स्थापन के कार्यों का दायित्व होगा। उपर्युक्त विषयक कार्यों को आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद में विभक्त कर सुनियोजित ढंग से संपन्न कराया जायेगा। आपदा के पूर्व में पिछली घटनाओं का आकलन तथा संसाधन प्राप्त सूची को अद्यतित किया जायेगा, जबकि आपदा के दौरान पूरे जिले में की जाने वाली प्रत्युत्तर के कार्य को इस योजना में वर्णित जरूरी कदम तथा मानक विशेष को देखते हुए अन्य किये जाने वाले उपायों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। विभिन्न कार्यों के लिए एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त होंगे ताकि समन्वय बना रहे। इसी प्रकार से आपदा के बाद पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के कार्यों का संचालित किया जायेगा तथा प्रभावित परिवार अपने घर को वापस लौट सके। सारी प्रक्रियाओं को सम्पन्न कराने में जिला आपदा संचालन केन्द्र 24 घंटे विभिन्न शिफ्ट में कार्य करेगा।

जिले से संबंधित जिलाधिकारी आपदा कमान अधिकारी (इन्सिडेंट कमांडर) होंगे तथा उन्हीं की अनुमति से जिला आपदा प्रबंधन को सुचारु ढंग से लागू किया जायेगा। जिला आपदा प्रबंधन योजना/मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होना चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कुछ अन्तराल पर विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों का स्थानान्तरण होता रहता है।

1.4.1 मुख्य हितधारक एवं उनकी भूमिका :

क्र.	स्तर	हितधारक समूह	कार्य	दायित्व
01	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन समिति	आपदा प्रबंधन	तत्कालीन मुखिया
		ग्राम पंचायत खोज एवं बचाव समिति	खोज एवं बचाव	नाविक एवं एस.डी.आर.एफ.
		ग्राम पंचायत प्राथमिक चिकित्सा समिति	प्राथमिक सहायता एवं प्राथमिक किट की तैयारी	ए.एन.एम. एवं रेड क्रॉस
		ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति	स्वच्छता एवं पेय जल	निर्मल भारत अभियान दल
		ग्राम पंचायत आश्रय एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर दल	आश्रय स्थल की व्यवस्था एवं आपदा स्थल का खाली करना	इंदिरा आवास योजना एवं स्थानीय मैदान के प्रभारी
		ग्राम पंचायत सामाजिक सुरक्षा समिति	सामाजिक रूप से असुरक्षितों की पहचान एवं मदद	सामाजिक सुरक्षा विभाग
		ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य	वार्डों के हित के कार्य	स्वतः निर्वाचित
		ग्राम पंचायत भोजन एवं पोषण दल	भोजनादि की व्यवस्था	मध्याह्न भोजन दल
		ग्राम पंचायत बाल विकास एवं संरक्षण दल	बाल विकास एवं संरक्षण	आँगनवाड़ी तथा समेकित बाल विकास परियोजना टीम
		ग्राम पंचायत शिक्षा दल	शिक्षा व्यवस्था	सर्व शिक्षा अभियान दल
		ग्राम पंचायत पशुधन समिति		
		ग्राम पंचायत सुरक्षा समिति	पशुओं का टीकाकरण एवं चारे की व्यवस्था	पशुधन समिति अध्यक्ष
02	प्रखंड स्तर संबद्ध प्रशासन	स्थानीय थाना	आश्रय/राहत शिविरों की सुरक्षा	थाना प्रभारी
		कृषि विभाग	सुरक्षा/कृषि संपदे	प्रखंड कृषि पदाधिकारी
		सहकारिता	पैक्स/सहकारी भवन	सहकारिता पदाधिकारी
		श्रम	श्रमिकों की स्थिति	श्रम निरीक्षक
		अग्निशमन	अग्निशमन की व्यवस्था	प्रखंड स्तरीय अग्निशमन पदाधिकारी
		स्वास्थ्य	स्वास्थ्य संबंधी	प्रखंड स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	चापाकल एवं ब्लीचिंग पाउडर	कनीय अभियंता
		खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता	खाद्यान्न की व्यवस्था	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
		शिक्षा	आश्रय स्थल/ राहत स्थल	प्रखंड शिक्षा प्रसार पदा.
		पशु एवं मत्स्य	पशुधन सुरक्षा तथा मत्स्य पालन	प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी
		जल संसाधन	सिंचाई	कनीय अभियंता
		सामाजिक सुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी

		सांख्यिकी	जनांकिकी एवं अन्य आंकड़े	प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी
		पंचायत राज	पंचायतों के सूचनातंत्र	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक
		स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण	सड़क एवं भवन	कनीय अभियंता
03	जिला स्तर	आपदा प्रबंधन	समन्वय एवं मॉनिटरिंग	जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी
		बाढ़ एवं जल निस्सरण	तटबंधों की सुरक्षा, जल स्तर की जानकारी लेना–देना	कार्यपालक अभियंता
		परिवहन विभाग	विभिन्न वाहनों एवं नावों की उपलब्धता	जिला परिवहन पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल एवं स्वास्थ्य	शरण स्थलों की व्यवस्था तथा पेयजल के साथ स्वच्छता मानव दल	कार्यपालक अभियंता, सिविल सर्जन
		पशुपालन	पशुपालन एवं पशु दवा	जिला पशुपालन पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	चापाकल लगाना, मरम्मति क्लोरीन टैबलेट का देना तथा प्रयोग हेतु प्रशिक्षण	कार्यपालक अभियंता
		खाद्य विभाग/आपूर्ति	खाद्य का भंडारण तथा आपूर्ति	जिला प्रबंधक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी
		शिक्षा विभाग	आपदा सम्बंधी जागरूकता की पहल/जागरूकता के अन्य कार्यक्रम	जिला शिक्षा पदाधिकारी
		सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	प्रचार–प्रसार	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी
		पंचायती राज	पंचायतों के राहत कार्य की देखभाल	जिला पंचायत पदाधिकारी
		अग्निशमन	अग्निशमन के वाहनों की व्यवस्था	जिला अग्निशमन पदाधिकारी
		स्वास्थ्य	स्वास्थ्य सेवाएँ	असैनिक शल्य चिकित्सक
		पुलिस	शान्ति व्यवस्था	पुलिस अधीक्षक
		कृषि	कम पानी/जल्दी होने वाले फसलों की व्यवस्था	जिला कृषि पदाधिकारी
		सांख्यिकी	तथ्यों के रखरखाव	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
		सहकारिता	भण्डारण एवं आगमन	जिला सहकारिता पदाधिकारी
		जल संसाधन	जल व्यवस्था	कार्यपालक अभियंता जल संसाधन
		राजस्व एवं भूमि सुधार	भूमि सम्बंधी जानकारियाँ उपलब्ध कराना	भूमि सुधार उप समाहर्ता
		शहरी विकास	शहरों का नियोजित विकास	नगर निगम/नगर पंचायत आदि
		सामाजिक सुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले लोगों की देखभाल	प्रभारी उप समाहर्ता
		योजना एवं विकास	विकास एवं विकास की योजना	प्रभारी उप समाहर्ता
		डाक एवं संचार	सूचनाओं का आदान प्रदान एवं संवाद	प्रबंधक डाक एवं तार
		भवन निर्माण	भवनों की स्थिति का नियमित पर्यवेक्षण/आकलन	अधीक्षण अभियंता
		भारत संचार निगम लि०	दूरसंचार सुविधा बनाये रखना	प्रबंधक
		दूरसंचार के अन्य निजी उपक्रम रिलायंस, एयरटेल आदि	दूरसंचार सुविधा बनाये रखना	प्रबंधक
		उद्योग	उत्पादक इकाइयों की सूची एवं देखभाल	जिला उद्योग पदाधिकारी
		श्रम संसाधन	उद्योगों की सुरक्षा के मुद्दे	जिला श्रम पदाधिकारी

			पंजीकृत श्रमिकों की सूची का रखरखाव	अधीक्षक
		ऊर्जा विभाग	बिजली की निर्बाध आपूर्ति	अधीक्षण अभियंता
		प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	तथ्यों की सही जानकारी उपलब्ध कराना ताकि पूर्व तैयारी हो जाए	क्षेत्रीय संवाददाता
04	अन्य हितधारक समूह	निजी शैक्षिक संस्थाएं	आवासन/राहत केन्द्र/भंडारण	प्राचार्य/स्थानीय निकाय
		एन.सी.सी.	राहत एवं बचाव में मदद	कमान अधिकारी
		रेड क्रॉस	प्राथमिक सहायता एवं अन्य सहायता	जिला सचिव
		अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाएं	विभिन्न प्रकार के सहयोग एवं सहायता	प्रभारी अधिकारी
		विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संघ	स्वास्थ्य संबंधी सहयोग	अध्यक्ष/सचिव
		युवा संगठन	स्वयं सेवा राहत	अध्यक्ष/सचिव
		दलित एवं महादलित संगठन	विभिन्न प्रकार की सहायता	अध्यक्ष/सचिव
		नेहरू युवा केन्द्र	राहत एवं बचाव	जिला समन्वयक
		ट्रांसपोर्ट (रेल, सड़क, नाव) संघ	विभिन्न प्रकार के सामग्री की व्यवस्था	अध्यक्ष/सचिव
		स्वयं सहायता समूह	सहयोग एवं सहायता	अध्यक्ष/सचिव
		अभियंता, राजमिस्त्री, डिजाइनर एवं वास्तुकार	निर्माण एवं मरम्मति	
		निजी डॉक्टर, भूतपूर्व सैनिक एवं शिक्षक	स्वास्थ्य एवं अन्य प्रकार के मदद	संघ सचिव, अध्यक्ष
		इंटर एजेन्सी ग्रुप	समन्वय एवं सहयोग	अध्यक्ष/सचिव
		व्यावसायिक संघ एवं बाजार संघ	आवश्यक सामग्री की आपूर्ति	अध्यक्ष/सचिव
		राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया	प्रचार प्रसार	स्थानीय संवाददाता

1.5 योजना की समीक्षा तथा अद्यतन करना (Plan Review & Updation) : जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा की जायेगी एवं प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित हितधारक विभागों द्वारा अद्यतन किया जायेगा। जिसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित करते हुए इसकी एक–एक प्रति राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाती है

आपदा कैलेण्डर के आलोक में प्रत्येक संभावित आपदा काल के पूर्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आहूत विशेष बैठक में आपदा पूर्व तैयारी तथा आपदा मोचन तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जायेगी तदनुसार सभी विभागीय अपने दायित्वों का निर्वहन के लिए तैयार रहेंगे। आपदा के दौरान किए गये मोचन कार्यो के प्रभाव की भी समीक्षा की जायेगी तथा इन समीक्षाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में जिला आपदा प्रबंधन योजना का पुनर्मूल्यांकण कर इसे पुनरीक्षित तथा संशोधित किया जायेगा। (आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31(4) द्रष्टव्य)

\+ + + + + +

अध्याय–2

जिले का परिचय

INTRODUCTION OF DISTRICT

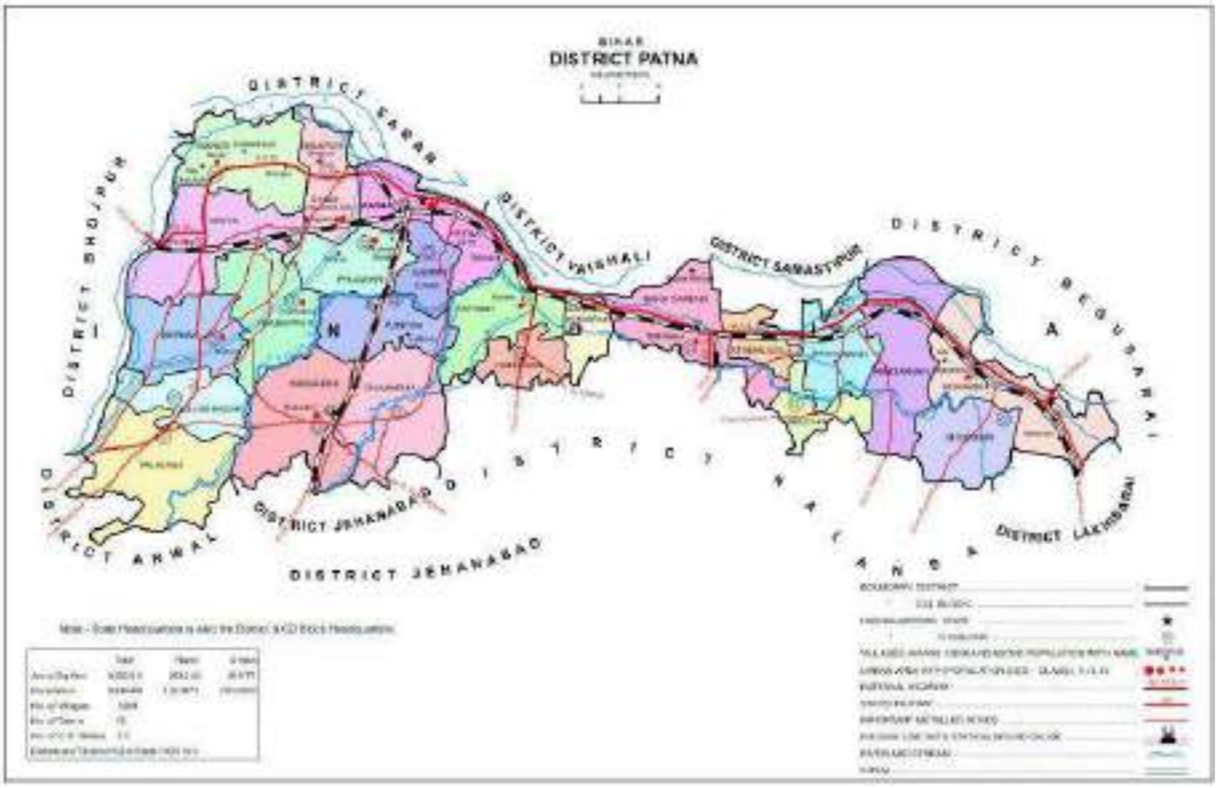

ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक :

पटना का नाम विभिन्न कालों में पाटलिग्राम, कुसुमपुर, पाटलिपुत्रा, अजीमाबाद आदि रहा है। इतिहास और परम्पराओं की दृष्टि से यह सभ्यता के शुरूआती दौर से जुड़ा है। चन्द्रगुप्त मौर्य ने यहाँ 4थी शदी ए.डी. में राजधानी स्थापित किया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ पट्टन नाम से एक गाँव था जिसे ही पटना कहा जाने लगा। यह कहा गया है कि अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अजातशत्रु ने लिच्छिवियों के हमले से बचाने हेतु कई सुरक्षात्मक कदम उठाए थे। अजातशत्रु के पुत्र ने भी अपनी राजधानी राजगृह से हटा कर पाटलिपुत्र लाया था और यह स्थिति मौर्य एवं गुप्त काल तक बना रहा। औरंगजेब का पौत्र राजकुमार अजीम–उस–शान वर्ष 1703 में पटना का राज्यपाल रहे। कहा जाता है कि अजीम–उस–शान ने ही पटना को सुन्दर शहर का रूप दिया और इसे अजीमाबाद का नाम दिया।

यहाँ ग्रीक दूत मेगस्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसांग ने भ्रमण किया। कौटिल्य ने भी पटना में ही प्रवास कर 'अर्थशास्त्र' की रचना की। यह शहर शुरू से ही ज्ञान का भंडार रहा है।

सांस्कृतिक दृष्टि से कई पाण्डुलिपियों में पटना का जिक्र मिलता है। कुम्हरार तथा अगमकुआँ अशोक के पाटलिपुत्र के समय का सांस्कृतिक धरोहर की झाँकी प्रस्तुत करता है। दीदारगंज यक्षी मौर्य काल का नमूना है। पादरी की हवेली, गोलघर, सचिवालय, हाईकोर्ट की संरचना ब्रिटिश निर्माण की याद दिलाता है। बुद्ध स्मृति पार्क भी सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु जाना जाता है। पदारी की हवेली (सन् 1722), पत्थर की मस्जिद (सन् 1621), शेरशाह सूरी का मकबरा (सन् 1540–45), दसवें सिख गुरु गोविन्द सिंह (सन् 1666) की जन्म स्थली तख्त हरिमंदिर साहब यह बताता है कि इस शहर का सांस्कृतिक इतिहास बहुत मजबूत रहा है और आज ये सभी स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। पटना जिला विकासोन्मुख सभ्यता का उदाहरण तथा उच्च संस्कृति का वाहक रहा है। यहाँ

कई प्रकार की कलाओं को फलने–फूलने का पूरा अवसर मिला है। पटना जिला सूफी संतो, सिख धर्म गुरूओं, जैन तथा बौद्ध धर्मावलम्बियो से सदियों से प्रेरित/प्रभावित होता रहा है।

भौगोलिक :

पटना जिला बिहार राज्य के मध्य में 25^0–30' उत्तरी अक्षांश तथा 85^0–13' पूर्वी देशान्तर पर अवस्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर इस जिले की कुल आबादी 58.384 लाख है। जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 30.785 लाख एवं महिलाओं की संख्या 27.599 लाख है। इस जिले के वर्तमान जनसंख्या में वृद्धि दर 23.73 प्रतिशत है जो कि पिछले दशक में 30.17 प्रतिशत थी इस जिले में प्रत्येक 1000 पुरूष के विरूद्ध महिलाओं की जनसंख्या मात्र 897 है बच्चों का लिंगानुपात प्रत्येक 1000 बालक पर 909 बालिका है। 0–6 वर्ष की आयु वर्ग की कुल जनसंख्या 9,43,552 है। इस जिले में साक्षरता दर 68–70 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 78.48 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 61.96 प्रतिशत है।

जिले की कुल आबादी का 43.07 प्रतिशत नगरीय आबादी है अर्थात 56.93 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है। इस जिले का जनसंख्या घनत्व जो 2001 में 1474/वर्ग कि.मी. था वह वर्ष 2011 के जनगणना में बढ़ कर 1823/वर्ग कि.मी. हो गया है।

पटना जिला ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में बटा हुआ है जहाँ एक ओर त्रिस्तरीय पंचायत है तो दूसरी तरफ नगर निगम एवं स्थानीय शहरी शासकीय इकाईयाँ है। इसके उत्तर में गंगा नदी एवं नदी के उस पार सारण, वैशाली, समस्तीपुर तथा बेगुसराय जिला, दक्षिण में नालन्दा, जहानाबाद और अरवल जिला, पूरब में लखीसराय जिला तथा पश्चिम में सोन नदी एवं नदी के उस पार भोजपुर जिला अवस्थित है। पटना के उत्तर में गंगा नदी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है तथा पश्चिम में सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुए दानापुर के निकट गंगा नदी में मिलती है। दक्षिण से पुनपुन, लखनदेह, दरधा, लोकाइन, महाने, धोवा एवं मोरहर, नदियाँ पटना जिला में प्रवेश करती है तथा उत्तर की ओर बहते हुए अन्ततः गंगा नदी में मिल जाती है।

जिला नगरीय, उपजाउ जमीन, सतही एवं भूगर्भ जल का प्रचुर भंडार तथा मत्स्यधन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। वन तो नगण्य है परन्तु फलों के अनगिनत बगान है इस जिले को जलप्लावित करने वाली पाँच नदियाँ कुदरत की अनमोल देन है साथ ही इनमें आने वाले बाढ़ जोखिम के रूप में विद्यमान रहता है। प्रायः जिले को बाढ़ की आपदा झेलनी पड़ती है।

प्रशासनिक :

राजधानी में कुल 23 प्रखण्ड है। पटना जिले को पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी एवं पालीगंज अनुमण्डल के अंतर्गत विभक्त किया गया है सबसे अधिक 7 प्रखण्ड बाढ़ अनुमण्डल के अन्दर है। पटना प्रमण्डल मुख्यालय होने की वजह से यहाँ प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय है जिले का शीर्षस्थ पदाधिकारी, जिलाधिकारी है प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुलिस को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभक्त किया गया है शहर में वरीय पुलिस अधीक्षक एवं नगर अधीक्षक नियुक्त है, वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की व्यवस्थापना की गई है। जिले में कुल 321 पंचायत है। पटना में नगर निगम है जब कि अन्य जगहों पर नगर पालिका की व्यवस्था है नगर में सुचारू रूप से निर्माण एवं साफ–सफाई का कार्य चलाया जा सके इसके लिए पटना नगर निगम को चार अंचलों–नूतन राजधानी, बाँकीपुर, कंकड़बाग, पटना सिटी में विभक्त कर 75 वार्ड की स्थापना की गई है। पटना नगर निगम में मेयर, उप मेयर तथा मुख्य नगर आयुक्त का पद है।

सतही जल : पटना जिले के उत्तर में अवस्थित गंगा नदी तथा पश्चिम में अवस्थित सोन नदी से वर्षा के दिनो में अथाह जल प्रवाह होता है। ये नदियाँ इस जिले में बाढ़ की विभिषिका के लिए भी जानी जाती है। सोन नदी में प्रवाहित सतही जल के उपयोग के लिए निर्मित सोन सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत पटना नहर से इस जिले का पालीगंज, दुल्हिन बाजार, विक्रम, नौबतपुर, मनेर तथा दानापुर प्रखण्ड में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है।

पटना जिला में कुल 35 लघु सिंचाई योजनायें हैं जिनके माध्यम से सतही जल का सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है।

1. मिर्जा आहर पाइन लघु सिंचाई योजना – बख्तियारपुर	19. हसनपुर ...ड – बेलछी
2. जोधन बीघा लघु सिंचाई योजना – बेलछी	20. बेलछी (द) का आहर – बेलछी
3. कोराही ... नाला – बेलछी	21. डुमरी लघु सिंचाई योजना – बिहटा
4. रतनडीह लघु सिंचाई योजना – बिहटा	22. जमुनापुर ... आहर पाइन सिंचाई योजना – बिहटा
5. पंजाब लघु सिंचाई योजना आहर पाइन – बिहटा	23. सराई बीघा – दनियावां
6. नसीरपुर आहर – दनियावां	24. ...बीघा – दनियावां
7. संतवाड़ी – दनियावां	25. अल्लापुर आहर – धनरूआ
8. किस्तीपुर आहर – धनरूआ	26. ...पुर ... – धनरूआ
9. ... – दुल्हिन बाजार	27. सिलौरी ... – दुल्हिन बाजार
10. नदांवी ... आहर पइन – दुल्हिन बाजार	28. गिलानीपुर – खुसरूपुर
11. खाड़ी ... आहर – नौबतपुर	29. ...पुर ... – नौबतपुर
12. ...सर – नौबतपुर	30. तिसखोरा – नौबतपुर
13. ...पुरा – नौबतपुर	31. गाइरा – नौबतपुर
14. अदला – नौबतपुर	32. ... – पालीगंज
15. ...मटी आहर – फुलवारीशरीफ	33. बिजलीबाग और महमदचक – फुलवारीशरीफ
16. नहवानी ... इब्राहिमपुर पइन – फुलवारीशरीफ	34. ... – पुनपुन
17. साहेब नगर ... – पुनपुन	35. दिनारी – विक्रम
18. एकडंगा ... – बाढ़	

स्रोत: जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पटना

भूमि उपयोग विवरणी ('000 हेक्टेयर में) :

- भौगोलिक क्षेत्र – 317.2
- जोत योग्य भूमि –223.5
- गैर कृषि उपयोग भूमि – 15.1
- स्थायी चारागाह – 3.1
- खेती योग्य बंजर भूमि – 11.1
- पेड़–पौधा, बागान आच्छादित भूमि – 12.6
- बंजर एवं अकृषि योग्य भूमि – 13.1
- परती भूमि – 2.0
- अन्य परती भूमि – 25.5

कृषि में उपयोग भूमि (क्षेत्र '000 हेक्टेयर में) :

- शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र–228.5
- एक बार से अधिक बोया जाने वाला क्षेत्र – 137.8
- सकल (ग्रॉस) फसल क्षेत्र – 366.3
  फसल सघनता 100.3 प्रतिशत

पूर्व में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार पटना जिला में 78.7 प्रतिशत किसान के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, 12.0 प्रतिशत किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जमीन है, 7.4 प्रतिशत के पास 2 से 4 हेक्टेयर तथा 1.9 प्रतिशत के पास 4 से 10 हेक्टेयर जमीन है। 10 हेक्टेयर से ऊपर किसी किसान के पास जमीन नहीं है। इस जिले में बहुत बड़ी संख्या खेतिहर मजदूरों एवं कामगारों की है। अतीत में भू–मालिकों एवं मजदूरों में कुछ क्षेत्रों में

किसान तलवार हुए थे परन्तु अब अपनी संस्था तथा रस्मतो बन गई है जिससे अमन एवं शांति का माहौल बना हुआ है

इस जिले की मुख्य फसल अगहनी धान तथा भदई मक्का एवं गेहूँ, चना, ईख तथा सब्जी है जून के अंत से अक्टूबर तक खरीफ फसल का समय है।

सिंचाई माध्यम (क्षेत्र '000 हेक्टेयर में) :

- नलकूप – 126.3
- कनाल – 51.1
- अन्य स्रोत – 3.1

कुल सिंचित क्षेत्र – 179.5 (स्रोत: एन.आइ.सी.आर.ए.-आइ.सी.ए.आर. दिल्ली)

जनसंख्या :

सारणी– (2.1) प्रखण्डवार जनसंख्या विवरणी :

क्र.	प्रखंड का नाम	घरों की सं.	जनसंख्या			अनु.जाति की संख्या		
			कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
1	अथमलगोला	1368'	90964	48'69	42795	15554	8180	7374
2	बख्तियारपुर	34535	227382	120760	106622	41'70	21804	19366
3	बाढ़	33090	216348	115354	100994	39672	21090	18582
4	बेलछी	10946	66'65	34804	3136'	165'5	8653	7862
5	बिहटा	42546	26'427	13770'	123726	44435	23'62	21273
6	बिक्रम	27760	1695'0	88463	81047	34545	17945	16600
7	दनियावाँ	13346	75086	394'6	35670	20872	10882	9990
8	धनरूआ	36636	21'376	109384	10'992	485'6	25029	23487
9	दानापुर	64547	3978'7	21'60'	1862'6	47249	24723	22526
10	दुल्हिन बजार	20495	124966	6473'	60235	23409	12027	11382
11	फतुहाँ	31800	198008	104445	93563	38'59	20028	18'3'
12	घोसवारी	11'06	74898	39776	35'22	13580	7155	6425
13	खुशरूपुर	1807'	109504	57505	51999	24524	12786	11738
14	मनेर	41388	268998	14'622	127376	28973	15'55	138'8
15	मसौढ़ी	4183'	24'2'6	125832	115384	51682	26923	24759
16	मोकामा	334'7	2024''	107880	9453'	33593	1793'	15662
17	नौबतपुर	34674	203594	107'03	9649'	44047	230'8	21029
18	पालीगंज	4199'	254904	130907	123997	47844	245'8	23326
19	पण्डारक	23968	1546'3	817'3	72900	25394	13297	12097
20	पटना	308'54	177''40	939743	83'397	163676	86708	76968
21	फुलवारीशरीफ	46966	273'29	143576	129553	50686	26403	24283
22	पुनपुन	26097	138'43	719'2	6623'	45767	23733	22034
23	संपतचक	18533	106866	56''5	5075'	21056	10938	10118
	कुल	**975578**	**5838465**	**3078512**	**2759953**	**920918**	**482088**	**438830**

स्रोत जनगणना–2011

जलवायु एवं वर्षापात : पटना जिला समुद्र तल से 33 मी. की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ का मौसम उष्णकटिबंधीय (ट्रॉपिकल) है। गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी और लू का अनुभव होता है तथा ठंड के मौसम में सर्दी भी अधिक रहती है। अधिकतम तापमान 45° तथा न्यूनतम 6° डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पाया गया है। अप्रैल से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहता है तथा मध्य नवम्बर से फरवरी तक शीत ऋतु का अनुभव महसूस किया जाता है। वर्ष के अन्य महीनों में बाढ़ एवं आँधी–तूफान की अधिकता पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम की ओर

से आने वाली समुद्री हवायें वर्षा का कारण बनती हैं। पूरे वर्ष में 50 दिनों में लगभग 1054 मिली मीटर बारिश होती है। अधिकांश वर्षा (900 मिली मीटर) जून से सितम्बर माह के मध्य में होती है। विगत वर्षों में लंबे समय तक गर्मी तथा कम समय तक वर्षा का अनुभव किया गया है।

जिला	भारी वर्षा मि॰मी॰/24 घंटे में (तारीख)	अधिकतम तापमान ^{0}से॰ (तारीख)	न्यूनतम तापमान ^{0}से॰ (तारीख)
पटना	273.5 (20.09.1967)	46.6 (09.06.1966)	1.4 (21.01.1984)

मिट्टी का प्रकार : अधिकांश जगहों पर गंगा तथा सोन नदी द्वारा विगत सहस्त्राब्दियों में अपने जलग्रहण क्षेत्र से मिट्टी को लाकर जमा किया गया है। इस पर अनादि काल से कृषि होती रही है। उपरी तौर पर अधिकांश जगह पर दोमट/बलुआही/केवाल मिट्टी की बहुतायत है। यहाँ की मिट्टी आम तौर पर क्षारीय है तथा पीएच का मान 6.3 से 8.2 के बीच है। यहाँ पर प्राकृतिक ताल तथा कछार की भूमि भी है। जिले के कुल भूभाग का लगभग 49.44% जोतभूमि है जहाँ कृषि की सम्भावनाएँ बनती है। कृषि विभाग द्वारा वर्गीकृत कृषि जोन III (A) में यह जिला अवस्थित है।

पशुधन 2007 की गणना के अनुसार :

गाय	3,15,100
भैंस	2,65,800
सुअर	51,000
भेड़	13,000
बकरी	1,96,600
मुर्गी	4,01,000

मत्स्य उत्पादन : 14,000 टन

स्रोत : बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण–2015–16

भूगर्भ जल का परिदृश्य :

भूगर्भ जल धारित भू–परत :– गंगा का समतल मैदानी भू–भाग के दक्षिण की ओर पटना जिला अवस्थित है। इस भाग की भू–गर्भीय संरचना जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बालू तथा कंकरीली परतों से आच्छादित है, जिसकी जलधारण क्षमता काफी अच्छी है। जमीन की सतह से 150 मी0 नीचे तक भूगर्भ जल की उपलब्धता भरपूर है। यहाँ पर 100 – 300 घन मी॰ प्रति घंटा की दर से भूजल प्राप्त किया जा सकता है।

वर्षा ऋतु के बाद जमीन की सतह से औसतन 1.40 से 7.12 मीटर नीचे तक भूजल स्तर रहता है। भूमिगत जल भण्डार अधिकांश स्थलों पर 2 से 5 मीटर की गहराई पर उपलब्ध है। दक्षिणी, पूर्वी तथा मध्य भाग में कुछ जगहों पर यह 10 मीटर से अधिक की गहराई पर उपलब्ध है।

पटना जिले में प्रतिवर्ष पुनर्भरण जल की मात्रा 90,455 है॰ मी॰ उपलब्ध है। 2009 में किये गये अध्ययन के अनुसार इसमें से प्रतिवर्ष 52,760 है॰मी॰ जल का उद्ग्रहण कर उपयोग में लाया जा रहा है जो कुल उपलब्धता का 54.7 प्रतिशत है। वर्तमान में भूगर्भ जल का सर्वाधिक उद्ग्रहण सम्पतचक प्रखण्ड में (79.6 प्रतिशत) हो रहा है। अन्य प्रखण्डों का ब्यौरा निम्नवत है।

भूजल की मात्रा :– केन्द्रीय भूजल बोर्ड बिहार द्वारा इस जिले में वार्षिक पुनर्भरण योग्य भूमिगत जल की आकलित मात्रा 90455 हे0मी0 आकलित की गई है। इसमें से वर्तमान में घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक उपयोग हेतु कुल 52700 (लगभग 54.7 प्रतिशत) हे0मी0 जल का दोहन किया जा रहा है। अभी भी घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक उपयोग के लिए काफी अधिक मात्रा में भूगर्भ जल उपलब्ध है।

सारणी–(2.2) प्रखण्डवार सालाना भूजल उपलब्धता तथा इसका विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति के लिए दोहन की स्थिति (हेक्टेयर मीटर में)

क्र॰ सं॰	मूल्यांकन की इकाई/जिला	कुल वार्षिक भूजल उपलब्धता	मौजूदा सकल भूजल ड्राफ्ट सिंचाई हेतु	मौजूदा सकल घरेलू एवं उद्योग हेतु आपूर्ति के लिए भूजल	मौजूदा सकल भूजल ड्राफ्ट सभी उपयोगकर्ताओं के लिए	घरेलू एवं औद्योगिक जरूरतों के लिए उपलब्ध भूजल 2025	कुल भूजल की उपलब्धता भविष्य में सिंचाई हेतु	भूजल विकास का स्तर प्रतिशत में
1	अथमलगोला	1284	799	118	917	172	314	71.4
2	बख्तियारपुर	5476	1642	453	2095	479	3355	38.3
3	बाढ़	3171	1286	290	1576	479	1406	49.7
4	बेलछी	1911	581	83	663	120	1210	34.7
5	बिहटा	5687	3160	359	3519	522	2005	61.9
6	बिक्रम	4421	2263	237	2500	345	1813	56.5
7	दानापुर	3539	1284	614	1898	1143	1112	53.6
8	दनियावाँ	1943	944	102	1046	148	851	53.8
9	धनरूआ	5974	4152	298	4450	433	1389	74.5
10	दुल्हिनबाजार	3695	1454	176	1630	257	1985	44.1
11	फतुहा	3504	2203	272	2475	442	859	70.6
12	घोसवरी	3904	1230	97	1327	141	2533	34
13	खुशरूपुर	1686	458	197	655	334	894	38.8
14	मनेर	4832	1676	491	2167	547	2609	44.9
15	मसौढ़ी	6791	4946	568	5514	1004	841	81.2
16	मोकामा	5206	1281	564	1845	1042	2883	35.4
17	नौबतपुर	5560	3100	291	3390	423	2037	61
18	पालीगंज	7177	1585	363	1948	528	5064	27.1
19	पंडारक	5883	2276	210	2486	306	3301	42.3
20	पटना सदर	4321	1216	2008	3225	3105	0	74.6
21	फुलवारीशरीफ	4138	2279	588	2867	413	1446	69.3
22	पुनपुन	4162	2624	198	2822	289	1250	67.8
23	सम्पतचक	2191	1615	130	1745	189	387	79.6
	कुल	**96455**	**44052**	**8708**	**52760**	**12859**	**39544**	**54.7**

रेल/सड़क यातायात :

- **सड़क संपर्क** : पटना जिला में राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ तथा अन्य ग्रामीण सड़कों की श्रृंखला बनी हुई है। यहाँ एन॰एच॰–30, एन॰एच॰–31, एन॰एच॰–80, एन॰एच॰–82, एन॰एच॰–83, एन॰एच॰–98, तथा एस॰एच॰–1, एस॰एच॰–2 एवं एस॰एच॰–78 के अंश निर्मित हैं। सड़क परिवहन सुगम है। राजधानी पटना के मिठापुर में बस अड्डा अवस्थित है जहाँ से राज्य के विभिन्न जिलों के लिए बस खुलती है। सरकारी बस अड्डा गाँधी मैदान के पास अवस्थित है।

- **रेल संपर्क** : मध्य पूर्व रेलवे के अन्तर्गत पटना जिला में विद्युत एकीकृत दोहरी रेल लाइन पूरे जिले के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक बिछी हुई है तथा यह बिहार एवं भारत के सभी प्रमुख शहर से इसे जोड़ती है। पटना में रेल दिल्ली हावड़ा रूट पर परिचालित होता है। पटना जंक्शन, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, दानापुर जंक्शन तथा पाटलीपुत्र जंक्शन से विभिन्न दिशाओं के लिए रेल परिचालन होता है।

- **वायु मार्ग :** पटना जिला में जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन अवस्थित है तथा दूसरा हवाई अड्डा बिहटा में है जो भारतीय वायु सेना के अधीन है। इस टर्मिनल से भारत के सभी प्रमुख शहरों तक कई हवाई जहाज कम्पनियों की नियमित उड़ानें जारी हैं।

- **जल मार्ग :** वर्ष के बारहों महीने गंगा, सोन एवं गंडक नदी में पानी रहता है तथा इसमें जल पोतों या नाव से सामानों की ढुलाई की जाती है। पुनपुन तथा दरधा नदी में केवल वर्षाऋतु में जलमार्ग से माल ढुलाई की जाती है। यह जिला राष्ट्रीय जल मार्ग –(1), हल्दिया–इलाहाबाद मार्ग पर अवस्थित है।

- **संचार संपर्क :** पटना जिला में भारतीय दूर संचार निगम सहित अनेकों टेलीकॉम कम्पनियां अपना मोबाइल व लैंड लाइन दूरभाष कनेक्टीविटी प्रदान कर रही है। इनके द्वारा 3rd तथा 4th इंटरनेट सेवाएँ भी उपलब्ध कराया जा रहा है जिसके सहारे इंटरनेट टेलीफोन की सुविधा भी उपलब्ध है। वाणिज्य, व्यापार तथा सामाजिक सम्पर्क के लिए उपलब्ध इन साधनों का व्यापक उपयोग भी किया जा रहा है।

- **विद्युत उपलब्धता :** यहाँ दक्षिण बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि. द्वारा बिजली उपलब्ध कराई जाती है इसकी दो 400/200 केवी का विद्युत सब स्टेशन है जहाँ से आसपास के गाँवों एवं शहर में घरेलू, सिंचाई तथा औद्योगिक खपत के लिए विद्युत आपूर्ति की जाती है। जिले की बिजली की आवश्यकता मुख्यतः बाढ़, कहलगाँव, बरौनी एवं काँटी पावर प्लांट के माध्यम से की जाती है।

\+ + + + + +

अध्याय–3

खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता विश्लेषण

HAZARD, RISK, VUNLNERABILITY & CAPACITY ANALYSIS

इस अध्याय के अन्तर्गत जिले में प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण किसी क्षेत्र विशेष में बसे हुए समूह/समुदाय की दैनिक गतिविधियों में असामान्य रूकावट पैदा करने वाले अथवा जान–माल का नुकसान करने वाले बहु–आपदाओं के सन्दर्भ में यहाँ के लोगों द्वारा पूर्व में अनुभूत खतरे, खतरे के प्रभाव क्षेत्र में अवस्थित संवेदनशील समूह/समुदाय या पर्यावरण के लिए उत्पन्न जोखिम तथा इन आपदाओं से निपटने के लिए इनकी वर्तमान क्षमता का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

जिले में मुख्य आपदाएँ एवं उनका संभावित समय चक्र निम्नवत है :

खतरा / माह	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	संवेदनशील प्रखंड / पंचायत
भूकंप													सम्पूर्ण जिला सिस्मिक जोन–IV में। सभी 23 प्रखंड संवेदनशील।
बाढ़													दानापुर, मनेर, फतुहा, बख्तियारपुर, पुनपुन, पटना सदर, बाढ़ आदि अति संवेदनशील [illegible] तथा पुनपुन व बाढ़। शहरी जलजमाव चिन्हित 74 स्थल।
सुखाड़													बिक्रम, दनियावां, धनरूआ, दुल्हिन बाजार, मसौढ़ी, नौबतपुर, पालीगंज, फुलवारीशरीफ, संपतचक, फतुहा तथा पुनपुन सर्वाधिक प्रभावित।
आग													पटना शहर तथा ग्रामीण इलाकों में झोपड़ी में रहने वाले। शहर में आधुनिक संरचना वाले मकान, एल.पी.जी. प्लांट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान।
गर्मी / लू													सभी प्रखंडों में अधिकतम 45°C तक की गर्मी/लू संभावित। गरीब, वृद्ध, कमजोर स्वास्थ्य वाले बच्चे आदि संवेदनशील।
ओलावृष्टि													कभी–कभी सभी प्रखंडों में।
उच्चगति हवा													जिले के सभी प्रखंडों में अधिकतम 40 कि.मी./घं. की गति से संभावित।
शीतलहर													सम्पूर्ण जिला। सर्वाधिक प्रभावित होने वाले गरीब, अधिक उम्र के लाचार एवं बीमार।
ठनका / वज्रपात													सम्पूर्ण जिला। खुले दियारा में रहने वाले निम्न सामाजिक, आर्थिक स्थिति वाले समुदाय।
सड़क दुर्घटना													सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पटना शहर में एन.एच.19,30 एवं दीदारगंज से फुलवारीशरीफ की सड़कें।

औद्योगिक दुर्घटना													दीदारगंज से फुलवारी इलाके में इंडियन ऑयल के डिपो, अनिसाबाद एवं फतुहा में बी.पी.एल. एवं बाढ़ थर्मल पावर प्लांट तथा सबंधित प्लास्टिक एवं पार्टिकल आदि
संदूषित जल													मसौढ़ी, दानापुर, पटना एवं बाढ़ (50 से अधिक श्रेणी में) पालीगंज, नौबतपुर, मनेर, सम्पतचक एवं बख्तियारपुर(100 से अधिक श्रेणी में)
भीड़/भगदड़													छठ, दुर्गापूजा, नववर्षागमन, बिहार दिवस, गांधी मेला, मुहर्रम, राजनीतिक रैली आदि के समय
मानव–पशु संघर्ष													नीलगाय–दानापुर शाहपुर (मनेर) नेउरी, गौरीचक (फतुहा), रुस्तमपुर, फतेहपुर, जमसौत (दानापुर) पंचायत प्रखंड। आवारा कुत्ता के काटने की समस्या
स्वास्थ्य/महामारी													डेंगू, चिकनगुनिया एवं इनसेफेलाइटिस से प्रभावित जिला (शहरी क्षेत्र विशेष)
रेल दुर्घटना													राजेन्द्र नगर टर्मिनल पटना जं., गुलजारबाग, फतुहा तथा मोकामा, पाटली (पुत्र) जंक्शन
नाव/डूबना दुर्घटना													बख्तियारपुर से दानापुर। गंगा नदी। पुनपुन, मोरहर तथा सोन एवं अन्य मौसमी नदियों के किनारे।

आपदा का वर्गीकरण : इस जिले में विभिन्न आपदाओं की तीव्रता, बारम्बारता तथा आपदा वर्गीकरण ।

जिला	भूकम्प	बाढ़	सुखाड़	आग	सड़क दुर्घटना	औद्योगिक दुर्घटना	संदूषित जल	ओलावृष्टि	चक्रवाती हवा	शीतलहर	गर्मी/लू	भीड़/मेला	स्वास्थ्य	मानव–पशु संघर्ष	रेल दुर्घटना	नाव/डूबना	ठनका/वज्रपात
पटना																	

तीव्रता मापक

उच्च	मध्य	निम्न

3.1 जिले में संभावित खतरों का पार्श्वचित्र (Hazard Profile) :

खतरों के कालखंड तथा उनकी तीव्रता का विवरण ऊपर के चित्र में दर्शाया गया है। इन खतरों के दुष्प्रभाव तथा जिले में पूर्व में घटित आपदाओं के दौरान मानव जीवन, निजी सम्पत्ति एवं सार्वजनिक सम्पत्ति को हुई क्षति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

3.1.1 भूकंप :

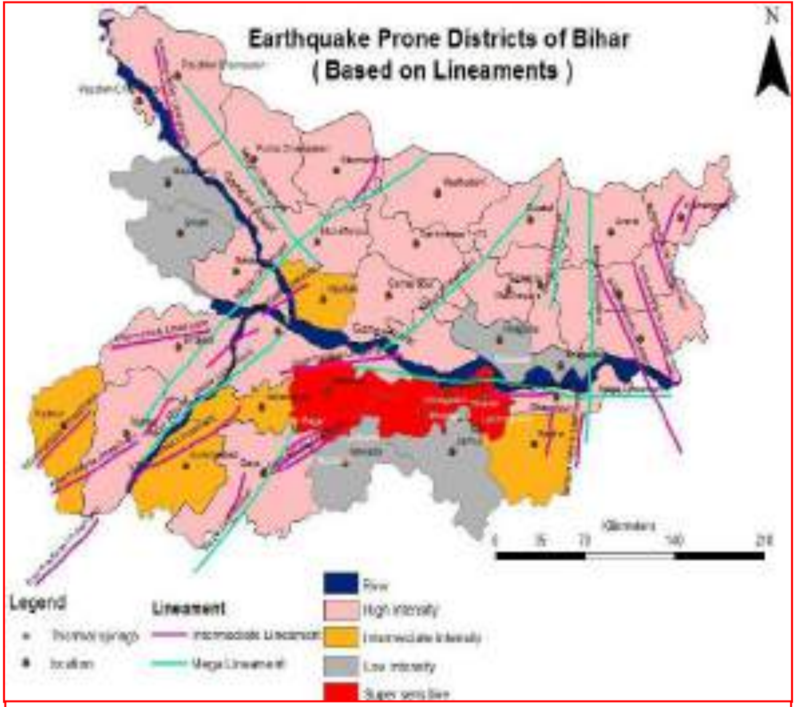

स्रोत: रा.आ.प्र.प्रा.–2014 (बि.रा.आ.प्र.प्रा.)

पटना जिला भूकम्प के पैमाने पर सिस्मिक जोन–IV के अन्तर्गत आता है। विभिन्न स्तरों पर प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से जो आंकड़े एकत्रित किए गए उनसे स्पष्ट होता है कि यह जिला भूकम्प के दौरान कम्पन महसूस करता है और लोग डर कर कई बार मकान से बाहर रहने को विवश हो गये हैं। वर्ष 1955, 2011 एवं 2015 में क्रमशः 6.8, 5.7 तथा 6.6 तीव्रता का भूकम्प आया था जिसका केन्द्र बिन्दु भारत/सिक्किम–नेपाल सीमा पर अवस्थित था। इस भूकम्प के झटके पटना में भी लोगों ने महसूस किया था। अधिकांश नागरिक घर के बाहर सड़कों पर निकल आये थे। शहर के खुले मैदानों तथा पार्कों में कई घंटे तक लोगों ने समय व्यतीत किया था। कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं ने इन लोगों के लिए पेयजल, रोशनी तथा भोजन इत्यादि का प्रबंध किया। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है जो काफी अधिक है। इस कारण ऊँची तीव्रता का भूकम्प आने पर बहुमंजिले इमारतों में रहने वाले लोगों में से हताहतों की संख्या तथा सम्पत्ति का अत्यधिक नुकसान होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

लिनामेंट (अनुरेखीय स्वरूप) के आधार पर बिहार का मानचित्र देखने से यह स्पष्ट होता है कि एक "मेगा लिनामेंट" जो गंगा नदी के समानान्तर गुजरती है, पटना जिले के पूर्वी हिस्से के चार प्रखंडों को प्रभावित कर सकती है। एक दूसरा "मेगा लिनामेंट" (गुरुत्व अनुरेखीय स्वरूप) पश्चिम हिस्से के सात प्रखंडों तथा पटना सदर से होकर गुजर रही है। इसके अतिरिक्त दो अन्य स्थानीय "इन्टरमिडिएट लिनामेंट" (मध्यवर्तीय अनुरेखीय स्वरूप) अन्य छः प्रखंडों से होकर गुजर रहे हैं। साथ ही पटना जिला

के पूर्वी भाग में "मुंगेर–सहरसा फॉल्ट लाईन" गुजरती है जिसके अन्तर्गत तीन प्रखंड आते हैं एवं दूसरा "पूर्वी पटना फॉल्ट लाईन" पटना जिले के खुशरूपुर तथा दनियावाँ प्रखंड होकर गुजर रही है। इस प्रकार कुल 23 प्रखंडों में से 16 प्रखंड विशेष भूकम्प प्रवण हैं।

अब तक के आये भूकम्प के इतिहास को देखने से पता चलता है कि इसके आस पास एवं जोखिम की सीमा न्यूनतम 5.5 से अधिकतम 8.4 स्केल के पैमाने तक का झटका महसूस किया जा सकता है।

सारणी–(3.1) बिहार के बड़े भूकम्प :

क्र. सं.	दिनांक	स्थान	पैमाना	मृतकों की संख्या	प्रभावित जिले
01	4 जून 1764	बिहार–नेपाल सीमा	6.0		
02	23 अगस्त 1833	नेपाल सीमा	7.7		
03	23 मई 1866	नेपाल सीमा	7.0		
04	23 मई 1866	झारखण्ड–बिहार सीमा	5.5		
05	30 सितम्बर 1868	हजारीबाग	5.7		
06	7 अक्टूबर 1920	बिहार–उत्तर प्रदेश	5.5		
07	15 जनवरी 1934	भारत–नेपाल सीमा	8.4	10,500	पटना, गया, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर,दरभंगा,भागलपुर
08	11 जनवरी 1962	भारत नेपाल सीमा	6.0		मुंगेर एवं पूर्णिया
09	21 अगस्त 1988	भारत नेपाल सीमा	6.7	1,000	मधुबनी, दरभंगा
10	18 सितम्बर 2011	सिक्किम–नेपाल सीमा	5.7		
11	25, 26 अप्रैल 2015	भारत नेपाल सीमा	6.6	60	पटना समेत नेपाल सीमा से सटे बिहार के जिले

Source: BSDMA Calendar(2011)& Govt. Record

= = = = = =

3.1.2 बाढ़ :

जिलाधिकारी सह अध्यक्ष, पटना जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशानुसार सभी अंचलाधिकारियों द्वारा बाढ़ प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसके अनुसार जिले के 142 पंचायतों के 395 ग्राम टोलों को बाढ़ प्रवण के रूप में पहचान की गई है। पटना जिला में नदियों से आई बाढ़ के अतिरिक्त अतिवृष्टि से उत्पन्न होने वाली खतरे एवं जोखिम का आकलन किया गया है।

पटना के बाढ़ प्रभावित प्रखण्ड :

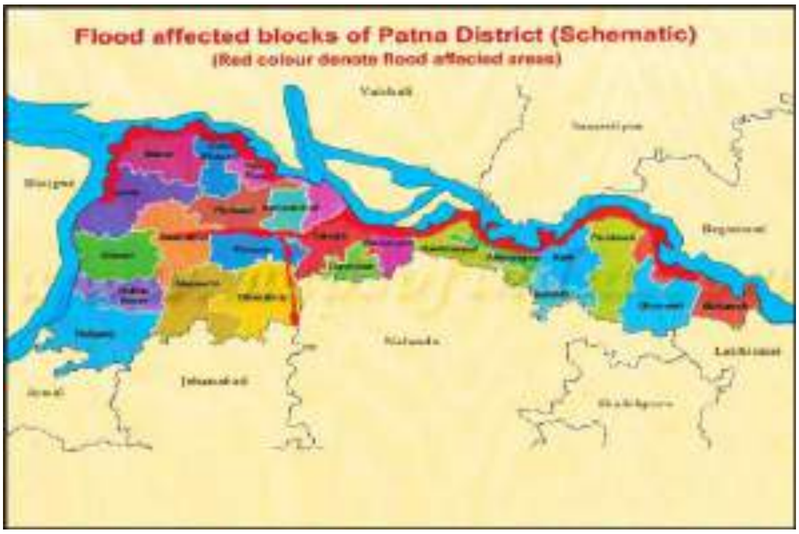

स्रोत : आपदा प्रबंधन शाखा, पटना

पटना जिले में बाढ़ जोखिम : पटना जिला में विगत 35 सालों के दौरान बाढ़ की पुनरावृत्ति (पूर्णतः या आंशिक) का अध्ययन करने से पता चलता है कि कम से कम 6 प्रखण्डों में औसतन 2–3 वर्षों में एक बार बाढ़ का आगाज हुआ है। अन्य 8 प्रखण्डों ने औसतन 3 या उससे अधिक वर्षों के अंतराल पर सामना करना पड़ा है। अतः उपरोक्त दोनों प्रकार के बाढ़ प्रवण प्रखण्डों को दो पुंजों में रख कर इनकी खतरे एवं जोखिम, संवेदनशीलता, इत्यादि का विश्लेषण करते हुए बाढ़ प्रबंधन की तैयारी करनी होगी। 20 अगस्त 2016 की सुबह सोन नदी में मध्य प्रदेश के बाणसागर जलाशय तथा उत्तर प्रदेश के रिहन्द जलाशय से बिना किसी पूर्व सूचना के काफी अधिक मात्रा में जलस्राव निस्सारित किया गया। इन्द्रपुरी बराज पर पानी का काफी दबाव होने से वहाँ से लगभग 11 लाख क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़े जाने से सोन एवं गंगा नदी उफान पर आ गई। इससे पटना जिले के 8 प्रखण्डों के निचले इलाकों में अचानक बाढ़ का परिदृश्य उत्पन्न हो गया। पटना जिले के दक्षिणी–पूर्वी भाग में लोकाइन, मोरहर, पुनपुन, लोलागन, महाने, धोवा और दरधा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं जो जिले के कई प्रखण्डों को गंभीर अथवा आंशिक रूप से प्रभावित करती रहती हैं।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नदियों के जल स्तर मापने के मापदण्ड को अगर देखा जाय तो इस वर्ष गाँधी घाट में जल स्तर काफी ऊँचा रहा। सभी 5 जगहों पर बनाये गये जल स्तर मापक यंत्र यह बताते हैं कि पानी खतरे के निशान से 2–3 मीटर तक ऊपर बह रहा था। यह नीचे की सारणी से स्पष्ट होता है।

सारणी– (3.2) पटना जिले में सोन, गंगा एवं पुनपुन नदियों का उच्चतम जल स्तर :

नदी का नाम / स्थल	जिला	पूर्व का उच्चतम जल स्तर / वर्ष	खतरे का निशान	उच्चतम जल स्तर, 2016
गंगा / दीघाघाट	पटना	52.52 / 1975	50.45	52.12 (21.08.2016)
गंगा / गाँधीघाट	पटना	50.27 / 1994	48.60	50.52 (21.08.2016)
गंगा / हाथीदह	पटना	43.15 / 1971	41.76	43.17 (21 / 22.08.2016)
गंगा / मनेर	पटना	53.79 / 1976	52.00	53.70 (21.08.2016)
पुनपुन / श्रीपालपुर	पटना	53.91 / 1976	50.60	53.24 (13 / 14.09.2016)

स्रोत: केंद्रीय जल आयोग, पटना

सारणी– (3.3) पटना जिले की बाढ़ प्रवणता (1987–2021) :

क्र॰ सं॰	प्रखंड	बाढ़ प्रवणता वर्ष	बाढ़ वर्ष	पुनरावृत्ति काल (वर्ष)
1	2	3	4	5
1	बख्तियारपुर	1987,88,89,90,91,92,94,96,97,98,2000,01,03,07,08,11,13,16,20,2021	20	1.8
2	दानापुर	1987,88,89,90,92,94,96,97,98,99,2000,01,03,07,08,11,13,16,20,2021	21	1.7
3	फतुहाँ	1987,88,89,90,91,94,97,99,2000,01,03,07,08,11,13,16,20,2021	17	2.1
4	पटना सदर	1987,91,94,96,97,98,2000,01,03,07,08,11,13,16, 20,2021	16	2.2
5	पुनपुन	1987,88,90,94,96,97,99,2000,02,07,11,16, 20,2021	14	2.5
6	मनेर	1987,90,91,92,94,96,97,2001,03,11,13,16, 20,2021	14	2.5
7	बाढ़	1987,88,90,91,94,97,98,2007,11,13,16,20,2021	13	2.7
8	धनरूआ	1987,90,94,97,99,2000,02,07,09,16, 20,2021	12	2.9
9	मोकामा	1987,88,90,94,96,97,2002,13,16, 20,2021	11	3.2
10	पंडारक	1987,88,90,91,94,96,97,2007,16, 2021	10	3.5
11	नौबतपुर	1987,88,89,90,91,97,2000,07,16, 2020	10	3.5
12	मसौढ़ी	1987,90,94,97,99,2000,07,09,11	9	3.9
13	पालीगंज	1987,88,90,97,2000,01, 2020	7	5.0
14	बिहटा	1987,91,92,94,97,2016	6	5.8
15	फुलवारीशरीफ	1987,90,96,97,2007,11, 2020	7	5.0
16	अथमलगोला	2003,07,08,11,13,16, 20,2021	8	4.4
17	खुशरूपुर	2000,02,07,13,16, 2020	6	5.8
18	बिक्रम	1987,90,94,97	4	8.8
19	दनियावाँ	2000,07,08,11, 2021	5	7.0
20	सम्पतचक	2000,01,07, 2020	4	8.8
21	बेलछी	2007,2008, 2021	3	11.7
22	घोसवरी	2008,2010, 2021	3	11.7

स्रोत: आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

पटना जिला की प्रमुख नदियां, आक्राम्य स्थल तथा बाढ़ प्रवणता :

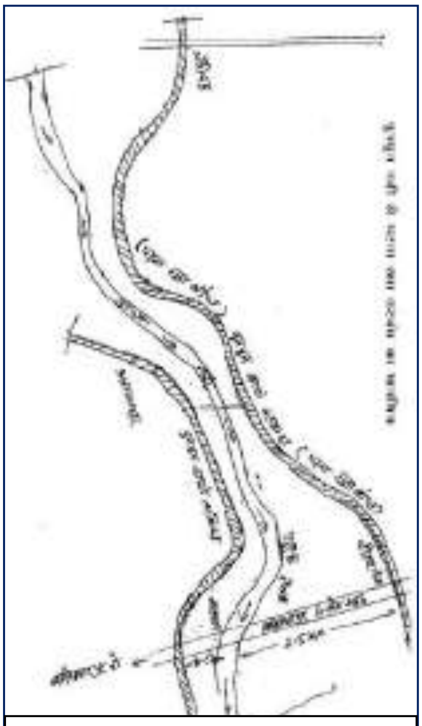

विगत वर्ष 2016 के विभिन्न आंकड़ों के अध्ययन से यह पता चलता है कि विभिन्न नदियों के जल ग्रहण में अधिकतम वर्षा के कारण पूर्व के उच्चतम जल स्तर से इस बार का उच्चतम जल स्तर ज्यादा नहीं था परन्तु बाढ़ का प्रकोप पहले की तुलना में अधिक महसूस की गई। सोन नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के फलस्वरूप 'फ्लैश फ्लड' की स्थिति उत्पन्न हो गई। विभिन्न नदियों में गाद जमा हो जाने के कारण नदियों के उच्चतम जल स्तर में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। इस स्थिति में बाढ़ सुरक्षा के लिए विभिन्न सुरक्षा तटबंध को लागत का सहारा बना रहता है। पटना जिले को बाढ़ से सम्भावित खतरे/जोखिम को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- **गंगा नदी :** पटना शहर सुरक्षा दीवार (10.51 कि॰मी॰), गंगा सोन संगम दीवार (9.11 कि॰मी॰), बैरनालूला एवं बदरी नाला का दीवार (10.51 कि॰मी॰), दानापुर दीघरणी तटबंध (0.16 कि॰मी॰) तथा पटना मुख्य नहर के खगौल लॉक से दीघा लॉक तक दोनों बैंक (16 कि॰मी॰) की सुरक्षा, साथ ही गंगा नदी के बाएं तट पर दानापुर दियारा क्षेत्राधीन पानापुर ग्राम सुरक्षा। इस क्षेत्र में 120 स्लूइस गेट क्रियाशील है।
- **सोन नदी :** नदी में कटाव से बचाने हेतु दीघा–मनेर तटबंध (15.79 कि॰मी॰), दौदाबाद–मनेर तटबंध (20.89 कि॰मी॰), मनेर सिकरणी का बायां तटबंध (5.15 कि॰मी॰), पटना मुख्य नहर का अरवल लॉक (42.25

कि॰मी॰ पर अवस्थित) से 54 कि॰मी॰ तक के 15.8 कि॰मी॰ लम्बाई में फैले क्षेत्रों की विशेष सुरक्षा। इस क्षेत्र में 120 स्लूइस गेट क्रियाशील हैं।

- **पुनपुन नदी : (क)** पटना सिटी अवस्थित बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल के अंतर्गत इस नदी का बायाँ तटबंध (23.29 कि॰मी॰) तथा इलाका दायाँ तटबंध (13.85 कि॰मी॰) में कटाव की समस्या होती रहती है। यहाँ 41 स्लूइस गेट क्रियाशील हैं।

  (ख) अनीसाबाद स्थित बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल के अंतर्गत पुनपुन नदी (14.60 कि॰मी॰) बायाँ बाँध तथा सोन मुख्य नहर से खजूरी 'स्कंध' का खजूरी तटबंध (5.76 कि॰मी॰) में सुरक्षा की कारवाई की जाती है। बायाँ तटबंध में 19 स्लूइस गेट क्रियाशील है।

पटना जिले में बाढ़ के कारण प्रभावित होने वाले क्षेत्रों तथा इस कारण फसल को होने वाले नुकसान के क्षेत्रों को निम्न की सारणी में दिया गया है जिससे बाढ़ खतरा एवं जोखिम को पूर्ण रूप से समझा जा सकता है।

सारणी– (3.5) बाढ़ प्रभावित क्षेत्र : (हेक्टेयर में)

बाढ़ प्रवण क्षेत्र	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का (प्रतिशत में)
320200	127331	39.76%

स्रोत: बिहार फ्लड हजार्ड एटलस, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेन्टर, हैदराबाद 2013

सारणी– (3.6) बाढ़ प्रभावित फसली क्षेत्र : (हेक्टेयर में)

उच्चतम	उच्च	मध्यम	कम	बहुत कम	कुल
28	1036	10678	22496	42005	76243

स्रोत: बिहार फ्लड हजार्ड एटलस, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेन्टर, हैदराबाद 2013

शहरी बाढ़/जलजमाव : पटना जिले में जहाँ एक ओर ग्रामीण इलाके के कई प्रखंड गंगा, सोन, पुनपुन आदि नदियों के कारण बाढ़ से प्रभावित रहता है, वहीं शहरी इलाके अत्यधिक वर्षा के कारण जल जमाव के कारण बनता है। पिछले कुछ वर्षों में इस जल जमाव की तीव्रता में वृद्धि हुई है, साथ ही जल जमाव 24 घंटे से ज्यादा बना रहता है। पटना शहर ने वर्ष 1967 तथा 1975 में दो बार बाढ़ झेला है, जिसमें कई कॉलोनियों में नाव चलाने की नौबत आ गई थी। पहली बाढ़ पुनपुन के बाँध टूटने से पूर्वी हिस्से को ज्यादा प्रभावित किया, वहीं 23 अगस्त 1975 को गंगा और सोन नदी में आई बाढ़ ने पटना के पश्चिमी हिस्से को ज्यादा तबाह किया। प्राचीन पटना दो नदियों, गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। 1975 में सोन तथा गंगा नदी में आई उफान के कारण पटना शहर कई दिनों तक टापू में बदल गया। सचिवालय से बोरिंग रोड और पटना हवाई अड्डे से राजभवन तक बाढ़ के चपेट में बना रहा। बोरिंग रोड तथा नजदीक के कॉलोनियां में 6 से 8 फीट तक पानी घर में घुस गये। इसके अलावा वर्ष 1996, 2005, 2019 तथा कई अन्य मौकों पर मूसलाधार बारिश शहर में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। विगत 2019 के सितम्बर माह में दो दिनों तक लगातार भारी वर्षा के बाद पूरा पटना शहर जलप्लावित हो गया था। इस वर्ष जल को निकालने में प्रशासन को काफी मेहनत करनी पड़ी। अंत दिनों के बाद स्थिति में सुधार प्रारम्भ हुआ। मॉनसून अवधि में पटना नगर निगम मुख्यालय, बुडको, महा–प्रबंधक पेयू के स्तर पर नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहता है इसके अतिरिक्त जिला नियंत्रण कक्ष से भी लगातार निगरानी की जाती है।

शहर के प्रमुख नाले :–

क्र॰सं॰	प्रमुख नाले की नाम	कुल लम्बाई (मीटर में)
1	सर्पेन्टाइन नाला	6039
2	मंदिरी नाला	1250
3	बाकरगंज नाला	1454
4	योगीपुर नाला	4050
5	बाईपास नाला (कंकड़बाग क्षेत्र)	4009
6	बाईपास नाला (नूतन राजधानी क्षेत्र)	2975
7	राजीव नगर नाला	5480
8	सैदपुर नाला (जोगीपुर क्षेत्र)	2400
9	सैदपुर नाला (अजीमाबाद क्षेत्र)	3000
10	आनन्दपुरी	3050
11	शिवम नाला	2000

स्रोत: जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पटना

जलजमाव के कारण : पटना शहर के दक्षिण में बांध बन जाने से पुनपुन नदी में आने वाली बाढ़ से शहर में खतरा टल गया है परन्तु सोन एवं गंगा में जल स्तर बढ़ जाने से पश्चिमी भाग के निचली इलाकों को सदा–सर्वदा परेशानी बनी रहती है। पुनपुन नदी में विभिन्न ग्रामीण स्थलों में नदी की आक्रामकता बनी रहती है और जगह–जगह पर बाढ़ निरोधक कार्य कराने की आवश्यकता होती है लगभग 11 स्थलों पर विगत वर्ष की भीषण बाढ़ के उच्चतम जल स्तर (एच.एफ.एल.) को देखते हुए और 2 फीट ऊँचा बांध बनाकर सुरक्षा करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा वर्ष 1996, 2008 तथा कई अन्य मौकों पर मुसलाधार बारिश शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न कर देती है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में कम समय में अधिक तीव्रता की वर्षा देखने को मिली है। ऐसी बरसात के कारण भी शहर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

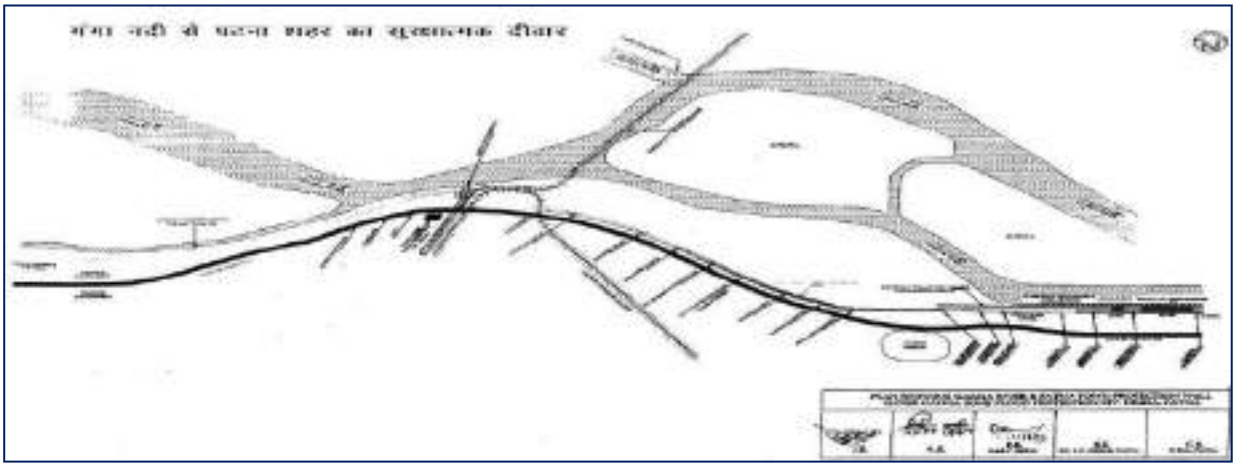

[illegible] 2017

पटना शहर का भौगोलिक बनावट एक कटोरे की तरह है, जिसके कारण ड्रेनेज के पानी का बहाव स्वतः नहीं हो पाता है। ड्रेनेज पानी की निकासी हेतु शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 37 अदद ड्रेनेज/सीवरेज पम्पिंग स्टेशन स्थापित हैं। इन 37 पम्पिंग स्टेशनों में से 20 बिहार राज्य जल पर्षद एवं 17 पटना नगर निगम के अधीनस्थ हैं। सभी 37 अदद पम्पिंग स्टेशनों का संचालन एवं संधारण बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जाता है। (अनुलग्नक–70 के रूप में देखा जा सकता है)

पटना शहर के अंदर कॉलोनीयों का निर्माण चार माध्यमों से हुआ है, जो हैं :

(1) पटना इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट (बाद में पीआरडीए तथा वर्तमान में पटना नगर निगम) ।

(2) बिहार राज्य आवास बोर्ड।

(3) बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास परिषद ।

(4) निजी या सहकारी समितियाँ।

वर्तमान में उपर्युक्त एजेंसियों के क्षेत्र में सुनियोजित सिवरेज–ड्रेनेज की व्यवस्था मुकम्मल नहीं होने के कारण जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। पटना का विस्तार पश्चिम दिशा में तेजी से हो रहा है। ढेर सारे अपार्टमेन्ट्स का निर्माण हो रहा है जिसमें ड्रेनेज सिस्टम का अभाव दिखता है। इसी प्रकार शहर के मध्य क्षेत्र के मुहल्ले में कई अपार्टमेंट्स का निर्माण हो चुका है, जो कि शहर के नगर पालिका व्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में, जमीन के उपयोग में लाये गये बदलाव तथा अनियोजित बुनियादी संरचना का निर्माण भी इस समस्या के कारण के रूप में उभर कर आये हैं। पटना शहर के जल–जमाव के अन्य कारण, यथा –

- बढ़ती आबादी के अनुरूप पर्याप्त ड्रेनेज एवं सीवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर का न होना ।
- खुले नालों में आम जनता द्वारा सॉलिडवेस्ट (कचड़ा) का डिस्पोजल।

- प्लास्टिक एवं अन्य फ्लोटिंग मेटेरियल के कारण नाले/सीवर लाईन का अवरूद्ध हो जाना एवं पम्प संचालन में परेशानी।
- ड्रेनेज सिस्टम का एक दूसरे से सम्बद्ध, इनकी उचित समय पर सफाई एवं बंद पड़े हुए ड्रेनेज का पुनर्स्थापन न होना ।
- शहर में सभी सड़कों के दोनों तरफ पर्याप्त ड्रेनेज का न होना ।
- परम्परागत रूप से जल संसाधन विभाग के ट्रंक चैनल यथा बादशाही नाला, सैदपुर नाला इत्यादि द्वारा पटना शहर से जमा होने वाले वर्षा के पानी की निकासी पुनपुन नदी में करती थी। ये सभी पुराने नाले अतिक्रमण से आक्रान्त हैं। ये नाले अनेक जगहों पर क्षतिग्रस्त एवं सिल्ट से भरे हुए हैं। इसके कारण भी पटना शहर में जल जमाव काफी लंबे समय तक बना रहता है।

= = = = = =

3.1.3 सूखा :

सुखाड़ की स्थिति यह बताती है कि 2009, 2010, 2013 में प्रायः सभी जिलों मे सूखा का प्रभाव रहा। इससे पूर्व 2001, 2004 में भी प्रायः सभी जिले मे सूखा का प्रभाव रहा इस जिले सहित वर्ष 2001 में 37 जिले, 2004 में 19, 2009 में 26, 2010 में 38 तथा 2013 में 33 जिलों में सुखाड़ घोषित किया गया जो यह दर्शाता है कि राज्य में सुखाड़ आपदा में निरंतर वृद्धि हो रही है।

सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुखाड़ प्रबंधन हस्तक में वर्णित सुखाड़ घोषित करने के आधारों एवं कारकों के आलोक में बिहार सरकार द्वारा भी अपने मानक संचालन प्रक्रिया में सुखाड़ घोषित करने के पैमाने को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है। (बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक –1 प्रा.आ.–17/2011 3759/आ.प्र. दिनांक 18.10.2016), संशोधन के मुख्य बिन्दु खंड–2 के अनुलग्नक –2 पर संलग्न हैं।

- *कृषि के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन की है। कार्बन डाईऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मिथेन जैसी हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन से धरती का तापमान बढ़ा है जो जलवायु परिवर्तन के रूप में सबके सामने आया है।*
- *जलवायु परिवर्तन का अर्थ है– मौसम चक्र का बदलना। इसके दो प्रमुख आयाम हैं। तापमान में बढ़ोत्तरी और वर्षा पैटर्न में बदलाव। जलवायु परिवर्तन का सीधा असर मानव जीवन पर पड़ता है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होता है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए अपनी फसलों और कृषि के तौर तरीकों में आवश्यकतानुसार बदलाव लाने होंगे। साथ ही किसानों को प्रकृति और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना होगा।*

सूखे का संकेतक :

- वर्षा का कम होना, समय पर नहीं होना या वर्षा की अनियमितता लगातार बना रहना।
- भू–जल स्तर में नियमित रूप से लगातार गिरावट आना।
- पानी के अभाव में फसलों पर विपरित प्रभाव पड़ना और अन्ततः बर्बाद हो जाना।
- तालाब एवं जलाशयों में पानी का कम होना तथा निम्न जल स्तर का गिरना।
- फसल लगाने पर प्रतिकूल स्थिति होने पर फसल का नहीं लग पाना

सारणी– (3.7) सूखे की स्थिति : पटना

क्र०	वर्ष	कुल वर्ष	कारण
01	1966,1970,1971,1972,1979,1982,1992,2001 2004, 2009,2010,2013	12 पुनरावृत्तिवर्ष 4.2	बहुत कम मानसूनी वर्षा, नहरी व्यवस्था के निचली छोर पर पानी का नहीं पहुँचना।

स्रोत: आपदा प्रबंधन, विभाग, बिहार सरकार

उपर वर्णित सारणी (3.7) के अतिरिक्त सुखाड़ घोषित करने हेतु इन्हें भी ध्यान में रखना होगा –

पटना जिला में मुख्यतया खेती वर्षा जल, निजी नलकूप एवं नहरों से प्राप्त जल से होती है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों से राज्य पर वर्षाभाव की वजह से खेती पर असर पड़ा है। जिले में धान, गेहूँ के अलावा सब्जी का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। सूखे का कारण मुख्यतया या तो समय पर वर्षा का कम या नहीं होना या फिर समय के बाद होना है। नीचे के वर्षापात आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि वर्ष 2012 को छोड़ दिया जाए तो बाकी शेष 2009 से 2016 तक सामान्य वर्षापात से कम वर्षा हुई है।

सारणी –(3.8)पटना जिले में (2009–2022) जून से सितम्बर माह तक का वर्षापात के आंकड़े (मि.मी.) :

क्र. सं.	वर्ष	जून			जुलाई			अगस्त			सितम्बर			जून– सितम्बर		
		सामान्य	वास्तविक	% विचलन	सामान्य	वास्तविक	% विचलन	सामान्य	वास्तविक	% विचलन	सामान्य	वास्तविक	% विचलन	सामान्य	वास्तविक	विचलन(मि.मी.)
1	**2009**	142.4	81.9	-42	315.1	155.9	-51	275.9	267.2	-3	218.8	169.8	-22	952.2	674.8	-277.4
2	**2010**	133.0	63.4	-52	293.5	208.9	-29	266.6	212.0	-20	213.4	105.9	-50	906.5	590.2	-316.3
3	**2011**	133.0	262.9	98	293.5	141.3	-52	266.6	310.5	16	213.4	367.7	72	906.5	1082.4	175.9
4	**2012**	133.0	25.9	-81	293.5	403.1	37	255.7	211.7	17.2	357.3	246.6	31	906.5	861.4	-45.1
5	**2013**	125.4	131.3	5	333.7	66	-80	264.5	185.3	-30	217.7	184.0	-15	941.3	566.8	-374.5
6	**2014**	125.4	105.8	-16	333.7	173.1	-48	264.5	449.1	70	217.7	182.6	-16	941.3	910.6	-30.7
7	**2015**	125.4	74.5	- 41	333.7	251.0	-25	264.5	172.7	-35	217.7	61.8	-72	941.3	560.0	-381.3
8	**2016**	125.4	75.9	- 39	333.7	289.5	-13	264.5	110.5	-58	217.7	366.2	68	941.3	842.1	-99.2
9	**2017**	125.4	68.4	- 45	333.7	299.1	-10	264.5	181.2	-31	217.7	109.4	-50	941.3	658.1	-283.2
10	**2018**	125.4	43.2	- 65	333.7	264.2	-20.8	264.5	207.7	-21.4	217.7	77.7	-64.3	941.3	592.7	-37.03
11	**2019**	127.0	55.57	-56.2	335.4	252.62	-24.7	255.7	57.8	-77.39	202.6	433.57	114.0	920.7	799.5	-13.16
12	**2020**	127	246.6	93.75	335.4	321.3	-4.3	255.7	197.55	-22.74	203	235.42	16.0	921.1	1000.1	8.57
13	**2021**	127	354.49	187.0	335.4	156.71	-53.28	255.7	169.2	-33.83	202.61	123.39	-39.1	920.7	813.8	-11.61
14	**2022**	127	123	-3.15	335.4	135.63	-39.58	--	--	--	--	--	--	--	--	--

स्रोत: कृषि विभाग, बिहार

सुखाड़ के कारण : सूखे के लिए उत्तरदायी कारकों में कुछ कारक प्राकृतिक हैं तो कुछ मानवीय भी। मानवीय कारक के अन्तर्गत सिंचाई साधना का तथा निजी नलकूप का पूर्ण रूप से काम नहीं करना है। प्राकृतिक कारकों में भू–जल स्तर का गिरना, कम वर्षा का होना मुख्य कारण है। पानी निकास की व्यवस्था का नहीं होना भी एक तरफ तो बाढ़ बनाए रखती है जबकि दूसरी ओर सूखा। यह भी कारण सूखे के कारण के रूप में उभर कर आया है। वर्षापात संबंधी आंकड़े कृषि विभाग, बिहार के ओर से लिये गए हैं।

वर्ष 2018 में पटना जिले के विभिन्न प्रखण्डों अलग–अलग वर्षापात होने की वजह से मिश्रित स्थिति उत्पन्न हो गई और यह एक नयी समस्या के कारक के रूप में उभरा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कुल 23 प्रखण्ड में से 11 प्रखण्डों यथा बिक्रम, दनियावां, धनरूआ, दुल्हिन बाजार, मसौढ़ी, नौबतपुर, पालीगंज, फुलवारीशरीफ, खुसरूपुर फतुहा तथा पुनपुन को सुखाड़ग्रस्त घोषित कर दिया है।

= = = = = =

3.1.4 आग :

इस जिले का अध्ययन के क्रम में पाया गया कि यहाँ कार्यालयों एवं मकानों में विद्युत संरचना पर ध्यान देने की आवश्यकता है, छोटे उद्योगों में सावधानियाँ बरतने की जरूरत है। जिले में अप्रैल से मई (2016) में कुल 8 लोग एवं 06 पशु जल मरे। ग्रामीण अगलगी की घटनाओं के न्यूनीकरण में ग्राम पंचायत की सहायता से विभिन्न स्तरों पर काम करने की आवश्यकता है। ज्यादातर अगलगी की घटनाओं की सूचना ग्रामीण इलाके से ही प्राप्त होती है, जिससे शासन की दैनिक उपलब्धता के कारण इसका सामना करने में कठिनाई आती है। स्कूल में, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे जगहों पर भी अग्नि सुरक्षा के विषय में सावधानियाँ बरतने संबंधी जानकारी देने की आवश्यकता है ताकि वे बच्चे अपने जीवनकाल में सामाजिक रूप से एवं उससे बचने एवं तैयार रहने की प्रक्रिया को अपने स्वभाव में आत्मसात कर लें

इस जिले का पिछले 10 वर्षों (2006–15) का अग्निदहन संबंधी आंकड़ा यह बताता है कि इन वर्षों में कुल 1644 घटनाएं प्रतिवेदित हुई जिसमें 45 लोगों की जानें गई एवं 77 व्यक्ति घायल हुए, कुल 51.47 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ। हाल के वर्षों में दो अगलगी की घटनाएं महत्वपूर्ण रही हैं। जिसमें 2018 में पटना उच्च न्यायालय के कैंटिन में लगी आग तथा विश्वेश्वरैया भवन जिसे तकनीकी सचिवालय के रूप में जाना जाता है। मई 2022 में लगी आग ने भयावह रूप ले लिया था। लगभग सभी अग्निशमन केंद्र से तथा पटना एयरपोर्ट एवं बाढ़ स्थित एनटीपीसी से दमकल का उपयोग करना पड़ा। बताया जाता है कि सचिवालय के चौथे तल्ले पर लगी आग अन्य तल्ले पर भी फैल गई। विभिन्न वर्षों में अगलगी की घटना सारणी में विस्तृत रूप से देखा जा सकता है।

सारणी– (3.9) पटना जिला में अग्नि कांड का विवरण :

क्र.	वर्ष	कुल घटना		मृत्यु		जख्मी		सम्पत्ति हानि (रु. करोड़ में)		सम्पत्ति बचाव (रु. करोड़ में)	
		बिहार	पटना	बिहार	पटना	बिहार	पटना	बिहार	पटना	बिहार	पटना
1	2006	2298	480	29	03	56	00	26.56	2.01	168.56	6.98
2	2007	1863	374	21	02	44	06	17.31	3.34	267.84	11.01
3	2008	2331	400	60	02	106	02	74.78	5.87	226.30	31.61
4	2009	3898	456	82	02	108	103	62.64	6.47	276.73	21.87
5	2010	4479	760	129	21	136	10	109.87	17.21	978.87	623.67
6	2011	3724	602	94	15	109	13	4109.16	20.20	1087.59	83.96
7	2012	6072	964	152	20	153	10	149.78	11.25	934.37	6.62
8	2013	5977	947	162	12	274	22	2015.98	19.47	642.79	166.92
9	2014	6449	1051	127	11	187	18	224.48	177.08	717.37	201.19
10	2015	6144	949	55	01	126	02	140.36	10.33	5601.53	121.36
	कुल	43235	6983	911	89	1299	186	6930.92	273.23	10901.95	1275.19

स्रोत: बिहार अग्निशमन सेवा, पटना

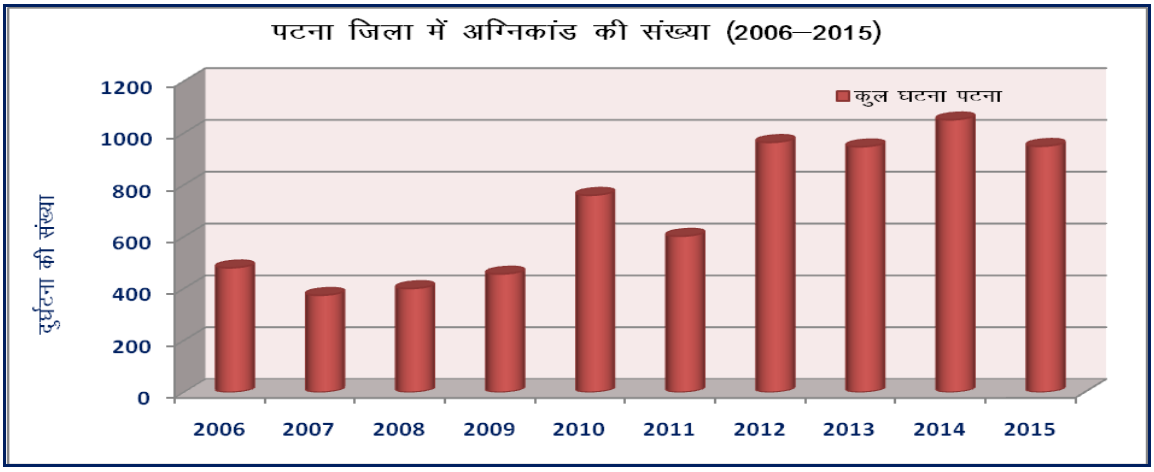

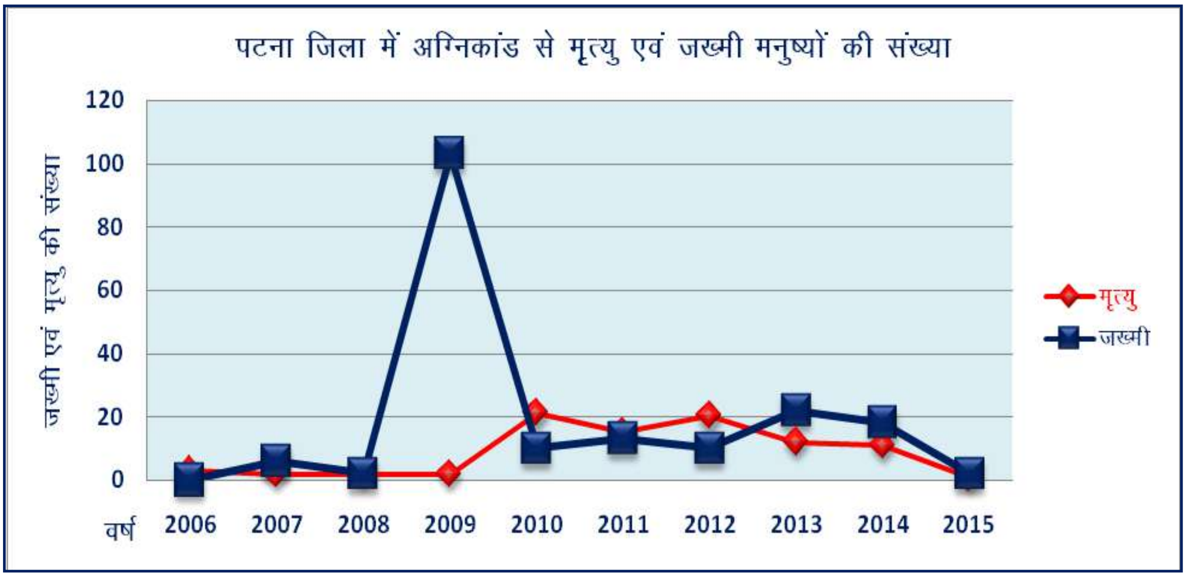

खतरे का आकलन : हर वर्ष मार्च, अप्रैल तथा मई के महीनों में अधिक तापमान, कम नमी, तेज वायु तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग की प्रबल संभावना बनती है। इस जिला में अग्नि से ज्यादातर प्रभावित ग्रामीण इलाके के फूस, खपरैल और कच्चे मिट्टी की सहायता से बने झोपड़ियों को चिह्नित किया गया है। फसल के कटने के बाद खेत में छोड़े गये डंठल, भूसौल में रखा गया भूसा तथा चूल्हे पर धान उसानने के क्रम में लगी आग को खतरे के रूप में पहचान की गयी है। कुछ जगहों पर लोग ने हार्वेस्टर के जरिए फसल काटने के बाद छोड़े गये डंठल में आग लगाने या ऊपर से 11000 वोल्ट के तार से निकली चिनगारी भी यदा–कदा आग का कारण बनता है

जिले के उपनगरीय इलाकों में भी झोपड़ियों में आग लगने की घटना को खतरे के रूप में चिह्नित किया गया है। वहीं सरकारी भवनों तथा कार्यालयों में विद्युत के शार्ट सर्किट से या पुराने जीर्ण-शीर्ण तारों के कारण आग लगने की घटना होती रहती है। चूंकि अग्निकांड किसी भी जगह हो सकता है इसलिए, इसको कम करने तथा निपटने हेतु हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है

= = = = = =

3.1.5 सड़क दुर्घटना :

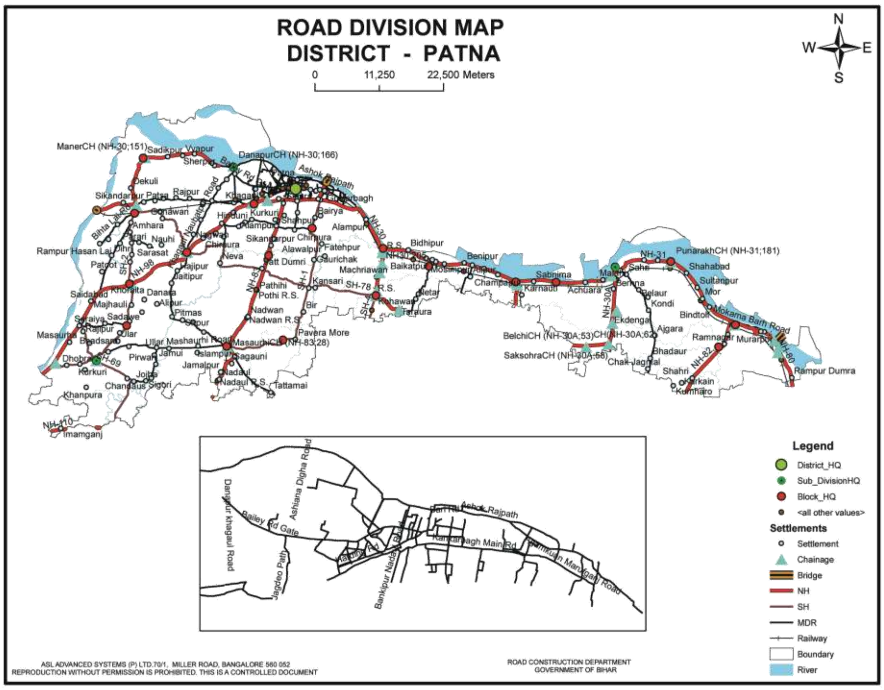

पटना जिला में सड़क की उपलब्धता तथा दुर्घटनाओं के बारे में विस्तृत ब्योरा नीचे के सारणी 3.10 एवं 3.11 में अंकित है। उपरोक्त आंकड़े के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिले में प्रतिवर्ष औसतन 1200 सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं जिनमें प्रतिवर्ष औसतन 514 लोग की जानें जाती हैं तथा 553 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में प्रति 100 दुर्घटना के दौरान मरने वालों की संख्या को दुर्घटना की तीव्रता मानें तो यह औसतन 42.86 आती है। वर्ष 2013 में दुर्घटनाओं की तीव्रता 30.66 थी जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 2016 में सड़क दुर्घटना की तीव्रता बढ़ कर 52.44 हो गई अर्थात प्रति 100 दुर्घटना में करीब 53 लोगों की जानें गईं। उपरोक्त आंकड़ा बताता है कि दुर्घटनाओं की भीषणता में लगातार वृद्धि हो रही है तथा इस पर नजर सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर ध्यान देने की जरूरत है।

सारणी – (3.10) जिले की मुख्य सड़कें :

क्र. सं.	सड़क का नाम	अवस्थिति
1	एन.एच–30	मनेर, दानापुर
2	एन.एच–30ए	[illegible], बेलछी
3	एन.एच– 31	मोकामा, बाढ़, [illegible]
4	एन.एच–80	रामपुर डुमरा
5	एन.एच– 82	मोकामा, कुम्हरा
6	एन.एच– 83	मसौढ़ी, पटना
7	एस.एच –1	बिहटा, मसौढ़ी
8	एस.एच – 2	[illegible]
9	एस.एच – 4	फतुहा
10	एस.एच – 69	[illegible], [illegible] इमामगंज, अमहरा
11	एस.एच – 78	[illegible], नौबतपुर
12	इसके अतिरिक्त मुख्य पथ के रूप में पुरानी बाईपास तथा नई 4 लेन बाईपास जो अनिसाबाद से [illegible] तक है।	
13	इसके अतिरिक्त पूरे जिले में वृहद जिला सड़क (एम.डी.आर.) है।	

सारणी – (3.11) जिले मे सड़क दुर्घटना (2010–2017 मई तक) :

वर्ष	कुल दुर्घटना	मृत	घायल	तीव्रता (मृतक / 100 दुर्घटना)
1	2	3	4	5
2010	1173	430	586	36.66
2011	1252	507	576	40.50
2012	1185	509	556	42.95
2013	1214	514	589	42.34
2014	1194	493	528	41.29
2015	1009	443	546	43.90
2016	923	484	468	52.44
2017	458	224	27	48.91

स्रोत : वरीय पुलिस अधीक्षक पटना

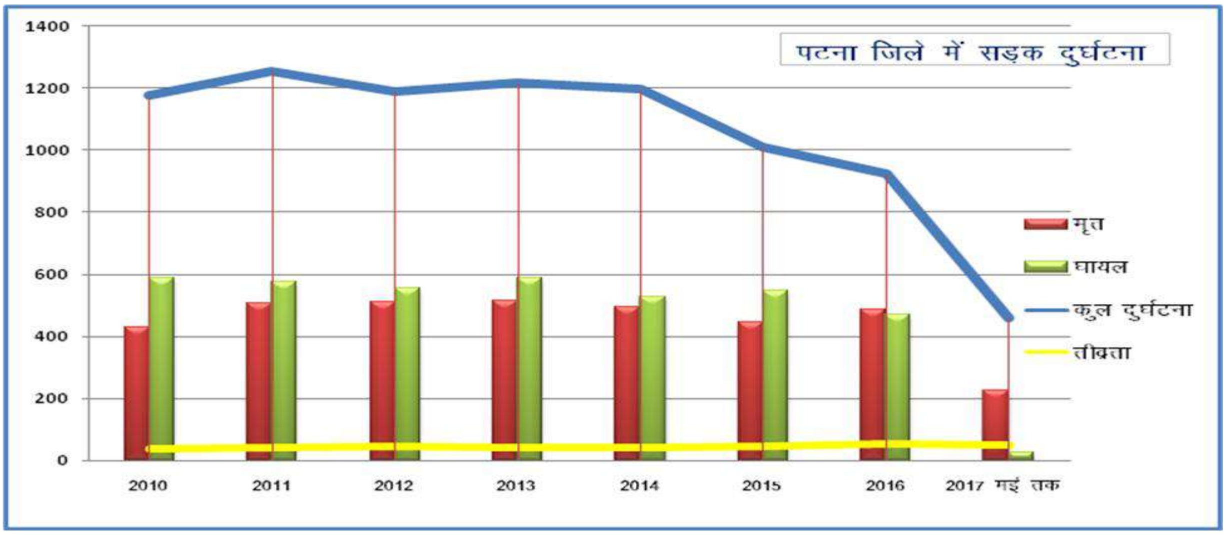

पटना जिले के अंतर्गत पटना महानगर में कई प्रकार की सड़कें निर्मित हैं एवं इन सड़कों पर 24 घंटे लगातार यातायात जारी रहता है। कई सड़कें घनी आबादी के बीच से गुजरती हैं। इन पर भारी वाहनों के साथ–साथ छोटे दो एवं तिपहिया वाहन तथा साइकिल एवं रिक्शा एक साथ चल करते हैं। चालकों के असावधानीवश अथवा पद यात्रियों की गलती से सड़क दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। कई युवक बेतरतीब ढंग से कार एवं मोटरसाईकिल चलाते हैं जिसके चलते भी कई दुर्घटनाएँ होती हैं।

शहर की पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक दुर्घटना प्रवण क्षेत्र के रूप में चिह्नित है। इसके बाद दूसरे नम्बर पर पटना का पूर्वी क्षेत्र आता है तथा मध्य क्षेत्र सबसे कम दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है। स्पष्ट है कि पटना शहर में प्रवेश करने वाले तथा पटना से बाहर जाने वाले सड़क मार्गों पर अधिकतर दुर्घटनाएँ घटती हैं। वर्ष 2011 से 2016 के बीच पटना शहर का पूर्वी, मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित विस्तृत ब्योरा नीचे की सारणी में प्रस्तुत है। इन आंकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवर्ष औसतन 338 सड़क दुर्घटनाएँ घटती हैं। इन में औसतन प्रतिवर्ष 102 लोगों की मृत्यु हुई है तथा 105 लोग गंभीर रूप से घायल हुये हैं। प्रति 100 दुर्घटना के दौरान मरने वालों की संख्या औसतन 30 रही है।

सारणी – (3.12) पटना शहरी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना (2011–2016 तक) :

	कुल प्रतिवेदित कांड				मृतक की सं॰				जख्मियों की सं॰			
	पूर्वी क्षेत्र	प॰ क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	कुल (2+3+4)	पूर्वी क्षेत्र	प॰ क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	कुल (6+7+8)	पूर्वी क्षेत्र	प॰ क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	कुल (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2011	122	145	23	290	37	62	09	108	63	90	14	167
2012	86	180	34	300	13	68	05	86	58	100	29	187
2013	86	195	26	307	19	52	08	79	54	122	18	194
2014	100	168	39	307	38	40	09	87	45	120	30	195
2015	200	185	75	460	75	58	09	142	93	109	49	251
2016	162	154	48	364	43	55	09	107	86	66	24	176
कुल	756	1027	245	2028	225	335	49	609	399	607	164	1170

स्रोत : वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना

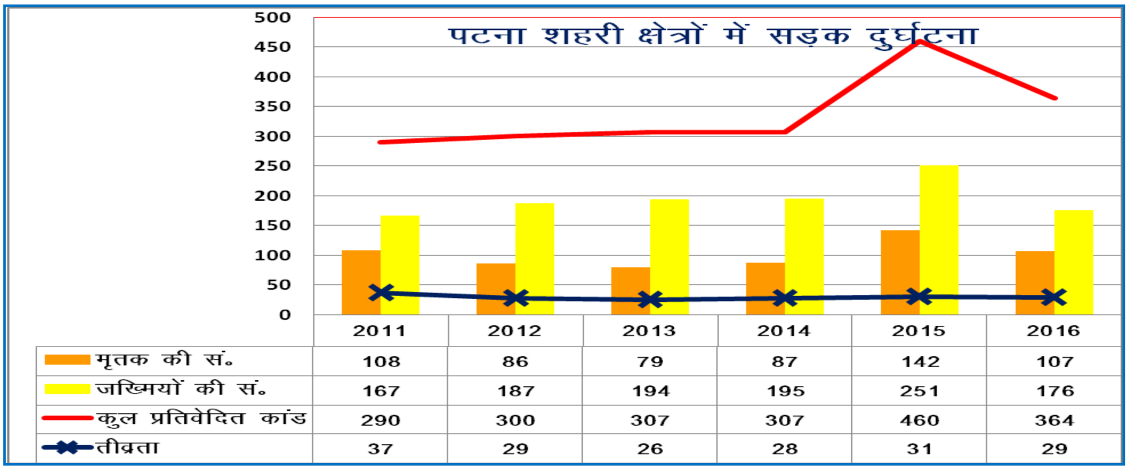

राजधानी एवं पटना जिले में चौड़ी सड़कों की संख्या बढ़ी है, कई ओवर ब्रिज बने हैं तथा बाहर से दो बाइपास निकलता है, जिसपर अधिकतर दुर्घटनाएँ होती रहती है। नीचे दी गई तालिका से पटना में सड़क दुर्घटना की स्थिति का आकलन किया जा सकता है

सड़क दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि पटना शहरी क्षेत्र में सड़क हादसे चिन्ताजनक स्थिति में पहुँच चुका है फतुहा से बिहटा तक के आंकड़े यह बताते हैं कि पटना के पश्चिमी क्षेत्र में तथा उसके बाद पटना का पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक सड़क दुर्घटना के कांड प्रतिवेदित हुए हैं इस लिहाज से पटना का मध्य क्षेत्र सुरक्षित माना जाता है। पटना के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में काफी फैलाव हुआ है तथा सड़क की बनावट न तो यातायात के लायक है या फिर गाड़ी अनियंत्रित ढंग से चलाई जा रही है। ट्रैफिक नियमों की भी अवहेलना हो रही है।

= = = = = =

3.1.6 रेल दुर्घटना :

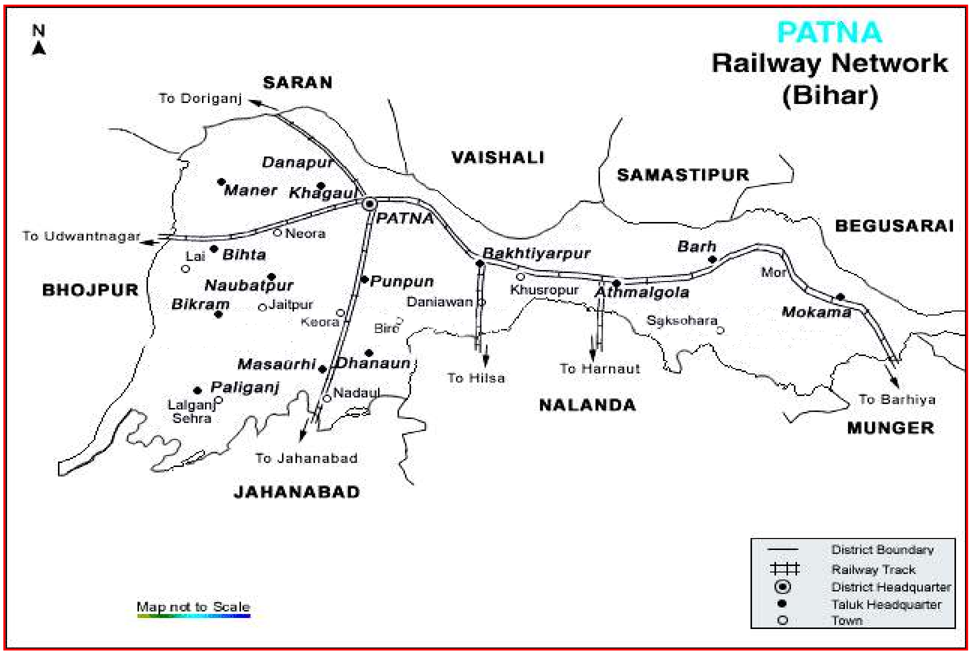

पटना जिला का रेल पथ दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आता है। जिला पर हावड़ा एवं मुगलसराय रूट के लिए बहुत-सी सवारी रेल गाड़ियाँ गुजरती हैं जिले के अंदर लगभग 9 रेल स्टेशन अवस्थित हैं। इस रूट पर हालाँकि कई रेल ऊपर ब्रिज का निर्माण हुआ है फिर भी छोटे-छोटे अनियमित रास्तापार तथा रेल लाइनों से लोगों के गुजरने के कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है कुछ दुर्घटना प्रवण स्थल की पहचान की गई है।

पूर्व मध्य रेल प्रशासन ने रेलवे फाटकों पर "गेट मित्र" तैनात करने का निर्णय लिया है जिससे सामाजिक मानव,पशु एवं वाहन क्षति होने से रोका जा सकेगा । फिलहाल प्रशासन ने बड़ी रेल लाइनों पर कुछ गेट मित्र की नियोजित करने का निर्णय लिया है। इनका काम लोगों को ट्रैक पार करने से रोकने तथा चेतावनी देना होगा।

= = = = = =

3.1.7 डूबने की घटना :

नाव दुर्घटना एवं डूबने की घटना कुछ खास जगहों पर ही होती है जहाँ पानी की उपलब्धता निश्चित हो, नदियाँ, नहरें या तालाब आदि। पटना जिले में बड़ी एवं छोटी नदियों की संख्या 8–10 है। इनमें तीन नदियां गंगा, सोन, पुनपुन में वर्ष भर पानी रहता है जबकि मोरहर, लोकाइं, लखनदेई, धोवा, महाने नदियों में डूबने के लायक पानी वर्ष भर नहीं रहता। ये नदियाँ गर्मी के दिनों में प्रायः सूख जाया करती हैं किन्तु वर्षा के दिनों में ये नदियाँ बड़े नदियों की तुलना में कम खतरनाक नहीं होती।

कई पंचायतों में जे.सी.बी. द्वारा मिट्टी कटाई के बाद बड़े–बड़े गड्ढे छोड़ दिये जाते हैं जो कि डूबने की दृष्टि से खतरनाक हैं। वर्ष 2016 में छठ पर्व के दौरान पूरी तैयारी होने के बावजूद, लोगों द्वारा सरकार की ओर से दी गयी सलाह को अनदेखी करने के कारण, डूबने की घटना अपेक्षित हुई है। दुःख की बात है कि डूबने वालों में बच्चों की संख्या अधिक होती है। पटना में 1980 के दशक में छठ के सुबह अर्घ्य के बाद नासरीगंज घाट (दीघा) में संभवतः राज्य की सबसे बड़ी नाव दुर्घटना हुई थी जिसमें लगभग 60 लोग डूब गये। 23 अगस्त 2010 को पुनपुन नदी में हुई नौका दुर्घटना (7 मृत), 14 जनवरी 2017 को गंगा नदी में दुर्घटना (25 मृत) या पूर्व में वर्ष 2009 विजयादशमी के उत्सव में बागमती नदी में दुर्घटना (30 मृत) मुख्य नाव दुर्घटना हुई। इन सभी में नदी की धारा तेज होना, नौका चालक में घबराहट तथा ओवर लोडिंग हादसों का मुख्य कारण था। जिन प्रखण्डों में विगत 7 वर्षों (2015–2021) में सबसे ज्यादा डूबने की घटना प्रतिवेदित हुई है वो हैं पटना सदर, मोकामा, मनेर, फतुहा, बख्तियारपुर, धनरूआ, बाढ़, मसौढ़ी आदि।

डूबने की घटनाएं:

क्र.सं	जिला का नाम	2018	2019	2020	2021(नवम्बर तक)	कुल
1	पटना	17	89	70	46	222

[illegible]

डूबने से होने वाली मौतों के निम्न कारण प्रमुख हैं:

- खतरों की उपेक्षा या गलतफहमी एवं उचित जानकारियों का अभाव ।
- खतरे वाली जगहों पर बिना सोचे जाना, बिना किसी सूचना एवं सुरक्षा के घूमने पहुँचना।
- निगरानी एवं पर्यवेक्षण की कमी ।
- बचाव के कौशल तथा तैराकी आदि या अन्य बचाव के तरीके की जानकारी का अभाव ।
- डूबने/संकट के दौरान एक व्यक्ति का बचाव करने में वहाँ उपस्थित समूह/व्यक्तियों की असमर्थता ।
- अचानक नदी की गहराई अधिक हो जाना
- तैरना नहीं आना।
- बच्चों पर ध्यान नहीं देना।
- नावों पर अत्यधिक लदान
- नावों पर से उतरने में शीघ्रता करना।
- अप्रशिक्षित नाविक एवं प्रति नाव नाविकों की अपर्याप्त संख्या।
- नाव पर सवार लोगों का धैर्य खोना।
- नाव के रखरखाव में कमी।
- नावों में सुरक्षा उपकरणों की कमी
- नाव परिचालन के क्रम में निरीक्षण की कमी
- रात में आंधी–तूफान में नावों का परिचालन करना।
- नाव में यात्रा कर रहे यात्री द्वारा नाव संचालन।
- नाव से पानी निकलने की व्यवस्था न होना।
- नाविकों द्वारा सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन नहीं करना।
- यात्री एवं जानवरों का एक साथ नावों पर यात्रा करना।
- नाव पर सेल्फी लेना

राज्य में छठ महापर्व – 2016 के दौरान डूबने से हुई 47 मौतों के संज्ञान लेते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक अध्ययन करवाया। इस अध्ययन के दौरान उन प्रभावित परिवारों से सम्पर्क किया गया जिनके यहां ये मौतें हुई थी और साथ ही इससे विभिन्न आयामों पर भी जानकारियाँ एकत्र की गयीं। प्राप्त जानकारियों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले गये :–

- डूबने से हुई 47 व्यक्तियों की मौत राज्य के 20 जिलों में हुई।
- इन 47 व्यक्तियों की मौत में 40 पुरुष एवं 7 महिलाओं की मौत हुई थी।
- डूबने से हुई मौतों में बच्चों की संख्या (6–18 वर्ष) सबसे ज्यादा 39 थी जो लगभग कुल मौतों का 82 प्रतिशत से ज्यादा है।
- जानकारी प्राप्त हुई कि इन 47 व्यक्तियों में से 43 लोग ऐसे थे जिन्हें तैरना नहीं आता था
- डूबने के स्थान के संदर्भ में जानकारी मिली कि सबसे ज्यादा मौतें तालाब और तालाब के स्नान स्थल (सीढ़ी के पास) में हुई। नदी में 4 और नहर में 16 लोगों की मौतें हुई

= = = = = =

3.1.8 हवाई सुरक्षा:

प्रदेश में पटना तथा गया से नियमित उड़ान वाले हवाई अड्डा अवस्थित है। बोधगया में अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान की सुविधा उपलब्ध है तथा पटना में घरेलू यात्रियों हेतु सुविधा उपलब्ध है। पटना से देश के विभिन्न हिस्सों में जाने तथा वापस आने में पैसेंजर ट्रैफिक की काफी वृद्धि हुई है।

हवाई सुरक्षा को दो दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। पूर्व में हुई गंभीर हवाई दुर्घटना की जानकारी तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर किसी आपदा की सम्भावना तथा जोखिम का आकलन एवं प्रत्युत्तर की तैयारी।

पटना में अब तक एक हवाई दुर्घटना प्रतिवेदित है। दिनांक 17 जुलाई 2000 को एलायंस एयरलाईंस (सी.डी.7412) की घरेलू उड़ान कोलकत्ता–पटना–लखनऊ–नई दिल्ली हवाई जहाज गर्दनीबाग स्थित सरकारी कर्मचारियों के कॉलोनी में दुर्घटनाग्रस्त हो कर एक क्वार्टर से टकरा गया था। 6 चालक दल एवं उस क्वार्टर के कुछ निवासी सहित कुल 60 लोगों की दर्दनाक मृत्यु तत्काल हो गयी थी। दुर्घटना होने का कारण पायलट द्वारा गलत रूट को स्वीकार अपनाने में की गयी भूल को बतलाया गया।

खतरे की पहचान : जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा ने आपदा प्रबंधन निर्माण के क्रम में देश एवं राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग एवं बिहार अग्निशमन अधिनियम को दृष्टिपथ में रखकर बनाया है। यहाँ हवाई दुर्घटना के लिए भूकम्प, जल जमाव की समस्या, बाढ़, महामारी (संक्रमण की दृष्टि से) तथा किसी प्रकार के आतंकी हमला को गंभीर खतरे के रूप में पहचान की गई है।

'हवाईअड्डा सुरक्षा' विषय की गंभीरता इस बात से और भी बढ़ जाती है क्योंकि पिछले एक दशक में विमानों की संख्या, यात्रियों की संख्या तथा माल ढोने की क्षमता में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वर्ष 2004–05 में हवाई जहाज के उड़ानों की संख्या 3844 थी जिसमें 1.76 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा की तथा 1.035 टन माल ढोने गये। विमानों के परिचालन की संख्या 2009–10 में 10.734 पहुँच गयी तथा 5.53 लाख यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया। यह संख्या वर्ष 2016–17 में चौगुनी बढ़ गयी जब जय प्रकाश नारायण हवाईअड्डा से 15508 विमानों ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए उड़ान भरी तथा रिकॉर्ड 21 लाख यात्रियों ने हवाई सेवा का उपयोग किया। अतः ट्रैफिक वोल्यूम तथा ज्यादा संख्या में हवाई जहाजों का आवागमन की दृष्टि से एयरपोर्ट ऑथिरीटी ऑफ इंडिया(ए.ए.आई.) से अपेक्षा है कि यह सुरक्षा की दृष्टि से मानक संचालन प्रक्रिया तथा कार्य योजना को मूर्त रूप देंगे। इसमें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) हवाई अड्डा परिसर तथा बाहर से जिला प्रशासन भी सहयोग करेगा। नीचे की सारणी से यह स्पष्ट है। एयरपोर्ट ऑथिरीटी ऑफ इंडिया(ए.ए.आई.) ने वर्ष 2020 के उपरांत आपदा प्रबंधन योजना के विस्तृत स्वरूप को पारित किया है।

सारणी– (3.13) पटना हवाई अड्डा से उड़ान की संख्या :

वर्ष	हवाई जहाजों की उड़ने की संख्या	यात्री (लाखों में)	सामान (टन में)
2004–05	3844	1.76	1.035
2009–10	10734	5.53	2.532
2014–15	11060	11.97	5.198
2015–16	13947	15.84	4.414
2016–17	15508	21.12	6.591
2017–18 (सितम्बर तक)	14320	21.0	22.8

[illegible]

रोकथाम के उपाय : आपदा प्रबंधन को नियमित सम्मिलित, संगठित तथा लागू करने योग्य कामों को कार्य–योजना में शामिल किया गया है। हवाई अड्डा के अधिकारियों के अनुसार उनकी तैयारियाँ निम्नलिखित बिन्दुओं पर की जाती हैं। वो हैं –

- किसी भी खतरे की रोकथाम ।
- किसी भी आपदा से संभावित खतरा, उसका असर या परिणाम का न्यूनीकरण।
- क्षमता संवर्द्धन।
- किसी भी आपदा की स्थिति से निबटने की तैयारी।

- किसी भी हालत में सुरक्षा प्रत्युत्तर के कदम।
- किसी भी खतरे एवं संवेदनशीलता के गंभीरता के स्तर का आकलन।
- खोज, बचाव एवं राहत की तैयारी।
- घटनोत्तर, पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण के कदम।

हवाई अड्डे पर आपदा की दृष्टि से सुरक्षा संगठन : हवाई अड्डे पर नीचे वर्णित संगठनात्मक सारणी में हवाई ट्रैफिक सर्विस अग्नि से बचाव एवं मौसम की जानकारी को भी ख्याल रखा गया है।

सुरक्षा प्रबंधक । ए.टी.एम.। अग्निशमन सेवा। टर्मिनल प्रबंधक। ई एण्ड एम सेक्शन। सी.एन.एस.। विद्युत अभियंत्रण। सिविल अभियंत्रण। वित्त कानून/मानव संसाधन। भण्डार। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। हवाई मार्ग। तेल डिपो/हैंगर/कार्गो। हवाई अड्डा निदेशक। कोर/कलक्टर। केन्द्र/राज्य एवं जिला के प्रत्युत्तर दल। सहायता आपातकालीन अग्नि/चिकित्सा/पुलिस दल (स्थानीय)। अड्डा प्रबंधन में हवाई दुर्घटना, विमान अपहरण, बम से हमला, तेल डिपो में आग, बाढ़, आँधी तूफान तथा भवन में आग लगने जैसे विपदाओं के निदान हेतु विस्तृत रूप से चर्चा की गई है तथा प्रत्येक पदाधिकारी के कार्यों की पहचान की गई है।

सारणी – (3.14) हवाई अड्डे पर एयरक्राफ्ट के पार्किंग की व्यवस्था :

पार्किंग स्टैन्ड संख्या	एयरक्राफ्ट का प्रकार
1	सभी एयरक्राफ्ट ए 320, बी 737–800 तक
2	सभी एयरक्राफ्ट ई 0228 तक सभी एयरक्राफ्ट
3	सभी एयरक्राफ्ट ए 320 बी 737–85 तक
4	सभी एयरक्राफ्ट ए 320 बी 737–85 तक
5	सभी एयरक्राफ्ट ए 320 बी 737–85 तक

हवाई सुरक्षा से संबंधित आकस्मिक कार्य योजना एवं मानक संचालन प्रक्रिया खंड–2 के अनुलग्नक–9 पर द्रष्टव्य।

= = = = = =

3.1.9 भीड़ (मेला) प्रबंधन/भगदड़ :

अफवाह का फैलना, असामयिक घटनाओं की संक्रियता, धैर्य का अभाव, शीघ्रता से भीड़ भरे स्थल को छोड़ने की मानसिकता, भीड़ से पहले निकलने की जल्दी आदि एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो भीड़ को भगदड़ में बदल डालती है। भगदड़ की स्थिति बनने के उपरान्त घायल एवं मृत होने वालों की संख्या का अन्दाजा लगाना कठिन हो जाता है। भीड़ के मनोविज्ञान को भी समझना प्रबंधन का आवश्यक अंग है।

इस जिले में निम्नलिखित दो घटनाएँ भीड़ के कारण उत्पन्न हुई थी –

- वर्ष 2012 में अफवाह के कारण पटना के अदालत घाट (15 मृत).
- 27.10.2013 को पटना के गाँधी मैदान में राजनीतिक रैली में हुई श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट के कारण भगदड़।
- 03.10. 2014 को अफवाह के कारण रावण वध के दौरान पटना के गाँधी मैदान में भगदड़ (33 मृत) ।

भगदड़ के संभावित स्थल : पटना जिले में हर वर्ष कुछ खास महीनों में होने वाली भीड़ को लेकर हमेशा खतरा एवं जोखिम उत्पन्न होने की सम्भावना बनती है। इस दृष्टिकोण से निम्नलिखित अवसरों को खतरे एवं जोखिम के अनुरूप तैयारी की आवश्यकता होगी – गणतंत्र दिवस – गाँधी मैदान, स्वतंत्रता दिवस–गाँधी मैदान, बिहार दिवस – गाँधी मैदान, दुर्गा पूजा – पटना महानगर, रावण वध – गाँधी मैदान, छठ – फतुहाँ से दानापुर, रामनवमी/मुहर्रम जुलूस, सरस मेला – गाँधी मैदान, पुस्तक मेला – गाँधी मैदान, कृषि यांत्रिक मेला – गाँधी मैदान/वेटनरी कॉलेज, मत्स्य उत्सव – गाँधी मैदान, पितृपक्ष मेला –पुनपुन, राजनीतिक आयोजन– गाँधी मैदान/एस.के. मेमोरियल हॉल/बापू सभागार। यह जरूरी है कि उपरोक्त स्थलों का लेखा–जोखा रखा जाए ताकि भविष्य की योजनाएँ इन बातों को ध्यान रखते हुए तैयार किया जा सके। दुर्गा पूजा में रावण वध के दिन तथा छठ पर्व में गंगा के किनारे घाटों पर एवं उसके रास्ते में भीड़ प्रबंधन की विशेष आवश्यकता महसूस की गई है।

भगदड़ के कारण : भीड़ के भगदड़ में बदलने के निम्नलिखित मुख्य कारण हो सकते हैं – संरचना का कमजोर होना, आग और बिजली, अत्यन्त विशाल भीड़, भीड़ का एक स्थान पर एकत्रित होना, अचानक भीड़, अनियंत्रित एवं असंतुलित भीड़, भीड़ का एक ही दिशा में प्रवाह, भीड़ का गलत व्यवहार, हितधारकों में तालमेल का अभाव, परिक्रमा/धार्मिक भीड़ के दान क्षेत्र के बीच समन्वय का अभाव, रास्ते का संकरा होना, प्रवेश एवं निकास द्वार पर्याप्त नहीं होना, रोशनी का अभाव, गार्ड डाक्टर नहीं होना, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का अभाव, नक्शा एवं रूट योजना का अभाव, बिना पूर्व सूचना के मार्ग परिवर्तन, अफवाह यथा विद्युत तार का टूटना, पुल टूटना, बम फटना या अपहरण आदि, भीड़ में किसी भी व्यक्ति या सामग्री का जमीन पर गिरना, किसी व्यक्ति का गिरना, गिरे व्यक्ति/वस्तु से ठोकर लग कर अन्य व्यक्ति का गिर पड़ना और इस प्रकार गिरते जाने का एक श्रृंखला बन जाना एवं उससे कुचलना ।

= = = = = =

3.1.10 जलवायु परिवर्तन

उष्णकटिबंधिय (ट्रॉपिकल) क्षेत्र तथा जिले की निर्दिष्ट संरचना, कृषि जलवायु के आधार पर यह जिला बिहार के कृषि जोन – III B में अवस्थित है। इस जोन को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले तापक्रम तथा वर्षापात के आंकड़े कृषि विभाग द्वारा संकलित किया गया है। विगत 58 वर्षों के आंकड़ों को लेकर कृषि विभाग, बिहार द्वारा कराये गये अध्ययन में वर्षापात तथा तापमान में वार्षिक परिवर्तन का रुख जानने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन के आधार पर पटना सहित कृषि जोन – III B में अवस्थित जिलों में पाये गये तापमान तथा वर्षापात में परिवर्तन की निम्न प्रवृति देखी गई।

- अधिकतम तापमान – कमी (–0.003 डिग्री से./प्रति वर्ष)
- न्यूनतम तापमान – वृद्धि (+0.027 डिग्री से./प्रति वर्ष)
- मध्य तापमान – वृद्धि (+0.012 डिग्री से./प्रति वर्ष)   स्रोत: बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर

कृषि विभाग, बिहार ने एक अध्ययन रिपोर्ट मेनस्ट्रीमिंग क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के माध्यम से स्केलिंग अप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराया है जिसको राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय तथा इंडियन कॉउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के माध्यम से लागू कराया जा रहा है जनवरी, 2017 की रिपोर्ट में बिहार के सभी जिलों को जलवायु परिवर्तन के कारण संवेदनशील माना है।

इस तथ्य को उपर वर्णित अधिकतम, न्यूनतम तथा मध्य तापमान यह दर्शाता है कि पटना जिले में भी समय–समय पर बढ़ोतरी और कमी की संभावना है। पूर्व में (सारणी–3.8) वर्षापात के आंकड़े भी यह बताता है कि पिछले वर्षों में अनुमानित वर्षा तथा वास्तविक वर्षा में काफी अंतराल रहा है। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक के लिए बिहार जलवायु अनुमानों में हर महीने में अधिकतम और न्यूनतम तापमान (2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक) में वृद्धि के रुझान का खुलासा किया है। इससे ग्रामीण जनता की कृषि, खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर प्रभाव पड़ सकता है। (देखें www.bameti.org के विषय 'क्लाइमेट चेन्ज' में)

= = = = = =

3.1.11 गर्मी/लू :

लू/उष्णता की प्रभावकता बहुत हद तक स्थान विशेष की भौगोलिक संरचना पर निर्भर करती है। पटना जिले की भौगोलिक संरचना इस प्रकार की – लगभग आधे से कम बलुआई है तथा आधे से अधिक मैदानी। जिले की तीनों प्रमुख नदियाँ – गंगा, सोन एवं पुनपुन में सालों भर पानी रहता है शेष नदियों में वर्षा ऋतु को छोड़कर पानी की अति अल्प मात्रा रहती है।

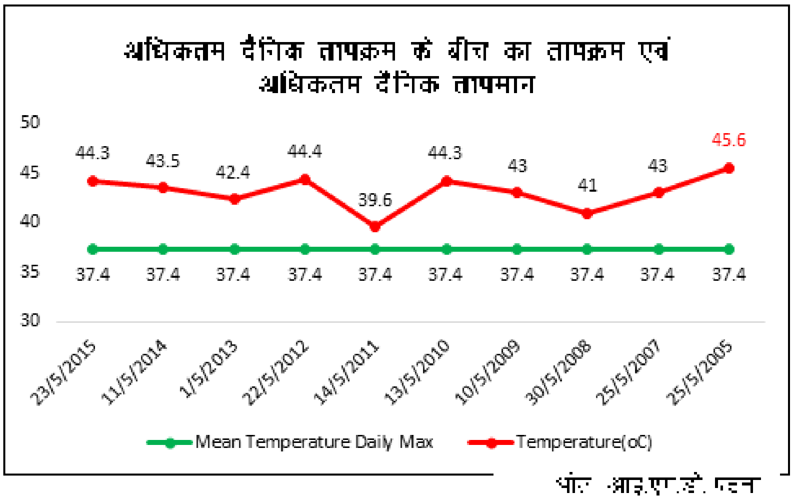

स्रोत: आइ.एम.डी. पटना

ऐसे भौगोलिक परिवेश व बालू धूल की गर्मी को अवशोषित कर विकसित करती है। परिणामतः लू/गर्मी या उष्णता की प्रभावकता इस जिले में रहती है यदि कृषि योग्य भूमि या भूमि में नमी की मात्रा ग्रीष्म ऋतु के आगमन से ज्यादा पहले समाप्त होगी, उष्णता या गर्मी/लू की मात्रा उतने अधिक दिनों तक बने रहने की सम्भावना होगी।

बढ़ते तापमान के होने से स्थानीय लोगों की निम्नलिखित समस्याओं में अप्रत्याशित वृद्धि होती है :

- स्वास्थ्य संबंधी।
- शिक्षा संबंधी।
- पेयजल संबंधी।
- पर्यावरण संतुलन संबंधी।
- ग्रामीण कार्य (मनरेगा) तथा दैनिक रोजगार वाले मजदूर वर्ग।
- अन्य आर्थिक गतिविधियाँ (प्लायन समेत)।
- चलायमान कार्य (ट्रान्सपोर्ट सेवा)।
- कृषि गतिविधियाँ।
- अग्नि कांड

पटना जिले में लू की सम्भावना के संबंध में जिले से प्राप्त विभिन्न स्तरों से सूचनाएँ प्रखंडों के पंचायतों में लू एक घटना के रूप में सामने आया है। 17 प्रखंडों में 4, जो नदी के किनारे पर हैं ने लू से प्रभावित होने के संबंध में जानकारी दी है। जिले का मई महीने में अधिकतम तापमान 45^0 बताया गया जो उपर के तथ्यों की पुष्टि करती है।

खतरे का परिणाम :

- घमौरी (गर्मी के कारण फोड़े)।
- ऐंठन (गर्मी के कारण क्रैम्प)।
- बेहोश हो जाना (गर्मी से मूर्छा)।
- गर्मी से थकावट।
- ऊष्माघात (सनस्ट्रोक)।
- निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन)।

इस स्थिति में व्यक्ति आपात स्थिति में आ पहुँचता है और तात्कालिक सहायता के साथ–साथ तुरंत चिकित्सीय सहायता की जरूरत होती है

चूंकि गर्मी के मौसम में वातावरण में गर्मी एवं नमी का बदलाव होना स्वाभाविक है इसलिए भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र ने भीषण गर्मी या लू या उष्माघात को परिभाषित किया है जिसके आधार पर जिलाधिकारी अपनी कार्य योजना बनायेंगे। केन्द्र की परिभाषा के अनुसार अगर किसी समय सामान्य तापक्रम से 4.5–6.4 डिग्री अधिक तापक्रम हो तो उसे भीषण गर्मी या लू की संज्ञा दे सकते हैं। मैदानी इलाकों में जब तापमान लगातार 40^0 सेन्टीग्रेड से ज्यादा बना रहे तो हम उसे भीषण गर्मी या लू की स्थिति कहेंगे।

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र ने भीषण गर्मी या लू की स्थिति को कलर कोड से चिह्नित किया है जिससे जनमानस को भी आसानी से समझने में सहुलियत होगी। नीचे की सारणी में कलर कोड को दर्शाया गया है।

सारणी– (3.15) ग्रीष्म लहर की चेतावनी हेतु कलर कोड :

कलर कोड	ग्रीष्म लहर की स्थिति	तापमान
लाल रंग **गंभीर परिस्थिति**	अत्यन्त गर्म हवा से सचेत करने का दिन	सामान्य (अधिकतम) तापमान से लगभग 6^0 डिग्री सेंटीग्रेड या और ज्यादा होने पर
नारंगी रंग **मध्यम परिस्थिति**	गर्म हवा से सतर्क रहने का दिन	सामान्य (अधिकतम) तापमान से 4^0 से 5^0 डिग्री सेंटीग्रेड
पीला रंग **गर्मी की लहर की चेतावनी**	गर्म दिन	सामान्य (अधिकतम) के आसपास का तापमान
उजला रंग सामान्य	सामान्य दिन	सामान्य से कम तापमान होने पर

= = = = = =

3.1.12 शीतलहर :

इस जिले में सामान्यतः दिसम्बर से जनवरी के बीच ठंढ की व्यापकता और तीक्ष्णता जब ज्यादा एवं प्रभावी रूप लेती है तो यह शीतलहर कहलाती है।

खतरे का पैमाना : शीतलहर की श्रेणी में लाने हेतु ठण्ड की तीव्रता का पैमाना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। बिहार सरकार, आपदा प्रबन्धन विभाग के पत्रांक 4285 दिनांक 18.10.2012 खंड–2 के अनुलग्न–56 पर देखा जा सकता है

शीतलहर की स्थिति	तापमान
शीतलहर	जहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान 10^0C या उससे अधिक पाया जाता हो वहाँ न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान से 7^0C कम हो जाए
	जहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान 10^0C या इससे कम पाया जाता हो वहाँ न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान से 5^0C से कम हो जाए।
पाला	जहाँ तापमान 0^0C से कम हो जाए या रबी फसल के लिए असामान्य स्थिति हो तो इसे पाला कहा जायेगा

इस संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान ने भी किसी भी क्षेत्र के सामान्य दिन (अधिकतम) और रात (न्यूनतम) के तापमान के अन्तर को, उष्णता/शीतलहर के लिए तापमान को परिभाषित करने का आधार माना है। शीतलहर को सामान्य या तीव्र तब माना जाता है, जब तापमान न्यूनतम तापमान सामान्य से ($6–7^0C$) कम हो जाए अथवा 8^0C से अधिक कम हो जाए। अब इसके आकलन में स्थानीय जलवायु की स्थितियों और तापमान में हुए परिवर्तनों को भी महत्व देने की बात की जाती है।

शीतलहर से संबंधित बिमारियाँ (जोखिम) :

- फ्रॉस्टनीप – मनुष्य की अंगों में सुनापन होना, असमान्य तौर पर चमड़ी का रंग नीला सफेद कर देना।
- फ्रॉस्टबाइट, तुषार उपघात – ठण्डी धातु के छूने से।
- चिलब्लेन।
- हाइपोथर्मिया – आपातकाल स्थिति है, ठण्ढ लग जाने के तुरत प्राथमिक सहायता की आवश्यकता है शरीर का तापमान जरूरत से ज्यादा कम हो जाना।
- हृदयाघात/मस्तिष्कघात।
- विन्टर डायरिया ।

= = = = = =

3.1.13 ठनका / वज्रपात :

विगत कुछ वर्षों में बिहार के कई जिलों में वज्रपात का प्रकोप देखने को मिला है जिससे कई जानें चली गई हैं। विगत वर्ष 2016 में बिहार में 57 लोगों की मृत्यु एक ही दिन वज्रपात से हो गयी। इस जिला में वर्ष 2016 में वज्रपात उपलब्ध में महसूस किया गया तथा लोगों की जान जाने की सूचना प्रतिवेदित है, जिसे नीचे की सारणी में देखा जा सकता है।

सारणी– (3.16) वज्रपात से मृत्यु (2016)

प्रखंड	मृत	घायल
बिहटा	5	2
नौबतपुर	1	–
विक्रमगंज	6	–
दुल्हिन बाजार	1	–
पुनपुन	5	–
धनरूआ	3	–
खुशरूपुर	1	–
पंडारक	2	–
मोकामा	3	–
घोसवरी	1	–
कुल	28	

स्रोत: आपदा प्रबंधन शाखा, पटना

ज्योंही पृथ्वी की ओर वज्रपात चलता है काफी मात्रा में विद्युत निरावेश बादलों से पृथ्वी की ओर चल देती है। विद्युत निरावेश का भय तब अधिक हो जाता है जब बादलों के भीतर विद्युत आवेश की मात्रा बढ़ती है। फिल्ड मिल यंत्र के द्वारा बादलों के भीतर के आवेश का मापन हो जाता है। जैसे ही यह एक निर्धारित सीमा में पहुँचता है इसके पृथ्वी पर गिरने की सम्भावना बनने लगती है।

ठनका से मृत्यु (2018–2022)

2018	2019	2020	2021	2022	कुल
4	6	19	18	8	55

= = = = = =

3.1.14 चक्रवाती तूफान / आँधी / ओलावृष्टि :

वायु आधारित आपदाओं में तूफान, चक्रवात, बवंडर, तूफानी लहर तथा लू आदि हैं। ओलावृष्टि को भी वायु आधारित आपदा की श्रेणी में सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। इस जिले में लगभग प्रतिवर्ष चक्रवाती तूफान, आँधी तथा ओलावृष्टि में से किसी एक का प्रभाव बना रहता है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार ने जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से मार्च में ओलावृष्टि के कारण हुई रबी फसल की क्षति तथा 21 अप्रैल, 2015 को राज्य में आये चक्रवाती तूफान से हुई क्षति के आलोक में सभी जिलों को आपदाग्रस्त घोषित किया गया था।

जिला / अनुमण्डल / प्रखण्डों / पंचायत में लगी से बरबादी के क्रम में यह बात उभर कर आई की जिले में इसकी प्रभावशीलता बनी रहती है। बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलोजी प्रोमोशन कॉउंसिल (बी.एम.टी.पी.सी.) द्वारा जारी वलनेरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया में इस जिले को तेज तूफान की सम्भावना वाला जिला बताया गया है।

इसके अनुसार जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में 47 मी./से. की दर से तेज तूफान आ सकता है।

सारणी – (3.17) उच्चशक्ति हवा संवेदनशीलता :

जिला	उच्च शक्ति हवा (हवागति मि./से.)		
	55 – 50	47	44 – 39
पटना	0.0	100	0.0

[illegible] (बी.एम.टी.पी.सी.)

खतरे का कारण :

- वायुमण्डलीय अस्थिरता, दबाव, आगमन एवं ढलान (ताप का)
- कपासी मेघ का काफी ऊँचाई पर घनत्व (ओलावृष्टि) ।

= = = = = =

3.1.15 संदूषित जल :

जिले में पीने के पानी का मुख्य स्रोत भू–जल है। समय-समय विभिन्न एजेन्सियों द्वारा कराये गए पीने के पानी की गुणवत्ता की जाँच करायी जाती रही है तथा पेयजल में अशुद्धता का पता लगाया जाता है। एजेन्सियाँ मुख्यतया स्वच्छता की जाँच 15 मानक स्तर पर करती है

विगत वर्ष पटना जिले के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पूर्वी तथा पश्चिमी कार्यालय द्वारा पेयजल की गुणवत्ता की विशेष जाँच करवाई गयी है जिसमें कुछ प्रखण्डों में आर्सेनिक की मात्रा तय मानक स्तर से ज्यादा पाया गया है तथा यह स्थानीय समुदाय के लिए गंभीर खतरे के रूप में उभरा है विशेषकर गंगा नदी के समीप बसे प्रखण्ड के गाँव में बड़ी संख्या में आर्सेनिक युक्त जल वाली नलकूप की पहचान की गयी है।

राज्य स्तर जलगुणवत्ता की जाँच वाली प्रयोगशाला ने यह स्पष्ट किया है कि एकत्रित पानी में आर्सेनिक की मात्रा ''पर पार्ट बिलियन''(पीपीबी) में 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जबकि कई जगह तय मानक से पाँच गुणी अशुद्धि पायी गयी है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आर्सेनिक युक्त पानी कैंसर जैसी गंभीर बिमारी का कारण बन सकता है

आर्सेनिक युक्त जलस्त्रोतों के वर्गीकरण करने पर यह निष्कर्ष निकला कि छः प्रखण्ड ऐसे है जहाँ 50 तक की संख्या में जलस्त्रोतों में आर्सेनिक पाया गया है, जबकि 4 प्रखण्ड में 51–100 जलस्त्रोतों में तथा पाँच प्रखण्डों में क्रमशः 100 से 400 पेयजल स्रोतों में आर्सेनिक की मात्रा पायी गयी। नीचे के सारणी से यह स्पष्ट होता है।

सारणी– (3.18) पटना जिले में पानी की गुणवत्ता रिपोर्ट :

क्र॰सं॰	प्रभावित प्रखण्डों का नाम	जाँच वाले पंचायतों की सं॰	दूषित जलस्त्रोतों की सं॰ (आर्सेनिक/10 पीपीबी से ज्यादा)
1	बिहटा	2	2
2	दानापुर	5	55
3	मनेर	10	192
4	मसौढ़ी	18	78
5	नौबतपुर	22	156
6	पालीगंज	35	186
7	पटना	4	69
8	फुलवारीशरीफ	13	21
9	पुनपुन	16	25
10	सम्पतचक	10	404
11	बिक्रम	7	22
12	धनरूआ	1	1
13	बख्तियारपुर	15	311
14	बाढ़	14	92
15	मोकामा	2	17
	कुल	174	1631

स्रोत: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

= = = = = =

3.1.16 महामारी एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरे : (डेंगू/चिकनगुनिया एवं इनसेफलाइटिस का फैलाव)

■ **स्वास्थ्य** : विगत कुछ वर्षों में डेंगू तथा जापानी इनसेफलाइटिस (एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम) ग्रसित रोगियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। चूंकि बिहार के लोग काफी संख्या में दूसरे राज्यों में प्रवासी तौर पर काम करते हैं, वैसे लोग इन बिमारियों से ग्रसित होते ही राज्य में वापस आ जाते हैं और इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। इसी प्रकार, राज्य के विभिन्न जिलों से ग्रसित रोगी बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने की वजह से पटना की ओर रूख करते हैं। इस प्रकार राजधानी में इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी हो जाती है। वैसे पटना शहर में भी डेंगू के रोगियों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

विगत दो वर्षों–2014 एवं 2015 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) अन्तर्गत इन्टिग्रेटेड डिजिज सर्विलेंस प्रोग्राम (आई.डी.एस.पी.) द्वारा किये गये अध्ययन बताते हैं कि राजधानी में इनसेफलाइटिस की अपेक्षा डेंगू रोग का फैलाव तेजी से हुआ है। अतः, इसके रोकथाम के लिए जिला अस्पताल, सदर अस्पताल एवं प्रखंड स्तर पर एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के स्तर पर विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। मच्छरों से पनपने वाली इस रोग से लड़ने की क्षमता को दो स्तरों पर विकसित करने की आवश्यकता है – एक, लोगों में इससे बचाव हेतु उपाय/सावधानियाँ प्रचारित एवं प्रसारित करना तथा दूसरा, चिकित्सीय व्यवस्था को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाना। प्राप्त तथ्य स्पष्ट करता है कि चिकित्सीय व्यवस्था की तत्परता के कारण वर्ष 2015 की अपेक्षा वर्ष 2016 में डेंगू तथा जापानी इन्सेफलाइटिस से पीड़ितों की संख्या में काफी गिरावट आयी लेकिन वर्ष 2017 में यह संख्या लगभग दोगुनी बढ़त हासिल कर ली।

■ **लक्षण** : डेंगू एडेस (Aedes) प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है। यह वायरस जनित रोग है तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की आशंका रहती है। डेंगू से पीड़ित रोगियों में ज्वर, सरदर्द, मांसपेशी तथा जोड़ों में दर्द तथा चकत्ते पर चकत्ता आदि लक्षण दिखते हैं। इन सब कारणों से कई रोगियों में खून के प्लेटलेट्स में तेजी से गिरावट, खून में प्लाज्मा रिसाव, रक्तचाप के लक्षण एवं रक्तचाप में कमी देखी गयी है।

दूसरी ओर, इनसेफलाइटिस भी मच्छर जनित वायरस रोग है जो दिमाग पर असर करता है, परन्तु यह 'मेनिन्जाइटिस' से भिन्न है। फ्लू की तरह ही इनसेफलाइटिस वायरल दिमागी है। इसमें प्रभावित रोगियों को स्वस्थ्य होने में दो या तीन सप्ताह लग जाता है। इस रोग का हल्के में लेना जीवन के लिए घातक हो सकता है। यह मुख्यतः प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है। गंभीर रोगी भी ठीक हो जाते हैं परन्तु 'नर्वस सिस्टम' पर असर बने होने की संभावना बनी रहती है

➢ डेंगू एवं चिकनगुनिया –

पटना जिले में वर्ष 2010–11 से मच्छर जनित डेंगू तथा विगत तीन वर्षों से चिकनगुनिया की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है तथा यह विकराल रूप ले रहा है। पटना शहर में खून की जाँच पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इन्स्टिट्यूट में किया गया। डेंगू जानलेवा भी हो सकता है। जबकि चिकनगुनिया जानलेवा नहीं है, परन्तु इसे ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। इसके अलावा इन्सेफलाइटिस को पटना भी प्रतिवेदित होती रहती है। डेंगू और चिकनगुनिया के अधिकांश मरीज हर वर्ष अगस्त से दिसम्बर के बीच पाये गये हैं।

वर्ष 2015 में आई.एस.डी.पी. द्वारा डेंगू के मरीजों का अध्ययन कराया गया। यह अध्ययन वैसे रोगियों का किया गया जो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इन्स्टिट्यूट (आर.एम.आर.आई.) में इलाज हेतु भर्ती किये गये थे

30 जून से 9 दिसम्बर 2015 की अवधि में पूरे जिला में डेंगू के कुल 1412 लक्षण प्रतिवेदित हुए। इनमें से आधा से ज्यादा (769) पटना जिला से प्रतिवेदित हुए। जबकि पटना शहर में 335 डेंगू के लक्षण वाले मरीज पाये गये। सर्वाधिक 100 मरीज पटना सिटी क्षेत्र में पाये गये।

वर्ष 2015 में पिछले वर्ष की अपेक्षा डेंगू के मरीजों की संख्या में लगभग 5 गुणा वृद्धि हुई। वर्ष 2014 में सिर्फ 175 रोगी दर्ज किये गये जबकि यह संख्या 2015 में बढ़कर 769 हो गई जो इसकी गंभीरता तथा इससे बचाव किये जाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

डेंगू के मरीजों की इसी प्रकार वर्ष 2015 में 1412, 2016 में 795 तथा वर्ष 2017 में यह संख्या बढ़ कर 1543 मरीजों की हो गयी।

इसी प्रकार चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गयी, वर्ष 2016 में मात्र 352 मरीज चिह्नित किए गए जबकि पिछले वर्ष 2017 में इसमें 1597 रोग ग्रसित मरीजों की पहचान की गयी है। सर्वाधिक रोगी सितम्बर, अक्टूबर तथा नवम्बर के महीनों में पाए गये।

➢ **संवेदनशील इलाके :**

हम सभी जानते हैं कि इस रोग का फैलाव एक खास प्रकार के मच्छर के काटने से होता है जो जमे हुए पानी तथा गन्दगी में ज्यादा पनपते हैं। कई जगह स्वच्छता के अभाव में इसका प्रसार तेजी से फैलता है।

इन्टिग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम (आइ.डी.एस.पी.) के द्वारा किये गये अध्ययन में निम्नलिखित मुहल्ला में सर्वाधिक डेंगू तथा चिकनगुनिया के मरीज पाये गये–

- **पटना शहरी क्षेत्र –** पटना सिटी, महाराजगंज, गायघाट, महेन्द्रू, गुलजारबाग, मुसल्लहपुर, कंकड़बाग, बाजार समिति, राजेन्द्र नगर, लोहानीपुर।
- **पटना ग्रामीण क्षेत्र –** फतुहा, खुसरूपुर, बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा, अथमलगोला, बेलछी, पंडारक, सम्पतचक, धनरूआ, मसौढ़ी, पुनपुन, बिहटा, मनेर, नौबतपुर, पालीगंज, बिक्रम, दानापुर, फुलवारीशरीफ।

वर्ष 2015 में पिछले वर्ष की अपेक्षा डेंगू के मरीजों की संख्या में लगभग दस गुणा वृद्धि हुई। वर्ष 2014 में सिर्फ 175 रोगी दर्ज किये गए जबकि यह संख्या 2015 में बढ़कर 1412 हो गई जो इसकी गंभीरता तथा इससे बचाव किए जाने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह नीचे की सारिणी से स्पष्ट है।

उपरोक्त अध्ययन के क्रम में यह पता चला कि पटना के दो अस्पताल, पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज तथा राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टिच्यूट, अगमकुँआ पर इन मरीजों के इलाज के लिए सर्वाधिक बोझ रहा। अतः इन तीनों चिकित्सा संस्थानों में इलाज के लिए क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। नीचे की सारिणी से इसकी पुष्टि होती है।

सारणी – (3.19) अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की भर्ती की संख्या :

अस्पताल का नाम	मरीजों की संख्या		
	2015	2016	2017
एन.एम.सी.एच.	58	53	156
पी.एम.सी.एच.	934	440	787
आर.एम.आर.आइ.	420	305	600
कुल	1412	798	1543

[illegible]

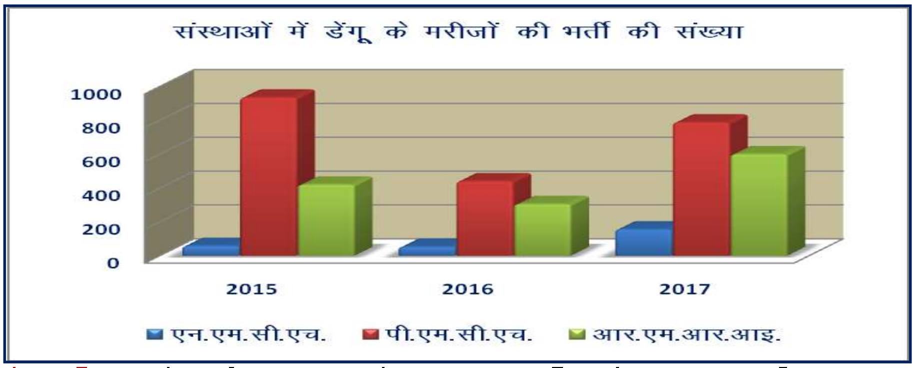

➢ **इनसेफेलाइटिस :** डेंगू की अपेक्षा, उपरोक्त मच्छर जनित रोग का प्रभाव बिहार तथा राजधानी में कम देखा गया है। परन्तु यह सुसुप्त अवस्था में दिख रहा है। जिससे सजग रहने की आवश्यकता है।

सारणी – (3.20) इनसेफेलाइटिस प्रभावित मरीजों का मृत्यु दर :

वर्ष	मरीज की संख्या	मृत्यु
2014	96	44
2015	31	9
2016	25	8

[illegible]

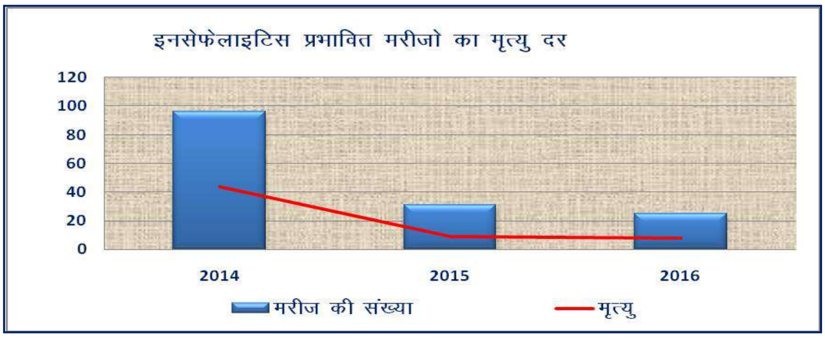

सारणी – (3.21) चिकनगुनिया से प्रभावित मरीजो की संख्या :

वर्ष	मरीज की संख्या
2016	382
2017	1097
कुल	1479

इन गम्भीर बिमारियों के अतिरिक्त पटना जिला में डायरिया (गेस्ट्रोइन्टाइटिस) तथा कुत्तों द्वारा काटने की संख्या काफी बढ़ी है तथा इसके लिए सुनियोजित इलाज करने का प्रयास किया गया है। इस बात की भी सुनिश्चित कोशिश की जा रही है कि कुत्ता काटने से एन्टी रेबिज सुई दवा की उपलब्धता बनी रहे। शहर में अनियंत्रित ढंग से कुत्ते की बढ़ती जनसंख्या को कम करने या पकड़ने के लिए पटना नगर निगम का विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सर्पदंश की भी घटना नियमित प्रतिवेदित होती रहती है।

सारणी– (3.22) डायरिया (गेस्ट्रोइन्टाइटिस समेत) एवं कुत्ते के काटने से प्रभावित मरीजों की संख्या :

	2014	2015	2016
डायरिया (गेस्ट्रोइन्टाइटिस समेत)	29137	20124	16121
कुत्ता का काटना	41882	23891	31473
सर्प दंश	461	351	427

= = = = = =

3.2 संवेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण (Vulnerability & Risk Analysis) :

पटना जिला बहु आपदा के प्रति संवेदनशील जिला है तथा इन बहु खतरों से मुकाबला करने की क्षमता में पर्याप्त कमी रहने के कारण जान–माल के नुकसान का जोखिम वर्तमान रहता है। भूकम्प, बाढ़, सूखा, तूफान, अगलगी, तूफान इत्यादि खतरों के प्रति संवेदनशील तथा जोखिम का आपदावार विवरण नीचे दिया गया है।

3.2.1 भूकंप :

पटना जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 11,41,352 मकान हैं, जिसमें 6,70,404 ऐसे मकान हैं जो पक्का मकान की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार 1,99,224 ऐसे मकान हैं जिनके छत में हस्त निर्मित या मशीन निर्मित टाइल्स का प्रयोग किया गया है सिर्फ 2,71,764 ऐसे मकान हैं जिनमें फूस, प्लास्टिक, जी.आई.शीटस का प्रयोग हुआ है। कमजोर नींव तथा सामग्री से बने मकान ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं।

लिनामेंट के आधार पर पटना के भूकम्प खतरा जिलों का मानचित्र देखने से यह स्पष्ट होता है कि एक "गंगा लिनामेंट" जो गंगा नदी के समानान्तर गुजरती है, पटना जिला के मोकामा, घोसवरी, पंडारक तथा बेलछी प्रखंड को प्रभावित कर सकती है एक दूसरा "गंगा लिनामेंट" पालीगंज, दुल्हिन बाजार, नौबतपुर, बिहटा, फुलवारी, दानापुर तथा पटना सदर प्रखंड से होकर गुजर रही है। इसके अतिरिक्त दो अन्य स्थानीय "अइडेन्टिफाइड लिनामेंट" बिहटा, मनेर, पंडारक, मोकामा, बाढ़ तथा बेलछी प्रखंड से होकर गुजर रहे हैं साथ ही पटना जिला के पूर्वी भाग से "मुंगेर–सहरसा फॉल्ट लाइन" गुजरती है। जिसके अन्तर्गत मोकामा, घोसवरी तथा पंडारक प्रखंड आता है। एक दूसरा "पूर्वी पटना फॉल्ट लाइन" पटना जिले के खुसरूपुर तथा दनियावाँ प्रखंड होकर गुजर रही है। कुल 23 प्रखंडों में से 16 प्रखंड भूकम्प से अति संवेदनशील हैं।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 1934 के भूकम्प को सर्वाधिक खतरनाक मानते हुए एक वृहत अध्ययन कराया है। इसमें 2011 के जनगणना को ध्यान में रखते हुए साथ ही वर्तमान में मकानों की संख्या का आकलन करते हुए यह जानने की कोशिश की है कि अगर पटना जिले में 1934 के स्तर का भूकम्प आये तो दिन या रात के समय में किस स्तर की क्षति की सम्भावना है। इस पैमाने पर भूकम्प की सम्भावित पुनरावृत्ति का काल्पनिक क्षति नीचे सारणी एवं ग्राफ में देखा जा सकता है।

सारणी– (3.23) जिले में प्रखंडवार भूकंप के काल्पनिक क्षति का आंकलन (1934 के संदर्भ में) :

जिला / प्रखंड	भूकंपीय जोन	कुल मकान	संभावित घरों के क्षति की श्रेणी				संभावित क्षति			
			NG5	NG4	NG3	NG2	मनुष्य की क्षति		पुनः निर्माण	मरम्मति
							प्रतिकूल समय	अनुकूल समय		
पटना	IV & III	1,141,382	24,745	261,418	594,291	171,978	21,134	8,242	286,163	766,269
मनेर	IV	46,368	1,271	12,460	22,970	5,735	1,025	400	13,731	28,706
दानापुर– खगौल	IV	71,859	1,521	16,337	38,291	9,977	1,316	513	17,859	48,268
पटना सदर	IV	365,710	4,396	62,296	224,785	58,924	4,753	1,854	66,692	283,709
सम्पतचक	IV	21,038	470	4,985	11,332	2,843	403	157	5,455	14,174
फुलवारीशरीफ	IV	53,026	1,189	12,706	29,438	7,557	1,025	400	13,895	36,995
बिहटा	IV	49,915	1,443	14,013	25,126	6,552	1,155	450	15,456	31,678
नौबतपुर	IV	42,265	1,250	12,054	21,072	5,347	995	388	13,304	26,419
बिक्रम	IV	33,464	1,040	9,882	16,481	4,357	819	319	10,921	20,838
दुल्हिन बाजार	III	24,954	—	864	7,931	7,947	54	21	864	15,879
पालीगंज	III	52,806	—	1,990	17,844	16,154	125	49	1,990	33,999
मसौढ़ी	IV	50,038	1,675	15,502	23,392	6,129	1,292	504	17,177	29,522
धनरूआ	IV	39,947	1,481	13,363	18,039	4,680	1,121	437	14,844	22,719
पुनपुन	IV	31,237	1,011	9,493	15,121	3,883	789	308	10,504	19,004
फतुहा	IV	37,244	1,121	10,745	18,419	4,785	888	346	11,866	23,204
दनियावां	IV	14,983	610	5,363	6,385	1,735	453	177	5,973	8,120
खुसरूपुर	IV	20,402	873	7,541	8,162	2,368	640	249	8,413	10,529
बख्तियारपुर	IV	39,478	1,079	10,441	18,489	4,714	861	336	11,520	23,204
अथमलगोला	IV	16,043	539	4,932	7,086	1,921	412	161	5,471	9,007
बेलछी	IV	12,988	428	4,043	6,583	1,624	335	131	4,470	8,206
बाढ़	IV	37,854	1,009	10,042	19,403	5,003	823	321	11,051	24,406
पंडारक	IV	27,403	934	8,632	12,927	3,384	720	281	9,566	16,311
घोसवरी	IV	13,889	592	5,107	5,471	1,572	433	169	5,699	7,044
मोकामा	IV	38,471	815	8,628	19,541	4,786	697	272	9,443	24,327

नोट : प्रतिकूल समय – रात का समय / अनुकूल समय – दिन का समय

भूकंप में घरों के क्षति का विभिन्न ग्रेड:

NG5—पूर्ण क्षति। मकानों का धराशायी होना

NG4—विनाश, दीवारों में तीव्र दरार, भवनों के कुछ हिस्सा धराशायी होना, भवन के भीतरी दीवारों का गिरना।

NG3—भारी क्षति, दीवारों में लम्बी तथा प्लास्टर में गहरी दरारें पड़ना, चिमनी का धराशायी होना

NG2—साधारण क्षति, दीवारों तथा प्लास्टर में छोटी हल्की दरारें, प्लास्टर का झड़ना, टाईल्स का फिसलना, चिमनी का क्षतिग्रस्त होना।

नोट : NG=Number of Houses under Damage Grade

(विस्तृत रिपोर्ट बि.रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा प्रकाशित 1934 के भूकंप तीव्रता के समतुल्य भूकंप की पुनरावृति से बिहार के विभिन्न जिलों में संभावित काल्पनिक क्षति के परिदृश्य अगस्त–2013 को वेबसाइट www.bsdma.org के लिंक पर एवं रिपोर्ट संलग्न में देखा जा सकता है।)

= = = = = =

3.2.2 बाढ़ :

संवेदनशीलता : बाढ़ आपदा जोखिम के लिए पटना जिला का एक विशाल हिस्सा संवेदनशील है। इस खतरे के प्रकोप से, जिले में जो नदियाँ हैं, उनसे स्थानीय प्रखण्ड बाढ़ से प्रभावित होते रहे हैं जैसे, गंगा नदी से मनेर, दानापुर, पटना सदर, पटना सिटी, फतुहाँ, बख्तियारपुर, बाढ़ एवं मोकामा का गंभीर रूप से तथा अथमलगोला प्रखण्ड आंशिक तौर पर बाढ़ से प्रभावित होती है। मनेर तथा दानापुर गंगा नदी के साथ–साथ सोन नदी से भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है

पटना जिला में पिछले 30 सालों के दौरान बाढ़ की प्रवणता (पूर्णतः या आंशिक) का अध्ययन करने से पता चलता है कि दानापुर, बख्तियारपुर, फतुहाँ, पटना सदर, पुनपुन एवं मनेर प्रखण्ड ऐसे हैं जहाँ औसतन 2–3 वर्षों में एक बार बाढ़ आता है। अन्य प्रखण्डों जैसे बाढ़, मोकामा, धनरूआ, पंडारक, नौबतपुर और मसौढ़ी के यहाँ के लोगों को पूर्णतः या आंशिक रूप से ज्यादा अन्तराल पर बाढ़ का सामना करना पड़ता है। पटना जिले के दक्षिणी–पूर्वी भाग में लोआई, मोरहर, पुनपुन, लोकायन, मोहाने, धोवा और दरधा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं जो जिले के पुनपुन नौबतपुर, मसौढ़ी, पालीगंज, बेलछी, सम्पतचक तथा घोसवरी में रहने वाले लोगों की संवेदनशीलता को प्रभावित करती रहती है। बाढ़ से होने वाली संवेदनशीलता का इस बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि वर्ष 2016 में आयी भीषण बाढ़ के कारण 1.19 लाख परिवार तथा 23 हजार पशुओं को राहत मुहैया करानी पड़ी।

■ **शहरी बाढ़ / जलजमाव :** पटना शहर दक्षिण में पुनपुन, पश्चिम में सोन एवं उत्तर में गंगा नदी से घिरा हुआ है। पटना शहर में हर वर्ष जून से सितम्बर के महीनों में अत्याधिक वर्षा एवं गंगा, पुनपुन तथा सोन नदी में बाढ़ आने के कारण जल–जलमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है 1975 ई० से पूर्व राजेन्द्रनगर के पश्चिम प्रायः सभी क्षेत्र खुला था एवं उसमें कृषि कार्य किया जाता था, परन्तु धीरे–धीरे इसमें पक्के मकान बन गए हैं। कई जगह पर प्राकृतिक नालों एवं जल निकासी के मार्गों को अवरुद्ध कर एवं अतिक्रमण कर या तो उस पर मकान बना दिए गए हैं अथवा उसे सड़क के रूप में बदल दिया गया है, जिसके कारण जल की निकासी नहीं हो पाती है और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

गंगा नदी का उच्चतम जल स्तर पटना शहर के जमीनी स्तर से ज्यादा ऊँचा रहता है एवं शहर की टोपोग्राफी कटोरा (Saucer) जैसा है एवं शहर के अनेक क्षेत्र जैसा कंकड़बाग, कदम कुआँ, राजेन्द्र नगर, बाजार समिति, सिपेंटरोड, मीठापुर, जक्कनपुर, गर्दनीबाग, पटना का बाईपास के किनारे वाला क्षेत्र इत्यादि (Low Land) पर बसे हुये हैं। जिनका जमीन स्तर गंगा नदी के उच्चतम जल स्तर से नीचे है कंकड़बाग, राजेन्द्र नगर इत्यादि के क्षेत्रों के सिवेज जल निकासी हेतु सालों भर पम्पों का संचालन किया जाता है। वर्षा ऋतु में पटना शहर में एकत्रित वर्षा जल की निकासी पम्पिंग द्वारा करने की आवश्यकता होती है

पटना जिला में अतिवृष्टि से शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाले इलाकों का चिह्निकरण तथा संवेदनशीलता को कम करने के उपायों को खंड–2 के अनुलग्नक–106 को दृष्टव्य किया गया है शहर के खतरे एवं जोखिम संवेदनशीलता को देखते हुए उसके निराकरण की कार्य योजना खंड–2 के अनुलग्नक–108 एवं 109 पर दृष्टव्य है।

= = = = = =

3.2.3 सूखा :

इस योजना बनाने के क्रम में यह पाया गया है कि सूखे की संवेदनशीलता अन्य आपदाओं से भिन्न है। मोटे तौर पर सूखे के प्रभाव का आकलन वर्षा के मौसम के शुरू होने से अंत होने के पहले तक हुई वर्षापात के आधार पर इन जिले के लोगों का कृषि के दृष्टिकोण से संवेदनशीलता का आकलन करते हुये तदनरूप कार्रवाई में शामिल होते हैं। अतः सूखे का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है यथा –

- जल की कमी की सीमा
- सूखे की तीव्रता तथा,
- क्षेत्र की जलवायु आदि

जल की कमी की सीमा का आशय जल की उपलब्धता से है। इस अनुपलब्धता के कारण मानवीय विविध कार्य प्रभावित होने लगते हैं।

सारणी – (3.24) सूखे के प्रति संवेदनशीलता :

व्यक्ति	पशु	जमीन	व्यवस्था	संरचनात्मक ढाँचे
• मानवबल का स्वास्थ्य	चारा की कमी	उर्वरता में कमी	अव्यवस्था	जल आपूर्ति व्यवस्था
• किसान का जीवनयापन	जल की कमी	फसल की हानि	सामाजिक	
• समुदाय, जो सभी प्रकार की जल आवश्यकता के पूर्ति के लिए नहर, अंडर–पाईप, अन्य स्रोतों एवं वाष्पताप पर निर्भर है।	पशु रोग	भू–जलस्तर में कमी	मजदूरों का पलायन	

जिले में सूखाड़ की स्थिति : पटना जिला में मुख्यतया खेती वर्षा जल, निजी नलकूप एवं नहरों से प्राप्त जल से होती है। परन्तु विगत कुछ वर्षों से समय पर वर्षाभाव की वजह से खेती पर असर पड़ा है। जिले में धान, गेहूँ के अलावा सब्जी का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। सूखे का कारण मुख्यतया या तो समय पर वर्षा का कम या नहीं होना या फिर समय के बाद होना है। पटना जिले का पालीगंज, विक्रम, नौबतपुर, फुलवारीशरीफ के कुछ भू–भाग दुल्हपुरी, सोन कनाल के अंतिम छोर पर होने के कारण सिंचाई से वंचित रह जाते हैं एवं सूखा से प्रभावित हो जाते हैं।

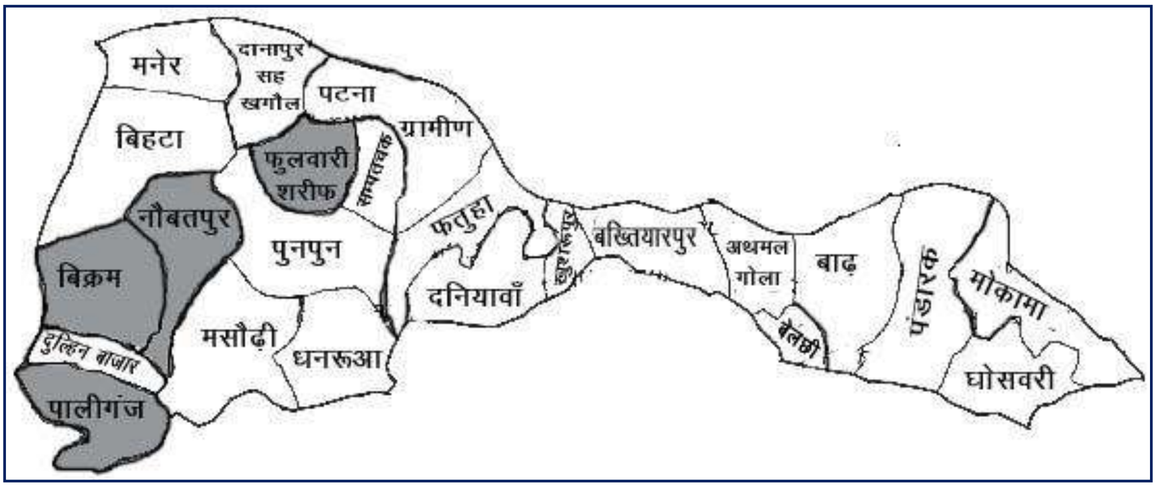

मिट्टी की संरचना : अधिकांश जगहों पर गंगा तथा सोन नदी द्वारा विगत सहस्त्राब्दियों में अपने जलग्रहण की क्षरित मिट्टी को लाकर जमा किया गया है। इस पर आदि काल से कृषि कार्य हो रहे हैं। उपरी तौर पर अधिकांश जगहों पर दोमट/बलुआही/कंकाल मिट्टी की बहुलता है। यहाँ की मिट्टी अम्ल तौर पर क्षारीय है तथा पीएच का मान 6.3 से 5.2 के बीच है। जिले के कुल भूभाग का लगभग 49.44% जोतभूमि है जहाँ कृषि की सम्भावनाएँ बनती हैं।

= = = = = =

3.2.4 आग :

लकड़ी/कोयला वाला चूल्हा, स्टोव, गैस, किरासन तेल आधारित स्टोव एवं लैम्प, माचिस, धुआं तथा असुरक्षित विद्युत उपकरण इत्यादि से आग लगने का जोखिम बना रहता है। सरकारी योजना के अंतर्गत अनेक गरीब तबकों में वितरित गैस का चूल्हा भी अग्निदहन का जोखिम रखते हुए है। विद्युत के तार से निकली चिन्गारी भी बड़े–बड़े आग का कारण बनता है। जिले के उपनगरीय इलाकों में भी झोपड़ियों में आग लगने की घटना को खतरे के रूप में चिह्नित किया गया है। वहीं सरकारी भवन, मॉल, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सिनेमा घर तथा कार्यालयों में विद्युत के भारी शॉर्ट सर्किट से या पुराने जीर्ण–शीर्ण तारों के कारण आग लगने की घटना होती रहती है। चूंकि अग्निकांड कहीं भी जगह हो सकता है इसलिए, इसको कम करने तथा निपटने हेतु हमें सदैव तैयार रहने की आवश्यकता है।

सारणी – (3.25) आग से प्रभावित ग्रामों, परिवार एवं मुहल्ला (2016) :

अनुमंडल का नाम	क्र0	अंचल का नाम	प्रभावित ग्रामों की सं॰	प्रभावित परिवार की सं॰	प्रभावित मुहल्ला/ग्राम का नाम
मसौढ़ी	01	मसौढ़ी	03	50	नदहट, सिकन्दरपुर, भगवानगंज
	02	धनरूआ	13	30	देवकुली, अरॉवा, महमदपुर, मजफ्फरपुर, कोरावाँ, पभेड़ा, निमश, पतिलागंज, पतिलागंजटोलिया, रूढ़, पभेड़ो काबिलगंज, सैरिया
	03	पुनपुन	05	13	सिहई, कुरवानी, मनोरथ, नन्दिलापुर, अकौना
पटना सदर	04	पटना सदर	06	156	गर्दनीबाग, फतेहपुर, दीघा, बहादुरपुर, जुनाडीह, चमारटोली, सोनगो
	05	फुलवारीशरीफ	02	06	बेलदारीचक, महमदपुरकुरथी
	06	सम्पतचक	03	03	फतहपुर, बग्गलपर, सिरपतपुर
दानापुर	07	दानापुर	01	779	गगहारा
	08	मनेर	13	65	पतौला, सुअरमरवा, छितनावाँ, लोदीपुर, महीनावाँ, गादलटोला, हुलासीटोला, सराय, दाउदपुर, हल्दीछपरा, शेरपुर, किशनदेवचक, रामबाग
	09	बिहटा	06	35	पैनाल, लक्ष्मणपुर, बिशनपुरा, अम्हारा, पैनाठी, नारायणपुर
	10	नौबतपुर	01	03	संनिगा
पालीगंज	11	पालीगंज	10	26	बालीपाकड़, फतेहपुर, अकबरपुर, मुडीका, रानीपुर, कुरकुरी, मन्झौली, खुशहीलरा, जरखा, भरतपुर, पतलपुर, अजवा
	12	दुल्हिनबाजार	02	03	सरैया, पन्दुली
	13	बिक्रम	02	03	अमीराबाद, गगनचक
बाढ़	14	बाढ़	04	20	शहरी, नलिककुआं, गुलनपुर, दुल्हमबाग
	15	बख्तियारपुर	04	88	चिरैया, इस्दारापुर दियारा, चम्पापुर, कालादियारा
	16	अथमलगोला	03	14	राबनीमा, रामनगर, दियार, मलाव
	17	पंडारक	02	04	पुरन्बिग्हा, ममरखाबाद
	18	घोसवरी	01	01	नारायणपुर
	19	मोकामा	08	25	रामनगरटोला, चन्दपुरजुमरा, कन्हाईपुर, नेकटा, औंटा, जलालीस, बरहपुर, मराठदियारा
	20	बेलछी	–	–	–

पटना सिटी	21	फतुहा	03	50	अलावलपुर, मसाढ़ी, कोल्हर
	22	दनियावाँ	06	15	सिगरियावाँ, सोरमपुर, काजीबिगहा, रूस्तमपुर, बाजिदपुर, जीवनचक
	23	खुसरूपुर	04	50	भुराकी, कर्जाना, मौरा, खुसरूपुर, परागानदाला
	कुल		102	1438	

स्रोत: जिला आपदा प्रबंधन सेल, पटना

उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि पालीगंज, मनेर तथा धनरूआ प्रखंड में व्यापक अग्नि संबंधित घटनाएँ हुई। ऐसा संभवतः इस लिए हुआ कि इन प्रखंडों में झोपड़ीनुमा आवासों की संख्या अधिक है। शहरी परिवेश में भी झोपड़ीनुमा आवास में अग्नि की घटनाएँ पाई गई। पटना महानगर में जो आग की घटनाएँ हुई वे सभी की सभी झुग्गी–झोपड़ियों में हुई।

= = = = = =

3.2.5 रेल दुर्घटना :

भारतीय रेल ने कई जगहों पर लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से रेलपार (गुमटी) की व्यवस्था कर रखी है या फिर उपरी पुल बनाने के बाद रेलपार को पूर्णतया बंद करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद राज्य के अन्दर कई रेल सामपार है इनकी देखरेख की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे मानव रहित रेलपार पर दुर्घटना यदा–कदा प्रतिवेदित होती है। पटना जिले में मोगलसराय हावड़ा रेल पथ का वह हिस्सा जो बिहटा प्रखंड से लेकर मोकामा प्रखंड तक के रेल खंड तथा पटना गया रेल खंड पर पटना से पुनपुन प्रखंड तक के तथ्य संकलन के क्रम में पाया गया कि दोनों ही रेल खंडों में अनाधिकृत रेल पार का निर्माण किया गया था जो हमेशा ही रेल दुर्घटना की जोखिम उत्पन्न करने वाले हैं।

इसके अतिरिक्त पटना जिले में रेल से संबंधित संवेदनशील जगहों को निचे की सारणी में दिया गया है।

सारणी –(3.26) जिले में रेल दुर्घटना से संबंधित तथ्य :

अनुमंडल	प्रखंड	पंचायत / स्थान	खतरा	जोखिम	संवेदनशीलता
मसौढ़ी	पुनपुन	नदौल	अनाधिकृत रूप से रेल ट्रैक पार करना (पटना से पुनपुन के बीच)	रेल दुर्घटना	मध्यम
पटना सदर	पटना सदर	राजेन्द्र नगर टर्मिनल	स्टेशन से सटे पश्चिम	रेल दुर्घटना	मानव
		राजेन्द्र नगर रेल रोड	यार्ड से सटे पूरब	रेल दुर्घटना	मध्यम
पटना सिटी	पटना सिटी	पटना सिटी तथा गुलजारबाग	स्टेशन के परिसर	रेल दुर्घटना	मध्यम

स्रोत: भ्रमण से प्राप्त आंकड़े

= = = = = =

3.2.6 सड़क दुर्घटना :

जानमाल के क्षति का आकलन होने के बाद यह भी जानने की आवश्यकता है कि इसका आर्थिक एवं सामाजिक कीमत क्या है। इसके लिए दुर्घटना के उपरांत चिकित्सीय खर्च, प्रशासनिक, कानूनी एवं पुलिस खर्च, सम्पत्ति तथा गाड़ी की क्षति तथा अपंगता की स्थिति में प्रभावित परिवारों की आय में कमी, कार्य से लम्बी अवधि तक अनुपस्थिति तथा असमय होने वाली मृत्यु को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दुर्घटना उपरांत जीवन स्तर में सामाजिक गिरावट का भी आकलन करना होगा।

सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण से यह पता चलता है कि इसके निम्नलिखित कारण है :– ड्राइवरों द्वारा सुरक्षा नियमों की अवहेलना। सड़कों की खराब स्थिति। वाहन से अधिक भार ढोना (माल तथा पैसेंजर) वाहन चलाते समय जल्दबाजी और ओवरटेकिंग करना। लापरवाही ढंग से गाड़ियों का चलाना। जहाँ–तहाँ गैर कानूनी ब्रेकर का निर्माण। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग नहीं करना नाबालिग या युवाओं के द्वारा अनैतिक ढंग से मोटरसाईकिल का परिचालन। सड़क चौड़ीकरण के बाद सड़क के दोनों किनारों पर 'पटरी' का नीचा होना या गड्ढा होना। अप्रशिक्षित लोगों द्वारा ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर चलाना। सड़कों के किनारों पर दिशा निर्देश, साइनेज पट्टी तथा रेडियम स्टीकर का नहीं होना सड़कों पर अचानक मनुष्य या जानवर का पार करना। सोन दियारा से ट्रक वाहनों द्वारा बालू की ढुलाई के क्रम में सड़कों पर बालू का गिराया होने के कारण दो पहिया गाड़ियों का फिसलना। खराब रोशनी/अंधेरा होना टी (T), वाई (Y) तथा चार राहों (+) वाली सड़कें।

विश्लेषण :– दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, ने अपने पत्रांक 340 दिनांक 16.05.2017 के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम समेत पथ निर्माण विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं का ध्यान बिहार के सड़कों पर दुर्घटना जन्य 'ब्लैक स्पॉट' की ओर ध्यान दिलाया है। इस पत्र में निम्नलिखित जगहों पर सघन ट्रैफिक, तेज गति से वाहनों को चलाना अथवा सघन बसावट को दुर्घटना का मूल कारण मानते हुए 'ब्लैक स्पॉट' चिह्नित किया है :

सारणी – (3.27) पटना जिला के मुख्य ब्लैक स्पॉट की सूची :

क्र.सं.	एन.एच. संख्या	ब्लैक स्पॉट	थाना क्षेत्र
1	एन.एच.–19	धनुकी मोड़	अगमकुआँ
2	एन.एच.– 19	बिस्कोमान गोलम्बर	आलमगंज
3	एन.एच.– 19	गाँधी सेतु	आलमगंज
4	एन.एच.–30	पंचरूपा	बाईपास
5	एन.एच.– 30	अनीशाबाद गोलम्बर	गर्दनीबाग
मुख्य जिला सड़क (एम.डी.आर.)			
6	कदमकुआँ	तिवारी चेम्बर	कदमकुआँ
7	करबिगहिया	बस स्टैंड	जक्कनपुर
8	गाँधी मैदान	गाँधी मैदान	गाँधी मैदान
9	गाँधी मैदान	जे.पी. गोलम्बर	कोतवाली
10	बेली रोड	उच्च न्यायालय	कोतवाली
11	गर्दनीबाग	गर्दनीबाग	गर्दनीबाग
12	आर ब्लॉक	गुमटी नं.1	सचिवालय

स्रोत: केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार

इसके अतिरिक्त पटना अवस्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना ने राजधानी में फुलवारीशरीफ से दीदारगंज तक लगभग 20 किलोमीटर सड़क का अध्ययन किया था, जिसमें सड़क बनावट के हिसाब से कुल 35 जगहों को चिह्नित किया गया है, जिसमें 12 जगह 'ब्लैक स्पॉट' के रूप में पाया गया है। इन जगहों पर हो रही दुर्घटनाओं का मुख्य कारण लोगों का ट्रैफिक नियम की अवहेलना करना, सड़कों के पास बसावट होना, एक तरफ से दूसरे तरफ जाने हेतु 'अण्डर पास' का अभाव और कई स्कूलों के होने के रूप में चिह्नित किया गया है, छोटी–मोटी घटना प्रतिवेदित नहीं होने के कारण सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं का सही आकलन नहीं हो पाता है।

इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़े अनुमण्डल स्तरीय सभा जिसमें अनुमण्डलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पंचायत सेवक के साथ–साथ विभिन्न स्तरों के पंचायत प्रतिनिधि शामिल थे, प्रखण्डों से जो कुछ पंचायतों से एकत्रित कर आंकड़े उपलब्ध कराए गए तथा 5 प्रतिशत पंचायत सम्पर्क कार्यक्रम के दौरान जो जिले में सड़क दुर्घटना से संबंधित तथ्य आए वे भी जिले को सड़क दुर्घटना के संबंध में संवेदनशील बनाते हैं।

सारणी – (3.28) अनुमंडलस्तरीय बैठक में सड़क दुर्घटना के संबंध में प्राप्त जानकारियाँ :

अनुमंडल	प्रखंड	पंचायत	सड़क हादसा	अनुमंडल	प्रखंड	पंचायत	सड़क हादसा
पालीगंज	पालीगंज	धरहरा	✓	पटना सदर	पटना सदर	पटना सदर	✓
		रानीपुर	✓		फुलवारीशरीफ	परसा बाजार	✓
	दुल्हिन बाजार	ऐनखाँ	✓			शिवाला	✓
		अकुआ उलार	✓			बेऊर / बीडीओ	✓
		भरतपुरा	✓		संपतचक	बी.डी.ओ.	✓
दानापुर	दानापुर	गंगहारा	✓	मसौढ़ी	पुनपुन	पुनपुन बीडीओ	✓
	मनेर	सराय	✓	पटना सिटी	फतुहा	नियामतपुर	✓
		दरवेशपुर दक्षिणी	✓			नसाड़ी	✓
		शेरपुर पूर्वी	✓			नरसी	✓
	बिहटा	अमहारा	✓			फतेहपुर	✓
		बिष्णुपुर	✓			फतुहा पश्चिम	✓
		जरैया	✓		दनियावाँ	शाहजहाँपुर	✓
		दिलावरपुर इंदलपुर	✓			सलारपुर	✓
		राघोपुर	✓			दनियावाँ	✓
		आनन्दपुर	✓	बाढ़	मोकामा	मकरा	✓
		पटुत	✓			रेंदी	✓
		पैनाठी	✓			टेकुआ	✓
		सदीसोपुर	✓				

5% पंचायतों से सम्पर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पर्क में लाए गए 17 पंचायतों में से 8 पंचायतों ने सड़क दुर्घटना को स्वीकार किया है। इनमें प्रायः वही गाँव थे जो एन.एच., एस.एच. अथवा 4 लेन पर अवस्थित थे, अथवा सड़कों पर जहाँ गाड़ी अत्यधिक चलती है।

अनुमण्डल स्तरीय बैठकों में भी पालीगंज प्रखण्ड से मोकामा प्रखण्ड तक के पंचायतों से अत्यधिक सड़क दुर्घटना के रूप में एन.एच., एस.एच. अथवा 4 लेन को चिह्नित किया गया है। इस प्रकार इस जिला में सड़क दुर्घटना एक प्रमुख आपदा के रूप में चिह्नित है।

= = = = = =

3.2.7 डूबने की घटना :

पालीगंज, दुल्हिनबाजार एवं विक्रम प्रखंड से होकर इन्द्रपुरी सोन बराज की बड़ी नहर गुजरती है। जिसमें नहाने के दरम्यान डूबने की संभावना बनी रहती है। गंगा नदी में नाव द्वारा नहाने की ढुलाई की जाती है इसके साथ ही एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी नाव का प्रयोग कुछ गाँव के लोग सालों भर किया करते हैं। इनमें से प्रमुख जल परिवहन मार्ग निम्नांकित हैं जहाँ छोटी–बड़ी नाव के सहारे लोग तो बड़ेला वाहन, जानवर, चारा, सब्जी, दुध आदि एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। निम्न इलाके के लोग जो नाव का उपयोग करते हैं वे संवेदनशीलता की दृष्टि से प्रभावित हो सकते हैं।

- नकटा दियरा से दानापुर।
- कच्ची दरगाह।
- बख्तियारपुर से दानापुर।
- अटा घाट।
- रानी घाट।
- बख्तियारपुर, अथमलगोला, बाढ़ एवं मोकामा के कई जगहों पर ।

इधर कुछ वर्षों से देखा गया है कि जे.सी.बी. द्वारा काफी मात्रा में मिट्टी कटाई के कारण गहरा गड्ढा बन जाता है जिसमें डूबने की संभावना प्रबल है। मनुष्य के अलावा इन गड्ढा में जानवर के डूबने की संभावना होती है। अतः इस तरह की घटना भी संवेदनशीलता को दर्शाती है। डूबने की घटना को देखते हुए पटना जिले में 19 प्रखंडों को चिह्नित किया गया है

2013 से 2017 के बीच पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 134 लोगों के डूबने की सूचना प्रतिवेदित है जिसका विवरण निम्नांकित है–

सारणी– (3.29) डूबान आकड़ा :

प्रखंड	2013	2015	2016	2017	प्रखंड	2013	2015	2016	2017
पटना सदर	5	3	8	8	धनरूआ	–	–	12	–
फुलवारीशरीफ	4	–	–	–	फतुहा	–	–	13	–
सम्पतचक	–	–	2	–	दनियावाँ	–	–	1	–
दानापुर	–	–	4	–	खुशरूपुर	–	–	2	–
मनेर	–	5	5	1	बख्तियारपुर	–	1	8	–
बिहटा	–	–	1	–	अथमलगोला	–	–	3	–
नौबतपुर	–	–	1	–	बेलछी	–	–	5	–
विक्रमगंज	–	–	2	–	बाढ़	–	–	4	–
पालीगंज	–	–	4	–	पंडारक	–	–	5	–
दुल्हिन बाजार	–	–	4	–	मोकामा	–	–	2	2
मसौढ़ी	–	–	11	–	घोसवरी	–	–	8	–
पुनपुन	–	–	1	–	कुल	9	8	106	11

स्रोतः आपदा प्रबंधन शाखा, पटना

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2016 में सबसे अधिक घटनाएं की सूचना पटना सदर, मसौढ़ी, धनरूआ, फतुहा, बख्तियारपुर तथा घोसवरी प्रखंडों से प्रतिवेदित हुई है। कुल 106 घटनाओं में से 78 व्यक्तियों की मृत्यु बाढ़ के कारण डूबने से हुई है।

= = = = = =

3.2.8 भीड़ (मेला) प्रबंधन / भगदड़ :

पटना में गुरु गोविन्द सिंह के 350वीं जयंती के अवसर पर आयोजित विश्वस्तरीय प्रकाश उत्सव के दौरान सरकार द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए बनाई गयी योजना एवं इसका क्रियान्वयन एक मील का पत्थर है । राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भीड़ प्रबंधन की इस अनूठी योजना की काफी सराहना की गई है जो प्रत्येक जिला के लिए अनुकरणीय हो सकती है।

सुल्तानगंज, खाजेकला, राजीवनगर, आलमगंज, पीरबहोर एवं फुलवारीशरीफ इलाकों में पर्व त्योहारों के समय अत्यधिक भीड़ के कारण कड़ी निगरानी की आवश्यकता रहती है जहाँ सावधानीमूलक तथा प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। कई त्योहारों में जैसे छठ, कार्तिक पुर्णिमा आदि अवसरों पर दानापुर से फतुहा के बीच गंगा नदी के तट पर धार्मिक अनुष्ठान हेतु काफी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। इनमें से कई लोग नदी के बीच स्थित दियारा में नाव से जाकर अपना अनुष्ठान पूरा करते हैं इस भीड़ के कारण कई बार दुर्घटनाएँ हुई हैं। अतः उपरोक्त अवसर पर विभिन्न जगहों पर विभिन्न समुदाय भगदड़ के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।

- **भगदड़ की स्थिति में संवेदनशीलता :** वृद्ध, बच्चे, महिला, कमजोर, बीमार, भूखे, सामान (भार उठाए) लिये लोग, बच्चों को गोद में लिए लोग एवं सामान बेचने वाले विक्रेता आदि ।
- **भगदड़ की स्थिति में जोखिम :** जान जाने का, अपंग होने का, परिजन के बिछुड़ने या मृत्यु होने पर, सदमा में जाने का, अपनी यादाश्त खो (विस्मरण) जाने का।
- **भगदड़ में संवेदनशील व्यक्तियों को निम्नलिखित परेशानियाँ हो सकती हैं :** अपंगता, मृत्यु, दम घुटना, हड्डी टूटना, दिल का दौरा पड़ना, कुचल जाना, शरीर पर चोट लगना आदि।

दुर्गापूजा एवं छठ के अवसरों पर प्रशासन द्वारा की जाने वाली विशेष व्यवस्था को खंड– 2 के अनुलग्नक–25 एवं 26 पर देखा जा सकता है

= = = = = =

3.2.9 जलवायु परिवर्तन

संवेदनशीलता : अधिकतम तापमान तथा न्यूनतम तापक्रम में परिवर्तन की प्रवृति, न्यून मानव विकास सूचकांक, छोटी जोत, पूंजी की कमी परम्परागत तथा अल्प सक्षम (less efficient) कृषि यंत्र, बीमा सुरक्षा में कमी, अत्यल्प समर्थन मूल्य इत्यादि कारकों से अनावृत कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। कई कारकों के प्रभाव को सम्मिलित करते हुये बिहार के विभिन्न जिलों का संवेदनशीलता सूचकांक की गणना कृषि विभाग, बिहार द्वारा करायी गयी है। जिलावार सामान्यीकृत संवेदनशीलता सूचकांक तालिका में पटना, वैशाली, सारण, सिवान, बेगुसराय, बक्सर, भोजपुर, गया आदि जिलों का संवेदनशीलता सूचकांक 0.26 से 0.50 अनुमानित किया गया है।

सारणी–(3.30) जिलावार सामान्यीकृत संवेदनशीलता सूचकांक :

क्र० सं.	संवेदनशीलता सूचकांक	जिला का नाम
1	0.26 से 0.50	पटना, वैशाली, सारण, सिवान, बेगुसराय, बक्सर, भोजपुर, गया आदि

(स्रोत : [illegible] कृषि विभाग, बिहार सरकार)

विभिन्न जोखिम :

- फसलों के लिए असंतुलन उत्पन्न करने वाली समस्या
- तापमान, वर्षा, हवा, नमी एवं अन्य जलवायु संबंधी घटकों में दीर्घकालिक बदलाव ।
- इन बदलावों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की समस्या।
- परिवर्तन के द्वारा व्यापार एवं कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव।

खतरे का दुष्प्रभाव :

- अत्यधिक गर्मी।
- वर्षा का अनियमित स्वरूप ।
- भूजल स्तर में गिरावट।
- सूखा समस्या।
- कृषि और खाद्य समस्या।
- ऊर्जा समस्या।
- जल समस्या।
- स्वास्थ्य समस्या
- पलायन, विस्थापन और अन्तः संघर्ष

= = = = = =

3.2.10 गर्मी / लू :

यह विदित है कि गर्मी से लू लगने, निर्जलीकरण होने, शरीर के अंगों में ऐंठन, बेहोश होने आदि से स्वास्थ्य संबंधी ध्यान देने की जरूरत होती है. इस बढ़े तापमान के कारण सबसे ज्यादा स्कूल तथा कॉलेज जानेवाले बच्चे तथा युवा वर्ग भी प्रभावित होते हैं। उसी तरह मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार कार्य तथा नगरों में दैनिक भोगी मजदूर को सीधे तेज धूप में ही काम करना पड़ता है। भीषण गर्मी से अन्य आर्थिक गतिविधियाँ भी प्रभावित होती हैं। एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट आदि से जा रहे यात्री को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में कृषि कार्य भी बाधित हो जाता है

भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान, गांधीनगर ने एक संयुक्त अध्ययन में देश के सभी जिलों का भीषण गर्मी तथा उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का मानचित्र (HVI–Hazard Vulnerability Index) तैयार किया है। इस मानचित्र को तैयार करने में उन जिलों की जनसंख्या, सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण एवं पर्यावरणीय मुद्दे का ध्यान में रखा गया है।

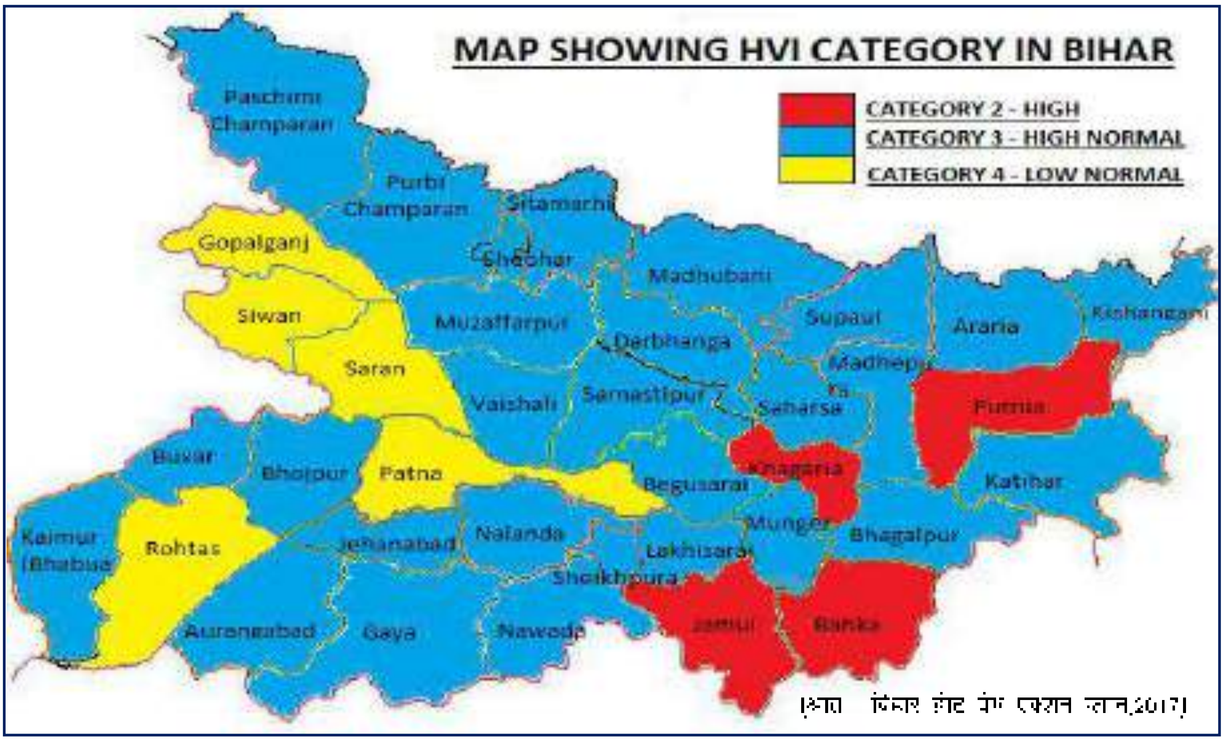

(स्रोत : बिहार हीट वेव एक्शन प्लान,2017)

- इस नक्शे के अनुसार यह जिला श्रेणी–4 में आता है, जो सामान्य से कम माना जायेगा।

संवेदनशीलता : लू की स्थिति से निम्नलिखित व्यक्ति या समूह इसके प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
- संवेदनशील आयु समूह (वृद्ध, बच्चे, कमजोर स्वास्थ्य वाले, लम्बी अवधि के बीमार)।
- भिखारी / बेघरबार।
- संवेदनशील महिलाएँ – गर्भवती एवं छोटे बच्चों वाली।
- फसलें।
- पोल्ट्री फार्म / डेयरी फार्म / पशुधन।

जिले की बढ़ती जनसंख्या (58.384 लाख), जनसंख्या घनत्व (1823) तथा ढांचा निर्माण कार्य ने हमें बढ़ते तापमान समेत अन्य आपदाओं से जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। इन परिस्थितियों में जिला स्तर पर भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु समय–समय पर निर्देशिका तथा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अपनाये जाने की जरूरत है। देखें खंड–2 अनुलग्नक–7।

= = = = = =

3.2.11 शीतलहर :

जिले में शीतलहर का प्रकोप अधिकतर दिसम्बर तथा जनवरी महीनों में महसूस किया जाता है। कच्चे मकान, झोपड़ी और खुले में रहने वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन अवसरों पर जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रखण्डों में अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है

शीतलहर में सबसे ज्यादा गरीब, निःसहाय एवं आवासहीन व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग, वृद्ध अथवा कमजोर स्वास्थ्य वाले, कृषि उत्पादन एवं पशुधन, चिरस्थायी रूप से बीमार, कुछ नशापान करने वाले व्यक्ति ज्यादा संवेदनशील होते हैं।

शीतलहर से संबंधित बिमारियाँ :

- फ्रॉस्टबाईट – मनुष्य के अंगों का सुन्न होना, अस्थायी तौर पर चमड़ी का रंग नीला–सफेद कर देना।
- फ्रॉस्टनाइप– गुप्त उपघात (ठण्डी धातु के छूने से)।
- चिलब्लेन।
- हाइपोथर्मिया – शरीर का तापमान जरूरत से ज्यादा कम हो जाना। यह एक आपात स्थिति है
- हृदयाघात/मस्तिष्काघात।
- विन्टर डायरिया ।

शीतलहर का प्रभाव मानव के अलावा मौसम/माह में होने वाले फसलों तथा आलू, रब्बी की फसल, फल, फूल पर भी खूब पड़ता है तथा नुकसान भी बड़े पैमाने पर होता है। शीतलहर से मवेशी पर भी मानव के समान ही प्रभाव पड़ता है। संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के अनुदेश का पालन करते। देखें खंड–2 अनुलग्नक–19 ।

= = = = = =

3.2.12 ठनका/वज्रपात :

वज्रपात एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो मानव तथा पशुधन पर तुरन्त आघात करती है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। जिले में इस तरह की घटना अधिकतर जून से सितम्बर महीनों में होती है। वज्रपात की घटना अचानक होती है तथा अधिकांशतः गरीब, मजदूर, खेतों में काम करने वाले तथा झोपड़ी में रहने वाले इसके चपेट में आते हैं। इस हादसा के प्रति प्रायः खुले मैदानों में रहने वाले निवासी, निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति वाले समुदाय एवं सीधे आवेग के सम्पर्क में रहने वाले लोग भी ज्यादा संवेदनशील होते हैं।

इसके प्रभावकता के चलते अधिकतर जन हानि, पशु हानि एवं धन हानि होता है।

= = = = = =

3.2.13 चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि :

चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि आदि वर्ष के शुरूआती महीनों में ज्यादातर घटित होती है। ऐसी हालत में सबसे ज्यादा क्षति एवं रबी का प्रभाव फसल क्षति (खाद्यान्न, सब्जी एवं आलू), आवास क्षति (फूस/खपरा निर्मित), मानव मृत्यु/पशु मृत्यु/घायल, यातायात एवं संचार सेवा में बाधा, इलेक्ट्रॉनिक ढाँचों को नुकसान एवं फसलों में रोग उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है चक्रवाती तूफान (तेज गति हवा) से सम्पूर्ण जिला प्रभावित होता है जहाँ 47 मील/घंटा की दर से आने की आशंका बनी रहती है। जिले के 5 प्रतिशत प्रखण्डों में भ्रमण के दौरान मनेर, बिहटा, बख्तियारपुर, दनियावां, अथमलगोला, फतुहा, दनियावाँ आदि प्रखण्डों के पंचायत उक्त जोखिम प्रति ज्यादा संवेदनशील पाए गये।

= = = = = =

3.2.14 संदूषित जल :

आर्सेनिक से सबसे प्रभावित प्रखंडों में मनेर, नौबतपुर, पालीगंज, बख्तियारपुर तथा सम्पतचक प्रमुख है। आर्सेनिक युक्त जलस्रोतों का वर्गीकरण करने पर यह निष्कर्ष निकला कि छः प्रखंड ऐसे हैं जहाँ 50 तक की संख्या में जलस्रोतों में आर्सेनिक पाया गया है, जबकि 4 प्रखंड में 51–100 जलस्रोतों में तथा पाँच प्रखंडों में गम्भीरता 100 से 400 पेयजल स्रोत में आर्सेनिक की मात्रा पाई गयी। पटना प्रखंड के चार पंचायतों नकटा दियारा, पूर्वी एवं पश्चिमी दीघा तथा एतर्रई मैनपुर में आर्सेनिक पाया गया। दानापुर, मनेर, बिक्रम तथा पटना (कुछ हिस्से) के प्रखंडों में दस मानक से पाँच गुणे ज्यादा आर्सेनिक युक्त पानी उपलब्ध है।

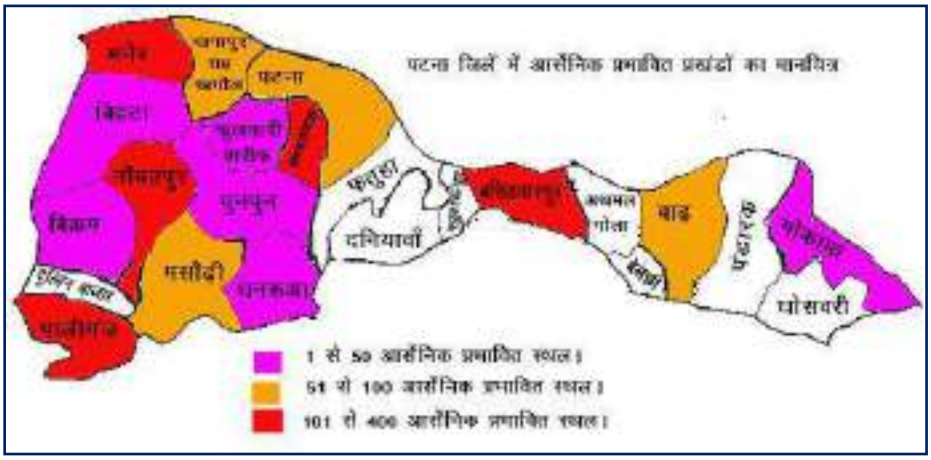

आर्सेनिक युक्त पीने का पानी को उच्च प्राथमिकता स्तर पर हल किये जाने की आवश्यकता है क्यों कि एक जलश्रोत से कई परिवार पानी का उपयोग करते हैं। साथ ही कई प्रदूषित जलश्रोत ऐसे हैं जो आंगनबाड़ी, मिडिल तथा कन्या विद्यालय में अवस्थित हैं जहाँ बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। पटना जिला में बिहटा, नौबतपुर, मनेर, फुलवारीशरीफ, सम्पतचक तथा बिक्रम के लगभग 37 अंशों में लौह की अधिक मात्रा पाई गई है जिसे हैण्डपम्प में लौह फिल्टर लगाकर शुद्ध किया जा सकता है

जिले के जिन भागों में भूगर्भ जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा अन्य विषैले रसायन की उपस्थिति स्तर के स्तर से ऊपर है वहाँ व्यापक सर्वेक्षण कर सभी विषैले अंशों का चिन्हित कर इसे मानव तथा पशुओं के लिए शोधित कर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

पटना शहर के पुराने मुहल्ले में यदा–कदा दूषित जल की आपूर्ति की शिकायतें आती रहती है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार ने ग्रामीण पेयजल जलापूर्ति योजना की शुरुआत की है। अब यह उम्मीद जगी है कि समुदाय को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा

= = = = = =

3.3 क्षमता विश्लेषण (Capacity Analysis) :

किसी भी समुदाय के लिए क्षमता वह स्थिति होती है जिसके बलबूते पर किसी भी आपदा के दौरान संभावित नुकसान को टालने का प्रयास करता है। पुनः क्षमता को रूपों में संरचनात्मक तथा असंरचनात्मक ढाँचे का विश्लेषण किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हमें कुछ क्षमताओं का तो ज्ञान होता है तथा कुछ का नहीं भी। पुनः यदि हमें हमारी क्षमताओं का ज्ञान है तो हो सकता है कि हमें इनके प्रयोग में लाने की युक्ति का ज्ञान नहीं हो। किसी एक क्षमता का प्रयोग कई प्रकार से भिन्न आपदाओं में कैसे हो, इसकी जानकारी हो तो, हम आपदाओं के नुकसान को काफी कम कर पाएंगे।

सारणी – (3.31) जिले के विभिन्न विभाग/एजेन्सी के पास उपलब्ध संसाधन :

क्र.सं.	क्षमता/संसाधन	संख्या/विवरण	अतिरिक्त विवरण
01	प्रशासनिक	मुख्यालय–समाहरणालय अनुमंडल – 6 प्रखंड – 23 पंचायत – 321	अनुमंडल–पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी एवं पालीगंज।
02	संचार	बी.एस.एन.एल. कार्यालय टेलीग्राम/टेलीफोन कार्यालय एक्सचेंज मोबाइल इण्टरनेट	लगभग सभी परिवार लगभग सभी परिवार एवं व्यक्तियों के पास मोबाइल फोन है। सूचना संप्रेषण हेतु जिला समाहरणालय एन.आई.सी. कार्यालय इण्टरनेट सुविधा से युक्त है।
03	टी.वी./रेडियो सेट	–	सूचना संप्रेषण हेतु जिले में टी.वी. सेट केबुल कनेक्शन होने की वजह से उपलब्धता ज्यादा प्रचलित है।
04	बिजली सबस्टेशन ग्रिड	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं.लि. विद्युत उत्पादन क्षमता एवं पावर सब स्टेशन की क्षमता	सम्पूर्ण जिला में 15 पावर सब स्टेशन उनकी सूची खंड–2 अनुलग्नक–92 एवं 93 ।
05	सड़क सम्पर्क	एन.एच–30, एन.एच–30ए, एन.एच– 31, एन.एच–80, एन.एच– 82, एन.एच– 83 एस.एच –1 एस.एच – 2 एस.एच – 4 एस.एच – 69 एस.एच – 75	मनेर, दानापुर बख्तियारपुर, बेलछी मोकामा, बाढ़, अटना रामपुर डुमरा मोकामा, फुल्हरा मसौढ़ी, पटना बेरीया, मसौढ़ी सरसा, खोरैठा कोहरान बड़ौरा, खुसरूपुर इस्लामगंज, अरवल कोहरान, नौबतपुर
		• इसके अतिरिक्त मुख्य पथ के रूप में पुरानी बाईपास तथा नई 4 लेन बाईपास जो अनिसाबाद से बख्तियारपुर तक है। • पूरे जिले में वृहद जिला सड़क (एमडीआर) है	
06	रेलवे	हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग पटना होकर, पटना–गया, फतुहा– इस्लामपुर बख्तियारपुर–राजगीर पूर्व मध्य रेल मुख्यालय, रेल मण्डल दानापुर, पटना जिले में है।	सभी शहर जो रेल पथ पर अवस्थित है रेल मार्ग से जुड़े है मुख्य स्टेशन–पटना जंक्शन, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, पाटलीपुत्र जंक्शन एवं दानापुर।
07	लघु जल संसाधन	कुल – 35 परियोजना	खंड–1 अध्याय–2 (जिला परिचय)

08	मानव संसाधन शिक्षा विभाग	प्राथमिक विद्यालय – 2279 प्राथमिक सह उच्च प्राथमिक – 1492 माध्यमिक सह उच्च माध्यमिक – 149 माध्यमिक विद्यालय– 104 महाविद्यालय / तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान – 44 विश्वविद्यालय– 3 कुल शिक्षक – 14036	अध्याय–5 पर।
09	मानव बल (चिकित्सा)	• पटना पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र में उपलब्ध मुख्य चिकित्सक • चिकित्सीय प्रत्युत्तर दल	खंड–2 अनुलग्नक –80
10	स्वास्थ्य सुविधा	• सरकारी एवं निजी अस्पतालों उपलब्ध चिकित्सीय सुविधा (बेड की संख्या) • पी.एच.सी.एस. / एस.एच.सी.एस. / एम्स / आई.जी.आई.एम.एस. / पारस / कुर्जी / आर.एम.आर.आई. आदि। • सरकारी एवं निजी अस्पताल एवं एम्बुलेंस की सूची • ब्लड बैंकों की संपर्क सूची • जिले के प्रखंड में एम्बुलेंस(102) जिला सदर अस्पताल–08 रेफरल अस्पताल–05 अनुमण्डलीय अस्पताल–02 पी.एच.सी.–23 चिकित्सा त्वरित दल– 10	अपार सुविधा, सर्जरी इकाई आदि। खंड– 2 अनुलग्नक –71। अस्पतालों में उपलब्ध बेड, आई.सी.यू. एवं शल्य (सर्जरी) सुविधा। खंड–2 अनुलग्नक –72। खंड–2 अनुलग्नक –67। खंड–2 अनुलग्नक –69। खंड–2 अनुलग्नक –68।
11	बाल विकास	कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी	खंड–2 अनुलग्नक –77।
12	राज्य आपदा मोचन बल	बिहटा, पटना गायघाट,पटना कोनहारा घाट, हाजीपुर कोशी कॉलेज, खगड़िया तिलकामांझी, भागलपुर बरियारपुर मिडिल स्कूल, सीतामढ़ी जिला स्कूल, पूर्णिया मधेपुर, मधुबनी तथा मधेपुरा	पटना से निकटतम दूरी पर बिहटा, गायघाट एवं कोनहारा घाट, हाजीपुर में अवस्थित है। इनके पास आपदा से निपटने हेतु सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध है। (देखें खंड–2 के अनुलग्नक – 36)
13	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल	बिहटा, पटना कोलकाता (पश्चिम बंगाल) आगरा (उत्तर प्रदेश) कटक (उड़ीसा)	पटना से 39 कि.मी. की दूरी पर बिहटा, पटना में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, जिनमें प्रशिक्षित मानवबल एवं उपकरण उपलब्ध है। (देखें खंड–2 के अनुलग्नक – 35)
14	नजदीकी सैन्य आई. एम. डी. कार्यालय	पटना	
16	जिला ई.ओ.सी.	कुछ आवश्यक उपकरणों के साथ जिला मुख्यालय में किन्तु पूरी तरह सक्रिय नहीं मानव बल, सामग्री का अभाव	

17	अग्नि शमन	• बड़ी अग्निशमन वाहन–11 छोटी अग्निशमन वाहन–18 • पानी टेंडर, मिस्ट वाटर टेंडर– 4500,2000 फोम टेंडर, फोम दुर्घटना टेंडर – 4500, 7500. पानी बाउजर, मिस्ट टेक्नोलॉजी – 12000, 350 • गांधी मैदान के पास हाइड्रेन्ट– 5 शहर में कुल अन्य हाइड्रेंट–24	खंड–2 अनुलग्नक –86 एवं 87।
18	पटना नगर निगम • वाहन • मानव बल	ट्रैक्टर, टीपर, हाईवा, जेसीबी आदि –241 पम्पिंग स्टेशन का नाम – 44 अमला कार्यकारी पदाधिकारी– 4 सिटी मैनेजर –11 सफाई कर्मी –4043	मानव एवं भौतिक संसाधन खंड–2 अनुलग्नक –75, 70 एवं 111।
19	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल (अभियंत्रण दल)	सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, खगौल पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, फुलवारीशरीफ गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, बाढ़ बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बख्तियारपुर	खंड–2 अनुलग्नक –94।
20	बाढ़ में उपलब्ध संसाधन • नाव • नाविक • गोताखोर • जल खोज एवं बचाव में प्रशिक्षित कर्मी	• कुल निबंधित नाव की संख्या – 449 सरकारी देशी नाव – 77 निजी नाव – 389 इन्फ्लेटेबल मोटर बोट – 08 महाजाल – 3	खंड–2 अनुलग्नक –81, 82, 83 एवं 85 तथा (विस्तृत जानकारी पटना जिला बाढ़ प्रबंधन आदेश, 2017 के निर्देशिका में अंकित।)
21	आश्रय स्थल	बाढ़ शरणस्थलों की पहचान	(विस्तृत जानकारी पटना जिला बाढ़ प्रबंधन आदेश, 2018 के निर्देशिका में पृष्ठ– 56 से 105 पर अंकित)
22	निजी (प्राईवेट) संसाधन की उपलब्धता	टेन्ट सामुदायिक रसोई जाल–महाजाल निजी वाटर पम्प वाटर टैंकर [illegible] स्वचालित मशीन एवं मानव चलित आरा मशीन	खंड–2 अनुलग्नक – 90
23	निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि	सभी ग्राम पंचायत में	
24	सरकारी / गैर सरकारी संगठन (अंतर्राष्ट्रीय सहित)	कार्यशील संस्थाएँ :– 1. यूनिसेफ 2. इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी, पटना 3. अन्य – नेहरू युवा केन्द्र, 4. नागरिक सुरक्षा, 5. नागरिक परिषद, अन्य	
25	मीडिया कर्मी	प्रिन्ट मीडिया के प्रकाशन एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि एवं संवाददाता जिला मुख्यालय के साथ–साथ प्रखण्डों के मुख्यालय में उपलब्ध रहते हैं।	

पंचायत में उपलब्ध मानव संसाधन :

जिला आपदा प्रबंधन योजना में सबसे पहले काम आने वाले (फर्स्ट रिस्पॉन्डर) स्थानीय लोग ही होते हैं। एवं उपलब्ध मानव संसाधन का उपयोग किसी पंचायत में खतरे, जोखिम, संवेदनशीलता की पहचान न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर में किया जा सकता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के पंचायत स्तरीय सहायता हमेशा से अपेक्षित रही है। सामान्यतः जिले के प्रत्येक पंचायत में निम्न औसतन मानव संसाधन उपलब्ध है :–

सारणी –(3.32) पंचायत में उपलब्ध मानव संसाधन का वर्गीकरण :

क्र.	मानव संसाधन	औसत उपलब्धता	अभियुक्ति
01	मुखिया	01	• ये सभी या तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं या सरकारी कर्मचारी हैं। • इनमें लगभग सभी स्तर पर महिलाएँ भी उपलब्ध हैं। • कुल उपलब्ध मानव संसाधन में कम से कम 50% युवा हैं।
02	वार्ड सदस्य	11	
03	पंचायत समिति सदस्य	01	
04	पंच सदस्य	12	
05	ग्राम कचहरी एवं पंच	05	
06	न्याय मित्र	01	
07	ग्राम कचहरी सचिव	01	
08	कृषि सलाहकार	01	
09	पंचायत सचिव	01	
10	आंगनवाड़ी सेविका + सहायिका	20	
11	आशा कार्यकर्ता	11	
12	रोजगार सेवक	01	• यह मानव संसाधन सभी पंचायत के विभिन्न गाँवों से वास करते हैं तथा अपने इलाके की पूर्ण जानकारी रखते हैं।
13	विकास मित्र	01	
14	टोला सेवक	01	
15	इन्दिरा आवास सहायक	01	
16	प्रेरक (15–40 वर्ष तक को शिक्षित करने हेतु)।	01	
17	स्कूल शिक्षक / शिक्षिका	10	
	कुल	80	

नोट – यह संख्या औसत के आधार पर है तथा यह पंचायत के आकार (गाँवों की संख्या) एवं विद्यालय की संख्या पर कम या अधिक भी सकता है।

5 प्रतिशत पंचायतों में नमूना सर्वेक्षण के दौरान पंचायतों में उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता का आकलन किया गया है। इस नमूना सर्वेक्षण के दौरान पर जो आंकड़े प्राप्त हुये हैं उन्हें संकलित कर खंड–2 के अनुलग्नक– 103 एवं 104 पर रखा गया है।

पटना जिलान्तर्गत जिला प्रखंड एवं अनुमंडल में कार्यरत पदाधिकारियों की सूची तथा उनका सम्पर्क नं. खंड–2 के अनुलग्नक–73 से 74 तक संलग्न है

\+ + + + + +

अध्याय : 4

संस्थागत ढांचा

INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपदा के पूर्व, दौरान और बाद की स्थिति का प्रभावी प्रबंधन हो सके, इसके लिए संस्थागत ढांचा का प्रावधान किया गया है। ये संस्थायें राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर निहित किये गये हैं। अधिनियम द्वारा सभी संस्थाओं के क्रियाकलाप तथा उनके लिये गये कार्यों एवं दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने तदनुसार इसका कालबद्ध क्रियान्वयन करने, सभी निर्दिष्ट क्रियाकलापों का प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा जोखिम समन्वीकरण, न्यूनीकरण, अवशेष जोखिम के लिए प्रत्युत्तर तथा पुनर्स्थापन इत्यादि कार्यों के लिए समग्रता का दृष्टिकोण (Holistic Approach) अपनाया जाना अनिवार्य है। इसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, समुदाय आधारित संस्थायें, स्वयंसेवी तथा संस्थायें तथा अन्य निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के साथ ही बड़े औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के साथ ही सभी कार्य सम्पादित करेंगे।

पटना जिला में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। इसके साथ ही जिला आपदा प्रबंधन समिति का भी गठन किया गया है। जिला सड़क सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी तथा जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं सम्बन्धित लाइन विभागों द्वारा कृषि सूखा तथा पशुधन से सम्बन्धित खतरे एवं जोखिम को लेकर विशेष तैयारी रहती है। आपदा प्रबंधन शाखा अलग भवन में अवस्थित है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–41
स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य :

41(1) स्थानीय प्राधिकारी, जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए –

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएँ राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण क्रियाकलाप करेगा।

41(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन :

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25(1) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 30.06.2008 को निर्गत संकल्प से बिहार के सभी 38 जिलों में (पटना सहित) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस आदेश के अनुसार इस प्राधिकरण में निम्नलिखित अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है।

- जिलाधिकारी – पदेन अध्यक्ष

- जिला परिषद के अध्यक्ष – सह अध्यक्ष
- पुलिस अधीक्षक – सदस्य
- उपविकास आयुक्त – सदस्य
- असैनिक शल्य चिकित्सक – सदस्य
- वरीय अपर समाहर्ता – सदस्य/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
- जिला अभियन्ता अभियन्ता – सदस्य

4.2 पंचायती राज संस्थाएं : भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ग्रामीण विकास तथा जनकल्याण योजना बनाने तथा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के स्तर पर इनके अन्य विकास एवं जनकल्याण की योजनाओं के साथ समेकन को जरूरी बना दिया गया है। पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अपने अपने क्षेत्र में योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है

बिहार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप–2030 में "रिजीलियेन्ट विलेज" की कल्पना की है, अतः ग्रामीण स्तर पर "फर्स्ट रिस्पॉन्डर" मानते हुए .... आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण होगी। इनके द्वारा निर्मित संरचनाएं इस क्षेत्र विशेष में अनुभूत खतरों से मुकाबला करने में सक्षम तथा आपदा सह ग्राम/शहर/ स्कूल/अस्पताल इत्यादि की कल्पना से युक्त होंगे खतरों का पूर्वानुमान प्राप्त होने पर प्रभावित होने वाले समूह/ समुदाय तक इस चेतावनी संदेश या पूर्व सूचना को पहुँचाने में ये प्रमुख भूमिका वहन करेंगे।

चूँकि पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सबसे निचली स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है इसलिए इसे आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सशक्त बनाये जाने की जरूरत है। इसके लिए पंचायत के सहयोग हेतु (Panchayat Support Functionary) समितियों को आपदा न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर (रिस्पांस) तथा पुनर्स्थापन (Recovery) के कार्य में लगाया जा सकता है तदनुसार पंचायत राज अधिनियम में वर्णित सभी छः समितियां का गठन करेंगी ताकि इनके द्वारा पंचायत के अन्दर आने वाली गाँवों में उपरिस्थित खतरे, जोखिम, संसाधन–मानव एवं प्राकृतिक–आदि का संकलन किया जा सकेगा इससे आपदा के पूर्व,दौरान तथा बाद में पंचायत अपनी अहम भूमिका निभा सकेगी। इन बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर उन्हें "मास्टर ट्रेनर्स" बनाया है। पंचायतों से यह अपेक्षा है कि वे प्राधिकरण द्वारा तैयार प्रशिक्षण मोड्यूल के उपयोग कर पंचायती राज को सुदृढ़ संस्थान के रूप में स्थापित करेंगी।

जिले के सभी नव निर्मित 'पंचायत सरकार भवन' में आपदा प्रबंधन हेतु एक कमरा तथा सभी कार्य हेतु आइ.टी. सेल कम्प्यूटर की व्यवस्था है जिसे आपदा के कार्यों से जोड़ा जा सकता है।

4.3 समुदाय आधारित संस्थाएं :

■ **नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स)**

नागरिक सुरक्षा की स्थापना आम नागरिकों को हवाई हमले से उत्पन्न जोखिम से बचाने के उद्देश्य से किया गया था समय के साथ इसके उद्देश्य में बदलाव आया तथा परिस्थितियों के अनुरूप नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो 1968 में संसद से पारित था, में बदलाव 2009 में किया गया। इसी के साथ नागरिक सुरक्षा को रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से अलग करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत लाया गया तथा इसे **आपदाओं के प्रबंधन, न्यूनीकरण तथा आम लोगों में क्षमतावृद्धि के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का दायित्व सौंपा गया।** नागरिक सुरक्षा निदेशालय प्रत्येक राज्य में स्थापित है जिसका प्रधान भारतीय पुलिस सेवा से कोई वरीय पदाधिकारी होता है जिसे पुलिस महानिरीक्षक–सह–आयुक्त, नागरिक सुरक्षा के पदनाम से जाना जाता है।

अधिनियम में नागरिक सुरक्षा की इकाईयां जिला स्तर पर स्थापित किये जाने का प्रावधान है जिसे का जिलाधिकारी इसका नियंत्रक होता है तथा वह अपने अधीन किसी वरीय समाहर्ता को इसके उपनियंत्रक की जवाबदेही सौंपता है। (विस्तृत : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट www.disastermgmt.bih.nic.in पर देखें)

■ बिहार राज्य नागरिक परिषद् –

मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार ने अपने संकल्प सं. गृ./ना.प. 1–104/37 म.सं.–705 दिनांक 24.04.1987 के द्वारा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के साथ–साथ सामाजिक समरसता एवं सद्भाव कायम करने के उद्देश्य से बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन किया गया था बिहार सरकार ने पुनः के सभी संकल्पों को अवक्रमित करते हुए संकल्प सं. न.प.–2/पी.स.स.प.–502/03–1218/सी दिनांक 14.06.2007 के द्वारा नागरिक परिषद् को आपदाओं से बचाव में जनसहयोग प्राप्त करने के उद्देश्यों को दृष्टिपथ मे रखते हुए अपना दायित्व निभाने का निर्देश दिया गया। इसका निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया गया है – (क) मानव जनित तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग तथा (ख) एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता एवं सद्भाव कायम रखना।

इसके लिए बिहार राज्य नागरिक परिषद् का संगठन बनाते हुए त्रिस्तरीय संगठन के रूप मे पुनर्गठित किया गया जो निम्नवत हैं :

- राज्य स्तर पर बिहार राज्य नागरिक परिषद्
- जिला स्तर पर जिला नागरिक परिषद्
- थाना स्तर पर थाना नागरिक परिषद्

जिले में तत्काल नागरिक सुरक्षा तथा जिला स्तर एवं थाना स्तर पर जिला नागरिक परिषद् सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जो ये संस्थाएं आपदा की दृष्टि से पूर्व तैयारी, कैम्प संचालन तथा खोज –बचाव के कार्यो मे उपयोगी हो सकते हैं।

4.4 जिला आपदा संचालन केन्द्र (DISTRICT EMERGENCEY OPERATION CENTRE (DEOC)) .

आपातकालीन संचालन केन्द्र जैसा कि परिलक्षित है, जिला स्तरीय अनुमण्डल स्तरीय, प्रखण्ड स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तरीय एवं समुदाय स्तरीय होगा। जहाँ आपातकालीन संचालन केन्द्र स्थापित होगा या जिस भवन में यह अवस्थित होगा वहाँ अनिवार्य या आवश्यक सहायता कार्य (ई.एस.एफ.) टीम के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। केवल नामित ई.एस.एफ. दल ही आपातकालीन संचालन केन्द्र मे बैठेंगे। ये साथी/सहयोगी एजेन्सियों के साथ जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर चल रहे आपदा प्रबंधन के कार्यो का समन्वय करेंगे। आपातकालीन संचालन केन्द्र मे कारगर संचार सुविधाएँ चालू रहेंगी।

जिला मे आपदा संचालन केन्द्र अलग भवन मे संचालित है। इस केन्द्र मे टेलिफोन एवं कम्प्यूटर स्थापित है। आपदा मे विभिन्न पालियों मे काम करने वालों के लिए विश्राम कक्ष का भी प्रावधान है। जिला को त्वरित कार्रवाई करने हेतु जिलाधिकारी के ऑफिस मे सेटेलाइट फोन स्थापित है। इसके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

■ इ.ओ.सी. का सशक्तिकरण :

- जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को प्रयोगिक उपकरणों से सुसज्जित करना होगा जिनमे प्रमुख हैं – VSAT, VHF Wireless, GSM Mobile, GPRS, Doppler Radar, SW Radio Receiver, Satellite Phone और उपग्रह आधारित मौसम अनुश्रवण स्टेशन आदि।
- अनुमण्डल स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र मे – VSAT, VHF एवं जल गुणवत्ता एवं स्तर मापक यंत्र आदि होना चाहिए।
- प्रखण्ड स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र मे – VSAT, VHF Wireless, GSM Mobile, SW Radio Receiver, Telemetric Rain Gauage, Computer with Email Facility, Video Conferencing Facilities, Power Back-Up आदि होना चाहिए।
- ग्राम पंचायत स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र मे – VHF Wireless, GSM Mobile, SW Radio receiver, Ham Radio, Computer with Internet, Printer & Genset, Public Address System आदि होना चाहिए।
- समुदाय स्तर पर – Public Addrrss System, SW Radio Receiver होना चाहिए।

■ **प्रत्येक स्तर की ई.ओ.सी. की भूमिका** : आपदा की स्थिति में।

चेतावनी का सम्प्रेषण : जिला स्तर पर मौसम की भविष्यवाणी करने वाली एजेन्सियों से प्राप्त सूचना के आधार पर सरकार के सभी सहयोगी विभाग सहित आम जनता के लिए चेतावनी जारी कर दिया जाए

इसी सूचना को अनुमण्डल स्तरीय ई.ओ.सी., प्रखण्ड स्तरीय ई.ओ.सी. तथा ग्राम पंचायत स्तरीय ई.ओ.सी. मौसम विभाग की भविष्यवाणी आधारित चेतावनी को अपने अधीन के विभाग सहित आम जनता के लिए इसे प्रेषित करेंगे/प्रचारित करेंगे। इस प्रकार ई.ओ.सी. का प्राथमिक कर्तव्य है समान्य सही चेतावनी जारी कर देना। इसके लिए आवश्यक है कि सभी स्तर के ई.ओ.सी.सन्निर्माजित संचार व्यवस्था से अनिवार्यतः युक्त हों। जिले में जिला पदाधिकारी, अनुमण्डल में अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा पंचायतों के लिए मुखियाँ चेतावनी जारी करने हेतु सक्षम होंगे।

■ **जिला स्तर से निम्नांकित संस्थाओं को जानकारी/चेतावनी सम्प्रेषित की जानी चाहिए**

- ई.एस.एफ. आवश्यक सहायता कार्य के सभी दलों को।
- जिला आपदा प्रबंधन के सभी सदस्यों को।
- जिलाधिकारी कार्यालय को।
- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार को
- पड़ोसी जिलों के आपातकालीन संचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.) को आवश्यकतानुसार
- राज्य/राष्ट्र आपातकालीन संचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.) को आवश्यकतानुसार
- जिला के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को।
- अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों को।

■ **अनुमण्डल स्तर से :**

- प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों को।
- विभिन्न प्रत्युत्तर दल के सदस्यों को, एजेन्सियों को
- जन प्रतिनिधि को।
- मीडिया कर्मियों को।

■ **प्रखण्ड स्तर से :**

- सभी प्रभावित होने वाले पंचायतों को
- विभिन्न प्रत्युत्तर दल के सदस्यों एवं एजेन्सियों को
- जन प्रतिनिधियों को
- मीडिया कर्मियों को।

■ **ग्राम पंचायत स्तर से :**

- सभी वार्ड सदस्यों को।
- सभी सामुदायिक आधारित केन्द्र को।
- सभी प्रत्युत्तर दल के सदस्यों को।
- जन प्रतिनिधियों को।
- मीडिया कर्मियों को।

प्रत्येक स्तर के ई.ओ.सी. जिला आपदा संचालन केन्द्र अपने परिसर/भवन में आवश्यक सहायता कार्य ई.एस.एफ. से सहयोग लेने हेतु एवं कार्यों के समन्वय हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यक स्थान उपलब्ध कराएंगे इस स्तर के

आपातकालीन संचालन केन्द्र लगातार अपने से नीचे के आपातकालीन संचालन केन्द्र के सम्पर्क में रहकर आपदा की परिस्थिति की नवीनतम जानकारी लेते रहेंगे।

■ सामान्य समय में आपातकालीन संचालन केन्द्र क्या करें ?

जिलाधिकारी अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए आपातकालीन संचालन केन्द्र में एक प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेंगे तथा इस आपातकालीन संचालन केन्द्र से जुड़े कार्यों के प्रति जवाबदेह होगा। यह पदाधिकारी सामान्य समय में निम्नांकित कार्यों का सम्पादन करेगा।

- सुनिश्चित करना कि आपातकालीन संचालन केन्द्र के सभी यंत्र चालू रूप में है तथा कभी भी इसे चालू किया जा सकता है।
- लाईन डिपार्टमेन्टस से आपदा प्रबंधन हेतु नियमित तौर पर आंकड़ा इकट्ठा करना।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- जिले के आपदा प्रबंधन योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- डाटा बैंक को नियमित अद्यतन करते हुए अभिलिखित करना तथा किसी आपदा की जानकारी/चेतावनी मिलने पर आपदा मोचन तंत्र (ट्रिगर मकेनिज्म) को सक्रिय करना।

■ **क्षेत्रीय आपातकालीन संचालन केन्द्र :** यह एक ऐसा आपातकालीन संचालन केन्द्र है जो आपदा प्रभावित स्थल के पास अस्थायी तौर पर स्थापित किया जाएगा। यह क्षेत्रीय केन्द्र जिला स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र के साथ संयुक्त रूप से समन्वय करते हुए कार्य करेगा। सम्बन्धित अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी इस क्षेत्रीय ई॰ओ॰सी॰ का नेतृत्व करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी अनुमण्डल स्तर पर तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी प्रखण्ड स्तर पर नियंत्रक होंगे। जिला इन्सीडेंट कमाण्डर सह जिलाधिकारी के निर्देशन में क्षेत्रीय कमाण्डर अपने निर्देशन में अपने स्थानीय प्रबंधन दल के सहयोग से समन्वय कर सभी कार्य करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी आपदा स्थल पर सभी गतिविधियाँ निष्पादित करने के लिए जवाबदेह होंगे। इंसिडेंट कमांड नोडल ऑफिसर अधिकारियों के माध्यम से जिला ई॰ओ॰सी॰ से नियंत्रित एवं समन्वित किए जायेंगे।

■ **आपातकालीन संचालन केन्द्र :** इस केन्द्र में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति एवं पाली वार उनके काम का निर्धारण किया जायेगा। आपातकालीन संचालन केन्द्र जिलाधिकारी के नेतृत्व में काम करेगा तथा अपर समाहर्त्ता के स्तर के पदाधिकारी इसके सीधे प्रभार में रहेंगे। इनके अनुपस्थिति में जिले के उप विकास आयुक्त स्वयं इसके प्रभार में रहेंगे।

प्रत्येक पाली के प्रभारी पदाधिकारी सूचनाओं को प्राप्त करेंगे तथा उन्हें सम्बन्धित पंजी में अंकित करने के बाद सूचनाओं को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित सम्बन्धित विभागों को प्रेषित करेंगे। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का दूरभाष संख्या प्रतिनियुक्ति आदेश के साथ अंकित होगा।

■ **राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा मोचन बल :** राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दिए गये प्रावधान के अन्तर्गत किया गया है। बिहार प्रान्त के आपदा प्रवण स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक इकाई (बटालियन सं॰ 9) पटना जिले के बिहटा में अवस्थित किया गया है। राज्य आपदा मोचन बल को भी बिहटा में ही स्थापित कर तैयार किया गया है। ये दोनों ही इकाईयाँ राज्य के विभिन्न आपदाओं की स्थिति में निश्चित 'प्रोटोकॉल' के तहत जिलों में उपलब्ध कराया जाता रहा है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए इसमें अपनाएँ जाने वाले प्रोटोकॉल की चर्चा की है। यह बल शांति काल में विभिन्न समुदाय समूहों, संस्थानों तथा पदाधिकारियों को मॉक-ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षित करता है। प्रोटोकॉल से सम्बन्धित जानकारी खंड-2 के अनुलग्नक-6 पर संलग्न है।

- **राज्य आपदा मोचन बल** : राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तर्ज पर बिहार राज्य में मार्च 2010 में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार केद्वारा राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय बिहटा में अवस्थित है। इसकी इकाईयाँ –

    i. गायघाट (पटना),
    ii. कोनहारा घाट, हाजीपुर(वैशाली),
    iii. कोशी कॉलेज, खगड़िया,
    iv. तिलकामाँझी, भागलपुर,
    v. बरियारपुर मिडिल स्कूल सीतामढ़ी,
    vi. जिला स्कूल, पूर्णिया,
    vii. रहिकपुर, मधुबनी तथा
    viii. महेशपुर में अवस्थित है।

इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य कार्यकारिणी परिषद है जो आपदा के पूर्व, दौरान तथा बाद में विभिन्न कार्यों में मदद पहुँचा सकती है। इस प्रकार राज्य स्तर पर राज्य आपदा संचालन केन्द्र (SEOC) स्थापित है जो जिले तक सूचना प्रवाह को बनाये रखने में कारगर होगा। साथ, जोखिम के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय–समय पर 'गाइडलाइन्स' जारी करता है। अतः आवश्यकतानुसार संस्थागत ढाँचे को उपलब्धता प्रबंधन के कार्य को सुचारू बना सकती है

आपदा प्रबंधन के विभिन्न स्तर :

एल–0 स्तर

यह शांति का समय है जब कोई आपदा घटित नहीं हो रही है इस काल में जोखिम क्षमताकलन तथा न्यूनीकरण के अधिकांश काम किये जायेंगे।

एल–1 स्तर

इसमें डी.डी.एम.ए. मुख्य संस्था होगी तथा जिलाधिकारी घटना समादेष्टा होंगे उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी डी.डी.एम.ए., डी.ई.ओ.सी., प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय का होगा। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र 'कंट्रोल रूम' होगा तथा संचालन का मुख्य केन्द्र बिन्दु होगा।

एल–2 स्तर

जिला के क्षमता के बाहर की हालत होने पर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, समादेष्टा होंगे। राज्य आपातकालीन केन्द्र (एस.ई.ओ.सी.) आपात सहायता हेतु कंट्रोल रूम तथा संचालन का केन्द्र बिन्दु होगा। एन.डी.आर.एफ. एवं एस.डी.आर.एफ. तैयार रहेंगे।

एल–3 स्तर

इस स्तर की आपदा में राज्य को केन्द्र से सहायता की आवश्यकता होती है और इसमें मुख्य सचिव अग्रणी रोल में होंगे जिसमें राज्य प्रबंधन समूह / राज्य कार्यकारिणी घटना प्रबंधन दल में शामिल रहेंगे।

\+ + + + + +

अध्याय : 5

आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय

PREVENTION, MITIGATION & PREPAREDNESS MEASURES

विभिन्न आपदाओं से होने वाली सम्भावित क्षतियां कम करने हेतु निरंतर आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्य करना होगा ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुख्य उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि निषेधीकरण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्यों को चिह्नित कर लिया जाए, साथ ही उसके लिए विभागों/संस्थाओं की भी पहचान कर ली जाए। इस अध्याय में विभिन्न हितधारकों के कार्यों की पहचान की गयी है।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा शमन रणनीति (UNISDR) में अंकित परिभाषाएं।

निवारण (Prevention) : वर्तमान अथवा संभावित नये आपदा जोखिम को उपेक्षित (avoid) करने की कार्रवाई और उठाये गये कदमों को निषेधीकरण कहा जायेगा।

न्यूनीकरण (Mitigation) : खतरे के संभावित दुष्प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई और उठाये गये कदमों को न्यूनीकरण कहा जायेगा।

पूर्व तैयारी (Preparadness) : आपदा मोचन एवं पुनर्प्राप्ति के लिए उत्तरदायी कोई संस्था, समुदाय व्यक्ति या कोई सरकार संभावित अथवा विद्यमान आपदा का सटीक अनुमान लगाकर प्रभावी प्रत्युत्तर या पुनर्प्राप्ति की क्षमता और ज्ञान हासिल या विकसित कर ले उसे पूर्व तैयारी कहेंगे।

5.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण : जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए योजना, विनिर्माण इसका कार्यान्वयन एवं समन्वयकर्त्ता निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा। विभिन्न मुख्य कार्यों का दायित्व निम्न प्रकार से होगा –

विशिष्ट कार्य	जिम्मेवारी
निर्देशन नियंत्रण और समन्वय	जिलाधिकारी
सूचना संग्रह, विश्लेषण तथा क्षति आकलन	जिलाधिकारी
संचार	जिला दूरसंचार केन्द्र
खोज व बचाव	परिवहन, नागरिक सुरक्षा परिषद, जिला पुलिस,राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं आपूर्ति पदाधिकारी
राहत एवं शरण स्थल	राजस्व एवं भूमि सुधार
स्वास्थ्य सेवा	जिला स्वास्थ्य समिति
पेयजल एवं स्वच्छता	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
पशु शरणगाह एवं चारा	पशुपालन पदाधिकारी
ऊर्जा आपूर्ति का पुनर्स्थापन	ऊर्जा विभाग, पावर होल्डिंग कम्पनी
आधारभूत संरचना का पुनर्स्थापन	आधारभूत संरचना निर्माण निगम, पथ विभाग, भवन निर्माण एवं पुल निर्माण निगम
निपटान एवं साफ सफाई	नगर पालिका, नागरिक सुरक्षा
जन सम्पर्क एवं सूचना एवं चेतावनी मीडिया प्रबंधन	जिला जनसम्पर्क कार्यालय
कानून एवं व्यवस्था	जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों/संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएँ, सामुदायिक स्तर की संस्थाएँ तथा निजी क्षेत्र की एजेंसियां भी उपरोक्त सभी कार्य में सहयोग दे सकेंगी। इन कार्यों में पंचायत चूंकि ग्रामीण स्तर की चुनी हुई संस्था है। अतः इसे खतरा, जोखिम को रोकने, कम करने या पूर्व की तैयारी में विशेष जिम्मेवारी निभानी पड़ सकती है।

5.2 सभी विभागों एवं एजेंसियों के लिए सामान्य कार्य :

योजना के तहत आपदा जोखिम पर समझ विकसित करना, जोखिम संबंधी प्रशासन प्रणाली को सशक्त करना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों में निवेश तथा प्रभावी रिस्पांस की तैयारी कुछ ऐसी बिन्दु है जिनको ध्यान में रखकर कारवाई की जानी चाहिए

5.4 विशेष संरचनाओं की तैयारी :

स्कूल, अस्पताल, औद्योगिक परिसर तथा पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा (School, Hospital, Industrial Area & Archaeological Safety) :

आपदा प्रबंधन के दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्कूल, अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान के जोखिम निराकरण अथवा न्यूनीकरण का प्रयास पहली प्राथमिकता होनी चाहिये। खतरों की चपेट में आई आबादी का बचाव करने के उपरान्त स्कूलों में स्थापित अस्थाई राहत शिविर में सुरक्षित स्थानान्तरण करना होता है। घायलों की चिकित्सा नजदीकी अस्पताल में की जाती है

औद्योगिक प्रतिष्ठान आपातकालीन संचालन केन्द्र के तौर पर उपयोग में लाये जा सकते हैं। कुछ खतरों के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान विशेष संवेदनशील होते हैं। इनके क्षतिग्रस्त अथवा क्षतिग्रस्त होने पर नये खतरे की संभावना बन जाती है। अतः इस आपदा प्रबंधन योजना में स्कूल सुरक्षा, अस्पताल सुरक्षा तथा औद्योगिक परिसर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

पटना जिला अपनी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर के लिए विशिष्ट स्थान रखती है। यहाँ ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थल तथा उस स्थल पर निर्मित संरचना हमारे सांस्कृतिक धरोहर है। इनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अन्यथा इनका पुनरस्थापन या पुनर्निर्माण पूर्व की स्थिति में नहीं किया जा सकता है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है।

- **अस्पताल सुरक्षा :**

अस्पतालों के लिए भी खुद का आपदा प्रबंधन योजना एवं आपातकालिक तैयारी होनी चाहिए। इसका सुखद परिणाम यह होगा कि अस्पताल में भर्ती रोगी, आपदाओं के बाद अस्पताल में आने वाले रोगियों, उनके सहायक तथा अस्पताल में काम करने वाले लोग को सुरक्षित और आश्वस्त सेवा मुहैया कराया जा सकेगा।

योजना से दूसरा लाभ यह होगा कि अस्पताल के संसाधन तथा सुविधाओं को काफी हद तक बचाया जा सकेगा।

इस योजना के हितधारक के रूप में अस्पताल के सभी स्तर के कर्मचारी होंगे तथा सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड भी। आपदा से संबंधित अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना, विभिन्न प्रकार की आपदाओं से जुड़ी प्रत्युत्तर तथा पुनर्प्राप्ति योजना से युक्त होगी। इसमें अस्पताल से जुड़े सभी विभाग अपनी आन्तरिक एवं बाह्य प्रत्युत्तर हेतु योजना रखेंगे। यही नहीं, समन्वय तथा अभ्यास के साथ–साथ प्रशिक्षण की भी पर्याप्त व्यवस्था करेंगे।

इस क्रम में दो प्रकार से दस्तावेज तैयार किये जायेंगे – (1) घटना सुरक्षा पंजी तथा (2) सुरक्षा अभ्यास पंजी।

योजना निर्माण के क्रम में बिल्डिंग बायलॉज का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा दिये गए निर्देश के आलोक में भवन निर्माण एवं भवन की व्यवस्था की जानी चाहिए इस अस्पताल सुरक्षा योजना को सभी स्तर के अस्पताल तथा सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लागू करने का प्रयत्न किया जायेगा।

अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना एवं आपातकालिक तैयारियां –

क्र.सं.	आपदा का प्रकार	घटना प्रबंधन	जवाबदेही
1	आग	• आग से जुड़े खतरों के आपातकालिक प्रत्युत्तर दल नियमित रूप से जाँच करेगा • किसी को भी यदि आग या धुएँ की सूचना मिले या आभास हो तो अस्पताल के टेलीफोन संचालक को इस संबंध में सूचना दें। • टेलीफोन संचालक, सुरक्षा प्रबंधक, प्रशासक तथा सभी विभागाध्यक्षों को इसकी सूचना देगा। • एलिवेटर से सभी अलग रहेंगे। • यदि टेलीविजन या एयर कंडीशनर चल रहा हो तो उसे बंद कर देंगे। • सुरक्षा प्रबंधक, तत्काल घटना स्थल पर पहुँचेंगे तथा स्थिति का आकलन करने के उपरांत, अस्पताल में उपलब्ध संसाधन से, जैसे अग्निशामक आदि को शामिल करायेंगे। • बाकी सारे लोग अपने लिए निर्धारित स्थल पर खड़े रहेंगे तथा सुरक्षा प्रबंधक के आदेश/निर्देश का इंतजार करेंगे • यदि अग्नि अस्पताल के साधन के नियंत्रण से बाहर है या जन–धन की हानि संभावित हो तो मुख्य प्रशासक से संपर्क कर अग्निशमन कार्यालय को सूचित करेंगे। • प्रशासक से सलाह कर अस्पताल को पूरी तरह खाली करने का आदेश निर्गत करेंगे तथा सभी रोगी, कर्मचारी, आगत अतिथि तत्काल प्रभाव से भवन को खाली कर देंगे। • अग्निरोगी विभाग से रोगियों को सहयोगी विभाग में स्थानांतरित किया जायेगा और आवश्यकता हुई तो उन्हें अस्पताल के भवन से बाहर ले जाया जायेगा इस कार्य में रोगियों का चिकित्सक/परिचारिका एनेस्थिशियन तथा अन्य संबंधित कर्मी सुरक्षित स्थान तक ले जायेंगे। • दुर्घटना पंजी में इस दुर्घटना का अंकन किया जायेगा। • इस हेतु सभी को प्रशिक्षित किया जायेगा। • आग नियंत्रक पैनल पर अग्नि सूचक दर्शाने वाले उपकरण को विभिन्न जगहों पर स्थापित किया जायेगा। • यदि अग्नि सूचक यंत्र असफल हो जाए तो इसकी सूचना प्रबंधक, सभी विभाग को देंगे • इसके मरम्मति की कार्रवाई करेंगे तथा इसकी सूचना सभी विभाग को देंगे	सुरक्षा पर्यवेक्षक एवं अग्नि पर्यवेक्षक
2	भूकंप	• सुरक्षा पर्यवेक्षक द्वारा तत्काल प्रत्युत्तर के कदम उठाये जायेंगे। • ज्योंही प्रारंभिक कंपन की अनुभूति सुरक्षा पर्यवेक्षक करेंगे, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के कर्मी तत्काल इसकी सूचना आपातकालिक प्रत्युत्तर दल के सदस्यों को देंगे जो किसी खास फोन नंबर पर उपलब्ध रहेंगे। • सभी कर्मी कंपन की सूचना के साथ अपने स्थान पर शांति पूर्वक खड़े रहेंगे तथा अगली सूचना की प्रतीक्षा करेंगे। • शांत रहते हुए अन्य को भी ऐसा ही करने को कहेंगे। • यदि भवन के भीतर हों तो प्लास्टर के गिरने को देखेंगे, दीवालों और छत पर जो वस्तु लगाई गई है उन पर नजर रखेंगे, ऐसे उपकरण तथा अन्य गिरने वाले उपकरण से सतर्क रहेंगे, जो फिसल या गिर सकता है	

		• खिड़की और आईने से दूर रहेंगे तथा किसी भी स्थिति में बाहर नहीं भागेंगे। • क्योंकि आरम्भिक कम्पन सामान्य हो जायेगी तथा एक अंतराल बीत जायेगा और पुनः कोई कम्पन नहीं होगी तो तत्काल चारो तरफ के मामलों एवं नुकसान का सर्वेक्षण करेंगे। • मामलों का प्राथमिक उपचार करेंगे। • गंभीर मामलों को यदि जीवन का खतरा नहीं हो तो धैर्य के साथ इस प्रकार प्राथमिक सहायता देंगे कि उन्हें और नुकसान न हो। • आग से जुड़ी खतरों की जाँच करेंगे जिसकी सम्भावना टूटे बिजली के तार या शॉर्ट सर्किट से हो सकता है यदि आग मिलता है तो तत्काल उसके शमन की कार्रवाई करेंगे। • किसी भी रोगी को अस्पताल की सुविधाओं से वंचित करने का प्रयास नहीं करेंगे यदि ऐसा करने का निर्देश नहीं मिला हो। • मलबे या टूटे शीशे के पास के रोगियों को बिना जूते के नहीं निकलने का निर्देश जारी करेंगे। • तत्काल भूकम्प के कारण बर्बाद हुई दवाओं तथा नुकसान दायक पदार्थों को हटाने का निर्देश जारी करेंगे। • जल–मल निकास की जाँच कर शौचालयों के प्रयोग को सुरक्षित घोषित करेंगे। • भण्डारण एवं इसके चारो के दीवार का पड़ताल करेंगे तथा छोटे और बड़े अलमारियों के ऊपर रखे वस्तुओं का आकलन करेंगे	
3	बम की चेतावनी	**फोन करने वाले की सूचना लिखेंगे –** • फोन आने पर सूचना देने वाले की आवाज, पुरुष/महिला, सूचना के समय शांत या घबराहट होने तथा बोलने के तरीके पर ध्यान देंगे। • सूचना में निम्नलिखित बातों को दर्ज करेंगे ▪ सूचना देने वाले का नाम/सूचना का सम्पर्क ▪ फोन करने वाले की आवाज : पुरुष/महिला ▪ बोली–स्थानीय/बाहरी/गन्दी/मजाकिया ▪ बम कहां रखा है। ▪ अन्य मौजूद शोरगुल जैसे गली/यातायात/हवाई जहाज/संगीत/रेल गाड़ी आदि। **अस्पताल के कर्मी करेंगे :** • सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना देंगे सूचना किसी सेलफोन, आवाज या रेडियो उपकरण से देंगे। • किसी भी स्थिति में अलार्म नहीं बजायेंगे • सुरक्षा नियंत्रण कक्ष सुरक्षा प्रबंधक को सूचित करेगा सुरक्षा प्रबंधक, प्रशासक को मुख्य प्रशासक को तथा अस्पताल प्रबंधक (अनुरक्षण) को सूचना देंगे। • संदिग्ध वस्तु से दूरी बना कर रखेंगे और किसी भी परिस्थिति में उसे नहीं छुएंगे । • संदिग्ध वस्तु पर नजर रखेंगे। • संदिग्ध वस्तु के पास गलती से या उद्देश्य से साथ अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं जाने देंगे। • दरवाजे को बल पूर्वक न तो खोलेंगे न तो बंद करेंगे। **सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की गतिविधियाँ –** • आपातकालिक प्रत्युत्तर दल के आने के पहले क्षेत्र को	कॉल सेन्टर **सुरक्षा कर्मी**

		प्रतिबंधित कर देंगे • अस्पताल के क्षेत्र को खाली करायेंगे। • पुलिस नियंत्रण (100) तथा बम निष्क्रमण दल को सूचित करेंगे। • अस्पताल प्रबंधन के स्वीकृति उपरांत ही अस्पताल को खाली करायेंगे • बम निष्क्रमण की कारवाई के निर्धारण के उपरांत ही बम संबंधी चेतावनी का समापन किया जायेगा। सब कुछ सामान्य का संकेत देकर सामान्य स्थिति की प्राप्ति की जायेगी।	
4	व्यापक जन हताहत	• मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्रशासक (निदान), चिकित्सा अधीक्षक को सूचना देना। • व्यापक जन हताहत को लेकर आपातकालीन प्रत्युत्तर की तैयारी करेंगे। • स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए अतिरिक्त कर्मी को लगायेंगे और यदि आवश्यक हो तो दूसरे क्षेत्र या वार्ड से भी कर्मी को लगाया जायेगा। • आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए कुछ शय्या आरक्षित कर रखा जायेगा • सहयोगी कार्य करने वाली इकाईयों जिनमें प्रयोगशाला, रक्ताधिकोष तथा एक्सरे आदि को सूचित कर तैयार रखना। • गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.) तथा शल्य चिकित्सा कक्ष (ओ.टी.) को सूचित कर तत्काल कारवाई के लिए तैयार करेंगे। • आनेवाले रोगियों के लिए व्यवस्था करना तथा उनकी उपचार की प्राथमिकता तय की जायेगी • एम्बुलेंस से आने वाले रोगी को यथाशीघ्र प्राप्त करना तथा पिछले एम्बुलेंस के लिए जगह खाली कराई जायेगी। • सुरक्षा गार्ड की मदद से उपचार में शुभचिंतकों के हस्तक्षेप को रोका जायेगा। • रोगियों के साथ पहुँचने वाले शुभचिंतकों को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस को सूचित किया जायेगा।	
5	दंगा तथा आतंकी हमला	• अर्धसैन्य/पुलिस/सैन्य अधिकारियों को सूचित किया जायेगा तथा परिसर को सुरक्षित करने के लिए सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति कराई जायेगी। • एक सप्ताह के लिए आवश्यक दवाओं एवं खाद्य सामग्री के भण्डारण को सुनिश्चित किया जायेगा। • अस्पताल परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के प्रवेश पर कड़ी नजर रखी जायेगी तथा सभी अतिरिक्त प्रवेश द्वार को प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। • जोखिम वाले क्षेत्र, जैसे पानी टंकी, पेट्रोल एवं डीजल टंकी, गैस टंकी, जेनेरेटर आदि को अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाकर सुरक्षित कर दिया जायेगा।	

अस्पतालों के लिए आवश्यकताओं की चेकलिस्ट :

- अपार स्थिति में शय्या को बढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- आहतों के चोट एवं बिमारी के आधार पर उन्हें अलग–अलग चिह्नित वार्डों में रखना ।

- रासायनिक आपदा के दृष्टिकोण से उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- आपात स्थिति के लिए बड़े अस्पतालों में आधुनिक ब्लड बैंक की व्यवस्था रखना।
- आपात स्थिति के लिए बड़े अस्पताल में पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर एवं व्हील चेयर की व्यवस्था रखना।
- आपात स्थिति के लिए बड़े अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की व्यवस्था रखना।
- अस्पताल का फॉयर सेफ्टी ऑडिट कराना
- अस्पताल में फॉयर सेफ्टी पदाधिकारी का पदस्थापन।
- अग्निशमन यंत्र लगाना।
- फायर अलार्म लगाना।
- स्मोक डीटेक्टर लगाना
- अग्नि दुर्घटना के समय मरीजों एवं परिजनों के सुरक्षित निकास हेतु चेतावनी/मार्गदर्शिका का प्रदर्शन।
- हाईड्रेन्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- फायर ब्रिगेड द्वारा दिये गये ऑडिट रिपोर्ट के अनुरूप ABC अग्निशमन यंत्र, Co_2 (कार्बनडाइऑक्साईड), DCP (ड्राई केमिकल पाउडर), आदि विभिन्न भवनों में सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक वार्ड में लाल रंग से रंगे कम से कम पाँच बाल्टियों में बालू भर कर रखना।
- आवश्यकतानुसार विभिन्न कक्षों में "एक्जॉस्ट फैन" लगाना।
- अस्पताल के पुराने विद्युत वायरिंग को प्राथमिकता के आधार पर बदलना।
- जर्जर भवनों का रेट्रोफिटिंग
- आकस्मिक निकासी के लिए द्वार, रैम्प का चिह्नित करना या निर्माण करना।
- विभिन्न इमारतों के छतों पर 25000 लीटर क्षमता का तथा उतनी ही क्षमता का जमीन पर वाटर स्टोरेज टैंक बनाना।
- आवश्यकतानुसार अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से नये "वाटर हाइड्रेन्ट" का निर्माण।
- पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नक्शा *(खंड–2 के अनुलग्नक–24)* पर अंकित है।

= = = = = =

➤ स्कूल सुरक्षा :

विभिन्न आपदा के समय बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। आपदा विशेषज्ञों ने माना है कि चूंकि बच्चे भविष्य के मूल्यवान नागरिक हैं, अतः उन्हें बार–बार के अभ्यास से संभावित आपदाओं में, उनसे लड़ने और बचने हेतु मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाए। ऐसा करने से बच्चे खुद और साथ ही उन परिवारों को भी आपदा से निपटने के गुणों से वाकिफ करा सकते हैं जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। यह कहने कि आवश्यकता नहीं है कि कम उम्र के बच्चे होने की वजह से उनकी निर्भरता दूसरों पर बनी रहती है, विद्यालय भवन चूंकि सार्वजनिक होते हैं अतः इनका निर्माण भूकम्परोधी तकनीक से युक्त होना चाहिए या जो विद्यालय भवन पहले से निर्मित हैं उनमें भूकम्परोधी तकनीक के अधीन सुधार लाया जाना चाहिए।

> **विद्यालयों में घटित कुछ हादसे –**
> शिक्षा विभाग बिहार के अनुसार राज्य में लगभग 80000 सरकारी विद्यालय हैं। जिनमें 95 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। वर्ष 2008 में कोसी नदी से आयी बाढ़ के दौरान सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया एवं अररिया जिले के 7482 विद्यालय प्रभावित हुए। जिनमें लगभग 173 विद्यालय पूर्णतः तथा 481 विद्यालय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इसी प्रकार वर्ष 2013 में सारण जिले के गंडामन प्राथमिक विद्यालय में विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने से 23 बच्चों की मृत्यु हो गई। वर्ष 2016 में गंगा में आयी बाढ़ के कारण 3 नये विद्यालय नदी के कटाव में विलुप्त हो गये।
>
> स्रोत–मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, कार्यक्रम क्रियान्वयन दस्तावेज, 2017

भारतीय संदर्भ में विद्यालय सुरक्षा के क्षेत्र में दो घटनाएँ – तमिलनाडु के कुम्भकोणम के विद्यालय में लगी आग जिसमें 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई तथा गुजरात के भुज में आई भूकम्प, जो झंडोत्तोलन के समय आया, में भी काफी बच्चे हताहत हुये थे, अति महत्वपूर्ण हैं।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य एवं जिला आपदा प्राधिकरण, शिक्षा विभाग तथा जिलाधिकारी स्तर से किये गये प्रयासों की वजह से सभी जिलों में स्कूलों के शिक्षक तथा छात्र–छात्राएँ, मॉकड्रिल के माध्यम से भूकम्प तथा आग से बचने के विभिन्न तरीके से परिचित हो चुके हैं। अब आवश्यकता है कि इन प्रयासों को निरंतर बनाये रखा जाय ताकि वे भविष्य में स्वयं की सुरक्षा न कर ही सकें साथ में समाज को भी लाभ मिल सके। आपदा में बच्चे सबसे ज्यादा कष्ट झेलते हैं, ऐसी स्थिति में सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु स्कूल सुरक्षा को जिला आपदा प्रबंधन योजना का मुख्य अंग बनाया गया है।

स्कूल हमारे समाज निर्माण का अभिन्न हिस्सा है अतः शिक्षा विभाग को भी इन गतिविधियों में जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्कूल सुरक्षा को हम निम्नलिखित छः चरणों में शामिल कर सकते हैं–

➤ पूर्व तैयारी :

1. स्कूली स्तर की खतरे एवं संवेदनशीलता के संबंध में जागरूकता बढ़ाते हुए स्कूल से जुड़े शिक्षकों, छात्रों, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों के बीच इसका रेखांकन करना।
2. खतरों और कमजोरियों, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक होने, अंदर की क्षमता और भूमिकाओं की पहचान, विभिन्न हितधारकों को सुरक्षा योजना बनाने में मददगार साबित होगी।
3. निकासी योजना, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण स्कूल आपदा प्रबंधन योजना की सफलता सुनिश्चित करेगी
4. चेतावनी दल, जागरूकता कार्य दल, निकासी कार्य दल, खोज एवं बचाव कार्य दल, प्राथमिक चिकित्सा कार्य दल, अग्नि सुरक्षा कार्य दल, मनोवैज्ञानिक सहायता कार्य दल, सड़क सुरक्षा/टास्क फोर्स आदि सहित विभिन्न कार्य दलों का गठन।
5. आपातकालीन प्रबंधन के लिए सभी संगठन एजेंसियों से संपर्क एवं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
6. आपातकालीन निकास मार्ग, प्रदर्शन और निकासी, बचाव, अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा छात्र द्वारा प्राप्त कौशल का परीक्षण करने की कार्यकुशलता का मॉक ड्रिल का आयोजन कर छात्र/छात्राओं की समझ को बढ़ाना ।

➢ जागरूकता :

पूर्व में किये गये प्रयास की सफलता को देखते हुए इसे विस्तार कर, भूकम्प एवं अग्नि के अलावे, अन्य आपदाओं जैसे लू, शीतलहर, सड़क सुरक्षा आदि का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस तरह के कार्यक्रम को चलाये जाने से निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त होंगे।

1. बच्चों में आपदा पूर्व तैयारी करने की प्रवृत्ति विकसित होना।
2. विद्यालयों के शिक्षक एवं बच्चे अपनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होंगे।
3. विद्यालय सुरक्षा विषय से सम्बंधित मास्टर प्रशिक्षक तैयार होंगे।
4. सूचना, शैक्षणिक एवं संचार (आई.ई.सी.) सामग्रियों से बच्चों का जागरूक होना।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को जीवन में व्यावहारिकता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य शोध शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की सहायता से जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय तथा विद्यालय स्तरीय गतिविधियों एवं भूमिकाओं की रूप रेखा तैयार की जाये।

जिला विद्यालय सुरक्षा योजना – शिक्षा विभाग, बिहार के अनुसार राज्य में लगभग 80000 सरकारी विद्यालय हैं। जिसमें 95 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा योजना के अंतर्गत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में मॉकड्रिल आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी सहयोग लिया गया तथा इसका परिणाम सफल रहा है।

➢ साप्ताहिक कार्यक्रम :

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु बिहार द्वारा पारित बहु–आपदा न्यूनीकरण रोडमैप (2015–30) में भी शिक्षा सम्बन्धित विषय के अंतर्गत विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित करने पर विशेष बल दिया गया है इस रोडमैप को ध्यान में रखते हुए राज्य एवं जिला स्तर के सहयोग से विद्यालय सुरक्षा के विभिन्न गतिविधियों को लागू करने हेतु प्रयत्न किये जायेंगे। इसे प्रत्येक सप्ताह शनिवार या सुविधानुसार किसी अन्य दिन आयोजित किये जा सकते हैं

➢ साप्ताहिक कार्यक्रम का उद्देश्य :

- बच्चों को आपदा जोखिम से परिचित कराना ।
- बच्चों को जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया में शामिल करना।
- बच्चों को विभिन्न प्रकार के आपदा के दुष्प्रभाव से बचाना।
- बच्चों का आपदा प्रबंधन कौशल विकसित करना।
- आपदा से होने वाली मौतों को कम करना।
- आपदा से होनेवाले नुकसान का पूर्व तैयारियों के माध्यम से कम करना।
- विद्यालयों को सुरक्षित बनाना।
- आपदा से बचाव के तरीके को समाज तक फैलाना एवं आत्मनिर्भर करना।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्कूलों में 'सुरक्षित शनिवार' कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार निम्न विषयों में से किसी एक का चुनाव कर आयोजन करने का सुझाव दे सकते हैं–

1. मौसम आधारित आपदाएँ ।
2. सामान्य समय में होनेवाली आपदाएँ/घटनाएँ ।
3. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ।
4. पोषण संबंधी परेशानियाँ।
5. स्वच्छता संबंधी।

6. बाल सुरक्षा सप्ताह।

7. जलवायु परिवर्तन एवं

8. बच्चों के खराब आदत सप्ताह।

पखवाड़े के दौरान स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जिन विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित किए गये उन सभी विद्यालयों में छात्र–छात्राओं द्वारा सुरक्षा संबंधी प्रदर्शन सफलता पूर्वक किया गया। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इस बात को भी समझा जाए कि विद्यालयों की संख्या, विद्यालयों के प्रकार, इन विद्यालयों में नामांकित बच्चों तथा इनमें कार्यरत शिक्षकों की दृष्टि से आपदाजनित खतरों के लिए यह कितना संवेदनशील है? (देखें खंड–2 के अनुलग्नक–102) ।

➢ सहयोगी संस्था :

सुरक्षित स्कूल कार्यक्रम की सफलता हेतु निम्नलिखित विभाग, संस्थानों एवं संगठन के सहयोग से सफलता हासिल करना होगा। ये हैं :–

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद।
- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- जिला शिक्षा परियोजना परिषद।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)।
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी।
- स्कूल स्तरीय शिक्षा समिति।

➢ स्कूल प्रत्युत्तर दल का गठन (क्षमतावर्धन) :

स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों, छात्रों एवं कर्मचारियों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षमता को बढ़ाना। इसलिए सभी स्कूलों से यह अपेक्षा होगी कि वे स्कूल स्तर पर प्रत्युत्तर दल का गठन करेंगे ताकि मॉक ड्रिल के माध्यम से उनका क्षमतावर्धन हो। दल का गठन निम्नवत होगा–

सारणी –(5.2) स्कूल प्रत्युत्तर दल का गठन (क्षमतावर्धन) :

क्र.सं.	टीम	टीम की बनावट	मुख्य काम
1	इन्सीडेन्ट कमांडर	प्रधानाध्यापक	1. आपदा के दौरान किये जाने वाले राहत व बचाव कार्य सुचारु रूप से किया जाये। 2. किसी आपदा के बाद यदि राहत व बचाव कार्य के लिए सरकारी या गैर–सरकारी एजेंसियां स्कूल परिसर में पहुँचती हैं तो उन्हें सभी आवश्यक सूचना प्रदान करना।
2	स्कूल आपदा प्रबंधन समिति	प्रधानाचार्य / उपप्रधानाचार्य, शिक्षक–2 (1पुरुष,1महिला) स्कूल स्टाफ–2	1. 'स्कूल आपदा प्रबंधन योजना' तैयार करना। 2. समय–समय पर 'स्कूल आपदा प्रबंधन योजना' का मूल्यांकन करना तथा उसे अपडेट करना 3. आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी संगठनों से मिलना तथा स्कूल में आपदा प्रबंधन व बचाव सम्बन्धी तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन करना। 4. समय–समय पर आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों की मदद से स्कूल परिसर में आपदा के विभिन्न पहलुओं पर मॉकड्रिल करना। 5. आपदा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों का सम्पर्क नम्बर रिकार्ड में रखना व समय–समय पर उसे अपडेट करना। 6. आपदा से सम्बन्धित प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल में स्कूल के सभी अध्यापकों एवं छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
3	जागरूकता अभियान दल	5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)	1. आपदा के प्रति छात्रों एवं शिक्षकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना। 2. स्कूल परिसर में आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित जानकारी देने के लिए पोस्टर, पम्पलेट, आसान तरीका क्या करें–क्या न करें प्रदर्शित करना। 3. स्कूल में आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित लेख / निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना।
4	आपातकालीन चेतावनी दल	शिक्षक –2, स्कूल स्टॉफ–1	1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान विद्यालय परिसर में मौजूद छात्रों, अध्यापक व अन्य कर्मचारियों को अलार्म के माध्यम से एलर्ट करना 2. अलग–अलग घटनाओं के लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के अलार्म मुकर्रर किये जा सकते हैं जो कि छात्रों व अध्यापकों सभी को मालूम हो।
5	निकासी दल	5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)	1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान सभी छात्रों को शान्तिपूर्वक ढंग से कक्षा रूम से बाहर निकालना व एसेम्बली प्वाइंट पर इकट्ठा करना 2. एसेम्बली प्वाइंट में बच्चों की गिनती करना तथा इसकी सूचना 'स्कूल आपदा प्रबंधन समिति' व खोज व बचाव दल को देना।
6	खोज व बचाव दल	5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर) इस दल में स्कूल के सीनियर छात्रों के ग्रुप को भी शामिल किया जाये	एसेम्बली प्वाइंट में इकट्ठा होने के बाद यदि कोई छात्र गुम हो तो तुरन्त खोज व बचाव कार्य करना।

7	**प्राथमिक उपचार दल**	स्कूल डॉक्टर/नर्स 3–4 शिक्षक स्कूल के सीनियर सेक्शन के छात्रों को भी शामिल किया जाये।	1. घायल छात्रों, अध्यापकों या अन्य स्कूल स्टॉफ का प्राथमिक उपचार करना। 2. स्कूल परिसर में प्राथमिक उपचार किट तैयार रखना
8	**फायर फाईटिंग दल**	5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्र व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)	1. स्कूल में उपलब्ध आग बुझाने के बारे में जानकारी रखना। 2. मुख्य बिजली आपूर्ति के बारे में जानकारी होना ताकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में मेन लाइन काटा जा सके। 3. आगजनी के हालात में आग पर काबू पाने का प्रयास करना।
9	**परिवहन प्रबंधन दल**	स्कूल के वाहन समन्वयक शिक्षक–2, सीनियर सेक्शन के छात्र–2	1. स्कूल में उपलब्ध सभी गाड़ियों, उनके रूट व आने जाने वाले छात्रों की सूची तैयार रखना। 2. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान स्कूल आपदा प्रबंधन समिति को सहयोग करना।
10	**मीडिया प्रबंधन दल**	उप प्रधानाचार्य या अन्य वरिष्ठ स्कूल स्टॉफ	1. पत्रकार सम्मेलन से पहले स्कूल आपदा प्रबंधन समिति से किसी भी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेना। 2. आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मीडिया के सम्पर्क में रहना।

नोट : आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दृष्टिकोण से जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सम्बंधित स्कूल द्वारा दलों के स्वरूप में आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन किया जा सकेगा।

= = = = = =

➢ औद्योगिक सुरक्षा :

किसी भी राज्य के विकास के लिए कृषि के अलावा उद्योग धंधे का होना बहुत ही जरूरी है किसी उद्योग की स्थापना से उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि और से रोजगार की संभावना बढ़ती है, वहीं राज्य ही में लोग अप्रत्यक्ष रोजगार से जुड़ते हैं। परन्तु जहाँ उद्योग विकास के लिए जरूरी है, वहीं वह औद्योगिक दुर्घटना एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिन्ता का विषय भी है। औद्योगिक दुर्घटना, उस उद्योग में उपयोग की जा रही सामग्री एवं सुरक्षा के अभाव की अनदेखी के कारण होती है, जबकि उस उद्योग से वायु या जल में उत्सर्जित किया जा रहा पदार्थ पर्यावरण को दूषित करने का कारण माना जाता है।

सन् 2015 में देश भर में पर्यावरण एवं वन विभाग के मंत्रियों ने बैठक में यह सुनिश्चित किया कि उद्योगों की स्थापना के कुछ मानक तय किए जाएं ताकि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। यह तय हुआ कि उद्योगों का उनमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और उसके उत्पादन के आधार पर उत्सर्जन – (वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खतरनाक कचरा एवं उपयोग के उपरांत बेकार हो गए संसाधन) को रंग (कलर कोड) के आधार पर चिह्नित किया जाय। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली ने अपने 17 मार्च 2016 के पत्र में भी सभी राज्यों का ध्यान इसी ओर आकृष्ट किया है। कलर कोड की निर्दिष्ट रंग विस्तृत सूची बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उपलब्ध है। संक्षेप में वो इस प्रकार है :

सारणी– (5.3) प्रदूषण मापने के स्कोर :

क्रम सं॰	प्रदूषण स्कोर	रंग (कलर कोड)	उत्पादन के आधार पर उद्योगों की संख्या
1	60+	लाल (रेड)	60
2	30-59	नारंगी (ऑरेंज)	83
3	15-29	हरा (ग्रीन)	63
4	15 से कम	सफेद (व्हाईट)	36

स्रोत: पी॰आई॰डी॰–2010

■ खतरे का आकलन :

इस जिले में कई बड़े, मझोले एवं छोटे आकार के उद्योग लगे हैं जो उपरोक्त श्रेणियों में आते हैं। जिला प्रशासन को इन उद्योगों में प्रदूषण (वायु/जल) को कम करने तथा मानक स्तर पर बनाए रखने हेतु लगातार प्रयास करना होगा। जिले के उद्योगों की सूची मुख्यालय बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना, जिला उद्योग केन्द्र तथा मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना से प्राप्त है।

दुर्घटना के प्रकार

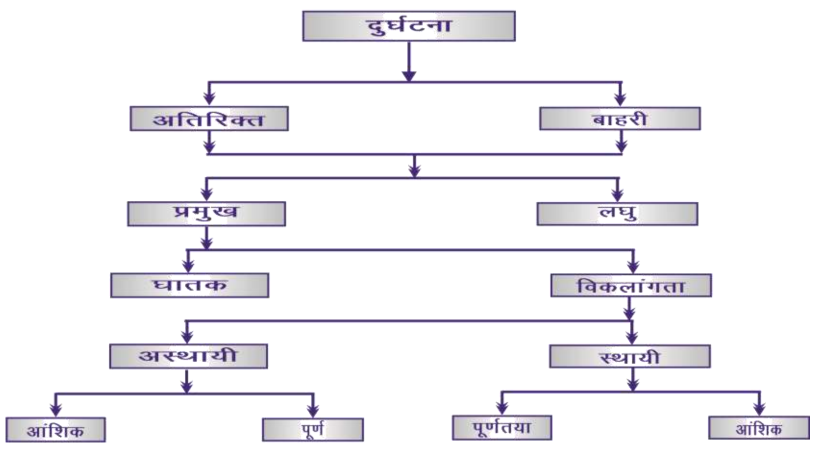

■ न्यूनीकरण :

उद्योग स्थापना की पूर्ण जानकारी हासिल करते हुए एक सुनियोजित ढंग से, उद्योग के प्रकार, उनकी क्षमता, उत्पादन की प्रक्रिया, उपयोग किये जा रहे उपकरण, खतरे एवं संवेदनशीलता का संपूर्ण आकलन सर्वे के माध्यम से एकत्रित किया जायेगा। इसके उपरान्त जिला उद्योग केन्द्र, श्रम संसाधन विभाग, कारखाना निरीक्षक के संयुक्त प्रयास

से औद्योगिक दुर्घटना के दोनों ही आयाम उद्योग में आग लगने एवं वायु प्रदूषण फैलने वाली घटनाएं कम की जा सकेंगी।

औद्योगिक अग्निकांड में मुख्यतः ऐसे उद्योगों की आतंरिक फिटिंग, उपयोग की जाने वाली मशीनरी का समुचित रख–रखाव का अभाव एवं ब्वॉयलर के समय–समय पर परीक्षण का अभाव मुख्य कारण बनता है। इसके लिए कारखाना अधिनियम 1948, ब्वॉयलर अधिनियम एवं चिमनी लगाने के मानक आदि के उपायों को सख्ती से लागू करना उचित होगा

- **औद्योगिक इकाईयों में आपदा प्रबंधन :** कारखाना अधिनियम,1948 के आलोक में कल्याणपुर सीमेंट लि० द्वारा निम्नलिखित आपदा प्रबंधन योजना प्रतिवेदित है –
- **उद्देश्य :** कारखाना अधिनियम, 1948 के विभिन्न प्रावधानों के तहत कल–कारखानों की स्थापना, उनका संचालन तथा कार्य चलाने की व्यवस्था होती है। इस अधिनियम में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है।
- **कार्यक्षेत्र :** यह अधिनियम ऐसे किसी भी संस्थान जिसमें कम से कम 10 श्रमिक हों और उत्पादन बिजली की सहायता से होता है अथवा वे संस्थान जहाँ कर्मचारियों की संख्या 20 तक हो परन्तु बिजली की सहायता के बिना उत्पादन का काम होता हो।
- **अनुपालन की आवश्यकता :** ऐसे सभी उत्पादन इकाईयों को कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सेक्शन – IV के अंतर्गत सुरक्षा हेतु एहतियात (Precaution) बरतने के संबंध में सभी दिशा निर्देश तथा सेक्शन–IV (A) में उपयोग की जा रही खतरनाक प्रक्रिया से संबंधित सावधानी बरतने संबंधी दिशा निर्देश के अनुपालन की आवश्यकता है। अनुपालन कराने की जिम्मेदारी मुख्य कारखाना पदाधिकारी / निरीक्षक (श्रम संसाधन विभाग) को दिया गया है। इन सभी बिन्दुओं का अनुपालन समावित खतरा एवं जोखिम से बचाव को ध्यान में रखकर किया गया है। औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण से कारखाना कर्मचारी तथा समुदाय दोनों को ही खतरा उत्पन्न हो सकता है अतः उपरोक्त का अनुपालन आवश्यक है

पटना जिले में पाटलीपुत्रा औद्योगिक परिसर, फतुहा एवं बिहटा में अनेकों छोटे एवं मझोले उद्योग स्थापित है। इन उद्योगों के इर्द–गिर्द कई नई कॉलोनियाँ बस गई है। औद्योगिक दुर्घटना के दौरान इन कॉलोनी में बसने वाले लोगों को भारी क्षति की संभावना रहती है बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण एवं बिक्री की जाती है। पेट्रोलियम एक उच्च ज्वलनशील पदार्थ है। अतः अग्नि सुरक्षा की पूर्ण तैयारी एवं दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र में आग लगने पर संवेदनशील समूह को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए सारी व्यवस्था करने की जरूरत है। इस तरह की संभावित किसी दुर्घटना के दौरान क्षति का न्यूनीकरण एवं उचित पैमाने पर बचाव तथा राहत का कार्य करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को तैयार रहना चाहिए।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने इस जिला आपदा प्रबंधन योजना के संवृद्धि हेतु जिले में उद्योग से जुड़ी विभिन्न पहलुओं के संबंध में आकड़े इकट्ठा करेगी *(खंड–2 के अनुलग्नक–113 पर द्रष्टव्य)*

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को राज्य के सभी जिलों के वायु प्रदूषण के अनुश्रवण का दायित्व सौंपा गया है। जिले की जनसंख्या तथा उनके महानगर स्तर की जनसंख्या में दशकीय बढ़ोतरी हुई है। साथ ही विभिन्न प्रकार के कृषि, औद्योगिक गतिविधियों, वाहनों से उत्सर्जन एवं अन्य विकास के कार्य परिवेशीय वायु के गुणवत्ता को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

चूंकि सरकारों पर वायु के मानक स्तर को बनाये रखने पर जोर है अतः यह आवश्यक हो गया है कि पटना के दो स्टेशनों को छोड़कर अन्य जिलों में भी वायु प्रदूषण अनुश्रवण स्टेशन की स्थापना की जाए। राज्य में पटना के इंदिरा गाँधी विज्ञान कम्प्लेक्स (प्लेनिटेरियम) में लगातार वायु गुणवत्ता प्रदर्शन हेतु एक केन्द्र जुलाई 2011 में स्थापित किया गया है, जिसे जिला स्तर पर भी ले जाने की आवश्यकता है

बिहार एनवीरो सन्टर, पटना द्वारा प्रदूषण के विभिन्न स्तरों का मानक मान निर्धारित किया है जो निम्न है–

सारणी–(5.4) प्रदूषण के स्तर का वर्गीकरण :

प्रदूषण का स्तर	वार्षिक औसत उपस्थिति (सान्द्रण) की सीमा(μg/m^3)					
	औद्योगिक, आवासीय, ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्र			पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र		
	SO_2	NO_2	PM_{10}	SO_2	NO_2	$PM_{,10}$
निम्न Low (L)	0-25	0-20	0-30	0-10	0-15	0-30
मध्य Moderate (M)	26-50	21-40	31-60	11-20	16-30	31-60
उच्च High (H)	51-75	41-60	61-90	21-30	31-45	61-90
गंभीर Critical (C)	>75	>60	>90	>30	>45	>90

स्रोत बिहार एनवीरो सेंटर पटना

- **इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि॰ :** इस बात से अवगत है कि अत्याधुनिक तकनीक तथा उत्तम इन्जिनियरिंग डिजाइन के बावजूद यदि समुचित तरीके से ऑपरेशन, रख रखाव तथा निरीक्षण का कार्य नहीं होगा तो पटना टर्मिनल से आग, विस्फोट, तेल रिसाव की सम्भावना बनेगी। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों, सम्पत्ति तथा आम जनता इस चपेट में आ सकते हैं।

आपातकालीन सुरक्षा संगठन :

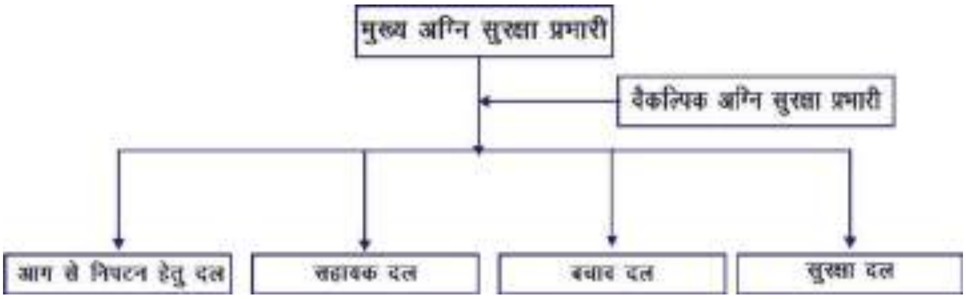

ऐसी परिस्थिति से निपटने हेतु स्पष्ट एवं लिखित कार्य योजना की आवश्यकता है, ताकि आपात की स्थिति में तुरंत इसे लागू कर जान–माल की क्षति को कम किया जा सके। पटना शहर के नजदीक बेऊर में इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि॰ द्वारा पेट्रोलियम पदार्थो का भण्डारण तथा वितरण किया जाता है। भण्डारित पदार्थ ज्वलनशील होने की वजह से पूर्ण तैयारी तथा आपदा से निपटने हेतु कार्य योजना का निर्माण किया गया है। आई॰ओ॰सी॰ ने आग, विस्फोट तथा तेल के रिसाव से उत्पन्न स्थिति से निपटने के सभी उपाय किये है। हालांकि प्रतिष्ठान ने यथानुसार 'ऑफ–साईट' के लिए अपनी कोई योजना नहीं बनायी है तथा जिला प्रशासन से सहायता की अपेक्षा की है। ऑफ साईट योजना बनाने की भी आवश्यकता है क्योंकि संस्थान के चारो ओर बहुत बड़ी संख्या में आवासीय कॉलोनियाँ बन गई है।

1. औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम – **इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि॰** (आई.ओ.सी.)
2. प्रतिष्ठान का पता – इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि॰, पटना टर्मिनल, सिपारा,
   पो॰ बेऊर, जिला– पटना–800020
3. टर्मिनल का क्षेत्रफल – 27.12 एकड़ (साइट नक्शा संलग्न)
4. प्रतिष्ठान के कार्य –
   - पाईप लाइन से पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति।
   - पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण।
   - पेट्रोलियम पदार्थ को टैंकर, ट्रक तथा पाईप लाइन से वितरण।
   - 14 जगहों पर टंक लॉरी फिलिंग कार्य।
5. आपातकाल में सम्पर्क सूत्र – श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, कार्यकारी निदेशक, फोन–0612–2234754
6. प्रतिष्ठान में भण्डारित वस्तु –
   - मोटर स्पिरिट (एम.एस.)
   - हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.)

- सुपिरियर किरासन तेल (एस.के.ओ.)
- एथनोल

7. भण्डारित वस्तु का संक्षिप्त –

क्र.सं.	विषय	ज्वलनशीलता का वर्ग	कुल क्षमता (केएल)	कुल टैंको की सं.
1	हाई स्पीड डीजल	बी	23721.219	05
2	मोटर स्प्रिट	ए	7602.731	03
3	सुपिरियर किरासन तेल	बी	12226.63	05
4	एथनोल	बी	140	02
आई.ओ.सी.एल. को 45.732 के.एल. पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण करने हेतु लाइसेंस प्राप्त है।				

8. विदित खतरा–

- आग लगना।
- विस्फोट होना।
- तेल का रिसाव/लिकेज।

9. नजदीकी शहर– पटना जंक्शन (3 कि.मी.)
पटना हवाई अड्डा (8 कि.मी.)

10. आपातकाल दल :–
उपरोक्त कार्य हेतु निम्नलिखित पदाधिकारी निर्दिष्ट हैं:–

- अग्निशमन (कॉम्बेट) दल – प्रभारी उप प्रबंधक (ऑपरेशन – सुरक्षा)।
  वैकल्पिक – प्रबंधक (टर्मिनल)
  सदस्य – पदाधिकारी एवं कार्यकारीगण (टी.एल.एफ. एवं पंप हाउस)
- सहायक दल – प्रभारी – वरीय प्रबंधक (टर्मिनल)
  वैकल्पिक – सहायक प्रबंधक (लैब)
  सदस्य – पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण (कंट्रोल रूम तथा लॉक रूम)
- बचाव दल – प्रभारी– उप प्रबंधक (टैंक)
  वैकल्पिक – वरीय प्रबंधक (गेट)
  सदस्य – पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण (एम.एस.डी., गेट एवं लैब)

11. बचाव कार्य में पहल– कार्यरत लोगों की जान की सुरक्षा।
पेट्रोलियम पदार्थ का बचाव।
सम्पत्ति की सुरक्षा।
सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली।

12. आकस्मिक आपदा प्रत्युत्तर में प्रयुक्त विशिष्ट यंत्र–संयंत्र, उपकरण एवं इन उपकरणों का चलाने के लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी कामगारों की सूचि –

क्र.सं.	प्रशिक्षित कामगारों के नाम	मोबाईल न.
	पटना टर्मिनल, सिपारा में पदस्थापित	
1	नितेश रंजन	7280034034
2	आरिफ अहमद	7544011578
3	गौरव रानी	953442006
4	प्रकाश कुमार	8787218569
5	सुब्रत सेन	9470240124
6	अनिल कुमार सिंह	8507358488
7	सच्चिदानंद कुमार	7403854701
8	धीरज कुमार	9430247101
9	नीरज कुमार	9454230872
10	राकेश कुमार	9431820748

आरा बॉटलिंग प्लांट, बिहटा में पदस्थापित		
1	कमलेश कुमार सिंह	9431850911
2	शम्भु नारायण सिंह	9431851329
3	अमरेन्द्र नारायण सिंह	9431852237
4	अखिलेश्वर सिंह	9470804521
5	राजेन्द्र नारायण सिंह	9535219001
6	चक्रपाणि सिंह	9431852342
7	राजकुमार सिंह	8084472408
8	अमरजीत सिंह	9431081100
9	मनोज कुमार सिंह	9771553718
10	अजय कुमार सिंह	9006775500
11	रघुवीर कुमार	7250120000
12	मनमोहन सिंह	8083508308

13. आंतरिक संसाधन उपलब्धता– संस्थान ने पर्याप्त मात्रा में आग बुझाने, फोमिंग तथा पानी से कृत्रिम बादल बनाने तथा प्रसार व्यवस्था कर रखा है, जिसकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।

क्र.सं.	संसाधन	सयंत्रों की संख्या
1	75 कि.ग्रा. डीसीपी आग बुझाने वाले उपकरण	4
2	25 कि.ग्रा. डीसीपी आग बुझाने वाले उपकरण	8
3	10 कि.ग्रा. डीसीपी आग बुझाने वाले उपकरण	70
4	4.5 कि.ग्रा. CO^2 आग बुझाने वाले उपकरण	11
5	2 कि.ग्रा. CO^2 आग बुझाने वाले उपकरण	3
6	जेट नोजल	2
7	यूनिवर्सल नोजल	4
8	फॉग नोजल	4
9	वाटर कर्टेन नोजल	2
10	फोम ब्रांचिंग नोजल	2
11	एन.ई.एफ.जी.	2 (फिक्स्ड), 2 (पोर्टेबुल)
12	ए.एफ.एफ.एफ.	9.36 किलो लिटर
13	हस्त चालित साइरन	7
14	बिजली चालित साइरन	2
15	फर्स्ट ऐड बॉक्स	2
16	स्ट्रेचर	3
18	रबर हैण्ड ग्लव्स	2 जोड़ें
19	अग्निरोधक सूट	1
20	विस्फोट मापक (मीटर)	1
21	बालू भरी बाल्टी	आवश्यकतानुसार

= = = = = =

➢ पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा :

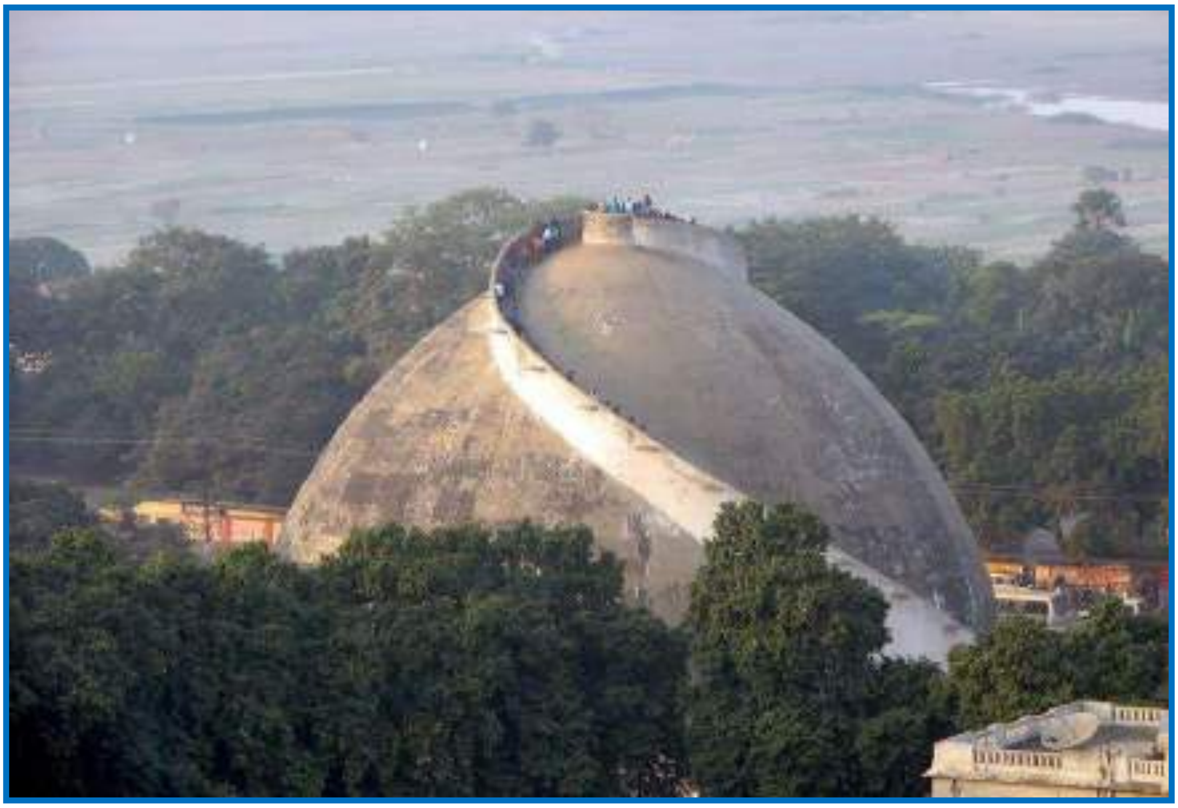

गोलघर, पटना

पटना जिले के राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेष का आपदा की दृष्टि से अनुरक्षण "प्राचीन स्मारक" से कोई संरचना, रचना या स्मारक कोई स्तूप या दफनगाह, या कोई गुफा, शैल–रूपकृति, उत्कीर्ण लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत है–

1. प्राचीन स्मारक के अवशेष
2. प्राचीन स्मारक स्थल
3. प्राचीन स्मारक स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो ऐसे स्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
4. प्राचीन स्मारक तक पहुँच पथ

पटना जिला प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस जिले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण पुरातत्व एवं प्राचीन चिह्न घोषित किए गये हैं :

- **अगम कुआँ** – यह स्थान पुरातात्विक महत्व के दो अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम, अगम कुआँ जो अपनी अथाह गहराई (The unfathomable well) के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के काल से भी इसे जाना जाता है। द्वितीय, शीतला माता मंदिर जो चेचक जैसी बिमारी की देवी के रूप में प्रसिद्ध है लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि यह देवी अपने चमत्कार से इस रोग का निराकरण करती है।
- **कुम्हरार (प्राचीन पाटलीपुत्र)** – पाटलीपुत्र, जो मौर्य काल में महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था, खुदाई के क्रम में इस स्थल पर सभागार, आनन्द विहार, आरोग्य विहार एवं दुरूखी मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। इन भग्नावशेषों को 600 वर्ष ईसा पूर्व काल का कहा जाता है।

- **दुरूखी देवी मंदिर** – यह पत्थर की दो चेहरे वाली महिला की अज्ञात मूर्ति है जो कुम्हरार में खुदाई के क्रम में वर्ष 1890 में पाई गई थी। यह दुरूखी या दुरूखिया (Double Faced) देवी के रूप में प्रसिद्ध है।

- **छोटी एवं बड़ी पटन देवी** – यह पटना के पटना सिटी इलाके में अवस्थित प्रसिद्ध मंदिर है। पटना के संरक्षक देवी के रूप में इनकी मान्यता है।

- **बेगूहजम मस्जिद**– यह मस्जिद पटना के सबसे पुरान मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध है। इस मस्जिद के निर्माण को मुगल काल से जोड़ा जाता है। इसकी प्रसिद्धि इसके पुर्ननिर्माणकर्ता से जोड़कर बताई जाती है। यह ख्वाजा कलान घाट रोड, पटना सिटी में अवस्थित है।

- **गोलघर** – गोलघर अपने वास्तुकला के दृष्टिकोण से काफी प्रसिद्ध है। यह पटना का प्रतीक चिह्न के रूप में चिह्नित है। इसे ब्रिटिश काल में वर्ष 1786 में बनाया गया था।

इसके अतिरिक्त अन्य प्राचीन स्मारक एवं चिह्न इस जिले में मौजूद है, जिनका ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्व है। इन्हें भी आपदा के दृष्टिकोण से सुरक्षित करने की आवश्यकता है। ये हैं –

- **महात्मा गांधी सेतु** – गंगा नदी पर पटना एवं हाजीपुर को जोड़ने वाला सेतु देश का सबसे लंबे पुलों में से एक है। इसकी लंबाई 5750 मीटर है और यह 20 फीट ऊँचा है। इसे महात्मा गांधी सेतु के रूप में जाना जाता है।

- **पटना संग्रहालय** – पटना स्थित इस राजकीय संग्रहालय में पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का संग्रह किया गया है, जिनमें सामरिक महत्व के अवशेष एवं दस्तावेज भी शामिल हैं। संग्रहालय पुरातत्व महत्व के पचास हजार दुर्लभ कलाकृतियों के संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में वर्ष 1917 में किया गया था।

- **हरमंदिर साहेब गुरूद्वारा (पटना साहेब गुरूद्वारा)** – यह गुरूद्वारा महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा सिक्खों के दसवें गुरू, गुरू गोविंद सिंह जी के जन्म स्थल को उनकी याद में बनाया गया था। यह सिक्ख सम्प्रदाय के लिए काफी महत्व का तीर्थ स्थल है। वर्ष 2017 में गुरू गोविंद सिंह जी के 350वें जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाश पर्व में लाखों की संख्या में सिक्ख धर्मावलम्बी शामिल हुये थे। वर्ष 2017 में ही इसका समापन शुकराना पर्व के रूप में आयोजित किया गया था।

- **खुदाबख्श खाँ पुस्तकालय** – सन 1891 में स्थापित इस पुस्तकालय में मुगल तथा इस्लामिक महत्व के विभिन्न पाण्डुलिपियाँ संग्रहित हैं। इस पुस्तकालय में सिर्फ 25 मिलीमीटर आकार का दुर्लभ कुरान संग्रहित है। यहाँ नादिर शाह की तलवार भी संग्रहित है। देश एवं विदेश से शैक्षणिक एवं शोधकर्ता इस संग्रहालय में लाई लाख से ऊपर रखी गयी पुस्तकें, पाण्डुलिपियाँ आदि से इतिहास टटोलते हैं। राज्य सरकार के सभी राजपत्र एवं गजेटियर का संकलन भी इस पुस्तकालय में उपलब्ध है।

- **महावीर मंदिर** – यह मंदिर उत्तरी भारत का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ मंदिर के रूप में माना जाता है। इस मंदिर में हनुमान की भव्य मूर्ति स्थापित है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ बजरंगबली की पूजा करने से सभी इच्छाएँ पूरी होती है। मंदिर में पूजा करने वालों के दान तथा नैवद्य के माध्यम से मंदिर को जो भी आय होती है उससे कैंसर अस्पताल चलाने के साथ ही कई अन्य धार्मिक एवं सामाजिक कार्य सम्पादित होते हैं।

आपदा के दृष्टिकोण से उठाये जाने वाले कुछ आवश्यक कदम :

■ सम्भावित खतरों की पहचान :

- इन संरचनाओं की अवस्थिति, जगह/इलाके का अध्ययन।
- उन सभी कारणों को संज्ञान लेना जिससे संरचना में क्षति या हो रही गिरावट (डिटेरिओरेशन)।
- प्रत्येक खतरे की सम्भावना का मूल्यांकन।

- पर्यावरण का अध्ययन, ताकि खतरा/जोखिम को कम करने हेतु भूगर्भीय, जलीय तथा मौसम की दृष्टि से तैयारी की जा सके
- पूर्व में हुए किसी खतरा/जोखिम की पहचान।

■ **तैयारियाँ :**

- उपरोक्त का गहन अध्ययन करने के बाद उस अनुरूप तैयारी करना।
- पुरातत्व स्थल की मजबूत घेराबंदी।
- पुरातत्व महत्व के इमारतों/खण्डहरों का अनवरत निरीक्षण एवं आवश्यक मरम्मति ।
- संरक्षित अवशेषों का रासायनिक संरक्षण ।
- विभिन्न आपदाओं के दृष्टिकोण से रिस्पॉन्स योजना ।

■ **प्रत्युत्तर :**

पुरातत्व विभाग का राज्य एवं स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना क्योंकि वर्तमान में उक्त विभाग के पास इस तरह की कोई जिम्मेवारी निर्धारित नहीं है।

\+ + + + + +

अध्याय : 6

क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण

CAPACITY BUILDING & TRAINING

जिला आपदा प्रबंधन योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन तथा जोखिम निर्धारण एवं न्यूनीकरण के कार्यों को निरंतर बनाये रखने के लिए इसके क्रियान्वयन से निर्धारित सभी हितधारकों/सह कर्मियों का गहन प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्द्धन करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य हितधारकों तथा निर्धारित कर्मियों के कौशल को मजबूती प्रदान करना होगा तथा निपुणता में उत्तरोत्तर वृद्धि लानी होगी। प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए सरकार, समुदाय तथा सहयोगी संस्थाओं सभी का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करने पर ही निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना संभव हो सकेगा। प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा के विभिन्न आयामों के प्रति अवधारणा (concept), जानकारी (information), कौशल (skill), दृष्टिकोण (attitude) तथा व्यक्तिगत गुणवत्ता (personal quaility) विकसित किया जा सकेगा।

6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण (Institutional Capacity Building) :

क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं एवं उनसे जुड़े लोगों को भी शामिल किया जायेगा। इसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इससे जुड़े पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े पदाधिकारी, अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अन्य लाइन विभाग के पदाधिकारी शामिल होंगे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बिपार्ड में करवाया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी स्तर यथा– अनुमंडल, जिला एवं राज्य के पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन की अवधारणा परिवर्तन के पश्चात व्यावहारिक आयाम यथा– रोकथाम, न्यूनीकरण, त्वरित रेस्पॉन्स, पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण आदि के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहु–आपदा प्रवणता, आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत ढाँचा, अधिनियम नीतियाँ, राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका आपदा प्रबंधन हेतु उन्मुखीकरण एवं क्षमता वर्धन किया जाय। इस प्रशिक्षण से यह लाभ होगा कि आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रेस्पॉन्स में गति आयेगी एवं किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति से बचा जा सकेगा। आपदा से प्रभावित होने वाले समुदायों का बचाव, आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण तथा आपदा पीड़ितों को समुचित सहायता उपलब्ध कराने में सहूलियत हो।

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना के सहयोग से विभिन्न स्तरों में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया।

6.1.1 विभिन्न स्तर के सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय के कार्यरत लोग एवं सामुदायिक संगठनों को आपदा विषयक मुद्दे पर बिहार या देश के अन्य राज्यों में उनके क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण दिलवाया जा सकता है। इनके अलावे नीचे स्तर के कर्मचारी यथा आंगनबाड़ी सेविका, ए.एन.एम., किसान सलाहकार इत्यादि भी प्रशिक्षित किये जायेंगे। क्षमतावर्द्धन संस्थागत एवं गैर संस्थागत हो सकते हैं। उपरोक्त के अलावे गैर संस्थागत में जिला आपदा नियंत्रण केन्द्र में मशीनी एवं तकनीक सुविधा बढ़ाकर सतत व्यवस्था तथा आपदा से संबंधित जानकारियाँ हासिल कर सचेत रहने में मदद पाया जा सकता है

6.2 समुदाय आधारित संस्थायें और पंचायत (Community based Organisations & PRIs) :

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में सुरक्षित गाँव के घटक के अंतर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है और

पंचायतें ही इसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं कारणों से पंचायतों का आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण होना है और इसके रिस्पॉन्स हेतु समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण है। चूंकि पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य को 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' के रूप में देखा गया है इसलिए उन्हें बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 'मास्टर ट्रेनर' के रूप में प्रशिक्षित किया है ताकि वे प्रशिक्षित हो कर जिले के सभी पंचायतों में प्रशिक्षण का काम अनवरत चलाते रहें। इस जिले के जिन पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण हासिल किया है उसका विवरण खंड–2 के अनुलग्नक – 104 पर देखा जा सकता है इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थाएं जो सामुदायिक स्तर पर काम करती हैं उन्हें भी उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा।

मुखिया, सरपंच एवं अन्य प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना।)

6.3 पेशेवर (Professional) :

इस संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनेक राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय अभियन्ताओं को राज मिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण व्यापक पैमाने पर दिया गया है। सुरक्षित स्कूल, अस्पताल सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में कुछ शिक्षकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। नाविक तथा गोताखोरों का भी विशेष प्रशिक्षण जिलावार जारी है। साथ ही प्रशिक्षित लोगों में से ही 'मास्टर ट्रेनर' तैयार किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण का काम सुचारू रूप से चलता रहे। प्रशिक्षुओं द्वारा समाज को इस विषय के प्रति जागरूकता लाने संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

भविष्य में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक प्रखंड तथा पंचायत में उपलब्ध विभागियों को तथा सहयोगी संस्थानों/व्यक्तियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

6.4 प्रशिक्षण संस्थायें तथा अन्य सुविधायें (Training Institutes & Other Facilities) :

आपदा विषय की व्यापकता को देखते हुए यह जरूरी है कि हम उन प्रशिक्षण संस्थाओं को चिह्नित किया जायेगा जहाँ लोगों को गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके। जिला स्वास्थ्य समिति, शिक्षा विभाग एवं कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही प्रशिक्षण के कार्यक्रम में आपदा संबंधित विषय को भी शामिल किया जा सकता है।

क्र.	राज्य/जिला स्तर	राष्ट्रीय स्तर
1	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट
2	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान	नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी
3	नेशनल इन्लैण्ड नेविगेशन इंस्टिट्यूट (निनी), गायघाट, पटना	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डवलपमेंट, हैदराबाद
4	अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा, पटना	लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, मसूरी, उत्तराखंड
5	राज्य एवं जिला स्तर गैर सरकारी संस्थान	सरदार पटेल एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यशदा)
6	नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एन.डी.आर.एफ.) बिहटा	इण्डियन रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, पुणे
7	स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, पटना	नेशनल एकेडमी फॉर फायर सेफ्टी, नागपुर, महाराष्ट्र
8	जिला अग्निशमन इकाई	गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद
9	जिला स्वास्थ्य समिति	उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भुवनेश्वर, उड़ीसा
10	समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.)	

इस प्रबंधन योजना में पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मियों के प्रशिक्षण का विषय निम्नांकित है–

- **पंचायत स्तर:** पंचायत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत तथा इसके क्षेत्र में पड़ने वाले वार्ड के सदस्य को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता के प्रस्तावित विषय :

पंचायत स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	पंचायत स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) मुखिया (ख) वार्ड सदस्य (ग) सामुदायिक संगठन	1. पंचायतस्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का चित्रण बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन,तूफान, डूबना, नाव दुर्घटना आदि पर विशेष बल। 2. पंचायत की विकास योजना में पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। 3. आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए पंचायतस्तरीय सांवैधानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता। 4. खोज,बचाव, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि। 5. आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पुनर्स्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा किसी रोजगारोन्मुखी योजना के साथ संबद्धता। 6. आपदारोधी भवन निर्माण एवं आवासों की संरक्षण संबंधी मुख्य जानकारी।
02	स्कूल शिक्षक, छात्र एवं अन्य	1. शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से स्कूल सुरक्षा (भूकंप, आगजनी) एवं घरेलू आग (जैसे चूल्हा, परम्परागत चूल्हा, ढिबरी, लालटेन इत्यादि से जनित) से बचाव। 2. छात्र/छात्रा को नियमित आपदा से बचाव के लिए तथा स्कूल सुरक्षा सप्ताह में किये जाने वाले कार्य का प्रशिक्षण। 3. सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का संचालन । (डायरिया, निमोनिया, पेयजल एवं स्वच्छता, सर्पदंश, मस्तिष्कज्वर आदि से बचाव की जानकारी
03	(क) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका (ख) आशा कार्यकर्त्ता	1. बच्चों का कुपोषण से बचाव 2. महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनीमिया से बचाव। 3. आपदा के दौरान कैम्प संचालन।
4	स्थानीय राज मिस्त्री / शटरिंग मिस्त्री / बार बाइंडर / मेठ	भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण ।

- **प्रखंड स्तर:** प्रखंड स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड तथा इसके अंतर्गत में पड़ने वाले पंचायतों के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

प्रखंड स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	प्रखंड स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) प्राथमिक सहकारिता साख समिति(पैक्स) (ख) कृषि सलाहकार	1. जलवायु परिवर्तन की जानकारी 2. मौसम विज्ञान की जानकारी। 3. सूखे के आगाज की पहचान 4. मौसमीय खेती एवं वैकल्पिक कृषि कार्य। 5. पंचायत स्तर पर वर्षापात आंकड़ा का संकलन। 6. फसल सुरक्षा/बीमा की जानकारी। 7. आपदा की दृष्टि से की जाने वाली फसल का चयन एवं प्रचार–प्रसार
02	(क) पंचायत सचिव (ख) विकास मित्र	1. पंचायत स्तर के विभिन्न आपदीय एवं संसाधन के आंकड़े जुटाना। 2. आंकड़ा का संधारण, नजरी नक्शा/जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन एटलस का निर्माण। 3. लेखा संधारण
03	ग्राम कचहरी/न्याय मित्र	गाँव के गरीब तबकों को आपदा से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति के संबंध में जिला विधिक प्राधिकार के साथ सहायता दिलाने संबंधित प्रशिक्षण
04	स्थानीय राज मिस्त्री / शटरिंग मिस्त्री / बार बाइंडर / मेठ	भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण ।

* **अनुमण्डल स्तर** : अनुमण्डल स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुमण्डल तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले प्रखण्ड/अंचल के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

अनुमण्डल स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र.	अनुमण्डल स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) अनुमण्डल पदाधिकारी (ख) अनुमण्डल स्तरीय अन्य पदा. (ग) प्रखंड विकास पदाधिकारी (घ) अंचल अधिकारी	1. पंचायत समिति की विकास योजना में प्रखंड स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। 2. आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए प्रखण्डस्तरीय संस्थानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता। 3. प्रखंडस्तरीय बहु–आपदा खतरे, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का मानचित्रण। 4. आपदा प्रबंधन के उपरान्त पुनर्स्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा अन्य किसी रोजगारोन्मुखी योजना के साथ सहबद्धता। 5. आपदा रोधी भवन निर्माण संबंधी मुख्य जानकारी। 6. अनुमण्डल में आने वाले प्रखंड की मजबूती एवं कमजोरियों की पहचान। 7. सभी प्रकार के प्राथमिक आंकड़ों का एकत्रन, कम्प्यूटरीकरण एवं संधारण।
02	अंचल निरीक्षक कम्प्यूटर ऑपरेटर	नक्शे एवं आंकड़ों की आवश्यकता एवं संवेदनशील जनसंख्या की पहचान के तरीके।
03	प्रखंड प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य	1. प्रखंड प्रमुख एवं समिति सदस्यों को लेकर प्रखण्डस्तरीय स्थायी समितियों का गठन एवं इसका दायित्व। 2. पंचायतों के आंकड़ों का प्रखंडस्तर पर संग्रहित कराना (योजना की दृष्टि से)।
04	स्थानीय राज मिस्त्री / शहरीय मिस्त्री / बार बाइंडर / मेट एवं स्थानीय संवेदक तथा अभियंता	भूकम्प रोधी भवन–निर्माण का प्रशिक्षण

* **जिला स्तर** : जिला स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्यरत सभी लाईन विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

जिला स्तर पर क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र.	जिला स्तर	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) वरीय उप समाहर्त्ता (ख) सभी लाइन विभाग	1. आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दायित्व एवं अधिकार। 2. इन्सिडेन्ट रिस्पॉस सिस्टम। 3. आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयाम – बहु–आपदा, खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण। (HRVCA) 4. आपदा पूर्व तैयारी शमन, न्यूनीकरण, क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण के विषय। 5. संसाधन आकलन 6. राज्य एवं केन्द्रस्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ., पड़ोसी जिला आदि के साथ समन्वय। 7. बाढ़ परिचालन संहिता, बिल्डिंग बायलॉज, न्यूनतम राहत संहिता, नगरीकरण संरक्षण अधिनियम आदि के संबंध में।
02	स्थानीय संवेदक तथा अभियंता लाईन विभाग के अभियंता / राज मिस्त्री / बार बाइन्डर / शहरीय मिस्त्री / मेट एवं जिला स्तरीय संवेदक	भूकम्प रोधी भवन–निर्माण तकनीक एवं बिल्डिंग बायलॉज।

03	(क) कार्यपालक पदा० (ख) सिटी मैनेजर (ग) वार्ड पार्षद	1. बिल्डिंग बायलॉज। 2. नगर योजना 3. आपदा प्रबंधन। 4. अग्नि सुरक्षा। 5. भीड़ प्रबंधन। 6. अवशिष्ट प्रबंधन। 7. भूकम्प रोधी भवन–निर्माण का प्रशिक्षण
04	कम्प्यूटर प्रशिक्षण (सभी स्तर पर प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित कर्मी)	सभी स्तरों के तथ्यों को संग्रहित करना तथा उपयुक्त जगहों पर प्रेषण की प्रक्रिया का प्रशिक्षण।

नोट :– प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले में तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप बदला जा सकता है।

- **प्रशिक्षित लोगों की सूची एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल (List of Trained Persons & Training Module) :**

जैसा कि पूर्व में वर्णन किया गया है, अनवरत प्रशिक्षण कार्यक्रम से ही आपदा प्रबंधन के कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा अन्य हितधारक को आपदाओं के न्यूनीकरण, रोकथाम तथा पूर्व तैयारी में सजग किया जा सकता है। इस कार्य को मूर्त रूप देने में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कई सफल कदम उठाये हैं। इसमें विभिन्न हितधारक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन शाखा का यह कर्तव्य होगा कि इन प्रशिक्षित लोगों को न्यूनीकरण तथा रिस्पॉन्स कार्यों में उपयोग करें। जिले से यह अपेक्षित है कि बि.रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा पूर्व से तैयार प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग करेगा।

■ **प्रशिक्षित लोगों की सूची (List of Trained Persons) :**

- प्राधिकार द्वारा सुरक्षित नौका परिचालन हेतु जिला में प्रशिक्षित प्राप्त 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।
- बिहार प्रशासनिक सेवा के आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सूची।
- प्रशिक्षण प्राप्त गोताखोरों एवं नाविकों की सूची
- भूकम्परोधी निर्माण एवं रेट्रोफिटिंग तकनीक पर प्रशिक्षण प्राप्त अभियंताओं, वास्तुविदों, संवेदकों, राजमिस्त्रीयों की सूची।
- भूकम्परोधी मकान से संबंधित मास्टर ट्रेनरों की सूची।
- मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों हेतु जिले का 'मास्टर ट्रेनरों' की सूची।
- पशु चिकित्सा सेवा पदाधिकारियों द्वारा 'आपदा में पशुओं का प्रबंधन' विषय में प्राप्त प्रशिक्षित लोगों की सूची।
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स की सूची।

■ **प्रशिक्षण मॉड्यूल (Training Module) :**

- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु (हस्त पुस्तिका–1), बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण– 2018
- मैनेजमेंट ऑफ एनिमल–इन–इमरजेंसी– ए वेटनरी हैन्डबुक फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – 2018
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) शिक्षकों/प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका–जनवरी 2018
- राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए संदेश मार्गदर्शिका–नवम्बर 2017
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर (मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका) फरवरी 2018
- सुरक्षित नौका परिचालन हेतु नाविकों एवं नाव मालिकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल–2017
- नौकाओं के सर्वेक्षण निरीक्षण हेतु सर्वेक्षक एवं निरीक्षक का प्रशिक्षण मॉड्यूल ।

नोट : उपरोक्त सदर्भ में जिले में उपलब्ध प्रशिक्षित पदाधिकारियों एवं अन्यों सूची तथा विभिन्न विषयों पर तैयार की गई प्रशिक्षण मॉड्यूल बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट (www.bsdma.org) के Our Activities विषय को क्लिक करने के बाद Training शीर्षक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। भविष्य में जिले में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षिण मॉड्यूल का सहारा लिया जायेगा, साथ ही प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची वेबसाईट पर डालना अपेक्षित होगा।

6.5 जागरूकता सृजन (Awareness Generation) :

जागरूकता अभियान के द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न सहभागियों, समुदाय सहित को विभिन्न आपदा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण बहुत सुलभ तरीके से संभव है। बिहार के संदर्भ में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक बनाते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य बहुत व्यापक तरीके से किया गया है जागरूकता अभियान विभिन्न आपदा के लिए तैयार आई.ई.सी. सामग्री, नुक्कड़ नाटक, विद्यार्थियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता, अखबार, होर्डिंग, पैम्फलेट, इंटरनेट, वाट्सएप, रेडियो, चलचित्र आदि के माध्यम से चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जोखिम यथा सड़क सुरक्षा, डूबने की घटना, अग्नि, शीतलहर, लू आदि से बचाव हेतु समय–समय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने डाटाबेस विभाग के सहयोग से विभिन्न जागरूकता अभियान (एस.एम.एस.) जारी करेंगे।

विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील जिला, प्रखण्ड तथा पंचायत में गठित आपातकालीन संचालन दल की यह जवाबदेही होगी कि वे हितधारक समूह के प्रतिनिधियों तथा सहायक एजेंसियों के नोडल पदाधिकारियों का जन–जागरूकता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित तथा प्रशिक्षित करें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षात्मक उपाय बचाव एवं राहत से संबंधित सुझाव–सलाह परिचालित (Circulate) किये गये हैं। आपदावार तैयार इन सुझावों को योजना के खंड–2 के परिशिष्ट में सम्मिलित किया गया है। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है –

- साधारण सावधानियाँ अपनाकर गर्मी/लू से अपने को सुरक्षित रखें – अनुलग्नक – 7
- सड़क दुर्घटना – अनुलग्नक – 13
- अगलगी से बचाव हेतु उपाय – अनुलग्नक – 14
- जापानी इन्सेफेलाइटिस/डेंगू की रोकथाम – अनुलग्नक – 17
- वज्रपात एवं उनका क्या करें –क्या न करें – अनुलग्नक – 18
- शीतलहर या ठंड लगने से बचाव – अनुलग्नक – 19
- सर्दी के मौसम में पशुओं की देखभाल – अनुलग्नक – 21
- नाव दुर्घटना से बचाने के उपाय तथा सवारी करने वाले नाविक, नाव मालिकों एवं प्रशासन के लिए सुझाव/सलाह – अनुलग्नक – 22
- नदियों/तालाबों में डूबने की घटनाओं को रोकने हेतु जिला प्रशासन /आम जनता को जरूरी सलाह– अनुलग्नक – 23
- भीड़/भगदड़ में क्या करें, क्या न करें – अनुलग्नक – 24
- दशहरा/दुर्गापूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य बातें – अनुलग्नक – 25
- छठ पूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव – अनुलग्नक – 26

\+ + + + + +

अध्याय : 7

प्रत्युत्तर योजना

RESPONSE PLANNING

आपदा की शुरुआत होने पर इससे निपटने के लिए एक प्रभावी प्रत्युत्तर योजना का उपलब्ध रहना अत्यंत हितकारी तथा श्रेयस्कर होगा। इस प्रत्युत्तर योजना में जिला प्रत्युत्तर के सम्भावित उपाय, क्रियाविधि, सहायक उपकरणों, प्रशिक्षित कर्मियों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों का, जो तात्कालिकता के आधार पर सफलता प्रदान करने वाले हों, स्पष्ट उल्लेख रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्युत्तरदाता संगठन के दायित्व तथा भूमिका का भी इस योजना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आपदा की पूर्व सूचना तथा इसकी तीव्रता तथा विस्तार का अनुमान होते ही संगठन तंत्र स्वतः स्फूर्त कार्यवाई प्रारम्भ करे एवं पूर्व निर्धारित भूमिका अदा करने में प्रवृत्त हो जाए, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। आपदा मोचन योजना में जिले में जिन आपदाओं की आशंका व्यक्त हो उन सभी आपदाओं के लिए आपदावार सभी आवश्यक गतिविधियों तथा उनको प्रारम्भ करने, जारी रखने तथा पुनर्वापसी के समय का निर्धारण भी किया गया है ताकि कोई चूक न हो जाये।

7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया – आपदा कार्यों के संचालन की जवाबदेही जिले के जिलाधिकारी को दी गई है। जिलाधिकारी ही आपदा के कमान अधिकारी के रूप में कार्यरत होते हैं। हादसे से जुड़ी कोई भी गतिविधि बगैर जिलाधिकारी के पूर्वानुमति के आरम्भ नहीं किया जा सकता तथा समापन के उपरान्त मानव बल एवं सामग्री की वापसी की सूचना जिलाधिकारी अथवा हादसा कमान अधिकारी को देकर ही हादसा क्षेत्र से बाहर जाना होता है।

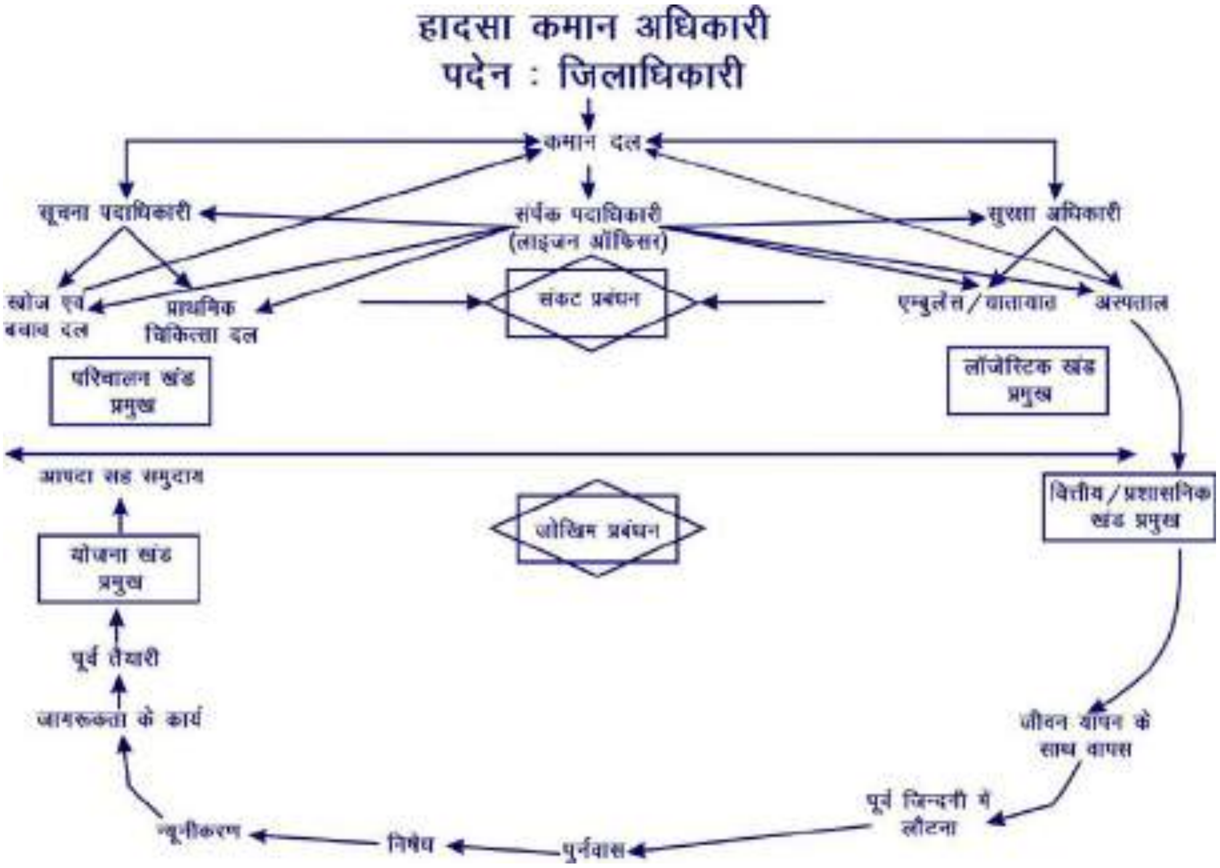

आवश्यकता के अनुरूप, यदि जिलाधिकारी जरूरी समझे तो, उनके द्वारा किसी वरीय समाहर्त्ता को हादसा कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। यदि जिले में आपदा कई जगह हो गयी है तो जिलाधिकारी जिले की गंभीरतम तथा सबसे ज्यादा क्षति वाले हादसा स्थल के कमान अधिकारी होंगे, जबकि अन्य वरीय समाहर्त्ता को दूसरे हादसा स्थल का कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

ज्यों ही हादसा कमान अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी या प्रतिनियुक्त वरीय समाहर्त्ता काम करने लगेंगे, त्योंही सभी लाईन डिपार्टमेंट तथा नोडल एजेन्सी सीधे हादसा कमान अधिकारी के निदेश में काम करने लगेंगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हादसा हो जाने की स्थिति में हादसा कमाण्डर द्वारा सरकाराधीन किसी भी संसाधन को आपदा से निपटने में लगाया/आदेशित/प्रतिनियोजित किया जा सकता है। **(आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 द्रष्टव्य)**

हादसा कमान अधिकारी द्वारा अपने अधीन कई गतिविधियों के लिए पदाधिकारी या प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं। प्रत्युत्तर के लिए कई प्रकार के दल तैयार किये जाते हैं उन्हें यथास्थान प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। ये दल हादसा स्थल पर अपनी पहुँच की सूचना देते हैं, किये गये कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की सूचना देते हैं और कार्य समापन के बाद सभी सामग्री एवं कार्य समापन की सूचना देने के उपरांत कमान अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही हादसा स्थल को छोड़ते हैं।

विभिन्न सहायक प्रभागों के अंतर्गत कार्य संचालन प्रभाग (उपप्रभाग– खोज एवं बचाव, प्राथमिक सहायता), उपस्कर एवं रसद प्रभाग (एम्बुलेंस एवं अस्पताल सेवा, राहत आदि), योजना प्रभाग एवं वित्त सह प्रशासनिक प्रभाग होंगे। ये प्रभाग स्वतः काम पर लग जाएंगे। इन प्रभागों के प्रभारी अधिकारी को मात्र हादसा कमान अधिकारी ही नियुक्त कर सकता है। ये सभी प्रभाग त्वरित गति से काम करने लग जाएंगे

सहायक प्रभाग/उपप्रभाग के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अपर जिला समाहर्त्ता, जिलास्तरीय लाईन डिपार्टमेंट के प्रभारी अधिकारी, जिले के वरीय अधिकारी या समकक्ष पदधारक पदाधिकारी के बीच से करेंगे। इनकी नियुक्ति के समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अनुमण्डल या प्रखण्ड के संयोजक पदाधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त नहीं किया जाए क्योंकि ये ही अपने–अपने स्तर के हादसा कमान अधिकारी होते हैं।

प्रत्येक स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं आपातकाल प्रबंधन दल से जुड़ा होगा ताकि जोखिम न्यूनीकरण के रणनीतियों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई भी कर सकें।

7.1.1 हादसा कमान अधिकारी का दायित्व :

- आपदा के दौरान अबाधित संचार प्रणाली एवं संचार प्रवाह को बनाये रखना तथा उसके एकीकरण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित रखना,
- आपदा के सम्पूर्ण परिदृश्य को सामने रखते हुए, इसका पूर्ण प्रबंधन करना, सहयोगी एवं सहभागी इकाइयों के एकीकृत एवं समन्वित योजना का निर्माण करना एवं प्रतिवेदन की तैयारी,
- विभिन्न क्रियात्मक विभागों/एजेन्सियों को जो चाहे जिला, राज्य या केन्द्र स्तर के ही क्यों न हो निर्धारित प्रोटोकॉल एवं मानक प्रक्रिया के अन्तर्गत उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ताकि वे अपने कार्य का निष्पादन सुविधानुरूप कर पाए.
- आपदाओं के दौरान सूचना तंत्र जिसके अन्तर्गत सूचनाओं का आदान–प्रदान शामिल है को इस प्रकार दुरूस्त और नियमित रखना ताकि सभी प्रकार की सूचनाएं को प्राप्त किया जा सके उन्हें रिकार्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जा सके तथा इसके आधार पर स्वीकृति पत्र दिया जा सके.
- आपदा के दौरान खोज एवं बचाव दल को बुलाते हुए उनसे उनके प्रतिनियुक्ति एवं कार्य प्रगति पर सूचना प्राप्त करना,
- राहत शिविर एवं आश्रय स्थल के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखना तथा समयानुसार दिशानिर्देश जारी करना.
- आपातकाल के दौरान समुदाय के प्रभावित लोगों के बीच उपलब्ध राहत सामग्रियों के वितरण हेतु प्रबंधन इस प्रकार करना ताकि जरूरत मन्दों तक यह सामग्री पहुँच जाए.

- आपदा के दौरान सभी प्रकार के सम्पादित कार्यों का अनुश्रवण करना तथा आपदा के उपरान्त में सम्पन्न हुए कार्यों का अनुश्रवण करना तथा इसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार रखना.
- हादसा कमान अधिकारी को स्थिति का जायजा लेने हेतु , आपदा प्रभावित क्षेत्र का आकलन करना/स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाना
- प्रभावित क्षेत्र में जोखिम का भी पूर्वानुमान करना तथा प्रभावित होने वाले समुदाय को सूचित करना/संदेश देना.
- आपदाओं के सफल प्रत्युत्तर के लिए किए जाने वाली आवश्यक कार्यों की सूची बनाना ताकि आपदाओं का शमन पूरी तरह किया जा सके.
- आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु त्वरित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आदेश देना तथा उपरोक्त सूची संबंधी सूचना उपयुक्त एजेन्सी/व्यक्तियों को देना ताकि प्रत्युत्तर कारवाई किया जा सके.
- तात्कालिक कार्ययोजना का निर्धारण कर आवश्यक तत्वों को समुचित निर्देश देना.
- एक प्रारम्भिक तात्कालिक कोर कमिटी बनाना.
- आपदा शमन हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन प्रत्युत्तर योजनाओं का निर्धारण हुआ वह किस सीमा तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा की समीक्षा, सुधार, बदलाव तथा आवश्यकतानुसार इसे जिले की कार्ययोजना में शामिल करना, एवं
- प्रत्युत्तर के कार्य समापन के उपरान्त सभी संलग्न एजेन्सियों से कार्य समाप्ति एवं सलामती का संदेश प्राप्त कर कार्य समापन की अनुमति को स्वीकृति प्रदान करना

7.1.2 जिला में हितधारक एवं इनकी कार्ययोजना : हितधारकों को उनके कार्य के अनुसार तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है – सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन

1. **सरकारी लाईन डिपार्टमेंट:** जिले के लिए निर्धारित सरकारी लाईन डिपार्टमेंट की इकाई जिले में है। जिले में कई योजनाएँ चलायी जाती है। ये योजनाएँ केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की होती है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत बनायी गयी पुस्तिकाओं में सभी सरकारी हितधारकों की कार्ययोजनाओं तथा दायित्वों को दर्शाया गया है, ये सरकारी हितधारक/सभी विभाग जिला प्रशासन के प्रति उत्तरदायी बनाए गए हैं।

2. **समुदाय आधारित समूह :** समुदाय का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न टोलों या गाँव में बसे लोगों तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मुहल्लों में बसे लोगों से होता है सामुदायिक समूह इस प्रकार ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेह होते हैं जो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते है। चूँकि, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति से होते हुए जिला परिषद से जुड़ी होती है जो त्रिस्तरीय एकीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत आती है।

3. **स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन :** विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी हितधारक/स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन, जिले के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जीवन में उत्थान के लिए लगी हुई है यह एजेन्सियाँ ग्राम पंचायत से लेकर समाज में रहने वाले विभिन्न समुदायों तथा शहरी/ग्रामीण, विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के हितों के प्रति समर्पित रह कर क्रियाशील होती है। ऐसे कई ग्रुप, जो इस जिले में कार्यरत तो है, किन्तु अपने इतर समूह ग्रुप से एकीकृत नहीं है तथा सीधे जिले के सम्पर्क में है।

4. व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व निर्माण में उपर वर्णित हितधारक अहम भूमिका निभाते है। उनके जीवन की गुणवत्ता, उनकी गरिमा, उनका सामाजीकरण, राजनीतिकरण, आर्थिक विकास में काफी बदलाव आ जाता है। चुंकि सामाजिक आर्थिक घटकों को इसके अन्दर शामिल करने के फलस्वरूप संवेदनशीलता में कमी आती है, इस कारण भी सारे के सारे हितधारक का जुड़ाव जोखिम न्यूनीकरण से स्वतः हो जाता है।

आपदा से निपटने वाले लोगों का ऐसे समूहों से जुड़ाव होता है। जुड़ाव इस कारण हो जाता है क्योंकि ऐसे हितधारक समूह लोगों की क्षमता वृद्धि में ऐसे लोगों का प्रयोग करते हैं, अतः वे इनके सम्पर्क में होते हैं। इनसे आपदा प्रत्युत्तर में भी मदद ली जा सकती है।

ये हितधारक एजेन्सियाँ, आपदा प्रत्युत्तर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्स्थापन का प्रयास करती हैं। अतः उनके कार्यों की भी व्यवस्था यहाँ की जाती है। हितधारक एजेन्सियों के लिए दिशा निर्देशिका है। यदि ये हितधारक चाहें तो इससे आगे जाकर भी काम कर सकते हैं, यही और वृहद विकास की योजनाएँ तैयार कर सकते हैं। वे चाहें तो तत्काल मौजूद आपदा प्रबंधन योजना अपनी जरूरत को ध्यान में रख कर बना सकते हैं।

हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि उनके लिए निर्धारित आदेश के आलोक में वे अपनी कार्ययोजना बनाए तथा इसे सन्दर्भ हित में लागू की जाए। जिला आपदा प्रबंधन मार्गनिर्देशिका समायुक्त होना चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इस लिए आवश्यक है क्योंकि समय अंतराल में नए हितधारक जिले में आते रहते हैं।

7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य :

उपरोक्त कथन के आलोक में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिये किसी भी आपदा में किए जाने वाले सामान्य कार्य निम्नवत् हो सकते हैं –

(क) पूर्व चेतावनी मिलने पर/आपदा प्रभावित समुदाय से प्राप्त सूचना की स्थिति में जिला के इंसिडेन्ट कमाण्डर द्वारा आपदा की तीव्रता का आकलन किया जायेगा। यदि स्थिति असामान्य है तो इससे विभिन्न विभागों एवं सामान्य लोगों को अवगत कराया जायेगा।

(ख) इंसिडेन्ट कमाण्डर द्वारा प्रत्युत्तर कार्य हेतु आपदा संचालन मानक प्रक्रिया एक्टिवेट कर नियमित रूप से 24 घंटे काम करने वाले आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय किया जायेगा। इसके लिए तीन शिफ्ट में कार्य करने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

(ग) आपातकालीन संचालन केन्द्र, आपदा से संबंधित उसकी गंभीरता, स्थान, परिमाण आदि के संबंध में सूचना प्रसारित करेगा तथा संबंधित विभागों को इसकी जानकारी देगा। संबंधित विभाग का भी यह दायित्व होगा कि वह इस आशय की सूचना अपने स्तर से सत्यापित कर आपातकालीन संचालन केन्द्र से प्राप्त कर ले।

(घ) यदि ऐसा प्रतीत हो कि आपदा की स्थिति अत्यधिक गंभीर है तो इससे संबंधित जानकारी प्रतिदिन दो बार से ज्यादा भी दी जा सकती है।

(ङ) यदि आपदा का संबंध पड़ोसी जिले/राज्य से है तो वहाँ से इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सम्पुष्ट कर लिया जायेगा।

(च) इंसिडेन्ट कमाण्डर द्वारा जिला आपदा प्रबंधन समिति (डी.डी.एम.सी.), आपातकालीन सेवा कार्य (इ.एस.एफ.) में लगी टीम के प्रतिनिधि, आपातकालीन परिचालन केन्द्र (इ.ओ.सी.) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर स्थिति की गंभीरता की समीक्षा, तत्कालीन स्थिति तथा आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।

(छ) आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में इंसिडेन्ट कमाण्ड दल और संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने के लिए सचेत कर दिया जायेगा।

(ज) प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन दल आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में पूर्व सूचना, सलाह तथा चेतावनी का प्रचार–प्रसार करेंगे ताकि समुदाय मानसिक तौर पर तैयार हो सके।

(झ) इंसिडेन्ट कमाण्डर द्वारा खतरे की गंभीरता की समीक्षा करते हुए तत्काल आपातकालीन परिचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.), आपदा प्रबंधन दल, प्रथम प्रत्युत्तर दल तथा आपातकालीन सेवा कार्य आदि को सक्रिय कर दिया जायेगा।

(ठ) सभी प्रकार की आपदाओं में आपदा विशेष से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप राहत, बचाव एवं बचाव कार्य, Slow Onset तथा Fast Onset दोनों प्रकार की आपदाओं में प्रारंभ किए जायेंगे।

(ड) इंसीडेन्ट कमांडर द्वारा सूचना प्राप्त कर संतुष्ट हो लेने के बाद आपदा के तत्काल प्रत्युत्तर हेतु संबंधित एजेन्सियों / विभागों को सक्रिय किया जायेगा। इसके अन्तर्गत –

- आपातकालिक संचालन केन्द्र, आपदा प्रबंधन दल, त्वरित रेस्पॉन्स दल (क्यू॰आर॰टी॰) को तुरन्त सक्रिय करना। समुदाय स्तर के त्वरित रिस्पॉन्स दल और आपदा प्रबंधन दल को तत्काल ही सक्रिय कर डालना। ग्राम पंचायत को सक्रिय करना
- आपातकालिक संचालन केन्द्र के दूरभाष एवं प्रभारी के दूरभाष की संख्या बताते हुए स्थानीय आपदा संबंधी सूचनाओं का प्रवाह शुरू करना ताकि प्रत्युत्तर बेहतर हो सके।
- आपातकालिक संचालन केन्द्र से सूचनाओं की जानकारी एवं निर्देश प्राप्त करना तथा इस क्रम में आपदा प्रबंधन टीम से भी सम्पर्क एवं संवाद बनाए रखना।
- सूचनाओं का प्रवाह नीचे से ऊपर तक के पदाधिकारियों तक बनाए रखना।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा आपातकालिक संचालन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं की प्राप्ति के बाद विश्लेषण करना तथा तय करना कि आपदा, ग्राम, प्रखण्ड, अनुमंडल या जिला स्तर का है। इससे आपदा की गंभीरता का आकलन हो पाएगा।

(ढ) आपदा की गंभीरता एवं स्तर के निर्धारण के उपरान्त :

- यदि आपदा प्रखण्ड स्तरीय है तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आपदा प्रत्युत्तर के लिए जवाबदेही होंगे तथा त्वरित प्रत्युत्तर दल (क्यू॰आर॰टी॰), आपदा प्रबंधन दल (डी॰एम॰टी॰), आपातकालिक संचालन कार्य (ई॰ओ॰एफ॰) और प्रथम प्रत्युत्तर दल (एफ॰आर॰टी॰) आदि के सहयोग से प्रत्युत्तर का कार्य करेंगे।
- प्रभावित अंचल के अंचलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपातकालिक संचालन केन्द्र के नियमित सम्पर्क में रहेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय बनाते हुए प्रत्युत्तर के कार्य करेंगे।
- यदि आपदा की प्रभावकता जिला स्तर की होगी तो :– जिला के वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन प्रभारी को आपदा प्रत्युत्तर के समन्वय की जवाबदेही होगी। प्रभारी दण्डाधिकारी, आपातकालिक संचालन केन्द्र, जिला आपदा दल, क्यू॰आर॰टी॰, एफ॰आर॰टी॰, कार्य प्रत्युत्तर दल, ई॰ओ॰एफ॰ आदि को सम्मिलित कर कार्य करेंगे।

(ण) इस मौके पर एक संयुक्त समन्वय बैठक बुलाना जिसमें जिला इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्य (यदि हो तो) तथा अनिवार्य सेवा कार्य दल के प्रतिनिधि शामिल होंगे यह बैठक आपदा प्रभावित इलाके में हो तो ज्यादा बेहतर होगा । इसमें जिले में कार्यरत इंटर एजेन्सी ग्रुप के लोग भी शामिल किए जायेंगे ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके। आवश्यकता पड़ने पर प्रान्तीय / राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से आवश्यक संसाधन प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया जायेगा।

(त) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के बाहर के एजेन्सियों से प्राप्त होने वाली सहायता के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा बाहर से जैसे ही राहत सामग्रियाँ प्राप्त की जाएगी जिनकी जरूरत महसूस हो इन सामग्रियों का आवश्यकतानुरूप विवरण तैयार कर योजनाबद्ध वितरण एवं आपूर्ति की जायेगी।

(थ) सभी आपदा सहायतार्थ इच्छुक एजेंसियां तथा जिले के आपदा से संबंधित जरूरत की सूची की जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त करेंगी तथा उसी अनुरूप सहायतार्थ सामान इस कार्य हेतु चिह्नित पदाधिकारी को सौंपेंगी

■ **प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण :**

इस बात की नियमित निगरानी करना कि समाज के दुर्लभतम समूह तक सहयोगी संस्थाओं की नजर जरूर हो तथा वे राहत सहायता से वंचित न रह जाए। यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर कार्य सही दिशा में चलाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इंटर एजेन्सी समूह तथा अन्य हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मिलान एवं विश्लेषण कर इसका अभिलेख तैयार करेगा ताकि भविष्य में इसमें हुई कमियों को दूर किया जा सके।

- कार्यक्रम का कार्यान्वयन, समय पालन तथा संसाधन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।
- हितकारी समूह, प्रभावित लोगों, प्रखण्ड अधिकारी, डी.एम.टी. आदि से सम्पर्क एवं परामर्श कर आपदा से संबंधित प्रत्युत्तर कार्य को बदलती हुई आपदा परिस्थिति के अनुरूप समन्वय करना।
- प्रभावित समुदाय में किए गए कार्य के दौरान अनुभवों को संकलित करना तथा उनके सामूहिक आकलन प्रपत्र में अंकित करना।
- अनुश्रवण से प्राप्त प्रतिवेदन, अनुश्रवण के परिणाम, मूल्यांकन आदि के संबंध में सभी जानकारियाँ, सभी हितधारकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाइट पर भी डाला जाना चाहिए ताकि परिणाम सार्वजनिक हो।

7.3 सामान्यतः सभी आपदाओं के प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक निम्नांकित होंगे :–

1. संचार एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली (Communication & Early Warning System) |
2. कार्य का निर्देशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination) |
3. खोज, बचाव, राहत कार्य (Search Rescue & Relief operation) |
4. चिकित्सीय प्रत्युत्तर (Medical Response) |
5. शव तथा मलवा का निपटान (Disposal of Dead Bodies & Debris) |
6. क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई (Assessing & Compensating Damages and Losses) |
7. रसद व्यवस्था (Logistic Arrangement) |
8. राहत शिविरों का संचालन (Relief Camp Operations) |
9. सहयोग एवं दान प्रबंधन (Donation Management) |
10. मिडिया एवं सूचना प्रसारण (Media & Information Dessemination) |

आपदाओं के दौरान प्रत्युत्तर कार्य के उपरोक्त सभी प्रमुख घटकों का उद्देश्य, उसके अंतर्गत आने वाली गतिविधि संचालन का दायित्व तथा उसको प्रारंभ करने, जारी रखने तथा पूरा करने में संलग्न होने वाले समय की विवरण नीचे की सारणी में विस्तार से दर्शाया गया है।

7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली (Communication & Early Warning System) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेंसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण • जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/राज्य आपातकालीन केन्द्र • जिला पदाधिकारी के समन्वय से संबंधित विभाग। • दूरसंचार विभाग • आकाशवाणी, • दूरदर्शन, • पुलिस बेतार तंत्र रेडियो, तथा एस.एफ./बी.एस.एफ. • मोबाइल सेवा प्रदाता/दूरभाष	भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि, चक्रवात, भीड़– भगदड़, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना	• आपदा की पूर्व सूचना का संज्ञान लेना तथा चेतावनी प्रसारित करना। • संचार सुविधा की स्थापना तथा प्रबंधन • अबाधित संचार की आवश्यकता के साथ समन्वय। • मौसम विभाग से संपर्क	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र (आपदा घटित होने या होने तक)।
	बाढ़	• बाढ़ आने की सूचना आम जन तक पहुँचाना • तटबंधों के टूटने की सूचना राज्य सरकार को देना। • अतिप्रभावित समाज तथा के स्थानांतरण यथाशीघ्र चलायमान करना का काम। • बाढ़ के कारण ठप पड़ी विद्युत एवं दूरसंचार व्यवस्था को पुनःस्थापन • ऐसा एक समूह चिन्हित करना जिनके माध्यम से चेतावनी पहुँचाना है।	
• अग्निशमन	अग्नि	• अग्निकांड के बाजार में लगी आग तथा अन्य का जानकारी हासिल करना तथा पूर्व की तैयारी हेतु बुनियादी काम हेतु प्रबन्ध करना	
• आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग	सूखा	• मानसून तथा मौसम संबंधी जानकारी।	

7.3.2 कार्यों का निर्देशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेंसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन, चक्रवात, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना	• आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय करना (24X7 जब तक जरूरी हो)। • जिला आपदा प्रबंधन समिति आपातकालीन बैठक करना तथा आपात कालीन संचालन केन्द्र के अधिकारियों/नामित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा के गम्भीरता के समीक्षापरान्त आवश्यक दिशा निर्देश देना। • आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया को सक्रिय करना • नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना।	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्ति से अनुवर्ती कार्य जारी रहने तक।
• अनुमंडलाधिकारी, जिला के संबंधित पदाधिकारी।	बाढ़, भूकंप	• बाढ़ की गंभीरता का आकलन। • बाढ़ क्षति का प्रारंभिक आकलन।	

• जिला पदाधिकारी के अनुरोध पर आपदा प्रबंधन विभाग • जिलाधिकारी के अधियाचना तथा आपदा प्रबंधन विभाग/गृह विभाग के अनुरोध पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय के अनुरोध किया जायेगा • राहत अनुश्रवण एवं निगरानी समिति।		• राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य आपदा मोचन दल की माँग। • सेना की माँग • हवाई सर्वेक्षण, फूड पैकेट गिराना, खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण हेतु एयरफोर्स के हवाई जहाज/हेलीकाप्टर की माँग। • हेलीकाप्टर से फूड पैकेट बाढ़ पीड़ितों तक पहुँचाने की कार्रवाई का समन्वय एवं अनुश्रवण। • बाढ़ आपदा के संबंध में मीडिया में प्रकाशित खबरों का सतत अनुश्रवण तथा सत्यापन के उपरान्त कार्रवाई • राहत एवं बचाव कार्यों का जिला/प्रखंड/नगर/ पंचायत स्तरीय बाढ़ राहत अनुश्रवण एवं निगरानी	
• जिलाधिकारी • पुलिस ।	अग्नि	• भीषण अग्निकांड की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं पहुँचकर स्थानीय कार्य को निर्देशित करना। • कन्ट्रोल रूम को चालू रखना • अग्नि स्थल को घेराबंदी करना तथा आम जन भीड़ को दूर रखना। • डिवाईडर वाली सड़कों पर एक हिस्से से आने एवं जाने वाली गाड़ियों को अबाधित रखना तथा दूसरे हिस्से से एम्बुलेंस एवं अग्निशमन की गाड़ी को तेज गति बनाए रखने की सुविधा देना। (अग्निकांड हेतु मानक संचालन प्रक्रिया खंड–2 के अनुलग्नक – 4 पर देखें)	
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिला राहत कोषांग • आपदा प्रबंधन विभाग	सूखा	• अनुश्रवण। • सूखा राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र।	

7.3.3 खोज, बचाव, राहत कार्य (Search & Rescue Operation) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेंसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला प्रशासन, • अंचलाधिकारी, • अग्निशमन दल, • नागरिक सुरक्षा सर्विसेज • पुलिस, • सेनाऐं • राज्य आपदा मोचन दल, • राष्ट्रीय आपदा मोचन दल, • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, • स्वयंसेवी संगठन	भूकम्प बाढ़ अग्नि, तूफान, नाव दुर्घटना, भीड़–भगदड़	• खोज एवं निष्क्रमण करने की पूर्व योजनानुसार सभी उपकरणों के साथ निष्क्रमण दल को आपदा प्रभावित स्थल की ओर रवाना करना। • मलबे के नीचे गिरे गए व्यक्ति, पशुधन संपत्ति को खतरे के दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करना बच्चों, बूढ़े, महिलाओं, दिव्यांगों को प्राथमिकता प्रदान करना। सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुँचाना। • जिनका निष्क्रमण संभव न हो उनके जीवन रक्षा के लिए भोजन पानी दवा इत्यादि पहुँचाने की व्यवस्था करना।	आपदा घटित होने के तुरत बाद से आपदा की समाप्ति तक। (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रतिनियोजन संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया खंड–2 के अनुलग्नक–6 पर अंकित है।)

		• अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना। राहत शिविरों में रहना खाना, दवा के पानी तथा अन्य दैनिक उपयोग सुविधा मुहैया करना।	
	बाढ़, भूकंप	• बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव का परिचालन, नाव परिचालन पर नियंत्रण (बाढ़ आपदा के दौरान नाव–नाविकों के निर्धारित दर संबंधी दिशा निर्देश (देखें परिवहन विभाग के वेबसाइट) • बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से आबादी के निष्क्रमण राहत शिविरों तक स्थानान्तरण। राहत केन्द्रों का संचालन एवं प्रबंधन (राहत केन्द्रों का संचालन के लिए मार्गदर्शिका अनुलग्नक–29 पर संलग्न) • बाढ़ पीड़ितों के बीच मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद अनुदान के साथ आवश्यकतानुसार सूखा राशन पॉलीथीन शीट का वितरण। (विभागीय निदेश अनुलग्नक–30 पर संलग्न) • राहत शिविरों में अस्थाई शौचालय तथा शुद्ध पेयजल का प्रबंध • तटबंधों के रिसाव या टूटने से प्रभावित होने वाले आबादी का तुरंत निष्क्रमण तथा सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण।	
• अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) • एस.डी.ओ. / अंचलाधिकारी • फायर ब्रिगेड	**अग्नि**	• राहत एवं बचाव कार्य में संलग्न होना। • मृतक एवं घायलों को अनुदान प्रदान करना। • अग्निकांड स्थल पर पहुँचना, राहत एवं बचाव कार्य। • नियंत्रण कक्ष स्थापित करना • क्षतिग्रस्त संपत्ति की सूची बनाना • अग्निशमन दल तथा उससे संबंधित लोग एवं पदाधिकारी का शीघ्र पहुँचना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक
• कृषि विभाग • आपदा प्रबंधन विभाग / कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • वित्त विभाग / कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग • समाज कल्याण विभाग • शिक्षा विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग • ग्रामीण विकास विभाग • आपदा प्रबंधन विभाग	**सूखा**	• आकस्मिक फसल योजना का वृहत्स्तर पर क्रियान्वयन। • फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण। • फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा दावा भुगतान • किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण। • बैंक ऋण का पुनर्निर्धारण। • पशु संसाधन की देखभाल • सामाजिक सुरक्षा • मध्याह्न भोजन की व्यवस्था • रोजगार सृजन। • नगद सहायता।	

7.3.4 चिकित्सा प्रत्युत्तर (Medical Response) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेंसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला स्वास्थ्य समिति • रेड क्रास सोसाइटी, • निजी नर्सिंग होम, • स्वयंसेवी संगठन • जिला पशुपालन पदाधिकारी	भूकम्प बाढ़ अग्नि, सड़क रेल दुर्घटना, तूफान, नाव दुर्घटना, भीड़–भगदड़	• चिकित्सा कर्मियों तथा पारामेडिकल कर्मियों को आवश्यक उपकरण, मोबाइल चिकित्सा वाहन तथा दवा के साथ राहत शिविरों में तैनाती। • घायलों, बीमार की चिकित्सा तथा गंभीर रूप से घायलों को एंबुलेंस से बड़े अस्पताल में स्थानान्तरित करना। • महामारी की रोकथाम के लिए स्वच्छता एवं सफाई तथा टीकाकरण की व्यवस्था करना। • नजदीकी ब्लड बैंक / ब्लड डोनर से सम्पर्क कर खून की कमी वाले घायलों को प्रचुर रक्त की व्यवस्था करना।	आपदा घटित होने के तुरंत बाद से आपदा की समाप्ति तक।
• बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं मोबाईल मेडिकल टीम।	**बाढ़, भूकंप**	• महिलाओं की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की देखभाल हेतु आयरन की गोली, सेनेटरी नेपकिन का वितरण, कुआँ / चापाकल में ब्लीचिंग गोली डालने का कार्य, साँप काटने की चिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना • आवश्यकतानुसार पशुशिविरों की स्थापना, पशु चारा का प्रबंध। • जल जनित रोग से ग्रस्त मनुष्य की चिकित्सा एवं टीकाकरण। • गर्भवती माताओं / धातृ महिलाओं की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के साथ अस्पताल / राहत शिविरों में प्रसव होने की स्थिति में जच्चा–बच्चा का स्वास्थ्य परीक्षण, नवजात शिशु का टीकाकरण, धातृ महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था। (राज्यादेश खंड–2 के अनुलग्नक –24 पर संलग्न)	
• सिविल सर्जन	**अग्नि**	• चिकित्सकों के दल को सदैव तैयार रखना • अस्पताल में शय्या उपलब्ध कराना।	
• स्वास्थ्य विभाग • समाज कल्याण विभाग / स्वास्थ्य विभाग	**सूखा**	• स्वास्थ्य सेवाएँ • महामारी की रोकथाम। • महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल।	

7.3.5 शव एवं मलबा निपटान (Disposial of Dead Bodies & Debris) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेंसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला पुलिस • जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी।	बाढ़, भूकंप	• शवों का फोटो रखना। • मृत व्यक्तियों की पहचान कर संबंधियों को सौंपना। पहचान न होने पर जिम्मेदार कर्मी के देखरेख में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का पालन करते हुए शव का निष्पादन। • आपदा के कारण मृत पशुओं के शवों का निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निपटान (विभागीय निदेश खंड-2 में अनुलग्नक-35 पर संलग्न)	शव के स्थान उपलब्धि तथा मलबा निपटान होने तक
• नगर निकाय • ग्राम पंचायत • पुलिस प्रशासन • रेड क्रॉस सोसाइटी • स्वयंसेवी संगठन • जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना व आदि	• आपदा से क्षतिग्रस्त मकान सड़क पुल-पुलिया, जल निकास नहर अवशिष्ट के निपटान।	

7.3.6 क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई (Assessing & Compensating Damages & Losses) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेंसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला प्रशासन • जिला स्वास्थ्य समिति (मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी) • जिला पुलिस बल • भवन निर्माण विभाग • पथ निर्माण विभाग • जल संसाधन विभाग • लघु जल संसाधन प्रमंडल • पावर होल्डिंग कम्पनी • पशु पालन विभाग • कृषि विभाग • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना व आदि	• आपदा के कारण मृत/घायलों की सूची तैयार करना। • क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तथा क्षति का व्यापक आकलन। • क्षतिग्रस्त सड़क, पुल- पुलिया नहर बाँध के क्षति संकलित करना। • क्षतिग्रस्त विद्युत संचार संरचना के विवरण संकलित करना। • पशुधन क्षति/फसल क्षति का ब्योरा एकत्रित करना।	स्थिति सामान्य होने तथा निरीक्षण के उपरांत।
		• तटबंध में रिसाव व टूट के आकलन एवं मरम्मति। • बाढ़ से क्षतिग्रस्त चापाकलों की मरम्मति। • कृषि क्षति का आकलन करना। • मृतकों के आश्रितों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदर के अनुसार अनुदान का वितरण। (विभागीय निदेश खंड-2 में अनुलग्नक-33 पर देखें)	

7.3.7 रसद व्यवस्था (Logistic Arrangement) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेंसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला प्रशासन • खाद्य एवं आपूर्ति विभाग • अंचल/प्रखंड कार्यालय • स्वयंसेवी संगठन • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग • फायर ब्रिगेड • सिविल सर्जन	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना एवं आदि	• राहत शिविरों व अन्य खतरे से घिरे लोगों तक रसद पहुँचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में रसद–पानी का संग्रहण करना। • राहत शिविरों में सामुदायिक रसोई की स्थापना तथा भोजन पकाने एवं वितरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • राहत शिविरों में शुद्ध पेयजल मुहैया करना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक
		• अग्निशमन गाड़ियाँ चालू हालत में रखना • अग्निशमन दल में प्रशिक्षित कर्मी का होना • अग्निकांड स्थल पर तत्काल भेजना।	अग्निकांड का आकलन करने के पश्चात।

7.3.8 राहत कार्य (Relief Wrok) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेंसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिलाधिकारी • आपदा प्रबंधन विभाग • जिला आपदा संचालन केन्द्र • गृह/पुलिस • आपूर्ति विभाग • स्वास्थ्य विभाग • रेड क्रॉस सोसाइटी • नागरिक सुरक्षा • जिला नागरिक परिषद • एन.सी.सी./स्काउट गाइड • स्वयंसेवी संस्थाएँ (प्रशासन के आग्रह पर)	बड़े आपदाओं की स्थिति में जब राहत शिविर लगाने की जरूरत है।	• स्थल पर राहत शिविर लगाना • निम्नांकित केन्द्र का निर्माण– ▪ राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र ▪ सामग्रियों का पैकिंग केन्द्र ▪ राहत सामग्री पैकेटों का सुरक्षित भंडारण एवं वितरण केन्द्र ▪ स्वयंसेवक आवासन केन्द्र • राहत सामग्री संग्रहण केन्द्र पर प्राप्ति रसीद की व्यवस्था कर रखना। • राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र में मानक के अनुरूप सामग्रियों को प्राप्त करना। • पैकेट/बंडल की तैयारी कराना तथा उन्हें भंडारित करना। • राहत सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई और किस को सामग्रियाँ दी गयी, इस बात का दस्तावेज तैयार कर रखना । • वितरण एवं अन्य कार्यों में स्वयंसेवकों को लगाना तथा	सामान्य स्थिति बहाल होने तक

		उनको आश्रयस्थल उपलब्ध कराना तथा भोजन एवं आराम का ख्याल रखना।	
• जिलाधिकारी • निगम आयुक्त • अंचल/प्रखंड कार्यालय • शिक्षा विभाग • कल्याण विभाग (आई.सी.डी.एस.)	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना।	• राहत शिविरों में आपदा प्रभावित लोगों के पहुँचने पर उनका विवरण रजिस्टर में संधारित करना • राहत सामग्रियों का भंडारण, एकत्रीकरण, पैकेट निर्माण तथा वितरण सुव्यवस्थित ढंग से करना • स्थिति सामान्य होने पर राहत शिविरों से लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था करना • महिलाओं, वृद्ध तथा बच्चों को चिह्नित करना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक

7.3.9 सहयोग एवं दान प्रबंधन (Donation Management) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेंसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिलाधिकारी • आपदा प्रबंधन विभाग • जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत पदाधिकारी • आपूर्ति विभाग • बैंक हाउस • सहकारिता विभाग	बड़े आपदाओं की स्थिति में जब राहत शिविर लगाने की जरूरत है।	• आपदा स्थल पर दान-प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना। • निर्धारित दान केन्द्र का निर्माण। कोष/सहायता/सेवाएँ। • दान प्राप्ति रसीद तथा नकद की व्यवस्था करना (चेक/ड्राफ्ट) • राहत सामग्रियों के भंडारण केन्द्र की पहचान करना। यहाँ भंडारण के साथ-साथ पैकेट निर्माण तथा वितरण की व्यवस्था करना। • इस बात के दस्तावेज तैयार रखना कि आपूर्ति किसके द्वारा एवं कब की गई है। • राहत हेतु दान करने के पूर्व सम्बंधित एजेंसी जिले की आवश्यकता की जानकारी लेंगे	• नकद संसाधन एवं सामग्री प्रबंधन में सामंजस्य स्थापित कर उन्मुखीकरण करना। • उक्त सामग्री प्रबंधन तथा रख-रखाव फंडिंग तथा वितरण में संशोधित करना।

7.3.10 मीडिया एवं सूचना प्रसारण (Media & Information Dessemination) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेंसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय • मीडिया–प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक • सोशल मीडिया (ट्विटर, व्हाट्स एप) • एन.सी.सी. • स्वयंसेवी संस्थाएं	बाढ़, भूकंप, भीषण अग्निकांड, बड़ी सड़क दुर्घटना एवं अन्य	• आपदा के दौरान एलर्ट मैसेज भेजना। • नामित पदाधिकारी द्वारा प्रतिदिन निर्धारित समय पर मीडिया ब्रीफिंग करना • मीडिया से सूचना प्राप्त करना। • अखबारों के रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा हॉल एवं के माध्यम से लोगों संदेश भेजना। • मृत, घायल, लापता एवं अन्य की सूची जारी करना। • राज्य स्तर के मीडिया का सहयोग प्राप्त करना। • नियंत्रण सूचना केन्द्र का प्रचार करना। • सूचना के प्रसारित करने हेतु एन.जी.ओ. नेहरू युवा केन्द्र आदि का सहयोग लेना	सामान्य स्थिति बहाल होने तक

★ क्षति आकलन बिहार सरकार के निर्धारित मानक अनुसार प्रपत्र में हो जिसमें प्रभावित प्रखंड, पंचायत, गाँव, जनसंख्या, जनहानि, पशुहानि तथा संरचनात्मक ढांचे के साथ फसल क्षति आदि की स्थितियों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

★ पीड़ितों को राहत केन्द्र में रहने तक यह सुनिश्चित करना कि एक दण्डाधिकारी की नियुक्ति हो जो स्थिति पर तीक्ष्ण दृष्टि रखे और आवश्यक निर्देश दे ताकि सुचारु कानून व्यवस्था बनी रहे।

2016 बाढ़ के दौरान उठाये गये कदमों के अनुकरणीय पहलू

- *बाढ़ प्रभावितों को विद्यालय एवं अन्य सरकारी कार्यालयों में ठहराया गया तथा शौचालय की सफाई की अच्छी व्यवस्था एवं स्नान व्यवस्था कराया गया।*
- *बड़ी संख्या में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण किया गया।*
- *कई कैम्पों में आर.ओ. प्लांट पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा शुद्ध जल मुहैया कराया गया।*
- *कुछ कैम्पों में कुछ संस्थाओं के द्वारा बोतल के रूप में शुद्ध जल उपलब्ध कराया गया।*
- *आंगनवाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं ने नन्हें बच्चों को पठन–पाठन में सम्मिलित कराया एवं सेविकाओं ने बच्चों हेतु भोजन तैयार किया।*
- *प्रथम बार पटना उच्च विद्यालय बख्तियारपुर में रोटी बनाने हेतु मशीन का उपयोग किया गया।*
- *गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया गया। सभी महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी दी गयी। आवश्यकता पड़ने पर दवा उपलब्ध कराया गया। कैम्प में कई महिलाओं का सुरक्षित रूप से प्रसव निष्पादित हुआ।*
- *कैम्प के आस–पास सफाई हेतु ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया।*
- *पशुओं की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की गयी।*
- *राघोपुर (वैशाली) के 3500 बाढ़ पीड़ितों हेतु दीदारगंज (पटना सिटी) में आवासीय स्थल बनाया गया एवं लगभग 800 लोगों को पटना के विद्यालय में आश्रय स्थल बनाया गया।*
- *सर्वाधिक प्रभावित राघोपुर प्रखंड के पीड़ितों हेतु सामुदायिक रसोईघर 2 दिनों तक संचालित रहा।*

\+ + + + + +

अध्याय : 8

पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति

RECONSTRUCTION, REHABILITATION, RECOVERY

आपदायें विध्वंसकारी होती हैं, जिसमें बुनियादी संरचनाएँ नष्ट हो जाती हैं और उससे काम काज में बाधा उत्पन्न होती है। इस घटना से मनुष्यों और पशुओं का भी क्षति होता है। आपदा के टलने के पश्चात् उसकी विभिन्नता के अनुसार बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि उपरोक्त कार्यों को सम्पन्न करने के लिये क्षति आकलन के तरीके क्या होंगे तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन किया जायेगा।

भीषण आपदाओं के दौरान निजी अथवा सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं में व्यापक क्षति होने के कारण आपदा के कारण प्रभावित होने के साथ ही दैनिक जीवन की गतिविधियाँ पूर्णतः या आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। अत्यन्त संवेदनशील संरचनाएं तथा नेटवर्क, सड़क संपर्क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार इत्यादि ठप हो जाते हैं जीवन–यापन को सामान्य बनाने हेतु पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यों को पूरा करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर इसे पूरा करने में अत्यधिक ज्यादा संसाधन एवं समय लगता है। इस बीच जीवन प्रणाली सहज करने प्रारम्भ कर दिया जाता है ताकि प्रभावित समुदाय या समाज के जीवन सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके

यूएनआईएसडीआर द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ निम्नवत है :–

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction) :** आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त जीवन रक्षक संवेदनशील आधारभूत संरचना सेवा, मकान, जन सुविधा तथा जीविका के साधन जो आपदाग्रस्त किसी समुदाय या समाज के पूर्णतः क्रियाशील बनाये रखने के लिए आवश्यक हो, को जगह एक लचीला (Resillient) संरचना का मध्यकालीन या दीर्घकालीन पुनर्निर्माण जो टिकाऊ विकास तथा 'पूर्व से बेहतर निर्माण' की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जो भविष्य में आपदा जोखिम न रहे उसे हम पुनर्निर्माण कहेंगे।

- **पुनर्स्थापन (Rehabilitation) :** किसी समुदाय अथवा समाज के सामान्य क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध प्राथमिक जन सुविधा, सेवा जो आपदा से ध्वस्त हो गई हो का त्वरित पुनर्निर्माण को पुनर्स्थापन कहा जायेगा।

- **पुनर्प्राप्ति (Recovery) :** आपदा पीड़ित किसी समुदाय या समाज के जीविकोपार्जन के साधन एवं स्वास्थ्य और आर्थिक भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण से जुड़े सम्पत्तियों व्यवस्थाओं की स्थिति में सुधार अथवा पुनर्स्थापन जो 'पूर्व से बेहतर निर्माण' एवं टिकाऊ विकास की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जिससे भविष्य में आपदा जोखिम की श्रेणी से बाहर हो, को पुनर्प्राप्ति कहेंगे।

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction) :** चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है इसलिए यह उचित होगा कि तात्कालीन तथा मध्यकालीन/दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनाया जाय। तात्कालीन क्रिया–कलाप में संबंधित दल संसाधन क्षति का आकलन करेगा। साथ ही संबंधित एजेंसियों के माध्यम से सहज व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर पालिका के माध्यम से आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेंगे। सभी आवश्यक क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मती का कार्य कराया जा सकेगा

  इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करना, शिक्षण कार्य को बहाल करना, जल एवं स्वच्छता की इकाइयों का निर्माण तथा बिजली की आपूर्ति को बहाल करना मुख्य कार्य होगा।

- **पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति (Recovery through Rehabilitation) :** आपदा पश्चात यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उनके रहने के निजी स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसमें प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा

जायेगा। चिकित्सा के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग किया जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसा से उबरने में सफल हो सके।

8.1 क्षति आकलन (Damage Assessment) : आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3001 दिनांक–30.09.2014 के अनुसार 'प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा' के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का निर्धारण जिला दण्डाधिकारी को ही करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (Power Delegate) कर सकते हैं। खंड–2 में अनुलग्नक–35 पर द्रष्टव्य है।

आपदा के पश्चात क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, आधारसंरचना, संपत्ति तथा पर्यावरण की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एवं विकास कार्यों से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिए। इसे मुख्यतः दो खण्डों में विभक्त किया जा सकता है

(क) स्थिति का आकलन

(ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है। इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समुदाय को इस संकट से उबरने के लिए आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरपाई विकास कार्यों द्वारा की जानी चाहिये।

- आपदा क्षति के विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख हैं –
- मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्ति का विनाश
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओं की क्षति
- चिकित्सा के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण को क्षति
- मनो–सामाजिक सदमा

संभाग वार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी –

क्र.सं.	प्रभावित संभाग	पद्धति	उत्तरदायी एजेंसी
1	मानव क्षति	• मृतकों के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियों को सौंपना। • अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान। • लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम क्रिया।	समुदाय, मुखिया, वार्ड पार्षद, निकट संबंधी अंचल पदाधिकारी जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक
2	घायल	• घायलों का सबसे निकट स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना। • घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा।	पुलिस, चौकीदार, समुदाय स्वयंसेवी संगठन जिला स्वास्थ्य समिति
3	आधारभूत संरचना	• आपदा के उपरांत सरकारी भवनों में हुई क्षति की मापी भवन निर्माण प्रमंडल के अभियंता लेंगे तथा आवश्यक मरम्मती का प्राक्कलन के साथ जिलाधिकारी को समर्पित करेंगे।	भवन निर्माण प्रमंडल
4	जनोपयोगी संरचनाओं का मरम्मत/पुनर्निर्माण,	• संबंधित विभाग के पदाधिकारी क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन जिलाधिकारी को समर्पित करेंगे।	संबंधित विभाग
5	निजी मकान	• निजी मकानों को उनकी बनावट तथा क्षति की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक	अंचलाधिकारी

		क्षति या पुनर्क्षति का ब्यौरा एकत्र करना।	
6	कृषि / पशु संसाधन	• फसल की पूर्ण क्षति या आंशिक क्षति का आकलन, रकबा एवं भू-मालिकों के ब्यौरा का संकलन। • पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की जानकारी हासिल कर आर्थिक मूल्यांकन करना।	प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीमा कम्पनी
7	मेडिकल (भौतिक मनोवैज्ञानिक)	• चिकित्सा के क्षेत्र में घायलों एवं बच्चों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराई जायेगी। • आपदा के कारण मानसिक आघात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से काउन्सलिंग कराया जाए	सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति
8	जीविका के साधन बहाल करना	• जीविका के साधन या दुकान ऐसे जो आपदा प्रभावित क्षेत्र में स्थापित/संचालित हो उनको बीमित करना तथा उनके पुनर्वापसी हेतु आकलन तैयार करना।	बीमा कम्पनी, ग्रामीण विकास विभाग

8.2 पीड़ितों को राहत (Relief to the Victims) : भूकम्प, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन आदि आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये हैं इसका संक्षिप्त विवरण का नीचे उल्लेख करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र/अधिसूचना इस योजना के साथ अनुलग्नक है।

- वर्ष 2015-2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस॰डी॰आर॰एफ॰एवं एन॰डी॰आर॰एफ॰) द्वारा निर्धारित सहायता मानदर मुहैया कराने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 का निर्णय। *(खंड-2 के अनुलग्नक-27 पर संलग्न)*

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविर में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित न्यूनतम मापदंड के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2010 का निर्णय। *(खंड-2 के अनुलग्नक-28 पर संलग्न)*

- राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 का निर्णय। *(खंड-2 के अनुलग्नक-29 पर संलग्न)*

- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वज्रपात (Lightning) लू (Heat Wave) अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असामान्य भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies) नदियों/तालाबों/गड्ढों में डूबने से होने वाली घटनाएं, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा-सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करते हुए इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान / अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया *(विभाग द्वारा निर्गत आदेश खंड-2 के अनुलग्नक-31 पर संलग्न है)*

- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है। *(खंड-2 के अनुलग्नक-33 पर संलग्न है)*

- पत्रांक 1692 दिनांक 22.04.2010 द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों के देय अनुदान की राशि RTGS/NEFT अथवा A/c Payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निदेश निर्गत किया गया है। *(खंड–2 के अनुलग्नक–34 पर संलग्न है)*
- कुछ विशेष परिस्थितियों में अग्निकांड से प्रभावित पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित राहत का प्रावधान किया है। विस्तृत विवरण खंड–2 में वर्णित अनुलग्नक पर देखा जा सकता है –
  - आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के लिए मुआवजा, अनुलग्नक – 40
  - अग्निकांड पीड़ितों के लिए विशेष राहत केन्द्र का संचालन, अनुलग्नक – 41
  - अग्निकांड में होने वाले फसल क्षति के विरूद्ध अनुदान, अनुलग्नक – 42
  - गैस टैंक से अग्निकांड से पीड़ित को अनुदान, अनुलग्नक – 43
- अनावृष्टि/चक्रवात तूफान/भूकंप से प्रभावितों को राहत वितरण के संबंध में *राज्यादेश खंड–2 के अनुलग्नक–44* पर संधारित है। वज्रपात के कारण मृतकों के आश्रितों को भी समतुल्य अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस संबंधी *राज्यादेश खंड–2 के अनुलग्नक – 45* पर संधारित किया गया है।

8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन (Restoration of Basic Infrastructures) : आधारभूत संरचना तथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, सेतु सड़क, सड़क संपर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इनका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेंगे।

8.4 जीवन प्रदायी भवनों की मरम्मति (Repair/Reconstruction of Life Line Building) : बाढ़ एवं भूकंप से प्रभावित एवं क्षतिग्रस्त ऐसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैनिकी चर्या के लिए अति महत्वपूर्ण हैं उन भवनों का त्वरितशीघ्र मरम्मति कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। आपातकालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मति युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माण : अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति तथा पुनर्निर्माण इस प्रकार से की जायगी कि वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हों।

जीविका का पुनर्स्थापन : आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फसल मारी जाती है। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होता है। आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ जाती हैं। ऊर्जा की समस्या कुटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्यायें वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इन्हें पुनः पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान, कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया – जोमान है राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में समाहित की जा सकती है।

चिकित्सीय पुनर्स्थापन : आपदा के समय से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए हर प्रकार की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। कभी–कभी इन व्यक्तियों के प्रत्यक्षदर्शी शारीरिक रूप से घायल न भी हों तो भी उन्हें गहरा मानसिक आघात लगता है जिसके चपेट में आने के उपरांत उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। वे सामान्य काम–काज करने से असमर्थ पाये जाते हैं। इन मनो–सामाजिक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सा का भी समुचित प्रबंध किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

दीर्घकालिक पुनर्वापसी : बहु–आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के कार्यों से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुनर्वापसी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ी आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते हैं ऐसी परिस्थिति में समुदाय को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक 'कॉउंसलिंग' करने की आवश्यकता होगी ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके।

\+ + + + + +

अध्याय : 9

बजट एवं वित्तीय संसाधन

BUDGET & FINANCIAL RESOURCE

पटना जिला आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत बहु–आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु पूर्व तैयारियों की आवश्यकता है, साथ ही इनके प्रभावों को कम करने के लिए न्यूनीकरण का सतत प्रयास किया जाना है। इसके अलावा आपदा घटित हो जाने पर प्रशासन को ढेर सारी प्रत्युत्तर (रिस्पॉंस) कार्य करना होता है। इन सभी गतिविधियों में वित्त की आवश्यकता होगी। इस हेतु निधि के कौन–कौन से संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं जिसकी पहचान करने की जरूरत है। इस अध्याय में विभिन्न कार्य–कलापों हेतु निधि के स्रोत की तलाश की गयी है।

9.1 अधिनियम में प्रावधान : आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा निधियों की स्थापना की जायेगी। धारा –48(1) के अनुसार राज्य सरकार 'जिला प्राधिकरणों............ के लिए निम्नलिखित निधियों की स्थापना करेगी'– (ग) जिला आपदा मोचन निधि, (घ) जिला आपदा शमन निधि। इसी प्रकार धारा–48(2) में वर्णित है कि उपधारा–(1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियाँ जिला प्राधिकरण को उपलब्ध हैं।

9.2 विभिन्न निधि स्त्रोत : इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (फंड) तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि(फंड) का प्रावधान किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आपदा न्यूनीकरण निधि(फंड) का प्रावधान का जिक्र है। इन निधियों से रिस्पॉंस एवं मिटिगेशन' कार्यो हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेगा। उपरोक्त कार्यों के लिए अधिनियम में जिला स्तर पर भी निधि जारी करने का प्रावधान रखा गया है।

इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आपदाओं हेतु तय की गयी क्षतिपूर्ति राशि (मानदर 2015–20) को अपनाया है जिससे भुगतान किया जाता है। 14वें वित्त आयोग के निदेश के अनुरूप राज्य सरकार ने कुछ स्थानीय आपदाएँ चिन्हित कर रखी है जिस हेतु 'रिस्पॉंस फंड' में प्राप्त कुल राशि 10 प्रतिशत अधिकतम व्यय में उपयोग किया जा सकता है

आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी निधि उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही आपदा के उपरान्त पुनर्निर्माण प्रक्रिया में यदा–कदा स्थानीय सांसदों हेतु उपलब्ध (प्रति सांसद/प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपये) निधि का भी उपयोग किया जा सकता है

आपदा प्रबंधन योजना के तहत निम्नलिखित शीर्षो में निधि की आवश्यकता पड़ सकती है। ये है –

- आधारभूत संरचना का निर्माण
- जागरूकता गतिविधियाँ
- खोज बचाव व राहत उपकरण की आपूर्ति एवं स्थापना
- मरम्मत एवं रखरखाव
- स्थापना व्यय ।

9.3 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम (Central Govt. Plan & Non Plan Schemes) :–

क्र. सं.	सम्पोषित योजना का नाम	आपदा शमनीकरण कार्य में उपयोग होने वाली राशि	लागू करने वाले विभाग/संभाग/एजेंसी
1	कृषि रोड मैप	इसके अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली फसलों पर असर तथा इसमें लाये जाने वाली बदलाव के कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है।	कृषि विभाग
2	मनरेगा	• पंचायत स्तर तक आधारभूत संरचना खड़ी करना एवं विभिन्न विभागों के काम का अभिमुखीकरण (Convergence)। इस निधि से पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन आदि गतिविधियां के कार्य किये जा सकते हैं। • सामाजिक वानिकी।	ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण एवं वन
3	सात निश्चय कार्यक्रम	गली–नाली का स्थापन एवं हर घर नल का जल अर्थात पाइप से पानी की आपूर्ति।	ग्रामीण विकास, पंचायतीराज एवं पेयजल एवं स्वच्छता
4	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	फसल क्षति होने पर किसान कुछ निश्चित राशि देकर क्षतिपूर्ति पा सकते हैं	कृषि विभाग

5	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	20 प्रतिशत या इससे अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि।	सहकारिता
6	शताब्दी अन्न कलश योजना	निर्धन, वृद्ध, विधवा, निराश्रित को सहायता।	आपदा प्रबंधन / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
7	बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	आपदा की स्थिति में फसल के बर्बाद होने के कारण छोटे किसानों या बटाईदारों द्वारा मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करने पर उनके परिवारों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ प्रदान करना	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
8	जीविका	महिला सशक्तिकरण	बिहार स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन
9	आंगनबाड़ी	छह माह से छः वर्ष के बच्चे के तथा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना।	कल्याण – आई.सी.डी.एस.
10	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	पंचायत स्तर तक शुद्ध पेयजल हेतु संरचना निर्माण का स्थापन।	पेयजल एवं स्वच्छता
11	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	चिकित्सालयों का निर्माण।	जिला स्वास्थ्य समिति
12	मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम	शिक्षक, स्कूली बच्चे आदि को आपदा जोखिम के विभिन्न विषय में प्रशिक्षित करना।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
13	सर्व शिक्षा अभियान	स्कूल तथा उसमें शौचालय एवं चापाकल स्थापन।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
14	प्रधानमंत्री सिंचाई योजना	सुखाड़ के दौरान सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना।	जल संसाधन
15	आशा कार्यकर्त्ता	गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सीय जरूरत पूरी करना।	जिला स्वास्थ्य समिति
16	मिड–डे–मील योजना	स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करना।	मिड–डे–मील जिला कार्यक्रम
17	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण	गरीबों के लिए (आपदा क्षति के तहत) आवास उपलब्ध कराना।	
18	सड़क सुरक्षा निधि	राज्य द्वारा विभिन्न वाहनों से कर / दंड शुल्क का कुछ अंश जिले में सड़क दुर्घटना के न्यूनीकरण हेतु उपयोग	परिवहन विभाग
19	चौदहवीं वित्त आयोग (2015–20)	प्राप्त निधि में से क्षमतावर्द्धन तथा स्थानीय आपदा हेतु क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराना।	आपदा प्रबंधन विभाग
20	पांचवी राज्य वित्त आयोग (2015–20)	पंचायत एवं स्थानीय निकाय के विकास हेतु उपलब्ध निधि से आपदा शमनीकरण का उपयोग।	पंचायतीराज / नगर पालिका
21	आपदा मोचन (Responce) निधि	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48(1) एवं (2) के अनुरूप उपलब्धता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
22	जिला आपदा शमन (Mitigation) निधि	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48(1) एवं (2) के अनुरूप उपलब्धता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
23	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	गरीबों को अनाज मुहैया कराना।	खाद्य एवं आपूर्ति
24	मिलेनियम शैलो ट्यूबवेल योजना	अनियमित वर्षा एवं सूखे की स्थिति में रबी एवं खरीफ के दौरान किसानों को ट्यूबवेल मुहैया कराना।	लघु जल संसाधन विभाग

9.4 अन्य स्रोत (Other Options) : इसके अतिरिक्त बीमा निगम के विभिन्न योजना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा राहत कोष में प्राप्त निधि का इन कार्यों में उपयोग किया जा सकता है।

\+ + + + + +

अध्याय–10

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण

MONITORING, EVALUATION & UPDATION

प्रत्येक योजना में परिकल्पित (Envisaged) लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उस योजना के क्रियान्वयन काल में प्रभावी सतत् अनुश्रवण अत्यंत आवश्यक है। यदि भविष्य में भी या पुनः इसी योजना को क्रियान्वित करनी पड़े तो पूर्व में क्रियान्वित योजना का मूल्यांकन कर यह जाना जा सकता है कि किस हद तक परिकल्पित लक्ष्यों, उद्देश्यों को हासिल किया गया ? यदि लक्ष्य को हासिल करने में कोई चूक हुई है तो उसके मुख्य कारण क्या – क्या हो सकते हैं ? अतः सतत् क्रियान्वित होने वाली योजना का समय–समय पर मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण जरूरी एवं लाभप्रद होता है। जिला आपदा प्रबंधन योजना बार–बार घटित होने वाली आपदा से जनता को अक्षुण्ण रखने तथा आपदा जोखिम में उत्तरोत्तर कमी लाने के उद्देश्य से क्रियान्वित होने वाली योजना है। अतः इसका सतत् अनुश्रवण, निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जायेगा। प्रत्येक आपदा से निपटने के उपरांत प्रभावी मूल्यांकन एवं समीक्षा दस्तावेज तैयार किये जायेंगे। इन दस्तावेजों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में जिला आपदा प्रबंधन योजना का अद्यतनीकरण (Updation) किया जायेगा।

10.1 योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन (Guidelines for Monitoring & Evaluation of the Plan) : योजना का सतत् अनुश्रवण एवं आवधिक मूल्यांकन के लिए निम्नांकित तरीके से कार्रवाई की जायेगी–

10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारायें :

31(4) – जिला योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन (Review) किया जाएगा और अद्यतन (Update) किया जाएगा।

31(5) – उपधारा(2) और उपधारा(4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियाँ जिले में सरकारी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी

31(6) – जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

31(7) – जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

धारा 32 – जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला पदाधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुए–

(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन (Review) करेंगे और उसे अद्यतन (Update) करेंगे।

10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकन : अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी खास माह में प्रबल रूप से घनीभूत होती है और कुछ आपदायें बिना किसी पूर्व सूचना/आभास के अचानक घटित हो जाती हैं। दोनों तरह की आपदाओं की क्षति का आकलन, पूर्व तैयारी, बचाव, पुनर्प्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्यौरा का सहारा लिया जाता है। मूल्यांकन के अच्छे प्रयासों को पुनः दुहराया जाता है तथा अप्रभावी प्रयासों को तिरस्कृत किया जाता है।

प्रत्येक बड़ी आपदा से उबर जाने के पश्चात् इसका दस्तावेजीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनों तरह के प्रयासों की विवेचना की जानी चाहिये । इन समीक्षा दस्तावेजों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनर्मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जाना आवश्यक होगा

10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना का प्रभावशीलता की जाँच : प्रभावशीलता (Effectiveness) किसी कार्यक्रम की सफलता की दर होती है, जबकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता तथा प्रयासों (Efforts) का अनुपात सक्षमता (Efficiency) का संकेत देता है। प्रत्येक बड़ी आपदा से निपटने के उपरान्त आपदा विशेष से निपटने हेतु योजना में किये गए प्रावधानों की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस मूल्यांकन से यह जाना जा सकता है कि कौन से उपाय, उपकरण या कार्यविधि आपदा मोचन, पुनर्वास या पुनर्स्थापन कार्यों में अधिक सक्षम एवं कारगर साबित हुये हैं। भविष्य की आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों का बेहिचक दुहराया जा सकता है अथवा अन्य किसी आपदा प्रभावित समतुल्य स्थल पर भी इन्हें दुहराया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि कोई उपाय उपकरण या क्रियाविधि कारगर साबित नहीं होता है या आपदा की विभिषिका को घटाने की बजाए बढ़ा देता है तो भविष्य के लिए या समतुल्य अन्य स्थल के लिए आपदा प्रबंधन योजना में उसे प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

10.1.4 जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन (निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा अन्य) सूची को अद्यतन करना : जिला अंतर्गत कार्यरत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निगमों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य औद्योगिक, सैन्य एवं असैनिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी एवं पदाधिकारी स्कूल तथा कॉलेज के छात्र–छात्रा तथा शिक्षक–प्राध्यापक, अस्पताल एवं निजी नर्सिंग होम में कार्यरत चिकित्सा कर्मी और पारा मेडिकल कर्मी इत्यादि के बीच से ही आपदा के दौरान सहायता करने के लिए प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) तैयार किये जा सकते हैं। इनमें से चुने हुये कर्मियों/स्वयंसेवकों को आपदा मोचन के विभिन्न कार्यों में सहयोग हेतु प्रशिक्षित कर उनकी सूची योजना के परिशिष्ट में उपलब्ध रहनी चाहिये। इसी प्रकार आपदा मोचन में सहायक विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े उपकरण की सूची भी योजना के परिशिष्ट पर संधारित रहनी चाहिये। समय–समय पर कर्मियों का स्थानान्तरण होने या सेवानिवृत्त होने के कारण पुराने प्रशिक्षित कर्मी की जगह नये एवं प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित कर्मी उनका स्थान ग्रहण करते हैं उपकरणों में भी नये की खरीद तथा पुराने अनुपयोगी उपकरण का निष्पादन किया जाता है अतः इस संसाधन सूची को भी नियमित रूप से अद्यतन करना जरूरी है

10.1.5 नियमित मॉकड्रील तथा प्रयास द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच (Regular Mock-drills & Exercises to Test Efficacy of the Plan) : योजना में परिकल्पित परिस्थिति विशेष में प्रभावी उपायों/उपकरणों की वास्तविक प्रभावकता वास्तविक आपदा के दौरान अक्षुण्ण बनी रहे इस उद्देश्य से यह जरूरी है कि वास्तविक आपदा घटित होने के पूर्व तक परिकल्पित आपदा की परिस्थितियों में सभी हितभागियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के बीच समन्वय स्थापित करने का एक या अधिक बार मॉकड्रील तथा पूर्वाभ्यास किया जाय। इस पूर्वाभ्यास के दौरान समन्वय में तथा उपकरणों की प्रभावकता में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर इसे दूर करने का प्रयास सफलतापूर्वक किया जा सकता है तथा पूर्वाभ्यास की पुनरावृत्ति कर इसकी प्रभावकता को पुनः जाँच भी कर ली जा सकती है। ऐसा करते रहने से आकस्मिक आपदा के दौरान इससे निपटने के लिए ट्रिगर मेकेनिज्म तथा परस्पर निर्भर उत्तरदायित्वों का समन्वय सर्वोत्तम तरीके से कार्य करता है योजना की सफलता की गारंटी सुनिश्चित करता है

10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का नियमित उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण (Regular Training of Officials for Plan Implementation of Plan) : जिलान्तर्गत आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों का नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा

10.1.7 योजना का अद्यतनीकरण (Updation of Plan) : जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र आपदा संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, संधारण तथा विश्लेषण का कार्य करेगी। भीषण आपदाओं के दौरान कार्यान्वित आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता तथा प्रणालियों की सक्षमता का मूल्यांकन दस्तावेज (Documentation) के आधार पर सबसे अधिक सक्षम आपदा मोचन एवं शमनीकरण कार्यक्रम जिसमें लागत के रूप में कम से कम धन, समय, मानव संसाधन आदि लगाना पड़ता है, उसे प्राथमिकता प्रदान करते हुये योजना को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा।

10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण (Circulation) : सभी हितधारकों को योजना की प्रति उपलब्ध कराते हुये उन्हें उनकी उत्तरदायित्व तथा भूमिका के संबंध में जागरूक करने का काम सतत जारी रखा जायेगा। प्रचार प्रसार तथा जिला स्तर पर संबंधित विभागों के लिए समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूरसंचार माध्यमों के सहारे से आपदा के पूर्व सूचना के साथ क्या करें और क्या न करें इस बात की जानकारी प्रसारित की जायेगी।

10.1.9 समन्वय (Co-ordination) : सभी विभागीय एजेंसियों/विभाग के नोडल पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय बनाये रखना प्रभावी आपदा मोचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अनवरत बनाये रखने का सभी उपक्रम प्राथमिकता के तौर पर किये जायेंगे। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर गठित आपातकालीन संचालन दल के मुखिया (Commander) जवाबदेह होंगे दल में शामिल सदस्य कमाण्डर के निर्देशों का पालन करेंगे।

10.1.10 लोक जागरण (Public Awareness) : जिला आपदा प्रबंधन योजना को जिला के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा । इसके परिशिष्टों की सूची से परिशिष्टों के विवरण का लिंक कर दिया जायेगा। आपदा की सूचना इंटरनेट द्वारा जिला के वेबसाइट पर दर्ज करने तथा वहीं आपदा की स्थिति में स्व सुरक्षा तथा सामूहिक सुरक्षा के लिए बरती जाने वाली सावधानियों का अनुपालन से उल्लेख किया जायेगा।

+ + + + + +

जिला आपदा प्रबंधन योजना, पटना

खंड–2

मानक संचालन प्रक्रिया, सुरक्षात्मक सुझाव एवं राज्यादेश

'शुकराना समारोह', पटना

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

पटना

जिला आपदा प्रबंधन योजना, पटना
DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN, PATNA

मानक संचालन प्रक्रिया, सुरक्षात्मक सुझाव एवं राज्यादेश

खंड–2

SOPs, ADVISORIES & GOVERNMENT CIRCULARS

VOLUME-2

जिला आपदा प्रबंधन योजना, पटना

प्रकाशक : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना – 800001

मार्गदर्शन एवं सम्पुष्टि : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना ।
पिन कोड : 800001

तकनीकि सहयोग : प्रो. जी.पी.सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट,
रोड नं. 10(एन), राजेन्द्र नगर, पटना । पिन कोड : 800016
दूरभाष : 0612–2071820 मो. 9334700107
Email ID : gpscdmrdpat@gmail.com,

आपातकालीन संपर्क

जिलाधिकारी –	0612–2219545 (कार्यालय)
	0612–2218900 (फैक्स)
	0612–2219097 / 2219383 (आवास)
वरीय पुलिस अधिक्षक –	0612–2214318 / 2119745 (कार्यालय)
	0612–2320393 (फैक्स)
	0612–2320047 / 2321467 (आवास)
नगर पुलिस अधिक्षक (केन्द्रीय) –	0612–2219423 (कार्यालय)
	0612–2219041 (आवास)
नगर पुलिस अधिक्षक (पश्चिमी) –	0612–2219360 (कार्यालय)
नगर पुलिस अधिक्षक (पूर्वी) –	0612–2219359
राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र –	0612–2217301 / 305
टॉल फ्री नंबर –	1070
आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष –	0612–2215600
जिला नियंत्रण कक्ष, पटना –	0612–2219810 / 2219234

फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम

	0612–2222223 / 2229988
स्टेट फायर अफसर –	9473199836
पटना फायर अफसर –	9473199838
ककड़बाग –	9473199834
सचिवालय –	9431426486
पटना सिटी –	9473199837

हेल्पलाईन –

पुलिस (100), आग (101), स्वास्थ्य सेवायें (102) और (108)

राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न पड़ाव

मानक संचालन प्रक्रिया, सुरक्षात्मक सुझाव एवं राज्यादेश, दिशा निदेश, संसाधन सूची एवं अन्य
खण्ड 2 (अनुलग्नक अनुक्रमणिका)

अनु.सं.	मानक संचालन प्रक्रिया/अन्य	पृष्ट सं.
1	सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)	1–33
2	सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन (SOP)	34
3	बाढ़ प्रबन्धन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)	39
4	अग्निकाण्ड से निपटान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)	56
5	पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)	60
6	NDRF के प्रतिनियोजन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)	65
7	भीषण गर्मी एवं लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में	74
8	मेला या भीड़ के मौके पर नियंत्रण हेतु हितधारकों की उत्तरदायित्व	78
9	हवाई अड्डा पर उपलब्ध आकस्मिक कार्य योजना एवं मानक संचालन प्रक्रिया	79
	आपदाओं से बचाव के उपाय एवं सुझाव	
10	गर्मी/लू लगने पर क्या करें	83
11	परित्यक्त बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों के संबंध में	84
12	सड़क दुर्घटना द्वारा निपटारा	87
13	सड़क सुरक्षा के उपाय	88
14	अगजनी से बचाव हेतु उपयोगी टिप्स एवं सुझाव	89
15	बिहार अग्निशमन सेवा की ओर से दुर्गापूजा, दीपावली एवं छठ में सुरक्षा उपाय	92
16	फसल अवशेष न जलायें	93
17	जापानी इन्सेफेलाइटिस के रोकथाम/डेंगू/चिकुनगुनिया से बचाव	94
18	वज्रपात (ठनका) क्या करें– क्या न करें	95
19	शीतलहर से बचाव	96
20	2012–13 में शीतलहर/पाले से निपटने के सम्बन्ध में	97
21	सर्दी के मौसम में पशुओं के देखभाल हेतु आवश्यक सुझाव	100
22	नाव दुर्घटना से बचने के उपाय – नाव मालिकों एवं जिला प्रशासन हेतु	101
23	नदियों/तालाबों में डूबने की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु जरूरी सलाह	103
24	भीड़/भगदड़ में क्या करें–क्या न करें	104
25	दशहरा/दुर्गापूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य बातें	105
26	छठ पूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव	106
	पीड़ितों को राहत प्रदान संबंधी राज्यादेश	
27	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ) द्वारा निर्धारित सहायता मानदर के अनुरूप सहायता मुहैय्या करने के संबंध में (2015–2020)	107
28	आपदा प्रभावितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल आदि के लिए निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड	123
29	राहत केन्द्र के सम्बन्ध में	129
30	राहत के विभिन्न मद/उपशीर्ष के अन्तर्गत आवंटित राशि का व्यय	133
31	राहत पहुँचाने में होने वाले व्यय के सम्बन्ध में दिशानिर्देश	135
32	अनुग्रह अनुदान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन	137
33	मृतक का शव बरामद नहीं होने पर अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता	138
34	अनुदान की राशि RTGS/NEFT या A/c Payee के माध्यम से भुगतान	139
35	प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्ति के अनुदान हेतु सक्षम पदाधिकारी	140
36	प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर अनुदान की शर्तें	141
37	बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ.आई.आर. के अनुग्रह अनुदान का भुगतान	142
38	जिले के अन्य जिलों में मृत व्यक्तियों के अनुग्रह अनुदान के संबंध में	143
39	भूकम्प के कारण क्षतिग्रस्त मकानों में रहने वालों के बीच नगद सहायता वितरण	144
40	आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के मुआवजा के सम्बन्ध में	145
41	अग्निकाण्ड से प्रभावितों के बीच विशेष राहत केन्द्रों का संचालन	146

42	अग्निकाण्ड से होने वाली फसल क्षति के विरूद्ध अनुदान के सम्बन्ध में	147
43	गैस लीक से अग्निकाण्ड से पीड़ित को अनुदान	150
44	अनावृष्टि/चक्रवाती तूफान/भूकम्प से प्रभावित को राहत वितरण	151
45	वज्रपात के कारण मृतकों के आश्रित को अनुग्रह राशि का भुगतान	154
46	शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011	156
47	शताब्दी अन्न कलश योजना का कार्यान्वयन	163
48	एक क्विंटल अनाज के स्थान पर रूपये 3000/– की राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में	168
49	पशु राहत शिविर के संचालन के संबंध में	170
	दिशा निर्देश	
50	नाव एवं नाविकों की मजदूरी निर्धारण करने के संबंध में	171
51	राहत कार्य में लगे नाविकों की मजदूरी दर	173
52	संभावित बाढ़ 2018 की पूर्व तैयारी	174
53	नगर क्षेत्र में बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन	181
54	प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी दल का गठन	183
55	वार्ड स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन	185
56	अगलगी से बचाव हेतु कार्रवाई के सम्बन्ध में	187
57	अग्निशमन सेवा हेतु हाईड्रेन्ट का निर्माण	191
58	आँधी/चक्रवाती तूफान/ओलावृष्टि से जुड़ी तैयारी, राहत, बचाव एवं चारा निर्गत करने एवं ढाल मद खर्चो की विशिष्ट	192
59	शीतलहर (पाला) को आपदा की श्रेणी में रखने के संबंध में	196
60	पॉलीथीन शीट्स खरीदी के सम्बन्ध में	197
61	केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 118 अन्तर्गत गति नियंत्रक (Speed Governor) लगाये जाने की बाध्यता	198
62	सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हेतु प्रपत्र	202
63	[illegible] से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने का प्रपत्र	210
	संसाधन सूची	
64	जिला प्रशासन एवं पुलिस के पदाधिकारियों की सम्पर्क सूची	211
65	विभिन्न नियंत्रण कक्ष एवं आपातकाल हेल्पलाइन की सम्पर्क सूची	211
66	पटना में अवस्थित अस्पतालों एवं एम्बुलेंस की सम्पर्क सूची	211
67	निजी (प्राइवेट) एम्बुलेंस एवं एयर एम्बुलेंस सर्विसेज सेवा सूची	212
68	पटना जिले में (102) एम्बुलेंस की उपलब्धता एवं सम्पर्क सूची	212
69	ब्लड बैंकों की सूची	214
70	पटना जिला चिकित्सकीय त्वरित प्रत्युत्तर दल	214
71	पटना जिले के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधा	215
72	आपदा प्रत्युत्तर के लिए पटना के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध शय्या की स्थिति	216
73	अनुमंडलीय मजिस्ट्रेट एवं अन्य पदाधिकारियों की सूची	217
74	प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों का सम्पर्क सूची	217
75	पटना नगर निगम/अंचल कार्यालय/नगर परिषद/सिटी मैनेजर की सूची	218
76	पटना नगर निगम में उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधन	219
76(क)	बुडको द्वारा संचालित विभिन्न स्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन	
76(ख)	मॉनसून अवधि में संचालित अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन	
77	पटना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी की सूची	220
78	सम्बन्धित प्रखंड महिला पर्यवेक्षिकाओं की सूची	220
79	पुनपुन प्रखंड में कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं की सूची	221
80	पटना पूर्वी, मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख चिकित्सकों की सूची	221
81	पटना स्थित प्रशिक्षित गोताखोरों की सूची	228
82	जल खोज एवं बचाव प्रशिक्षित कर्मी	229
83	पटना जिले में नावों के निबंधन की सूची	230
84	महत्वपूर्ण नक्शे – पटना के सभी अस्पताल/पी.एच.सी./बिहार दिवस–2017–2018/	231

	स्वास्थ्य विभाग/टेन्ट सिटी एवं दरबार हॉल का मानचित्र	
85	नाव नाविकों की सूची	237
86	गांधी मैदान के पास जल स्रोत (हाइड्रेंट) की सूची	241
87	शहर में जल स्रोतों (हाइड्रेंट) की सूची	241
88	पम्पिंग स्टेशन एवं पम्पों की संख्या	241
89	वन प्रमंडल (इलेक्ट्रिक मशीन एवं मानव चालित आरा मशीन सूची)	243
90	अन्य उपलब्ध निजी संसाधन – (टेन्ट उपलब्धता/सामुदायिक रसोइ/जाल–महाजाल/निजी गाड़ी पम्प धारक/पानी टैंकर/निजी संवेदक एवं स्वयं सेवक)	243
91	छठ के मौके पर भीड़ नियंत्रण हेतु गठित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दल	245
92	विद्युत जन शिकायत कक्ष की सूची	247
93	विद्युत क्षमता	248
94	बाढ़ प्रमंडलों के अभियन्ता एवं उनके अधीन पड़ने वाले तटबंधों की सूची	249
95	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के पास उपलब्ध विभिन्न मशीनों उपकरण	250
96	राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के पास उपलब्ध विभिन्न मशीनों उपकरण	252
97	आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर मुखिया एवं सरपंच का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	256
	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य	
98	जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य	258
	5 प्रतिशत पंचायतों में नमूना सर्वेक्षण के दौरान संकलित आंकड़े एवं अन्य सूची	
99	5 प्रतिशत पंचायतों में आपदा चिह्नितकरण	260
100	5 प्रतिशत अनुमंडल स्तरीय बैठक के आधार पर चिह्नित खतरे तथा जोखिम	261
101	5 प्रतिशत पंचायतों में खतरा/जोखिम/संवेदनशीलता	264
102	विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त पंचायतों के खतरे/जोखिम/संवेदनशीलता	267
103	5 प्रतिशत पंचायतों में रचनात्मक संसाधन	269
104	5 प्रतिशत पंचायतों में मानव संसाधन	270
105	पूर्व के वर्षों में विभिन्न नदियों के आप्लावित स्थलों की सूची	270
106	अत्यधिक जल जमाव से प्रभावित स्थल एवं जल निकासी के उपाय की सूची (शहरी जलजमाव)	271
107	पटना के कुछ बड़े आवासीय कॉलोनी (शहरी जलजमाव)	275
108	स्टैटिक/मोबाईल दलों की प्रतिनियुक्ति सूची	276
109	सुपर मोबाईल दलों की प्रतिनियुक्ति सूची	281
110	नियंत्रण कक्ष में पंजियों का संधारण, कर्तव्य पंजी (Attendance Register) प्रपत्र में	282
111	पम्पिंग स्टेशन एवं पंपों की संख्या	282
112	जिले में प्रखण्डवार स्कूलों की संख्या	284
113	पटना जिला में जोखिम वाले उद्योगों का चिह्नितकरण	285
114	विभाग/एजेंसियों के आपदानुरूप कार्य	

संक्षिप्तियाँ

- ए.आई.डी.एम.आई — ऑल इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीट्यूट
- ए.टी.एल.एस. — एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट
- ए.टी.आई — एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
- बी.एस.डी.एम.ए. — बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरिटी
- बिपार्ड — बिहार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट
- बी.एम.टी.पी.सी. — बिल्डिंग मैटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल
- सी.बी.डी.एम. — कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट
- सी.बी.डी.पी. — कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस
- सी.एल.डब्ल्यू. — कम्युनिटी लेवल वर्कर
- सी.पी.सी. — कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कंसलटेंट
- डी.ई.ओ.सी. — डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर
- डी.आर.आर. — डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
- डी.डी.एम.ए. — डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरिटी
- ई.आर.सी. — इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेन्टर
- जी.आई.एस. — जियोग्राफिक इंफोर्मेशन सिस्टम
- एच.पी.सी. — हाई पावर कमेटी
- एन.डी.एम.ए. — नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी
- एन.डी.आर.एफ. — नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स
- एन.जी.ओ. — नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
- निनी — नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट
- एन.आई.डी.एम. — नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट
- पी.आर.आई. — पंचायती राज इंस्टीट्यूशन
- एस.एच.जी. — सेल्फ हेल्प ग्रुप
- एस.टी.एफ. — स्पेशल टास्क फोर्स
- एस.डी.आर.एफ. — स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स
- एस.ओ.पी. — स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर
- यू.एल.बी. — अर्बन लोकल बॉडी
- यू.एन.डी.पी. — यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
- क्यू.आर.टी. — क्विक रिस्पॉन्स टीम
- डब्ल्यू. एच.ओ. — वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
- यशदा — यशवंतराव चव्हाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन

संदर्भ
REFERENCES

- Bihar State Disaster Management Authority–2013, Mass Gathering Event Management : A case study of Chhath Pooja, Patna.
- Bihar State Disaster Management Authority – 2013-16 Table Top Calander.
- BSDMA– Website : www.bsdma.org, Training Modules
- BSDMA–2017, Heat Wave action Plan.
- Bihar State Pollution Control Board
- BSDMA–2017, मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (क्रियान्वयन दस्तावेज).
- BSDMA–2017,डूबने की घटनाओं की रोकथाम एवं कमी लाने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना
- Disaster Management Dept. GoB,– Website: www.disastermgmt.bih.nic.in, Standard Operating Procedures (SOPs).
- Department of Labour Resources, Bihar
- Flood Management Information System– Website : www.fmis.bih.nic.in.
- Govt. of Bihar – (2015-16 & 2016-17), Economic Survey.
- Govt. of Bihar, Disaster Management Dept. –2014,Bihar State Disaster Management Plan.
- Govt. of India– 2016, National Disaster Response Plan.
- Govt. of India, –2011, Ministry of Home Affairs, Census of India.
- Govt. of Bihar, Disaster Management Dept. – 2016, Damage Scenario - In Various Districts.
- Govt. of India–2007, BMTPC, (First Revision), Vulnerability Atlas of India.
- Govt. of India –2016, Ministry of Transport, Road Accidents in India/Bihar.
- Hari Narayan Srivastava & Rajendra Pd.– Prakritik Aapdayan Evam Bachao.
- IGNOU– 2012, Aapda Prabhandhan Mein Aadhar Pathyakram.
- IGNOU –2012, Understanding Natural Disaster.
- Ministry of Home Affairs – 2015, Disaster Risk Reduction : The Indian Model.
- Ministry of Agriculture & Cooperation, GoI–2001 High Powered Committee on Disaster Management.
- NCERT, Geography of India.
- NDMA–Website:www.ndma.gov.in
- National Institute of Disaster Management – April 2010, Journal, Disaster & Development.
- NIDM–Website : www.nidm.gov.in
- National Remote Sensing Centre & BSDMA –2012, Flood Hazard Atlas for Bihar.
- Radha Kant Bharti, NBT –2015, Rivers in India.
- State Environment Impact Assessment Authority– Website : www.seiaabihar.org

अनुलग्नक–(1) सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) :

सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रकिया

1. संस्थात्मक ढाँचा

1.1 राज्य कार्यकारिणी समिति

आपदा प्रबधन अधिनियम 2005 की धारा 20 क अन्तगत मुख्य सचिव की अध्यक्षता म राज्य कायकारिणी समिति का गठन किया गया ह जा सुखाड आपदा प्रबधन कायक्रमा का समन्वय करगी। उक्त समिति सुखाड आपदा प्रबधन क सबध म राज्य सरकार क किसी भी विभाग या किसी प्राधिकार या निकाय का आवश्यक निदश द सकगी।

1.2 नोडल विभाग

सुखाड प्रबधन क लिए आपदा प्रबधन विभाग नाडल हागा।

1.3 आपातकालीन प्रबंधन समूह (Crisis Management Group)

राज्य स्तर पर सुखाड की स्थिति स निपटन एव उसक प्रबधन का उत्तरदायित्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता म गठित आपातकालीन प्रबधन समह (Crisis Management Group) का हागा। आपदा प्रबधन विभाग क द्वारा आवश्यकतानुसार आपातकालीन प्रबधन समह की बठक आयाजित किया जाएगा। प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबधन विभाग आपातकालीन प्रबधन समह क सदस्य–सचिव हाग।

आपातकालीन प्रबधन समह क निम्नवत सदस्य ह–

	विकास आयुक्त/कृषि उत्पादन आयुक्त	10.	पर्यावरण एव वन विभाग
	प्रधान सचिव/सचिव,	11.	खाद्य एव उपभाक्ता सरक्षण विभाग
1.	लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग	12.	समाज कल्याण विभाग
2.	आपदा प्रबधन विभाग	13.	सहकारिता विभाग
3.	कृषि विभाग	14.	सास्थिक वित्त
4.	ग्रामीण विकास विभाग	15.	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पावर हाल्डिग कम्पनी लिमिटड
5.	स्वास्थ्य विभाग	16.	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
6.	पशु एव मत्स्य ससाधन विभाग	17.	निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, पटना
7	ऊर्जा विभाग	18.	कन्द्रीय भूगर्भ जल निदशालय, पटना
8	जल ससाधन विभाग		
9	लघु जल ससाधन विभाग		

साखाड की स्थिति की गभीरता का दखत हए आपातकालीन पबधन समह (Crisis Management Group) की बठक आवश्यकतानसार आयाजित की जाएगी जिसम विभिन्न विभागा स उनक द्वारा सखाड आपदा पबधन क लिए की जानवाली कारवाइया की समीक्षा एव उनकी उपलब्धिया क सबध म पतिवदन पाप्त किया जाएगा। सदस्यीय विभागा क अतिरिक्त अन्य सरकारी/गर सरकारी विभाग/सस्था इत्यादि का भी CMG की बठक म आवश्यकतानुसार मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष द्वारा बलाया जा सकगा।

1.4 जिला पदाधिकारी

जिला पशासन क मखिया हान क नात, जिला क आपदा पबधन का निदश एव नियत्रण (Command and Control) जिला पदाधिकारी क हाथा म हागा जा सरकार की नीतिया, मागदशन एव दिशा निदश क आलाक म कारवाइ करग। इस पकार जिला पदाधिकारी "घटना कमाण्डर" (Incident Commander) क रूप म काय करग। आवश्यक हान पर व इस उत्तरदायित्व का जिल क किसी अन्य वरीय पदाधिकारी का भी साप सकग। जिल म राज्य सरकार अथवा कन्द सरकार क विभिन्न विभागा क पदाधिकारी/एजन्सी "घटना कमाण्डर" (Incident Commander) क निदशानसार काय करग। इसी पकार अनमडल स्तर पर अनमडल पदाधिकारी एव पखण्ड स्तर पर पखड विकास पदाधिकारी अपन काय क्षत्र म आपदा पबधन क लिए उत्तरदायी हाग तथा व समस्या स निपटारा हत अनमण्डल/पखड स्तरीय सभी विभागा क काया का समन्वय करग। साथ ही व अनमडल एव पखड स्तर पर Incident Command टीम का गठन करग जा अपन काय क्षत्र म आपदा पबधन क लिए उत्तरदायी हागी।

1.5 जिला टास्क फोर्स

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता म सभी जिला म जिला टास्क फास गठित रहगी जिसम कषि, लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग, जल ससाधन, लघ जल ससाधन, पश एव मत्स्य ससाधन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, गामीण विकास विभाग इत्यादि विभागा क जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हाग। इस टास्क फास म जिला पदाधिकारी आपदा पबधन क क्षत्र म काय करन वाल जिला क स्वयसवी सगठन/सिविल सासायटी सगठना क पतिनिधिया तथा विषय–विशेषज्ञों को विवेकानुसार शामिल कर सकत ह। अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा पबधन) इस टास्क फास क सदस्य सचिव हाग। यह टास्क फोर्स नियमित बैठक कर स्थिति की समीक्षा करेगी तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को आवश्यक निणय लन म सहायता करगी।

2. मानसून का आगमन एवं संकेतांकों के आलोक में वर्षापात/ धान का आच्छादन आदि के आंकड़ो का विश्लेषण

2.1. राज्य म धान की फसल खरीफ क मासम की मख्य फसल मानी जाती ह। हालाकि धान क अलावा मक्का जसी फसल भी किसाना द्वारा बायी जाती ह, परत धान का आच्छादन लगभग 34 लाख हक्टयर म हान क कारण धान ही राज्य म खरीफ की मख्य फसल ह। धान का आच्छादन मानसान की वषा स अभिन्न रूप स जडा हआ ह क्याकि इसक बिचड का खत म डालन स लकर रापनी तक पानी की भारी आवश्यकता हाती ह। फसल क पकन क पव भी सिचाइ काय हत पानी की आवश्यकता हाती ह। अतएव भारतीय मासम विज्ञान विभाग द्वारा दक्षिण–पश्चिमी मानसान क आगमन क पथम चरण क दीघकालीन पवानमान क जारी हान तथा मानसान क आगमन क साथ ही वषापात/धान का आच्छादन क आकडा का विश्लषण किया जाना आपदा पबधन विभाग / कषि विभाग एव सभी जिला पदाधिकारिया क लिए आवश्यक हागा।

भारतीय मासम विज्ञान विभाग द्वारा अपल क ततीय/चतथ सप्ताह म मानसान क पथम चरण का दीघकालीन पवानमान जारी किया जाता ह। इस उक्त विभाग क वबसाइट www.imd.gov.in पर दखा जा सकता ह। इसी वबसाइट पर मानसान क आगमन तथा उसक दिन–पतिदिन क सचरण की गतिविधि मप तथा पस विज्ञप्ति क माध्यम स अपलाड की जाती ह जिसका अनश्रवण आपदा पबधन विभाग/ कषि विभाग एव सभी जिला द्वारा किया जाना आवश्यक हागा। जन माह क पथम सप्ताह म मानसान क द्वितीय चरण का दीघकालीन पवानमान उक्त वबसाइट पर दखा जा सकता ह। साथ ही मानसान की वापसी की भी जानकारी अपलाड की जाती ह। मानसान क सचरण क साथ ही उक्त विभाग पतिदिन अखिल भारतीय मासम पवानमान (All India weather forecast) भी उक्त वबसाइट पर अपलाड करता करता ह।

राज्य म मानसान क आगमन की सभावित तिथि 10 जन मानी गयी ह। वषापात क आकडा का विश्लषण सामान्य वषापात क सापक्ष वास्तविक वषापात क आकडा क आधार पर किया जाएगा। इसी पकार बिचडा एव धान की रापनी क आकडा का विश्लषण सामान्य क सापक्ष वास्तविक आच्छादन क आधार पर किया जाएगा।

माह जन स सितम्बर 30 यानी राज्य म मानसान–अवधि म जिलावार सामान्य वषापात की विवरणी अनुलग्नक 1 पर उपलब्ध ह।

खरीफ मासम म जिलावार धान एव मक्क क सामान्य आच्छादन की विवरणी अनुलग्नक 2 पर उपलब्ध ह।

2.2 वषापात क आकडा का इकटठा करन का दायित्व राज्य स्तर पर अथ एव साख्यिकी निदशालय का हागा। अतएव उक्त निदशालय मानसान पव ही सनिश्चित कर लगा कि पखडा म अधिष्ठापित वषामापक यत्र कायरत स्थिति म हा। निदशालय 1 जन स पारभ कर सामान्य क सापक्ष पतिदिन क वास्तविक वषापात का पतिवदन आपदा पबधन विभाग/ कषि विभाग का भजना सनिश्चित करगा। इसक अतिरिक्त दनिक वषापात पतिवदन भारतीय मासम विज्ञान विभाग स भी पाप्त किया जाएगा।

2.3 खरीफ फसला क आच्छादन का दनिक पतिवदन विहित पपत्र म कषि विभाग आपदा पबधन विभाग का उपलब्ध कराएगा। कषि विभाग द्वारा विहित पपत्र म गत वष क आकडा क आधार पर तलनात्मक विवरण तयार किया जाएगा।

2.4 संकेतांकों के आलोक में आंकड़ों का विश्लेषण:

यदि वषापात सामान्य अथवा उसस अधिक रह ता सखाड की सभावना पाय: नही रहती अपित राज्य म बाढ की सभावना पबल हा जाती ह। वस भी राज्य म "बाढ आपदा हत मानक

संचालन प्रक्रिया" के अनुसार बाढ़ पूर्व तैयारियां प्रत्येक वर्ष की जाती है। वर्षापात सामान्य अथवा सामान्य से अधिक रहने की दशा में बाढ़ पूर्व तैयारियों पर आपदा प्रबंधन विभाग/जिला प्रशासन ध्यान केन्द्रित करेगा। किन्तु वर्षापात के सामान्य से कम होने अथवा मानसून के प्रथम चरण के दीर्घकालीन पूर्वानुमान में मानसून के कमजोर रहने की जानकारी प्राप्त होने पर आपदा प्रबन्ध विभाग द्वारा कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आपातकालीन प्रबंधन योजना (CMP) में वर्णित संकेतांकों के आलोक में आंकड़ों का विश्लेषण कर सुखाड़ की स्थिति के संबंध में यथानुसार आपदा प्रबंधन समूह/ राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। आपदा प्रबंधन समूह यथानुसार स्थिति की समीक्षा कर संबंधित विभाग के माध्यम से आवश्यक कारवाइयां करेगा।

इसी प्रकार जिला स्तर पर जिले में वर्षापात/ आच्छादन की स्थिति की समीक्षा कर सुखाड़ की स्थिति के संबंध में जिला टास्क फोर्स की बैठक में आवश्यक कारवाई का निर्णय लिया जाएगा एवं तदनुसार कारवाई प्रारंभ की जाएगी।

सुखाड़ की स्थिति के संबंध में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आपातकालीन प्रबंधन योजना (**Crisis Management Plan**) में वर्णित संकेतांक एवं यथास्थिति रिस्पांस के लिए की जाने वाली कार्रवाईयाँ निम्न है:–

<u>निगरानी/सतर्कता संकेतांक</u> **(Watch/Alert Indicator)**

संकेतांक	रिस्पांस हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ
➢ दक्षिण–पश्चिम मानसून का विलंब से आगमन के पूर्वानुमान के साथ जल संकट तथा गर्म हवाओं की लहर ➢ पूर्व में सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों में मानसून के विलंब से आगमन एवं अप्रैल–जून माह में अल्प वर्षापात (–19% अथवा उससे कम) का पूर्वानुमान	❖ आवश्यकतानुसार आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक कर स्थिति की समीक्षा एवं निदेश जारी किया जाना ❖ आकस्मिक फसल योजना तैयार करना तथा इसका प्रभावी प्रचार प्रसार ❖ अल्पकालिक जल संरक्षण के उपाय करना ❖ उचित स्वास्थ्य संबंधी परामर्श/ सूचनाएं प्रसारित करना तथा आकस्मिक चिकित्सीय सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना ❖ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से अनुपूरक रोजगार हेतु सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करना ❖ गैर कृषि कार्यों यथा औद्योगिक, व्यवसायिक उपयोग में भू–जल के दोहन पर निगरानी

चेतावनी संकेतांक (**Warning Indicator**)

संकेतांक	रिस्पांस हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ
➢ दक्षिण–पश्चिमी मानरान का बिलम्ब रा आगमन ➢ जन रा मध्य जलाइ क बीच दा राप्ताह रा अधिक अवधि तक अल्प वषापात (–19% अथवा उरारा कम) ➢ गमीर जल राकट ➢ म–जल एव सतही जल क रतर म पव वषा क सामान्य आंसत की तलना म कमी	❖ आपातकालीन पबधन रामह की बठक म विभिन्न लाइन एजरिाया की द्वारा की जा रही कारवाइया की समीक्षा ❖ आकरिमक फराल याजना का कियान्वयन पारम ❖ जल रारक्षण की अल्पकालीन याजनाआ का कायान्वयन

आपातकालीन संकेतांक (**Emergency Indicator**)

संकेतांक	रिस्पांस हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ
➢ रापनी क मांराम म अल्प वषा या वषा का नही हाना ➢ मानरान की रामयपव वापरी ➢ चार अथवा अधिक राप्ताह तक वषा का न हाना ➢ –20% रा –40% तक अल्प वषापात ➢ गम हवा एव पानी की कमी क कारण फराला का राखना (Wilting of crops) ➢ छः राप्ताह रा अधिक अवधि तक रामान्य रा –25% तक कम वषापात	❖ आपातकालीन पबधन रामह की बठक म विभिन्न लाइन एजरिाया की द्वारा की जा रही कारवाइया की समीक्षा ❖ बिचडा एव फराला का बचान हत डिजल रान्सिाडि का वितरण ❖ आकरिमक फराल याजना क अनरार वकल्पिक फराल की रापनी क लिए कारवाइ करना ❖ पय जल राकट रा निपटन क लिए आकरिमक काय याजना क अनरार परान चापाकला की मरम्मति एव नए चापाकला की अधिष्ठापन ❖ रिाचाइ हत नहरा क अन्तिम छार तक पानी पहचान की कारवाइ ❖ खाद्यान्न की उपलब्धता का रानिश्चित करना ❖ राजकीय नलकपा की यात्रिक एव विद्यत दाषा का दर करना ❖ गामीण क्षत्रा म रिाचाइ हत निबाध विद्यत आपति रानिश्चित करना ❖ मनरगा क अन्तगत अनपरक राजगार की

	व्यवस्था ❖ पशु शिविर स्थलो का चिन्हित करना तथा पशुचारा की उपलब्धता हेतु कारवाइ करना

विकट संकेतांक (Acute Indicator)

संकेतांक	रिस्पांस हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ
➢ दक्षिण–पश्चिमी मानसून का निर्धारित समय से पूर्व वापसी ➢ दक्षिण–पश्चिमी मानसून का मानसून अवधि (जुलाइ–अक्टूबर) के बीच में वापसी ➢ अत्यन्त अल्प वर्षापात (–25% अथवा उससे कम) ➢ मृदा नमी में गंभीर कमी ➢ बोआई वाले क्षेत्रो में 4 – 6 सप्ताह से अधिक वर्षा का नहीं होना ➢ भू–जल एवं सतही जल की उपलब्धता में गंभीर कमी	❖ आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में विभिन्न लाइन एजेंसिया की द्वारा की जा रही कारवाइया की समीक्षा ❖ बिचडा एवं फसलो का बचाव हेतु डिजल सब्सिडि का वितरण ❖ आकस्मिक फसल योजना के अनुसार वैकल्पिक फसल की रोपनी के लिए कारवाइ करना ❖ पेय जल संकट से निपटने के लिए आकस्मिक कार्य योजना के अनुसार पुराने चापाकलो की मरम्मति एवं नए चापाकलो की अधिष्ठापन ❖ सिंचाइ हेतु नहरो के अन्तिम छोर तक पानी पहुचाने की कारवाइ ❖ खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ❖ राजकीय नलकूपो की यांत्रिक एवं विद्युत दोषो को दूर करना ❖ ग्रामीण क्षेत्रो में सिंचाइ हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना ❖ मनरेगा के अन्तर्गत अनुपूरक रोजगार की व्यवस्था ❖ पशु शिविर स्थलो का चिन्हित करना तथा पशुचारा की उपलब्धता हेतु कारवाइ करना ❖ वरीय पदाधिकारियो द्वारा सुखाडग्रस्त क्षेत्रो का भ्रमण एवं आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णयो के आलोक में की जा रही कारवाइयो का अनुश्रवण

2.5 सुखाड़ की अनुमानित परिस्थितियाँ

भारतीय मासम विज्ञान विभाग क अनुसार

क0सं0	अनुमानित परिस्थितियाँ	वर्षापात की स्थिति
1	सामान्य वर्षापात (Normal Rainfall)	सामान्य वर्षापात स ± 19% तक वर्षापात
2	अल्प वर्षापात (Deficient Rainfall)	सामान्य वर्षापात स -20% स -59% तक वर्षापात
3	अपर्याप्त वर्षापात (Scanty Rainfall)	सामान्य वर्षापात स -59% स -99% तक वर्षापात
4	वर्षापात म अन्तराल (Dry Spell)	दा अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा नही हाना
5	मानसून की समय पूर्व वापसी (Early withdrawal of Monsoon)	सितम्बर माह स पहल मानसून की वापसी एव वर्षापात न हाना
6	वर्षा का नही हाना (No Rainfall)	सामान्य वर्षापात स -100%

2.6 जसा कि द्वितीय अध्याय की कडिका 2.4 म अंकित ह, यदि वर्षापात सामान्य अथवा उसस अधिक रह ता सुखाड की सभावना प्रायः नही रहती, अपितु राज्य म बाढ की सभावना प्रबल हा जाती ह। किन्तु (i) अल्प अथवा अपर्याप्त वर्षापात, (ii) वर्षापात म अन्तराल (Dry Spell) अथवा (iii) मानसून की समय–पूर्व वापसी क कारण सुखाड की स्थितियां उत्पन्न हाती ह। जहां तक वर्षा क बिलकुल भी नही हान का प्रश्न ह, उस स्थिति म सुखाड स्वतः उत्पन्न हा जाता ह। राज्य म 1967 क अकाल क बाद वर्षा क बिलकुल न हान की स्थिति उत्पन्न नही हुइ ह। अतएव आग क अध्याय म उपराकित 3 (तीन) स्थितियों म की जान वाली कारवाइया का कन्द्र म रखकर "मानक संचालन प्रक्रिया" तैयार की गयी ह।

3. संचार योजना

3.1 प्रखण्ड स्तर से राज्य स्तर तक सूचनाओं का प्रवाह

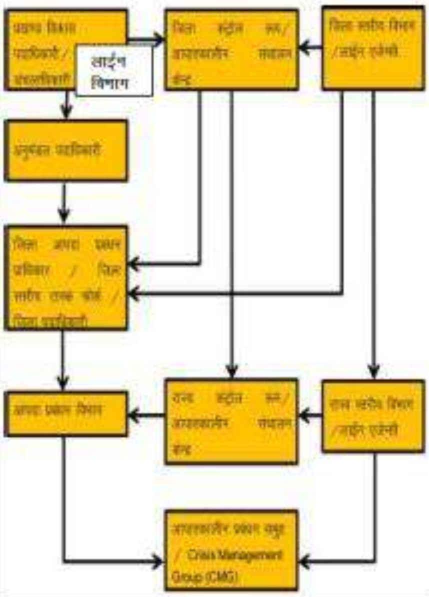

3.2 राज्य स्तर से प्रखण्ड स्तर तक सूचनाओं का प्रवाह

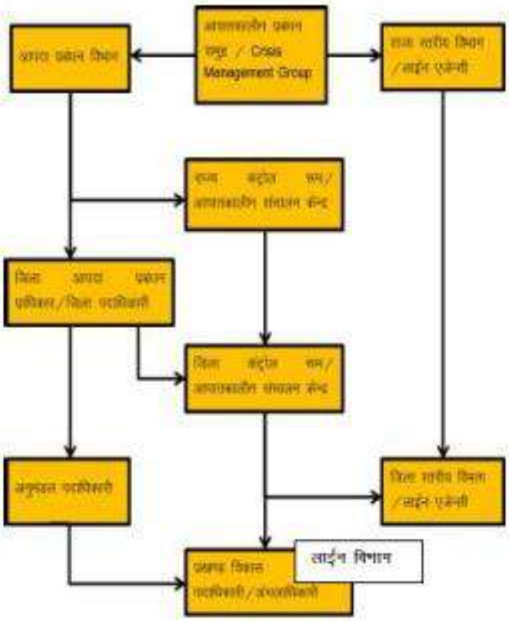

3.3 आम जनता तक सूचना का प्रवाह

यह आवश्यक है कि *सुखाड की स्थिति आरम्भ होने की सही जानकारी सही समय पर आम जनता तक पहुंचे। इस कार्य हेतु आपदा प्रबंधन* विभाग आवश्यक कदम उठायेगा तथा *सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के समन्वय से आवश्यकतानुसार प्रेस सम्मेलन तथा अन्य गतिविधियां करेगा।*

इसके अतिरिक्त संबंधित विभाग/एजेन्सी तथा कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, उर्जा विभाग इत्यादि भी अपने विभाग से संबंधित कार्यो, सुखाड के संभावित प्रभावों से निपटने संबंधी उपायों की सही एवं ससमय जानकारी जनता तक पहुंचाने का प्रबंध करेंगे।

जिला पदाधिकारी वर्षापात एवं फसल आच्छादन के संबंध में निम्न वेबसाइट से सूचना प्राप्त करते रहेंगे। इसके लिए एन0आइ0सी के जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी:–

➢ Indian Meterological Department -	http://www.imd.gov.in and www.mausam.gov.in
➢ Department of Agriculture, Govt. of Bihar -	http://www.agriculture.bih.nic.in
➢ Disaster Management Department, Govt. of Bihar -	http://www.disastermgmt.bih.nic.in
➢ Central Water Commission, Govt. of India -	http://www.india-water.com
➢ National Remote Sensing Centre (NRSC) -	http://www.nrsc.gov.in
➢ National Agricultural Drought Assessment and Monitoring System -	http://www.dsc.nrsc.gov.in
➢ Ministry of Agriculture & Cooperation, Govt. of India -	http://agricoop.nic.in

4. अल्प वर्षा अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई

राज्य म 1–2 साल क अतराल क पश्चात अल्प वषापात क कारण सखाड की स्थिति उत्पन्न हाती रहती ह। सामान्यतः गगा क दक्षिणी क्षत्र म स्थित जिल सखाड पवण मान जात ह, परन्त विगत कछ वषा स यह भी पाया गया ह कि गगा क उत्तरी क्षत्र म स्थित जिल बाढ पवण क साथ–साथ सखाड स भी गसित रह ह। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा माह अप्रैल मे मानसून के पूर्वानुमान की घोषणा में अगर मानसून कमजोर अथवा अल्प वर्षा या छिटपुट वर्षा होने की सम्भावना व्यक्त की जाती है तो यह आवश्यक है कि राज्य एवं जिलों में सुखाड़ का सामना सुव्यवस्थित ढंग से करने हेतु पूर्व तैयारियाँ कर ली जाएँ। *एसा हान पर सखाड की स्थिति स निपटन एव राहत पहचान म सविधा हागी तथा जनता का हानवाली कठिनाइया का कम किया जा सकगा। सखाड की पव तयारिया क सबध म निम्न कारवाइयां की जाएंगी (चकलिस्ट* अनुलग्नक–6 *पर सलग्न) :–*

सारणी–1

क्रम	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग / एजेन्सी	लाईन विभाग / एजेन्सी	समय सीमा
1.	वर्षापात की निगरानी ✓ *जिला स्तर पर नियमित तार पर वषापात क आकडा का सगहण (पखण्ड स्तर पर) एव विश्लषण*	*अथ एव साख्यिकी निदशालय*	*जिला पदाधिकारी / अथ एव साख्यिकी निदशालय क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास*	*1 जन स 31 अक्टबर तक*
2.	पीने के पानी की उपलब्धता एवं इसके लिये आकस्मिक योजना ✓ *पयजल सकट पबधन हत मानक सचालन पक्रिया अनरूप पव तयारी की समीक्षा तथा आकस्मिक याजना का अद्यतन करना।* (पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रकिया आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाईट http://www.disastermgmt.bih.nic.in पर	*लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग*	*जिला पदाधिकारी / लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग क जिला स्तरीय*	*15 मइ तक*

क्रम	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग/एजेन्सी	लाईन विभाग/एजेन्सी	समय सीमा
	देखी जा सकती है) ✓ निर्माणाधीन पाइप जलापूर्ति योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना। ✓ बन्द पड़े चापाकलों की मरम्मति ✓ नए चापाकलों का अधिष्ठापन		पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स	
3.	आकस्मिक फसल योजना ✓ सुखाड़ की स्थिति हेतु खरीफ फसल के लिये आकस्मिक योजना को संत्रण/ आकस्मिक योजना का अद्यतन करना। पशु चारा को भी आकस्मिक योजना में शामिल किया जायेगा। (आकस्मिक फसल योजना कृषि विभाग के वेबसाईट http://krishi.bih.nic.in/ पर देखी जा सकती है)	कृषि विभाग	जिला पदाधिकारी/कृषि विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स	15 जून तक
4.	फसल बीमा सुखाड़ के संकेतकों और तात्कालिक रूझानों को देखते हुए मौसम आधारित फसलों का बुआई से पूर्व ही विशेष अभियान चला कर एवं किसानों को जागरूक कर फसल बीमा कराना।	सहकारिता विभाग	जिला पदाधिकारी/ सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स	तात्कालिक परिस्थिति के अनुरूप 15 अगस्त से पूर्व।
5.	सिंचाई हेतु आवश्यक प्रबंध ✓ जिन जिलों में अल्प वर्षापात/सुखाड़ के कारण सिंचाई के पानी की कमी होने की संभावना है, स्थानीय स्थितियों के अनुरूप आकस्मिक योजना तैयार करना। आकस्मिक योजना में खरीफ की फसल के लिए बिचड़ा लगाने के लिए पानी की व्यवस्था एवं धान की रोपनी तथा इसके पश्चात supplementary irrigation के लिए विभिन्न स्तरों पर की जानेवाली कारवाइयों की सक्षम रूप से	लघु जल संसाधन/ जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग	जिला पदाधिकारी/ लघु जल संसाधन/ जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/	15 जून

क्रम	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग / एजेन्सी	लाईन विभाग / एजेन्सी	समय सीमा
	व्याख्या हागी। ✓ सिचाइ हत अधिष्ठापित सभी टयबवला का ससमय यांत्रिक दोषों के निवारण हेतु आवश्यक मरम्मति कराना। टयबवला क विद्यत दाषा का दर करन क लिए उजा विभाग स समन्वय करना। ✓ राज्य क सभी सरकारी एव गर सरकारी टयबवला म आवश्यक विद्यत आपत्ति हत एक आकस्मिक याजना तयार करना। ✓ विद्यत दाषा क कारण बद पड टासफामरा/ टयबवला का चाल करन क लिए आवश्यक कायवाही करना। ✓ ऊजा विभाग द्वारा आकस्मिक याजना का सत्रण करना । (आकस्मिक योजना ऊर्जा विभाग के वेबसाईट http://energy.bih.nic.in/ पर देखी जा सकती है) ✓ आकस्मिक याजना पत्यक वष अद्यतन करना आवश्यक होगा। ✓ लघ जल ससाधन विभाग द्वारा भजल सिचाइ स सबधित विभागीय याजनाआ का अधिक स अधिक पचार पसार किया जाएगा एव सखाड क लिए यद्धस्तर पर इस याजना का कायान्वयन किया जाएगा। ✓ नहरा क आखिरी छार तक पानी पहचान हत आवश्यक कारवाइ करना।		जिला टास्क फास	तक
6.	<u>जल संरक्षण हेतु आवश्यक प्रबंध</u> प्रारंभिक संकेतकों के विश्लेषण स यदि सख का आभास हा ता ✓ कम अवधि की जल सरक्षण (Short Term Water Conservation) सबधी उपाय किया जाना। ✓ मनरगा क अन्तगत Water Harvesting की याजनाय जस आहर, पाइन एव तालाबा की मरम्मति इत्यादि का काय कराना। ✓ पारपरिक सतही एव भगभ जलसाता जस –	लघ जल ससाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग	जिला पदाधिकारी/लघ जल ससाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास	15 अप्रल स 30 जन तक

क्रम	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग / एजेन्सी	लाईन विभाग / एजेन्सी	समय सीमा
	तालाब, पोखर, आहर, पाइन आदि का रिचार्ज करने हेतु आवश्यक कदम उठाना।			
7.	<u>खाद्यान्न की उपलब्धता</u> ✓ राज्य खाद्य निगम के कार्यालयों / गोदामों में खाद्यान्न उपलब्धता का आकलन तथा आवश्यकतानुसार भंडारण सुनिश्चित करना।	खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	जिला पदाधिकारी / खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स	15 जून तक।
8.	<u>भुखमरी से बचाव</u> ✓ शताब्दी अन्न कलश योजना अन्तर्गत प्रत्येक पंचायतों में दो–दो क्वींटल खाद्यान्न चक्रीय स्टॉक (Revolving Stock) के रूप में रखना सुनिश्चित करना। (शताब्दी अन्न कलश योजना को आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाईट http://www.disastermgmt.bih.nic.in पर देखा जा सकता है)	आपदा प्रबंधन विभाग	जिला पदाधिकारी / जिला के अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा प्रबंधन) / जिला टास्क फोर्स	सतत निगरानी।
9.	<u>मानव स्वास्थ्य की देखभाल</u> ✓ सुखाड़ की स्थिति में संभावित बिमारियों की रोकथाम हेतु की जानेवाली कारवाईयों के संबंध में संधारित अनुदेश सभी सिविल सर्जन / प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी को निर्गत करेगा। उक्त अनुदेश में वर्णित निर्देशों के अनुरूप तैयारियां की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 603 (11) दिनांक–14.07.2015 द्वारा निर्गत अनुदेश की प्रति **अनुलग्नक – 3**	स्वास्थ्य विभाग	जिला पदाधिकारी / स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स	15 मई तक
10.	<u>पशु संसाधन की देखभाल</u> पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा आकस्मिक योजना तैयार करना, जिसके अन्तर्गत निम्न गतिविधियां भी	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग /	जिला पदाधिकारी / पशु	15 जून तक

क्रम	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग / एजेन्सी	लाईन विभाग / एजेन्सी	समय सीमा
	शामिल होगी :– ✓ पशुओ के लिए पानी एवं चारे की व्यवस्था करना। ✓ जलस्रोतो की पहचान एवं जल के संग्रहण के लिए लघु जल संसाधन विभाग से समन्वय स्थापित करना ✓ पशु राहत शिविर का स्थल चिन्हित करना। पशु शिविर यथा संभव राजकीय ट्यूबवेलो अथवा अन्य जल स्रोतो के आस–पास स्थापित किए जाए ✓ पशुचारा का संग्रहण एवं आपूर्ति। ✓ सुखाड़ के समय पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था पूर्व से ही करना। कम नमी मे जमने वाली घास बरसीम, शू बबूल एवं अन्य दूसरे पशु आहार की व्यवस्था या उपलब्धता के लिए पड़ोसी राज्यों से भी लाइजन रखना होगा। ✓ सुखाड़ के दौरान पशुओं मे उत्पन्न होने वाली विभिन्न बिमारियो के लिए पशु चिकित्सालयों मे आवश्यक दवाइयो/टीका इत्यादि का प्रबंध करना। ✓ इस योजना का प्रत्येक वर्ष अद्यतन करना। ✓ मृत पशु/ पक्षियो के मृत शरीर का जलाने अथवा दफनाने का स्थान चिन्हित करना।	लघु जल संसाधन विभाग	एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स	
11.	**रोजगार की उपलब्धता** ✓ रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार करना जिसमे ग्रामीण क्षेत्रो मे आवश्यकतानुसार किये जानेवाले विभिन्न कार्यो की पहचान की जाएगी। ✓ मनरेगा योजना के अन्तर्गत जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर Shelf of Project or Bank of Sanctions पूर्व से ही तैयार रखना।	ग्रामीण विकास विभाग	जिला पदाधिकारी/ ग्रामीण विकास विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स	30 मई तक।
12.	**सामाजिक सुरक्षा** ✓ वृद्धावस्था पेंशन का वितरण सुनिश्चित करना। ✓ छात्रवृति का वितरण ससमय कराना ताकि गरीब बच्चों की पढ़ाई नही छूटे।	समाज कल्याण विभाग/ शिक्षा विभाग	जिला पदाधिकारी/ समाज कल्याण विभाग/	30 मई तक।

क्रम	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग / एजेन्सी	लाईन विभाग / एजेन्सी	समय सीमा
	✓ *बच्चो एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाडी केन्द्रों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना।* ✓ *स्कूलों में चलाए जा रहे मध्याहन भोजन का कार्यान्वयन कराना।*		*शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स*	
13	<u>सूचना एवं मिडिया का प्रबंधन</u> *भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं कृषि विभाग से प्राप्त वर्षापात एवं फसल आच्छादन के आंकडे का विश्लेषण कर सुखाड से संबंधित आवश्यक सूचनाओं को प्रसारित करने हेतु मिडिया को जानकारी देना।*	*आपदा प्रबंधन विभाग / सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग*	*जिला पदाधिकारी / सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी*	

5. वर्षापात में अन्तराल के आलोक में की जाने वाली कार्रवाई

(दो अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा न होना)

भारतीय मासम विज्ञान विभाग क पथम/द्वितीय दीघकालीन पवानमान क आलाक म दक्षिण–पश्चिमी मानसन की स्थिति कमजार हान पर अध्याय–4 म वणित कारवाइयां अपक्षित हागा, परन्त यह भी सभव ह कि दक्षिण–पश्चिमी मानसन की स्थिति सामान्य हान पर भी मानसन क दारान दा अथवा अधिक सप्ताह तक वषा न हा ता वस स्थिति म यह आवश्यक हागा कि लगाए गए बिचडा/ फसला का बचान हत निम्न कारवाइ कर ली जाय जा अल्प वषा अथवा अपयाप्त वषा की स्थिति म की जान वाली कारवाइया क अतिरिक्त हागी (चकलिस्ट अनुलग्नक–7 पर सलग्न)।

सारणी –2

क्रम	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग/एजेन्सी	लाईन विभाग/एजेन्सी
1	*राज्य म फसल आच्छादन/ वषापात/ सिचित क्षत्र/ भगभ जल की स्थिति आदि क आकडा की गहन समीक्षा करना तथा लिए गए निणय क आलाक म सभी सबधित का तदनसार अगतर कारवाइ क लिय आदश निगत करना*	*राज्य आपातकालीन पबधन समह/आपदा पबधन विभाग*	*जिला पदाधिकारी/जिला टास्क फास*
2	*डीजल अनदान क माध्यम स लगाय गए बिचडा/फसला का बचान हत समचित उपाय करना।*	*कषि विभाग*	*जिला पदाधिकारी/कषि विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास*
3	*नहरा क माध्यम स अतिम छार तक पानी पहुचान की कारवाइ म तजी लाना एव लगातार क्षत्र म भमण कर कठिनाइया का दर करना*	*जल ससाधन विभाग*	*जिला पदाधिकारी/ जल ससाधन विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास*
4	*टयबवला क माध्यम स ज्यादा क्षत्र सिचित करन हत बद पड टयबवला की यात्रिक एव विद्यत दाष तरन्त ठीक करना।*	*लघ जल ससाधन विभाग/ ऊजा विभाग*	*जिला पदाधिकारी/ लघ जल ससाधन विभाग/ ऊजा विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास*

5	गामीण क्षत्रा म सिचाइ हत विद्युत की आपति सनिश्चित करना	ऊजा विभाग/ बिहार स्टट पावर हाल्डिग कम्पनी लिमिटड	जिला पदाधिकारी/ ऊजा विभाग/ बिहार स्टट पावर हाल्डिग कम्पनी लिमिटड क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास
6	पयजल सकट स निपटन हत मानक सचालन पकिया क अनरूप कारवाइ करना	लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग	जिला पदाधिकारी/ लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास

6. मॉनसून की समय पूर्व वापसी की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाईयाँ

दक्षिण–पश्चिमी मानसन क दारान यह सभव ह कि मानसन समय पव वापसी हा जाए। एसी परिस्थिति म पभावित जिला म फसल का बचान, वकल्पिक कषि काय की व्यवस्था करन, सिचाइ, पयजल, राजगार क साधन उपलब्ध करान, पश ससाधना का सही रख–रखाव करन, इत्यादि क लिए आवश्यकतानसार अध्याय–4 एव 5 म अकित कारवाइया क अतिरिक्त निम्न कार्रवाइयों की आवश्यकता *हागी। इस दारान अन्य सहायता काय चलान, आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। सबधित विभागा द्वारा निम्न पकार स वणित काय किय जाएग (चकलिस्ट अनुलग्नक–8 पर सलग्न)।*

सारणी 3

क्रम	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग / एजेन्सी	लाईन विभाग / एजेन्सी
1.	पेयजल (*शहरी एव गामीण क्षत्रा म मानव तथा पश ससाधना क लिए) आपत्ति* ✓ *सखागरत क्षत्रा म पयजल की आपत्ति हत पव म लगाय गय चापाकला / नलकपा की मरम्मति करना।* ✓ *आवश्यकता का आकलन कर पुरान चापाकला का आर गहर स्तर तक गाड जान की व्यवस्था करना।* ✓ *जरूरत क अनसार नय नलकप / चापाकल लगाना।* ✓ *पाइप जलापत्ति याजनाआ क लिए उजा विभाग स समन्वय कर विद्यत आपत्ति कराना।* ✓ *जरूरत क अनसार पानी भरकर टकर / टक / टक्टर पर पी0वी0सी0 टक बठाकर पहचान की व्यवस्था करना।* ✓ *गामीण क्षत्रा म जल भडारण की व्यवस्था करना।* ✓ *सखागरत क्षत्रा म अतिरिक्त सबमरसिबल पप रखना ताकि कही खराबी आन पर उस तरत बदलकर जलापत्ति चाल रखा जा सक।* ✓ *टकर एव टक्टर पर पी0वी0सी0 टका का भरन क लिए हाइड्रट का निमाण करना।* ✓ *कट्राल रूम एव हल्पलाइन की व्यवस्था करना।* ✓ *इस सबध म पयजल सकट पबधन हत निधारित मानक सचालन पकिया का कियान्वित किया जायगा।* (पेयजल संकट प्रबंधन हेतु अपनाए जाने वाली मानक संचालन प्रकिया आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाईट	*लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग (गामीण क्षत्र) / नगर विकास विभाग (शहरी क्षत्र)*	*जिला पदाधिकारी / जिला टास्क फास*

क्रम	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग / एजेन्सी	लाईन विभाग / एजेन्सी
	http://www.disastermgmt.bih.nic.in पर देखा जा सकता है) ✓ शहरी अथवा नगर पचायत क्षत्रा म जलापति की शिकायत दज करन एव समस्या क त्वरित निष्पादन हत हल्पलाइन की व्यवस्था करना।		
2.	वैकल्पिक / आकस्मिक फसल योजना ✓ पव स तैयार आकस्मिक फसल याजना का कियान्वयन करना। ✓ किसाना का आकस्मिक फसल याजना म निहित उपाया का इस्तमाल करन हत पात्साहित करना तथा इसक लिए जागरुकता अभियान चलाना।	कृषि विभाग	जिला पदाधिकारी / कृषि विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास
3.	फसल बीमा / कृषि ऋण ✓ फसल बीमा याजना क अतगत यदि सभी कृषक आच्छादित न हा ता अभियान चलाकर अधिक स अधिक किसाना का आच्छादित करना। इस काय म छोटे किसानों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। ✓ कृषि ऋण उपलब्ध करान हत अपक्षित कारवाइ करना।	सहकारिता विभाग / सास्थिक वित	जिला पदाधिकारी / सहकारिता विभाग / सास्थिक वित क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास
4.	डीजल अनुदान वितरण आवश्यकतानुसार बिचडा एव फसला की सरक्षा एव बचाव क लिए डीजल अनदान उपलब्ध कराना। फसल बचान क लिए कितनी बार डीजल अनदान दिया जाय इसका निणय आपातकालीन पबधन समह द्वारा परिस्थितिया क अनरूप किया जायगा। ✓ डीजल अनदान का वितरण पचायत राहत एव अनश्रवण समिति की दखरख म कराना। ✓ अनदानित बीज का वितरण करान की व्यवस्था करना। ✓ कृषि सझावा / बलटिन का समाचार पत्रा एव अन्य मीडिया माध्यमा स पभावित कृषका क बीच व्यापक पचार पसार कराना।	कृषि विभाग	जिला पदाधिकारी / कृषि विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास
5.	वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था ✓ सिचाइ हत अधिष्ठापित सभी टयबवला का कायरत रखना। समय समय आवश्यक मरम्मति कराना। टयबवला क विद्यत एव यात्रिक दाषा का भी दर करन क लिए आवश्यक कदम उठाना। ✓ गामीण क्षत्रा (अति पभावित) क लिए पयाप्त (कम स कम 8 घट) विद्यत आपत्ति सनिश्चित करना।	लघ जल ससाधन विभाग / बिहार पावर हाल्डिग कॉरपोरेशन	जिला पदाधिकारी / लघ जल ससाधन विभाग / बिहार पावर

क्र म	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग / एजेन्सी	लाईन विभाग / एजेन्सी
	सिचाइ आदि क लिए आवश्यक ह कि शहरी एव गामीण दाना क्षत्रा म जल का समवित पबधन किया जाए :– ✓ विभिन्न पक्षत्रा यथा– उद्याग, कषि आदि म जल की माग का आकलन करना। ✓ किसाना का सिचाइ क लिय नहर स आच्छादित क्षत्रा म अतिम छोर तक पानी पहुँचाने हेतु आवश्यक प्रबध करना। राज्य के प्रमुख जलाशयों एवं अन्य सतही जल स्रोतों पर निगरानी रखना ताकि इसक दरूपयाग स बचाया जा सक।	लि0 / जल ससाधन विभाग / लघ जल ससाधन विभाग	हाल्डिग कॉरपोरेशन लि0 / जल ससाधन विभाग / लघ जल ससाधन विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास
6.	खाद्यान्न सुरक्षा ✓ कल्याणकारी याजनाआ क अतगत खाद्यान्न की उपलब्धता एव इसक उठाव का अनश्रवण करना। ✓ मफ्त साहायय वितरण हत खाद्यान्न का पयाप्त भडारण की व्यवस्था करना। ✓ कन्द सरकार स अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध करान हत अनराध करना। ✓ खाद्यान्न एव खाद्य पदाथा क मल्य म अनावश्यक वद्धि पर सतत निगरानी करना। मल्या म अनावश्यक वद्धि स राज्य सरकार का अवगत कराना। ✓ मल्य वद्धि राकन हत जमाखारी, काला बाजारी आदि पर नियत्रण क लिए आवश्यक कदम उठाना।	खाद्य एव उपभाक्ता सरक्षण विभाग	जिला पदाधिकारी / खाद्य एव उपभाक्ता सरक्षण विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास
7.	पशु संसाधन की देखभाल ✓ पशचारा की उपलब्धता सनिश्चित करना। ✓ चिन्हित पश शिविरा म जल की व्यवस्था करना। ✓ पश चिकित्सालया म दवा का भडारण करना। एटी–बायाटिक्स, एनालजसिक, पारासिटामाल, एटी–हिस्टास्टामिनिक, एटी–डायरियल, लीवर टानिक, नारमल सलाइन, एलक्टालाइट इन्यजन लिक्विड, आदि का क्रय आवश्यकतानसार किया जाएगा। ✓ मृत पशुओं के शवों के सुरक्षित निपटान (विसर्जन) की त्वरित	पश एव मत्स्य ससाधन विभाग	जिला पदाधिकारी / पश एव मत्स्य ससाधन विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास

क्रम	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग / एजेन्सी	लाईन विभाग / एजेन्सी
	व्यवस्था करना।		
8.	विद्युत आपूर्ति ✓ कषि एव अन्य कायो जस पम्प, नहर याजनाएं, राजकीय नलकपा, सिचाइ याजनाएं एव निजी नलकप हत विद्यत आपत्ति सनिश्चित करना। ✓ सखाड पभावित गामीण क्षत्रा म पयाप्त एव निबाध विद्यत आपत्ति की व्यवस्था सनिश्चित करन हत अलग–अलग क्षत्रा क लिए अलग–अलग समय निधारित करत हए इसका पचार पसार समाचार पत्रा क माध्यम स करना।	ऊजा विभाग / बिहार पावर हाल्डिग कम्पनी लि0	जिला पदाधिकारी / ऊजा विभाग / बिहार पावर हाल्डिग कम्पनी लि0 क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास
9.	सूचना प्रबंधन एवं मीडिया के साथ समन्वय सखाड आपदा क पव सखा क सकतका एव आपदा क समय कषि विभाग क द्वारा फसला क बचाव आदि स सबधित बलटिन जारी किया जाना। समाचार पत्रा एव अन्य मीडिया माध्यमा म इसका व्यापक पचार पसार किया जाना।	कषि विभाग / सचना एव जन सपक विभाग	जिला पदाधिकारी / कषि विभाग एव सचना एव जन सम्पक विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी

9. सुखाड़ के घोषणा के पश्चात् की जानेवाली कार्रवाइयाँ

पभावित क्षत्रा का सखाडगस्त (आपदागस्त) घाषित करन क उपरात उन क्षत्रा म आवश्यक कारवाइयां निम्नानसार की जाएगी :–

1. *अधिसचित जिला म सखाड स निपटन हत राज्य आपदा रिस्पास निधि (SDRF) तथा राष्ट्रीय आपदा रिस्पास निधि (NDRF) स दी जानवाली सहायता क पावधान तत्काल पभाव स लाग हाग। SDRF/ NDRF स दी जानवाली सहायता का मानदर अनुलग्नक 10 पर अकित ह। यह मानदर समय–2 पर पनरीक्षित किया जा सकगा।*
2. *अधिसचित जिला म किसाना स सहकारिता ऋण, राजस्व लगान एव सस, पटवन शल्क, विद्यत शल्क जा सीध कषि स सबधित हा, की वसली उस वित्तीय वष क लिए स्थगित रहगी।*
3. *वित्त विभाग/ सास्थिक वित्त क सहयाग स राष्ट्रीयकत बका द्वारा किसाना का दिए गए ऋण की वसली हत पननिधारण हत अनराध किया जाएगा।*
4. *जहां सखाड क दारान रिस्पास एव राहत की आवश्यकता पडती ह, वही सखाड की घाषणा क पश्चात दीघकालीन साहायय क काय भी महत्वपण हा जात ह। अतएव सखाड की घाषणा क पश्चात आवश्यकतानसार अध्याय 6 म अकित कारवाइया क अतिरिक्त निम्न कारवाइयां अपक्षित हागी (चकलिस्ट अनुलग्नक–9 पर सलग्न)*

सारणी–5

क्रम	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग/ एजेन्सी	लाईन विभाग/एजेन्सी
1.	आकस्मिक फसल योजना का युद्धस्तर पर कियान्वयन *पव स तयार आकस्मिक फसल याजना का कियान्वयन पारम्भ किया जाना। आकस्मिक फसल याजना का व्यापक पचार पसार किया जाना तथा इसम निहित उपाया का इस्तमाल करन क लिए कषका का पात्साहित किया जाना।*	*कषि विभाग*	*जिला पदाधिकारी/ कषि विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास*
2.	फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण *सखाड की घाषणा क बाद फसल क्षति क लिए SDRF क निधारित मानदर क अनसार कषि इनपट अनदान वितरण पर विचार करना/ जिला म फसल क्षति की सचना पाप्त हान पर जिला पदाधिकारी क नियत्रणाधीन कमी तथा कषि विभाग क क्षत्रीय कमी पारभिक सची तयार करग। इस सची की रण्डम जांच जिला म पदस्थापित अपर समाहत्ता स्तर क पदाधिकारी/ वरीय उपसमाहत्ता/ अनमडल अधिकारी/ भमि सधार उपसमाहत्ता क द्वारा किया जाएगा। इस पकार फसल*	*आपदा पबधन विभाग/कषि विभाग*	*जिला पदाधिकारी/ जिला क अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा पबधन)/कषि विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास*

	क्षति से प्रभावित किसानों की सूची प्रखंड के नोटिस बोर्ड/ जिला के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तदुपरान्त SDRF के मानदर के अनुसार कृषि इनपुट अनुदान की राशि सीधे लाभुकों के खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरण किया जाएगा। इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1602/आ0प्र0 दिनांक 02.05.15 अनुलग्नक 5 पर द्रष्टव्य है।		
3.	<u>फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान</u> यदि क्षतिग्रस्त फसल, फसल बीमा से आच्छादित हो तो सहकारिता विभाग द्वारा यथाशीघ्र विभागीय योजनानुसार फसल बीमा की राशि के भुगतान हेतु कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।	सहकारिता विभाग	जिला पदाधिकारी/ सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स
4.	<u>किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण</u> यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सुखाडग्रस्त क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को आगामी फसल की बुआई हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में रणनीति बना कर तदनुसार कारवाई की जाएगी।	वित्त विभाग (संस्थिक वित्त)/ राज्य स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति/कृषि विभाग	जिला पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/ जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति
5.	<u>बैंक ऋणों का पुनर्निधारण (**Rescheduling of Bank Loan**)</u> ✓ राष्ट्रीयकृत एवं सहकारिता बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण की वसूली का पुनर्निधारण (Re-scheduling) करवाना।	वित्त विभाग/ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/ सहकारिता विभाग	जिला पदाधिकारी/ जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति
6.	<u>पशु संसाधन की देखभाल</u> ✓ पशु शिविरों का आवश्यकतानुसार संचालित करना। ✓ पशुचारा/ ओरल रिहाइड्रेशन हेतु आवश्यक दवाओं/ एलेक्ट्रोलाइट पैकेट की वितरण सुनिश्चित करना। ✓ मृत पशुओं के शवों का सुरक्षित निपटान (विसर्जन) करना। ✓ पशु चिकित्सकों/अन्य प्रशिक्षित कर्मी का शिविरों में	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	जिला पदाधिकारी/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स

	पतिनियक्त करना।		
7.	**स्वास्थ्य सेवाएँ** ✓ पभावित जिल म माबाइल मडिकल कयर यनिट की पतिनियक्ति करना। पत्यक जिला म सखाड की अवधि तक सिविल सजन क अधीन एक मांनटरिंग सल का गठन हागा जिसम पदाधिकारी एव कमचारी 24 घट कायरत रहग। ✓ सखाड क समय मदय (Vulnerable) समह यथा बच्च, दूध पिलाने वाली/गर्भवती महिलाएँ, वृद्ध एवं निःशक्त व्यक्तिया पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना। ✓ स्वास्थ्य विभाग एक अनुदेश सभी प्रमंडलीय आयक्ता/जिला पदाधिकारिया/सिविल सजना का भज रखा है। उक्त अनुदेश के आलोक म कारवाइयां की जायगी। (अनुलग्नक–3)	स्वास्थ्य विभाग	जिला पदाधिकारी/ स्वास्थ्य विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास
8.	**महामारी की रोकथाम** सखा क पश्चात सखाड पभावित क्षत्रा म महामारी फलन की सभावना क आलाक म महामारी की राकथाम हत स्वास्थ्य विभाग द्वारा निराधात्मक उपाय करना।	स्वास्थ्य विभाग	जिला पदाधिकारी/ स्वास्थ्य विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास
9.	**महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल** ✓ सखाड क्षत्रा म बच्चा क लिए अतिरिक्त पाषाहार की व्यवस्था करना। इसम आगनवाडी कन्दा स आच्छादित बच्च तथा वस बच्च, गभवती एव धात महिला जा आगनवाडी कन्दा स आच्छादित न हा पाए हा, शामिल हाग। इसक लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आवश्यक राशि जिला का उपलब्ध करायी जाएगी। ✓ पत्यक कन्द पर उपलब्ध मडिकल किट म आ0आर0एस0 एव पारासिटामाल दवा का रखा जाना। इसक अतिरिक्त जहां–जहां आगनवाडी कन्द नही हा वहां आशा कायकत्ता क द्वारा यह व्यवस्था करना। ✓ पभावकारी एव सकारात्मक परिणाम पाप्त करन हत नियमित एव विधिवत अनश्रवण करना।	समाज कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग	जिला पदाधिकारी/ समाज कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास

10.	सामाजिक सुरक्षा ✓ चयनित वृद्धावस्था पेंशनधारियों का नियमित भुगतान अभियान चलाकर किया जाना। ✓ छूटे हुए योग्य वृद्धावस्था पेंशन के लाभुकों का चयन अभियान चलाकर किया जाना।	समाज कल्याण विभाग	जिला पदाधिकारी / समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स
11.	मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ✓ जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन का अनुश्रवण एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराना। इस कार्य के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना।	शिक्षा विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	जिला पदाधिकारी / शिक्षा विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स
12.	रोजगार सृजन ✓ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख कार्यक्रम में वृद्धि करना। ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन हेतु मनरेगा के अन्तर्गत परियोजनाओं के बैंक ऑफ स्कीम्स का कियान्वयन करवाना, जिसमें जल संरक्षण की योजना यथा– तालाब, आहर एवं पाइन उड़ाही, चेक डैम, डगवेल, वृक्षारोपण इत्यादि की परियोजनाओं को प्राथमिकता देना। ✓ रोजगार सृजन हेतु मनरेगा को व्यापक रूप से कार्यान्वित करना। अन्य संबंधित विभाग भी ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध कराना।	ग्रामीण विकास विभाग	जिला पदाधिकारी / ग्रामीण विकास विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स
13.	मुफ्त सहायता ✓ आपातकालीन प्रबंधन समूह एवं यथानुसार राज्य स्तरीय आपदा राहत कोष समिति द्वारा मुफ्त सहायता वितरण का निर्णय आवश्यकतानुसार लिया जाएगा। मुफ्त सहायता का वितरण SDRF के मानदर के अनुसार आवश्यकतानुसार प्रारंभ किया जाएगा। ✓ वृद्ध, विधवा, विकलांग, निराश्रित (destitute), असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त सहायता वितरण किया जाएगा। इसमें घुमंतू जनजातियों के भी उपरोक्त श्रेणी के व्यक्ति शामिल होंगे।	आपदा प्रबंधन विभाग	जिला पदाधिकारी / जिला के अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा प्रबंधन) / जिला टास्क फोर्स

14.	वन्य जीवों के लिए व्यवस्था ✓ वन अभयारण म पशुओ हत आवश्यकतानुसार पय जल की व्यवस्था करना।	वन एव पयावरण विभाग	जिला पदाधिकारी/ पमण्डलीय वन पदाधिकारी
15.	अनुश्रवण जिला स्तर: ✓ जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी क नतत्व म सखाड साहायय काय चलाए जायग। ✓ सखाड क अनश्रवण हत जिला स्तर पर 24X7 क्रियाशील नियत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। इसक दरभाष सख्या का समाचार पत्रा क माध्यम स पसारित किया जाएगा। नियत्रण कक्ष म रास्टर म सिविल पदाधिकारिया क अतिरिक्त अन्य तकनीकी सवाआ क पदाधिकारी भी पतिनियक्त किय जाएग। ✓ जिला पदाधिकारी क अधीन गठित टास्कफास सखाड स उत्पन्न स्थिति एव इसक निवारण हत किय जा रह पयासा का साप्ताहिक अनश्रवण करगी। ✓ आपदा पबधन विभाग द्वारा निगत पत्राक 1971 दिनाक 16.07.2009 क आलाक म कारवाइ की जाएगी (अनुलग्नक 4)।	जिला आपदा पबन्धन पाधिकरण/ जिला टास्क फास	जिला पदाधिकारी/ जिला स्तर पर सबधित विभाग क पदाधिकारी
	राज्य स्तर पर: ✓ आपदा पबधन विभाग म राहत काय क अनश्रवण हत गठित नियत्रण कक्ष 24X7 क्रियाशील रहगा। ✓ उजा विभाग, कषि विभाग, खाद्य एव उपभाक्ता सरक्षण विभाग तथा लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग म विशष नियत्रण कक्ष स्थापित किय जाएग जा 24X7 क्रियाशील रहग। ✓ राज्य स्तर पर गठित आपातकालीन पबधन समह (Crisis Management Group) निरतर क्रियाशील रहगा तथा सखाडगस्त जिला म राज्य सरकार द्वारा उठाय गय कदमा का सतत अनश्रवण करगा। उपयक्त क आलाक म सबधित विभाग विहित पक्रिया क अन्तगत सक्षम पाधिकार का अनमादन पाप्त कर अपन स्तर स आदश निगत करग।	आपदा पबधन विभाग/ आपातकालीन पबधन समह	आपातकालीन पबधन समह क सदस्य स सबधित सभी विभाग

16.	<u>राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र</u> राहत काया क लिए निधि का आवटन राज्य आपदा रिस्पांस काष स किया जाता ह। अतएव आपदा राहत म जा भी निधि व्यय की जाती ह उस निधि का उपयागिता पमाण–पत्र पाप्त हा जान क उपरात विहित पक्रिया अपना कर व्यय की गयी राशि का डबिट करना पडता ह। अतएव राहत काया म खच की गयी राशि का उपयागिता पमाण–पत्र यथाशीघ भजन की व्यवस्था जिला पदाधिकारी एव सबधित विभागा द्वारा की जाएगी ताकि उक्त काष म राशि डबिट हाती रह। इसक लिए परी राशि व्यय हान की पतीक्षा नही की जाएगी अपित जितनी राशि व्यय हा चकी हा उतनी राशि का उपयागिता पमाण–पत्र भजा जाएगा। साथ ही विस्तत आकरिमकता विपत्र भी निधारित समय सीमा क भीतर सबधित काषागार/महालखाकार का भजकर ए०सी० विपत्र निकासी की गइ राशि का समायाजन करा लिया जाएगा। ▪ सामगियां जा राहत काय क लिए वितरित की गयी उनका मदवार अभिलख क रूप म साधारण किया जाएगा। ▪ इन वितरित की गइ सामगिया पर जा व्यय हए उनक अभिश्रव पमाण सहित संधारित किया जाना आवश्यक हागा।	आपदा पबधन विभाग	जिला पदाधिकारी/ सबधित विभाग/ जिला टारक फास
17	<u>सूचना एवं मिडिया का प्रबंधन</u> सखाड क दारान चलाए जा रह राहत काया की जानकारी आमजना तक पहचान हत आवश्यक सचनाआ का पसारित करन हत मिडिया का जानकारी दना।	आपदा पबधन विभाग/ सचना एव जनसम्पक विभाग	जिला पदाधिकारी/ सचना एव जनसम्पक विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी

नोटः उपराक्त कारवाइया म हान वाला व्यय SDRF क अतगत अनमान्य हान की दशा म राशि का आबटन राज्य कायकारिणी समिति की अनशसा क आलाक म आपदा पबधन विभाग द्वारा किया जाएगा। किन्त जा व्यय SDRF क अतगत अनमान्य न हागा, उसकी व्यवस्था सबधित विभाग अपन विभागीय बजट स करग।

10. कृत कार्रवाइयों का अन्तर्निरीक्षण (Introspection) एवं भविष्य के लिए सीख (Lessons learnt)

सखाड की समाप्ति क पश्चात जिला एव राज्य टास्कफोर्स की बठका म सखाड क दौरान विभिन्न विभागा/एजन्सया क द्वारा कत कारवाइया का अन्तनिरीक्षण (Introspection) करत हुए भविष्य क लिए सीख (Lessons learnt) ग्रहण की जाएगी। इन बठका म सबधित विभाग/एजन्सियां इमानदारी पवक आत्म चितन करत हुए कत कारवाइया स सबल एव दबल पक्षा का गहन विश्लषण करगी, जिनस भविष्य क लिए सबक सीखा जा सक। इस पकार इन सीखा का उपयाग करत हुए आगामी वर्षा म सखाड आपदा पबन्धन क पयासा का और अधिक सदृढ बनाया जाएगा।

11. सुखाड़ न्यूनीकरण हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ :–

सखाड आपदा धीमी गति स (Slow onset) आन वाली आपदा ह, परन्त इसका पभाव दीघकालिक हाता ह। इसलिए यह आवश्यक ह कि इसक न्यनीकरण हत लगातार पयास किए जाय, जिसम निम्न कारवाइयां की जाय :–

सारणी–6

क्रम	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग / एजेन्सी	लाईन विभाग / एजेन्सी
11.1	कृषि प्रक्षेत्र		
11.1.1	सखाडरोधी फसला एव सिचाइ की कम आवश्यकता वाली फसला का पात्साहन।	कषि विभाग	जिला पदाधिकारी / जिला / ब्लांक स्तर क कषि पदाधिकारी
11.1.2	फसल विविधीकरण।		
11.1.3	कषि राड मप म सखाड न्यनीकरण क उपाया का समावश।		
11.1.4	सखाडगरस्त क्षत्रा म फसल बीमा याजना का पात्साहन।		
11.2	पशुपालन प्रक्षेत्र		
11.2.1	पशआ का नियमित बीमा।	पश एव मत्स्य ससाधन विभाग	जिला पदाधिकारी / जिला / ब्लांक स्तर क पशपालन अधिकारी
11.2.2	पशआ का नियमित टीकाकरण।		
11.3	स्वास्थ्य प्रक्षेत्र		
11.3.1	सखाडगरस्त क्षत्रा म स्वास्थ्य बीमा का पात्साहन।	स्वास्थ्य विभाग	जिला पदाधिकारी / जिला म पदस्थापित सिविल सजन
11.3.2	सखाडगरस्त क्षत्रा म हान वाली बिमारिया स बचाव क उपाय की व्यवस्था।		
11.4	जल संसाधन प्रक्षेत्र		
11.4.1	परम्परागत जलस्राता यथा आहर, पाइन क सरचनाआ का सद्धिकरण।	लघ जल ससाधन विभाग / गामीण विकास विभाग	जिला पदाधिकारी / जिल म पदस्थापित लघ जल ससाधन विभाग / गामीण विकास विभाग क पदाधिकारी
11.4.2	सतही एव भगभ जलस्राता यथा तालाब, पाखर, आहर का रिचाज करन हत कदम उठाय जायग।	लघ जल ससाधन	जिला पदाधिकारी / जिल म पदस्थापित लघ जल ससाधन विभाग क पदाधिकारी

क्रम	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग / एजेन्सी	लाईन विभाग / एजेन्सी
11.4.3	परम्परागत जलसाता क सद्धिकरण क पश्चात रखरखाव की व्यवस्था।	जल ससाधन विभाग/ वन एव पयावरण विभाग	जिला पदाधिकारी/प्रमडलीय वन पदाधिकारी/ जिल म पदस्थापित जल ससाधन विभाग क पदाधिकारी
11.4.4	सखाडग्रस्त क्षत्रा म जलछाजन एव वानिकी याजनाआ का पात्साहन।		
11.4.5	सखाडग्रस्त क्षत्रा म जल सरक्षण हत चक डम का निमाण।		
11.4.6	सखाडग्रस्त क्षत्रा म वषा जल सग्रहण (Rainwater Harvesting) की विधि का पात्साहन।		
11.5	सभी हितभागिया का सवदीकरण।	बिहार राज्य आपदा प्रबधन प्राधिकरण	जिला आपदा प्रबधन प्राधिकरण
11.6	पेयजल :	लाक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग	जिला पदाधिकारी / लाक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी
11.6.1	सखाड ग्रस्त क्षत्रा म उन क्षत्रा की पहचान करना जहां भमिगत जल स्तर बहत तजी स नीच जा रहा ह।		
11.6.2	पयजल क समचित रख–रखाव व उसक सरक्षित उपयाग क लिय समदाय का जागरूक किया जायगा।		
11.7	जलवाय परिवतन की चनातिया का सामना करन के लिये आवश्यक है कि बृहद् स्तर पर बृक्षारोपण याजनाबद्ध तरीक स चलाया जाय। सामाजिक वानिकी/बागवानी जसा कायक्रमा स जन सहभागिता बढगी।	वन एव प्यावरण विभाग/उद्यान निदेशालय/ ग्रामीण विकास विभाग	जिला पदाधिकारी/ ग्रामीण विकास विभाग/ वन एव पयावरण विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी
11.8	भूगर्भ जल एवं सतही जल संरक्षण हेतु योजना तैयार करना।	लघ जल ससाधन विभाग/ लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग	जिला पदाधिकारी/ लघ जल ससाधन विभाग/ लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी
11.9	लघ जल ससाधन विभाग अन्तगत चलायी जा रही भजल सिचाइ स सबधित याजनाआ का प्रचार प्रसार एव सखाड क लिए यद्धस्तर पर इस याजना का कायान्वयन किया जाएगा।	लघ जल ससाधन विभाग	जिला पदाधिकारी/ लघ जल ससाधन विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी

अल्प वर्षा अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई का चेकलिस्ट

कम	की जाने वाली कार्रवाई	हॉ	नहीं
1	वषापात की निगरानी		
2	पयजल सकट पबधन हत मानक सचालन पक्रिया अनरूप पव तयारी की समीक्षा तथा आकस्मिक याजना का अद्यतन		
3	सखाड की स्थिति हत खरीफ फसल क लिय आकस्मिक याजना का सत्रण तथा आकस्मिक याजना का अद्यतन		
4	फसल बीमा हत विशेष अभियान चला कर एवं किसानों को जागरूक करना		
5	सिचाइ हत आकस्मिक याजना तयार		
6	जल संरक्षण हेतु आवश्यक प्रबंध		
7	खाद्यान्न की उपलब्धता		
8	शताब्दी अन्न कलश योजना अन्तर्गत प्रत्येक पंचायतों में दो–दो क्वीटल खाद्यान्न चकीय स्टांक (Revolving Stock) क रूप म रखना		
9	मानव स्वास्थ्य की दखभाल हत की जानवाली कारवाइया हत अनुदेश निर्गत एवं अनुदेश में वर्णित निर्देशों के अनरूप तयारिया		
10	पश ससाधन की दखभाल हत आकस्मिक याजना तयार		
11	राजगार की वकल्पिक व्यवस्था करन क लिए आकस्मिक याजना तयार		
12	सामाजिक सरक्षा		

वर्षापात में अन्तराल के आलोक में की जाने वाली कार्रवाई का चेकलिस्ट

कम	की जाने वाली कार्रवाई	हॉ	नहीं
1	जिला स पाप्त फसल आच्छादन/ वषापात/ सिचित क्षत्र/ भगभ जल की समीक्षा तथा अगतर कारवाइ क लिय आदश निगत		
2	डीजल अनदान क माध्यम स लगाय गए बिचडा/फसला का बचान हत समचित उपाय		
3	नहरा क माध्यम स अतिम छार तक पानी पहचान की कारवाइ म तजी		
4	टयबवला की यात्रिक एव2विद्यत दाष ठीक करना		
5	सटशन पर गामीण क्षत्रा म सिचाइ हत विद्यत की आपति सनिश्चित		
6	पयजल सकट स निपटन हत मानक सचालन पकिया क अनरूप कारवाइ		
7	जिला स्तरीय बंठक म नियमित समीक्षा तथा आकस्मिक याजना क अनरूप निष्पादन		

मॉनसून की समय पूर्व वापसी की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई का चेकलिस्ट

कम	की जाने वाली कार्रवाई	हॉ	नहीं
1	*शहरी एव गामीण क्षत्रा म मानव तथा पश सराघना क लिए पयजल आपत्ति*		
2	*पव स तयार आकस्मिक फसल याजना का कियान्वयन*		
3	*फसल बीमा/कषि ऋण हत अपक्षित कारवाइ*		
4	*बिचडा एव फसला की सरक्षा एव बचाव क लिए डीजल अनदान उपलब्ध कराना*		
5	*वकल्पिक सिचाइ व्यवस्था_हत अपक्षित कारवाइ*		
6	*खाद्यान्न सरक्षा हत अपक्षित कारवाइ*		
7	*पश सराघन की दखभाल*		
8	*कषि एव अन्य कायां जस पम्प, नहर याजनाएं, राजकीय नलकपा, सिचाइ याजनाएं एव निजी नलकप हत विघत आपत्ति सनिश्चित करना*		
9	*सचना पबघन एव मीडिया क साथ समन्वय*		

सुखाड के घाषणा क पश्चात की जानवाली कारवाइ का चेकलिस्ट

कम	की जाने वाली कार्रवाई	हॉ	नहीं
1	आकस्मिक फसल याजना का यद्धस्तर पर कियान्वयन		
2	कषि इनपट अनदान वितरण		
3	फसल बीमा स आच्छादित फसला क लिए बीमा लाभ भगतान		
4	किसान कडिट काड धारका का ऋण का वितरण		
5	बका क माध्यम स कषका का क0सी0सी0 एव अन्य कषि ऋण महयया कराना।		
6	पश ससाधन की दखभाल		
7	स्वास्थ्य सवाएं हत अपक्षित कारवाइ		
8	महामारी की राकथाम हत स्वास्थ्य विभाग द्वारा निराधात्मक उपाय करना		
9	महिलाआ एव बच्चा की दखभाल हत अपक्षित कारवाइ		
10	सामाजिक सरक्षा हत अपक्षित कारवाइ		
11	मध्याहन भाजन की व्यवस्था		
12	राजगार सजन हत अपक्षित कारवाइ		
13	मफ्त साहायय वितरण		
14	वन अभयारण म पशआ हत आवश्यकतानसार पय जल की व्यवस्था करना		
15	अनश्रवण		
16	राहत काया म व्यय राशि का उपयागिता पमाण–पत्र		
17	कत कारवाइया का अन्तनिरीक्षण एव भविष्य क लिए सीख		

अनुलग्नक–(2) सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन :

पत्रांक–1प्रा0आ0–17 / 2011 3759 / आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना–15, दिनांक– 18/10/2016

विषय:– **"सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रकिया" में संशोधन के संबंध में।**

प्रसंग: विभागीय पत्रांक 3087 / आ0प्र0 दिनांक–19.08.2016

महाशय,

निदेशानुसार कृपया प्रसंगाधीन पत्र का स्मरण किया जाए जिसके द्वारा स्वराज अभियान बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुखाड़ प्रबंधन हस्तक (Manual for Drought Management) में वर्णित सुखाड़ घोषित करने के आधारों एवं कारकों को मात्र अनुशंसात्मक (Recommendatory) घोषित किये जाने के आलोक में सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रकिया के अध्याय 7 एवं 8 में सम्यक विचारोपरान्त आवश्यक संशोधन किया गया था। वर्तमान में वर्षापात की स्थिति तथा विगत 10 वर्षों के आंकड़ो तथा वर्षापात के अंतराल (Periodicity of Rainfall) के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रकिया के अध्याय 7 एवं 8 में पुनः संशोधन किया गया है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। तदनुसार संशोधित मानक संचालन प्रकिया विभागीय Website-http://disastermgmt.bih.nic.in पर अपलोड कर दी गई है।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन
18/10/16
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

7. सुखाड़ घोषणा के पूर्व उसके संकेतांकों का विश्लेषण

यदि रोपनी की अवधि में बिलकुल वर्षा न हो अथवा खरीफ फसलों का आच्छादन तथा वर्षापात की स्थिति चिन्तनीय हो जाए तो सरकार द्वारा विभिन्न संकेतांकों का विश्लेषण कर प्रभावित क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त (आपदाग्रस्त) घोषित करने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। राज्य में खरीफ फसलों का आच्छादन प्रायः 15 अगस्त तक किया जाता है। अतएव उक्त तिथि के आस-पास आच्छादन / वर्षापात के आंकड़ों के विश्लेषण के आलोक में आवश्यकतानुसार सुखाड़ की घोषणा का प्रस्ताव सरकार के समक्ष उपस्थापित करने की आवश्यकता पड सकती है।

सुखाड़ की घोषणा के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत सुखाड़ प्रबंधन हस्तक (Manual for Drought Management) में संकेतांकों का उल्लेख किया गया है। इन संकेतांकों में निम्न चार संकेतांक प्रमुख हैं–

- जून एवं जुलाई माह में औसत से 50% कम वर्षापात
- जुलाई–अगस्त माह में 50% से कम आच्छादन
- वानस्पतिक संकेतांक (Vegetation Index)
- नमी पर्याप्तता संकेतांक (Moisture Adequacy Index)

इनके अतिरिक्त सुखाड़ प्रबंधन हस्तक मे कतिपय अन्य कारकों पर विचार करने का परामर्श राज्य सरकारों को दिया गया है :-

- पशु चारे की आपूर्ति तथा सामान्य मूल्यों के सापेक्ष प्रचलित मूल्यों की तुलना
- पेय जल आपूर्ति की स्थिति
- लोक कार्यों (Public Works) में रोजगार की मांग तथा मजदूरों का रोजगार की खोज में असमान्य गतिविधि
- सामान्य स्थिति के सापेक्ष प्रचलित कृषि कार्यों एवं गैर कृषि कार्यों के लिए मजदूरी की तुलना
- खाद्यान्न की आपूर्ति तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिति

वर्षापात के आंकड़े भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना विभाग, बिहार के द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। बिचड़ों के डालने की स्थिति

तथा फसलों की रोपनी एवं आच्छादन के संबंध में कृषि विभाग, बिहार के द्वारा आकड़े उपलब्ध कराया जाते हैं। वानस्पतिक संकेतांक (Vegetation Index) तथा नमी पर्याप्तता संकेतांक (Moisture Adequacy Index) के आंकड़े National Agricultural Drought Assessment and Monitoring System (NADAMS) instituted by National Remote Sensing Centre (NRSC) के माध्यम से कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा, कृषि विभाग, बिहार को उपलब्ध कराया जाएगा।

कृशि मंत्रालय भारत सरकार ने अपने पत्रांक–Do No.16/9/2015-DMI दिनांक–22.06.2016 सुखाड़ प्रबंधन हस्तक (Manual for Drought Management) में जो भी संकेतांक एवं आधार दिये गये हैं, वे अनुशंसात्मक हैं, राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। इसमें अंकित है कि वर्षापात, फसलों का आच्छादन, वानस्पतिक संकेतांक एवं नमी पर्याप्तता संकेतांक, तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण आधार हैं जिनपर सुखाड़ की घोषणा के पूर्व राज्यों को विचार करना चाहिए। परन्तु राज्य सुखाड़ से जुड़े सभी पहलुओं पर समेकित रूप से विचार करते हुए, जिसमें राज्य की स्थानीय स्थिति का आधार भी शामिल है, सुखाड़ घोषित करने संबंधी निर्णय ले सकते हैं।

उपरोक्त के आलोक में राज्य की विशिष्ट स्थितियों के मद्देनजर सुखाड़ की घोषणा निम्न आधार एवं प्रकिया के अनुरूप की जाएगी :–

I <u>**सुखाड़ घोषित करने की इकाई**</u> : किसी जिले अथवा प्रखण्ड की स्थिति की समीक्षा कर राज्य सरकार सम्पूर्ण जिले अथवा प्रखण्ड में सुखाड़ घोषित करने का निर्णय ले सकती है। ज्ञातव्य हो कि स्वराज अभियान के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रखण्ड स्तर के आंकड़ों का विश्लेषण कर निर्णय लेने का निदेश दिया है।

II <u>**सुखाड़ घोषित करने का आधार :**</u>

(i) <u>वर्षापात</u> : राज्य की मुख्य खरीफ फसल धान है। कतिपय जिलों में मक्के की बुआई भी बड़े भू–भाग पर की जाती है। धान की बुआई प्रायः 15 अगस्त तक किसान करते हैं। परन्तु कुछ स्थानों पर धान की बोआई अगस्त माह के अन्त तक किसानों के द्वारा किया जाता है। चूँकि राज्य में मॉनसून का आगमन 10 जून के आसपास होता है, अतएव किसान प्रायः मॉनसून के आगमन के साथ परम्परागत नक्षत्रों में खेतों में धान का बीचड़ा लगाते हैं ताकि वे, जहाँ तक संभव हो, जुलाई माह मे ही रोपनी का कार्य पूरा कर लें। अतएव यदि जून से 31 अगस्त के बीच वर्षापात में 50% अथवा उससे अधिक की कमी हो तो इसे सुखाड़ का आधार बनाया जा सकता है। यह सुखाड़ की घोषणा का आधार में से एक आधार हो सकता है।

(ii) खरीफ फसलों का आच्छादन : यह देखा गया है कि राज्य में वर्षा अनियमित रूप से होती है, अर्थात् मॉनसून के आगमन के बाद कभी हफ्तों तक वर्षा नहीं होती और सहसा किसी दिन काफी वर्षा हो जाती है। मौसम विज्ञान विभाग वर्षा की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाता। यह भी देखा गया है कि एक ही जिले के कुछ भागों में अच्छी वर्षा हो गयी एवं शेष भाग में अल्प वर्षापात हुआ है। ऐसा होने से वर्षापात का आंकड़ा जमीनी हकीकत को प्रतिबिम्बित नही कर पाता। अतएव सुखाड़ की घोषणा का दूसरा आधार खरीफ फसल (धान एवं मक्का) का आच्छादन माना जा सकता है। यदि खरीफ फसलों का आच्छादन 31 अगस्त तक 50% से कम हो तो इसे सुखाड़ घोषित करने का आधार माना जा सकता है।

(iii) जहाँ तक वानस्पतिक एवं नमी पर्याप्तता संकेतांक का प्रश्न है, ये संकेतांक भारत सरकार के माध्यम से कृषि विभाग को प्राप्त होने चाहिएं परन्तु देखा गया है कि ये संकेतांक यथा समय भारत सरकार से प्राप्त नही हो पाते अतएव इन संकेतांकों पर विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(iv) अन्य आधार : जून से 31 अगस्त के बीच मे वर्षापात में 50% अथवा उससे अधिक की कमी अथवा 31 अगस्त तक खरीफ फसल आच्छादन में 50% अथवा उससे अधिक की कमी के आधारों के साथ निम्न आधारों पर भी समेकित रूप से विचार किया जा सकता है –

(1) मॉनसून के आगमन में देरी अथवा मॉनसून के कमजोर रहने संबंधी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान
(2) वर्षा की कमी के कारण भूजल एवं सतही जलस्रोतों के स्तर में कमी
(3) वर्षापात मे कमी के कारण फसलों का सूखना/मुरझाना (wilting)
(4) वर्षापात की कमी के कारण धान के खेतों में नमी का कम होना
(5) मॉनसून की समय पूर्व वापसी

यदि राज्य में दक्षिण–पश्चिम मॉनसून अवधि में बिलकुल ही वर्षा न हो, तो उपरोक्त संकेतांकों के विश्लेषण की आवश्यकता नही रह जाती एवं राज्य सरकार स्थिति का आकलन कर सुखाड़ की घोषणा करेगी।

8. सुखाड़ की घोषणा

दक्षिण–पश्चिमी मानसून अवधि में 31 अगस्त के बाद अध्याय 7 में उल्लिखित स्थितियों की समीक्षा एवं संकेतांकों के सम्यक विश्लेषण के पश्चात प्रभावित क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त (आपदाग्रस्त) घोषित करने पर विचार किया जा सकता है। सुखाड़ की घोषणा के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारियों से उनके जिलों/प्रखण्डों में खरीफ फसलों के आच्छादन, वर्षापात की स्थिति एवं अन्य संकेतांकों के आलोक में स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त की जाएगी। यदि राज्य सरकार आवश्यक समझे तो प्रमंडलीय आयुक्तों/जिलो के प्रभारी सचिव अथवा राज्य स्तर के पदाधिकारियों की टीम भेजकर जिला/प्रखण्डों की जमीनी हकीकत का पता लगा सकती है तथा सुखाड़ घोषित करने के संबंध मे उनकी अनुशंसा प्राप्त कर सकती है। राज्य सरकार यथानुसार सर्वदलीय बैठकों/ जिला के प्रभारी माननीय मंत्रीगण के माध्यम से भी जिलों/ प्रखण्डों की जमीनी हकीकत की सूचनाएँ प्राप्त कर सकती है एवं उन सूचनाओं पर सम्यक रूप से विचार कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

प्राप्त अनुशंसाओं पर सम्यक् विचार कर आपातकालीन प्रबंधन समूह प्रभावित क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त (आपदाग्रस्त) घोषित करने के संबंध में राज्य स्तर पर अनुशंसा करेगा। तत्पश्चात् कृषि विभाग के द्वारा विधिवत प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक मे संलेख तैयार किया जाएगा तथा इसका अनुमोदन राज्य सरकार (मंत्रि परिषद) से प्राप्त कर सुखाड़ की घोषणा हेतु अधिसूचना निर्गत किया जाएगा, जिसके आलोक मे विभिन्न विभागों द्वारा कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों एवं विभागो से प्राप्त क्षति के आकलन के आधार पर आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु मेमोरैण्डम तैयार किया जाएगा, जिसे केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। यदि सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों मे क्षति के आकलन हेतु केन्द्रीय टीमों का भ्रमण होता है तो उक्त भ्रमण का समन्वय का कार्य संबंधित विभागों / जिला पदाधिकारियों के साथ भ्रमण के दौरान समन्वय का कार्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाएगा।

अनुलग्नक–(3) बाढ़ प्रबन्धन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) :

बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

STANDARD OPERATING PROCEDURE (S.O.P.) FOR FLOOD MANAGEMENT

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	विषय
1.	सामान्य
2.	बाढ़ प्रबंधन हेतु संस्थात्मक ढाँचा
3.	बाढ़ अवधि के उपरान्त एवं आगामी बाढ़ मौसम के पूर्व की जानेवाली कार्रवाई
4.	बाढ़ अवधि के दौरान तैयारी एवं कार्रवाई
5.	परिशिष्ट (I) बाढ़ उपरान्त एवं आगामी बाढ़ के पूर्व की जानेवाली कार्रवाईयों का चेक लिस्ट 'क'
	(II) बाढ़ अवधि के दौरान बाँधों का अनुरक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु की जानेवाली कार्रवाईयों का चेक लिस्ट 'ख'

बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

STANDARD OPERATING PROCEDURE (S.O.P.) FOR FLOOD MANAGEMENT

1. सामान्य

बिहार राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। राज्य में बाढ़ का सामना करने के लिए बाढ़ के पूर्व तथा बाढ़ के दौरान की जानेवाली तैयारी एवं कार्रवाई के संबंध में कतिपय निदेश/अनुदेश/मार्गदर्शन निर्गत हैं, जिन्हें समेकित करते हुए यह मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) तैयार की गयी है, जिसका अनुपालन संबंधित अभियंताओं/पदाधिकारियों के लिए आवश्यक होगा।

2. बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

2.1 बाढ़ प्रबंधन हेतु संस्थात्मक ढाँचा

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बाढ़ प्रबंधन हेतु संस्थात्मक ढाँचा निम्नवत् है–

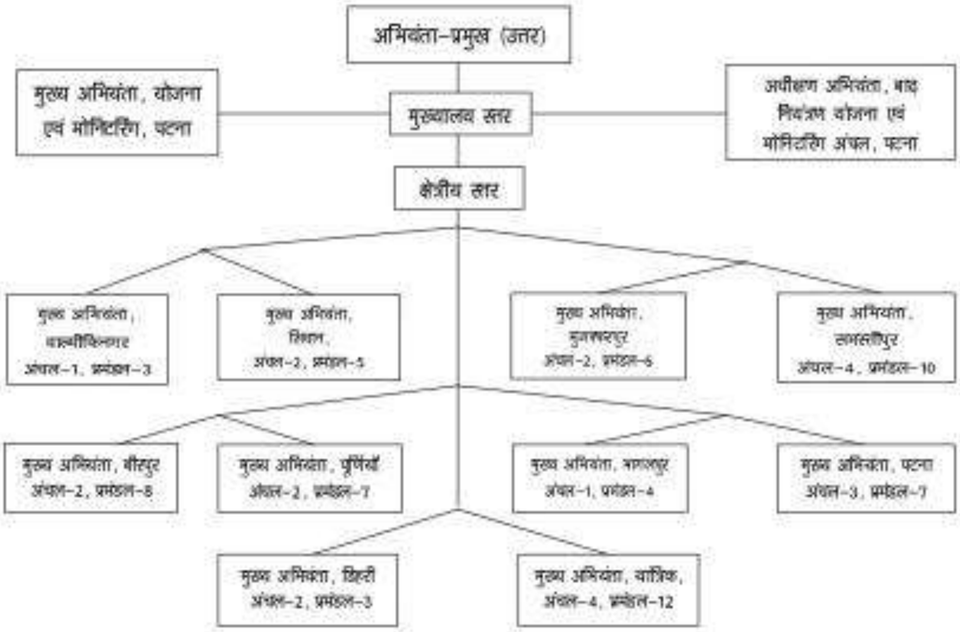

जल संसाधन विभाग में मुख्यालय स्तर पर अभियंता–प्रमुख (उ०) के नेतृत्व में मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग तथा अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना द्वारा बाढ़ प्रबंधन के अनुश्रवण की कार्रवाई की जाती है।

क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़ प्रक्षेत्र से संबंधित कार्यों के लिए 10 मुख्य अभियंता कार्यालय, 23 अंचलीय कार्यालय एवं 65 प्रमंडलीय कार्यालय कार्यरत हैं।

2.2 बाढ़ प्रबंधन से सम्बद्ध राज्य/केन्द्र सरकार के अन्य विभाग

बाढ़ प्रबंधन के क्रम में निम्न विभागों एवं संगठनों से समन्वय रखा जाता है:–

राज्य सरकार के विभाग/प्राधिकार

1. गृह विभाग
2. आपदा प्रबंधन विभाग
3. पथ निर्माण विभाग
4. ग्रामीण कार्य विभाग
5. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
6. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
7. पर्यावरण एवं वन विभाग
8. बाढ़ प्रवण जिलों के जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक

केन्द्र सरकार के विभाग/संगठन

1. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार
2. केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार
3. भारतीय मौसम विभाग, भारत सरकार

3.0 बाढ़ अवधि के उपरान्त एवं आगामी बाढ़ मौसम के पूर्व की जानेवाली कार्रवाई (16 अक्टूबर से 14 जून)

3.1 राज्य मे बाढ़ से होनेवाली समस्याओं का सामना सुव्यवस्थित ढंग से करने हेतु मानसून अवधि आरम्भ होने के पूर्व सभी तैयारियाँ पूरी कर ली जाय ताकि बाढ़ अवधि के दौरान तटबंधों की पूर्ण सुरक्षा हो सके। बाढ़ पूर्व तैयारियों के अन्तर्गत की जानेवाली विभिन्न कार्रवाई चेक लिस्ट 'क' में उल्लिखित है (परिशिष्ट–I)। ये सभी कार्य निम्नांकित मानक बाढ़ कैलेण्डर के अनुसार कार्यान्वित किये जायेंगे–

मानक बाढ़ कैलेन्डर

क्र०	घटनाक्रम (Events)	निर्धारित तिथि
1	यांत्रिक एवं असैनिक अभियंताओं द्वारा तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का संयुक्त निरीक्षण	17 सितम्बर से 20 सितम्बर
2	कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण	21 सितम्बर से 23 सितम्बर
3	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप–समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण (क) गंडक (पी०पी०) तटबंध (ख) कोशी तटबंध	 24 सितम्बर से 26 सितम्बर 27 सितम्बर से 30 सितम्बर
4	टी०ए०सी० के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	01 अक्टूबर
5	टी०ए०सी० की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	08 अक्टूबर से 14 अक्टूबर
6	कोशी/गंडक नदी के लिये गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण (क) गंडक (पी०पी०) तटबंध (ख) कोशी तटबंध	 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर

7	टी०ए०सी० की अनुशंसा के आलोक में एस०आर०सी० के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	17 अक्टूबर
8	12.50 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं के तकनीकी एप्रेजल हेतु अध्यक्ष, जी०एफ०सी०सी० के साथ विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों की बैठक	18 अक्टूबर
9	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में एस०आर०सी० के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	24 अक्टूबर
10	एस०आर०सी० की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	25 से 29 अक्टूबर
11	बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की संभावित बैठक	10 नवम्बर
12	**कार्यक्रम**	
	(क) योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति	12 नवम्बर
	(ख) प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति की तिथि	14 नवम्बर
	(ग) निविदा आमंत्रण की तिथि *	16 से 20 नवम्बर
	(घ) निविदा प्राप्ति की तिथि **	10 से 13 दिसम्बर
	(ड.) निविदा निष्पादन की तिथि	28 दिसम्बर
	(च) कार्य आवंटन की तिथि	31 दिसम्बर
	(छ) कार्य आरम्भ की तिथि	01 जनवरी
	(ज) कार्य समाप्ति की तिथि	15 मई
13	कटाव निरोधक कार्य हेतु अनुवीक्षण दल का गठन एवं प्रस्तावित दौरे का कार्यक्रम	07 जनवरी
14	बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु विशेष अनुदेश	02 मई
15	कटाव निरोधक कार्यों की समाप्ति के पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन	31 मई
16	बाढ़ नियंत्रण कोषांग/कक्ष का गठन	03 जून
17	बाढ़ संघर्षात्मक बल का गठन	05 जून

स्थल निरीक्षण तथा समीक्षा		
18	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के प्रथम एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण	15 मार्च से 15 अप्रैल
19	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के द्वितीय एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण	01 से 15 मई
20	विभागीय मंत्री/उच्चाधिकारियों द्वारा मुख्य अभियंतावार बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा	01 से 15 जून

* पुनर्निविदा के मामले में तीन दिनों के अन्दर अल्पकालीन निविदा प्रकाशित की जाएगी तथा निविदा प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर निविदा निस्तार किया जाएगा।

** निविदा प्राप्ति की तिथि मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर के लिए 10 दिसम्बर, मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर एवं वाल्मीकिनगर के लिए 11 दिसम्बर, मुख्य अभियन्ता, वीरपुर, पूर्णिया एवं भागलपुर के लिए 12 दिसम्बर एवं अन्य सभी मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र के लिए 13 दिसम्बर होगी।

3.2 बाढ़ मौसम के पूर्व कार्यान्वित की जानेवाली कटाव निरोधक योजनाओं के स्वरूप का निर्धारण

बाढ़ मौसम के उपरान्त जल संसाधन विभाग द्वारा **मानक बाढ़ कैलेन्डर** के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित करने के क्रम में कटाव निरोधक योजनाओं के स्वरुप निर्धारण हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जायेंगी :–

(i) कार्यपालक अभियंता द्वारा क्षतिग्रस्त स्थलों को चिन्हित करते हुए कटाव निरोधक योजनाओं को तैयार किया जाना।

(ii) तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का यांत्रिक अभियंताओं के साथ संयुक्त निरीक्षण कर संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा योजना तैयार किया जाना।

(iii) मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित कटाव निरोधक समिति, जिसमें सम्बन्धित मुख्य अभियंता के अतिरिक्त अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता सम्मिलित रहते हैं, द्वारा कटाव निरोधक योजनाओं का स्वरुप निर्धारित कर विहित रूप में इसे तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

3.3 तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन :

मुख्य अभियंता कटाव निरोधक समिति की अनुशंसा के आधार पर सूत्रित योजनाओं को राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे। यह समिति निम्नवत् गठित है :–

1	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना	अध्यक्ष
2	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	सदस्य
3	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा	सदस्य
4	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान	सदस्य
5	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मीकिनगर	सदस्य
6	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,पूर्णियाँ	सदस्य
7	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर	सदस्य
8	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर	सदस्य
9	मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना	सदस्य
10	मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
11	मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना	सदस्य
12	निदेशक, कृषि विभाग, पटना	सदस्य
13	मुख्य वन संरक्षक, पटना	सदस्य
14	केन्द्रीय (नदी प्रबन्धन) जल आयोग–212 द्वितीय तल, दक्षिण खंड, आर० के० पुरम, नई दिल्ली का एक सदस्य	सदस्य
15	मुख्य अभियंता (ब्रीज) पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उ० प्रदेश	सदस्य
16	मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर	सदस्य
17	मुख्य अभियंता (ब्रीज), उत्तर पूर्वी सीमान्त रेलवे, मालीगाँव, गुवाहाटी (आसाम)	सदस्य
18	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
19	अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना	सदस्य
20	अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण अंचल, पटना	सदस्य सचिव

3.4 कोशी/गंडक नदी (पी०पी० तटबंध) से संबंधित योजना हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के साथ विशेष व्यवस्था

3.4.1 कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप समिति :

कोशी नदी के तटबंधों एवं गंडक नदी के पिपरासी–पिपराघाट तटबंध संबंधी मामलों में प्रस्ताव संबंधित मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित कटाव निरोधक समिति द्वारा तैयार किया जायेगा। इन्हें कोशी एवं गंडक नदी के लिए पृथक–पृथक गठित उच्चस्तरीय समिति के उप–समितियों के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

ये उप–समितियाँ निम्नवत गठित हैं–

1	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, बिहार	अध्यक्ष
2	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का एक मनोनीत पदाधिकारी	सदस्य
3	मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
4	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, प्रभारी कोशी तटबंध / प्रभारी गंडक पिपरासी–पिपराघाट तटबंध	सदस्य सचिव

उपर्युक्त उप–समितियों के स्थल निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता निम्नलिखित अभिलेखों को उप–समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे –

- ✓ नदी का रिजिम प्लान, जिसमें पूर्व के वर्षो के कटावों की स्थिति अंकित हो;
- ✓ स्थल का प्रोबिंग चार्ट;
- ✓ पूर्व के वर्षो में कराये गये बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का विवरण एवं फलाफल;
- ✓ पूर्व के वर्षो में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों का ब्यौरा;
- ✓ निकटतम स्थल पर अवस्थित गेज स्टेशनों के गेज पठन एवं जलस्त्राव आँकड़े;
- ✓ क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित कार्य एवं अनुमानित लागत का विवरण;
- ✓ कोई अन्य वांछित सूचना।

3.4.2 कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति

कोशी / गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप–समिति की अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता, वीरपुर एवं सिवान क्रमशः कोशी तटबंध एवं गंडक के पिपरासी–पिपराघाट तटबंध की सुरक्षा हेतु योजनाएँ अनुमानित लागत के साथ बनाकर कोशी एवं गंडक उच्चस्तरीय समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे। ये समितियाँ निम्नवत् गठित हैं :–

कोशी उच्चस्तरीय समिति

1	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	अध्यक्ष
2	निदेशक, शोध संस्थान, पूणे अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
3	केन्द्रीय (बाढ़) जल आयोग, नई दिल्ली का एक सदस्य / उनका प्रतिनिधि	सदस्य
4	अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
5	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा	सदस्य
6	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
7	मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना	सदस्य
8	निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, जल संसाधन विभाग, नेपाल सरकार, विराटनगर, नेपाल	सदस्य
9	उप–महानिदेशक, जल संसाधन विभाग, नेपाल सरकार, काठमांडू	सदस्य
10	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर	सदस्य सचिव

गंडक उच्चस्तरीय समिति

1	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	अध्यक्ष
2	अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना	सदस्य
3	अभियंता प्रमुख, डी.एण्ड पी., सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, सिंचाई भवन, कैनाल कॉलौनी, लखनऊ–226001	सदस्य
4	निदेशक, केन्द्रीय जल व उर्जा अनुसंधान स्टेशन, पो०– खड़कवासला, पूणे–411024	सदस्य
5	मुख्य अभियंता केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
6	निदेशक, सिंचाई शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार, रूड़की	सदस्य
7	निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	सदस्य सचिव

कोशी एवं गंडक उच्चस्तरीय समिति क्रमशः कोशी तटबंध एवं गंडक (पिपरासी–पिपराघाट) तटबंध के विभिन्न आक्राम्य स्थलों का निरीक्षण करते हुए संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा समर्पित योजना का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन कर अपनी अनुशंसा करेगी।

3.5 योजना समीक्षा समिति (एस०आर०सी०) के समक्ष बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का उपस्थापन

तकनीकी सलाहकार समिति एवं कोशी / गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आलोक में मुख्य अभियंता द्वारा योजना प्राक्कलन तैयार कर विभागीय योजना समीक्षा समिति के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। विभागीय योजना समीक्षा समिति निम्नवत् गठित है :–

1	अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का एक सदस्य (गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा मनोनीत)	सदस्य
3	मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
4	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना–सह–अध्यक्ष राज्य तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य

3.5.1 योजना समीक्षा समिति की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन समर्पण

योजना समीक्षा समिति, तकनीकी सलाहकार समिति/उच्चस्तरीय समितियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए आवश्यक योजनाओं का चयन उपलब्ध निधि सीमा के अन्तर्गत करेगी। योजनाओं की समीक्षा एवं उनका चयन करते समय राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा निर्धारित निम्नांकित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जायेगा :—

प्रथम प्राथमिकता— तटबंधों एवं निवृत्त तटबंधों की सुरक्षा।

द्वितीय प्राथमिकता— बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य पथ, बड़े—बड़े शहरों एवं पुरानी घनी आबादी वाले बस्तियों की सुरक्षा।

तृतीय प्राथमिकता— कृषि योग्य भूमि एवं दियारा क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य।

3.6 बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की बैठक में योजनाओं का प्रस्तुतिकरण

योजना समीक्षा समिति द्वारा चयनित योजनाओं के आधार पर विभाग एक कार्यावली तैयार करेगा, जिसमें बाढ़ प्रक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित व्यय तथा 30.00 करोड़ रूपये से अधिक लागत राशि वाली योजनाओं के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव सम्मिलित रहेगा। विभाग यह कार्यावली बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् के समक्ष उपस्थापित करेगा। यह पर्षद् निम्नवत् गठित है:—

1	मुख्य मंत्री, बिहार	अध्यक्ष
2	वित्त मंत्री, बिहार	सदस्य
3	जल संसाधन मंत्री, बिहार	सदस्य
4	योजना मंत्री, बिहार	सदस्य
5	राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, बिहार	सदस्य
6	मुख्य सचिव, बिहार	सदस्य
7	प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार	सदस्य
8	विकास आयुक्त, बिहार	सदस्य
9	अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
10	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	सदस्य
11	मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर	सदस्य
12	मुख्य अभियंता, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	सदस्य
13	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार	सदस्य सचिव

3.7 अनुशंसित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया

अनुशंसित योजनाओं में सामान्यतः रू० 12.50 करोड़ तक लागत राशि वाली योजनाएँ राज्य सरकार के निधि—स्त्रोत से कार्यान्वित की जाती है एवं रू० 12.50 करोड़ से अधिक लागत राशि वाली योजनाएँ भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय से केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर कार्यान्वित की जाती है। इसकी स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नवत् हैं :—

3.7.1 योजना मद के अन्तर्गत स्वीकृति प्राधिकार :—

क्र०	योजना की राशि	स्वीकृति प्राधिकार
(i)	रू० 2.50 करोड़ तक की योजना	विभागीय सचिव
(ii)	रू० 2.50 करोड़ से रू० 10.00 करोड़ तक की योजना	विभागीय मंत्री
(iii)	रू० 10.00 करोड़ से रू० 20.00 करोड़ तक की योजना	विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री
(iv)	रू० 20.00 करोड़ से अधिक की योजना	मंत्रिपरिषद्

3.7.2 **गैर योजना मद के अन्तर्गत स्वीकृति प्राधिकार :–**

क्र०	योजना की राशि	स्वीकृति प्राधिकार
(i)	रू० 1.00 करोड़ तक की योजना	विभागीय सचिव
(ii)	रू० 5.00 करोड़ तक की योजना	विभागीय मंत्री
(iii)	रू० 5.00 करोड़ से अधिक की योजना	मंत्रिपरिषद्

3.7.3 **केन्द्र सम्पोषित योजनाओं का वर्गीकरण एवं स्वीकृति की प्रक्रिया:–**

योजनाओं की प्रकृति एवं लागत राशि के अनुसार केन्द्रीय स्त्रोत से निधि प्राप्ति की निम्नांकित व्यवस्था है :–

(क) **केन्द्रांश : राज्यांश** – (75 : 25)

(ख) **केन्द्रांश : राज्यांश** – (90 : 10)

(ग) **केन्द्रांश** – (100%)

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत रू० 12.50 करोड़ से उपर की योजनाओं को गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित की जाती है। इनमें से रू० 25.00 करोड़ तक की लागत राशि वाली योजनाओं का टेक्नीकल एप्रेजल गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना के स्तर से किया जाता है एवं रू० 25.00 करोड़ से अधिक लागत राशि वाली योजनाओं का टेक्नीकल एप्रेजल जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से प्रदान किया जाता है। इसके उपरान्त योजना आयोग, भारत सरकार के स्तर से विनिवेश की स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के द्वारा केन्द्रांश की विमुक्ति की जाती है। नये कार्यों के मामले में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75:25 रहता है जबकि क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्स्थापन के मामले में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 90:10 रहता है।

''सीमावर्ती क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य कलाप'' (River Management Activities & Works related to Border Areas – RMAWBA) शीर्ष के अन्तर्गत कोशी उच्चस्तरीय समिति एवं गंडक उच्चस्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित तथा सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित योजनाओं को लिया जाता है। इस शीर्ष के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा शत–प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य विहित अभिलेख के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति का दावा केन्द्र सरकार को समर्पित किया जाता है।

3.8 कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति का प्रबोधन

बाढ़ पूर्व कराये जानेवाले कटाव निरोधक कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति के प्रबोधन हेतु विभाग द्वारा मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रवार विशेष जाँच दलों का गठन किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष अनुभवी सेवा–निवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता होंगे।

3.9 कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु प्रगति की समीक्षा

मुख्य अभियंताओं द्वारा कार्य की प्रगति का एजेण्डावार साप्ताहिक प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित किया जायेगा जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा नियमित रूप से की जायेगी।

4.0 बाढ़ अवधि के दौरान तैयारी एवं कार्रवाई (15 जून से 15 अक्टूबर)

4.1 राज्य में बाढ़ से होनेवाली समस्याओं का सुव्यवस्थित ढंग से सामना करने हेतु बाढ़ अवधि में की जानेवाली विभिन्न कार्रवाई चेक लिस्ट 'ख' में उल्लिखित है (परिशिष्ट–II)।

4.2 प्रत्येक वर्ष मानसून अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व बाढ़ से संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन स्थलों का निरीक्षण कर तटबंधों के दरार, कटाव, क्षरण, चूहा एवं अन्य जानवरों से निर्मित छिद्र, रेन कट्स, पॉट होल्स एवं अन्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मती 31 मई के पूर्व निश्चित रूप से करा लेंगे। इस कार्य को अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

4.3 संभावित आक्राम्य स्थलों की सूची

4.3.1 पिछले दिनों में नदी के रिजिम में हुए किसी प्रकार के परिवर्तन की अद्यतन स्थिति के समीक्षोपरान्त यदि कोई नया आक्राम्य स्थल परिलक्षित हो रहा हो तो इसकी सूची कार्यपालक अभियंता 15 मई से 22 मई के बीच स्थल निरीक्षण कर अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता को समर्पित करेंगे।

तत्पश्चात् जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के साथ 23 मई से 25 मई के बीच संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा एवं यदि कुछ नये आक्राम्य स्थल परिलक्षित होंगे तो तदनुसार उपर्युक्त सूची को संशोधित कर लिया जायेगा।

मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता के साथ 26 मई से 31 मई के बीच इन आक्राम्य स्थलों का निरीक्षण करेगें एवं यदि आवश्यक हो तो मुख्य अभियंता अपने स्तर से समीक्षा करते हुए अन्तिम सूची तैयार करेंगे और इसे 1 जून तक विभाग में समर्पित करेंगे।

4.3.2 मुख्य अभियंता की यह भी जिम्मेवारी होगी कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप तटबंधों की गश्ती के संबंध में विभागीय स्तर से निर्गत सभी परिपत्रों को समेकित करते हुए तथा उपर्युक्त आक्राम्य स्थलों की सूची के साथ सभी अभियंताओं का कार्यक्षेत्र अंकित करते हुए बाढ़ अवधि के लिए "**बाढ़ प्रबंधन निर्देशिका**" निर्गत करेंगे। इस बाढ़ प्रबंधन निर्देशिका को मुख्य अभियंता जून के प्रथम सप्ताह में विभाग तथा संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायेंगे।

4.4 तटबंध सुरक्षा की जिम्मेवारी

- कनीय अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन बाढ़ प्रबंधन निर्देशिका के प्रावधान के तहत प्रत्येक दिन चार बार तटबंधों/संरचनाओं का निरीक्षण करेंगे। कनीय अभियंता का बाढ़ अवधि के दौरान मुख्यालय उनके परिक्षेत्राधीन पड़ने वाले तटबंध के अतिसंवेदनशील स्थल पर अस्थायी निर्मित कैम्प कार्यालय रहेगा। कनीय अभियंता मोटर साईकिल से गश्ती करेंगे एवं इस गश्ती हेतु कनीय अभियंता को प्रतिदिन दो लीटर पेट्रोल अनुमान्य रहेगा। सूचनाओं का आदान–प्रदान कनीय अभियंता VPN/CUG मोबाईल के माध्यम से करेंगे। स्थल की संवेदनशीलता के संबंध में किसी भी स्रोत से सूचना मिलने पर कनीय अभियंता आधा घंटा के अन्दर उस स्थल पर पहुँचकर बाँध की स्थिति से तत्काल सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को अवगत करायेंगे एवं सुरक्षा की प्रारंभिक कार्रवाई शुरु कर देंगे। कनीय अभियंता अपने कार्य क्षेत्राधीन सभी स्परों/आक्राम्य स्थलों पर स्थल पंजी, गेज पंजी, क्रेट लेईंग रजिस्टर, साउन्डिंग रजिस्टर एवं भंडार पंजी संधारित करेंगे।
- बाढ़ अवधि के दौरान सहायक अभियंता का मुख्यालय अधीनस्थ तटबंध के सर्वाधिक संवेदनशील स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता का मुख्यालय होगा। बाढ़ अवधि के दौरान प्रत्येक सहायक अभियंता को एक निरीक्षण वाहन उपलब्ध रहेगा। कनीय अभियंता अथवा किसी भी माध्यम से किसी स्थल की संवेदनशीलता की सूचना प्राप्त होते ही वे एक घंटा के अन्दर स्थल पर पहुँचकर, स्थिति से तत्काल कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को अवगत कराते हुए सुरक्षा की कार्रवाई को सम्पुष्ट करेगें। सहायक अभियंता कार्य से संबंधित सभी पंजियों को जाँच कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- कनीय अभियंता/सहायक अभियंता एवं अन्य किसी भी स्रोत से स्थल की संवेदनशीलता की जानकारी होते ही दो घंटे के भीतर कार्यपालक अभियंता स्थल पर पहुँचकर इसकी सुरक्षा हेतु वांछित कार्य का कार्यान्वयन सुनिश्चित

करेंगे एवं इस संबंध में अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता/अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल को सूचित करेंगे। विभागीय पदाधिकारियों के अलावा कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को तत्काल इसकी सूचना देंगे एवं अपेक्षित सहयोग प्राप्त करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध करेंगे। बाँध में यदि जान–बूझकर क्षति (sabotage) पहुँचाने की आशंका हो तो तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन को देंगे। आवश्यकतानुसार जनसहयोग के लिए जन–प्रतिनिधियों को भी सूचित करेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 8.00 बजे पिछले चौबीस घंटे का खैरियत प्रतिवेदन केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्षों तथा संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देंगे। इसके अतिरिक्त स्थलवार कराये जा रहे बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के परिमाण एवं राशि विहित प्रपत्र में, नदी का गेज पठन एवं जलश्राव की सूचना मुख्यालय को दैनिक रूप से उपलब्ध करायेंगे।

कार्यपालक अभियंता का यह दायित्व होगा कि आपातकालीन कार्य हेतु सूचीबद्ध संवेदकों में से किसी एक को नामांकित कर कार्य का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

- अधीक्षण अभियंता स्थल की संवेदनशीलता की सूचना प्राप्त होते ही तीन घंटे के अन्दर स्थल पर पहुँचकर सुरक्षात्मक कार्य की प्रगति से संतुष्ट होते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देंगे एवं मोबाईल/बेतार संवाद द्वारा मुख्य अभियंता तथा विभाग को अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे।

कराये जा रहे बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की राशि जब अधीक्षण अभियंता को नामांकन की प्रदत्त शक्ति से अधिक हो जाय तो कार्य में लागत की वृद्धि एवं इसके औचित्य की सूचना अविलम्ब मुख्य अभियंता/विभाग को देते हुए इसपर स्वीकृति प्राप्त करेंगे। अभियंता प्रमुख (उ०) की यह जिम्मेवारी होगी कि चौबीस घंटे के भीतर नामांकन प्रस्ताव गुण–दोष के आधार पर स्वीकृत कर इसकी सूचना मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता को दें।

- मुख्य अभियंता स्थल के संवेदनशीलता के बारे में सूचना पाने के चार घंटे के अन्दर अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल के साथ स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर आवश्यक निदेश देंगे।

मुख्य अभियंता स्थल पर आवश्यकतानुसार स्थल को अतिसंवेदनशील अथवा संवेदनशील घोषित करते हुए परिक्षेत्राधीन गठित विशेष दल के सदस्यों को प्रतिनियुक्त करेंगे।यदि स्थिति अधिक संवेदनशील हो तो वहाँ पर अस्थायी नियंत्रण कक्ष की स्थापना करायेंगे एवं एक आत्मभारित प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलम्ब भेजते हुए आवश्यकतानुसार मोबाईल से भी सूचना देंगे।

मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता से तटबंधों का खैरियत प्रतिवेदन प्रतिदिन प्राप्त करेंगे। मुख्य अभियंता दैनिक खैरियत प्रतिवेदन, साप्ताहिक सामग्री से संबंधित प्रतिवेदन तथा पाक्षिक प्रपत्र–24 मुख्यालय में समर्पित करेगें एवं आकस्मिक परिस्थिति में अद्यतन स्थिति से केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग एवं अभियंता प्रमुख (उत्तर) को तुरन्त अवगत करायेंगे।

- जब नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर से उपर रहे या तटबंध के टो में नदी का पानी सट जाय तो कार्यपालक अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक रात–दिन तटबंधों की गश्ती करेंगे एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित श्रमिकों को तटबंध के गश्ती में प्रतिनियुक्त करेंगे।
- सभी स्परों/आक्राम्य स्थलों पर आवश्यकता के अनुरूप मजदूर रखने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता की होगी।
- तटबंधों पर गश्ती व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में गृह–रक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक कि०मी० पर संबंधित जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी। गृह–रक्षकों की गश्ती बीट–वार की जायेगी।
- गृह–रक्षकों का मुख्यालय तटबंध के उस प्रभाग के प्रभारी कनीय अभियंता का मुख्यालय रहेगा, जहाँ वे कनीय अभियंता को गश्ती के दौरान प्राप्त सूचनाओं को देंगे। इन सूचनाओं का कनीय अभियंता द्वारा एक पंजी में संधारण किया जायेगा। कनीय अभियंता गृह–रक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी सहायक अभियंता के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को देंगे। कार्यपालक अभियंता अनुपस्थिति की सूचना जिला समादेष्टा, गृह–रक्षी को उपलब्ध करायेंगे।

4.5 संवेदनशील स्थलों का वर्गीकरण

स्थल की संवेदनशीलता के अनुसार संवेदनशील स्थलों को निम्नांकित दो श्रेणियों में विभाजित किया जायेगाः–

(क) अतिसंवेदशील स्थल

(ख) संवेदनशील स्थल

4.5.1 अतिसंवेदनशील स्थल

- इस श्रेणी के अन्तर्गत तटबंध एवं संरचना के वैसे स्थल आयेंगे जहाँ पर नदी का कटाव संरचना/तटबंध के टो अथवा स्लोप पर आरंभ हो गया हो जिससे संरचना/तटबंध के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति उत्पन्न हो गई हो।
- मुख्य अभियंता अतिसंवेदशील स्थल पर विशेष दल, जिसमें प्रत्येक पाली के लिए एक कार्यपालक अभियंता एवं दो सहायक अभियंता/कनीय अभियंता होगें, को प्रतिनियुक्त करेंगे। यह विशेष दल अधीक्षण अभियंता के समग्र निर्देशन में कार्य करेगा। तीन दिनों से अधिक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में मुख्यालय में गठित टीम अविलम्ब उक्त स्थल के लिए प्रस्थान करेगी।

4.5.2 संवेदनशील स्थल

- इस श्रेणी के अन्तर्गत तटबंध एवं संरचना के वैसे स्थल आयेंगे जहाँ पर यह महसूस हो कि संरचना/तटबंध से नदी कुछ दूरी पर है, परन्तु इसकी कटाव की तीव्रता इस प्रकार की है कि यदि इसे अविलम्ब नहीं रोका गया तो यह संरचना/तटबंध के निकट शीघ्र पहुँच कर स्थिति को गंभीर बना सकती है।
- मुख्य अभियंता संवेदनशील स्थल पर आवश्यकतानुसार विशेष दल को प्रतिनियुक्त करेंगे। लगातार सात दिनों से अधिक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में मुख्यालय में गठित टीम अविलम्ब उक्त स्थल के लिए प्रस्थान करेगी।

4.6 बाढ़ नियंत्रण आदेश का निर्गमन

बाढ़ अवधि में उत्पन्न होनेवाली समस्याओं के निराकरण हेतु अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से **"बाढ़ नियंत्रण आदेश"** निर्गत किया जायेगा, जो सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधितों को प्रेषित होगा।

4.7 बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन

बाढ़ के दौरान आक्राम्यता की स्थिति उत्पन्न होने पर कम से कम समय में कटाव स्थल पर पहुँचकर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों का स्वरूप निर्धारण कर क्षेत्रीय पदाधिकारियों को परामर्श देने के निमित्त नदी बेसिनवार बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष अनुभवी सेवा निवृत अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता होंगे।

4.8 केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग का गठन

- जून की 15 तारीख से मुख्यालय स्थित सिंचाई भवन में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग कार्य करना आरंभ कर देगा जो रात–दिन 31 अक्टूबर तक कार्यरत रहेगा। ये तिथियाँ किसी आपात बाढ़ स्थिति के अनुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती हैं। मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना इस बाढ़ नियंत्रण कोषांग पर अपना सीधा नियंत्रण रखेंगे और अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग इस कोषांग के पूर्ण प्रभार में रहेंगे। उन्हें यह प्राधिकार होगा कि वे बाढ़ द्वारा उत्पन्न स्थिति में किसी भी दूसरे मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता अथवा कार्यपालक अभियंता से कर्मचारी, वाहन तथा मशीनरी आदि की माँग कर सके।
- क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्षों के संचालन हेतु केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना के ही सदृश संबंधित अभियंताओं द्वारा मार्ग–निर्देश तैयार किये जायेंगे।

4.8.1 केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना का कार्य

- केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग द्वारा बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003 के प्रावधानों के आलोक में कार्य किया जायेगा।
- केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग द्वारा क्षेत्रीय अभियंताओं से प्रतिवेदन प्राप्त कर सारांश प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा और प्रत्येक दिन दो बार अर्थात् 10.00 बजे सुबह एवं 5.00 बजे संध्या अभियंता प्रमुख (उत्तर), प्रधान सचिव के आप्त सचिव एवं माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को उपस्थापित किया जायेगा।
- पाली प्रभारी अपने पाली में क्षेत्रीय कनीय अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक से उनके VPN/CUG मोबाईल पर सम्पर्क करेंगे तथा उनके लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वे इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को प्रत्येक दिन उपलब्ध करायेंगे।
- स्थलवार कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के परिमाण एवं राशि का व्यौरा दैनिक रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता द्वारा मुख्यालय में भेजा जायेगा। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के स्तर पर संबंधित मोनिटर द्वारा इसका संकलन कर अधीक्षण अभियंता, बाढ़ मोनिटरिंग के स्तर से साप्ताहिक रूप से प्रत्येक शुक्रवार को अभियंता प्रमुख (उ०)/प्रधान सचिव/विभागीय मंत्री के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

4.8.2 मुख्यालय स्तर पर विशेष दल का गठन

विभागीय मुख्यालय में छः विशेष दल का गठन किया जायेगा, जिन्हें आवश्यकतानुसार सक्षम पदाधिकारी के निदेशानुसार स्थल विशेष पर भेजा जायेगा। इस विशेष दल में एक अधीक्षण अभियंता, एक कार्यपालक अभियंता एवं एक सहायक अभियंता सम्मिलित रहेंगे। स्थल निरीक्षण हेतु इस विशेष दल को केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग द्वारा आवश्यकतानुसार वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

4.9 क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का गठन

क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़ से संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के स्तर पर तथा आवश्यकतानुसार अतिसंवेदनशील स्थल पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा, जो चौबीसो घंटे कार्यरत रहेगा।

4.10 सूचनाओं के संप्रेषण हेतु बेतार संयंत्रों/वी.पी.एन. मोबाईल सेटों को क्रियाशील रखना

- कनीय अभियंता से मुख्य अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों द्वारा सूचनाओं के द्रुत गति से आदान प्रदान करने हेतु उन्हें उपलब्ध कराए गए VPN/CUG मोबाईल को क्रियाशील रखा जाएगा।
- बेतार संवाद हर दो घंटे पर प्रसारित करने के लिए सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जायेगा।
- बाढ़ के समय वायरलेस सेट की अतिरिक्त व्यवस्था की जायेगी। वायरलेस सेट 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। आवश्यकतानुसार पुलिस वायरलेस सेट का भी उपयोग किया जायेगा।
- सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित दूरभाष/फैक्स/ई–मेल सुविधा का उपयोग किया जायेगा।

4.11 बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का आक्राम्य स्थल/अन्य स्थल/केन्द्रीय भंडार में भंडारण की कार्रवाई

- प्रत्येक वर्ष 15 जून तक बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का भंडारण आक्राम्य स्थलों पर एवं केन्द्रीय भण्डार में कर लिया जायेगा।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की आवश्यकताओं की सूचना 15 जनवरी तक अधीक्षण अभियंता को देंगे जो उसकी सम्यक् जाँच कर अपनी अनुशंसा के साथ मुख्य अभियंता को 22 जनवरी तक भेजेंगे। मुख्य अभियंता अपने पूरे परिक्षेत्र में सामग्रियों की आवश्यकता की

समीक्षा कर उनकी प्राप्ति एवं संचयन के लिए अधियाचना विभाग में 31 जनवरी तक समर्पित करेंगे। विभाग में इसकी समीक्षा कर क्रयादेश की कार्रवाई तत्काल की जायेगी।

- कार्यपालक अभियंता भंडार स्थल पर बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की प्राप्ति, निर्गमन तथा अवशेष का सही लेखा–जोखा रखे जाने की व्यवस्था करेंगे ताकि जाँच पदाधिकारी जब चाहें उसकी सम्यक् जाँच कर इनकी पर्याप्तता एवं उपलब्धता के संबंध में संतुष्ट हो सके।

4.12 आक्राम्य स्थलों पर कैम्प/आवश्यक व्यवस्था

- बाढ़ अवधि में अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराये जाने की स्थिति में झोपड़ीनुमा कैम्प कार्यालय कार्यरत होगा, जिसमें मूलभूत सुविधाएँ यथा– पेयजल, शौचालय, रात्रि में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था एवं कार्य में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आवासन एवं भोजन की व्यवस्था की जायेगी।

4.13 बाढ़ सतर्कता की दृष्टि से जिलावार समिति का गठन

- तटबंध तथा उनके आक्राम्य स्थलों की सुरक्षा एवं गश्ती के निमित्त सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था करने हेतु जिला में एक समिति निम्नवत् गठित किया जाता है :–

1	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2	वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	कार्यपालक अभियंता (बाढ़ नियंत्रण कार्यों से संबंधित)	सदस्य
4	आपदा प्रबंधन विभाग के संबंधित जिलास्तर के एक पदाधिकारी	सदस्य

- बाढ़ संबंधी कार्य के लिए व्यवहृत निरीक्षण वाहनों को जिला प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था संबंधी कार्य के लिए अधियाचित नहीं किया जायेगा।

- जिला पदाधिकारी, आपात स्थिति में मजदूरों तथा सामग्रियों को आपात विन्दुओं पर पहुँचाने में त्वरित सहयोग करते हुए ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
- यह पाया गया है कि क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में यदा कदा असामाजिक तत्त्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है जो कार्य की प्रगति को बाधित भी करता है। संबंधित जिला पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय तकनीकी पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करें तथा गतिरोधों को तत्परतापूर्वक दूर करें, ताकि कार्य की प्रगति बनायी रखी जा सके। साथ ही बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की जाँच कर रहे विशेष जाँच दलों को भी, उनके द्वारा मांगे जाने पर वे आवश्यक सहयोग उपलब्ध करायेंगे।
- जब किसी तटबंध की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाय तो मुख्य अभियंता तथा उनके अधीनस्थ कार्यपालक अभियंता स्तर तक के पदाधिकारी, स्थिति की सूचना तुरंत जिला पदाधिकारी को देंगे तथा इस स्थिति से केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग पटना को भी अवगत करायेंगे जिसमें इस आशय का भी उल्लेख होगा कि संभावित टूटान से कितने क्षेत्र प्रभावित होंगे।
- उपर्युक्त सूचना के आधार पर बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र (FMISC), पटना इनन्डेशन मैप तैयार करेगा।
- जिला पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि उपर्युक्त मैप के आधार पर संभावित क्षेत्र के आम जनता के बीच बाढ़ चेतावनी निर्गत कर देंगे तथा संभावित बाढ़ से प्रभावित होने वालों के लिए साहाय्य की व्यवस्था एवं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- साहाय्य एवं सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने के कार्यों का संचालन आपदा प्रबंधन विभाग करेगा।
- अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में जब स्थिति असैनिक प्रशासन के नियंत्रण के बाहर हो जाय, तब सैन्य सहायता की अधियाचना की जायेगी। स्थानीय असैनिक प्रशासन तथा तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा ऐसी सहायता की मांग राज्य के गृह विभाग से परामर्श करने के बाद ही की जायेगी।

4.14 सूचनाओं का प्रसारण

- बाढ़ से संबंधित सूचनायें निम्नलिखित वेब साईटों पर उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, क्षेत्रीय स्तर पर गठित सभी बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा किया जायेगा। जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा भी इनका उपयोग किया जायेगाः–
- Meteorological Forecasting Division, Govt. of Nepal
  http://www.mfd.gov.np
- Central water Commission
  http://www.india-water.com
- Water Resources Department, Govt. of Bihar
  http://wrd.bih.nic.in
- India Meteorological Department
  http://www.imd.gov.in and www.mousam.gov.in
- Disaster Management Department, Govt. of Bihar
  http://disastermagmt.bih.nic.in
- Ganga Flood Control Commission, Patna, Ministry of Water Resources, Govt. of India
  http://gfcc.bih.nic.in
- National Informatics Centre-Weather Resource System for India
  http://weather.nic.in
- Weather forecast for Nepal
  http://www.mfd.gov.np
- Weather forecast for Bihar from Yahoo
  http://weather.yahoo.com/India/bihar-2274908
- Flood Management Improvement Support Centre, Bihar
  http://www.fmis.bih.nic.in

4.15 बाढ़ अवधि के दौरान आपात् स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा की जानेवाली कार्रवाई

- तटबंधों की देखभाल तथा सुरक्षा के समय यदि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाय तो जिला पदाधिकारी अविलम्ब इसके लिए कार्रवाई करेंगे।
- जिला पदाधिकारी संबंधित तकनीकी पदाधिकारियों के साथ संवेदनशील स्थलों का बार–बार निरीक्षण करेंगे, ताकि तटबंधों की सुरक्षा करने में आने वाली कठिनाईयों पर अपेक्षित प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस कार्य में पुलिस अधीक्षक को भी विश्वास में रखा जायेगा ताकि किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था पर काबू पाने तथा गश्ती के लिए आवश्यक सशस्त्र बलों का आकलन संयुक्त रूप से किया जा सके।
- जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी तटबंधों और इनके ढालों पर अतिक्रमण न रहे।

4.16 तटबंध टूटने की दशा में आवश्यक कार्रवाई

- कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की देख–रेख में टूटान बिन्दु के दोनों कट–इन्ड को होल्ड करने एवं ब्रीच को क्लोज करने की कार्रवाई शीघ्र प्रारम्भ कर देंगे।
- सूचना मिलने पर जिला पदाधिकारी अविलंब स्थल का निरीक्षण करेंगे एवं स्थिति के संबंध में अपना आकलन आपदा प्रबंधन विभाग को द्रुततम संचार माध्यम से प्रेषित करेंगे।
- ब्रीच क्लोजर के समय स्थल पर पुलिस सुरक्षा प्रदान की जायेगी एवं मरम्मती की देख–भाल वरीय अभियंताओं के अतिरिक्त जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी भी करेंगे।

- टूटान/कटान की मरम्मती से संबंधित प्रगति की जानकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता नियमित रूप से विभाग तथा जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड स्तरीय नियंत्रण कक्ष को देते रहेंगे।

4.17 सूचना/मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित रिपोर्ट पर कार्रवाई

बाढ़ अवधि में आवश्यक सूचनाएँ प्रसारित करने के लिए रेडियो, टी०वी० एवं प्रिन्ट मीडिया जैसे संचार माध्यमों का उपयोग किया जायेगा एवं जनता को सही तथ्यों की जानकारी समय–समय पर उपलब्ध करायी जायेगी। क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित मुख्य अभियंता एवं मुख्यालय स्तर पर जन सम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से आम जनता को सूचना दी जायेगी।

परिशिष्ट–I

बाढ़ उपरान्त एवं आगामी बाढ़ के पूर्व की जानेवाली कार्रवाइयों का चेकलिस्ट 'क'

क्र०सं०	की जानेवाली कार्रवाई	हाँ	नहीं
1	तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का यांत्रिक अभियंताओं के साथ संयुक्त निरीक्षण		
2	आगामी बाढ़ पूर्व कराये जानेवाले कटाव निरोधक योजनाओं के स्वरूप निर्धारण हेतु आक्रम्य स्थलों का समिति द्वारा निरीक्षण		
3	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप समिति का स्थल निरीक्षण		
4	तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन		
5	तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक एवं अनुशंसा		
6	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति का स्थल निरीक्षण		
7	तकनीकी सलाहकार समिति एवं कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति से अनुशंसित योजनाओं का योजना समीक्षा समिति (एस.आर.सी.) के समक्ष उपस्थापन		
8	योजना समीक्षा समिति की बैठक एवं अनुशंसा		
9	बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की बैठक में योजनाओं का प्रस्तुतिकरण		
10	अनुशंसित कटाव निरोधक योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति		
11	स्वीकृत कटाव निरोधक योजनाओं हेतु निविदा आमंत्रण/निष्पादन		
12	कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति पर निगरानी रखते हुए विशेष जाँच दलों का गठन		
13	मुख्य अभियंता द्वारा कार्य की प्रगति का साप्ताहिक प्रतिवेदन का प्रेषण		
14	मुख्य अभियंता द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के पूर्ण होने संबंधी प्रतिवेदन का प्रेषण		

बाढ़ अवधि के दौरान बाँधों का अनुरक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु की जानेवाली कार्रवाइयों का

चेकलिस्ट 'ख'

क्र०सं०	की जानेवाली कार्रवाई	हाँ	नहीं
1	तटबंधों के दुर्बल स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई		
2	जिला प्रशासन के साथ तटबंधों का संयुक्त निरीक्षण		
3	संभावित आक्राम्य/संवेदनशील स्थलों की पहचान कर सूची का विभाग में प्रेषण		
4	बाढ़ नियंत्रण आदेश का प्रकाशन		
5	बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का आक्राम्य स्थल/अन्य स्थल/केन्द्रीय भंडार में भंडारण की कार्रवाई		
6	आक्राम्य स्थलों पर कैम्प/आवश्यक व्यवस्था		
7	बाढ़ सतर्कता की दृष्टि से होमगार्ड/सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति		
8	बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन		
9	बाढ़ प्रवन्चन निर्देशिका का प्रकाशन		
10	केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग का अधिष्ठापन		
11	क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का अधिष्ठापन		
12	आक्राम्य स्थलों पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष का अधिष्ठापन		
13	सूचनाओं के संप्रेषण हेतु बेतार संयंत्रों/भी.पी.एन. मोबाईल सेटों का अधिष्ठापन एवं क्रियाशील रखना		
14	तटबंध सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई करना		
15	सूचनाओं/प्रतिवेदनों के प्रकाशन एवं प्रसारण की व्यवस्था		
16	बाढ़ अवधि में जिला प्रशासन से सहायता प्राप्त करना		
17	तटबंध टूटने की दशा में आवश्यक कार्रवाई करना		
18	सूचना/मिडिया में प्रकाशित/प्रसारित रिर्पोट पर कार्रवाई		

अनुलग्नक–(4) अग्निकाण्ड से निपटान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) :

...क्स/ई–मेल

पत्रांक –1–प्रा0आ0(2)–24/2006/ 1061/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

...त्यावश्यक

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 8/3/16

विषय: **अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)।**

महाशय,

कृपया उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक 818/आ0प्र0, दिनांक 04.03.2015 का उल्लेख करें जिसके अनुसार अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया परिचारित की गयी थी। उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि इस वर्ष ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो रहा है। ग्रीष्मकाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की संभावना काफी बढ़ जाती है। राज्य सरकार की नीति है कि अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित जिले के आपदा प्रबंधन के उत्तरदायी पदाधिकारी एवं उनकी टीम यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों (fastest means of transport) से घटना स्थल पर पहुँचें एवं त्वरित गति से पीड़ितों को साहाय्य प्रदान किया जाए। भीषण अग्निकांड होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी को स्वयं घटना स्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर साहाय्य की व्यवस्था कराना है। इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूर्व में जिलों को समय–समय पर व्यापक अनुदेश/निदेश दिये गए हैं।

2. मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अग्निकांड की आपदा के प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन के स्तर से निम्न कार्रवाईयाँ की जाएंगी :–

(i) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही अंचल अधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी घटना स्थल पर यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों से पहुँच कर राहत एवं बचाव के कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। जहाँ पर अग्निकांड की बड़ी घटना प्रतिवेदित हो वहाँ अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन/जिला पदाधिकारी स्वयं शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर राहत एवं बचाव कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही आवश्यकतानुसार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया जाएगा। यदि राज्य स्तर से इस संबंध में सहयोग की आवश्यकता हो तो आपदा प्रबंधन विभाग के इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र (SEOC) दूरभाष संख्या – 0612–2217301, 2217302, 2217303, 2217304, 2217305, 2217306, 2215731, 2215735, 2215738, 2215739, एवं फैक्स सं0–2215734 को अविलंब सूचित किया जाएगा।

(iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में महानिदेशक, अग्निशाम सेवाएँ, बिहार के पत्रांक–1042 दिनांक–02.03.2016 (फोटो प्रति संलग्न) विशेष रूप से द्रष्टव्य है। अभी से ही फायर ब्रिगेड के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको सुपरिभाषित कार्यभार सौपे जा सकते हैं।

(iv) अग्निकांड पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर अनुमान्य साहाय्य, यथा, पॉलीथिन शीट, खाद्यान्न अथवा खाद्यान्न की अनुपलब्धता की दशा में विभाग द्वारा निर्धारित राशि नकद अनुदान तथा वस्त्र एवं बर्त्तन के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अविलंब किया जाएगा।

(v) जले एवं क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तैयार कर गृह क्षति अनुदान का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाएगा।

(vi) राहत एवं बचाव कार्यो को सुनिश्चित करने एवं पर्यवेक्षण हेतु कर्मचारी/पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।

(vii) भीषण अग्निकांड से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत केन्द्र संचालित किए जाएंगे। विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में विभागीय पत्रांक 52 (प्र0), दिनांक 26.05.2012 एवं पत्रांक 1834 दिनांक 08.06.2012 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। (फोटो प्रति संलग्न)।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर जिला प्रशासन/ गृह विभाग (अग्निशाम सेवाएँ) द्वारा कार्रवाई की जाएगी :

(i) गर्मी के मौसम के प्रारंभ में ही आगजनी की घटनाओं को रोकने एवं घटना घटित होने पर साहाय्य प्रदान करने के लिए पूर्व तैयारियाँ अविलम्ब पूरी कर ली जाय।

(ii) जिला मुख्यालय में अग्निकांड से संबंधित घटनाओं के पर्यवेक्षण एवं सहाय्य कार्य के अनुश्रवण हेतु जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र (DEOC) को कार्यशील कर दिया जाय। उक्त केन्द्र का प्रभार किसी वरीय पदाधिकारी को दिया जाय। साथ हीं उक्त केन्द्र में दूरभाष/फैक्स की व्यवस्था भी की जाय एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त दूरभाष/फैक्स संख्या की जानकारी सभी को दी जाय।

(iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवश्यकतानुसार मरम्मति अविलम्ब करा ली जाय। जहाँ चालक आदि की समस्या है, स्थानीय व्यवस्था द्वारा इसे दूर कर लिया जाय।

(iv) आवश्यकता के समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सुदूर देहातों में समय पर पहुँच सके, इसके लिए यथासंभव अनुमंडल मुख्यालयो/थानों में भी गाडियों को रखने की व्यवस्था की जाय, खासकर जहाँ के क्षेत्रों का रास्ता दुर्गम हो।

(v) आगजनी की घटनाओं की निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देंगे कि वे अपने क्षेत्र में अग्निकांड की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे।

(vi) अग्निकांड की रोकथाम हेतु जिला पदाधिकारी अपने जिला क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्यों को प्रचारित/ प्रसारित करावेंगे :-

(क) हवा के झोंकों के तेज होने के पहले ही खाना पकाकर चूल्हे की आग को पानी से पूरी तरह बुझा दें।

(ख) चूल्हे की आग की चिंगारी पूरी तरह बुझी हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(ग) घर से बाहर जाते समय बिजली का स्विच ऑफ हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(घ) खाना वैसी जगह पकाया जाय, जहाँ हवा का झोंका न लगे।

(च) बीड़ी-सिगरेट पीकर इधर-उधर या खलिहान की तरफ न फेंकें।

(छ) गाँव/मोहल्लों में जल एवं बालू संग्रहण की व्यवस्था रखी जाय ताकि आग पर शीघ्र काबू पाया जा सके।

(ज) आगजनी से बचाव हेतु उपाय 'क्या करें-क्या न करें' को आग प्रवण क्षेत्रों में प्रसारित कराया जाय। (संलग्न है।)

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'फायर बूथों' की स्थापना लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक गाँव में 'फायर बीटर्स', फायर टेंक, बाल्टी, रस्सी एवं कुल्हाड़ी आदि छोटे-छोटे अग्निशमन उपकरण एवं एक घंटी (आग की सूचना के लिए) सार्वजनिक स्थल पर रखवाने की व्यवस्था पंचायत की मदद से की जा सकती है।

(viii) प्राकृतिक आपदा के समय राहत प्रदान करने हेतु वर्ष 2015-2020 की अवधि में लागू नया मानदर विभागीय पत्रांक 1973/आ0प्र0 दिनांक 26.05.2015 द्वारा सभी जिलों को भेजा गया है। नया मानदर आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट www.disastermgmt.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है। नए मानदर के अनुसार ही राहत उपलब्ध कराया जाएगा।

(ix) अग्निकांड से राज्य के कृषकों के खेत में लगी फसल अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति की सी0आर0एफ0 (अब एस0डी0आर0एफ0) से अनुमान्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक-1023 दिनांक-21.04.08 द्वारा निदेश भेजा गया है।

(x) यदि साहाय्य राशि की आवश्यकता हो तो उसकी मांग आपदा प्रबंधन विभाग से तत्काल की जायेगी। परन्तु इस मद में राशि अनुपलब्ध रहने पर भी जिले में उपलब्ध किसी भी मद की राशि से अग्निपीड़ित परिवारों को साहाय्य मुहैया कराना सुनिश्चित किया जायेगा। पारिवारिक लाभ योजना/ झोपड़ी

बीमा योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अग्निपीड़ितों को नियमानुसार दिलाया जायेगा।

(xi) मकान/ झोपड़ी की क्षति के लिए निर्धारित मानदर के अनुरूप गृह क्षति अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक–2886 दि0–26.05.2005 के द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी0पी0एल0 परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। यदि पीड़ित परिवार इन्दिरा आवास प्राप्त करने की निर्धारित अर्हता रखते हैं तो इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उन्हें भवन निर्माण कर पुनर्वासित किया जाना है।

(xii) अग्निकांड की बड़ी घटनाओं की सूचना आपदा प्रबंधन विभाग के WhatsApp group, Facebook Page एवं मोबाइल/दूरभाष के माध्यम से विभाग को तुरंत भेजा जाएगा। जो जिला पदाधिकारी WhatsApp group के सदस्य नहीं हैं, वे अपने Android mobile phone पर WhatsApp download कर इसकी सूचना प्रधान सचिव को भेज दें ताकि उन्हें Group में शामिल कर लिया जाए।

(xiii) साहाय्य कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् अग्निकांड से हुई क्षति एवं किये गए साहाय्य कार्यों का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी 24 घंटे के भीतर सरकार को प्रतिवेदित करेंगे।

(xiv) यदि मुख्यालय से किसी भी सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों (प्रधान सचिव सहित) से ससमय सम्पर्क स्थापित किया जाए।

(xv) सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं अद्यतन मानदर से संबंधित पत्र सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है, एवं विभागीय बेवसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है। अगर संबंधित परिपत्र/पत्र/निदेश उपलब्ध न हों तो उसे विभाग के वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि आगजनी की घटना की रोकथाम एवं उसके घटित होने पर उपर्युक्त निदेशों के आलोक में राहत एवं बचाव संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनु0– यथा उपर्युक्त।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(5) पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) :

नोडल विभाग : सामान्य पेयजल प्रबंधन का मुख्य कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार मवेशियों के लिए पेयजल प्रबंधन का उत्तरदायी विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है। परन्तु पेयजल संकट के गम्भीर हो जाने की दशा में संकट प्रबंधन का नोडल विभाग आपदा प्रबंधन विभाग होगा तथा विभाग के प्रधान सचिव/सचिव राज्य स्तर पर राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे।

राज्य सरकार के अन्य विभाग/संगठन : पेयजल संकट प्रबंधन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं संगठनों की अहम भूमिका होती है। सभी विभाग अपने–अपने कार्य क्षेत्र में पेयजल संकट प्रबंधन में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। जिन विभागों/संगठनों की पेयजल संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, वे हैं

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
- लघु जल संसाधन विभाग
- नगर विकास विभाग
- ऊर्जा विभाग
- बिहार राज्य नगर होल्डिंग कम्पनी
- संबंधित नगर निकाय

राज्य स्तर पर गठित : आपातकालीन प्रबंधन समूह पेयजल संकट की तीव्रता को देखते हुए समय–समय पर बैठक आयोजित करेगा तथा संकट से निपटने हेतु विभिन्न विभागों की आकस्मिक योजनाओं तथा उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा। आपातकालीन प्रबंधन समूह द्वारा लिये गये निर्णय सभी संबंधित विभागों पर बाध्यकारी होंगे। आपातकालीन प्रबंधन समूह में मुख्य सचिव द्वारा आवश्यकतानुसार किसी अन्य विभाग अथवा संगठन को आमन्त्रित किया जा सकेगा।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण : आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसार राज्य के सभी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। उक्त प्राधिकरण पेयजल संकट प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। पेयजल संकट प्रबंधन का निर्देश एवं नियंत्रण (कमांड एवं कन्ट्रोल) जिला पदाधिकारी के हाथों में होगा जो राज्य कार्यकारिणी समिति/आपातकालीन प्रबंधन समूह एवं सरकार की नीति, मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के आलोक में कार्य करेंगे। वे घटना कमाण्डर (Incident Commander) के रूप में करेंगे तथा आवश्यक होने पर इस उत्तरदायित्व को जिले के किसी अन्य वरीय पदाधिकारी को भी सौंप सकेंगे। पेयजल संकट से जुड़े हुए विभागों के जिला स्तरीय तथा आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेन्सियों के जिला पदस्थापित पदाधिकारी घटना कमाण्डर के निर्देशानुसार पेयजल संकट प्रबंधन का कार्य करेंगे। इसी प्रकार जिला स्तर के नीचे की तमाम प्रशासनिक इकाईयाँ, यथा अनुमंडल एवं प्रखंड, अपने–अपने कार्य क्षेत्र में पेयजल संकट प्रबंधन के लिए घटना कमाण्डर के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में संबंधित विभागों के कार्य का समन्वय करेंगी।

विभागीय नोडल पदाधिकारी : सभी विभाग पेयजल संकट प्रबंधन के लिए किसी वरीय विभागीय पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करेगा। नोडल पदाधिकारी आपातकालीन प्रबंधन समूह तथा राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णयों के अनुपालन तथा पेयजल संकट से निपटने हेतु विभागीय आकस्मिक योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए विभागीय स्तर पर समन्वयक का कार्य करेगा।

पेयजल संकट की पहचान : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा लघु जल संसाधन विभाग द्वारा विभागीय मापदंड के अनुसार भूजल स्तर की माप समय–समय पर की जाएगी। यदि यह ज्ञात होता है कि भू–जल का सामान्य स्तर गत वर्ष की तुलना में नीचे जा रहा हो, चापाकलों से पानी आहरित करने में दिक्कत आ रही हो अथवा चापाकल बेकार हो रहे हों एवं कुआँ–आहर–तालाब सूख रहे हों, तो उक्त विभाग संबंधित जिला पदाधिकारियों तथा आपदा प्रबंधन विभाग को तत्समय सूचित करेंगे। इस विभाग से यह अपेक्षा की जायगी कि वे यथानुसार भू–जल स्तर का सतत् अनुश्रवण करेंगे ताकि पेयजल संकट से निपटने के लिए आवश्यक कारवाईयाँ समय पर सुनिश्चित की जा सकें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पेयजल संकट की सूचना प्राप्त होते ही उसे मुख्य सचिव एवं यथानुसार आपदा प्रबंधन समूह के अभिज्ञान में लाया जायेगा ताकि संकट से निपटने के लिए तत्समय

आवश्यक तैयारियाँ की जा सके। आपदा प्रबंधन समूह यथानुसार जल संकट प्रबंधन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग को सुपरिभाषित उत्तरदायित्व सौंप सकेगा।

आकस्मिक योजना का सूत्रण : पेयजल संकट की संभावना नजर आते ही सम्बंधित जिलों में मानव तथा पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर आकस्मिक योजना का सूत्रण किया जाएगा। आकस्मिक योजना के सूत्रण की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों की होगी जो विभागीय अनुदेशों एवं जिला पदाधिकारियों के दिशा निर्देश में आकस्मिक योजना तैयार करेंगे। इस कार्य में लघु जल संसाधन विभाग तथा बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाएगा। आकस्मिक योजना में, अन्य बातों के अलावा, निम्न तत्वों का समावेश रहेगा :

- पारम्परिक जल स्त्रोतों की पहचान एवं आवश्यकतानुसार उनकी सफाई/गहरीकरण की योजना। पारम्परिक जल स्त्रोतों से अभिप्रेत है, वे जल स्त्रोत जो मानव एवं पशुओं की प्यास बुझाने के काम आते हैं, जैसे कुआँ, तालाब, आहर इत्यादि
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अथवा अन्य विभागों/निकायों द्वारा गाड़े गये नलकूपों की स्थिति का भौतिक सत्यापन तथा अकार्यरत नलकूपों की विशेष/साधारण मरम्मति की योजना।
- नए नलकूपों को गाड़ने की यथा एवं आकस्मिक योजना।
- लघु जल संसाधन विभाग के नलकूपों की स्थिति का भौतिक सत्यापन एवं यांत्रिक दोष/विद्युत दोष के कारण बन्द पड़े नलकूपों को कार्यरत करने की योजना। इस योजना का सूत्रण संयुक्त रूप से लघु जल संसाधन विभाग तथा बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने विभागीय अनुदेशों के अधीन किया जाएगा। परन्तु यह योजना भी जिला आकस्मिक योजना के अविभाज्य अंग के रूप में रहेगी।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर निकायों की जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति का भौतिक सत्यापन एवं यांत्रिक/विद्युत दोषों के त्वरित निराकरण की योजना।
- उन क्षेत्रों की पहचान जहाँ पेयजल संकट है अथवा जहाँ पेयजल संकट होने की संभावना है।
- पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्र में आवश्यक होने पर टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। अतएव जलापूर्ति करने हेतु जल स्त्रोतों एवं स्थल की पहचान की जाएगी। जल स्त्रोतों के रूप में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जलापूर्ति संयंत्रों एवं लघु जल संसाधन विभाग के नलकूपों की पहचान की जाएगी। ऐसे जल स्त्रोतों की पहचान की जाएगी जहाँ से पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों की दूरी न्यूनतम हो।
- आवश्यक होने पर निजी नलकूपों से भी पेय जलापूर्ति की जाएगी।
- पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा जलापूर्ति करने हेतु रूट चार्ट।
- जलापूर्ति हेतु टैंकरों तथा ट्रैक्टरों की आवश्यकता का आकलन एवं व्यवस्था। इस हेतु नगर निकाय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण या अन्य विभाग के टैंकरों का उपयोग किया जाएगा। अधिक टैंकरों की जरूरत पड़ने पर यथानुसार भाड़े पर टैंकरों की व्यवस्था की जा सकेगी। इस हेतु दर का निर्धारण जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में ही कर लिया जाएगा। आवश्यक होने पर विभाग द्वारा दर निर्धारण किया जा सकेगा।
- अगर टैंकरों की कमी हो तो सिन्टेक्स जैसी टंकियों के जरिये जलापूर्ति की व्यवस्था की जा सकेगी
- ट्रैक्टर के साथ–साथ आवश्यकतानुसार बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी इत्यादि का उपयोग भी टंकरों/टंकियों के माध्यम से जल पहुँचाने के काम में किया जा सकता है। अतएव स्थानीय संसाधनों की पहचान कर लेनी होगी।
- बिजली की अनुपलब्धता की स्थिति में जलापूर्ति संयंत्रों एवं नलकूपों से जल की लिफ्टींग हेतु डी.जी. सेट की व्यवस्था। आवश्यकतानुसार इसके भाड़े का निर्धारण।
- प्रखंड स्तर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन मैकेनिक की टीमों का गठन तथा टीमों के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण। स्थानीय मैकेनिक की कमी की स्थिति में संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर मैकेनिकों की व्यवस्था।
- आवश्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था ताकि पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्र में जलापूर्ति के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जा सके।
- पशु शिविरों के लिए उचित स्थलों की पहचान। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाएगा कि पशु शिविर यथा संभव जल स्त्रोतों के पास हों।

- नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर विकास विभाग के अनुदेशों के अनुसार पेय जलापूर्ति की आकस्मिक योजना का सूत्रण किया जाएगा। यह योजना भी जिला पदाधिकारी के दिशा निर्देश में नगर निकायों के आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी।

अन्य संबंधित विभागों द्वारा पूर्व तैयारियाँ :

➢ **लघु जल संसाधन विभाग** : यह विभाग पेय जल संकट की सूचना प्राप्त होते ही अपने राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सक्रिय करेगा। साथ ही भूजल रिचार्ज की विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन एवं नलकूपों की स्थिति की सघन एवं नियमित समीक्षा प्रारंभ करेगा। विभाग का दायित्व होगा कि वह अधिकाधिक नलकूपों को कार्यरत बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए

➢ **पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग** : यह विभाग पशुओं के समक्ष उत्पन्न होने वाले पेय जल एवं चारा संकट की सतत निगरानी करेगा पेय जल एवं चारा संकट की सूचना मिलते ही यह अपने राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सक्रिय करेगा। साथ ही पशु शिविरों हेतु आकस्मिक योजना सूत्रण एवं कार्यान्वयन हेतु यह विभाग राज्य स्तर पर नोडल विभाग होगा। आकस्मिक योजना में निम्नलिखित बिन्दु अवश्य शामिल किए जायेंगे :

  - पशु शिविरों हेतु स्थल चयन (स्थल ऐसी जगह होने चाहिए जहाँ जल की पर्याप्त व्यवस्था आसानी से हो सके। जैसे– लघु जल संसाधन विभाग के चालू नलकूप के समीप का स्थल
  - पशुओं को पशु शिविरों में पहुंचाने की व्यवस्था
  - पशु शिविर के अन्तर्गत अस्थायी शेड का निर्माण।
  - पीने का पानी एवं नाद की व्यवस्था।
  - पशु चारा की व्यवस्था।
  - बीमार पशु के इलाज के लिए दवा की व्यवस्था।
  - पशुपालकों एवं विभागीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण की व्यवस्था
  - मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था।

➢ **बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी** : जलापूर्ति संयंत्रों एवं नलकूपों को विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत दोषों के त्वरित निवारण हेतु सभी आवश्यक कदम ऊर्जा विभाग/बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा उठाए जाएंगे। इसके लिए कंपनी द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय कर आकस्मिक योजना का सूत्रण एवं कार्यान्वयन किया जाएगा

➢ **नगर विकास विभाग** : यह विभाग नगर निकायों में पेयजल संकट प्रबंधन हेतु आकस्मिक योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। साथ ही पेय जल संकट की आहट मिलते ही संबंधित नगर निकायों को विभाग द्वारा सक्रिय कर दिया जाएगा।

जिला टास्क फोर्स का गठन : जिला स्तर पर जिला टास्क फोर्स का गठन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा। जिला टास्क फोर्स द्वारा आकस्मिक योजना के कार्यान्वयन का सघन अनुश्रवण एवं समीक्षा की जायेगी। टास्क फोर्स में अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन तथा लघु जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी के जिला स्तरीय पदाधिकारी सदस्य रहेंगे। स्थानानुसार उक्त टास्क फोर्स में संबंधित नगर निकायों के आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी को शामिल किया जायेगा।

जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी : जिला स्तर, अनुमंडल स्तर एवं प्रखण्ड स्तर पर जिला प्रशासन के किसी पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा जो पेय जल संकट प्रबंधन के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेंगे। इसके अलावा टास्क फोर्स में शामिल सभी विभाग जिला स्तर पर विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे जो अपने–अपने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आकस्मिक योजनाओं के लिए समन्वयक का कार्य करेंगे

जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना : जिला स्तर पर संकट की सतत निगरानी की जाएगी तथा जल संकट की आहट मिलते ही जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष/ फैक्स संख्या की जानकारी समाचार माध्यमों से आम जन को दी जाएगी ताकि जनसाधारण द्वारा जल संकट की सूचना प्रशासन को दी जा सके एवं प्रभावी कदम उठाया जा सके।

राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना : राज्य स्तर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मानव पेयजल प्रबंधन के आकस्मिक योजनाओं के सृजन एवं कार्यान्वयन का मुख्य नोडल विभाग होगा तथा राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगा। राज्य नियंत्रण कक्ष की दूरभाष/संपर्क संख्या की जानकारी संचार माध्यमों से आम जन को दी जाएगी। यह नियंत्रण कक्ष आम जन तथा अन्य स्त्रोतों से पेयजल संकट के संबंध में प्राप्त शिकायतों/सूचनाओं पर विभाग के स्तर पर उचित कार्रवाई का उत्तरदायी होगा। साथ ही पेयजल संकट से निबटने हेतु की गई कार्रवाई से आम जन एवं मीडिया को भी समय-समय पर अवगत करायेगा। जल संकट गहराने की दशा में आपदा प्रबंधन विभाग के गठित आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय कर दिया जाएगा। आपातकालीन संचालन केन्द्र सभी संबंधित जिलों एवं विभागों के साथ समन्वय का कार्य करेंगे।

पेयजल संकट प्रबंधन हेतु निधि की व्यवस्था : संबंधित विभाग यथा समय अपने विभागीय बजट से पेयजल संकट प्रबंधन हेतु निधि की व्यवस्था करेंगे। यथानुसार राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष के मानदर के अनुसार विभाग/जिला को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक निधि उपलब्ध करायी जाएगी

आकस्मिक योजना के क्रियान्वयन हेतु सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय प्रक्रियाओं का शिथिलीकरण : यदि आकस्मिक योजना के त्वरित कार्यान्वयन में सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रक्रियाओं के शिथिलीकरण की आवश्यकता हो तो संबंधित विभाग पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को प्रेषित करेंगे। ऐसा प्रस्तावों पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 50 के अन्तर्गत निर्णय लिया जाएगा।

पेयजल संकट के दौरान की जाने वाली कार्रवाईयाँ : भू-जल स्तर के नीचे चले जाने के कारण किसी क्षेत्र विशेष के चापाकलों से पानी खींचने में कठिनाई होने लगे अथवा चापाकल सूखने की स्थिति में पहुँच जाए तथा कुएँ, आहर एवं तालाब सूखने लगे तो माना जाएगा कि उक्त क्षेत्र विशेष में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। पेयजल संकट के दौरान मानव तथा यथानुसार मवेशियों को पेयजल उपलब्ध करने हेतु निम्न कार्रवाईयाँ की जाएगी –

नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करना : राज्य एवं जिला नियंत्रण कक्ष के साथ ही अनुमंडल एवं प्रखण्ड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए जाएगा। इन नियंत्रण कक्षों में प्राप्त होने वाली सूचनाएँ तथा उन पर कृत कार्रवाईयों से संबंधित कागजातों का दस्तावेजीकरण (Documentation) किया जाएगा। इसके लिए नियंत्रण कक्ष में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा जिसमें आने वाली सूचनाओं तथा की गयी कार्रवाईयों का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा।

जिला टास्क फोर्स की बैठक : पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक आवश्यकतानुसार प्रतिदिन की जाएगी। स्थिति सुधरने पर साप्ताहिक बैठक होगी।

टैंकरों से पानी पहुँचाने की व्यवस्था : आकस्मिक योजना के अनुसार पहचाने गये गाँवों, जहाँ पेयजल संकट शुरू हो गया हो, में टैंकरों के माध्यम से जल पहुँचाने एवं वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह कार्य जिला प्रशासन की देख-रेख में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। टैंकरों से जल पहुँचाने एवं वितरण के समय विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार पुलिस बल तैनात किया जाएगा। टैंकर से जिस गाँव/टोला में जल वितरण किया जाना होगा, वहाँ जल वितरण के क्रम में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी। किसी गाँव में प्रतिदिन भेजे जानेवाले टैंकरों की संख्या तथा प्रति व्यक्ति जल की आपूर्ति का आकलन कर तदनरूप कार्रवाई की जाएगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन जल स्त्रोतों से जल भेजा जा रहा है वह जल पीने योग्य है। विभागीय कनीय/सहायक अभियंता अपने-अपने क्षेत्र में टैंकरों द्वारा जल पहुँचाने एवं वितरण कार्य का सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

नये जल स्त्रोतों की पहचान : जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में नए भू-जल स्रोतों की पहचान के लिए राष्ट्रीय भू-जल बोर्ड की मदद ली जाएगी। इस प्रकार चिन्हित जल स्रोतों से जल के दोहन के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

नये चापाकलों एवं नलकूपों का अधिष्ठापन : जहाँ भू-जल उपलब्ध हो वहाँ भू-जल की गहराई के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नये चापाकलों के अधिष्ठापन के कार्य में तेजी लायी जाएगी। इसी प्रकार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार नए नलकूपों का अधिष्ठापन कर जल के नए स्रोत उपलब्ध कराए जाएँगे। कठोर एवं चट्टानी भू-भाग में नए नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक रिग मशीन की व्यवस्था किराए के आधार पर की जा सकेगी।

पुराने चापाकलों की मरम्मति : अकार्यरत तथा कालक्रम में खराब होने वाले चापाकलों की मरम्मती के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गठित मैकेनिकों की टीम पूरी तरह से सक्रिय कर दी जाएगी। टीम के आवागमन साधन-समय से तैनात किया जाएगा। यदि मैकेनिक गैंगमैन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो लोक स्वास्थ्य

अभियंत्रण विभाग सचिव/आपदा सचिव से गैंगमैन की सेवाएँ ले सकेगा। प्रखंड स्तर पर गैंगमैनों की टीमों के बीच दोनों का बंटवारा कर दिया जाएगा, जो लगातार क्षेत्र का भ्रमण करती रहेंगी तथा अकार्यरत चापाकलों की मरम्मत करती रहेंगी। अकार्यरत चापाकलों की सूचना नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने पर भी गैंगमैनों की संबंधित टीमा को मरम्मत के लिए भेजा जाएगा। गैंगमैनों की टीम दिन भर किये गये कार्य का ब्योरा उसी दिन शाम को प्रखंड नियंत्रण कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर देंगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता अकार्यरत चापाकलों के मरम्मति का सत्यापन एवं अनुश्रवण करेंगे।

शहरी क्षेत्रों में जल संकट का मुकाबला : नगर विकास विभाग द्वारा नगर निकाय के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जहाँ कहीं चापाकल में पानी का स्तर नीचे जाने, चापाकलों के अकार्यरत हो जाने अथवा जलापूर्ति योजनाओं के द्वारा जलापूर्ति नहीं होने की स्थिति में जल संकट के दृष्टान्त प्रकाश में आयेंगे, वहाँ आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से भी जल पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। टैंकरों से जल वितरण के समय विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा नगर निकायों को पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा

नलकूपों को कार्यरत बनाए रखना : लघु जल संसाधन विभाग नलकूपों को कार्यरत रखने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेगा। चूँकि टैंकरों से जल पहुँचाने के लिए नलकूपों से जल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, अतएव जिन–जिन नलकूपों की पहचान जल स्रोतों के रूप में की गयी है, उन्हें चालू रखने के लिए ऑपरेटरों सहित विभाग की मोबाईल टीमें काम पर लगी रहेंगी। मोबाईल टीमों में सामान्य यांत्रिक एवं विद्युत दोषों का निराकरण कर सकने वाले मिस्त्री विभागीय पदाधिकारियों के साथ मौजूद रहेंगे। इन मोबाईल टीमों को आवश्यक साजो–सामानों एवं वाहनों से लैस किया जाएगा। इनके बीच नलकूपों का बँटवारा इस प्रकार किया जाएगा ताकि जिले के सभी कार्यरत नलकूपों की नियमित निगरानी हो सके।

जलापूर्ति योजनाओं एवं नलकूपों के विद्युत दोषों का निवारण : बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग एवं नगर निकाय के साथ सतत् सम्पर्क कर जलापूर्ति योजनाओं एवं नलकूपों के विद्युत दोषों का निवारण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी द्वारा अपने स्थानीय पदाधिकारियों को सुपरिभाषित दायित्व सौंपे जाएँगे।

जलापूर्ति योजनाओं एवं नलकूपों को विद्युत आपूर्ति : बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी द्वारा जलापूर्ति योजनाओं एवं नलकूपों को नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति हेतु रोस्टर व्यवस्था लागू की जा सकती है, परन्तु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाएगा ताकि आम जन तदनुसार अपने घरों में जल का प्रबंधन कर सकें।

मवेशी शिविरों को कार्यरत करना : आवश्यकतानुसार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा पशु शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पेयजल एवं चारे की व्यवस्था की जाएगी। पशु शिविरों के स्थान एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी संचार माध्यमों के जरिये आम जन तक पहुँचाई जाएगी।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक : आवश्यकतानुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा जिले में उत्पन्न जल संकट तथा इससे निपटने के लिए किये जा रहे कार्रवाईयों की नियमित समीक्षा की जाएगी। जब कभी प्राधिकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार संबंधित एजेन्सियों को निदेश देने की आवश्यकता पड़ेगी प्राधिकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक निदेश देगा या अन्य प्रबंधन करेगा।

आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक : आपातकालीन प्रबंधन समूह द्वारा नियमित बैठक कर जिले में व्याप्त जल संकट से निपटने के लिए किये जा रहे प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की जाती रहेगी। जहाँ कहीं वित्तीय या अन्य संसाधन की आवश्यकता होगी, आपातकालीन प्रबंधन समूह आवश्यक निर्णय ले सकेगा। उक्त निर्णय सभी संबंधित विभागों पर बाध्यकारी होंगे।

रेलवे से पानी की ढुलाई : पेयजल संकट की स्थिति गहराने के साथ संभव है कि रेलवे से भी प्रभावित जिलों में जल के टैंकर भेजने पड़ें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में रेलवे तथा अन्य एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावित जिले के निकटतम रेलवे स्टेशन तक जल पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। उक्त रेलवे स्टेशन से संबंधित जिलों तक जल ले जाने तथा उसके भंडारण की व्यवस्था का दायित्व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का होगा।

अनुलग्नक–(6) NDRF के प्रतिनियोजन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) :

Directorate General, National Disaster Response Force
Ministry of Home Affairs
(Ops Directorate)
A-Wing, 2nd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi
Ph. No. 24611519, Fax No.24611519

No. 17018/1635/1641/Ops / SOP/HQ-NDRF/2015 — Dated 19 Jan' 2015

To

The Relief Commissioners
All States/ UTs.

Subject: Forwarding of Standing Operating Procedure (SOP) for deployment of NDRF.

Kindly find enclosed herewith a copy of Standing Operating Procedure (SOP) for deployment of NDRF for information and necessary action please.

2. Please acknowledge receipt.

Encl. SOP (08 pages)

(S S Guleria)
Dy.Inspector General/Ops
HQ DG NDRF, New Delhi

Copy to :
Guard File.

STANDING OPERATING PROCEDURES (GENERAL)

1. INTRODUCTION :-

DISASTER

"A catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man-made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of property, or damage to, and degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area"

India has traditionally been vulnerable to natural disasters on account of its unique geo-climatic conditions and it has, of late, like all other countries in the world, become equally vulnerable to various man-made disasters. The periodicity and intensity of disasters have increased manifold in the last few decades. In many disasters, human and economic losses could have been minimized by taking preventive, mitigation and preparedness measures. Anti-national elements find terrorism easy to adopt and cost-effective. A terrorist attack involving Nuclear, Biological and Chemical agents differs from a normal terrorist attack as it results in specific effects on health and can cause fatal injuries, creates panic, affects the morale of the community, and lowers its faith in the government. The important ingredients of an effective response system are integrated institutional arrangements, state of the art forecasting and early warning systems, failsafe communication system, rapid evacuation of threatened communities, quick deployment of specialized response forces and coordination and synergy among various agencies at various levels in dealing with any disaster. Most importantly, all the agencies and their functionaries must clearly understand their roles and responsibilities and the specific actions they have to take for responding to disaster or disaster threatening situations. **THIS SOP LAYS DOWN, IN A COMPREHENSIVE MANNER, THE SPECIFIC ACTIONS REQUIRED TO BE TAKEN BY NDRF BNS FOR RESPONDING TO NATURAL AND MAN MADE DISASTER OF ANY MAGNITUDE AND ANY DIMENSION.**

(i) <u>Major Natural Disasters:-</u>

- a) Earthquakes
- b) Floods
- c) Cyclones
- d) Landslides
- e) Tsunamis
- f) Avalanches

(ii) <u>Man Made Disasters:-</u>

- a) Chemical disasters.
- b) Biological disasters.
- c) Radiological and Nuclear events
- d Train Accidents.
- d) Building collapse events

(iii) Any other disaster, for which the State / District authorities make a specific requisition, with the exception of fire accidents.

3.ROLE OF NDRF

1) Provide specialised response for rescue and relief in case of disasters-natural and manmade.
2) Deployment in case of impending disasters.
3) Assistance to civil authorities in distribution of relief material during/after disaster.
4) Co- ordination with other agencies engaged in rescue/relief work

4. NDRF TASKS

1) Deployment in case of impending disaster.
2) Provide specialist response in case of disasters which covers :
    - a) NBC Disaster (Decontamination of the area and personnel).
    - b) Removal of debris.
    - c) Extrication of victims live or dead.
    - d) First medical response to victims.
    - e) To extend moral support to victims.
    - f) Assistance to civil authorities in distribution of relief material.
3) Co-ordination with sister agencies.

[illegible]

To provide, in a concise and convenient form, a list of major executive actions involved in responding to natural and manmade disasters and the necessary measures for preparedness, response and relief required to be taken. To achieve maximum result in minimum time for any force, a well defined Operating Procedure is required to be framed. This procedure is called the Standard Operating Procedure (SOP). The SOP is made keeping in view the role and the objectives of the force. In the case of NDRF, the force has to respond within the minimum time frame to reach the place of disaster with the designated required equipment. The SOP has been prepared keeping in mind the motto of NDRF, i.e."AAPADA SEWA SADAIV".

6. REQUISITION FOR RESPONSE OF THE NDRF DURING PRE-DISASTER PHASE

State Government may request for pre-positioning of the Unit/Sub-units of the NDRF as a measure of pro-active response to deal with the impending disaster when there are plausible reasons to believe that gravity of the disaster will be unmanageable for the State Government. The Contact numbers and place of deployment of NDRF units are given at Appendix-"A"

7. REQUISITION FOR RESPONSE OF THE NDRF DURING DISASTER PHASE

State Government or the concerned District Magistrate may request for the specialized disaster response of the Team (s) or Coy (s) of the NDRF to deal with the disaster when it is of Level-III. i.e. when the gravity of the disaster is so severe that it becomes unmanageable for the State Government to deal with even after having made the proper use of SDRF.

[illegible]

The following State Government Authorities can seek requisition for NDRF teams alongwith complete details of the disaster which takes place in their area of responsibility :-

- Principal Secretaries of the States dealing with Disaster Management
- Relief Commissioners of the States
- Collectors/DCs /DMs of the districts

Maximum available details which would be required to provide rescue and relief should be passed on to the identified NDRF Bn, as per requisition form attached at Appendix - A.

9.AUTHORITY TO ACCEPT REQUISITION

NDRF Teams can be requisitioned for natural as well as manmade disasters. This requisition can be sent to the following :-

- MHA
- NDMA
- HQ DG NDRF
- NDRF BNs.

MHA & NDMA in turn will direct HQ DG NDRF for deployment of NDRF personal which will be done accordingly after consultation with respective Commandant and same will be intimated to MHA & NDMA.

In case the requisition is placed directly to NDRF Bns due to emergent nature of situation, the Commandants will deploy NDRF personnel immediately and intimate the same to HQ DG NDRF/ MHA / NDMA.

10.DECISION OF DEPLOYMENT

As per the provision of DM act 2005, the District Disaster Management Authorities chaired by District Magistrate/Deputy Commissioner/District Collector of a District shall be responsible for overall supervision and monitoring of Disaster Management in the district. The District Authorities will give the detailed information about any disaster to the respective NDRF unit. The Unit Commandant, after getting detailed information from the Nodal officer, will consult HQ NDRF and decide the quantum of deployment for the said disaster i.e how many teams to be deployed for the subject operation. HQ NDRF will

intimate the subject deployment to MHA DM(Div) and NDMA through the fastest mode of communication available. This will be followed by a written communication also. The team which will move for rescue work will be self contained and carry tentage, medicines, ready-made food for 72 hrs, ration and utensils with them.

11.MOBILISATION PHASE

Bn Commandant in consultation with the State authority will decide mode of conveyance of the teams to be deployed for the said emergency response. Firstly, one advance party will rush for the disaster site followed by the main body in their own transportation. If the air lifting is to be done, then the requisition will go to Air Authority through the State Authority. The State Authority will arrange accommodation, if possible and transportation at disaster site. The State will be responsible for providing security backup to the teams during deployment.

12.OPERATIONAL PHASE

It is important to mention here that NDRF is not tasked with the maintenance of law and order in a disaster zone area. Furthermore, the safety and security of the victim and personnel involved in the search, rescue and relief operations including the NDRF personnel shall also be the responsibility of State/Local Authorities.

13.DE-MOBILISATION PHASE

This phase describes the actions required to be taken when coys/teams have been instructed that disaster management operations are to be ceased and withdrawal has to be commenced by Coy Comdr/Team Comdr in consultation with the nodal officer and after getting clearance from HQ DG NDRF. The exit strategy will be executed as per the initial plan of action. All coy comdrs/team comdrs must try and ensure a handover note specifying what is being handed over and to whom to ensure proper preparedness and a smooth transition. A detailed report should be prepared by the Bn after the operation is over and file for record with HQs NDRF. This report should make a clear mention of immediate steps to be taken to fill the gaps or seek any improvement in the existing system. Following actions are to be ensured:-

1. Mode of transportation will be decided for de-induction in consultation with the State Authority. The State authorities

shall be responsible for providing the transport to the NDRF teams to return to their units.

2. Clearance from Local authorities.
3. EOC, along with the adm base, shall be the last to demobilize from the disaster site.

14. POST DISASTER PHASE

It is a phase for critical analysis of the entire rescue operations carried by the Bn. The joint appraisal report of the performance shall also be prepared by the Bn commandant and State authority after de-induction of the rescue teams. After this, a report regarding the shortcomings of the rescue operations and the lessons learnt will also be drawn up. The post disaster phase will also include:

a) Submission of the post-disaster report.

b) Conducting of a lesson-learnt review to improve the overall effectiveness and efficiency for response to future disaster.

c) Repair and maintenance of equipments

d) Condemnation of equipments.

e) Medical checkups of all members of operational groups.

f) Treatment for injured troops during rescue operations.

g) Accounting for rescue material used and not used.

h) Accounting for rescue material lost/not retrieved.

i) Drawing a case study of entire disaster rescue operation.

j) Post psychometric treatment i.e. men must be sent to meet their family members.

15. CONCLUSION

This SOP is a guideline for successful response in any kind of disaster. It should be followed in letter and spirit. It is only then that NDRF will prove its worth in an effective manner and be seen as an elite force in the field of disaster management.

[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	DG	011-26711851
2.	IG	011-26160252
3.	DIG	011-24611518
4.	Control Room	011-26107953

DEPLOYMENT OF NDRF BATTALIONS

S/No	Name of Bn	Rank/Contact No.	Area of responsibility (State wise)	Control Room Contact No.
01	01 Bn NDRF, Guwahati (Assam)	Commandant 09435545951 (M) 0361-2846027 (O) 0361-2841464 (R)	Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram, Arunachal Pradesh & Nagaland.	0361-2849081
02	02 Bn NDRF Haringhata, Nadia (WB)	Commandant 09434742936 (M) 033-25264302 (O)	West Bengal, Sikkim, Jharkhand	033-25873501 Exch No 033-25875032 (Fax)
03	03 Bn NDRF Mundali (Odisha)	Commandant 09437964571 (M) 0671-2879710 (O)	Orissa, Eastern MP (19 district)& Chattisgarh	0671 – 2879711
04	04 Bn NDRF Arakkonam (Tamilnadu)	Commandant 09442105169 04177- 246269 (O)	Kerala, Tamilnadu, Puducherry, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep	04177-246594 (CR/Fax)
05	05 Bn NDRF Pune (Maharashtra)	Commandant 09423506765(M) 02114-231245 (O) 02114-231343 (R)	Maharashtra & Goa	02114-237008 (CR/Fax)
06	06 Bn NDRF, Gandhinagar/ Vadodara (Gujarat)	Commandant 09428826445 (M) 079-23202540 (O)	Gujarat, Western MP (31 district), Rajasthan, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu	079-23202540 (Fax) 079-23201551(CR)
07	07 Bn NDRF, Bhatinda (Punjab)	Commandant 9417802031 (M) 9417802032(M) 0164-2246030(O) 0164-2246930 (R)	Punjab, Himachal Pradesh, J&K	0164 – 2246570 (Fax) 0164-2246193 (CRoom)
08	08 Bn NDRF, Ghaziabad (UP)	Commandant 07503381999 (M) 0120-2766013 (O)	Delhi, Haryana, Uttranchal Western Uttar Pradesh(43 Distt.)	0120 – 2766618 (Fax) 0120-2766012 (CR)
09	09 Bn NDRF Patna (Bihar)	Commandant 07763884444 (M) 06115-253942 (O)	Bihar Eastern Uttar Pradesh(27 distt.)	06115-253939 (Fax/CR)
10	10 Bn NDRF, Guntur (Andhra Pradesh)	Commandant 07382300621(M) 0863-2293178 (O)	Andhra Pradesh, Karnataka & Telangana	0863-2293050 (Fax/CR)

REQUISITION FORM

From: Date of Report:

To:

a. Nature of calamity

b. Date & Time of occurrence

c. Affected area (number and names of affected districts)

d. Population affected (Approx.)

e. Nearest Railhead

f. Nearest Airport

g. Relief measures undertaken in brief

h. Immediate response & relief assistance required

i. Forecast of possible future developments including new risks

j. Any other relevant information.

Relief Commissioner/DM

अनुलग्नक–(7) भीषण गर्मी एवं लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में :

पत्रांक 1प्रा0आ0–20 / 2015 .... / आ0प्र0

अत्यावश्यक

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / श्रम संसाधन विभाग / परिवहन विभाग / समाज कल्याण विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / शिक्षा विभाग / स्वास्थ्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / ऊर्जा विभाग / वन एवं पर्यावरण विभाग / सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना
निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

पटना–15, दिनांक–

विषयः **भीषण गर्मी एवं लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न हिस्सो से भीषण गर्मी पड़ने एवं लू (Heat waves) चलने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा भी अप्रैल माह से जून 2017 तक राज्य में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जतायी गयी है। अवगत है कि भीषण गर्मी के कारण जन–जीवन प्रभावित होता है एवं आम जनता को स्वास्थ्य एवं पेय जल संबंधी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास कर छोटे बच्चों, स्कूली बच्चो, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं काम के लिए घर से बाहर निकलने को बाध्य दिहाड़ी मजदूरों को काफी समस्याएँ आती हैं। साथ ही पेय जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। पानी की भी कमी हो जाती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार के विभागों के द्वारा आम जनों को भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु कारगर उपाय एवं कार्रवाई की जाय।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थानीय इकाई से लू की पूर्व चेतावनी एवं इसकी सूचना प्राप्त कर सभी प्रमुख Stakeholder तक पहुँचाने की व्यवस्था आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी। साथ ही लू की पूर्व चेतावनी आम जनता को भी TV, रेडियो, प्रिंट मिडिया, प्रेस विज्ञप्ति एवं Bulk SMS आदि के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी जाएगी।

अतएव भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु विभिन्न विभागों के स्तर से निम्न कारवाईयाँ अपेक्षित हैं :

1. नगर विकास एवं आवास विभाग

i. शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक जगहों पर स्थानीय निकायों द्वारा पियाऊ की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन स्थानों पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित सूचनाओं को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि आम जन इनसे भली भाँति अवगत हो सकें।

ii. अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत खराब चापाकलों को मरम्मत युद्ध स्तर पर करायी जानी चाहिए।

iii. नगरीय क्षेत्र में अवस्थित आश्रय स्थलों में पेय जल तथा आकस्मिक दवाओं की व्यवस्था स्लम के निवासियों हेतु की जानी चाहिए।

2. स्वास्थ्य विभाग

i. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ रेफरल अस्पतालों/ सदर अस्पतालों/ अनुमंडलीय अस्पतालों/ मेडिकल कॉलेजों/ अस्पतालों में लू से प्रभावितों के ईलाज हेतु विशेष व्यवस्था कर ली जाए। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ओ०आर०एस० पैकेट, आई० भी० फ्लूड एवं जीवन रक्षक दवा इत्यादि की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए।

ii. अत्यधिक गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को ईलाज हेतु आवश्यकतानुसार अस्पतालों में आईसोलेसन वार्ड की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए एवं लू से पीडित बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बिमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार प्रभावित जगह हेतु स्टैटिक/ चलन्त चिकित्सा दल की भी व्यवस्था कर ली जाए।

iii. गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित IEC सामग्री, स्थानीय स्तर पर मुद्रित कर पम्पलेट/ पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

i. खराब चापाकलों को मरम्मत युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए।

ii. जिन स्थानों पर नल का जल नहीं पहुँचता हो एवं चापाकलों में पानी की कमी हो गयी हो, वहाँ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पेयजल संकट से निबटने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार टैंकरों के माध्यम से पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जानी चाहिए।

iii. भूगर्भ जल स्तर की लगातार समीक्षा की जाए एवं इस पर सतत् निगरानी रखी जानी चाहिए।

4. शिक्षा विभाग

i. स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय या तो सुबह की पाली मे ही संचालित हों अथवा गर्मी की छुटियाँ निर्धारित समय से पूर्व घोषित कर दी जाँय। गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को अल्प अवधि के लिए भी बन्द किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा कर निर्णय लिया जाना चाहिए।

ii. सभी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

iii. गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित IEC सामग्री, स्थानीय स्तर पर मुद्रित कर पम्पलेट/ पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

5. समाज कल्याण विभाग

i. सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था करायी जानी चाहिए एवं वहाँ पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित IEC (बच्चों को समझने हेतु) सामग्री प्रदर्शित कर जनता को जागरूक किया जाना चाहिए।

ii. स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर जीवन रक्षक घोल (ORS) की व्यवस्था करनी चाहिए।

iii. नवजात शिशु, बच्चों, धातृ एवं गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

6. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

i. सरकारी ट्यूबवेल के समीप अथवा अन्य सुविधायुक्त स्थानों पर गड्ढा खुदवा कर पानी इक्कट्ठा किया जाए, ताकि पशु–पक्षियों को पानी मिल सके।

ii. पशुओं के बिमार पड़ने पर चिकित्सा दल की व्यवस्था की जायेगी।

7. ग्रामीण विकास विभाग

i. मनरेगा अन्तर्गत तालाबों / आहर इत्यादि की खुदाई की योजनाओं में तेजी लायी जाए, जिससे इनमें पानी इक्कट्ठा कर पशु–पक्षियों को पानी उपलब्ध कराया जा सके।

ii. लू चलने पर मनरेगा की कार्य अवधि को सुबह 6.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा अपराह्न 3.30 बजे से 6.30 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है।

iii. कार्य स्थल पर पेय जल तथा लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

8. पंचायती राज विभाग

i. विभाग के द्वारा पंचायतों में लू चलने के दौरान "क्या करें क्या न करें" का प्रचार प्रसार कराया जाना चाहिए।

ii. गांवों में पेय जल की व्यवस्था हेतु पंचायतों को कार्य योजना बनाने हेतु निदेशित किया जा सकता है तथा जल संरक्षण की योजनाओं पर कार्य किया जा सकता है।

9. श्रम संसाधन विभाग

i. लू से बचाव हेतु मजदूरों के कार्य अवधि को लचीला किया जा सकता है। लू चलने पर कार्य अवधि को सुबह 6.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा अपराह्न 3.30 बजे से 6.30 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है।

ii. कार्य स्थल पर पेय जल की व्यवस्था तथा लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

iii. खुले में काम करने वाले, भवन बनाने वाले तथा कल–कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेय जल की व्यवस्था के साथ शेड की भी व्यवस्था करना चाहिए।

10. परिवहन विभाग

i. लू चलने की अवधि में जहाँ तक संभव हो वाहनों का परिचालन कम से कम करना चाहिए तथा पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों के परिचालन को नियंत्रित किया जा सकता है।

ii. सार्वजनिक परिवहन के गाड़ियों में पेय जल तथा ओ०आर०एस० की व्यवस्था करने हेतु विभाग के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किया जा सकता है।

11. ऊर्जा विभाग

i. प्रायः बिजली के तारों के ढीला रहने के कारण वे हवा चलने पर आपस में टकराते रहते हैं, जिससे चिनगारी निकलने की संभावना रहती है। इन

चिनगारियों के कारण भी आगलगी की घटनाएँ होती है। अतएव बिजली के ढीले तारों को भी ठीक करवाने की व्यवस्था कर ली जाए।

ii. निर्बाध बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए।

12. वन एवं पर्यावरण विभाग

i. गर्मियों के दिनों में लू चलने से वन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। अतः वन्य जीव उद्यानों तथा अभ्यारण्यों में पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ii. वन्य जीव उद्यानों में जानवरों के पिंजड़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

iii. अभ्यारण्यों में गड्ढे खोदकर वन्य जीवों के लिए जल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

13. राज्य अग्निशमन निदेशालय

भीषण गर्मी के कारण आग लगी की घटनाओं में भी वृद्धि हो जाती है। आग लगी की घटनाओं से निबटने एवं उनके रोकथाम के लिए एतद् विषयक विभागीय मानक संचालन प्रक्रियानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाए।

14. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित विज्ञापन का प्रचार–प्रसार प्रिंट मिडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से कराया जाय। साथ ही गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित जिंगल को भी राज्य के एफ एम एव आकाशवाणी के रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रचारित कराया जाय।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में अपने विभाग के स्तर से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी, विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि: उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन के आप्त सचिव/ माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1194 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 29/04/2017

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/4
प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(8) मेला या भीड़ के मौके पर नियंत्रण हेतु हितधारकों का उत्तरदायित्व :

- मेला/भीड़ में आगमन एवं निकास की समुचित व्यवस्था (पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग), आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग की व्यवस्था करना।
- सीसीटीवी का नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना
- मेला/भीड़ के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना/लाउडस्पीकर से लगातार आवश्यक सूचनाओं की स्पष्ट घोषणा
- स्वतंत्र एवं निर्बाध संचार व्यवस्था सुनिश्चित करना (मोबाईल, सेटेलाईट फोन, वायरलेस वॉकी–टॉकी एवं हेम रेडियो)
- मेला में किसी भी प्रकार का अफवाह न फैलने दिया जाए।
- भगदड़ से बचाव में सामान्य व्यवहार हेतु आम लोगों को जागरूक करना, आत्मविश्वास में वृद्धि, लोगों में सुनने की क्षमता में वृद्धि करना।
- सुरक्षा संबंधी व्यवस्था में प्रशिक्षित सुरक्षा दल का ही उपयोग करना।
- मेला या भीड़, यदि नदी के घाटों पर है तो घाटों को चिन्हित कर लेना।
- किसी भी प्रकार की अराजकता न फैलने देना
- नदी या घाट पर नाव में निर्धारित लदान क्षमता से ज्यादा लोगों को न बैठने देना।
- यदि भीड़ का जुड़ाव नदी के घाट से है तो नावों की सुरक्षा संबंधी उपाय तथा गोताखोरों की समुचित व्यवस्था करना।

मेला या भीड़ के मौके पर नियंत्रण हेतु जिला पुलिस प्रशासन क्या करें :

- सुरक्षा संबंधी व्यवस्था में सुरक्षा बल का प्रशिक्षण ।
- मेला या भीड़ वाले स्थल पर वाहनों की आने–जाने–जाने की समुचित एवं सुचारू व्यवस्था।
- भीड़–भाड़ वाले स्थल पर भीड़ को एक जगह एकत्रित न होने देना।
- भीड़–भाड़ वाले स्थल पर आतिशबाजी न होने देना।
- भीड़ को एक ही ओर से आने और उसी ओर से जाने नहीं देना।
- बिजली एवं उपकरणों के पास लोगों को नहीं आने–जाने देना।
- यदि मूर्ति विसर्जन हो तो इसे व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराना।

मेला या भीड़ के मौके पर नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य विभाग क्या करे :

- चिकित्सा दल एवं एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था।
- चिकित्सा एवं भीड़ वाले स्थल के पास के अस्पतालों को चिन्हित करना तथा तैयार रहने का निर्देश जारी करना।
- ऐसे मौकों का ध्यान रखते हुए आपात स्थिति निपटारा हेतु आपात निर्गत योजना (इमर्जेन्सी प्लान) बनाना
- मेला या भीड़ वाले स्थल पर चिकित्सा दल सहित प्राथमिक चिकित्सालयों की व्यवस्था करना।

मेला या भीड़ के मौके पर नियंत्रण हेतु विद्युत विभाग क्या करे :

- सुरक्षित एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु बिजली के तारों एवं उपकरणों की सुरक्षा के पूर्ण उपाय की व्यवस्था करना।
- मेला या भीड़ वाले स्थल पर समुचित रोशनी की व्यवस्था करना।
- वहाँ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से भी समुचित विद्युत संचार की व्यवस्था करना।

मेला या भीड़ के मौके पर नियंत्रण हेतु अग्निशमन विभाग क्या करें :

- आग से बचाव की समुचित व्यवस्था
- यदि भीड़ पंडाल के पास है तो सभी प्रकार के अग्निशमन हेतु अग्निशमन वाहन को भीड़–भाड़ वाले स्थल के निकट पहले से चालू कर रखना
- भीड़–भाड़ वाले स्थल के पंडालों में अग्निशमन यंत्र पर्याप्त संख्या में लगे हो को सुनिश्चित करना।

अनुलग्नक–(9) हवाई अड्डा पर उपलब्ध आकस्मिक कार्य योजना एवं मानक संचालन प्रक्रिया :

कार्य–योजना : जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डा के अधिकारियों ने संभावित विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर किये जाने वाले प्रयास एवं उसके लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया है जो निम्नलिखित सारणी में वर्णित है :–

हवाई अड्डा पर आपदाओं से निपटने के लिए कार्य योजना :

क्र.	कार्य	गतिविधि	उत्तरदायित्व
भूकम्प :			
1	रोकथाम	हवाई अड्डा पर आम नागरिकों के उपयोग हेतु भूकम्प अवरोधी डिजाइन और निर्माण।	एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ए.ए.आई.)।
		नियत समय पर भवन की जाँच एवं मरम्मति ।	ए.ए.आई.(सिविल अभियंत्रण)।
		सिस्मिक गतिविधियों का अनुश्रवण।	आई.एम.डी.।
2	न्यूनीकरण	भूकम्प सुरक्षा के उपायों पर जन जागरूकता।	हवाईअड्डा के सम्बद्ध संस्थान।
		असुरक्षित भवन/संरचना का चिन्हितकरण एवं उसमें बदलाव।	हवाईअड्डा के सम्बद्ध संस्थान
		विभागीय कार्य–योजना (एस.ओ.पी.)।	हवाईअड्डा के सम्बद्ध संस्थान।
3	तैयारी	नियमित प्रशिक्षण/ड्रील/निर्देशन	हवाई ट्राफिक प्रबंधन/टर्मिनल प्रबंधन/अग्निशमन सेवा।
		स्टाफ का जॉब–स्क्रोल।	ए.टी.सी.।
4	प्रत्युत्तर (रिस्पॉन्स)	त्वरित प्रत्युत्तर के लिए कु सदस्यों का हर समय सजग रहना	हवाईअड्डा के सम्बद्ध संस्थान।
		आग से जुझने/रेस्क्यू/चिकित्सा हेतु साधन।	अग्निशमन सेवा का अग्नि काण्ड में ए.टी.सी. के साथ समन्वय।
		त्वरित एवं सुरक्षित निकासी।	हवाईअड्डा के सम्बद्ध संस्थान
		ससमय सूचना देना।	हवाई मार्ग/एम.टी.संस्थान/प्रत्युत्तर एजेन्सियाँ।
		अन्य प्रत्युत्तर एजेन्सियों से तालमेल।	हवाईअड्डा/सुरक्षा एजेन्सी के सम्बद्ध संगठन।
		सुरक्षा आयुक्त (सी.ओ.एस.) और अन्य सम्बंधित एजेन्सियों को सूचना।	ए.पी.डी.।
5	सहायता	रेस्क्यू ऑपरेशन ।	अग्निशमन सेवा/सेंट्रल फायर ब्रिगेड/प्रत्युत्तर रेस्क्यू दल।
		यात्रियों हेतु आकस्मिक अस्थायी शेल्टर, बंद हाइजीन सम्बंधित सुविधा/अस्पताल/प्रकाश।	हवाई मार्ग/टर्मिनल प्रबंधन/आपातकालीन मेडिकल सर्विस/मानव संसाधन/वित्त संस्थान।
		पानी/भोजन देना।	मानव संसाधन
		ट्रांसपोर्ट सुविधा देना	हवाई मार्ग/एम.टी. संस्थान/प्रत्युत्तर एजेन्सियाँ।
6	पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण	सुविधाजनक परियोजना का चिन्हितकरण।	हवाईअड्डा के सम्बद्ध संस्थान।
		परियोजना डिजाइन एवं अनुमोदन।	सम्बंधित तकनीकी प्राधिकार।
7	पुनर्वापसी	संरचनाओं का पुनर्निर्माण।	सम्बंधित तकनीकी प्राधिकार।
		बीमा दावा।	ए.ए.।
		विकास की पहल नीति ताकि भविष्य में पूर्व की स्थिति उत्पन्न नहीं करे।	हवाईअड्डा के सम्बद्ध संस्थान।

आँधी–तूफान / बाढ़ :			
1	रोकथाम	पूर्वानुमान एवं चेतावनी अलर्ट।	आई.एम.डी.।
		हवा / पानी अवरोधक मानक के अनुरूप भवन डिजाइन।	संबंधित एजेन्सी प्राधिकार।
		समुचित ड्रेनेज सिस्टम।	संबंधित एजेन्सी प्राधिकार।
		भू–स्तर को ऊँचा करना–बाढ़ बचाव हेतु।	संबंधित एजेन्सी प्राधिकार।
		समुद्र के तट समुद्री किनारे पर न होकर जमीन के अंदर होना।	संबंधित एजेन्सी प्राधिकार।
		अग्नि उपकरण / संचार उपकरणों की मरम्मती।	अग्निशमन सेवा / एम.टी.।
2	न्यूनीकरण	मौसम / आँधी का शोषण।	ए.टी.सी.।
		रनवे का जाँच–पड़ताल।	ए.टी.सी.।
		असुरक्षित भवन / संरचना का चिन्हीकरण एवं उसमें बदलाव।	हवाईअड्डा के संबद्ध संस्थान।
		विभागीय कार्य योजना (एस.ओ.पी.)	हवाईअड्डा के संबद्ध संस्थान।
3	तैयारी	मानसून / आँधी तूफान के पूर्व तैयारी हेतु बैठक।	ए.पी.डी.।
		त्वरित प्रत्युत्तर के लिए हर समय दल को अलर्ट होना।	हवाईअड्डा के संबद्ध संस्थान।
4	प्रत्युत्तर (रिस्पॉन्स)	आग से जुझने / बचाव / चिकित्सा हेतु सहायता ।	अग्निशमन सेवा का अग्नि काल में ए.टी.सी. के साथ समन्वय।
		इन्जी से एवं सुरक्षित निकासी।	हवाईअड्डा के संबद्ध संस्थान
		ट्रांसपोर्ट सुविधा देना।	हवाई मार्ग / एम.टी. संस्थान
		अन्य प्रत्युत्तर एजेन्सियों से तालमेल।	हवाईअड्डा के संबद्ध संस्थान
		कोर और अन्य संबंधित एजेन्सियों को सूचना।	ए.पी.डी.।
5	सहायता	रेस्क्यू ऑपरेशन ।	अग्निशमन सेवा / सिटी फायर ब्रिगेड / प्रत्युत्तर रेस्क्यू दल।
		यात्रियों हेतु आकस्मिक अस्थायी शेल्टर, मेड इमर्जेन्सी संबंधित सुविधा / अस्पताल / प्रकाश।	हवाई मार्ग / टर्मिनल प्रबंधन / आपातकालीन मेडिकल सर्विस / मानव संसाधन / वित्त संस्थान।
		पानी / भोजन देना।	मानव संसाधन।
		ट्रांसपोर्ट सुविधा देना।	हवाई मार्ग / एम.टी. संस्थान / प्रत्युत्तर एजेन्सियाँ।
6	पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण	सुविधाजनक परियोजना का चिन्हीकरण।	हवाईअड्डा के संबद्ध संस्थान।
		परियोजना डिजाइन एवं अनुमोदन।	संबंधित एजेन्सी प्राधिकार।
7	पुनर्वापसी	संरचनाओं का पुनर्निर्माण।	संबंधित एजेन्सी प्राधिकार।
		बीमा के लिए दावा।	एए।
		विकास नीति एवं भविष्य में दुर्घटना की स्थिति से बचने की नीति।	हवाईअड्डा के संबद्ध संस्थान।
हवाई अड्डा के अंदर हवाई जहाज दुर्घटना			
1	रोकथाम	जाँच–पड़ताल / मशीनीय उपकरण का रखरखाव।	सी.एन.एस. / विद्युतीय।
		रनवे का जाँच–पड़ताल।	ए.टी.सी.।
		मौसमीय स्थिति।	आई.एम.डी.।
		एयर ट्रैफिक नियम का पालन।	ए.टी.सी.।
		कोड के अनुसार मार्किंग / लाइटनिंग मार्गनिर्देश ।	ए.टी.सी. / सिविल / विद्युत।
		संचार सुविधा को उपयोग में लाना।	सी.एन.एस.।
		हवाई जहाज को उपयोग में लाना।	संबंधित हवाईसेवा।
2	न्यूनीकरण	आपातकाल का घोषणा।	
		विभागीय कार्य योजना (एस.ओ.पी.)।	
		बचाव तथा आग से जुझने वाले सभी उपकरणों की जाँच ।	अग्निशमन सेवा।

3	तैयारी	नियमित अभ्यास।	एयर ट्रैफिक प्रबंधन/टर्मिनल प्रबंधन/अग्निशमन सेवा।
		त्वरित प्रत्युत्तर के लिए हर समय क्रू का सतर्क रहना।	हवाईअड्डा के समस्त संचालन।
4	प्रत्युत्तर (रिस्पोन्स)	आग से जुझने/रेस्क्यू/चिकित्सा हेतु सहायता।	अग्निशमन सेवा का उचित क्रम में ए.टी.सी. के साथ समन्वय।
		त्वरित एवं सुरक्षित निकासी।	हवाईअड्डा के समस्त संचालन।
		ट्रांसपोर्ट सुविधा देना।	हवाई मार्ग/एम.टी. संचालन।
		अन्य प्रत्युत्तर एजेन्सियों से तालमेल।	हवाईअड्डा के समस्त संचालन।
		सुरक्षा अनुभाग (सी.ओ.आर.) और अन्य संबंधित एजेन्सियों को सूचना।	ए.पी.डी.।
		दुर्घटना स्थल पर सुरक्षा।	सी.आइ.एस.एफ.
5	राहत सहायता	रेस्क्यू ऑपरेशन।	अग्निशमन सेवा/सिटी फायर ब्रिगेड/ प्रत्युत्तर रेस्क्यू दल।
		यात्रियों हेतु आकस्मिक अस्थायी शेल्टर, मेडिकल इक्विपमेन्ट संबंधित सुविधा/अस्पताल/प्रकाश।	हवाई मार्ग/टर्मिनल प्रबंधन/आपातकालीन मेडिकल सर्विस/मानव संसाधन/वित्त संचालन।
		पानी/भोजन देना।	मानव संसाधन।
		ट्रांसपोर्ट सुविधा देना।	हवाई मार्ग/एम.टी. संचालन/प्रतिउत्तर एजेन्सियाँ।
6	पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण	सुविधाजनक परियोजना का चिन्हिकरण।	हवाईअड्डा के समस्त संचालन।
		परियोजना डिजाइन एवं अनुमोदन।	संबंधित तकनीकी प्राधिकार।
7	पुनर्वापसी	संरचनाओं का पुनर्निर्माण।	संबंधित तकनीकी प्राधिकार।
		बीमा के लिए दावा।	एए।
		जाँच-पड़ताल, सिफारिश नीति एवं भविष्य में पूर्व की स्थिति से बचना।	हवाईअड्डा के समस्त संचालन।
हवाईअड्डा के बाहर हवाई जहाज दुर्घटना :			
1	रोकथाम	जाँच-पड़ताल उपकरण का रखरखाव।	सी.एन.एस./विद्युतीय
		एयर ट्रैफिक नियम का पालन।	ए.टी.सी.
		मौसमीय स्थिति।	आइ0एम.डी0
		संचार सुविधा को उपयोग में लाना।	सी0एन0एस0
		हवाई जहाज को उपयोग लायक रखना।	संबंधित हवाईसेवा
2	न्यूनीकरण	आपातकाल की घोषणा।	ए.टी.सी.
		विभागीय कार्य योजना (एस.ओ.पी.)।	हवाईअड्डा के समस्त संचालन।
3	तैयारी	रूटीन ड्रील/प्रशिक्षण, जाँच-पड़ताल/रेस्क्यू एवं आग से जुझने वाले सभी उपकरणों का परीक्षण।	अग्निशमन सेवा।
		नियत समय का इस्तेमाल।	एयर ट्रैफिक प्रबंधन/टर्मिनल प्रबंधन/अग्निशमन सेवा।
		प्रत्युत्तर क्षेत्र से वाकिफ होना।	हवाईअड्डा अग्निशमन सेवा।
		त्वरित प्रत्युत्तर के लिए हर समय पेज रेडी अलर्ट क्रू का होना।	हवाईअड्डा के समस्त संचालन।
4	प्रत्युत्तर (रिस्पोन्स)	आग से जुझने/रेस्क्यू/चिकित्सा हेतु सहायता।	अग्निशमन सेवा का उचित क्रम में ए.टी.सी. के साथ समन्वय।
		तात्कालीक एवं सुरक्षित निकासी।	अग्निशमन सेवा/सिटी फायर ब्रिगेड/अन्य प्रत्युत्तर एजेन्सियों।
		ट्रांसपोर्ट सुविधा देना।	हवाई मार्ग/एम.टी. संचालन/ अन्य प्रत्युत्तर एजेन्सियाँ।
		अन्य प्रत्युत्तर एजेन्सियों से तालमेल।	हवाईअड्डा के समस्त संचालन।
		सुरक्षा अनुभाग (सी.ओ.आर.)/राज्य सरकार के	ए.पी.डी.।

		आपदा प्रबंधन विभाग ।	
		एयरपोर्ट आपात योजना (ए.ई.पी.) के अनुरूप दुर्घटना स्थल पर सुरक्षा।	सी.आई.एस.एफ.
5	सहायता/बचाव	रेस्क्यू ऑपरेशन ।	अग्निशमन सेवा/सिटी फायर ब्रिगेड/ प्रत्युत्तर रेस्क्यू दल।
		यात्रियों हेतु आकस्मिक अस्थायी शेल्टर, बेड हाइजीन सम्बंधित सुविधा/अस्पताल/प्रकाश।	हवाई मार्ग/टर्मिनल प्रबंधन/आपातकालीन मेडिकल सर्विस/अन्य प्रत्युत्तर एजेंसियाँ।
		पानी/भोजन देना।	मानव संसाधन/सम्बंधित हवाई मार्ग।
		ट्रांसपोर्ट सुविधा देना।	हवाई मार्ग/एम.टी. सेक्शन/प्रत्युत्तर एजेंसियाँ।
6	पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण	सुविधाजनक परियोजना का चिन्हिकरण।	हवाईअड्डा के सम्बद्ध सेक्शन।
		परियोजना बिलिंग एवं अनुमोदन।	सम्बंधित तकनीकी प्राधिकार।
7	पुनरावर्ती	संरचनाओं का पुनर्निर्माण।	सम्बंधित तकनीकी प्राधिकार।
		बीमा के लिए दावा।	एएआई/सम्बंधित हवाई मार्ग।
		जॉच–पड़ताल, सिफारिश नीति एवं भविष्य में पूर्व की स्थिति को नजर अंदाज करना।	हवाई अड्डा के सम्बद्ध सेक्शन/अन्य एजेन्सी।

मानक संचालन प्रक्रिया :

क्र.सं.	आकस्मिक योजना की सूची	मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)
1	हवाई अड्डा आपातकालीन योजना।	हवाई उड़ान प्रबंधन तथा हवाई यातायात सेवा।
2	बम खतरे की आकस्मिक योजना।	खोज एवं बचाव।
3	अपहरण की स्थिति एवं अन्य गैरकानूनी हस्तक्षेप से हवाई अड्डा पर निपटना।	अग्नि अलार्म सिस्टम की जाँच।
4	खराब हवाई जहाज को हटाने की योजना।	अतिविशिष्ट (वी.वी.आई.पी.) हवाई उड़ानों का संचालन।
5	आकस्मिक निकासी योजना।	ईंधन, तेल, गैस, तरल पदार्थ का फैलना।
6	आपदा प्रबंधन योजना।	आसपास के गिद्धों का खतरनाक ढंग से वृद्धि।

अनुलग्नक–(10) गर्मी / लू (सुरक्षा के उपाय एवं लू लगने पर क्या करें) :

![logo]

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001

सत्यमेव जयते

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

गर्मी / लू से साधारण सावधानियाँ अपना कर अपने आपको सुरक्षित रखें

मौसम विभाग के द्वारा ऐसा पूर्वानुमान किया जा रहा है कि इस वर्ष भी बिहार राज्य में मार्च–मई तक गर्म हवाएं एवं भयानक लू चलने की सम्भावना है। गर्म हवाओं एवं लू का प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है जो कभी–कभी जानलेवा साबित हो सकता है। इस संबंध में नीचे दिये गये उपायों का पालन कर गर्म हवाओं / लू के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है।

सुरक्षा के उपाय	लू लगने पर क्या करें ?
▪ जहाँ तक सम्भव हो कड़ी धूप में बाहर न निकलें। ▪ जितनी बार हो सके पानी पीयें, प्यास न भी लगे तब भी पानी पीयें। सफर में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें। ▪ जब भी बाहर धूप में जायें हल्के रंग के ढीले–ढाले सूती कपड़े पहनें। धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढकें और हमेशा जूते या चप्पल पहनें। ▪ अधिक तापमान में कठिन काम न करें। ▪ हल्का भोजन करें, अधिक पानी की मात्रा वाले फल जैसे– तरबूज, खीरा, नींबू, संतरा आदि का सेवन करें। ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन का सेवन न करें, जैसे– मांस व अंडा, जो शारीरिक ताप को बढ़ाते हैं। ▪ घर में बने पेय पदार्थ जैसे कि लस्सी, नमक चीनी का घोल, छाछ, नींबू–पानी, आम का पन्ना इत्यादि का नियमित सेवन करें। ▪ चाय, कॉफी, मादक पेय पदार्थ आदि का सेवन न करें। ▪ बच्चों को बंद वाहनों में अकेला न छोड़ें। ▪ जानवरों को छाया में रखें और उन्हें खूब पानी पीने को दें। ▪ रात में खिड़कियाँ खुली रखें। ▪ स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में सतर्क रहें। ▪ अगर आपकी तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आए तो तुरंत डाक्टर से सम्पर्क करें।	▪ लू लगे व्यक्ति को छाँव में लिटा दें। अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें ▪ ठंडे गीले कपड़े से शरीर पोंछें या ठंडे पानी से नहलायें। ▪ व्यक्ति को ओ.आर.एस. / नींबू / पानी / नमक–चीनी का घोल पीने को दें, जो शरीर में जल की मात्रा बढ़ा सके। ▪ यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या बेहोश हो, तो उसे कुछ भी खाने या पीने न दें। ▪ लू लगे व्यक्ति की हालत में एक घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाएं।

अनुलग्नक – (11) परित्यक्त बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों के संबंध में :

पत्रांक 2526 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

महत्वपूर्ण
अत्यावश्यक

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ भवन निर्माण विभाग/गृह विभाग/कृषि विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/ऊर्जा विभाग
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार

पटना–15, दिनांक– 7/7/15

विषय– **परित्यक्त (Abandoned) बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चो के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों के संबंध में।**

महाशय,

अवगत कराना है कि बिहार राज्य में बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से घातक दुर्घटनाओं की दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। विगत वर्ष गया जिले में बोरवेल में गिरने से एक 5 वर्षीय बालक की मृत्यु की सूचना है। इसी प्रकार दिनांक–28.06.2015 को पटना जिले के फुलवारी शरीफ प्रखंड में 5 वर्षीय बालिका की मृत्यु बोरवेल में गिरने से हो गई। यद्यपि आपदा प्रबंधन विभाग इन दोनों घटनाओं में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की मदद से बच्चों को बोरवेल से निकालने में सफल हुआ, परन्तु दोनों बच्चों के जीवन की रक्षा नहीं की जा सकी। बोरवेल में गिरने के दौरान दम घुटने से छोटे बच्चों की मृत्यु होना एक अत्यंत ही दुखद एवं कारूणिक घटना होती है, जिस पर तत्काल दृढ़ता पूर्वक रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। विहित हो कि परित्यक्त (Abandoned) बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं के रोकने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा CWJC No. 36/2009 में दिनांक–11.02.2010 एवं पुनः दिनांक–06.08.2010 को यथा संशोधित आदेश में सभी राज्यो के लिए सुरक्षा उपाय एवं दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. अतएव उपरोक्त के आलोक में परित्यक्त (Abandoned) बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं के रोकने के संबंध में निम्नांकित उपाय एवं दिशा–निर्देशों का अविलम्ब पालन किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके :–

i. किसी भूमि/परिसर के मालिक द्वारा बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण हेतु किसी कदम के उठाने के कम से कम 15 दिन पूर्व संबंधित प्राधिकार यथा– जिला पदाधिकारी/ग्राम पंचायत के सरपंच/किसी अन्य वैधानिक (Statutory) प्राधिकार/भू–गर्भ जल स्रोत विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगरपालिका

के संबंधित पदाधिकारी, जैसी की स्थिति हो – को बोरवेल/ट्यूबवेल की निर्माण की सूचना अनिवार्य रूप से लिखित रूप में देना होगा।

ii. खुदाई (Drilling) करने वाली सरकारी /अर्द्धसरकारी/निजी इत्यादि एजेंसी को अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन/वैधानिक प्राधिकार, जैसा कि लागू हो, के यहां निबंधित होना आवश्यक है।

iii. बोरवेल/ट्यूबवेल की खुदाई के पूर्व उसके समीप निम्नांकित सूचनाओं के साथ साईन बोर्ड लगाया जाय –

- बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण के समय खुदाई (Drilling) करने वाली एजेंसी का पूर्ण पता
- बोरवेल/ट्यूबवेल के उपभोगकर्त्ता/मालिक का सम्पूर्ण पता

iv. बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण के दौरान उसके चारों ओर बारबेड वायर अथवा किसी अन्य उपर्युक्त बेरीयर (अवरोध) के द्वारा घेराबंदी की जायेगी।

v. बोरवेल/ट्यूबवेल के चारों ओर भूमि की सतह से .30 मीटर उपर एवं भूमि की सतह .30 मीटर नीचे तक सीमेंट/कंक्रीट का .50 x .50 x .60 मीटर आकार के चबूतरे का निर्माण करना अनिवार्य होगा।

vi. बोरवेल/ट्यूबवेल के पाईप के उपर स्टील प्लेट के वेल्डिंग के द्वारा अथवा बोल्ट और नट के साथ मजबूत ढक्कन लगाया जाय।

vii. यदि पम्प की मरम्मति की जानी हो तो ट्यूबवेल/बोरवैल को बिना ढके हुए नहीं छोड़ा जाय।

viii. कार्य की समाप्ति के बाद मिट्टी के गड्ढो को एवं चैनलों को भर दिया जाय।

ix. परित्यक्त (Abandoned) बोरवेल एवं ट्यूबवेल को आधार (bottom) से भूमि–सतह तक अच्छी तरह से मिट्टी/बालू एवं बोल्डर से भर दिया जाय।

x. किसी स्थान पर खुदाई समाप्ति के उपरान्त कार्य स्थल के चारों ओर की भूमि की स्थिति (Ground Condition) को पुनः खुदाई से पूर्व की स्थिति में लाया जाय।

xi. जिला पदाधिकारी सरकारी/निजी एजेंसियों के द्वारा उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन एवं बोरवैल/ ट्यूवेल की स्थिति के संबंध में उनके द्वारा पर्याप्त सुरक्षा एवं सावधानियाँ वरतने को सुनिश्चित कराएंगे।

  - जिला स्तर पर प्रखंडवार एवं ग्रामवार खुदाई किये गये बोरवेल/ट्यूबवेल के आकड़ों को संधारित किया जायेगा, जिसमें खुदाई किये गये बोरवेल/ट्यूबवेल की संख्या, उपयोग में आने वाले बोरवेल/ ट्यूबवेल की सख्या, परित्यक्त (Abandoned) एवं खुले हुए बोरवेल/ट्यूबवैल की संख्या, परित्यक्त किन्तु अच्छी तरह से भूमि–सतह तक भर दिये गये बोरवेल/ट्यूबवेल की संख्या एवं परित्यक्त बोरवेल/ ट्यूबवेल की संख्या जिन्हें अच्छी प्रकार से भरा जाना है।

- ➢ ग्रामीण क्षेत्रों में उपर्युक्त अनुरूप अनुश्रवण मुखिया/सरपंच एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में उपर्युक्त के अनुरूप अनुश्रवण संबंधित विभागों के कनीय अभियंता एवं पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

xii. यदि कोई बोरवेल/ट्यूबवेल परित्यक्त किया जाता है तो खुदाई करने वाली सरकारी /अर्द्धसरकारी/निजी इत्यादि एजेंसी को संबंधित विभागों/निजी संवेदको से इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होगा कि परित्यक्त बोरवेल/ट्यूबवेल भूमि की सतह तक अच्छी तरह से भर दिया गया है।

xiii. संबंधित एजेंसीयों एवं विभागों के कार्मिकों/ पदाधिकारियों द्वारा परित्यक्त बोरवेल/ट्यूबवेल का रैण्डम निरीक्षण किया जायेगा तथा तत्संबंधी आंकड़ों का संधारण जिला एवं प्रखंडस्तर पर किया जायेगा।

3. उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अंग्रेजी अनुवाद संलग्न है।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2526/ आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 7/7/15
प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलों में सभी प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2526/ आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 7/7/15
प्रतिलिपि–सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2526/ आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 7/7/15
प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2526/ आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 7/7/15
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

अनुलग्नक – (12) सड़क दुर्घटना दावा निपटारा :

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001

सड़क दुर्घटना

सड़क दुर्घटना संबंधी दावों को निपटाने की प्रक्रिया

- सड़क दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत Motor Accidents Claims Tribunal-MACT (मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण) के समक्ष क्षतिपूर्ति के लिए दावा याचिका दायर कर सकता है।
- No Fault Liability (अंतरिम राहत) के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 140 के तहत आवेदन दिया जा सकता है और पूर्ण क्षतिपूर्ति के लिए धारा 166 के तहत आवेदन दिया जा सकता है।
- MACT के समक्ष दायर मामले, समझौता के लिए लोक अदालत में त्वरित निपटान के लिए उपस्थित किए जा सकते हैं
- दुर्घटना करने वाले वाहन के मालिक, ड्राइवर और इंश्योरेंस कम्पनी के विरुद्ध दावा दायर किया जाता है।

सड़क दुर्घटना संबंधी दावों को निपटाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण कागजात

- FIR की प्रमाणित प्रति।
- पुलिस अंतिम प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति।
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (दुर्घटना से मृत्यु के मामले में)।
- शव परीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि (मृत्यु के मामले में)।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (गम्भीर चोट के मामले में)।
- दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक की ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति।
- दुर्घटना में शामिल वाहन के कागजात (रजिस्ट्रेशन/परमिट/फिटनेस इत्यादि)
- दुर्घटना में शामिल वाहन की इंश्योरेंस की प्रति।
- मृतक का आय प्रमाण–पत्र।
- दावेदार का निर्भरता प्रमाण–पत्र।
- दावेदार का पहचान प्रमाण–पत्र।

सभी रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) निर्माता कंपनी कृपया ध्यान दें–

बिहार राज्य में परिचालित परिवहन यानों/वाहनों में रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) लगाये जाने के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 754 (अ) दिनांक 12.11.2008 के आलोक में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या – 5148 दिनांक 24.08.2016 के संदर्भ में बिहार राज्य के अन्दर रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) लगाया जाना है।

(1) रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) निर्माता कंपनी को निर्धारित मानक AIS:090-2005 के संबंध में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट एजेन्सियों या अभिकरणों में से रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) का Type Approval Certificate प्राप्त है।

(2) कंपनी द्वारा प्राधिकृत डीलर/विक्रेता वाहनों में लगाये गये रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) की सूचना वाहन संख्या, वाहन का प्रकार के साथ संबंधित जिला परिवहन कार्यालय एवं परिवहन विभाग, मुख्यालय को प्रत्येक माह वेबसाइट– www.transportdepartment.bih.nic.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

स्रोत : राज्य परिवहन आयुक्त,बिहार,पटना।

अनुलग्नक – (13) सड़क सुरक्षा के उपाय :

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001

सत्यमेव जयते

- सड़क के बायें चलें एवं यातायात नियमों का अनुपालन करें।
- सड़क पार करते समय दायें बायें और दायें देख कर पार करें। यदि कोई वाहन आ रहा हो, तो उसके गुजर जाने के बाद सड़क पार करें।
- सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय कान में इयर फोन लगा कर न चलें
- जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो, वहीं से ही सड़क पार करें।
- वाहन हमेशा सड़क के बायें ओर एवं निर्धारित गति सीमा में चलायें।
- दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाली सवारी हमेशा हेलमेट पहन कर चलें।
- कार या अन्य चार पहिया वाहनों में चालक एवं साथ बैठे यात्री हमेशा सीट बेल्ट बाँध कर गाड़ी चलायें।
- नशे की हालत में गाड़ी न चलायें।
- दायें या बायें मुड़ते समय, गाड़ी रोकते समय, गाड़ी धीमा करते समय संकेतक अवश्य दें।
- गाड़ी रिवर्स करने पर सावधानी बरतें एवं ओवरटेक करते समय सावधानी बरतें।
- किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरत प्राथमिक उपचार दें और उसे तुरत किसी नजदीकी चिकित्सालय में ले जायें।
- वाहन चलाते एवं पैदल चलते एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के आने के लिए रास्ता छोड़ दें।
- सड़क पर संकेत/चिह्न आने के पूर्व वाहन की गति धीमी कर लें एवं उसे पार करने के पूर्व सावधानी बरतें।

स्कूली बच्चो के लिए सड़क सुरक्षा के उपाय

बच्चों को सिखायें कि जब वे स्कूल बस में चढ़े तो –

- जल्दबाजी न करें, बस के रूकने का इन्तजार करें।
- एक कतार में स्कूल बस में प्रवेश करें
- रेलिंग पकड़कर बस में प्रवेश करें
- देख लें कि अपना बैग या कपड़ा आदि कहीं भी न फँसें

बस मे यात्रा करते हुए –

- सीट पर सुरक्षित ढंग से बैठें और चेहरा सामने रखें।
- अपने शरीर का कोई भी अंग बस से बाहर न निकालें।
- पायदान पर यात्रा न करें।
- बस का गलियारा खाली रखें।
- शोरगुल न करें और ड्राइवर का ध्यान न हटाएं
- ड्राइवर और कंडक्टर के निर्देशों का पालन करें।

बस से उतरते समय –

- जल्दीबाजी न करें बस के रूकने का इन्तजार करें।
- रेलिंग का उपयोग करते हुए बस से उतरें।
- बस के अगले दरवाजे से बाहर निकलें।

अनुलग्नक–(14) आगजनी से बचाव हेतु उपाय, दिशा एवं सुझाव :

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001

सत्यमेव जयते

आगजनी से बचाव हेतु उपाय

क्या करें ?	क्या न करें ?
▪ स्टोव या लकड़ी, कोयला आदि के जलावन वाले चूल्हे पर खाना बनाते वक्त सावधानी बरतें। हमेशा सूती वस्त्र पहनकर ही खाना बनायें। ▪ राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है एवं पछुआ हवा भी चल रही है। ऐसे में दिन का खाना 9 बजे सुबह तक एवं रात का खाना 6 बजे शाम के बाद बनायें। खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग को पूरी तरह बुझा दें। ▪ गेहूँ ओसानी का काम हमेशा सार्ट में रहकर गाँव के बाहर खलिहान में जाकर करें। ▪ राज्य में भीषण गर्मी एवं पछुआ हवा चलने की स्थिति बनी है। अतएव हार्वेस्टिंग के बाद खेतों में छोड़े गए डंठलों में आग नहीं लगायें। ▪ घर व खलिहान पर समुचित पानी व बालू की व्यवस्था रखें। ▪ जलती हुई बीड़ी–सिगरेट इधर उधर न फेंकें। बीड़ी–सिगरेट पीकर उसे बुझाने के बाद ही फेंकें। ▪ खाना पकाते समय रसोईघर में वयस्क मौजूद रहें, बच्चों को अकेला न छोड़ें ▪ खिड़की से स्टोव के अंदर तक हवा न पहुँच पाए, इस बात की पुरी तसल्ली कर लें। ▪ सरकारी सहायता पाने के उद्देश्य से जानबूझकर अपनी संपत्ति से आग लगाने वाले के विरुद्ध कठोर कारवाई करने में प्रशासन की मदद कर जागरूक नागरिक आदर्श बनें। ▪ तौलिये या कपड़े का इस्तेमाल सावधानी से गर्म बर्तन उतारने के लिए करें। ▪ खिड़की के बाहर कोई चादर या तौलिया लटका दें ताकि बाहर लोगों को पता चल सके कि आप कहाँ हैं और आपको मदद चाहिए। ▪ गैस चूल्हे का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद सिलिंडर का नॉब तुरंत बंद कर दें। ▪ घर के बिजली तार एवं उपकरणों की नियमित जाँच करें। ▪ घर में अग्निशमन कार्यालय तथा अन्य आपातकालिन नंबर लिखा हुआ हो और घर के सभी सदस्यों को इन नंबरों के बारे में पता हो। ▪ आग लगने पर दमकल विभाग को फोन करें और उन्हें अपना पूरा पता बताते फिर दमकल विभाग जैसा कहे वैसा ही करें।	▪ बच्चों को माचिस या आग फैलाने वाले एवं अन्य सामानों के पास न जाने दें। ▪ बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि पीकर जहाँ–तहाँ न फेंके, उसे पूरी तरह बुझने के बाद ही फेंकें। ▪ चूल्हा, ढिबरी, मोमबत्ती, कपूर इत्यादि जलाकर न छोड़ें। ▪ अनाज के ढेर, फूस या खपरैल की झोपड़ी के निकट अलाव नहीं जलाएँ व डीजल इंजन नहीं चलाए ▪ सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएँ। ▪ आपके कपड़े में अगर आग लग जाए तो दौड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जमीन पर लेटकर गोल–गोल घूमते हुए आग बुझायें। ▪ खाना बनाने के समय ढीले–ढाले कपड़े न पहनें। ▪ अग्नि दुर्घटना के दौरान कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें। ▪ गैस की दुर्गंध आने पर बिजली के स्विच को न छुऐं। ▪ खाना पकाते समय रसोई घर में बच्चों को अकेला न छोड़ें।

आग से बचाव के लिए :

- शरीर के कपड़े में आग लगने पर भागें नहीं, बल्कि लेटें तथा दायें-बायें लुढ़कें।
- सिगरेट या बीड़ी जलाने के बाद जलती हुई माचिस की तीली अथवा बीड़ी एवं सिगरेट पीकर उसका अधजला टुकड़ा इधर उधर न फेंकें।
- तेल की आग के लिए फोम कम्पाउंड या ए.बी.सी. अग्निशमन यंत्रों का उपयोग करें।
- सिनेमा घरों में सभी दरवाजों/निकासी द्वार पर EXIT एवं साइन बोर्ड लिखें जो अंधेरे में भी दिखाई दें एवं आपातकालीन रोशनी की व्यवस्था रखें।
- गैस सिलिण्डर लीक होने पर सर्वप्रथम आग के सभी स्रोतों को बंद कर दें, तत्पश्चात सभी दरवाजों एवं खिड़कियों को खोल दें।
- विद्युत उपकरण में एम.सी.बी. अवश्य लगायें।
- चूंकि धुआं ऊपर उठेगा इसलिए झुक कर चलें एवं मुंह तथा नाक को गीले कपड़े से ढक लें।
- घर में हमेशा बाल्टी में पानी भर कर रखें
- सावधानी ही आग के समय आपका सच्चा साथी है।

सौजन्य: बिहार अग्निशमन सेवा, पटना

खेत (फसल) के लिए अग्नि सुरक्षा से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें

1.	फसल कटने तक बोरिंग पर पम्पिंग सेट तैयारी हालत में रखें।
2.	अगर खेत में आग लग गई हो तो फैलने वाली दिशा में थोड़ी दूरी पर फसल काट (फायर ब्रेक) दें।
3.	फसल ढुलाई के लिए खेतों के बीचों-बीच से ट्रैक्टर, पिकअप भान आदि वाहनों को लाने एवं ले जाने का प्रयोग न करें।
4.	अगर खलिहान के पास तालाब या अन्य कोई जल स्रोत हो तो वहाँ से पाइप या पम्पिंग सेट तैयार रखें।
5.	खेतों से गुजरने वाली बिजली के तार के किसी भी जोड़ को ढीला या खुला न छोड़ें।
6.	खेतों से गुजरने वाली बिजली के तार के किसी भी जोड़ को ढीला या खुला न छोड़ें।
7.	बाँस के खम्भे के द्वारा नंगे बिजली के तार खेतों में न रखें।
8.	खेत के आस-पास बीड़ी-सिगरेट आदि नहीं पीयें तथा न ही किसी को पीने दें।
9.	खेत के आस-पास भूंजा एवं हवन न करें और न ही करने दें।
10.	कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग न लगायें, इससे आग फैलता है तथा वातावरण दूषित करता है।
11.	सूखे फसल के खेत के इर्द-गिर्द अलाव, चूल्हे की राख न फेंकें।
12.	पकी फसल के खेतों के अगल-बगल पेड़ से गिरे पत्ते या झाड़ियों में आग न लगायें।
13.	पकी फसल के आस-पास खेतों में थ्रेशिंग का कार्य न करें।
14.	किसी भी उत्सव के दौरान पकी फसल के आस-पास आतिशबाजी का प्रयोग न करें ना ही करने दें।

स्रोत: गृह (आरक्षी) विभाग, बि.स.

आयुक्त
पटना प्रमंडल, पटना

आपदा
Disaster

सत्यमेव जयते

दूरभाष सं० : (0612) 2219205 (का०)
: (0612) 2233578
फैक्स : (0612) 2230788

दिनांक 16.3.2015

अर्द्ध सरकारी पत्रांक 124 /गो0

प्रिय कार्तिकेय,

वर्ष 2015 में गरमी का मौसम प्रारम्भ होते ही यदाकदा आगलगी की सूचनायें प्राप्त हो रही है। यही कारण है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह उपयुक्त समय मानता हूँ।

गरमी के मौसम में यह देखा गया कि छोटी सी गलती या असावधानी के कारण आगलगी की घटनायें घटती है। फलस्वरूप सम्पति का अपूरनीय क्षति होता है एवं जानमाल भी कुप्रभावित होता है। ऐसी घटनाओं के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन साधारण एवं सामान्य precautions एवं safety tips से अधिकांश मामलों में निवारण संभव होता है। उदाहरण के रूप में परम्परागत ढंग से यथा संभव सूर्योदय के पश्चात् चुल्हा जलाने के कार्य कई जगहों पर समाज में अपनाया गया है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि आपके जिला के अन्दर आगलगी के लिए निरोधात्मक कार्रवाई के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार करना नितान्त आवश्यक है। मैं चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूचि लेकर सभी संभव माध्यम से जनमानस में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

भ व दी य,

16/3/15

(ई0एल0एस0एन0 बाला प्रसाद)

श्री कार्तिकेय धनजी
जिला पदाधिकारी, नालंदा।

अनुलग्नक–(15) बिहार अग्निशमन सेवा की ओर से दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के अवसर पर बनने वाले पण्डालों एवं अस्थायी निर्माण को अग्नि से सुरक्षा के उपाय :

बिहार अग्निशमन सेवा की ओर से दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा– 2016 के अवसर पर बनने वाले पण्डालों एवं अस्थायी निर्माण को अग्नि से सुरक्षा के उपाय।

- "फायर रिटारडेन्ट सॉल्यूशन" में उपचारित किया हुआ कपड़े का पण्डाल बनाया जाय क्योंकि साधारणतः ऐसे कपड़ों में आग नहीं लगती है।
- पण्डाल में कम–से–कम तीन द्वार रखे जाएं – एक सामने से तथा दो बगल से।
- बिजली के तारों को कपड़ा अथवा पिण्डाल के सम्पर्क में न रखें।
- बिजली के तारों को पी0वी0सी0 कन्ड्यूट पाईप के अन्दर से ले जायें और जोड़ों के ऊपर टेप लगाये जाए।
- पण्डालों में बिजली व्यवस्था हेतु मोटे एवं नये तारों का व्यवहार करें।
- प्रत्येक पण्डाल के लिए अलग से फ्यूज सर्किट ब्रेकर लगाये जाए
- पण्डाल निर्माणकर्त्ता विद्युत अभियन्ता से सलाह प्राप्त करें। प्रत्येक पण्डाल का विद्युत विभाग द्वारा पूर्ण निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा।
- हवन की व्यवस्था पण्डाल के बाहर एक थोड़ी दूरी पर सुरक्षित एवं खुले स्थान पर करें।
- अगरबत्ती एवं दीपक जलाने की व्यवस्था जमीन पर रखें तथा कपड़े से दूरी पर रखें
- प्रत्येक पण्डाल में पानी से भरा हुआ कम से कम चार ड्राम, चार बाल्टी, चार मग एवं दो बालू सी.ओ.टू. एवं ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक यंत्र आकस्मिकता से निपटने के लिए सुरक्षित रखें।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन खुले स्थान पर अथवा तीन ओर से खुला पण्डाल में रखें। यदि उसी स्थान पर से बैठने की आवश्यकता हो तो प्रत्येक 15 फीट की दूरी पर निकास द्वार अवश्य रखें। बैठने की व्यवस्था इस प्रकार करें कि निकास द्वारों के सामने अवरोध न हो।
- पण्डाल एवं गेट बनाते समय इस बात का ध्यान दिया जाय कि आपातकालीन स्थिति में अग्निशामक वाहन के लिए रास्ता में रूकावट न हो।
- पटाखा बिक्री को कम से कम दो "बालू सी.ओ.टू." तथा दो "डी.सी.पी." (09 लीटर क्षमता के) पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें जिसके संचालन की जानकारी उन्हें हो तथा दो ड्रम पानी भी रखें इसकी सूचना अग्निशामालय पदाधिकारी को भी कराया जाए।
- बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को तंग गली में पटाखा न छोड़ने दें। बल्कि खुले स्थान में अपनी निगरानी में पटाखा छोड़ा जाए।
- असामाजिक तत्व (अग्निबाजी) कभी–कभी दूसरे के घरों में प्रवेश कर आगजनी का कारण बनते हैं। यथासम्भव इससे परहेज करें।
- घर में अथवा बिना लाइसेंस के दुकान में अधिक मात्रा में पटाखा का भण्डारण नहीं करें।
- पण्डाल एवं पूजा स्थलों पर अग्निशाम सेवा का आपातकालीन दूरभाष नं.– 101 या स्थानीय अग्निशामालय के दूरभाष सं...... की तख्ती टांगी जाय।
- आयोजक तकनीकी सलाह लेने हेतु निकटतम अग्निशामालय पदाधिकारी / प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

स्रोत: पुलिस उप महानिरीक्षक–सह–उप महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार (2016)

अनुलग्नक – (16) फसल अवशेष न जलायें :

बिहार सरकार

कृषि विभाग

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

किसान भाईयों एवं बहनों से अपील

सामान्यतया यह देखा जा रहा है कि किसान भाई/बहन फसलों के अवशेष (पुआल, भूसा आदि) को खेतों में जला देते हैं। ऐसा करने से मिट्टी पर निम्नलिखित बुरा प्रभाव पड़ता है :-

- फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ता है जिसके कारण मिट्टी में उपलब्ध जैविक कार्बन जो पहले से ही हमारी मिट्टी में कम है और भी जल कर नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप मिट्टी की उर्वराशक्ति कम हो जाती है।
- फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी का तापमान बढने के कारण मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु, केंचुआ आदि मर जाते हैं। इनके मिट्टी में रहने से ही मिट्टी "जीवन्त" कहलाता है। अवशेषों को जलाने से हम मिट्टी को "मरनासन" अवस्था की ओर ले जा रहे हैं।
- जमीन के लिए जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।
- अवशेष को जलाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उत्पादन घटता है।
- फसल अवशेषों को जलाने से वायुमंडल में कार्बनडाइऑक्साइड (CO_2) की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण वातावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन में हम भागीदार हो रहे हैं।

फसल अवशेष जो जलायें । पर्यावरण, उर्वरा, उत्पादकता खोयें ।।

अतः आप किसान भाईयों एवं बहनों से अपील है कि

- यदि धान की कटनी हार्वेस्टर से की गई हो तो खेत में फसलों के अवशेष पुआल, भूसा आदि को जलाने के बदले खेत की सफाई हेतु बेलर मशीन का प्रयोग करें तथा हैप्पी सीडर से गेहूँ की बुआई करें।
- अपने फसल के अवशेषों को खेतों में जलाने के बदले वर्मी कम्पोस्ट बनाने, मिट्टी में मिलाने, पलवार विधि (Mulching) से खेती आदि में व्यवहार कर मिट्टी को बचायें तथा संधारणीय कृषि पद्धति में अपना योगदान दें।

PR_8670 D (Agriculture) 2016-17

अनुलग्नक – (17) जापानी इन्सेफेलाइटिस के रोकथाम/डेंगू/चिकुनगुनिया से बचाव :

जापानी इन्सेफेलाइटिस के रोकथाम

रोकथाम

- सभी बच्चों को नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत दो बार जापानी इन्सेफेलाइटिस का टीका अवश्य लगवाएं, यदि जिले में इसके होने की सूचना प्राप्त होती हो।
- घर के आस–पास पानी जमा नहीं होने दें
- शरीर के खुले भाग पर मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाएं।
- सूअर बाड़ों को आवासीय जगहों से दूर रखें।

स्रोत: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम,2016,भारत सरकार

डेंगू/चिकुनगुनिया से लक्षण एवं बचाव :

लक्षण –

- बदन दर्द, सर दर्द, आँखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द एवं त्वचा पर लाल धब्बे, नाक, मसूड़ों या उल्टी से रक्त स्राव होना एवं काला पैखाना होना इस बीमारी के गंभीर लक्षण हैं।

बचाव हेतु क्या करें–

- दिन में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें।
- मच्छर भगाने वाली दवा/क्रीम का प्रयोग दिन में भी करें।
- पूरे शरीर को ढँकने वाले कपड़े पहनें, घर एवं सभी कमरों को साफ–सुथरा एवं हवादार बनाए रखें।
- टूटे–फूटे बर्तन, कूलर, ए.सी./फ्रिज के पानी निकासी ट्रे, पानी टंकी एवं घर के अंदर एवं अगल-बगल में अन्य जगहों पर पानी न जमने दें।
- गमला, फूलदानी इत्यादि का पानी हर दूसरे दिन बदलें।
- अपने आस–पास के जगहों को साफ–सुथरा रखें एवं जमा पानी एवं गन्दगी पर Temephos50% EC 2ml/lit का साफ पानी के साथ छिड़काव करें।
- मॉल दुकानदारों/प्रबंधकों से भी अनुरोध है कि खाली पड़े जगहों पर रखे डब्बों/कार्टनों में पानी जमा न होने दें
- जमे हुए पानी पर मिट्टी का तेल डालें।
- याद रखें हर बुखार डेंगू/चिकुनगुनिया नहीं है
- बीमारी के लक्षण होने पर बिना समय गंवाये चिकित्सक से सम्पर्क करें
- समय पर उपचार कराने से डेंगू के मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं।

स्रोत : पटना नगर निगम(2018)

अनुलग्नक – (18) वज्रपात (ठनका) क्या करे–क्या न करे :

आमजनों को बरसात में वज्रपात (ठनका) से बचाव के सुझाव पर अमल करने हेतु परामर्श

<u>क्या करे –</u>

- किसी पक्के मकान में आश्रय लेना बेहतर है। सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें। मजबूत छत वाले वाहन में रहें, खुली छत वाले वाहन की सवारी न करें।
- बिजली के उपकरणों या तार के साथ संपर्क से बचें व बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें।
- तालाब और जलाशयों से दूर रहें। यदि आप पानी के भीतर हैं अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं।
- यदि आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं, त्वचा में झुनझुनी होने लगे तो फौरन नीचे झुक कर कान बंद कर लें, यह इस बात का सूचक है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है। जमीन पर न लेटें और न ही हाथ टिकाएं।

<u>क्या न करें –</u>

- बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहें, तार वाले टेलीफोन का उपयोग न करें।
- खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें।
- ऐसी वस्तुएं जो बिजली की सुचालक हैं, उनसे दूर रहें, धातु से बने, पाईप, नल, फव्वारा, वॉश बेसिन आदि के संपर्क से दूर रहें।
- ऊँचे वृक्ष आसमानी बिजली को आकर्षित करते हैं। कृपया उनके नीचे न खड़े रहें। ऊँची इमारतों वाले क्षेत्र में आश्रय न लें। समूह में न खड़े रहें, बल्कि अलग–अलग हो जाएं।
- बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खम्भा, तार की बाड़, मशीन, टेलीफोन, टेलीविजन टावर आदि से दूर रहें।

स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार

नोट : आसमानी बिजली के झटके के मामले होने पर जरूरत के अनुसार व्यक्ति को सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) यानि कृत्रिम श्वास देनी चाहिए एवं उन्हें तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए

अनुलग्नक – (19) शीतलहर से बचाव :

स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय

शीतलहर या ठंड लगने से बचाव के उपाय

शरीर का तापमान 95° फारेनहाइट या 35° सेल्सियस से कम होने को ठंड लगना या शीतलहर का असर होना कहते है।

शीतलहर या ठंड लगने पर व्यक्ति में निम्न लक्षण उत्पन्न होते है :	**शीतलहर या ठंड से बचाव हेतु निम्न उपायों का ध्यान दे:**
1. शरीर का ठंडा होना एवं अंग का सुन्न पड़ना। 2. अत्यधिक कंपकंपी या ठिठुरन का होना। 3. बार–बार पेशाब की इच्छा या जल्दी का होना 4. अत्यधिक सुस्त होना व थकान। 5. अर्द्धबेहोशी की स्थिति अथवा बेहोश होना	1. जब तक बाहर जाने की जरूरत/आवश्यकता न हो यथासंभव घर के अंदर सुरक्षित रहें (विशेषकर वृद्ध एवं बच्चें)। 2. यदि घर से बाहर जाना आवश्यक हो तो शरीर पर समुचित ऊनी एवं गर्म कपड़ा पहन कर ही निकले तथा अपने सिर, चेहरा हाथ एवं पैर को भी यथासंभव गर्म कपड़े से ढक ले। 3. स्थानीय समाचार पत्र/रेडियो/टेलिविजन के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें। 4. शरीर को निर्जलीकरण से बचाने हेतु शराब इत्यादि का सेवन न करें 5. शरीर में उष्मा के प्रवाह को बनाये रखने के लिये पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थो का सेवन करें। 6. बंद कमरों में जलते हुए लालटेन, दीया एवं कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुएँ के निकास का उचित प्रबंध करना सुनिश्चित करें एवं इसके प्रयोग के बाद अच्छी तरह से बुझा दें। 7. हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्वीच ऑफ करना न भूलें अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है। 8. राज्य सरकार शीत लहर के समय रात्रि में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करती है, जिसका लाभ उठाकर शीतलहर से बचा जा सकता है। 9. उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीज तथा हृदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें तथा सामान्यतया धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें। 10. विशेष परिस्थितियों में नजदीकी सरकारी अस्पताल से चिकित्सीय परामर्श लें अथवा रोगी वाहन एम्बुलेन्स की सहायता लेने हेतु दूरभाष संख्या 102 या 108 पर सम्पर्क करें।

स्रोत: स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य विभाग (2016)

अत्यावश्यक

पत्र संख्या-1प्रा0आ0-36/2011...4949आ0प्र0
बिहार सरकार,
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह,
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 12.12.12

विषय:- वर्त्तमान वर्ष 2012-13 में शीतलहर/पाला की स्थिति उत्पन्न होने पर शीतलहर/पाला से निपटने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य में सामान्यतः माह दिसम्बर से जनवरी के बीच ठण्ड की व्यापकता और तीक्ष्णता कभी-कभी प्रचण्ड एवं भयावह शीतलहर का रूप ले लेती है। इस वर्ष दिसम्बर माह के प्रारम्भ से ही ठंड प्रारम्भ हो गयी है। संभावना है कि शीतलहर भी शीघ्र ही शुरू हो जाए। गरीब एवं निःसहाय व्यक्ति जो फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करते हैं, विशेष रूप से शीतलहर के शिकार हो जाते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह शीतलहर से बचाव हेतु ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध करे।

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-32-3/2010-एन0डी0एम0-1, दिनांक-13.08.2012 द्वारा भारत सरकार ने शीतलहर (Cold Wave)/पाला (Frost) को राज्य आपदा रिस्पांस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य की देयता के लिए प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया है जिसका संसूचन विभागीय पत्रांक-4285/आ0प्र0, दिनांक-18.10.2012 द्वारा किया गया है। साहाय्य मानदर के अनुरूप राज्य आपदा रिस्पांस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत साहाय्य प्राप्त करने के लिए निम्नांकित मानदर निर्धारित किया गया है :-

(क) किसी क्षेत्र को शीतलहर से प्रभावित निम्न परिस्थितियों में माना जायेगा :-

I. वैसे क्षेत्र जहाँ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे अधिक हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय।

II. वैसे क्षेत्र जहाँ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय।

(ख) किसी क्षेत्र में यदि तापमान शून्य डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय तथा यह रबी/खरीफ फसल के मौसम में उस क्षेत्र विशेष के लिए असामान्य स्थिति हो, तब उस क्षेत्र को पाला (Frost) प्रभावित क्षेत्र माना जायगा।

राज्य में किसी जिले को शीतलहर/पाला (Frost) से प्रभावित मानने के लिये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्गत तापमान आकड़ों के आधार पर निर्णय लिया

जायगा। रबी/खरीफ फसल के 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक की क्षति होने पर एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 से अनुदान देय होगा।

3. इस वर्ष 2012–13 में सम्भावित शीतलहर को ध्यान में रखते हुए गरीबों की शीतलहर से रक्षा के लिये निम्नांकित निर्णय लिया गया है:-

(क) जिला विशेष में ज्योंही शीतलहर प्रारंभ हो, जिला पदाधिकारी अपने विवेक से गरीब वर्गों को शीतलहरी के प्रकोप से बचाने हेतु आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था करेंगे। अलाव की व्यवस्था यथानुसार जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तरीय सभी शहरी/अर्द्ध शहरी स्थानों में की जाएगी। जिला पदाधिकारी अलाव जलाने का स्थान चयन करते समय यह ध्यान रखें कि अलाव ऐसे स्थानों पर जलाये जाएं, जहाँ अधिक-से-अधिक निर्धन एवं असहाय लोग निवास करते हों या एकत्र होते हों, उदाहरणार्थ धर्मशालाएं, अस्पताल परिसर, रैन-बसेरा, मुसाफिरखाना, रिक्शा एवं टमटम पड़ाव, चौराहा, रेल/ बस स्टेशन, अन्य सार्वजनिक स्थान आदि, ताकि इस प्रकार के लोग लाभान्वित हो सकें।

(ख) जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी यथा अपर जिला दण्डाधिकारी (साहाय्य) को जिला पदाधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में अलाव व्यवस्था का प्रभारी नामित किया जाए। इनका दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि चयनित स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) रिक्शा चालक (शहरों में), दैनिक मजदूर, एवं ऐसे सदृश श्रेणी के गरीब, नि:सहाय व्यक्ति, बच्चे, जिनका कोई आवास न हो को शीतलहर के समय रैन-बसेरा, सामुदायिक भवन इत्यादि में शरण दिया जाये ताकि शीतलहर से उनका बचाव हो सके। ऐसे शरण स्थलों का व्यापक प्रचार भी कराया जाय। जहाँ सार्वजनिक भवन उपलब्ध नहीं हों, वहाँ जिले में उपलब्ध पॉलिथीन शीट्स, तारपोलीन शीट्स, टेंट का उपयोग कर आवश्यकतानुसार अस्थायी शरण-स्थली बनायी जाय । इन शरण स्थलियों में पर्याप्त संख्या में कम्बल रखें जायें । कम्बल किसी शरणार्थी को आवंटित नहीं किया जाएगा, उनके द्वारा मात्र शरण लेते समय उपयोग किया जाएगा । शरण-स्थली का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि जन-सामान्य को इसकी पूर्व जानकारी रहे तथा वे सरकार द्वारा एतत् संबंधी की गई व्यवस्था का पूरा लाभ उठा सकें तथा इस व्यवस्था की मोनिटरिंग/निगरानी भी उच्चस्तर से की जा सके।

(घ) शीतलहर से बचाव के लिए किये जाने वाले उपाय से जनता को अवगत कराया जाय। शीतलहर से बचाव हेतु क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग पम्पलेटों, समाचार पत्रों के माध्यम से, सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगा कर एवं अन्य साधनो से सामान्य जनता को अवगत कराने की व्यवस्था करायेगा।

(ङ) यह भी देखा गया है कि समाचार पत्रों में शीतलहर से मृत्यु की सूचना यदाकदा प्रकाशित होती है ऐसी सूचना के तथ्यों की जांच कर जानकारी तुरंत ली जाय और यदि तथ्य निराधार पाये जाय तो उनका खण्डन समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराया जाय। शीतलहर से उत्पन्न होने वाले प्रकोप से बचाव, अपनाये गये उपायो व किये गये राहत कार्यों की जानकारी समय-समय सार्वजनिक रूप से प्रसारित व प्रकाशित भी करायी जाय।

(च) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इस राहत का लाभ वास्तव में गरीबों एवं नि:सहायों को मिले एवं किसी भी परिस्थिति में इसका दुरूपयोग न हो। साथ ही मितव्ययिता बरती जाय।

(छ) अलाव की व्यवस्था हेतु सभी जिलों को अलग से राशि आवंटित की जा रही है।

(4) अत: अनुरोध है कि वर्त्तमान वर्ष 2012-13 में शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होने पर उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष कार्यरत है, जिसका टेलीफैक्स नं0 **0612-2217305** है। जिलों द्वारा प्रत्येक दिन संलग्न प्रपत्र में तापमान एवं दैनिक प्रतिवेदन राज्य नियंत्रण कक्ष को भेजा जाएगा।

कृपया उपरोक्त निदेशों का पालन दृढ़ता पूर्वक किया जाए।

विश्वासभाजन

अनु0-यथोक्त।

(राजीव कुमार सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक 4942/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 12/12/12

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संबंध में अपने अधीनस्थ जिला पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी यथोचित निदेश देने की कृपा की जाय। साथ ही वे जिलों के भ्रमण के समय उन स्थानों का भी औचक निरीक्षण करें जहाँ अलाव जलाए जा रहे हैं।

अपर सचिव

ज्ञापांक 4942/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 12/12/12

प्रतिलिपि: सचिव, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ । शीतलहर के प्रकोप से गरीब वर्गों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी कम्बल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अपर सचिव

ज्ञापांक 4942/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 12/12/12

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग को सूचनार्थ। निदेशानुसार अनुरोध है कि नगरीय क्षेत्रों में शीतलहर से बचाव हेतु कार्रवाई करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निदेश देने की कृपा की जाय।

अपर सचिव

अनुलग्नक – (21) सर्दी के मौसम में पशुओं की देखभाल हेतु आवश्यक सुझाव :

सर्दी के मौसम में पशुओं की देखभाल हेतु आवश्यक सुझाव

1. सर्दी के मौसम में पशुओं को ठंड, ओस एवं कोहरे से बचाने के उपाय करने चाहिए। इसके लिए पशुओं को गर्म स्थान पर जैसे छत के नीचे या घास–फूस की छप्पर के नीचे रखना चाहिए। रात में पशुओं को कभी भी खुले में नहीं बाँधना चाहिए। फर्श गीले व ठंडे नहीं रहने चाहिए। ठंड से बचाव हेतु फर्श पर पुआल बिछा कर रखना चाहिए
2. धूप निकलने की स्थिति में पशुओं को खुले धूप में बाँधें। क्योंकि सूर्य की किरणों में जीवाणु एवं विषाणु को नष्ट करने की बहुत क्षमता होती है तथा विटामिन 'डी' की प्राप्ति होती है।
3. अधिक ठंड होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के लिए शरीर पर कपड़ा या जूट की बोरी बाँध दें. पशुगृह को गर्म रखने के लिए अलाव/धुआं इत्यादि का प्रयोग अत्यन्त सावधानी से करना चाहिए ताकि आगजनी की समस्या न हो
4. पशुओं को नियमित व्यायाम करायें। रोगी, कमजोर, गर्भित और अपाहिज पशुओं को टहलाकर तथा स्वस्थ एवं व्यस्क पशुओं को हल्का सा तेज दौड़ाकर व्यायाम कराना चाहिए। इससे पशुओं के सभी अंगों में रक्त संचार सुधरती है
5. उन्हें स्वच्छ एवं ताजा पानी, जो अत्यधिक ठंडा न हो, पीने को दें।
6. ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उनका शरीर गर्म रखा जाए तथा उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर संतुलित भोजन दिया जाए।
7. खुरहा–मुंहपका रोग, गलाघोंटू, लंगड़ी, पी.पी.आर., बकरी/भेड़ चेचक आदि रोगों से बचाव हेतु टीके, यदि अभी तक नहीं लगवाए हो तो, कृपया समय रहते अवश्य लगवा ले
8. अंतः एवं बाह्य परजीवियों से बचाव हेतु उचित कृमिनाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए।
9. इस मौसम में जुकाम, निमोनिया (फेफड़ों में) और खाँसी से संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से यथाशीघ्र परामर्श लेकर उचित औषधी पशुओं को देना चाहिए
10. दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए दूध पूरा व मुट्ठी बाँध कर निकाले और दूध दुहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक (फिटकिरी, लाल पोटाश) घोल से धो लेना चाहिए।
11. पशुओं को नमक एवं खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या चारे में मिलाकर दें।
12. सर्दियों के मौसम में दलहनी किस्म का हरा चारा जैसे बरसीम, ल्यूसर्न, जई आदि स्वादिष्ट चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। इसलिए इन्हें पशुओं को पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। शुष्क पदार्थ का एक तिहाई भाग हरा चारा होना चाहिए. महंगा दाने की मिश्रण की मात्रा को दलहनी किस्म के हरे चारे के प्रयोग से कम किया जा सकता है। हरे चारे की मात्रा एक निश्चित अनुपात में ही खिलाना चाहिए. अत्यधिक मात्रा में हरा चारा देने से पशुओं में दस्त, अफारा इत्यादि की समस्या हो सकती है
13. पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा अगर बचा हुआ हो तो उसे धूप में सुखाकर सूखी घास 'हे' के रूप में संरक्षित कर लें. यह हरे चारे की अनुपलब्धता में इस्तेमाल किया जा सकता है।
14. पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए। दाने में अनाज, खल तथा भूसी की समान मात्रा मिलाए. खल में मूंगफली की खल का प्रयोग करना चाहिए. दाने में 10 प्रतिशत शीरा का प्रयोग करना चाहिए।
15. सर्दी में अक्सर अधिकतर भैंसें गर्म हो जाती हैं, इसे उचित समय पर गर्भाधान करायें।

श्रोतः पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अनुलग्नक – (22) **नाव दुर्घटना से बचने के उपाय– सवारी करने वालों, नाविकों, नाव मालिकों एवं जिला प्रशासन हेतु**

नाव दुर्घटना से बचने के उपाय

नाव की सवारी करने वाले ध्यान दें

- जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो, उसी नाव से यात्रा करें।
- जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान हो, उसी नाव से यात्रा करें।
- किसी भी स्थिति में ओवर लोडेड नाव पर न बैठें
- नाव चलाने के पहले देख लें कि लदान क्षमता दर्शाने वाली सफेद पट्टी का निशान डूबा तो नहीं है अगर डूबा है तो तुरन्त उतर जाएं।
- तेज हवा/खराब मौसम/आँधी–तूफान एवं बारिश में नाव की यात्रा न करें।
- छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
- जिस नाव पर जानवर ढोये जा रहे हों, उसमें यात्रा न करें।
- जर्जर/टूटी–फूटी नाव पर सवारी न करें यह जानलेवा हो सकता है
- जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाईफ जैकेट, लाईफ बॉय, एवं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एवं रस्सा आदि ठीक तरीके से रखे हो उसी नाव से यात्रा करें।
- नाव में यात्रा के दौरान शान्त बैठे व उतरते–चढ़ते समय क्रम से ही नाविक के निर्देशानुसार उतरें व चढ़ें।
- सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा न करें। यह खतरनाक हो सकता है।
- नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दीबाजी न दिखाएं और नाविक के ऊपर किसी तरह का दबाव न डालें।

नाविक एवं नाव मालिक ध्यान दें

- तेज हवा/खराब मौसम/आँधी/तूफान एवं बारिश में नाव का संचालन न करें।
- जिस नाव पर 15 से 30 लोग तक सवारी बैठती हो उस नाव पर 2 नाविक का होना अनिवार्य है। 30 से ऊपर बैठाने वाली बड़ी नाव पर 3 नाविकों का होना अनिवार्य है
- बीमार व्यक्तियों/गर्भवती महिलाओं को नाव पर चढ़ाने में प्राथमिकता दें।
- किसी नाबालिग को किसी भी दशा में नाव संचालन न करने दें।
- नाव पर किसी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकें।
- जिस नाव में जानवर ढोया जा रहा हो उस नाव में जानवर के मालिक के अलावा अन्य सवारी न बैठाएं।
- किसी भी तरह की नाव चाहे, उस पर सवारी ढोयी जा रही हो अथवा जानवर या सामान, सभी नाव का पंजीकरण कराना एवं उस पर लदान क्षमता का निशान लगाना अनिवार्य है।
- नाव पर ऐसा कोई भी सामान या खतरनाक सामग्री, साँप आदि नहीं ढोया जाएगा जिससे अन्य यात्रियों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो।
- नाव से पानी निकालने/उलीचने के लिए नाव में आवश्यक बर्तन रखें।
- रात में नाव का परिचालन न करें। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त कर विशेष रोशनी के साथ परिचालन करें।
- मानसून अवधि में सूर्योदय के पूर्व एवं 6:30 बजे शाम के बाद नाव का परिचालन न करें।

जिला प्रशासन ध्यान दें।

- बिना निबंधन के कोई भी नाव चाहे वह किसी भी उद्देश्य (व्यावसायिक/गैरव्यावसायिक) के लिए प्रयोग की जा रही हो, उसका परिचालन गैर कानूनी है। बगैर निबंधन के नाव का परिचालन नहीं होने दें।
- नावों में अलग से डीजल इंजन/मशीन बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है। इसे सुनिश्चित किया जाए।
- घाटों पर प्रशिक्षित नाविकों, गोताखोरों एवं नजदीकी पुलिस थाना एवं जिला प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों का फोन नम्बर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराया जाए।
- सुनिश्चित किया जाय कि नावों पर इसकी क्षमता तथा सफेद पट्टी का निशान हर हाल में अंकित रहे ताकि यात्री समझ सकें कि नाव में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है।
- नाव संचालन के संबंध में बिहार बंगाल नौ-घाट अधिनियम, 1885 के अधीन अधिसूचित नियमावली, 2011 के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- मॉनसून अवधि में सूर्योदय के पूर्व एवं 5:30 बजे शाम के बाद नाव के परिचालन पर रोक लगा दी

अनुलग्नक–(23) नदियों/तालाबों में डूबने की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु जिला प्रशासन एवं राज्य की जनता को जरूरी सलाह

नदियों/तालाबों में डूबने की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु जिला प्रशासन एवं राज्य की जनता को जरूरी सलाह।

- खतरनाक घाटों के किनारे न स्वयं जायें न ही बच्चों को जाने दें।
- बच्चों को नदी/तालाबों/गंदे पानी के बहाव में स्नान करने से रोकें।
- बच्चों को पुल/पुलिया/ऊँचे टीलों से पानी में कूद कर स्नान करने से रोकें।
- यदि बहुत आवश्यक हो तो नदी के किनारे जायें, परन्तु नदी में उतरते समय गहराई का ध्यान रखें।
- यदि तैरना जानते हों तभी नदियों/तालाबों/घाटों के किनारे जाएं।
- डूबते हुए व्यक्ति को डंडा, साड़ी, रस्सी या बांस की सहायता से बचायें। तैरना नहीं जानते हों तो पानी में न जाएं और सहायता के लिए अन्य लोगों को पुकारें।
- गाँव/टोले में डूबने की घटना होने पर आस-पास के लोग आपस में एकत्रित होकर ऐसी दुःखद घटना की चर्चा अवश्य करें। किस कारण से इस तरह की घटना हुई और क्या उपाय किया जाए कि इस तरह की घटना फिर कभी न हो आदि।

डूबे हुए व्यक्ति को पानी से निकाल कर तत्काल प्राथमिक उपचार निम्न प्रकार करें :–

- सबसे पहले देख लें कि डूबे हुए व्यक्ति के मुँह व नाक में कुछ फंसा तो नहीं है, यदि है तो उसे निकालें।
- नाक व मुँह पर उँगलियों के स्पर्श से जाँच कर लें कि डूबे हुए व्यक्ति की साँस चल रही है।
- नब्ज की जाँच करने के लिए गले के किनारे के हिस्सा में उँगलियों से छूकर जानकारी प्राप्त करें कि नब्ज चल रही है कि नहीं।
- नब्ज या साँस का नहीं पता चलने पर डूबे हुए व्यक्ति के मुँह से मुँह लगाकर दो बार भरपूर साँस दें व 30 बार छाती के बीच में दबाव दें तथा इस विधि को 3–4 बार दुहराएँ। ऐसा करने से धड़कन वापस आ सकती है व साँस चलना शुरू हो सकता है।
- देख लें कि डूबे हुए व्यक्ति का पेट यदि फूला हुआ है तो पूरी संभावना है कि उसने पानी पी लिया है। अतः नीचे दी गई विधि से पेट से पानी निकालने कि प्रक्रिया शुरू करें।
- डूबे हुए व्यक्ति को पेट के बल सुलाएँ। पेट के नीचे तकिया या छोटा घड़ा जैसा सामान जो भी उपलब्ध हो उसे लगा दें। अन्यथा किसी स्वस्थ व्यक्ति को पहले पेट के बल सुलाएँ तथा उसके ऊपर डूबे हुए व्यक्ति को इस तरह सुलाएँ कि उसका पेट नीचे वाले हुए व्यक्ति की पीठ पर पड़े। इसके बाद पीठ के निचले हिस्से पर धीरे–धीरे दबाकर पानी बाहर निकालें।
- डूबे हुए व्यक्ति को पुनः उठाकर पीठ के सहारे सुलाएँ तथा आराम करने दें।
- मूर्छा या बेहोशी आने पर पुनः साँस देने व छाती में दबाव देने की प्रक्रिया शुरू करें।
- उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाए गए व्यक्ति को अविलम्ब नजदीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाएँ।
- डॉक्टर या प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर जो भी साधन उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें या 108/102 पर फोन कर एम्बुलेन्स बुला लें।

स्रोत : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(2016)

अनुलग्नक–(24) भगदड़/भीड़ में क्या करें– क्या न करें ?

भगदड़/भीड़ में क्या करें– क्या न करें ?

क्या करें ?	क्या न करें ?
▪ मेले में सजग–[illegible] रहें	▪ अनावश्यक रूप से एक स्थान पर भीड़ न लगाएँ।
▪ यदि आप परिवार या समूह के साथ हैं तो किसी आपात स्थिति में स्थान सुनिश्चित कर लें। एक दूसरे का फोन नम्बर साथ रखें।	▪ निर्धारित स्थल पर मिलने की योजना बनाना न भूलें तथा योजना की जानकारी सबों को दें।
▪ भगदड़ के समय संयम–पूर्ण व्यवहार करें।	▪ घबराएँ नहीं।
▪ यदि आप छोटे बच्चों को मेले में लेकर जा रहे हैं तो उनके जेब या गले में घर का पता एवं फोन नं. जरूर डाल दें।	▪ छोटे बच्चों का हाथ छोड़ें नहीं। पहने हुए कपड़े का रंग भूलें नहीं
▪ मेले में बहुमूल्य सामानों की रक्षा स्वयं करें।	▪ पॉकेट या पर्स में अपना नाम एवं मोबाईल/फोन नं. लिख कर रखना न भूलें।
▪ बिजली के तारों और उपकरणों से दूर रहें।	▪ बिजली के तारों को न छुएँ एवं खुले तारों से दूर रहें।
▪ किसी भी आपात स्थिति में तत्काल नजदीकी नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क करें।	▪ मेले में किसी भी प्रकार का अफवाह न फैलाएँ।
▪ मेले में प्रशासन की घोषणा सुनें और उसी के अनुरूप व्यवहार करें।	▪ धूम्रपान/आतिशबाजी नहीं करें।

अनुलग्नक – (25) दशहरा/दुर्गापूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य बातें :

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

दशहरा/दुर्गापूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य बातें

जिला प्रशासन : (क्या करें)	
मेले में आगमन एवं निकास की समुचित व्यवस्था (पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग तथा आवश्यकता बेरिकेडिंग की व्यवस्था।	बिजली के तारों एवं उपकरणों में सुरक्षा के पूर्ण उपायों की व्यवस्था। आग से बचाव की समुचित व्यवस्था ।
मेले के सुचारु रूप से संचालन के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना/लाउड स्पीकर से लगातार आवश्यक सूचनाओं की घोषणा।	मेला स्थल पर पार्किंग की समुचित एवं सुचारू व्यवस्था। मेला स्थल पर समुचित रोशनी की व्यवस्था
चिकित्सा दल एवं एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था।	विसर्जन में प्रयुक्त नावों में सुरक्षा संबंधी उपाय एवं गोताखोरों की व्यवस्था।
दुर्गा पूजा के अवसर पर विसर्जन हेतु घाटों एवं स्थलों को चिन्हित कर लिया जाय।	विसर्जन क्रमबद्ध रूप से कराया जाए।
मेला या विसर्जन स्थल पर पटाखा आदि का इस्तेमाल न हो।	

जिला प्रशासन : (क्या न करें)	
भीड़ को एक जगह एकत्रित न होने दें।	बिजली एवं उपकरणों के पास लोग को न जाने दें।
एक ही ओर से भीड़ को आने और जाने न दिया जाय।	किसी भी प्रकार की अराजकता न फैलने दिया जाय।
मेले में किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलने दिया जाए।	मूर्ति विसर्जन के समय नावों में निर्धारित/क्षमता से ज्यादा लोगों को न बैठने दिया जाय

सामान्य नागरिक : (क्या करें)	
मेले में चलते-फिरते रहें, अनावश्यक रूप से एक स्थान पर भीड़ न लगाएं। भगदड़ के समय संयम पूर्ण व्यवहार करें और घबराएं नहीं	यदि आप परिवार या समूह के साथ हैं तो किसी आपात स्थिति में मेला क्षेत्र के बाहर मिलने का एक स्थान सुनिश्चित कर लें। एक दूसरे का फोन नंबर साथ रखें
यदि आप छोटे बच्चों को मेले में लेकर जा रहे हैं तो उनके जेब में (या गले में लॉकेट की तरह) घर का पता और फोन नंबर अवश्य रख दें।	मेले में अपने बहुमूल्य सामानों की रक्षा स्वयं करें। बिजली के तार और उपकरण से दूर रहें।
किसी भी आपात स्थिति में तत्काल नियंत्रण कक्ष में संपर्क करें	मेले में प्रशासन की ओर से की जाने वाली घोषणाओं को ध्यान से सुनें और उसके अनुसार व्यवहार करें।

सामान्य नागरिक : (क्या न करें)	
मेले में किसी प्रकार की अफवाह न फैलाएं और न ही उन पर ध्यान दें।	मेले में साथ लाये बच्चों को अकेला न छोड़ें न ही उन्हें इधर-उधर जाने दें।
दुर्गा पूजा पर मूर्ति विसर्जन में तैराकी न जानने वाले पानी की भीतर न जाएं।	मेले में किसी भी प्रकार के पटाखे/ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएं तथा धूम्रपान न करें
मेले में किसी भी प्रकार की अराजकता न फैलाएं।	

स्रोत : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (2016)

अनुलग्नक – (26) छठ पूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव :

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
छठ पूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव

सामान्य नागरिक : (क्या करें)	सामान्य नागरिक : (क्या न करें)
• निर्धारित मार्गों पर ही चलें और गाड़ियाँ निर्धारित स्थानों पर ही पार्क करें।	• अफवाह न फैलाएँ न उन पर विश्वास करें।
• यदि आप छोटे बच्चों को छठ पर्व में घाटों पर लेकर जा रहे हैं तो उनके जेब में (या गले में लॉकेट की तरह) नाम का पता एवं फोन नंबर अवश्य रख दें।	• बैरिकेडिंग को न पार करें और खतरनाक घाटों की ओर या गहरे पानी में न जाएं।
• बच्चों/महिलाओं/बुजुर्गों के पास अपने घर का पता और फोन नंबर अवश्य हो।	• छठ पूजा क्षेत्र में कहीं भी आतिशबाजी न करें।
• समस्या होने पर अधिकृत पदाधिकारियों/स्वयं सेवकों से ही सम्पर्क करें। अगर आवश्यक हो तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें।	• किसी भी प्रकार की गन्दगी न फैलाएँ।
प्रशासन : (क्या करें)	
• सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करें।	• खतरनाक घाटों का चिन्हितिकरण एवं बैरिकेडिंग करें ताकि श्रद्धालु वहाँ न जाएं।
• घाटों की अच्छी प्रकार से सफाई हो।	• घाट पर जाने वाले रास्तों की समुचित साफ–सफाई हो।
• घाटों पर साफ पेयजल की व्यवस्था हो।	• मार्गों का चिन्हिकरण/समतलीकरण किया जाए।
• मार्ग एवं घाटों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था हो	• बिजली के जर्जर तारों को बदल दिया जाये एवं अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
• पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से भीड़ का नियंत्रण एवं अन्य सूचनाओं का प्रसारण किया जाए।	• छठ पर्व में तैनात विभिन्न महत्वपूर्ण एजेंसीज के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान के लिए अलग–अलग रंग के जैकेट की व्यवस्था हो
• नहाय–खाय के दिन से ही निजी नावों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध हो।	• आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो।
• अग्निशाम की गाड़ियों की तैनाती पहले से ही संवेदनशील स्थानों पर की जाए।	• छठ पूजा समितियों के स्वयं–सेवकों का सहयोग लिया जाए।
• सरकारी/निजी अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निबटने की व्यवस्था हो।	• घाटों पर गोताखोरों एवं एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. टीमों की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति की जाए।
• घाटों पर विभिन्न स्थानों पर 'हेल्पलाइन नंबर' का प्रदर्शन किया जाए।	स्रोत : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (2018)

अनुलग्नक –(27) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ) द्वारा निर्धारित साहाय्य मनादर के अनुरूप साहाय्य मुहैय्या करने के संबंध में :

1973

पत्रांक 1प्रा0आ0–17/2015/......./आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 26/5/15

विषयः **वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस0डी0आर0एफ0 एंव एन0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य मुहैय्या कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), जयसिंह रोड, नई दिल्ली के पत्रांक 32–7/2014–एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 के द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (एस0डी0आर0एफ0) तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पौंस फंड (एस0डी0आर0एफ0) से वर्ष 2015–2020 तक अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं तथा राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक–17.04.15 द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा मानदर निर्धारित किया गया है। इसमें माह फरवरी एवं मार्च 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति को भी सम्मिलित करते हुए नये मानदर के अनुसार अनुमान्य भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

2. उपर्युक्त संशोधित मानदर पर राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 32–7/2014–एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित निम्नांकित सहाय्य मानदर को दिनांक 01.04.2015 से राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। ***यह मानदर दिनांक 01.04.2015 तथा उसके उपरान्त घटित प्राकृतिक आपदाओं तथा माह फरवरी एवं मार्च 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति के लिए लागू होगा।***

क्र0 सं0	मद का नाम/ITEM	भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014/एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानदर/ **Norms of Assistance**
1	**GRATUITOUS RELIEF/ अनुग्रह अनुदान:–**	
	a) Ex-Gratia payment to families of deceased persons	**Rs.4.00 lakh** per deceased person including those involved in relief operations or associated in preparedness activities, subject to certification regarding cause of death from appropriate authority.
	(क) मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	₹ 4.00 लाख प्रति मृतक (राहत कार्यो एवं तैयारी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों की मृत्यु सहित), बशर्ते सक्षम प्राधिकार द्वारा मृत्यु के कारणों का प्रमाणीकरण (Certification) किया गया हो।
	b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eye(s).	**Rs. 59,100/-** per person, when the disability is between 40% and 60%. **Rs. 2.00 Lakh** per person, when the disability is more than 60%. Subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding extent and cause of disability.
	(ख) हाथ–पैर या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	**₹ 59,100.00 प्रति व्यक्ति** (जब विकलांगता 40 से 60 प्रतिशत के बीच हो) **₹ 2.00 लाख प्रति व्यक्ति** (जब विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो) बशर्ते सरकारी अस्पताल/डिस्पेंसरी के द्वारा विकलांगता के सीमा एवं कारण का प्रमाणीकरण किया गया हो।
	c) Grievous injury requiring hospitalization	**Rs 12,700/-** per person requiring hospitalization for more than a week. **Rs. 4,300/-** per person requiring hospitalization for less than a week
	(ग) गंभीर चोट जिसके चलते हॉस्पीटल में भर्ती होना पड़े।	**₹ 12,700 प्रति व्यक्ति** (एक सप्ताह से अधिक हॉस्पिटल में भर्ती रहने पर) **₹ 4,300 प्रति व्यक्ति** (एक सप्ताह से कम हॉस्पिटल में भर्ती रहने पर)
	d) Clothing and utensils/ house-hold goods for families whose houses have been washed away/ fully damaged/severely inundated for more than a week due to a natural calamity.	**Rs.1,800/-** per family, for loss of clothing. **Rs.2,000/-** per family, for loss of utensils/ household goods

	(घ) जिन परिवारों का वस्त्र एवं बर्तन/घरेलु सामान बह गया हो/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुआ हो/ गंभीर रूप से एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जलप्लावित रहा हो।	**₹ 1,800.00 प्रति परिवार वस्त्र की क्षति के लिए** **₹ 2,000.00 प्रति परिवार बर्त्तन/घरेलु सामान की क्षति के लिए**
	e) Gratuitous relief for families whose livelihood is seriously affected.	**Rs.60** per adult and **Rs. 45** per child, not housed in relief camps. State Govt. will certify that (i) these persons have no food reserve, or their food reserves have been wiped out in the calamity, and (ii) identified beneficiaries are not housed in relief camps. Further State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries district-wise. Period for providing gratuitous relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will upto to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/ pest attack. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year.
	(ङ) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान।	**₹ 60.00 प्रति व्यस्क एवं ₹ 45.00 प्रति बच्चा जो राहत शिविर में नहीं है।** राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि चिन्हित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रहे हैं। साथ ही, राज्य सरकार वैसे लाभार्थियों तक जिलावार पहुँचने के लिए आधार एवं प्रक्रिया तय करेगी। ➢ अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने की समय सीमा एस०डी०आर०एफ० के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा तथा एन०डी०आर०एफ० के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार तय होगी। ➢ सामान्य स्थिति में सहायता 30 दिनों के लिए दिया जा सकता है जिसे जरूरत पड़ने पर पहली बार 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा सूखा/ कीट आक्रमण के मामले में आवश्यकतानुसार इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस०डी०आर०एफ० के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना

		widespread devastation caused by earthquake or flood etc., this period may be extended to 60 days, and upto 90 days in cases of severe drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year. Medical care may be provided from National Rural Health Mission (NRHM).
	(क) आपदा प्रभावित / निष्कासित / राहत शिविरों में आश्रय लिए लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था।	30 दिनों तक के लिए एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा राहत शिविरों की संख्या, उनकी अवधि एवं शिविर में लोगों की संख्या निर्दिष्ट किया जाएगा। सूखे की तरह निरंतर आपदा की स्थिति / भूकम्प / बाढ से बडे पैमाने की तवाही की स्थिति में सहाय्य की अवधि 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा गंभीर सूखे के मामले में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए। चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) द्वारा दिया जा सकता है।
	b) Air dropping of essential supplies	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - The quantum of assistance will be limited to actual amount raised in the bills by the Ministry of Defence for airdropping of essential supplies and rescue operations only.
	(ख) आवश्यक राहत सामग्रियों का वायुयान के माध्यम से वितरण।	➢ एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । ➢ सहायता की मात्रा (Quantum) सिर्फ आवश्यक आपूर्ति हेतु air dropping और सिर्फ बचाव कार्य में प्रयुक्त वायुसेना / अन्य एयरक्राफ्ट प्रदान करने वाले के वास्तविक बिल तक ही सीमित रहेगी।
	c) Provision of emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas	As per actual cost, based on assessment of need by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF), up to 30 days and may be extended upto 90 days in case of drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time

		period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year.
	(ग) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पेय जलापूर्ति	एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । 30 दिनों के लिए और सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए।
4	**CLEARANCE OF AFFECTED AREAS/ प्रभावित क्षेत्रों की सफाई**	
	a) Clearance of debris in public areas.	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team for assistance to be provided under NDRF
	(क) सार्वजनिक क्षेत्रों में मलवा की सफाई	सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।
	b) Draining off flood water in affected areas	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team(in case of NDRF).
	(ख) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल की निकासी	सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।
	c) Disposal of dead bodies/ Carcases	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).
	(ग) मानव शवों / एवं मृत पशुओं का निष्पादन।	वास्तविकता के अनुरूप एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।
5	**AGRICULTURE/ कृषि**	
(i)	**Assistance farmers having landholding upto 2 ha ./ 2**	

	हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि धारक कृषकों को साहाय्य।	
I	**Assistance for land and other loss/ भूमि एवं अन्य क्षति हेतु सहाय्य**	
	a). De-silting of agricultural land (where thickness of sand/ silt deposit is more than 3", to be certified by the competent authority of the State Government.)	**Rs. 12,200/-** per hectare for each item. (Subject to the condition that no other assistance/ subsidy has been availed of by/ is eligible to the beneficiary under any other Government Scheme)
	b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas	
	c) De-silting/ Restoration/ Repair of fish farms	
	(क) कृषि योग्य भूमि का डिसिल्टिंग (जहाँ बालू/सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो)	₹ 12,200.00 प्रति हेक्टर प्रत्येक मद के लिए (बशर्ते कि किसी सरकार के किसी अन्य योजना द्वारा सहायता पाने योग्य न हों या सहायता / सब्सिडी न प्राप्त कर लिया हो)
	(ख) पहाड़ी क्षेत्रों के कृषि योग्य भूमि से डेबरिस (मलवा) हटाने के लिए	
	(ग) मछली फार्मों का डिसिल्टिंग / पुनर्स्थापना / मरम्मति	
	d) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers.	**Rs. 37,500/-** per hectare to only those small and marginal farmers whose ownership of the land is legitimate as per the revenue records.
	(घ) भूस्खलन / बर्फ का पहाड़ से खिसकना, नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भूमि के बड़े हिस्से की क्षति।	₹ 37,500.00 प्रति हेक्टर सहायता उन्हीं लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रदान किया जाएगा, जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रभावित भूमि के वैध मालिक हैं।
B	**Input subsidy (where crop loss is 33% and above)/ इनपुट सब्सिडी (जहाँ फसल क्षति 33%) या उससे अधिक हुआ हो।)**	
	a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	**Rs. 6,800/-** per ha. in rainfed areas and restricted to sown areas. **Rs. 13,500/-** per ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs.1000 and restricted to sown areas.
	(क) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (Horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल आदि के लिए	₹ 6,800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित। ₹ 13,500/– प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 1000/–रू0 से कम नहीं दी जाएगी ।

	b) Perennial crops	**Rs. 18,000/-** ha. for all types of perennial crops subject to areas being sown and subject to minimum assistance not less than Rs 2000/- and restricted to sown areas
	(ख) शाश्वत फसल (Perennial crops) के लिए	₹ 18,000/– प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 2000/–रू0 से कम नहीं दी जाएगी । बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित।
	c) Sericulture	**Rs. 4,800/-** per ha. for Eri, Mulberry, Tussar **Rs. 6,000/-** per ha. for Muga.
	(ग) सेरीकल्चर (रेशम) के लिए	₹ 4,800/– प्रति हेक्टेयर "इरी" "मलबेरी" एवं "तसर" के लिए ₹ 6,000/– प्रति हेक्टेयर मूंगा के लिए
(ii)	**Input subsidy to farmers having more than 2 ha of landholding.**	**Rs.6,800/-** per hectare in rainfed areas and restricted to sown areas. **Rs.13,500/-** per hectare for areas under assured irrigation and restricted to sown areas **Rs. 18000/-** per hectare for all types of perennial crops and restricted to sown areas - Assistance may be provided where crop loss is 33% and above, subject to a ceiling of 2 ha. per farmer.
(ii)	कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि उपलब्ध हो।	₹ 6,800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 13,500/– प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 18,000/– प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। 33 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 2 हेक्टेयर प्रति कृषक।
6	**ANIMAL HUSBANDRY - ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS/ पशुपालन – लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता**	
	i) Replacement of milch animals, draught animals or animals used for haulage.	***Milch animals -*** **Rs.30,000/-** Buffalo/ cow/ camel/ yak/Mithun etc. **Rs.3,000/-** Sheep/ Goat/Pig

		Draught animals - **Rs.25000/-** Camel/ horse/ bullock, etc. **Rs.16,000/-** Calf/ Donkey/ Pony/ Mule - The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals and will be subject to a ceiling of 3 large milch animal or 30 small milch animals or 3 large draught animal or 6 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government). ***Poultry:-*** Poultry **@ 50/- per bird** subject to a ceiling of assistance of **Rs 5000/-** per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity. *Note:* - Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners.
	i) अदुग्धकारी / दुग्धकारी या ढुलाई के कार्यों में उपयोग में आने वाले पशुओं का प्रतिस्थापन।	दूध देने वाला जानवर भैंस / गाय / ऊँट / याक / मिथुन इत्यादि ₹ 30,000/- की दर से भेंड़ / बकरी ₹ 3,000/- की दर से अदुग्धकारी जानवर ऊँट / घोड़ा / बैल इत्यादि ₹ 25,000 की दर से बछड़ा / गदहा और टट्टू ₹ 16,000 की दर से सहाय्य आर्थिक रूप से उत्पादक जानवरों की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी और यह 3 बड़े अदुग्धकारी जानवर या 30 छोटे अदुग्धकारी जानवर या 3 बड़े अदुग्धकारी जानवर या 6 छोटे अदुग्धकारी जानवर प्रति परिवार तक सीलिंग के अंतर्गत होगी। चाहे जानवरों की क्षति की संख्या बड़ी क्यों न हो (क्षति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी) पॉल्ट्री ₹ 50/– प्रति चिड़ियों की दर से यह सहायता प्रत्येक लाभुक परिवारों को 5000/– रू0 की अधिकतम सीमा

		के अंतर्गत। पॉल्ट्री चिड़ियों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होने पर अनुदान देय होगा। **टिप्पणी**:– इन मानदरों के अंतर्गत सहाय्य अनुमान्य नहीं होगा यदि किसी अन्य सरकारी योजना यथा चिड़ियों की क्षति पक्षी इन्फ्लुएंजा के कारण या किसी अन्य बीमारियों के कारण हुई हो जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा पॉल्ट्री मालिको को क्षति पूर्ति करने हेतु कोई अलग योजना हो।
	ii) Provision of fodder / feed concentrate water Supply and medicines in cattle camps.	Large animals- **Rs. 70/-** per day Small animals- **Rs. 35/-** per day, Period for providing relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period for assistance will be upto 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance and in case of severe drought up to 90 days. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit, subject to the stipulation that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year. Based on assessment of need by SEC and recommendation of The Central Team, (in case of NDRF) consistent wih estimates of cattle as per Livestock Census and subject to the certificate by the competent authority about the requirement of medicine and vaccine being calamity related.
	ii) पशु शिविरों में पशुचारा/feed concentrate सहित जलापूर्ति एवं औषधि हेतु।	बड़ा पशु ₹ 70/– प्रतिदिन की दर से । छोटा पशु ₹ 35/– प्रतिदिन की दर से । साहाय्य प्रदान करने हेतु समय सीमा राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा एवं केन्द्रीय दल द्वारा (एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु) आंकलन किया जाएगा। सहायता के लिए सामान्य अवधि 30 दिनों की होगी जिससे पहली बार में 60 दिनों तक एवं गंभीर सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है। जमीनी स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारिणी समिति समय सीमा का अवधि विस्तार कर सकती है। कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा जरूरत के आकलन एवं केन्द्रीय दल की सिफारिश (एन0डी0आर0एफ0 के मामले

		में) पशुधन की गणना के अनुसार एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के अनुसार आवश्यक दवा एवं टीकाकरण संबंधित आपदा के अनुरूप दिया जायेगा।
	iii) Transport of fodder to cattle outside cattle camps	As per actual cost of transport, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census.
	iii) पशु शिविर के बाहर पशुचारे का परिवहन	वास्तविक परिवहन लागत के अनुरूप, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन०डी०आर०एफ० से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा अनुशंसा किया जाएगा । यह अनुदान पशु गणना के आकलन पर आधरित होगा।
7	**FISHERY/ मत्स्य पालन**	
	i) Assistance to Fisherman for repair / replacement of boats, nets – damaged or lost -- Boat -- Dugout-Canoe -- Catamaran -- net (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme.)	**Rs. 4,100/-** for repair of partially damaged boats only **Rs.2,100/-** for repair of partially damaged net **Rs.9,600/-** for replacement of fully damaged boats **Rs.2,600/-** for replacement of fully damaged net
	(i) मछुआरों के लिए नाव, जाल, आदि का मरम्मती / पुर्नस्थापन– क्षतिग्रस्त या खो जाने पर – • नाव • डोंगी • कटमरैन • जाल (यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अच्छादित है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा।)	₹ 4,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव के लिए ₹2,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल के लिए ₹ 9,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नाव के प्रतिस्थापन के लिए ₹ 2,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन के लिए

	ii) Input subsidy for fish seed farm	**Rs. 8,200** per hectare. (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme, except the one time subsidy provided under the Scheme of Department of Animal; Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture.)
	(ii) मछली जीरा फार्म के लिये इनपुट सब्सिडी	₹ 8,200/- प्रति हेक्टर (यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अनुदान/सहायता प्राप्त कर लिए है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा। अपवाद –यदि किसी ने एक बार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय के योजना के तहत एक बार अनुदान प्राप्त किया है।)
8	**HANDICRAFTS/HANDLOOM - ASSISTANCE TO ARTISANS/** हस्तशिल्प/ हस्तकरघा– कारीगरों के लिए सहायता	
	i) For replacement of damaged tools/ equipment	**Rs. 4,100** per artisan for equipments. - Subject to certification by the competent authority designated by the Government about damage and its replacement.
	(i) क्षतिग्रस्त उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए	₹ 4,100/– प्रति शिल्पी बशर्तें यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो।
	ii) For loss of raw material/ goods in process/ finished goods	**Rs. 4,100** per artisan for raw material. - Subject to certification by Competent Authority designated by the State Government about loss and its replacement.
	(ii) कच्चे माल/ प्रकियाधिन माल/ तैयार माल के क्षति के लिए	₹ 4,100/– प्रति शिल्पी कच्चे माल के लिए बशर्त्तें यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो।
9	**HOUSING/ अवास/मकान**	
	a) **Fully damaged/ destroyed houses**	
	i) Pucca house ii) Kutcha House	**Rs. 95,100/-** per house, in plain areas. **Rs. 95,100/- प्रति मकान, मैदानी क्षेत्रों के लिए**
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान	**Rs.1,01,900/-** per house, in hilly areas

	(i) पक्का मकान (ii) कच्चा मकान	including Integrated Action Plan (IAP) districts. **Rs.1,01,900/- प्रति मकान, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, आई०ए०पी० जिलो सहित**
	b) **Severely damaged houses**	
	i) Pucca House ii) Kutcha House	
	(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) पक्का मकान (ii) कच्चा मकान	
	(c) **Partially Damaged Houses -**	
	(i) Pucca (other than huts) where the damage is a at least 15%	**Rs. 5,200/-** per house
	(ii) Kutcha (other than huts) where the damage is a at least 15%	**Rs. 3,200/-** per house
	(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान ।	
	(i) पक्का (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो	₹ 5,200/– प्रति मकान
	(ii) कच्चा (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो	₹ 3,200/– प्रति मकान
	d) **Damaged / destroyed huts:**	**Rs. 4,100/-** per hut, *(Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/ District authorities.)* *Note:* -The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government
	(घ) क्षतिग्रस्त /बर्बाद झोपड़ी	₹ 4,100/– प्रति झोपड़ी (झोपड़ी का मतलब– अस्थायी, बनाकर हटाने वाला ईकाई, कच्चा मकान का आंतरिक भाग, फूस, गीली मिट्टी, प्लास्टिक शीट्स से बना राज्य/ जिला के अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दिखने, पहचानने और जानने योग्य झोपड़ी है) टिप्पणी: क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित एक प्राधिकृत संरचना होनी चाहिए।
	e) Cattle shed attached with house	**Rs.2,100/-** per shed.
	(ङ) घर के साथ संलग्न पशु शेड	₹ 2,100/– प्रति पशु शेड

10	**INFRASTRUCTURE/ अधारभूत संरचना**	
	Repair/restoration (of immediate nature) of damaged infrastructure: (1) Roads & bridges (2)Drinking Water Supply Works, (3) Irrigation, (4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5) Schools, (6) Primary Health Centres, (7) Community *assets owned by Panchayat.* Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/ restoration works from their own funds/ resources, are excluded.	**Activities of immediate nature :** Illustrative lists of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed **Appendix.** ***Assessment of requirements :*** Based on assessment of need, as per States' costs/ rates/ schedules for repair, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - As regards repair of roads, due consideration shall be given to Norms for Maintenance of Roads in India, 2001, as amended from time to time, for repairs of roads affected by heavy rains/floods, cyclone, landslide, sand dunes, etc. to restore traffic. For reference these norms are • Normal and Urban areas: upto 15% of the total of Ordinary Repair (OR) and Periodical Repair (PR) • Hills: upto 20% of total of OR and PR. • In case of repair of roads, assistance will be given based on the notified Ordinary Repair (OR) and Periodical Renewal (PR) of the State. In case OR & PR rate is not available, then assistance will be provided @ Rs 1 lakh/km for state Highway and Major District Road and @Rs. 0.60 lakh/km for rural road. The condition of "State shall first use its provision under the budget for regular maintenance and repair" will no longer be required, in view of the difficulties in monitoring such stipulation, though it is a desirable goal for all the States. • In case of repairs of Bridges and Irrigation works, assistance will be given as per the schedule of rates notified by the concerned States. Assistance for micro irrigation scheme will be provided @ Rs. 1.5 lakh pe damaged scheme. Assistance for restoration of damaged medium and large irrigation projects will also be given for the embankment portions, on par with the case

		of similar rural roads, subject to the stipulation that no duplication would be done with any ongoing schemes. • Regarding repairs of damaged drinking water schemes, the eligible for assistance @ Rs 1.5 lakh/damaged structure. • Regarding repair of damaged primary and secondary schools, primary health centres, Anganwadi and community assets owned by the Panchayats, assistance will be given @ Rs 2 lakh/damaged structure. • Regarding repair of damaged power sector, assistance will be given to damaged conductors, polets and trasfrormers upto the level of 11 kV. The rate of assistance will be @ Rs. 4000/poles, Rs 0.50 lakh per km of damaged conductor and Rs. 1.00 lakh per damaged distribution transformer.
	अधारभूत संरचनाओं का मरम्मति / पुनर्स्थापन (तत्काल प्रकृति के) (1) सड़क और पुल (2) पेय जलापूर्ति कार्य (3) सिंचाई, (4) उर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विद्युत आपूर्ति पुनर्स्थापित करने तक ही सीमित), (5) विद्यालय, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत की सामुदायिक परिसम्पतियाँ। Telecommunication और उर्जा जैसे Sectors (तत्काल विद्युत आपूर्ति के पुनःस्थापन को छोड़कर) जो अपना राजस्व अर्जत करते हैं और तत्काल मरम्मति पुनः स्थापन कार्य अपनी निधि / स्रोत से करते हैं वे सहायता पाने से वर्जित (excluded) है।	**तत्कालिक प्रकार के क्रियाकलाप :** तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (Work of an immediate nature) की सूची संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है। **आवश्यकताओं का आंकलन :** आवश्यकताओं के आकलन पर राज्यों की लागत / दर के आधर पर मरम्मति हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा सिफारिश किया जायेगा एवं एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जायेगा। ➢ सड़कों की मरम्मति के संबंध मे भारत में सड़क मरम्मति नॉर्मस 2001 में निर्धारित रख–रखाव के मानदंड के अनुरूप भारी बारिस / बाढ़ / चक्रवात / भूस्खलन / रेत टिला आदि के दौरान यातायात बहाल करने के लिए निम्न मानदंडों का पालन किया जायः • सामान्य एवं शहरी क्षेत्र : कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चक्रिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 15 प्रतिशत • पहाड़ी क्षेत्र– कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चक्रिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 20 प्रतिशत

		• सड़कों की मरम्मति के मामले में सहायता अधिसूचित साधारण मरम्मत (OR) राज्य के आवधिक नवीकरण (PR) के आधार पर दिया जाएगा। यदि OR एवं PR दर उपलब्ध नहीं है तब सहायता राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला रोड के लिए रू0 1.00 लाख/कि0मी0 एवं ग्रामीण सड़कों के लिए रू0 0.60 लाख/कि0मी0 की दर से दिया जाएगा। राज्य पहले अपने बजट प्रावधान में नियमित रख–रखाव एवं मरम्मति के लिए उपबंधित राशि का उपयोग करेगा। तत्पश्चात राशि का मांग किया जा सकेगा। • पुल एवं सिंचाई के कार्यों में मरम्मति के मामले में सहायता संबंधित राज्यों द्वारा अधिसूचित दर अनुसूची के अनुसार दिया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए सहायता रू0 1.50 लाख प्रति परियेाजना दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त मध्यम एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की बहाली के लिए भी सहायता तटबंध भाग के लिए दिया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण सड़कों के मामलों में भी सहायता दिया जाएगा, परन्तु किसी परियोजना के मामलों में दोहराव नहीं किया जाएगा। • क्षतिग्रस्त पेयजल की योजनाओं के मामले में मरम्मत हेतु सहायता रू0 1.50 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना अनुमान्य होगा। • क्षतिग्रस्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायतों के स्वामित्व वाले आंगनबाड़ी और समुदाय की सम्पति की मरम्मति हेतु सहायता रू0 2.00 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना दिया जाएगा। • क्षतिग्रस्त विद्युत क्षेत्र के मामले में मरम्मत हेतु सहायता 11 KV के ट्रांसफॉर्मर, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर, एवं पोल के लिए दिया जाएगा। सहायता की दर रू0 4,000 प्रति पोल, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर के लिए रू0 0.50 लाख प्रति कि0मी0 तथा क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफॉर्मर के लिए रू0 1.00 लाख प्रति ट्रांसफॉर्मर देय होगा।
11.	**PROCUREMENT/ खरीद**	SDRF.	

	आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक खोज, बचाव, निष्कासन के उपकरण एवं संचार उपकरणों सहित का क्रय	➢ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर 0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा। ➢ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12	**Capacity Building / क्षमता निर्माण**	Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC) - The total expenditure on this item should not exceed 5% of the annual allocation of the SDRF.
		➢ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर 0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा। ➢ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Note: (i) The State Governments are to take utmost care and ensure that all individual beneficiary-oriented assisace is necessary/ mandatory disbursed through the bank account (viz; Jan Dhan Yojana etc.) of the beneficiary.

3. पूर्व की भांति वर्त्तमान में केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 1 (ड़) के आलोक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 1 क्वींटल खाद्यान्न (50 किलोग्राम गेहूँ एवं 50 किलोग्राम चावल) के अतिरिक्त 3000/– (तीन हजार) रूपये नगद अनुदान मद में दिया जाएगा।

4. भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014 एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानदर विभागीय अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक 17.04.2015 द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disaster) यथा– वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/ गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना के घटित होने की दशा में भी उपरोक्त मानदर जो 2015 से एस0डी0आर0एफ0/ एन0डी0आर0एफ0 से उसी के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

5. पूर्व में निर्गत मानदर संबंधी सभी आदेश निरस्त समझा जाय।

6. यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी मद का मानदर भारत सरकार के मानदर से अधिक निर्धारित किया जाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई मद स्वीकृत किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदो की सूची में नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानदर/मद ही प्रभावित होंगे।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(28) आपदा प्रभावितो के शरण स्थल, भोजन, पेयजल आदि के लिए निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड :

पत्रांक 1202 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिलापदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 17/3/16

विषय– **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के लिए शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित न्यूनतम मापदण्डों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के लिए शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता से संबंधित राहत उपलब्ध कराने हेतु न्यूनतम मापदण्ड एवं आपदाओं के दौरान विधवा एवं अनाथ हो गए लोगों के लिए की जाने वाली विशेष व्यवस्था करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार की गई है। अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत राज्य सरकारों को भी राज्य में आपदा पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, यह भी निदेशित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राहत के मानदर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदरों से कम नहीं होने चाहिए। NDMA द्वारा उपर्युक्त मार्गदर्शिका पत्रांक NDMA/R&R/621/(FTS:7315)/2015 दिनांक– 25.02.2016 के द्वारा प्राप्त हुई है।

2. अवगत है कि पूर्व में विभागीय पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 (प्रति संलग्न) द्वारा राहत केन्द्रों में की जाने वाली व्यवस्था संबंधी परिपत्र कोसी आपदा प्रभावित जिलों को प्रेषित किया गया था। विभाग द्वारा निर्गत 'बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया' में इस परिपत्र को शामिल करते हुए तद्नुसार ही सभी 28 बाढ़ प्रवण जिलों में आवश्यकतानुसार राहत केन्द्रों के संचालन का निदेश पूर्व में दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन योजना में भी राहत केन्द्रों के संचालन एवं प्रबंधन का समावेश किया गया है।

3. अवगत हो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदण्डों की मार्गदर्शिका की प्रति को माननीय उच्चतम न्यायालय में दिनांक 26.02.2016 को रिट याचिका 444/2013 की सुनवाई के दौरान दायर किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 26.02.2016 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निदेशित किया गया है कि NDMA के द्वारा निर्धारित उपर्युक्त विषयों से संबंधित न्यूनतम मापदण्डों के अनुरूप कार्यवाही की जाए।

4. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में उपर्युक्त विषयों से संबंधित राहत के न्यूनतम मापदण्डों को संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अनुरोध है कि किसी भी आपदा के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विभागीय पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 के अनुसार जिन मामलों में मापदण्ड इन न्यूनतम मापदण्डों से अधिक होंगे, वही लागू माना जाएगा, परन्तु विभागीय निदेशों में वस्त्र का मानदर अद्यतन मानदर के अनुरूप होगा।

अनु0– 1. NDMA द्वारा निर्धारित राहत के न्यूनतम मापदण्डों की प्रति।
(अंग्रेजी एवं हिन्दी में)
2. विभागीय पत्रांक 2493, दिनांक 05.09.2008 की प्रति।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1202/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/8/16

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव/ सचिव, गृह विभाग/ कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ भवन निर्माण विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1202/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/8/16

प्रतिलिपि: सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1202/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/8/16

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1202/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/8/16

प्रतिलिपि: सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1202/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/8/16

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राहत के न्यूनतम मापदण्ड

1. राहत और पुनर्वास शिविर की परिभाषा

आपदा से प्रभावित लोगों को अस्थायी रूप से आवासित करने हेतु राहत एवं पुनर्वास शिविरों की स्थापना की जाएगी। राहत और पुनर्वास शिविर सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ अस्थायी प्रकृति के होंगे। इन शिविरों में रहने वाले लोगों को, सामान्य स्थिति उत्पन्न होने पर, पुनः स्थायी आवासों में जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। चूँकि आपदाओं के प्रथम दिन से एन0डी0एम0ए0 द्वारा निर्धारित मूल दिशा–निर्देशों का अनुपालन कभी–कभी संभव नहीं हो सकेगा, अतः वैसी परिस्थिति में निम्नांकित प्रकिया का अनुपालन होगा :–

1. **प्रथम 3 दिन** – एन0डी0एम0ए0 द्वारा निर्धारित आधारभूत मानदंडों का यथा संभव अनुपालन।

2. **4 से 10वें दिन तक** – एन0डी0एम0ए0 द्वारा निर्धारित अधिकांश आधारभूत मानदंडों का अनुपालन करने का प्रयास किया जाएगा।

3. **11वें दिन और उसके पश्चात** – एन0डी0एम0ए0 द्वारा निर्धारित आधाभूत मानदंडों का अनुपालन

राहत उपलब्ध कराने के कम में देश, मौसम एवं परिस्थिति के कारण राहत की आवश्यकता एवं उसे उपलब्ध कराने में प्रशासन एवं अन्य दावेदारों की क्षमता प्रभावित होगी, अतः न्यूनतम मानदण्डों के अनुरूप राहत उपलब्ध कराने में इन सीमाओं/प्रभावों का भी ख्याल रखना चाहिए।

2. राहत शिविरों में शरण स्थल के संबंध में न्यूनतम मानदंड

a) किसी क्षेत्र में आपदा आने के समय लोगों को आवासित करने हेतु, राज्य/जिला प्रशासन द्वारा स्थलों/ भवनों यथा स्थानीय विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, समुदायिक केन्द्र, विवाह भवन आदि की पूर्व पहचान के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। ऐसे चिन्हित स्थल, उस क्षेत्र विशेष में, आपदा आने के समय राहत शिविरों के रूप में प्रयुक्त होंगे, जहाँ लोगों को आवासित किया जाएगा। ऐसे केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाएँ यथा

पर्याप्त शौचालय, जलापूर्ति, आपदा के समय ऊर्जा की पूर्ति हेतु ईंधन के साथ जेनरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाएगी।

b) आपदा आने के पश्चात आपदा पीड़ितों को आवासित करने हेतु बड़े ढँके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार के Last minute arrangement and high cost से बचने के लिए पूर्व से ही निर्माताओं एवं आपूर्तिकर्त्ताओं से फैक्ट्री निर्मित प्री–फैब्रिकेटेड शेल्टर/ टेंट/ टायलेट/ मोबाईल टायलेट एवं शौचालय आदि की आपूर्ति हेतु अग्रिम समझौता किया जाएगा। ऐसे प्री–फैब्रिकेटेड शेल्टर/ टेंट/ टायलेट/ मोबाईल टायलेट एवं शौचालय आदि को आपदा समाप्त होने पर संकलित कर आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था से राहत शिविरों एवं आवश्यक आपूर्तियों की स्थापना में होने वाले विलंब एवं उच्च राशि के व्यय से बचा जा सकेगा।

c) आपदा पीड़ितों के लिए राहत केन्द्रों पर प्रति व्यक्ति 3.5 वर्ग मी0 आवश्यक ढ़ँका हुए प्रकाशित क्षेत्र की व्यवस्था की जायेगी। शिविरों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा एवं निजता हेतु विशेष ध्यान दिया जायेगा, विशेषकर महिला, विधवा एवं बच्चों के लिए विकलांग, वृद्ध एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए।

d) राहत शिविर अस्थायी प्रवृति के होगें एवं क्षेत्र में सामान्य स्थिति होते ही इन्हें बंद कर दिया जायेगा।

e) मेट्रो/शहर एवं नगरों की योजना एवं विकास के लिए पूर्व में ही राहत केन्द्रों की स्थापना के लिए, जनसंख्या के घनत्व के अनुरूप, पर्याप्त स्थलों को चिन्हित कर लिया जायेगा।

3. राहत शिविरों में भोजन की आपूर्त्ति के संबंध में न्यूनतम मानदण्ड

a) बच्चों एवं धातृ माताओं को दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराये जायेगें। परिस्थितियों के अनुरूप आपदा पीड़ितों को, विशेषकर शिविरों में निवास करने वाले वृद्ध एवं बच्चों को, पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्रयास किये जायेगें।

b) राहत शिविरों में बनाये गये रसोईघर/समुदायिक रसोईघर की स्वच्छता हेतु पर्याप्त कदम उठाये जायेगें। वितरण के पूर्व डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के निर्माण की तिथि एवं एक्सपाईरी तिथि का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

c) पुरूष/महिलाओं एवं बच्चों/नवजात को आपूरित किये गये भोजन पदार्थो में न्यूनतम किलो कैलोरी क्रमशः 2400 एवं 1700 किलो कैलोरी सुनिश्चित किया जायेगा।

4. राहत शिविरों में जल की आपूर्त्ति के संबंध में न्यूनतम मानदण्ड

a) राहत शिविरों में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं हाथ धोने के लिए पर्याप्त जल की आपूर्त्ति की जायेगी।

b) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3 लीटर पेयजल को राहत शिविरों में उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य एवं जिला प्रशासन पानी की न्यूनतम मात्रा के संबंध में क्षेत्र विशेष के भूगोल, जनसंख्या एवं सामाजिक क्रियाकलापों के आलोक में निर्णय ले सकेगें। यदि स्वच्छ पेयजल आपूर्त्ति सम्भव नहीं हो, तो दुगनी मात्रा में Double Chlorinated जल उपलब्ध कराया जायेगा।

c) पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्त्ति सुनिश्चित कराने के लिए जल के स्रोत को राहत शिविरों के परिसर में ही स्थापित करना होगा। फिर भी, Tapped Water उपलब्ध होने पर, राहत शिविरों से पेयजल स्त्रोतों की अधिकतम दूरी 500 मीटर तक हो सकेगी।

5. राहत शिविरों में स्वच्छता के संबंध में न्यूनतम मानदण्ड

a) **शौचालय की संख्या** – 30 व्यक्ति पर 1 शौचालय की व्यवस्था/निर्माण किया जाएगा। महिलाओं एवं बच्चों के लिए अलग–अलग शौचालय स्नानागार की व्यवस्था होगी। नहाने एवं शौच हेतु प्रति व्यक्ति 15 लीटर पानी की व्यवस्था की जायेगी। शौचालय में हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित कराई जायेगी। बीमारियों के फैलने को रोकने हेतु कदम उठाये जायेगें। महिलाओं को Diginity kits **एवं** Sanitary napkins and disposable paper bags with proper labeling उपलब्ध कराये जायेगें।

b) राहत शिविरों से शौचालय की दूरी 50 मीटर से अधिक नहीं होगी। भूगर्भीय जलस्त्रोत से Pit Latrines and Soak ways की न्यूनतम दूरी 30 मीटर एवं वाटर लेवल से किसी लैट्रिन का आधार कम से कम 1.5 मीटर उपर होगा।

c) गंदगी प्रवाहित करने वाली नालियां जलस्त्रोत एवं सतही भूगर्भीय जल स्त्रोतों से दूर होगें।

6. राहत शिविरों में चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में न्यूनतम मानदंड

a) राहत शिविरों में प्रभावित लोगों को मोबाईल मेडिकल टीम द्वारा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे। फैलने वाले बीमारियों को रोकने हेतु के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

b) अगर राहत शिविर लंबे समय के लिए चलाये जाते हैं तो सामाजिक–

विधवा/परिवार को दिए जाने वाले अनुग्रह अनुदान/राहत राशि में से कर लिया जाएगा।

d) आपदाओं के दौरान विधवा हो गई महिलाओं और अनाथ हुए बच्चों को सम्पूर्ण अनुग्रह की राशि 45 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अनाथ हुए बच्चों के संबंध में भी जिला प्रशासन द्वारा ऐसा ही प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे अनाथ हुए बच्चों की पर्याप्त देखभाल की जाएगी। अनाथ हुए बच्चों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि सरकारी बैंको में संयुक्त खाते में जमा की जाएगी, जहाँ जिला समाहर्त्ता ऐसे खातों को प्रथम खाताधारी होंगे। ऐसे खातों पर प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि बच्चे को/उसके अभिभावक को बच्चे की देखभाल हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों की शिक्षा–दीक्षा की व्यवस्था जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

अलग–अलग पंजियाँ संधारित की जाएँगी। इन पंजिओं में दर्ज सम्पूर्ण विवरण को शिविर प्रभारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा साथ ही, इन्हें जिला प्रशासन के स्थायी दस्तावेज (रिकार्ड) के रूप में संधारित किया जाएगा।

b) शिविरों में आपदाओं के दौरान विधवा हो गई महिलाओं और अनाथ हो गए बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा ऐसी महिलाओं को 15 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें यह दर्ज रहेगा कि 'आपदा के दौरान इन्होंने अपने पति को खो दिया है।''

c) ऐसी विधवा महिलाएँ /परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं; इसलिए जिला प्रशासन द्वारा इन्हें अपने पति के दाह–संस्कार के लिए उचित राशि उपलब्ध करायी जाएगी और इस राशि की कटौती उस

अनुलग्नक – (29) राहत केन्द्र के सम्बन्ध में :

पत्रांक-1प्रा0आ0-32/2008....2492......../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,

प्रधान सचिव

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी,

अररिया, मधेपुरा।

जिला पदाधिकारी,

सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया एवं पूर्णियां।

पटना-15, दिनांक-5 सितम्बर, 2008

विषय: **राहत केन्द्र के संबंध में ।**

महाशय,

बाढ़ साहाय्य राहत शिविर के संबंध में अभी भी कतिपय जिला पदाधिकारी स्पष्ट नहीं हैं। बाढ़ साहाय्य राहत शिविर के सफल संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्था करनी है:

1. **पंजीकरण** – कैम्प में विस्थापितों को पंजीकृत किया जाय, जिसमें उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी दर्ज रहनी चाहिए। इस कार्य हेतु आंगनबाड़ी सुपरवाइजर/सेविका/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक/साक्षरता/सर्वशिक्षा अभियान के पदाधिकारी/शिक्षक/पंचायत रोजगार सेवक की सेवा ली जा सकती है।

2. **पका हुआ भोजन** – विस्थापितों को पका हुआ भोजन दो बार (सुबह-शाम) मुहैय्या कराया जाना है । इसके लिए सामान्य रूप से चावल की खपत होगी। आपको मुफ्त साहाय्य वितरण हेतु चावल का आवंटन किया गया है, जिसे इस कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दाल, सब्जी, तेल, ईंधन आदि की आवश्यकता होगी। यह प्रयास करें कि भोजन व्यवस्था में खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने तक का कार्य यथासंभव स्वयं सहायता समूह (self help group) के माध्यम से कराया जाय।

भोजन तैयार करने के लिए रसोइये की जरूरत होगी। कैम्प में आए हुए विस्थापित महिलाओं/पुरुषों की सेवाएं इस कार्य हेतु में ली जा सकती है। उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग की निर्धारित दर पर किया जाएगा।

पका हुआ भोजन स्वच्छ एवं पौष्टिक होना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि बासी भोजन का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं हो।

3. दरी/चटाई – विस्थापितों के विश्राम के लिए कैम्प में दरी/चटाई की व्यवस्था की जायेगी।
4. वस्त्र – सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत विभागीय पत्र संख्या 2462 दिनांक 12.08.07 द्वारा निर्धारित मानदर के मद संख्या 1(ड) के आलोक में कपड़ा के लिए 1000रु0 प्रति परिवार वैसे परिवारों के लिए अनुमान्य है जिनका घर बह गया है/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है। इस राशि का वितरण कर दिया जाए। इससे प्रभावित परिवार आवश्यक वस्त्र का क्रय कर लेंगे।

5. **<u>बच्चों के लिए दूध</u>** - पाँच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त (सुबह-शाम) आवश्यकतानुसार कम्फेड द्वारा दूध मुहैय्या कराया जाएगा ।

6. **<u>रोशनी</u>** – कैम्प में रोशनी की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए । इसके लिए generator में diesel/kerosene, अथवा लालटेनों में kerosene, का व्यय अनुमान्य होगा।

7. **<u>पेयजल, अस्थायी शौचालय, स्वच्छता</u>** – पुरुष एवं महिला के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए । सफाई के लिए साबुन/डिटर्जेन्ट पाउडर, फेनाईल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्य की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाएं ली जा सकती है।

8. **<u>स्वास्थ्य एवं चिकित्सा</u>** – कैम्प में औषधी के साथ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहेंगे ।

9. **<u>सुरक्षा व्यवस्था</u>** – अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए समुचित आरक्षी बल की व्यवस्था कैम्प में की जायगी ।

10. **<u>संचार सुविधा</u>** -आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कैम्प में संचार सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।

11. **<u>मानदर</u>** – कैम्प व्यवस्था हेतु मानदर निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था। कैम्प हेतु निम्नलिखित मानदर निर्धारित की जाती है:-

1. पका हुआ भोजन	(क) दो वक्त (सुबह-शाम) विस्थापितों को दिया जायेगा ।
	(ख) मुफ्त वितरण हेतु जिलों को उपलब्ध कराए गए चावल का उपयोग राहत शिविर में किया जाएगा ।
	(ग) चावल प्रति व्यस्क- 500 ग्राम, प्रति अवयस्क- 200 ग्राम, प्रति दिन की दर से दिया जाएगा ।
	(घ) दाल 100 ग्राम, व्यस्क एवं अवयस्क को प्रतिदिन दिया जाएगा ।

	(ङ0) सब्जी के लिए आलू प्रति व्यक्ति 200 ग्राम, प्रतिदिन की दर से ।
	(च) तेल, मशाला, ईंधन आदि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 10 रू0 की दर से ।
	(छ) रसोईयों के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा । (ज) दाल, तेल, सब्जी, एवं ईंधन के दर का निर्धारण स्थानीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा ।
2. रोशनी	(क) रोशनी के लिए भाड़े पर जेनरेटर की व्यवस्था ।
	(ख) जेनरेटर के भाड़ा का निर्धारण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा ।
	(ग) 1 माह में 100 (एक सौ) लीटर डीजल, अनुमान्य होगा ।
	(घ) आवश्यकतानुसार लालटेन तथा किरासन तेल का उपयोग किया जाएगा जिसका आंकलन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।
3. दरी/ चादर	इसकी व्यवस्था सरकारी संस्था/ स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य श्रोत से प्राप्त सामग्री से की जाएगी । अनउपलब्धता की स्थिति में जिला पदाधिकारी, नियमानुसार क्रय करने की कार्रवाई करेंगे ।
4. बच्चों के लिए दुग्ध	(क) पाँच वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों को दुग्ध कम्फेड द्वारा मुहैया कराया जाएगा।
	(ख) कम्फेड द्वारा मुहैया कराये गए मिल्क पाउडर के वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5. वस्त्र	(क) विभागीय पत्रांक-2462 दिनांक-12.08.07 द्वारा निर्धारित मानदर के मद संख्या-1(ङ0) के आलोक में 1000 रूपया अनुमान्य है इस राशि का वितरण वैसे परिवारों को किया जाएगा जिनका घर बह गया है/ पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है ।
6. पेयजल/ अस्थायी शौचालय/ स्वच्छता	इसकी व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कि जाएगी । इसके व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी ।
7. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	इसकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी ।
8. संचार	शिविर में दूरभाष की सुविधा की व्यवस्था पर किया गया व्यय सी0 आर0 एफ0 मद से अनुमान्य होगा ।
9. कैम्प व्यवस्था	परिवहन तथा आकस्मिक व्यय- यथा आवश्यकता।

उपरोक्त मानदर आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा।

12. **लेखा/पंजियों का संधारण** - कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निम्न पंजियां संधारित की जाएगी।

(क) लेखा से संबंधित रोकड़बही।

(ख) सामग्रियों की आमद एवं खपत से संबधी पंजी संधारित की जाएगी। इसका नियंत्रण/सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किया जाएगा ।

(ग) विस्थापित पंजीकृत व्यक्ति को ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा । इसे सुनिश्चित किया जाय । भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की भी एक पंजी अलग से संधारित की जाएगी जिसका सत्यापन प्रतिदिन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(घ) कम्फेड से प्राप्त होने वाले मिल्क पाउडर के लिए स्टॉक पंजी संधारित की जाय क्योंकि कम्फेड को इसकी कीमत का भुगतान किया जाएगा । बच्चों को वितरित किये गये दुग्ध से संबंधित पंजी का भी संधारण किया जाएगा, जिसका सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिदिन करेंगे ।

(ङ) सरकारी संस्था/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त सामग्री का उपयोग कैम्प संचालन हेतु किया जा सकता है। इसके लेखा-जोखा के लिए अलग से कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पंजी संधारित की जाएगी।

कैम्प की व्यवस्था पर व्यय निम्नलिखित मदों से विकलनीय होगा:-

1	भोजन सामग्री	2245-02-101-0002 खाद्यान्न की आपूर्ति
2	दरी/चटाई एवं रोशनी	2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण
3	वस्त्र एवं बर्त्तन	2245-02-101-0004-वस्त्र/ बर्त्तन
4	बच्चों के लिए दूध	2245-02-800-0006-कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार
5	पेयजल	2245-02-102-0001- पेयजल की आपूर्त्ति
6	अस्थायी शौचालय	2245-02-109-0001- खराब जलापूर्त्ति मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मति/प्रत्यस्थापना
7	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	2245-02-282-0001-मानव दवा 2245-02-282-0003- पी0आ0एल0 की आपूर्त्ति
8	संचार सुविधा	2245-02-112-0004- संचार उपकरणों का क्रय

विश्वासभाजन,

(आर0 के0 सिंह)

प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(30) राहत के विभिन्न लघु/उपशीर्षों के अन्तर्गत आवंटित राशि का व्यय :

पत्रांक-1/प्रा०आ०-0-3 06/08.......2283.........../आ०प्र०

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर० के० सिंह,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार ।

पटना-15, दिनांक- 26/9/08

विषय: मुख्य बजट शीर्ष- 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के विभिन्न लघु/उपशीर्षों के अन्तर्गत आवंटित राशि का उपयोग एवं व्यय किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मुख्य बजट शीर्ष- 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के अन्तर्गत विभिन्न लघु/ उपशीर्षों के अधीन कौन से कार्य पर होने वाला व्यय विकलनीय होगें इस संबंध में कतिपय विभाग/ क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा पृच्छाएँ की जाती रहीं हैं। आपदा राहत कोष की बैठक दिनांक 23.09.2008 की कार्यवाही संख्या (2) में लिये गये निर्णय एवं वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत किन-किन कार्यों पर व्यय किया जाना है, इसकी सूची निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	शीर्ष	किन-किन कार्यों पर व्यय किया जाना है।
1	2	3
1.	2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण	1. नाव/मोटरबोट/स्टीमर का भाड़ा 2. नाविकों /मोटरबोट चालक (प्राईवेट) की मजदूरी 3. पॉलीथीन का क्रय 4. सेना की नावों/ईंधन 5. सेना के आवासन/भोजन 6. निष्क्रमण कार्य में लगे वाहन (प्राईवेट) का भाड़ा/ ईंधन पर व्यय। 7. वायुसेना के हेलीकॉप्टर का किराया 8. राहत शिविरों में रोशनी/टेन्ट/उपस्कर की व्यवस्था पर व्यय 9. अस्थायी राहत शिविर के निर्माण पर व्यय 10. निष्क्रमण के कार्य में लगे बचाव कर्मी के पारिश्रमिक का भुगतान 11. चलन्त चिकित्सा दलों का आवासन 12. अस्थायी/शिविर अस्पतालों का संचालन
2.	2245-02-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति	1. साहाय्य खाद्यान्न की कीमत का भुगतान 2. ढुलाई एवं परिवहन 3. वाणिज्य कर अतिरिक्त कर

शीर्ष	किन-किन कार्यों पर व्यय किया जाना है।
2	3
	4. पहरा/सुरक्षा 5. राहत शिविर में खाद्य सामग्री सहित तेल-मसाला आदि। 6. सूखा राशन यथा- चूड़ा, सत्तू, गुड़, नमक, चीनी, मोमबत्ती, दियासलाई आदि पर व्यय।
2245-02-101-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान का भुगतान	1. वृद्ध, अपाहिज एवं निःसहाय बच्चों को अनुदान
2245-02-102-0001-पेयजल की आपूर्ति।	1. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ट्रकों/टैंकरों से पेयजल की ढुलाई। 2. जल का शुद्धिकरण
2245-02-104-0001-चारे की पूर्ति।	1. पशुचारे का क्रय/ हथालन/ परिवहन/ भंडारण (विभागीय मानदर के अनुरूप)
2245-02-105-0001- पशुओं के लिए दवा	1. आवश्यक पशु दवाओं का क्रय 2. परिवहन/भंडारण/टीकाकरण एवं अन्य पशु जनित रोगों की रोकथाम की व्यवस्था 3. मृत पशु के शवों के disposal पर व्यय
2245-02-109-0001- क्षतिग्रस्त जलापूर्ति एवं मलप्रवाह नालों की मरम्मति/प्रत्यस्थापन	1. क्षतिग्रस्त जलापूर्ति/मलप्रवाह नालों की मरम्मति/प्रत्यस्थापन 2. अस्थायी शौचालय/स्नानागार का निर्माण 3. राहत शिविरों में स्वच्छता की व्यवस्था 4. अस्थायी चापाकल का निर्माण/मरम्मति 5. कुएँ/तालाबों की मरम्मति
2245-02-282-0001- मानव दवा	1. आवश्यक मानव दवा/उपकरण का क्रय/परिवहन/भंडारण
2245-02-282-0003 चलन्त स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पी०ओ०एल० की आपूर्ति।	1. चिकित्सीय कार्य में लगे वाहन का ईंधन 2. एम्बुलेंस सेवाएँ

कृपया समिति द्वारा लिये गये निर्णय एवं वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुरूप उपर्युक्त मदों में आवंटित राशि का कंडिका 3 (किन-किन कार्यों पर व्यय किया जाना है) में वर्णित कार्यों पर व्यय का संकलन सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

(आर0 के0 सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2788 /आ0प्र0   पटना-15, दिनांक- 24/9/12

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/ पथ निर्माण विभाग/ सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक–(31) राहत पहुँचाने में होने वाले व्यय के सम्बन्ध में दिशानिर्देश :

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या 1/पी0आर0–0–3–31/14...................../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

अधिसूचना

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक 33–4/2015–NDM-1 दिनांक 20.03.2015 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को रेखांकित करते हुए राज्य की विशेष स्थानीय–प्रकृति की आपदाओं से पीड़ितों को तुरन्त राहत पहुंचाने में होने वाले व्यय के संबंध में दिशा–निर्देशों को ज्ञापित किया गया है। पत्र द्वारा भारत सरकार की अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल नहीं होने वाली राज्य की विशिष्ट प्रकृति की आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में SDRF (राज्य आपदा रिस्पांस फंड) के तहत उपलब्ध राशि के 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत व्यय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिए राज्य कार्यकारिणी समिति से राज्य की विशिष्ट आपदाओं की सूची, उनके मानदर और इन आपदाओं से पीड़ितों के चयन की प्रक्रिया का अनुमोदन प्राप्त करते हुए राज्य सरकार से अधिसूचना निर्गत कराने का निदेश दिया गया है।

2. राज्य में वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा) नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/ गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित आपदाएं यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव से होने वाली दुर्घटनाएं विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में जानोमाल की क्षति होती है।

3. दिनांक 01.04.2015 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/ गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानोमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/ अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव राज्य कार्यकारिणी समिति के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत पत्र की तिथि दिनांक 20.03.15 एवं उसके पश्चात कंडिका 3 में अंकित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disaster) के घटित होने की दशा में कारण होने वाली क्षति में SDRF/NDRF से संबंधित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/ अन्य अनुदान भुगतान करने के प्रावधान लागू होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1418 / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक- 17/4/15

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1418 / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक- 17/4/15

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1418 / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक- 17/4/15

प्रतिलिपिः सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1418 / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक- 17/4/15

प्रतिलिपिः संयुक्त सचिव (DM), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, (आपदा प्रबंधन प्रभाग), नई दिल्ली को उनके पत्रांक 33–4/2015–NDM-1 दिनांक 20.03.15 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

अनुलग्नक—(32) अनुग्रह अनुदान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन :

पत्रांक—01 / गै0वि0आ0—03 / 2013 / .... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

पटना—15, दिनांक—

विषय:— अनुग्रह अनुदान के संबंध में मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंग:— आपका पत्रांक—875 / आ0प्र0, दि0—30.12.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि सामूहिक दुर्घटना में एक से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होने या घायल होने अथवा एक व्यक्ति की मृत्यु एवं दूसरे व्यक्ति के घायल होने पर ही उक्त दुर्घटना को सामूहिक दुर्घटना माना जाएगा एवं तद्नुसार ही SDRF के मानदर के अनुसार अनुग्रह अनुदान देय होगा।

सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अनिरूद्ध कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक— 295 / आ0प्र0, पटना—15 दि0— 21/1/16

प्रतिलिपि—सभी जिला पदाधिकारी, (मधेपुरा जिला को छोड़कर) / आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

अनुलग्नक–(33) मृतक का शव बरामद नहीं होने पर अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता :

पत्रांक-I प्र0प्र0-63/2007......................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्राकृति आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति मे अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता के संबंध में पत्र

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना-15, दिनांक- 17/1/09

विषय: प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का/शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र संख्या- 32-34/2005- NDM-I, दिनांक 27.06.2007 से संसूचित अद्यतन मानदर के आलोक में प्रकृतिक आपदा से हुई मृत्यु की स्थिति मे मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है। सामान्यत: जिन मामलों में मृतक के शव मिल जाते हैं, उनमें सक्षम पदाधिकारी द्वारा मृत्यु का कारण प्राकृतिक आपदा द्वारा प्रमाणित किए जाने पर अनुग्रह अनुदान देने में कोई कठिनाई नहीं होती है परन्तु ऐसे मामले जिसमे प्राकृतिक आपदा के कारण यथ- बाढ़ की वजह से नौका दुर्घटना या फ्लैश फ्लड आने से मृतक का शव नहीं मिलता है उन मामलों के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। ऐसे मामले में अनुग्रह अनुदान दिए जाने के लिए दिनांक 31.10.08 को आयोजित आपदा राहत कोष समिति की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राकृतिक आपदा के कारणों से हुई मृत्यु की स्थिति में यदि मृतक का शव नहीं मिलता है तो संबंधित व्यक्ति के फोटो के साथ समाचार पत्रों में संबंधित व्यक्ति के लापता होने की सूचना जिला पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित कराई जाएगी तथा एक माह की प्रतीक्षा की जाएगी। इन मामलों में स्थानीय थाना में लापता व्यक्ति के परिजनों द्वारा उसके लापता/ मृत्यु होने से संबंधित सूचना/ प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा जाँच कराई जायेगी। कार्यपालक दण्डाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में साक्ष्य के आधार पर यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से हुई तो उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर उस व्यक्ति के Next of kin को अनुग्रह अनुदान का भुगतान जिला पदाधिकारी करेंगे। भुगतान करने से पूर्व इस आशय का बंधपत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि यदि यह पाया गया कि व्यक्ति जीवित है तो ऐसी स्थिति में प्राप्त अनुग्रह अनुदान की पूर्ण राशि वापस कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

(आर0 के0 सिंह)

प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(34) अनुदान की राशि RTGS/NEFT या A/c Payee के माध्यम से भुगतान :

पत्रांक– 1प्रा0आ0–17/2015 ......1692....../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक 22/4/16

विषय : **आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि RTGS/NEFT अथवा A/C payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में स्पष्टीकरण।**

महाशय,

कृपया विभागीय पत्रांक 1432/आ0प्र0 दिनांक– 04.04.2016 का स्मरण किया जाए। उक्त पत्र के कंडिका 4 एवं 5 में निदेश है कि आपदा प्रभावितों को मुफ्त साहाय्य के रूप में नगद अनुदान के मद में 3,000/– रु0 तथा खाद्यान्न मद हेतु 3,000/– रु0 कुल 6,000 रु0 की राशि तथा बर्त्तन एवं कपड़ा मद में देय अनुग्रह अनुदान, (जैसे– बाढ़/भूकम्प/अग्निकांड/चक्रवातीय तूफान आदि के कारण जिनका घर क्षतिग्रस्त हो गया हो अथवा बाढ़ में सामान बह गया हो) जो वर्तमान मानदर के अनुसार क्रमशः 1,800/– रु0 एवं 2,000/– रु0 प्रति परिवार है, की पूरी राशि NEFT/RTGS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में सीधे उपलब्ध करायी जाएगी। यदि NEFT/RTGS का उपयोग किसी कारणवश संभव न हो तो आपवादिक मामले में A/c payee cheque के माध्यम से राशि लाभुकों को दी जाएगी। इसके पूर्व विभागीय पत्रांक 1602 दिनांक 02.05.15 द्वारा निदेशित है कि कृषि इनपुट सब्सिडी तथा गृह क्षति अनुदान की राशि भी यथानुसार RTGS/NEFT/ A/C payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

2. दिनांक 22.04.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सभी जिला पदाधिकारियों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ हुई विडियो कॉफ्रेंसिंग के दौरान कतिपय जिला पदाधिकारियों/ प्रमण्डलीय आयुक्तों द्वारा सूचित किया गया कि अग्निकांड/बाढ़ आदि में घर नष्ट हो जाने के कारण कागजातों के जल जाने तथा बैंको में खाता नहीं रहने के कारण प्रभावित परिवारों को RTGS/NEFT अथवा A/C payee Cheque के माध्यम से अनुदान की राशि उपलब्ध कराने में कठिनाई उत्पन्न होती है। उनके द्वारा अग्निकांड एवं बाढ़ से प्रभावित परिवारों को तत्काल साहाय्य के रूप में दिए जाने वाले वस्त्रादि, नगद एवं खाद्यान्न हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली अनुमान्य अनुदान की राशि को नगद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

3. सम्यक विचारोपरांत, उपरोक्त परिपत्रों को आंशिक रूप से शिथिल करते हुए निदेश दिया जाता है कि अग्निकांड एवं बाढ़ में अगर मुफ्त साहाय्य मद में अनुमान्य अनुदान की राशि NEFT/RTGS/ A/c payee cheque के माध्यम से देना सम्भव न हो तो अपरिहार्य स्थिति में जिला पदाधिकारी अपने विवेक से आपदा प्रभावितों को देय अनुदान की राशि नकद उपलब्ध कराने हेतु निर्णय ले सकते हैं।

4. यह भी स्पष्ट करना है कि उपरोक्त कंडिका 3 के अपवाद को छोड़कर SDRF मानदर के अनुसार आपदा प्रभावितों को देय सभी तरह के अनुदान की राशि, यथानुसार NEFT/ RTGS अथवा A/c payee चेक के माध्यम से ही उपलब्ध करायी जाएगी।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(35) प्राकृतिक आपदा से मृत पशु के अनुदान हेतु सक्षम पदाधिकारी :

FAX

संख्या– 1प्रा०आ०(2)–03/2010/......................../आ०प्र०

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– प्राकृतिक आपदा से मृत पशु के अनुदान हेतु सक्षम स्वीकृति पदाधिकारी के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1176 दिनांक–26.08.2014, द्वारा निदेश माँगा गया है कि प्राकृतिक आपदा से मृत पशु के अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में स्वीकृति पदाधिकारी तथा क्षति आंकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी कौन होंगे ? उल्लेखनीय है कि "आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005" के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी, संबंधित जिला के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष भी हैं एवं Incident Commonder भी हैं, जिला पदाधिकारी को प्राकृतिक आपदा तथा गैर प्राकृतिक आपदा दोनों के मामले में सक्षम पदाधिकारी माना गया है।

अतएव प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामलों में क्षति आंकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का निर्णय जिला दण्डाधिकारी को ही करना है। जिला दण्डाधिकारी उक्त कार्यों के लिए अपने अधीनस्थों के बीच Power Delegate कर सकते हैं।

उपरोक्त के आलोक में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–
(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक–.......3601......../आ०प्र० पटना–15, दिनांक– 30/9/14.

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी (जहानाबाद को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/9/14
विशेष सचिव

अनुलग्नक–(36) प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर अनुदान की शर्त :

-14

पत्रांक–01/गै0प्रा0आ0–01/2009 (खंड)/ 4052 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

पटना–15, दिनांक– 13/11/14

विषयः– श्री राम, पिता–स्व0 बुधन राम, ग्राम–कुढ़नी का दिनांक–31.05.2014 को रात्रि में अचानक आँधी–तूफान से मृत्यु हो जाने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 253 दिनांक–10.10.2014.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि आँधी–तूफान प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत आता है, परंतु आपके द्वारा मृत्यु का स्पष्ट कारण अंकित नही किया गया है।

अतएव, प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान तभी देय है जब जिला पदाधिकारी संतुष्ट हो लें कि मृत्यु प्राकृतिक आपदा जनित कारण से हुई हो।

अतः उपर्युकत के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

13/11/14

(सुनील कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक–(37) बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ.आई.आर. के अनुग्रह अनुदान का भुगतान :

आपदा

पत्रांक –गैर प्रा०आ०–01/2010/............../आ०प्र०

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक

अनिरुद्ध कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

जिला पदाधिकारी

मुजफ्फरपुर।

27/2/16

2 6 FEB 2016

पटना–15, दि०–

विषय : बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं एफ०आई०आर० के अनुग्रह अनुदान का भुगतान स्वीकृत करने हेतु मार्गदर्शन देने के संबंध में।

प्रसंग: आपका पत्रांक– 67, दिनांक–28.01.2016.

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र में आपके द्वारा याचित मार्गदर्शन के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्राकृतिक अथवा गैर प्राकृतिक आपदा से मृत्यु की स्थिति में कतिपय वैसे मामले में जिनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं FIR दर्ज न हो, इस स्थिति में अनुग्रह अनुदान के संबंध में विभागीय पत्रांक–4052 दि०–13.11.2014 निर्गत है (प्रतिलिपि संलग्न)जिसके अनुसार प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान तभी देय है जब जिला पदाधिकारी संतुष्ट हो लें कि मृत्यु प्राकृतिक आपदा जनित कारण से हुई हो। तदनुरूप अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय। उक्त पत्र विभागीय website – disastermgmt.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक –यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(अनिरुद्ध कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 889 /आ०प्र० दिनांक – 25/2/16

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी, (मुजफ्फरपुर जिला को छोड़कर)/आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

3/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–(38) जिले के अन्य जिलों में मृत व्यक्तियों के अनुग्रह अनुदान के संबंध में :

पत्रांक-I प्रा0आ0-64/07....272........../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

कृष्ण मोहन,

उप सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

सारण (छपरा)/शिवहर ।

पटना-15, दिनांक- 29/1/08

विषयः अपने जिले के निवासी की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से अन्य जिलों में होने के कारण अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक जिला पदाधिकारी, सारण ने पत्रांक 414, दिनांक 06.09.07 तथा जिला पदाधिकारी, शिवहर ने पत्रांक 359, दिनांक 02.10.07 से यह बिन्दु उठाया है कि उनके जिले के निवासी की मृत्यु अन्य जिलों में नौका दुर्घटना से हुई। जिन जिलों में दुर्घटना हुई वहां से उन्हें मृतकों के परिवार को अनुग्रह अनुदान दिये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में यह मार्गदर्शन मांगा गया है कि क्या वे अन्य जिलों में घटित घटनाओं से ऐसे मृत्यु के मामले में, जिसमें मृतक उनके जिले का निवासी है, उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान दिया जाना अपेक्षित होगा अथवा जहां घटना घटी है वहां के जिला से।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2007 को संपन्न आपदा राहत कोष समिति की बैठक में विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए गए:

भारत सरकार के पत्र सं0-32-34/2005/एन0डी0एम0 I दिनांक- 27.06.2007 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित मानदर (2005-2010 तक के लिए; दिनांक 27.06.2007 से प्रभावी), जिसे विभागीय पत्रांक 2462, दिनांक 12.08.2007 से बिहार राज्य में भी 27.06.2007 से प्रभावी सूचित किया गया है, के मद संख्या 1(क) से स्पष्ट है कि अधिसूचित प्राकृतिक आपदा (चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिमपात (हिमवर्षा), बादल फटना, कीट आक्रमण, सुनामी) से हुई मृत्यु में उक्त मानदर के अनुरूप भारतीय नागरिक के विदेश में मृत्यु एवं विदेशी नागरिक का भारत में मृत्यु की दशा में कोई अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है। किन्तु किसी जिला का दूसरे जिला या दूसरे राज्य में प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह अनुदान नहीं दिये जाने के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त उक्त संशोधित मानदर में कोई निदेश या कोई प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया है।

अनुलग्नक–(39) भूकम्प के कारण क्षतिग्रस्त मकानो मे रहने वालों के बीच मुफ्त साहाय्य वितरण :

पत्रांक–1प्रा0आ0–15/2015 1544 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 29/4/15

विषय– **दिनांक–25.04.2015 एवं 26.04.2015 को आए भूकम्प के झटको के फलस्वरूप पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों/बर्बाद झोपड़ियों में रहनेवाले परिवारों के बीच मुफ्त साहाय्य के वितरण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–25.04.2015 एवं 26.04.2015 को आए भूकम्प के झटकों के फलस्वरूप जिन परिवारों के कच्चे/पक्के मकान पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त हो गए हैं अथवा जिनकी झोपड़ियाँ बर्बाद/क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, उन्हें मुफ्त साहाय्य का वितरण अविलंब राज्य आपदा रिस्पांस निधि के नये मानदर के अनुरूप किया जाए। साथ ही पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त (Severely Damaged) मकानों/बर्बाद झोपड़ियों के लिए गृह क्षति अनुदान के वितरण में व्यय होने वाले राशि की गणना कर अधियाचना शीघ्र भेजी जाए।

विदित हो कि नये मानदर के अनुसार पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त (Severely Damaged) मकानों के लिए अनुदान की दर रूपये 95,100/– तथा बर्बाद झोपड़ियों के लिए 4100/– रूपये है। यदि Cattle shed बर्बाद हो गए हों तो 2100/– अनुदान देय होगा। इसी प्रकार मुफ्त साहाय्य के रूप में बर्त्तन के लिए 2000/– रूपये, वस्त्र के लिए 1800/– रूपये, नगद अनुदान 2000/– रूपये तथा 1 क्वीं0 खाद्यान्न प्रति परिवार देय है।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में मुफ्त साहाय्य (GRATUITOUS RELIEF) का वितरण अविलंब प्रारम्भ करते हुए एवं पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों/बर्बाद झोपड़ियों के लिए राशि की अधियाचना विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

विश्वासभाजन
29/4/15
(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव

अनुलग्नक–(40) आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के मुआवजा के सम्बन्ध मे :

पत्रांक –1प्रा0आ0(2)–03/2010/ 2375 /आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह,
विशेष सचिव

आपदा
Disaster

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

पटना–15, दिनांक– 17/6/13

विषयः– बाजार समिति, बिहारशरीफ के प्रांगण में लगी आग से क्षतिग्रस्त दुकानों एवं माल का मुआवजा के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 269 दिनांक–10.05.2013 के प्रसंग में कहना है कि अग्निकांड से आवासीय भवन क्षतिग्रस्त होने पर ही नियमानुकुल अनुदान प्रभावित परिवार को दिया जा सकता है। दुकानों या व्यवसायिक/औद्योगिक भवनों के लिए अनुदान का प्रावधान नहीं है।

विश्वासभाजन

(राजीव कुमार सिंह)
विशेष सचिव

अनुलग्नक–(41) अग्निकाण्ड से प्रभावितों के बीच विशेष राहत केन्द्रों का संचालन :

पत्रांक–1/प्रा0आ0(2)–24/2006..1834/आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

नालन्दा समाहरणालय, बिहारश
जिला गोपनीय शाखा
दिनांक....
RELIEF
मुहर लगाने वाले कर्मी का
पत्र देखने पदा० का ह

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 8.6.12

विषय– भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–52(प्र0) दिनांक–26.05.2012 के द्वारा भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में निदेश भेजा गया है, जिसमें पांच वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त सुबह–शाम आवश्यकतानुसार दूध मुहैय्या कराने का प्रावधान भी किया गया है। दूध की आपूर्त्ति कॉम्फेड द्वारा किया जाना है तथा वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में जिलों से पृच्छा की गई है कि बच्चों को मुहैय्या कराये जाने वाले दूध की मात्रा क्या होगी तथा कॉम्फेड द्वारा दूध उपलब्ध नहीं कराये जाने पर दूध का क्रय कहाँ से किया जा सकता है।

उपरोक्त के आलोक में विभाग द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि राहत कैम्पों में सुबह–शाम 250–250 मि0ली0 दूध 5 वर्ष अथवा इससे कम उम्र के बच्चों को दिया जाय। कॉम्फेड द्वारा दूध नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर अच्छी गुणवत्ता का दूध का क्रय किया जा सकता है। दूध संक्रमणमुक्त हो, इसकी जांच भी जिला पदाधिकारी करा लेंगे।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(42) अग्निकाण्ड में होने वाली फसल क्षति के विरूद्ध अनुदान के सम्बन्ध मे :

पत्रांक -1 प्र0आ0-05/2007.....1023..../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
जिला गोपनीय शाखा
दिनांक 04 MAR 2015
RELIEF
मुहर लगाने वाले कर्मी का ...
पत्र देखने वाले पदा० का ह०

प्रेषक,

आर॰ के॰ सिंह,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार

दि0- 21/4/08

विषय :राज्य के कृषकों की खेत में लगी अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति अग्निकांड से होने की स्थिति में अनुदान का भुगतान ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अग्निकांड से खेत और खलिहान के फसल की क्षति को सी0आर0एफ0 के अनुमान्य मदों में समावेशित करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजी गयी थी। विभागीय पुनर्समीक्षा में यह स्थिति सामने आयी कि सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत केन्द्रीय मानदर के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति के निर्धारित कृषि इनपुट अनुदान का मानदर अग्निकांड से फसल क्षति (खेत एवं खलिहान) में भी लागू होगा । इस बिन्दु की सम्पुष्टि हेतु विभागीय पत्रांक -1127 दि0-4.4.2007 द्वारा भारत सरकार, गृहमंत्रालय से अनुरोध किया गया था। भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने इसे संपुष्ट किया है।

तत्पश्चात भारत सरकार के पत्र संख्या 32-34/2005/एन0डी0एम0-I दिनांक 27.02.2007 से निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित मानदर (वर्ष 2005-2010 के लिए) प्राप्त हुआ। इस परिचारित मानदर की मद संख्या 29 (1) में प्राकृतिक आपदा फायर (अग्निकांड) के लिए वर्तमान मानदर में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि अग्निकांड के पश्चात दी जानेवाली सहायता उसी प्रकार दी जाएगी जिस तरह अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात जीवन, अंग, फसल, संपत्ति इत्यादि की क्षति/हानि के मदों में निर्धारित है तथा साहाय्य की अनुमान्यता राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापित की जाएगी।

अतः यह स्पष्ट है कि कृषकों की खेत में लगी अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति अग्निकांड से होने की स्थिति में वर्तमान मानदर के अनुसार साहाय्य निम्न रूप से देय होगा; जहां फसल क्षति 50% या उससे अधिक हुआ हो।

3. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसल के लिए लघु/सीमान्त कृषकों को साहाय्य: 50% एवं अधिक फसल की क्षति होने पर ।	
(i) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपन वाले फसल आदि के लिए।	➢ 2,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए । ➢ 4,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र वाले फसल के लिए । (क) परती (fallow) पड़े जमीन के लिए कोई इनपुट सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा। (ख) छोटी जमीन (tiny holding) वाले किसी छोटे किसानों की साहाय्य राशि 250/-रू0 से कम नही दी जाएगी।
(ii) "पेरिनियल" (शाश्वत्) फसल के लिए।	6,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर सभी तरह के शाश्वत फसल के लिए। (क) कृषि योग्य बिना बुआई किए गए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी नही दिया जाएगा। (ख) छोटी जमीन (tiny holding) वाले किसी छोटे किसानों को साहाय्य राशि 500/-रू0 से कम नही दी जाएगी।
4. लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी।	50 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 1 हेक्टेयर प्रति कृषक; अनुवर्ती आपदा के मामले में 2 हेक्टेयर प्रति कृषक (उनके land holding अधिक ही क्यों नहीं हो) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने की स्थिति में निम्नदर से देय होगा । ➢ 2,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ➢ 4,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ➢ 6,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। ○ बिना बुआई किए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी नहीं दिया जाएगा।

कृषकों की खेत में लगी अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति अग्निकांड से होने की स्थिति में अनुदान का भुगतान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी -

अग्निकांड की घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय अंचलाधिकारी अविलम्ब परन्तु किसी भी हालत में 24 घंटे के अन्दर उसकी जांच कराएंगे। जांच हल्का कर्मचारी तथा VLW की संयुक्त टीम द्वारा की जाएगी। जांच उपरान्त निम्न बिन्दु पर स्पष्ट प्रतिवेदन होगा:

i. खेत अथवा खलिहान में आग लगने से निश्चित रूप से फसल की क्षति हुई है।
ii. जिस फसल की क्षति हुई है, उसका विवरण तथा फसल किस खेत में लगाया गया था, उसका विवरण तथा सत्यापन।
iii. यह सत्यापित करेंगे कि क्षति उक्त भूमि के वास्तविक उपज का 50 प्रतिशत या उससे अधिक है अथवा नहीं ।
iv. जिन परिवारों की फसल की क्षति हुई उनका विवरण वे लघु/सीमान्त कृषक परिवार हैं या भिन्न।

उपरोक्त जांच प्रतिवेदन का अंचल निरीक्षक तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर सत्यापन करेंगे। उपर्युक्त सत्यापन के पश्चात अग्निकांड में हुई फसल क्षति का ब्यौरा अंकित करते हुए कृषक के नाम से अभिलेख तैयार की जाएगी तथा स्पष्ट अनुसंशा के साथ घटना के कारणों तथा क्षति का ब्यौरा अभिलेख में अंकित करते हुए अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजी जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से जांच कराकर एवं संतुष्ट होकर अभिलेख की स्वीकृति देंगे तथा प्रभावित परिवार को निर्धारित मानदर के अनुरूप अनुदान का भुगतान अंचल पदाधिकारी के द्वारा चेक के माध्यम से की जाएगी। अनुदान का भुगतान मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि लघु शीर्ष-114-कृषि लागतों के कय के लिए किसानों को सहायता उपशीर्ष 0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) मद से की जाएगी। आवंटन में कमी होने या अनुपलब्धता पर जिला पदाधिकारी पूर्व के आवंटन के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ अतिरिक्त आवंटन की मांग करेंगे, जिसे आपदा प्रबंधन विभाग नियमानुसार तथा बजट में आवंटन की उपलब्धता के आधार पर यथोचित कार्रवाई तत्परता से करेगा ।

विश्वासभाजन,

(आर॰ के॰ सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - I प्रा0आ0-05/2007 1023 /आ0प्र0 दिनांक - 21/4/09
प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(आर॰ के॰ सिंह)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(43) गैस लीक से अग्निकाण्ड से पीड़ित को अनुदान :

पत्रांक–01/प्रा0आ0–25/2015/......................./आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– खाना बनाने के क्रम में गैस लीक से हुई अग्निकांड में मृत व्यक्ति के आश्रित को अनुग्रह अनुदान भुगतान करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–26 दि0–08.03.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि अग्निकांड की घटना किसी भी कारण से हो, को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखा गया है तथा साहाय्य मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान एवं अन्य अनुदान अनुमान्य है।

अतः अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अनिरूद्ध कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–....1307......../आ0प्र0, पटना–15 दि0– 25/3/16

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी, (पश्चिम चम्पारण, बेतिया को छोड़कर), बिहार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक–(44) ओलावृष्टि/चक्रवाती तूफान/भूकम्प से प्रभावितों को राहत वितरण :

पत्रांक– 1587 /आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

अत्यावश्यक
महत्वपूर्ण

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 1/5/15

विषय : **राज्य में आए ओलावृष्टि/ चक्रवातीय तूफान/ भूकम्प से प्रभावितों को राहत वितरण के संबंध में महत्वपूर्ण अनुदेश।**

महाशय,

अवगत है कि राज्य में ओलावृष्टि, असामयिक वर्षा एवं शीतलहर के कारण बड़े पैमाने पर फसलों की क्षति की सूचना विभिन्न जिलों द्वारा विभाग एवं सरकार को भेजी गयी। जिलों से प्राप्त फसलों के क्षति प्रतिवेदन के आलोक में कृषि विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को सूचित किया गया कि लगभग 19.00 लाख से अधिक किसानों की फसलें 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हुई हैं। तदनुसार कृषि विभाग द्वारा S.D.R.F. के नए मानदर के अनुसार राशि की गणना कर 37 जिलों के लिए 1784.00 करोड़ से अधिक राशि की मांग कृषि इनपुट अनुदान मद में की गयी। राज्य सरकार ने उक्त राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है एवं 416.00 करोड़ रुपये से अधिक की राशि इस विभाग द्वारा कृषि विभाग को उपलब्ध करा दी है एवं तदनुसार केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए मेमोरेण्डम केन्द्र सरकार को भेजा गया है। अब कृषि विभाग ने कई जिलों से प्राप्त अतिरिक्त फसल क्षति प्रतिवेदन का आंकड़ा भेजते हुए सूचित किया है कि स्वीकृत राशि से भी अधिक राशि की आवश्यकता होगी। ओलावृष्टि/असामयिक वर्षा/ वज्रपात के कारण 20 व्यक्तियों की जानें भी गयी।

2. ओलावृष्टि आदि से प्रभावित किसानों के लिए राहत वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ ही की जा रही थी कि इसी बीच दिनांक 21 अप्रैल, 2015 की रात्रि में राज्य के कई जिले चक्रवातीय तूफान की चपेट में आ गए। चक्रवातीय तूफान के कारण 59 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कई जिलों में गृहक्षति हुई तथा फसलों की भी क्षति हुई। खासकर पूर्णियां जिले में व्यापक क्षति की सूचना प्राप्त हुई।

3. इसी बीच दिनांक 25 एवं 26 अप्रैल, 2015 को नेपाल में आए भूकम्प का असर राज्य के सभी जिलों में पड़ा तथा अबतक 58 व्यक्तियों की मृत्यु एवं कई जिलों से गृहक्षति की सूचना प्राप्त है।

4. अवगत हैं कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के बीच त्वरित राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध एवं कृत संकल्प है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के मद्देनजर विभिन्न जिलों को इस विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश निर्गत किये गये एवं आवंटन भी भेजा गया। निर्देश दिया गया कि जिन लोगों की मृत्यु इन आपदाओं के कारण हुई है उनके आश्रितों को तुरंत 4.00 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाए। प्रसन्नता का विषय है कि संबंधित जिलों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुदान का भुगतान कर दिया गया। जिलों को यह भी निदेशित किया गया कि चक्रवातीय तूफान के कारण गृहक्षति/फसल क्षति का आकलन कर शीघ्र प्रतिवेदन भेजें ताकि केन्द्र सरकार को मेमोरेण्डम

भेजा जा सके। साथ ही निदेशित किया गया कि जिनके कच्चे–पक्के मकान पूर्णतया नष्ट या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गये हों अथवा जिनकी झोपड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गयी हों, वैसे परिवारों को मुफ्त साहाय्य तथा कपड़ा एवं बर्तन के लिए अनुदान राशि का वितरण किया जाए। तद्नुसार जिलों की अधियाचना पर राशि का आवंटन किया गया एवं किया जा रहा है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के बीच कृषि इनपुट अनुदान वितरण हेतु कृषि विभाग को आवंटित 416.00 करोड़ रुपये की राशि का भी उपावंटन उक्त विभाग द्वारा विभिन्न जिलों को किया गया है।

5. भूकम्प से जिनके कच्चे–पक्के मकान पूर्णतया नष्ट या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गए हों अथवा जिनकी झोपड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गयी हों, वैसे परिवारों को भी मुफ्त साहाय्य तथा कपड़ा/बर्तन के लिए अनुदान राशि के वितरण का भी निदेश भेजा गया है।

6. यह आशा की जाती है कि उपरोक्तानुसार सभी प्रकार की आपदा से प्रभावितों की सूची पूर्ण पारदर्शिता के साथ जिलास्तर पर जिला के वरीय पदाधिकारियों की देखरेख में तैयार की गई होगी एवं उक्त सूची के अनुसार ही निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की देखरेख में पंचायत स्तरीय कैम्पों के माध्यम से साहाय्य मद में राशि का भुगतान किया जा रहा होगा। अवगत हैं कि मुफ्त साहाय्य मद में 1.00 क्वि० अनाज, 2,000/– रु० नकद अनुदान, 1,800/– रु० कपड़ा एवं 2,000/– रु० बर्तन के मद में दिया जाना है। फसल क्षति एवं गृहक्षति के लिए देय अनुदान की दरें विभागीय वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं।

7. परन्तु कतिपय स्रोतों से यह सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा जनता को बरगलाकर आपदा प्रभावित नहीं होने पर भी आपदा प्रभावितों की सूची में उनका नाम जुड़वाने का प्रयास किया गया है। यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कतिपय सरकारी कर्मियों की संलिप्तता भी इस कार्य में है। साथ ही, कृषि विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग को ओलावृष्टि से फसल क्षति के संबंध में किसानों का जो विवरण एवं संख्या प्रतिवेदित की गई है, उसके अनुसार पूर्ण सूची कतिपय जिलों में संधारित नहीं है। गृह क्षति के संबंध में सूचना प्राप्त हो रही है कि बिना जॉच पड़ताल के कतिपय जिलों में सूची तैयार कर ली गयी है एवं उसी के अनुसार मुफ्त साहाय्य का वितरण हो रहा है। फलतः कई जगह विधि–व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। उदाहरण के लिए पूर्णिया जिले में 41,000 मकानों के चक्रवातीय तूफान से क्षतिग्रस्त होने की जानकारी उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से दी गयी थी, परन्तु अब वहां क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या काफी ज्यादा बतायी जा रही है।

8. अतएव राहत वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने एवं प्रभावितों तक सही ढंग से राहत पहुँचाने हेतु निम्न निदेश दिए जाते हैं :

(i) सभी जिला पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्त्ता/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ अपर जिला दण्डाधिकारी स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम से क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा तैयार सूची की रैण्डम जांच करा लें ताकि ऐसा नहीं हो कि जो लोग वास्तव में आपदा से प्रभावित हुए हैं, उनमें से किसी का नाम छूट जाए एवं गैर प्रभावितों का नाम सूची में जुड़ जाए। यह प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी कि वे सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कर इसे सुनिश्चित करें।

(ii) गृह क्षति के आंकड़ों की शुद्धता के लिए आवश्यक है कि जो भी गृह क्षति हुई है उसकी फोटोग्राफी कराकर रिकॉर्ड में संधारित किया जाए एवं गृह क्षति का प्रतिवेदन

विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शीघ्र भेजा जाए। ज्ञातव्य हो कि पूर्णतया नष्ट एवं अत्यधिक क्षतिग्रस्त कच्चे–पक्के घरों तथा क्षतिग्रस्त झोपड़ियों के लिए ही मुफ्त साहाय्य का वितरण किया जाना है। साथ ही सभी क्षतिग्रस्त घरों के लिए S.D.R.F. के मानदर के अनुसार गृहक्षति का भुगतान किया जाना है। फोटोग्राफी पर होनेवाला व्यय बाढ़ प्रवण जिलों में आबादी निष्क्रमण मद तथा आकस्मिक मद में दी गयी राशि से विकलनीय होगा तथा शेष जिलों में आवश्यकतानुसार विभाग से राशि आवंटित की जाएगी।

(iii) जैसा कि पूर्व में निदेशित है, ओलावृष्टि आदि से जिन किसानों की फसल क्षति हुई है, उनकी सूची जिलों के बेवसाइट पर प्रदर्शित करनी है। उसी प्रकार से गृहक्षति की भी फोटोयुक्त सूची जिलों के बेवसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) राहत वितरण पंचायत स्तरीय निगरानी समिति–सह–अनुश्रवण समिति के समक्ष कैम्पों में किया जाना है। किन्तु फसल क्षति/गृहक्षति/अन्य लाभुकों की सूची का अनुमोदन उक्त अथवा किसी अन्य समिति द्वारा नहीं किया जाना है। यदि बेवसाइट पर प्रदर्शित सूची के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त हो तो आपत्तियों की जाँच वरीय पदाधिकारियों की टीम से कराकर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

(v) जो भी राशि वितरित की जा रही है, उसका रेकॉर्ड सही ढंग से संधारित किया जाएगा एवं व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को बिना देर किए भेजा जाएगा।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1587/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 1/5/15

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव, कृषि विभाग/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सभी जिलों के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव/मा0 मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(45) वज्रपात के कारण मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान

पत्रांक 1 प्रा०आ०–बजट–उप०–58/2009....................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

विषय: **वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान करने के संबंध में ।**

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 48(1) अन्तर्गत गठित राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के मार्गदर्शिका के अनुसार अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, चक्रवातीय तूफान, सुनामी, बादल का फटना तथा कीट आक्रमण के लिए राहत देय है एवं इसके लिए मापदण्ड निर्धारित है। वज्रपात (आसमानी बिजली का गिरना) को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। फलस्वरूप राज्य आपदा रिस्पौंस कोष से वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिया जाना संभव नहीं है।

2. दिनांक 10.05.2010 को सम्पन्न आपदा राहत कोष समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2009–10 में घटित वज्रपात से मृत्यु की घटनाओं एवं उसके बाद की अवधि के लिए मृतकों के आश्रितों को राज्य के बजट से प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्धारित मानदर के अनुसार आपदा राहत कोष के अंतर्गत ही अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ज्ञातव्य है कि आपदा राहत कोष का नाम परिवर्तित होकर अब राज्य आपदा रिस्पांस कोष हो गया है।

3. उक्त निर्णय के अनुसरण में एक नया शीर्ष "गैर योजना मुख्य शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष –02 बाढ़ चक्रवात आदि – लघुशीर्ष –101– अनुग्रहित अनुदान उपशीर्ष 0010 –वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान" खोला गया है। इसी शीर्ष से वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्धारित मानदर के अनुसार अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जा रहा है।

4. अत: आदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं उसके बाद की अवधि में वज्रपात (आसमानी बिजली का गिरना) से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य आपदा रिस्पांस कोष के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्धारित मानदर के अनुसार राज्य कोष से अनुग्रह अनुदान अनुमान्य होगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक ..../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक ..../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय प्रेस, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रति मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह0/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक ...2203.../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 11.7.12

प्रतिलिपि: सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सभी सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011

अधिसूचना संख्या ......2388......./आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25/7/11

चूँकि राज्य में रहने वाले निर्धन, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य आघातयोग्य/कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की घटनाओं की रोकथाम करना तथा आसान पहुँच सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है, और चूँकि, समाज के समाज के आघातयोग्य वर्गों का राज्य के भौतिक संसाधनों पर वैधानिक स्वामित्व एवं नियंत्रण है। इसलिए बिहार के राज्यपाल भारत संविधान के अनुच्छेद 39(ख) के अधीन निम्नलिखित नियमावली बनाते है :

1. संक्षिप्त नाम, विस्ताव एवं आरंभ –

(1) यह नियमावली "शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली 2011" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. परिभाषा

जब तक कि, संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में

(i) "अंचल अधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के द्वारा इस रूप में पदाभिहित अधिकारी।

(ii) "प्रखण्ड विकास पदाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के द्वारा इस रूप में पदाभिहित अधिकारी।

(iii) "आपदा प्रबंधन विभाग" से अभिप्रेत है बिहार सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग।

(iv) "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

(v) "समाज कल्याण विभाग" अभिप्रेत है बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग।

(vi) "जिला दण्डाधिकारी" से अभिप्रेत है जिला के जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता।

(vii) "निधि" से अभिप्रेत है इस योजना के अधीन गठित निधि,

(viii) "मुखिया" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में कार्यरत व्यक्ति,

(ix) "नियमावली" से अभिप्रेत है शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011,

(x) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार,

(xi) "वार्ड पार्षद" से अभिप्रेत है किसी नगरीय वार्ड का पार्षद जैसा कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अधीन परिभाषित है।

(xii) "कल्याणकारी योजनाएँ" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा बिहार राज्य में क्रियान्वयन के अधीन केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ,

(xiii) "योजना" से अभिप्रेत है शताब्दी अन्न कलश योजना।

2. इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही होंगे जो बिहार राज्य की आम भाषा में समझे जाते हैं।

3. निधि/कोष का गठन एवं प्रबंधन—(1) राज्य शताब्दी अन्न कलश निधि के नाम एवं शैली से राज्य स्तर पर राज्य निधि नामक एवं सभी जिलों में जिला शताब्दी अन्न कलश निधि नामक नामक जिला निधि का गठन, इस योजना अधीन कमजोर/आघातयोग्य वर्गों को दिये जाने वाले खाद्यान्नों के भुगतान करने के प्रयाजनार्थ किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अधीन आवंटित सभी राशि इस निधि में रखी जाएगी। इस निधि में आम जनता को भी नगद अंशदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(3) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति राज्य निधि का प्रबंधन करेगी। हालाँकि समाज कल्याण विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव/प्रधान सचिव समिति की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे।

(4) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार जिला निधि का प्रबंधन करेगा। हालाँकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति) तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे।

(5) बिहार सरकार प्रारंभिक निधि के रूप में रू0 10 करोड़ राज्य निधि को आवंटित करेगी तथा राज्य कार्यकारिणी समिति के परामर्श से, वार्षिक आवंटन करेगी। इस

प्रकार से किये गये आवंटन, आपदा प्रबंधन विभाग के वार्षिक गैर–योजना बजट का भाग होगा।

(6) राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा निर्णीत मानदण्डों के अनुसार राज्य निधि से किश्तों में आवंटन जिलों को दिया जायेगा। यद्यपि कि अगली किश्त पूर्ववर्ती किश्त के 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त ही विमुक्त की जायेगी।

4. निधि का लेखा एवं अंकेक्षण – (1) इस निधि को संबंधित निधि के नाम से खोले गए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता में रखा जाएगा तथा इससे मिलने वाली ब्याज भी इसी निधि का भाग होगी।

(2) राज्य एवं जिला निधि के लेखा का संधारण क्रमशः आपदा प्रबंधन विभाग एवं संबंधित जिला पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा।

(3) इस निधि का वार्षिक अंकेक्षण, वित्त विभाग के अंकेक्षण शाखा द्वारा किया जाएगा तथा प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग के अंकेक्षण शाखा द्वारा किया जाएगा तथा प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग को सौंपी जाएगी।

5. इस नियमावली अधीन मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत सदस्य एवं अन्य पंचायत स्तरीय कृत्यकारियों के कर्त्तव्य – (1) ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत वार्ड सदस्य तथा अन्य पंचायत स्तरीय कृत्यकारियों तथा नगर क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षद का यह कर्त्तव्य होगा कि वे यथाशक्ति अपने क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे गरीब, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य आघातयोग्य वर्गों/परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता के बारे में सतर्क/चौकस रहें। वे उन आघातयोग्य परिवारों, जो संसाधन विहीन हों तथा जिनके पास आजीविका का कोई साधन न हो या जो, उनके नियंत्रण से परे हालातों के कारण, स्थायी या अस्थायी रूप से आजीविका कमाने में अक्षम बना दिये गये हों, के लिए को खाद्यान्न की उपलब्धता पर विशेष चौकसी/सतर्कता रखेंगे।

(2) इस नियमावली में निर्देशित पंचायत स्तरीय कृत्यकारियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, आशा कार्यकर्त्ता, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, जन सेवक आदि शामिल होंगे।

(3) यथा स्थिति मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य या वार्ड पार्षद को चौकसी बरतने में अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के कृत्यकारियों से सहायता प्राप्त

करने का अधिकार होगा। उन्हें सिविल सोसाईटी संगठनों से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

(4) किसी अधातयोग्य/परिवार की भूखमरी की दशा की सूचना प्राप्त होते ही यथा स्थित, मुखिया, वार्ड पार्षद, ग्राम पंचायत के सदस्य या उपर्युक्त कृत्यकारी तत्परता से जाँच करेंगे तथा यथास्थिति मुखिया, वार्ड पाषर्द या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को एक प्रतिवेदन सौपेंगे।

6. शताब्दी अन्न कलश योजना : (1) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग एवं संबंधित जिला पदाधिकारी से परामर्श से राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत में एक नामनिर्दिष्ट जनवितरण प्रणाली विक्रेता की दूकान में एक क्वींटल गेहूँ/चावल का चक्रीय स्टॉक संधारित करेगा। नगरीय क्षेत्र में जिला दण्डधिकारी ऐसे निर्दिष्ट जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को चिन्हित करेंगे जहाँ खाद्यान्नों का चक्रीय स्टॉक का भण्डारण किया जा सके।

(2) राज्य खाद्य निगम के गोदामों से चक्रीय स्टॉक के उठाव के लिए भुगतान संबंधित जन वितरण प्रणाली की दूकान के मालिक द्वारा यिका जायेगा।

(3) भूखमरी की दशा का सामना कर रहे निर्धन, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य आद्यात योग्य समूहों/परिवारों को इस नियमावली में विर्निदिष्ट रीति से तथा मात्रा में मुफ्त खाद्यान्न इस चक्रीय स्टॉक से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) इस नियमावली के अधीन इस चक्रीय स्टॉक से निकाले गये खाद्यान्नों के लिए संबंधित जन वितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला निधि से शीघ्रता से किया जायेगा।

(5) चक्रीय स्टॉक से उपयोग किये गये खाद्यान्नों के लिए जिस दर पर जन वितरण प्रणाली की दूकान को भुगतान किया जाएगा वह, समय–समय पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के परामर्श से, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निश्चित की जायेगी।

(6) आघातयोग्य वर्गों का कोई व्यक्ति यदि भूखमरी की दशा का सामना करते हुए पाया जाता है तो यथास्थिति मुखिया, वार्ड पार्षद, तत्काल संबंधित जनवितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को चक्रीय स्टॉक से निम्नलिखित स्केल पर संबंधित व्यक्ति को खाद्यान्नों की आपूर्ति तुरंत करने हेतु निर्देश देगा :

(i) 10 कि0ग्रा0 (दस किलोग्राम) एक व्यस्क को एक सप्ताह के लिए

(ii) 7 कि0ग्रा0 (सात किलोग्राम) एक अव्यस्क को एक सप्ताह के लिए

(7) यथास्थिति मुखिया या वार्ड पार्षद, के निर्देश पर संबंधित जनवितरण प्रणाली की दूकान का मालिक शीघ्रता से खाद्यान्नों की आपूर्ति संबधित व्यक्ति को करेगा। चक्रीय स्टॉक से उपयोग किये गये खाद्यान्न के अभिलेख का संधारण जन वितरण प्रणाली की दूकान के मालिक द्वारा किया जायेगा।

(8) संबंधित व्यक्ति को खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के तुरंत पश्चात यथास्थिति, मुखिया या वार्ड पार्षद इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी को देंगे।

(9) सूचना की प्राप्ति पर अथवा अन्यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, बिना किसी बिलंब के भूखमरी के कारण के संबंध में संयुक्त जाँच करेंगे तथा संबंधित व्यक्ति को अतिरिक्त खाद्यान्नों की आवश्यकता एवं आजीविका के साधनों का आकलन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में यह संयुक्त जांच 3 (तीन) दिनों के भीतर संचालित कर ली जायेगी।

(10) यदि, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी में से कोई एक, यदि मुख्यालय में उपस्थित न हों, तो उपस्थापित पदाधिकारी बिना दूसरे के योगदान करने का इंतजार किये, इस जांच को संचालित करेगा।

(11) यदि जांच पड़ताल के उपरांत, पदाधिकारियों का समाधान हो जए कि संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को खाद्यान्नों की आगे भी आपूर्ति की आवश्यकता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, जनवितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को संबंधित व्यक्ति को इस नियमावली में विहित स्केल पर अतिरिक्त 3 (तीन) सप्ताह के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति करने हेतु तुरंत निर्देश देगा। इस प्रकार, भूखमरी का सामना कर रहे व्यक्ति को उपर्युक्त रीति से एवं मात्रा में, शुरू में चार सप्ताह के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति की जायेगी।

(12) उपर्युक्त संबंधित व्यक्तियों को खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् तुरंत संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी को सुपुर्द किया जायेगा। अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवेदन में पदाधिकारी, संबंधित व्यक्तियों को आजीविका उपलब्ध कराने/अन्य कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने और संबंधित व्यक्तियों को 4 (चार) सप्ताह के अतिरिक्त आगे खाद्यान्नों की आपूर्ति करने का आकलन करेंगे।

(13) सभी ऐसे व्यक्तियों का एक अभिलेख, जिन्होंने चक्रीय स्टॉक से खाद्यान्न प्राप्त किया है, पंचायत, नगरीय वार्ड तथा प्रखण्ड स्तर पर क्रमशः मुखिया, वार्ड पार्षद एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा।

(14) पदाधिकारियों से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित व्यक्ति को, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से, यदि वह पूर्व में आच्छादित न हो, आच्छादित किया जाय। यदि वह पूर्व से कल्याणकारी योजनाओं के अधीन आच्छादित हो तो जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन योजनाओं का लाभ बिना किसी असम्यक बिलंब के, संबंधित व्यक्ति को प्राप्त हो जाय। वे इस विषय में आगे की जांच के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित व्यक्ति की समुचित देखभाल हो रही है, अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित कर सकेंगे।

(15) यदि जिला पदाधिकारी का समाधान हो जाय कि संबंधित व्यक्ति की दशा ऐसी हो कि उसे एक माह से अधिक के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो वे संबंधित जनवितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को खाद्यान्न आपूर्ति करने का निर्देश देंगे।

परन्तु जिला पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त होने, जैसा कि नियम 6 के उप नियम 14 में प्रावधानित किया गया है, के पश्चात खाद्यान्न की आपूर्ति बंद कर देंगे।

(16) यदि चक्रीय स्टॉक में खाद्यान्न खत्म हो गया हो तो जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी आपूर्ति हेतु बाजार से खाद्यान्नों का क्रय करने का आदेश दे सकेंगे। सभी ऐसे मामलों में ऐसे खाद्यान्नों के लिए भुगतान जिला निधि से भी किया जायेगा।

(17) सभी मुखिया, वार्ड पार्षद, ग्राम पंचायत के सदस्य तथा अन्य सरकारी कृत्यकारियों से, जिन्हें इस नियमावली के अधीन कोई कार्य सौपें गये हैं, अपेक्षा की जायेगी कि वे तत्परता के साथ तथा बिना असम्यक् विलंब के अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यदि वे जानबूझ कर समनुदेशित कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफल होते हैं तो यह कदाचार के तुल्य होगा तथा संसंगत अधिनियमों एवं आचरण नियमावली के अधीन उनसे कड़ाई से निपटा जायेगा।

7. अनुश्रवण तंत्र तथा नोडल प्राधिकार : (1) इस योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण पंचायत स्तर पर मुखिया/ग्राम पंचायत के सदस्य, नगरीय वार्ड स्तर पर वार्ड पार्षद, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिलापदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) राज्य स्तर पर इस योजना का अनुश्रवण आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जायेगा।

(3) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी नोडल प्राधिकार होंगे तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग नोडल प्राधिकार होगा।

8. पारदर्शिता : (1) इस योजना के क्रियान्वयन में सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी। यदि यह पाया जाता है कि कोई एक स्तर क्रियाशील नहीं है तो उससे ऊपर के स्तर द्वारा इस नियमावली के अधीन नीचे के स्तर को न्यस्त दायित्व स्वयं तत्परता से ग्रहण कर लिया जाएगा।

(2) इस नियमावली के अधीन पारित सभी आदेश तथा ऐसे मामलों का जिनमें सहायता प्रदान की गयी हो, प्रकाशन संबंधित जिला के द्वारा उसके बेवसाईट (**Website**) पर, पूर्ण ब्योरे के साथ किया जायेगा।

9. विवेचना तथा कठिनाईयों का समाधान : यदि इस नियमावली के निर्वचन में अथवा इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आपदा प्रबंधन विभाग उसका निर्वचन करने के लिए सक्षम होगा तथा उसके क्रियान्वयन के लिए अनुदेश जारी करेगा। ऐसे सभी विषयों में उस विभाग का विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

संख्या–1/आ0प्र0यो0–13/2010 2519 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–27/7/11

विषय– राज्य में शताब्दी अन्न कलश योजना 2011 का कार्यान्वयन।

राज्य में रहने वाले निर्धन, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की घटनाओं की रोकथाम करने तथा समाज के कमजोर वर्गों को भूखमरी की स्थिति में खाद्यान्न की आसान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु शताब्दी अन्न कलश योजना के नाम से एक योजना स्वीकृत की गयी है। तत्संबंधी शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली 2011 अधिसूचना संख्या–2388 दिनांक–25.07.2011 द्वारा निर्गत है। अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक –1 पर संलग्न है। तदनुसार शताब्दी अन्न कलश योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।

2. इस योजना के मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार हैं :–

(i) इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य शताब्दी अन्न कलश निधि एवं सभी जिलों में जिला शताब्दी अन्न कलश निधि नाम से कोष का गठन किया जायेगा, जिसमें से कमजोर/ आघातयोग्य वर्गों को दिये जाने वाले खाद्यान्न का भुगतान किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अधीन आवंटित सभी राशि इस निधि में रखी जाएगी। इस निधि में आम जनता को भी नगद अंशदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(ii) राज्य एवं जिला निधि के लेखा का संधरण क्रमशः आपदा प्रबंधन विभाग एवं संबंधित जिला पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। इस निधि/ कोष का वार्षिक अंकेक्षण, वित्त विभाग के अंकेक्षण शाखा द्वारा किया जाएगा।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य तथा अन्य पंचायत स्तरीय कर्मियों तथा नगरीय क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षदों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे यथाशक्ति अपने क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे निर्धन, बूढ़े, कमजोर, विधवा,

निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों/ परिवारों को खाना उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं, इस पर नजर रखें। वे ऐसे परिवारों, जो संसाधन विहीन हो तथा जिनके पास आजीविका का कोई साधन न हो या जो, परिस्थितियों के दबाव से, स्थायी या अस्थायी रूप से आजीविका कमाने में अक्षम हो गये हों, को खाना उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं, इस पर विशेष चौकसी/ सतर्कता रखेंगे। मुखिया, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य या वार्ड पार्षद को यथा स्थिति में चौकसी बरतने में अपने क्षेत्र यथा ग्राम पंचायत/ वार्ड/ नगरीय क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कर्मियों/ पदाधिकारियों से सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। वे असैनिक सामाजिक संगठनों से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

(iv) किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति/ परिवार के भूखमरी की स्थिति की सूचना प्राप्त होते ही यथा स्थिति मुखिया, वार्ड पार्षद, ग्राम पंचायत के सदस्य या उपर्युक्त सरकारी कर्मी/ पदाधिकारी तत्परता से जाँच करेंगे तथा यथास्थिति मुखिया, वार्ड पार्षद या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्रतिवेदन सौपेंगे।

(v) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित जिला पदाधिकारी से परामर्श के आलोक में राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत में एक निर्दिष्ट जनवितरण प्रणाली विक्रेता की दूकान में एक क्वींटल खाद्यान्न का रिवाल्विंग स्टॉक संधारित करेगा। नगरीय क्षेत्र में जिला दण्डाधिकारी ऐसे निर्दिष्ट जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को चिन्हित करेंगे जहाँ खाद्यान्न के रिवाल्विंग स्टॉक का भण्डारण किया जा सके।

(vi) भूखमरी की स्थिति का सामना कर रहे कमजोर, बूढ़े, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों/ परिवारों को इस नियमावली में उल्लिखित प्रकिया के अनुसार तथा निर्दिष्ट मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न इस रिवाल्विंग स्टॉक से उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) उपरोक्तानुसार चिन्हित कमजोर वर्गों के किसी व्यक्ति अथवा परिवार के समक्ष भूखमरी का संकट उत्पन्न होने पर मुखिया, वार्ड पार्षद, यथास्थिति, तत्काल संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता को संबंधित व्यक्ति को रिवाल्विंग स्टॉक से निम्न मात्रा में मुफ्त खाद्यान्न आपूर्त्ति करने हेतु निदेशित करेंगे:

(a) प्रति वयस्क 10 कि0ग्रा0 (दस किलोग्राम) खाद्यान्न एक सप्ताह के लिए

(b) प्रति अवयस्क 7 कि0ग्रा0 (**सात किलोग्राम**) खाद्यान्न एक सप्ताह के लिए

(viii) मुखिया या वार्ड पार्षद, **यथास्थिति,** के निर्देश पर संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता तत्परतापूर्वक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति संबंधित व्यक्ति को करेगा। रिवाल्विंग स्टॉक से उपयोग किये गये खाद्यान्न के अभिलेख का संधारण जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा किया जायेगा। उक्त विक्रेता को खाद्यान्न का भुगतान जिला निधि से किया जाएगा।

(ix) संबंधित व्यक्ति को खाद्यान्न की आपूर्त्ति सुनिश्चित करने के तुरंत पश्चात यथास्थिति, मुखिया या वार्ड पार्षद इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी को देंगे।

(x) सूचना की प्राप्ति अथवा अपनी पहल पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, **बिना किसी विलंब के** भूखमरी के कारणों के संबंध में जॉच करेंगे तथा संबंधित व्यक्ति को अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता एवं उसकी आजीविका के साधन का आकलन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में यह जांच तीन दिनों के भीतर कर ली जायेगी।

(xi) यदि जॉच के उपरांत, **पदाधिकारी(गण)** संतुष्ट हैं कि संबंधित व्यक्ति को अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता **है,** तो वह शीघ्रताशीघ्र जनवितरण प्रणाली विक्रेता को संबंधित व्यक्ति को इस नियमावली में निर्दिष्ट मात्रा के अनुसार अतिरिक्त तीन सप्ताहों के लिए मुफ्त खाद्यान्न आपूर्त्ति करने हेतु निदेशित करेगा। इस प्रकार, भूखमरी का सामना कर रहे व्यक्ति को उपर्युक्त प्रक्रियानुसार एवं मात्र में, दो चरणों में चार सप्ताहों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्त्ति रिवाल्विंग स्टॉक से की जायेगी।

(xii) संबंधित व्यक्ति को उपर्युक्त तरीके से खाद्यान्न आपूर्त्ति सुनिश्चित करने के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवेदन में पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को आजीविका उपलब्ध कराने एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने का सुझाव देंगे। साथ ही उसे चार सप्ताह के लिए दिए गए मुफ्त

खाद्यान्न के अतिरिक्त भी खाद्यान्न आपूर्त्ति करने की आवश्यकता का आकलन करेंगे।

(xiii) पदाधिकारी(गण) से प्रतिवेदन प्राप्त होते ही जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की संबंधित व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से, यदि वह पूर्व में आच्छादित न हों, आच्छादित किया जाय। यदि संबंधित व्यक्ति पूर्व से कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित हों तो जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन योजनाओं का लाभ बिना किसी अनावश्यक बिलंब के संबंधित व्यक्ति को मिल जाय। वे इस विषय में अग्रेतर जांच के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित कर सकेगें। जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ससमय मिल रहा है।

(xiv) यदि जिला पदाधिकारी संतुष्ट हों कि संबंधित व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि उसे एक माह से अधिक के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो वे संबंधित जनवितरण प्रणाली बिक्रेता को खाद्यान्न आपूर्त्ति करने का निदेश निर्गत करेंगे। परन्तु जिला पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त होने, जैसा कि नियम 6 के उप नियम 14 में प्रावधानित किया गया है, के पश्चात खाद्यान्न की आपूर्त्ति बंद कर देंगे।

(xv) यदि रिवाल्विंग स्टॉक में खाद्यान्न खत्म हो गया हो तो जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी बाजार से क्रय कर खाद्यान्न आपूर्त्ति करने का आदेश दे सकेंगे। इस प्रकार के सभी मामलों में खाद्यान्न के लिए भुगतान जिला निधि से किया जायेगा।

(xvi) सभी मुखियागण, वार्ड पार्षदगण, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यगण, तथा अन्य सरकारी कर्मी जिन्हें इस नियमावली के अन्तर्गत परिभाषित कर्त्तव्य सौपें गये हैं, उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे तत्परता तथा बिना विलंब के अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यदि वे जानबूझ कर अपने नियत कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफल होतें हैं तो यह कदाचार के तुल्य माना जायेगा तथा सुसंगत अधिनियमों एवं आचरण नियमों के अन्तर्गत उनसे सख्ती से निपटा जायेगा।

(xvii) इस योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण पंचायत स्तर पर मुखिया/ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य, नगरीय क्षेत्र में वार्ड पार्षद, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिलापदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(xviii) - राज्य स्तर पर इस योजना का अनुश्रवण आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया जायेगा।

(xix) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी नोडल प्राधिकार होंगे तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग नोडल प्राधिकार होगा।

(xx) इस योजना के क्रियान्वयन में सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी। इस नियामावली के अधीन पारित सभी आदेश तथा ऐसे मामलों का जिनमें सहायता प्रदान की गयी हो, प्रकाशन संबंधित जिला के द्वारा उसके बेवसाईट पर, पूर्ण ब्योरे (Web site) के साथ किया जायेगा।

3. राज्य में शताब्दी अन्न कलश योजना का कार्यान्वयन तत्काल प्रभाव से किया जाएगा।

(ब्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2419/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 27/7/11

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2419/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 27/7/11

प्रतिलिपि- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को (साफ्ट कॉपी सी0डी0 सहित) प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विभाग गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए तथा प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियां आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को भेजी जाय।

प्रधान सचिव

पत्रांक– 1प्रा0आ0–17/2015 ....1432....../आ0प्र0 4/4/16.

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

विषय : **आपदा प्रभावित परिवारों को मुफ्त साहाय्य के रूप में उपलब्ध कराए जानेवाले 1 क्वीं0 खाद्यान्न के स्थान पर ₹ 3,000/– (तीन हजार रुपये) की राशि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।**

महाशय,

कृपया अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं/स्थानीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को वर्ष 2015–20 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 की तिथि से प्रभावी साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य मुहैय्या कराने के संबंध में प्रेषित विभागीय पत्रांक 1913 दिनांक 26.05.2015 का उल्लेख किया जाए। अवगत हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल मुफ्त साहाय्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ती है । संसूचित मानदर के अनुसार मुफ्त साहाय्य के रूप में प्रति वयस्क 60/– रु0 प्रतिदिन एवं प्रति अवयस्क 45/– रु0 प्रतिदिन की राशि निर्धारित है। तद्नुसार उक्त पत्र में अंकित किया गया है कि ऐसे मामलों में प्रभावित परिवारों को मुफ्त साहाय्य के रूप में 01 क्विंटल खाद्यान्न (50 किलो गेहूँ+ 50 किलो चावल) तथा 3,000/– नकद अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि यह मुफ्त साहाय्य एक माह की अवधि के लिए दिया जाता है।

2. अवगत हैं कि अभी तक प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर उपरोक्तानुसार खाद्यान्न की व्यवस्था राज्य खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न से कर ली जाती है तथा भारत सरकार से O.M.S.S. (Open Market Sales Scheme) योजनान्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होने पर व्यवहृत खाद्यान्न का समायोजन तद्नुसार किया जाता है। परन्तु वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाने एवं OMSS योजना को भारत सरकार द्वारा बन्द कर दिये जाने के कारण राज्य खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्नों के मुफ्त साहाय्य के रूप में उपयोग करने में कठिनाई उत्पन्न हो गयी है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं के घटित हो जाने के बाद भारत सरकार से मुफ्त साहाय्य मद में खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त किया जाता है, परन्तु आवंटन प्राप्त होने एवं उसके उठाव में काफी समय लग जाने के कारण आपदा पीड़ितों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने में व्यावहारिक कठिनाई होती है।

3. अतएव सरकार ने निर्णय लिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाने तथा OMSS को भारत सरकार द्वारा बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न परिस्थिति में मुफ्त साहाय्य के रूप में खाद्यान्न के मद में प्रति परिवार 3,000/– रु0 नकद राशि उपलब्ध करायी जाए। यह राशि नकद अनुदान मद में दिये जानेवाले 3,000/– रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी।

4. इस प्रकार अगले आदेश तक मुफ्त साहाय्य के रूप में कुल 3,000/– रु0 + 3,000/– रु0 = 6,000 रु0 की राशि पीड़ितों को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी।

5. साथ ही उपरोक्तानुसार मुफ्त साहाय्य तथा बर्त्तन एवं कपड़ा मद में देय अनुग्रह अनुदान, (जैसे– बाढ़/भूकम्प/अग्निकांड/चक्रवातीय तूफान आदि के कारण जिनका घर क्षतिग्रस्त हो गया हो अथवा बाढ़ में सामान बह गया हो) जो वर्तमान मानदर के अनुसार क्रमशः 1,800/– रु0 एवं 2,000/– रु0 प्रति परिवार है, की पूरी राशि NEFT/RTGS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में सीधे उपलब्ध करायी जाएगी। यदि NEFT/RTGS का उपयोग किसी कारणवश संभव न हो तो आपवादिक मामले में A/c payee cheque के माध्यम से राशि लाभुकों को दी जाएगी।

6. कृपया इसे आवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक – (49) पशु राहत शिविर के संचालन के संबंध में :

पत्रांक–1प्र0आ0–13/2016...3236/आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर/ भोजपुर/ पटना/ वैशाली/ सारण/ समस्तीपुर
बेगूसराय/ खगड़िया/ लखीसराय/ मुंगेर/ भागलपुर एवं कटिहार

पटना–15, दि0– 28/8/16

विषय : **पशु राहत शिविर के संचालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बाढ़ से प्रभावित पशुओं के लिए विभिन्नि जिलों में पशु राहत शिविरों का संचालन किया जा रहा है। पशु राहत शिविरों के सफल संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाय :–

1. पशु राहत शिविरों में रखे गये/लाये गये पशुओं एवं उनके पशुपालकों का पंजीकरण हेतु एक रजिस्ट्रेशन कांउटर खोला जाय जो रजिस्ट्रेशन –सह–नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष में एक ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था की जाय।
2. पशु शिविरों में रखे गये पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में पशु चारा यथा भूसा, चुन्नी एवं चोकर आदि की व्यवस्था की जाय।
3. प्रत्येक पशु राहत शिविर में आवश्यक पशु दवाओं के साथ एक पशु चिकित्सक को प्रतिनियुक्त किया जाय।
4. पशुओं को खुले में न रखा जाय बल्कि उनके लिए पशु शेड के रूप में त्रिपाल की व्यवस्था की जाय।

विश्वासभाजन
28/8/16
(अनिरुद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3236 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–28/8/16

प्रतिलिपि– सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/8/16
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3236 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–28/8/16

प्रतिलिपि– सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/8/16
संयुक्त सचिव

अनुलग्नक – (50) नाव एवं नाविकों की मजदूरी निर्धारण करने के संबंध में:

पत्र संख्या- 1/प्रा0आ0-4-1 (नाव) 7/90 - 920/सा0पु0
बिहार सरकार,
साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

प्रेषक,

श्री एन0 के0 सिंह,
साहाय्य आयुक्त, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक-23.06.95

विषय:- नाव एवं नाविकों की मजदूरी निर्धारण करने के संबंध में।

महाशय,

बाढ़ के समय गैर-सरकारी नावों एवं नाविकों की उपयोग से संबंधित मुद्दों, यथा नावों का भाड़ा, नाविकों की मजदूरी इत्यादि को लेकर जिलों से समय-समय पर जिज्ञासाएँ की जाती रही हैं। विधान मंडल में भी इसके संबंध में प्रश्न होते रहे हैं।

2. बिहार अकाल-बाढ़-साहाय्य संहिता के नियम 191, 192, 193 एवं 194 में उपर्युक्त के संबंध में यथेष्ठ एवं आवश्यक अनुदेश अंकित हैं। विभागीय पत्रांक 3072, दिनांक 23.08.90 के द्वारा भी इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3. बाढ़ के समय नावों एवं नाविकों के उपयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर भली-भाँति विचार करने के बाद निदेशानुसार कहना है कि:

3.1. जैसा कि पूर्व में निदेशित है, बाढ़ के पहले ही, मई मास के आखिर तक, सरकारी नावों की उपलब्धता आँक कर आवश्यकतानुसार उनकी मरम्मति करा ली जाय। मरम्मति के लिए विहित प्रपत्र में उपलब्ध सरकारी नावों की संख्या, मरम्मति योग्य नावों की संख्या, प्रति नाव मरम्मति की दर और इस प्रकार मरम्मति पर आनेवाले कुल व्यय की राशि अंकित करते हुए निधि के लिए विभाग को प्रस्ताव दिये जाय ताकि आवंटन ससमय दिया जा सके।

3.2. जिला में बाढ़ से प्राय: प्रभावित होनेवाले क्षेत्रों को मद्देनजर रखते हुए, नावों की कुल आवश्यकता आँक ली जाए। कई बार सरकारी नावों से आवश्यकता पूरी नहीं होती। ऐसी स्थिति में निजी नाव भाड़े पर लेना लाजिमी हो जाता है। अतएव सरकारी नावों के अलावा जितनी गैर-सरकारी (निजी) नावों को भाड़े पर लेने की आवश्यकता हो, उसका अन्दाजा लगा लिया जाय और तदनुसार उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय। ससमय उन की अधियाचना भी कर ली जाय। अगर मरम्मति की आवश्यकता हो तो अधियाचित नावों के मालिकों से बाढ़ से पहले ही उनकी मरम्मत करा ली जाय ताकि बाढ़ के समय चालन के लिए तुरंत उपलब्ध हो सके।

3.3. गैर-सरकारी (निजी) नावों के आकार एवं भार-वहन क्षमता के आधार पर बड़ी नावों और छोटी नावों की दो श्रेणियों में नावों को रखा जाए और बड़ी एवं छोटी नावों की अलग-अलग प्रतिदिन की दर से भाड़ा निर्धारित किया जाए। प्रमंडल के सभी जिलों में नावों के भाड़े एकरूप हो, इसके लिए आवश्यक है कि भाड़े का प्रस्ताव जिलाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त को भेजें जो नावों के आकार, भार वहन क्षमता एवं स्थानीय प्राप्यता को ध्यान में रखते हुए भाड़ा की दर का अनुमोदन करेंगे।

3.4. नावों के आकार और भार वहन क्षमता को मद्देनजर रखते हुए चालन के लिए एक नाव पर कितने नाविक रखे जायेंगे, यह संख्या जिलाधिकारियों के प्रस्ताव पर प्रमंडलीय आयुक्त निर्धारित करेंगे ताकि इस संबंध में भी एकरूपता बनी रहे।

3.5. नाविकों की मजदूरी के निर्धारण के संबंध में जिलाधिकारी अपने प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त को भेजेंगे और प्रमंडलीय आयुक्त अनुमोदन करते समय यह ध्यान रखेंगे कि उनके क्षेत्र के सभी जिलों में एकरूप मजदूरी निर्धारित हो। मजदूरी का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/ अधिघोषित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार किया जाना चाहिए।

3.6. भाड़े पर ली गई गैर-सरकारी नावें का उपयोग सभी बाढ़ पीड़ितों के द्वारा किया जाना है, सिर्फ उसके मालिक द्वारा ही नहीं।

3.7. बाढ़ के समय उपयोग में आनेवाले नावें, सरकारी या गैर-सरकारी दोनों पर लाल झण्डा लगाया जाना चाहिए ताकि लोग पहचान सकें कि राज्य सरकार द्वारा उनके उपयोग के लिए प्रबंधित नाव हैं।

3.8. प्रखंड/ अंचल स्तर पर निजी नावों और नाविकों के लिए लौग-बुक संधारित किया जाए, जिसमें नावों एवं नाविकों की संख्या, अवधि जिसमें उनका उपयोग किया गया इत्यादि अंकित हो, जैसा कि पूर्व निर्देशित है।

3.9. बाढ़ समाप्ति के बाद विहित-प्रपत्र में अद्यतन प्रतिवेदन दिया जाय जिसमें बाढ़ में उपयोग में लाई गई नावों एवं नाविकों की संख्या, अवधि, नावों के कुल भाड़े और नाविकों की कुल मजदूरी का पूरा विवरण हो ताकि सरकार द्वारा यथेष्ट राशि समय पर उपलब्ध कराने में सुविधा हो और बकाया की नौबत न आवे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(एन0 के0 सिंह)

साहाय्य आयुक्त, बिहार।

अनुलग्नक–(51) सहाय्य कार्य मे लगे नाविकों की मजदूरी दर :

पत्रांक–Iप्रा0आ0–19/2007 3438 /आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 17/11/2009

विषयः साहाय्य कार्य में लगे नाविकों के दैनिक मजदूरी के दर का निर्धारण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–2020 दिनांक 22.07.2009 द्वारा साहाय्य कार्य में लगे नाविकों के लिए मजदूरी की दर 129 (एक सौ उनतीस) रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गयी थी। परन्तु श्रम संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 01.10.2009 के प्रभाव से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता लागू किये जाने के फलस्वरूप श्रम विभागीय अधिसूचना संख्या 3521 दिनांक 29.09.09 के अनुसार प्राईवेट फेरीज एवं एल0टी0सी0 के कुशल श्रेणी के कामगारों हेतु 132.00 रूपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है। अतएव निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.10.2009 के प्रभाव से साहाय्य कार्य में लगे नाविकों की दैनिक मजदूरी रू॰ 132.00 (एक सौ बत्तीस रूपया) होगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्राईवेट फेरीज एवं एल0टी0सी0 के कुशल श्रेणी के कामगारों के लिए निर्धारित मजदूरी संबंधी अधिसूचना के अनुसार ही साहाय्य कार्य में लगे नाविकों को मजदूरी देय होगी।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन
16/11
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 3438 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/11/2009

प्रतिलिपिः संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 3542 दिनांक 30.09.2009 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

16/11
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 3438 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/11/2009

प्रतिलिपिः मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

16/11
प्रधान सचिव

अनुलग्नक– (52) संभावित बाढ़ 2018 की पूर्व तैयारी :

पत्रांक 1प्रा0आ0–06/2016/................../आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सुपौल, मधेपुरा, शिवहर, सहरसा, खगड़िया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, बेगुसराय, भागलपुर (अति बाढ़ प्रवण 15 जिले)।
बक्सर, सारण (छपरा), नालन्दा (बिहारशरीफ), पूर्णियाँ, अररिया, पश्चिम चम्पारण, शेखपुरा, किशनगंज, पटना, भोजपुर, सिवान, लखीसराय, गोपालगंज (बाढ़ प्रवण 13 जिले) एवं नवादा, मुंगेर, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल।

पटना–15, दिनांक–

विषयः संभावित बाढ़ 2018 की पूर्व तैयारियों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण माने जाते है। इनमें से 15 अति बाढ़ प्रवण जिले हैं। गत् वर्ष भी राज्य के 19 जिले बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। वर्ष 2013 में गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण मुंगेर जिला भी बाढ़ से प्रभावित जिला रहा है। वर्ष 2016 में भी यह जिला बाढ़ से प्रभावित रहा। इसके अतिरिक्त स्थानीय नदियों यथा पुनपुन, फल्गू, कर्मनाशा एवं सोन नदी में पानी बढ़ जाने के कारण नवादा, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद एवं अरवल के भी कुछ हिस्से यदा–कदा बाढ़ से प्रभावित होते रहे है। वर्ष 2016 में गया जिले में भी फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अतः बाढ़ आने के पूर्व की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्व में आप सबको बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) भेजी गयी है, जिसमें अद्यतन आदेशों, परिपत्रों, अनुदेशों आदि का संकलन किया गया है। जो परिपत्र पुराने पड़ गए हैं, उनके स्थान पर समय–समय पर विभाग से परिपत्र निर्गत किए जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त मानदर के संबंध में **विभागीय पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 द्वारा वर्ष 2015–2020 तक के लिए अद्यतन संशोधित मानदर को परिचारित किया गया है।** सभी अद्यतन परिपत्रों एवं अद्यतन मानदर को विभागीय वेबसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर अपलोड करते हुए **Circular** के अन्तर्गत रखा गया है। मानक संचालन प्रक्रिया भी विभागीय website पर अपलोड की गयी है। मानक संचालन प्रक्रिया एवं नए अद्यतन परिपत्रों/ संशोधित मानदर के आलोक में बाढ़ पूर्व तैयारियाँ की जानी है। साथ ही बाढ़ आने की दशा में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार बाढ़ आपदा से निपटने हेतु आवश्यक कदम उठाने हैं। परन्तु यदि हमारी तैयारियाँ (Preparation) ससमय पूर्ण हो जाएगी तो बाढ़ आपदा का मुकाबला हम सक्षमता एवं प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।

1. **वर्षा मापक यंत्र**

वर्षा मापक यंत्रों की मरम्मति एवं उनको चालू हालत में रखा जाय। वर्षा मापक यंत्रों के रिडिंग हेतु प्रत्येक प्रखंड में 2 प्रशिक्षित कर्मियों का निर्धारण किया जाय, साथ ही वर्षापात् आंकड़े के त्वरित प्रेषण की व्यवस्था की जाय।

2. **संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की पहचान**

बाढ़ प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की अद्यतन पहचान कर ली जाय। इस कार्य हेतु विगत वर्षो में आयी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्ति समूहों के आंकड़ों का उपयोग किया जाय। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, निराश्रितों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं की सूची विशेष रूप से तैयार की जाय।

3. **संसाधन मानचित्रण**

बाढ़ सुरक्षा हेतु गाँव, पंचायतों एवं प्रखंड में उपलब्ध संसाधनों का मानचित्रण किया जाय। अंचल में उपलब्ध निजी नाव मालिकों से एकरारनामा कर लिया जाय। पुरानी सरकारी नावों की गहनी/मरम्मति कराकर उन्हें प्रचालन योग्य बनाया जाय एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भेजी गयी राशि से नई सरकारी नावों का निर्माण कर लिया जाय। निजी नाव मालिकों एवं चालकों के पूर्व के बकाये भुगतानों के मामलों को तुरंत निपटा दिया जाय। नाव की सुरक्षा हेतु नावों पर भार क्षमता का चिन्ह लगाया जाय। जेनरेटर सेट, पेट्रोमेक्स, टेन्ट, खाली सीमेन्ट की बोरियों इत्यादि की उपलब्धता का विशेष रूप से मानचित्रण किया जाय एवं इनके आपूर्त्तिकर्त्ताओं की सूची बनाकर भाड़े का निर्धारण कर लिया जाय।

4. **तटबंधों की सुरक्षा**

जिला के अन्तर्गत तटबंधों का निरीक्षण करा संवेदनशील स्थलों पर तटबंधों का सुदृढ़ीकरण/मरम्मति करवाई जाए। इस क्रम में जल संसाधन विभाग से सतत सर्म्पक रखा जाय।

जल संसाधन विभाग संबंधित पदाधिकारियों से तटबंधों की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर लें एवं जहां सुदृढ़ीकरण करना हो उसे मॉनसून आने के पूर्व तक अवश्य कर लें। जल संसाधन विभाग से यह भी अनुरोध है कि आवश्यकतानुसार चिन्हित बिन्दुओं पर खाली बोरे, लोहे का जाल तथा बालू की व्यवस्था रखे ताकि तटबंध सुरक्षा का कार्य आवश्यकता पड़ने पर तुरंत शुरू किया जा सके।

नदियों में उफान आने पर तटबंधे की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित कर लिया जाय। इसके लिए चौकीदार/होमगार्ड की सेवाएं ली जा सकती हैं और जल संसाधन एवं अन्य विभाग के कनीय अभियंताओं के साथ उन्हें प्रतिनियुक्त कर पेट्रोलिंग टीम बनाई जा सकती है। पेट्रोलिंग टीम का यह दायित्व रहेगा कि किसी भी बिन्दु पर कटाव होने की सूचना प्रखंड/जिला प्रशासन तथा जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को तुरंत दें। यह भी आशंका रहती है कि ग्रामीणों के द्वारा कतिपय स्थलों पर तटबंध काट दिया जाए। पेट्रोलिंग पार्टी यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार का कोई प्रयास सफल न हो।

5. **<u>सूचना व्यवस्था</u>**

जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह व्यवस्था कर लिया जाए कि जिला के अन्तर्गत आनेवाली नदियों के विभिन्न स्थलों पर जल स्तर की सूचना वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रतिदिन प्राप्त हो। इसके लिए पुलिस वायरलेस का उपयोग किया जा सकता है। संबंधित नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाले वर्षापात की सूचना जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे। यह सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन के क्षेत्रीय कर्मचारी (जन सेवक, कर्मचारी, पंचायत सेवक) के माध्यम से प्रखंड एवं अंचल को तथा प्रखंड/अंचल से आपको किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आने की सूचना तुरंत दे। जिला स्तर पर ऐसी संचार योजनाएं बनायी जाय जिससे कि क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों, प्रशिक्षित गोताखोरों, प्रशिक्षित स्वयं सेवकों और मोटरवोट चालकों के साथ लगातार व्यवधान रहित सम्पर्क रखा जा सके।

6. **<u>नाव</u>**

सरकारी नावों की मरम्मति करा लें। साथ ही, विभागीय निदेश के आलोक में नयी नावों का निर्माण/कय निविदा के आधार पर ससमय कर लें। निधि की अधियाचना प्राप्त होने पर राशि आबंटित की जायेगी। जिला के अन्तर्गत उपलब्ध निजी नावों का ब्यौरा प्राप्त कर इसका सत्यापन (Verification) करा लें। जहां नाव देने की आवश्यकता होती है उसकी सूची बना लें तथा उन स्थलों पर तैनात किए जाने वाले नाव तथा नाविक को पहले से चिन्हित कर दें। बाढ़ आने पर प्रतिनियुक्ति आदेश तुरंत जारी कर दें तथा उपर्युक्त स्थल पर नाव चल रहा है अथवा नहीं इसकी जांच समय–समय पर करवायें। चलाये जा रहे नावों पर तख्ती लगा रहे जिसपर अंकित रहे कि **"यह राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क सेवा है"**। चलाये जाने वाले नाव निश्चित स्थल/घाट से चलेंगे। उक्त घाट पर सूचना पट्ट लगा रहना आवश्यक है, जिसमें नाविक का नाम तथा संचालन अवधि अंकित रहेगी। नावों की भार क्षमता का आकलन मोटर यान निरीक्षक से कराकर नावों की निर्धारित भार क्षमता अंकित करा दिया जाए ताकि ओवर लोडिंग के कारण नाव दुर्घटनाएँ न हो सके।

7. **<u>पालीथीन शीट्स, सत्तु गुड़, चूड़ा आदि की व्यवस्था</u>**

आवश्यकतानुसार विस्थापितों के लिए पालीथीन शीट्स का क्रय एवं भंडारण मॉनसून पूर्व तक सुनिश्चित कर लें। पूर्व क्रय मात्रा उतनी हो जितना खपत हो जाने की आशा है, शेष के लिए rate contract करके रखें ताकि आवश्यकतानुसार उससे अतिरिक्त आपूर्त्ति तुरत प्राप्त किया जा सके। बाजार में चूड़ा, गुड़, सत्तु आदि की उपलब्धता का जायजा कर लें तथा rate contract करा लें ताकि आवश्यकतानुसार उपलब्धता में विलंब न हो। पैकेट तैयार करने हेतु टीम का भी गठन कर लिया जाय।

8. **<u>शरण स्थल</u>**

प्रायः यह देखा गया है कि बाढ़ आने पर प्रभावित परिवार तटबंधों पर अथवा रोड किनारे शरण लेते हैं। शरण स्थलों को पूर्व से ही चिन्हित कर लें। यह स्थल उंचे स्थानों पर स्कूल भवन, पंचायत भवन अथवा अन्य उंची भूमि आदि हो सकती है। बांध पर अथवा सड़क के किनारे जहां लोग अमूमन शरण लेते हैं वहां पूर्व से आवश्यक तैयारी रहनी चाहिए। बाढ़ आपदा के पूर्व उँचे शरण स्थलों की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। संभावित शरण स्थलों की पहचान और उनके प्रबंधन की विशेष

योजना पूर्व से बना ली जाय। शरण स्थलों पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय, मेडिकल कैम्प, पंजीकरण, संचार, प्रकाश, नवजात शिशुओं के टीकाकरण, प्रसव की व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग शौचालय, भोजन बनाने के उपस्कर एवं स्थल, मनोवैज्ञानिक परामर्श, टेन्ट, मच्छरदानी, 6 माह से 2 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष भोजन, सेनेटरी किट जैसे–महत्वपूर्ण एवं मानवीय बिन्दुओं पर विशेष रूप से योजनाएं बना ली जाय। अत्यन्त बाढ़ प्रवण जिला में मेगा शिविर लगाने हेतु स्थानों का चयन पूर्व से कर लिया जाय, ताकि आकस्मिकता के समय इसे व्यवहृत किया जा सके।

9. **गानव दवा की व्यवस्था**

जिला पदाधिकारी सिविल सर्जन के परामर्श से आवश्यक दवाओं का आकलन एवं भंडारण सुनिश्चित कर लें। बाढ़ आने की दशा में विभिन्न जल जनित बीमारियों के प्रकोप की संभावना होती है। अतः जिला अस्पतालों / अनुमंडल एवं रेफरल अस्पतालों / प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों एवं प्राथमिक चिकित्सा उपकेन्द्रों पर सर्प काटने की दवाएं, क्लोरिन टैबलेट, ओ0आर0एस0 घोल के पैकेट, हैलोजन टैबलेट, एन्टी रेबीज की सूईयां, एन्टीबायोटिक दवाएं, ब्लीचिंग पाउडर आदि का पर्याप्त भंडारण कर लिया जाय।

10. **मोबाईल मेडिकल टीम एवं मेडिकल कैम्प**

यथा सम्भव सभी शरण स्थल पर मेडिकल कैम्प के लिए आवश्यक चिकित्सा / पारा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराये जाएँ। बड़े शरण स्थलों के लिए मेडिकल कैम्प लगाएं तथा शेष शरण स्थलों के लिए मोबाईल मेडिकल टीम गठित करें। प्रत्येक मोबाइल टीम के साथ दो या तीन शरण स्थली सम्बद्ध रहेंगे। सम्बद्ध शरण स्थलों पर मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति निर्धारित समय से पूर्व ही कर ली जाए।

11. **पशु चारा एवं पशु दवा की व्यवस्था**

बरसात के दौरान / बाढ़ के समय पशुएं विभिन्न प्रकार की बिमारियों के शिकार होते हैं। चयनित शरण स्थली के निकट पशु चिकित्सा शिविर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बाढ़ के दौरान सत्यापन कर यह सुनिश्चित करें कि यह शिविर कार्यरत है। पशु चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाओं की उपलब्धता जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर समीक्षा कर लें और आवश्यकतानुसार पशु संसाधन विभाग के परामर्श से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। बाढ़ प्रवण जिलों में पशु आश्रय स्थल के साथ–साथ पशु–चारा की उपलब्धता एवं आवश्यकता का ऑकलन पूर्व से कर ली जाय ।

12. **शुद्ध पेयजल की व्यवस्था**

बाढ़ प्रभावित गाँवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु चापाकल को उँचे स्थानों पर गाड़ने की व्यवस्था तथा पेयजल के परिवहन आदि से संबंधित व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाय। पेयजल की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संख्या में क्लोरिन टेबलेट की व्यवस्था कर ली जाए एवं बाढ़ प्रवण पंचायतों में इन टेबलेट्स के उपयोग का प्रशिक्षण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से समय–पूर्व सुनिश्चित करा लिया जाए।

13. **जेनरेटर सेट/पेट्रोमेक्स/महाजाल की व्यवस्था**

जेनरेटर सेट, पेट्रोमेक्स, टेन्ट, खाली सीमेन्ट की बोरियों इत्यादि की उपलब्धता का विशेष से मानचित्रण किया जाय एवं इनके आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची बनाकर भाड़े का निर्धारण कर लिया जाय। जिलों को महाजाल क्रय करने का निर्देश पूर्व में दिया गया है। जहाँ महाजाल का क्रय नहीं हो सका हो वहाँ महाजाल का क्रय ससमय कर लिया जाए। अधियाचना प्राप्त होने पर महाजाल के लिए राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

14. **राज्य खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न की उपलब्धता एवं खाद्यान्न के संधारण हेतु गोदामों का चिन्हितकरण**

राज्य खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न का आंकलन कर लिया जाय तथा संभावित बाढ़ के पूर्व ही आवश्यकतानुसार खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित कराया जाय। इसके लिए पंचायत एवं प्रखंडस्तर पर सरकारी/निजी भवनों की पहचान कर ली जाय जिन्हें मुफ्त खाद्यान्न के वितरण केन्द्र के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। राज्य खाद्य निगम का पूर्व से लंबित बकाये का भुगतान शीघ्र कर लिया जाय।

15. **सड़कों की मरम्मत**

बाढ़ के पूर्व जिले की मुख्य सड़कों विशेषकर जिला मुख्यालय से प्रखंड अंचलों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मति कर ली जाय। पुल–पुलियों की भी मरम्मति करके उन्हें यातायात के लिए सुगम बना लिया जाय।

16. **नाव/लाईफ जैकेट/मोटरवोट के परिनियोजन की आकस्मिक व्यवस्था**

बाढ़ के समय जिले के किसी भी स्थान पर किसी भी समय लोगों को बचाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः नाव, लाईफ जैकेट, मोटरवोट आदि के परिनियोजन हेतु एक आकस्मिक योजना तैयार कर ली जाय। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिलों में गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को मोटरबोट परिचालन में प्रशिक्षित किया गया है एवं उन्हें आपदा राहत एवं बचाव दल का किट भी उपलब्ध कराया गया है। अतः जिलों में मोटरबोट परिचालन में प्रशिक्षित गृह रक्षा वाहिनी के जवानों की प्रतिनियुक्ति हेतु भी योजना तैयार कर ली जाय। **इनके मानदेय/ भत्ता भुगतान हेतु निदेश विभागीय पत्रांक 2274 दिनांक 15.07.11 द्वारा प्रेषित है, जो विभागीय वेवसाईट पर भी उपलब्ध है।**

17. **नोडल पदाधिकारी/ जिलास्तरीय टास्क फोर्स**

बाढ़ पूर्व तैयारियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्ध मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। **नोडल पदाधिकारियों का नामांकन, उनका प्रशिक्षण, प्रखण्ड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर इनकी प्रतिनियुक्ति, क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, खोज एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, मोटरवोट चालकों आदि की प्रतिनियुक्ति 15 जून से पूर्व कर लिये जाय।** मानव संसाधनों का समन्वय इनके सर्वोत्तम उपयोग के लिए आवश्यक है। जिलास्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बाढ़ से जुड़े सभी विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारियों का टास्क फोर्स गठित कर लिया जाय। टास्क फोर्स द्वारा समय–समय पर बैठक कर विभिन्न विभागों द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की जाय।

18. **<u>नियंत्रण कक्ष</u>**

राज्य स्तर के अनुरूप जिला स्तर पर भी संचार माध्यमों से लैस स्थायी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाय। जिले मे उपलब्ध बाढ़ के पूर्व खोज एवं बचाव यंत्रो की सूची तैयार कर नियंत्रण कक्ष में रखा जाय। नियंत्रण कक्ष में टॉल फ्री दूरभाष/ टेलीफोन की व्यवस्था की जाय, ताकि आम जनता से विभिन्न क्षेत्रों से शीघ्र सूचना प्राप्त की जा सके। राज्य स्तर से बेल्ट्रॉन के सहयोग से सभी जिलों एवं प्रमण्डलों में सेटेलाइट फोन लगाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। किसी वरीय पदाधिकारी को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बना दिया जाए। जिला नियंत्रण कक्ष हमेशा राज्य नियंत्रण कक्ष के संपर्क में रहेंगे।

19. **<u>गोताखोरों का प्रशिक्षण</u>**

बाढ़ आपदा एवं नाव दुर्घटना के समय लोगों को डूबने से बचाने एवं डूबे व्यक्तियों का शव बरामद करने हेतु गोताखोरों को प्रशिक्षित किया गया है एवं इन्हे राहत बचाव संबंधित किट उपलब्ध कराया गया है। इन प्रशिक्षित गोताखोरों की सूची एवं मोवाईल/ दूरभाष नम्बर जिले के नियंत्रण कक्ष में संधारित कर रखा जाय एवं आवश्यकता के अनुरूप इनका उपयोग किया जाय। **गोताखोरों को मानदेय प्रदान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 4400 दिनांक 26.12.2011 द्वारा आपको प्रेषित है, जो विभागीय वेवसाईट पर उपलब्ध है।**

20. **<u>समुदाय का प्रशिक्षण</u>**

किसी भी आपदा के समय समुदाय आपदा का पहला रेस्पांडर होता है। बाढ के दौरान समुदाय के लोगों को राहत एवं बचाव कार्यों के प्रति जागरूक एवं सक्षम बनाने हेतु **क्षमतावर्द्धन (Capacity Building)** योजना के तहत प्रत्येक बाढ़ प्रवण जिलों के बाढ़ प्रवण प्रखण्डों में पंचायतों से तथा विशेष रूप से कमजोर समुदाय, अनुसूचित जाति टोलों, से अनुसूचित जाति के युवकों का चयन कर इन्हें प्रशिक्षित किया गया है। समुदाय के इन प्रशिक्षित लोगों का उपयोग बाढ़ के दौरान आवश्यकता पड़ने पर **राहत एवं बचाव दल** के रूप में किया जाए एवं **प्रतिनियुक्ति के दौरान इन्हें आबादी निष्कमण मद से दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाय।**

21. **<u>राहत एवं बचाव दल का गठन</u>**

बाढ़ प्रवण प्रखण्डों के पंचायतों में यथानुसार समुदाय के प्रशिक्षित व्यक्तियों, प्रशिक्षित गोताखोरों, प्रखंड/अंचल के कर्मियों, प्राथमिक उपचार में दक्ष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं, होमगार्डों , नागरिक सुरक्षा कर्मियों एवं पुलिस के जवानों को मिलाकर बाढ़ आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु "राहत एवं बचाव दल" गठित किया जाय एवं उनकी विस्तृत सूचना जिला नियंत्रण कक्ष में संधारित की जाय।

22. **<u>तैयारियों का अभ्यास</u>**

बाढ़ तैयारी के संबंध में स्वयंसेवकों/ क्षेत्रीय कर्मचारियों/ गैर सरकारी संगठनों के साथ Mock Exercise/ Mockdrill का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाय। इसमें बाढ़ प्रवण पंचायतों के NGO का उचित प्रशिक्षण भी जिला स्तर से की जाय।

23. **<u>आकस्मिक फसल योजना का सूत्रण</u>**

कृषि विभाग द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए आकस्मिक फसल योजना बना ली जाय। इस योजना में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में धान की फसल/बिचड़ों की क्षति होने पर बिचड़े उपलब्ध कराना एवं वैकल्पिक फसल उगाने की योजना शामिल होगी।

जिला स्तर पर बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में की गयी कार्रवाई की समीक्षा के लिए बैठक 31 मई, 2016 तक आयोजित किया जाय तथा तैयारी के संबंध में विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय। बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा विभाग द्वारा यथा समय विडियो कॉफ्रेन्सिंग एवं प्रमण्डलीय स्तर पर बैठको के माध्यम से की जायेगी।

आशा है **सभी जिले इस वर्ष के संभावित बाढ़ से निपटने हेतु पूरी तैयारी दिनांक 30 जून 2018 तक** कर लेंगे ताकि जन सामान्य को बाढ़ आपदा से राहत पहुँचाने में हमलोग सफल हो सके।

नोटः— 1. बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में उठाए जाने वाले उपरांकित कदम उदाहरण स्वरूप (illustrative) हैं, परिपूर्ण (exhaustive) नहीं। जिला— विशेष अपने जिले में बाढ़ के इतिहास एवं समय—समय पर विभिन्न स्त्रोतों से मानसून एवं नदियों में जलस्तर के संबंध में प्राप्त पूर्वानुमानों को ध्यान में रख बाढ़ पूर्व तैयारियाँ सुनिश्चित करेंगे।

2. बाढ़ पूर्व तैयारियों हेतु सभी बाढ़ प्रवण जिलों को अलग से राशि आवंटित की जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/—
प्रधान सचिव

ज्ञापांक—........../आ0प्र0 पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ। कृपया अपने प्रमण्डलों में बाढ़ पूर्व तैयारियाँ ससमय सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाए।

ह0/—
प्रधान सचिव

ज्ञापांक—........../आ0प्र0 पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपिः कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव/ सचिव, कृषि विभाग/ पशुपालन एवं मत्स्य विभाग/ समाज कल्याण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/गृह विभाग/ पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/परिवहन विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/पंचायती राज विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/शिक्षा विभाग/नगर विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ भवन निर्माण विभाग/ निदेशक सांख्यिकी निदेशालय/क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य असैनिक आपूर्त्ति निगम को सूचनार्थ। अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित बाढ़ पूर्व तैयारियाँ ससमय कर ली जॉय एवं बाढ़ आपदा प्रबंधन की राज्य एवं जिलास्तर पर आकस्मिक योजना शीघ्र तैयार कर ली जाए।

अनुलग्नक–(53) नगर क्षेत्र मे बाढ़ / राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन :

पत्र संख्या-1प्रा0आ0-2-0-17/2001 1004 /आ0प्र0।

बिहार सरकार,

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आलोक कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 8/7/05

विषय-**नगर क्षेत्र में बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के गठन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपदा राहत कार्यों को पारदर्शी बनाने एवं जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अभिप्राय से राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्यों तथा राहत सामग्रियों के वितरण, पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु नगर क्षेत्र के लिए निम्न रूप से राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति गठित करने का निर्णय लिया है:

(क) जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति (नगर क्षेत्रों हेतु)

(I) प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वियन समिति- अध्यक्ष

(II) अध्यक्ष जिला परिषद/महापौर नगर निगम/अध्यक्ष नगर निकाय- सदस्य

(III) जिला के सभी माननीय सांसद, विधायक, पार्षद- सदस्य

(IV) प्रखंड प्रमुख- सदस्य

(V) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि- सदस्य

(VI) जिला पदाधिकारी- सदस्य सचिव

(VII) संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी- सदस्य

वर्तमान राष्ट्रपति शासन अवधि में प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वियन समिति के स्थान पर प्रमंडलीय आयुक्त जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति (नगर क्षेत्रों हेतु) के अध्यक्ष होंगे।

2. नगर राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष- अध्यक्ष

(II) नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के वार्ड सदस्य- सदस्य

(III) विगत चुनाव में नगर निकाय/नगर वार्ड/नगर पंचायत के नगर वार्ड सदस्य पद हेतु हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंद्वी)- सदस्य

(IV) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि- सदस्य

(V) नगर निगम/नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी- सदस्य सचिव।

2. सभी प्रकार के राहत सामग्री यथा अन्न, नकद राशि आदि का नगर वार्ड सदस्य और नगर वार्ड सदस्य के पद के लिए हारे हुए निकटतम उम्मीदवार की उपस्थिति एवं देख-रेख में नगर के मुहल्लों में वितरण किया जायेगा।

3. वितरण की जानेवाली सभी प्रकार की राहत सामग्री, नगद राशि के संबंध में पूरी सूचना नगरपालिका/नगर निकाय के सूचना-पट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा वितरण कार्य का पर्यवेक्षण संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4. संबंधित जिला पदाधिकारी, द्वारा मुद्रित पर्चा के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्र में अनुमान्य राहत (मानदर) के संबंध में सूचना आम लोगों को समय-समय पर दी जायेगी।

5. सभी बाढ़ राहत कार्यो तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श नगर निकाय/नगरपालिका स्तर पर नगर क्षेत्र राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति एवं जिला स्तर पर जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

6. अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को भी तद्नुसार अनुपालन हेतु आवश्यक अनुदेश दिये जायें।

7. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आलोक कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1004 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 8/7/05

प्रतिलिपि- सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(आलोक कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1004 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 8/7/05

प्रतिलिपि- आयुक्त एवं सचिव, जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अनुश्रवण की उपर्युक्त व्यवस्था को राज्य के बड़े समाचार पत्रों एवं आकाशवाणी से प्रकाशित/प्रचारित कराने की व्यवस्था की जाय।

ह0/-

(आलोक कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव

Amar D DM (Anu-nigrani samiti)

अनुलग्नक – (54) प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी दल का गठन :

पत्र संख्या-1प्र0आ0-2-0-17/2001 1388 /आ0प्र0 ।

बिहार सरकार,

आपदा प्रबंधन विभाग ।

प्रेषक,

सी0 अशोक वर्धन,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 24/7/04

विषय- जिला प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के गठन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपदा राहत कार्यों को पारदर्शी बनाने एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अभिप्राय से राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्यों तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर निम्न रूप से अलग-अलग राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति गठित करने का निर्णय लिया है :-

(क) जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति- अध्यक्ष ।

(II) अध्यक्ष, जिला परिषद - सदस्य ।

(III) जिला के सभी माननीय सांसद, विधायक, पार्षद एवं प्रखण्ड प्रमुख - सदस्य ।

(IV) (सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि) - सदस्य ।

(V) जिला पदाधिकारी - सदस्य सचिव ।

(VI) संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी - सदस्य ।

(ख) प्रखण्ड राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) प्रखण्ड पंचायत समिति के प्रमुख - अध्यक्ष ।

(II) सांसद, विधायक और मुखियागण - सदस्य ।

(III) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि - सदस्य ।

(IV) अंचल अधिकारी - सदस्य सचिव ।

(V) संबंधित विभागों के प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी - सदस्य ।

(ग) पंचायत राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) मुखिया - अध्यक्ष ।

(II) पंचायत वार्ड के सदस्यगण - सदस्य ।

(III) विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हारे हुए

निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंद्वी) - सदस्य ।

(IV) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि - सदस्य ।

(V) पंचायत समिति के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के निवासी हों - सदस्य ।

(VI) पंचायत सेवक/राजस्व कर्मचारी - सदस्य सचिव ।

2. सभी प्रकार के राहत सामग्री यथा- अन्न, नकद राशि आदि का मुखिया, वार्ड सदस्य और मुखिया पद के लिये हारे हुए निकटतम उम्मीदवार की उपस्थिति एवं देख-रेख में गांवों/टोलों में वितरण किया जाएगा।

3. वितरित की जाने वाली सभी प्रकार की राहत सामग्री, नकद राशि के संबंध में पूरी सूचना प्रखण्ड/पंचायत के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी।

4. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों अथवा मुद्रित पर्चा आदि के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्र में अनुमान्य राहत (मानदर) के संबंध में सूचना आम लोगों को समय-समय पर दी जायेगी।

5. सभी बाढ़ राहत कार्यों तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श पंचायत स्तर पर पंचायत राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड राहत-सह-निगरानी समिति और जिला स्तर पर जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

6. अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब की जाय। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को भी तदनुसार अनुपालन हेतु आवश्यक अनुदेश दिये जाएं।

7. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

8. इस संबंध में पूर्व में निर्गत पत्र संख्या 1435 दिनांक 20.08.01 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सी0 अशोक वर्धन)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1388 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 24/7/04

प्रतिलिपि- सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(सी0 अशोक वर्धन)

अनुलग्नक– (55) वार्ड स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन :

पत्र संख्या-1प्रा0आ0-2-0-17/2001.......3883......../आ0प्र0

बिहार सरकार,

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार श्रीवास्तव,

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक- 11/12/07

विषय- वार्ड स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के गठन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपदा राहत कार्यो को पारदर्शी बनाने एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अभिप्राय से राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्यो तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु विभागीय पत्रांक-1388, दिनांक-24.07.04 द्वारा जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर अलग-अलग राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति गठित किया है । जिलों के नगर क्षेत्र अन्तर्गत कतिपय वार्ड भी पूर्णतः या आंशिक रूप से वर्तमान बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । प्रभावित ऐसे वार्डों में बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति के गठन की आवश्यकता महसुस की गई है । जिसके आलोक में पंचायत स्तरीय राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के समानान्तर वार्डों में निम्न रूप से राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति का गठन किया जाता है :-

वार्ड राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) संबंधित वार्ड आयुक्त - अध्यक्ष

(II) विगत चुनाव में वार्ड आयुक्त के पद हेतु हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी सदस्य) - सदस्य

(III) सभी राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य - सदस्य

(IV) स्थानीय विधायक के वार्ड प्रतिनिधि - सदस्य

(V) संबंधित वार्ड के तहसीलदार - सदस्य सचिव

2. सभी प्रकार के राहत सामग्री का वार्ड आयुक्त, विगत चुनाव में वार्ड आयुक्त के पद हेतु हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी सदस्य), स्थानीय विधायक के वार्ड प्रतिनिधि और सभी राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य की उपस्थिति एवं देख-रेख में वार्ड में वितरण किया जाएगा ।

3. वितरित की जाने वाली सभी प्रकार की राहत सामग्री के संबंध में पूरी सूचना वार्ड के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी ।

Mukul/My doc/G P Pandey/Ward Anushrwan Samiti

4. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों अथवा मुद्रित पर्चा आदि के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्र में अनुमान्य राहत (मानदर) के संबंध में सूचना आम लोगों को समय-समय पर दी जायेगी।

5. सभी बाढ़ राहत कार्यो तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श वार्ड स्तर पर वार्ड राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

6. अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब की जाय। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को भी तदनुसार अनुपालन हेतु आवश्यक अनुदेश दिये जाएं।

7. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

पत्रांक ..../

मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना

प्रेषक,

पी0एन0 राय,
महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा,
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक ....

विषयः– आगलगी से बचाव संबंधी कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

आप भलीभाँति अवगत हैं कि मार्च से लेकर जून माह तक देहाती क्षेत्र में आग की घटनायें बढ़ जाती हैं। इनके कारणों से भी आप अवगत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आग घरों में अथवा खेत–खलिहानों में लगती है। अग्निशमन वाहन और कर्मी घटना स्थल से दूरी पर प्रतिनियुक्त रहते है, इसलिए जल्दी पहुँचने में कठिनाई है।

2. आप अवगत हैं कि कुछ थानों में मिस्ट–टेक्नोलॉजी के वाहन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अनुमंडल स्तर पर भी अग्निशमन वाहन प्रतिनियुक्त हैं। इनका भरपूर उपयोग करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से आवश्यकता है कि अनुमंडल पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध साधनों को व्यवस्थित किया जाय। अर्थात् वाहनों एवं संसाधनों की उपलब्धता की जाँच कर, यदि उनको कार्य में लाने में कोई कमी हो तो उसे ठीक करने की कार्रवाई की जाय। चालक उपलब्ध हैं अथवा नहीं, अग्निक हैं अथवा नहीं, इसकी भी जाँच की जाय।

3. राज्य अग्निशाम निदेशालय को निदेशित किया जा रहा है कि वह अपने स्तर से भी वाहनों एवं कर्मियों की उपलब्धता की समीक्षा कर लें और जहाँ–जहाँ पर कमी है वहाँ उपलब्ध करायें। अभी हाल ही में लगभग 500 अग्निकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें संवेदनशील स्थानों पर पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। कुछ जिलों में मिस्ट–टेक्नोलॉजी के वाहन थानों में प्रतिनियुक्त नहीं हुए हैं, जैसे– पटना, जमुई इत्यादि। आप सभी से पुनः अनुरोध है कि इन वाहनों को थानों में तत्काल प्रतिनियुक्त करें। इन वाहनों के ईंधन के संबंध में भी पत्रांक 1036 दिनांक 01.03.2016 के द्वारा निदेश भेजा गया है, कृपया इस पर भी कार्रवाई की जाय।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के आग से बचने के लिए जागरुकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। अगर इन क्षेत्रों में पंचायत के माध्यम से लोगों को सावधान रहने

के लिए जागरुक किया जाता है तो लाभदायक होगा। इसी दिशा में एक अपील की प्रति संलग्न की जा रही है। इस अपील में अंकित बातें ध्यान देने वाली हैं। इस प्रकार की अपील लीफलेट, पोस्टर के माध्यम से पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचारित करने की आवश्यकता है। दूरदर्शन एवं रेडियो के माध्यम से इनको जिला स्तर से प्रसारित कराया जा सकता है। पिछले वर्ष इस विषय पर एक पैम्पलेट बी0एस0डी0एम0ए0 एवं महानिदेशालय, अग्नि सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्डस, भारत सरकार के द्वारा निर्गत हुआ था, इसकी प्रतियाँ पंचायत स्तर पर बँटाई जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में कार्रवाई की जाय।

अनु0 – यथोपरि।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(पी0एन0 राय)

ज्ञापांक................../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

ह0/–

महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1042/ पटना, दिनांक 02/03/2016.

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें,
बिहार, पटना।

प्रपत्र–I

<u>प्रपत्र (अग्निकांड)</u>

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	प्रभावित गाँवों की संख्या	प्रभावित परिवारों की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या			मृतकों / घायलों की संख्या			
							मनुष्य		पशु	
				पूर्ण	आंशिक	योग	मृत	घायलों की सं0	मृत	घायलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मुफ्त खाद्यान्न के लिए कुल राशि	कपड़ा / बर्तन के लिए कुल राशि	पूर्ण क्षतिगस्त मकानों के लिए कुल राशि	आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए कुल राशि	अनुग्रह अनुदान मृतकों के लिए कुल राशि	घायलों के लिए अनुदान मद में कुल राशि
12	13	14	15	16	17

प्रपत्र–II

वित्तीय वर्ष 2014 में अग्निकांड से हुई क्षति एवं वितरित साहाय्य संबंधी विवरणी

जिला का नाम	प्रभावित प्रखंड का नाम	प्रभावित पंचायतों की सं0	प्रभावित गांवों की सं0	प्रभावित परिवारों की सं0	क्षतिग्रस्त मकानों की सं0			क्षतिग्रस्त मकानों का अनुमानित मूल्य	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक क्षति का अनुमानित मूल्य	मृतकों की संख्या		नगद अनुदान	वितरित अनुदान
					पूर्ण	आंशिक	योग			मनुष्य	पशु		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

मुफ्त खाद्यान्न	चूड़ा	चना	गुड़	मोमबत्ती	दियासलाई	किरासन तेल	पॉलिथीन	अभ्युक्ति
15	16	17	18	19	20	21	22	23

प्रपत्र–III

ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–2886 दि0–26.05.2005 के आलोक में प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) से जले मकानों एवं ऐसे जले मकानों के लिए उपलब्ध कराई गई इन्दिरा आवास की सूची वर्ष 2013

जिला का नाम ....

प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) से जले मकानों की अंचलवार संख्या	प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) से जले मकानों के लिए निर्मित इन्दिरा आवास की संख्या		अभ्युक्ति
	स्वीकृत	निर्मित	
1	2	3	4

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–(57) अग्निशमन सेवा हेतु हाईड्रेन्ट का निर्माण :

बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष सं0 :- 06189-223241(O)
फैक्स सं0 :- 06189-223301
e-mail :- dm-bhabhua.bih@nic.in

पत्रांक–VI-30-2016/ 275 /गो0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
पी0एच0ई0डी0,भभुआ।

भभुआ,दिनांक 07 फरवरी,2016

विषयः– पाईप जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत अग्निशमन सेवा के लिए हाईड्रेन्ट के निर्माण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,बिहार,पटना के पत्रांक 6554 दिनांक 24.12.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि अग्निशामक दस्ते के पानी की समस्या को दूर करने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के जलापूर्ति के पाईप लाईन में प्रत्येक दो कि0मी0 की दूरी पर हाईड्रेन्ट लगाने का निर्णय लिया गया है। अग्निशामालय पदाधिकारी,कैमूर (भभुआ) के पत्रांक 38 दिनांक 28.01.2016 के आलोक में पुलिस [अ]धीक्षक,कैमूर के पत्रांक 308/रा0का0 दिनांक 30.01.2016 द्वारा भी हाईड्रेन्ट लगाने हेतु अनुरोध [कि]या गया है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि पाईप जलापूर्ति योजना अन्तर्गत जलापूर्ति के पाईप लाईन [में प्रत्ये]क दो कि0मी0 की दूरी पर अग्निशमन सेवा के लिए हाईड्रेन्ट लगाने की कृपा की जाय।

[अनुल]ग्नक–यथोपरि।

8-2-016

विश्वासभाजन

जिला पदाधि[कारी]
कैमूर (भभु[आ])

अनुलग्नक–(58) आँधी/चक्रवाती तूफान/ओलावृष्टि से जुड़ी तैयारी, राहत, बचाव एवं बाँस निर्मित घरों एवं ढाल वाले छतों की विशिष्टि

पत्रांक – 1प्र0आ0–06/2010/....................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

पटना–15, दिनांक–

विषय: आँधी, चक्रवाती तूफान, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं के प्रबंधन हेतु पूर्व तैयारियों एवं राहत एवं बचाव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिनांक 14.10.2013 को उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के तटों पर चक्रवाती तूफान आने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे झारखंड तथा बिहार के दक्षिणी हिस्सों के प्रभावित होने की संभावना है, जिसके कारण तेज हवा के साथ वर्षा होने की संभावना है।

2. इस पृष्ठभूमि में यह उचित होगा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वेबसाईट पर इस संबंध में अंकित चेतावनी का अनुसरण करते हुए यदि आप के जिले में चक्रवाती तूफान आने की संभावना बतायी जाए तो इससे निपटने हेतु निम्नानुसार तैयारियाँ की जाँच तथा पूर्व सतर्कता बरती जाए ताकि कम से कम क्षति हो तथा जान–माल को सुरक्षा प्रदान किया जा सके :–

(क) सर्वसाधारण को प्रचार के माध्यमों द्वारा एवं पंचायतों के माध्यम से सूचित किया जाए कि आँधी, चक्रवाती तूफान, ओलावृष्टि की आशंका होने पर पेड़ों के नीचे तथा कमजोर आधारभूत संरचनाओं के नीचे शरण न लें।

(ख) जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को सक्रिय किया जाय जिसमें पाली ड्यूटी 24 x 7 पदाधिकारी/कर्मी प्रतिनियुक्त किये जायें।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य अस्पतालों में घायलों को अहर्निश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था रहे तथा प्राथमिक उपचार तथा जीवन रक्षक दवाओं का भंडार पूर्व से ही कर लिया जाय। अस्पतालों में एम्बुलेंस तैयार स्थिति में रहें ताकि घायलों की सूचना प्राप्त होते ही उन तक चिकित्सा सुविधा तीव्र गति से पहुँच सके। ज्ञातव्य हो कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सभी जिलों में एक–एक एम्बुलेंस का क्रय करने हेतु निधि उपलब्ध करायी गयी है तथा एम्बुलेस का क्रय कर उसे जिलों को उपलब्ध कराया गया है। ये एम्बुलेंस जिला पदाधिकारी की देखरेख में आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करेंगे।

(घ) किसी भी आपदा के समय समुदाय एवं पुलिस प्रथम रिस्पांडर होते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि सभी थानों एवं संभावित क्षेत्रों को इस विषय से अवगत कराते हुए सतर्क रहने का निदेश दिया जाय। आपदा आते ही राहत एवं बचाव का कार्य त्वरित गति से करना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) प्रखंड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष 24 X 7 सकिय कर दिया जाय तथा पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का फोन तथा मोवाईल नं0 संधारित किया जाय।

(च) प्रखंड/अंचल स्तर पर राहत एवं बचाव दल गठित कर उन्हें सतर्कता की स्थिति में रखा जाए ताकि आपदा आते ही वे राहत एवं बचाव कार्यों में लग जॉय।

(छ) आँधी/तूफान/ओलावृष्टि आदि आने की स्थिति में अविलंब द्रुततम संचार माध्यम से राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (फैक्स संख्या 0612 2217305/2217786) को सूचना भेजी जाय तथा यथाशीघ्र सर्वेक्षण करा कर विस्तृत क्षति प्रतिवेदन यथा फसल क्षति, गृह क्षति आदि की सूचना एवं राशि की अधियाचना विभाग को प्रेषित की जाय। दूरभाष/मोवाईल के माध्यम से भी अधोहस्ताक्षरी एवं विभागीय पदाधिकारियों को सूचना भेजी जाए।

(ज) आँधी, चक्रवाती तूफान, ओलावृष्टि से बचाव हेतु मकानों/झोपड़ियों को अधिक से अधिक आँधी/ चक्रवाती तूफान/ ओलावृष्टि रोधी बनाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।

(झ) मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को शीघ्रताशीघ्र निर्धारित दर पर अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराते हुए आवंटन की शीघ्र माँग की जाए।

3. यदि राज्य स्तर से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो द्रुततम माध्यम से अधोहस्ताक्षरी से संपर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4599/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 9/10/13

प्रतिलिपि: सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

यदि टीन का छत 'जे–बोल्ट' द्वारा कसा बना है तो बोल्ट आदि खोल कर छत में लगे टीन को निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस आपदा से बचने के लिए निम्न बातों पर भी हितधारियों का ध्यान देना आवश्यक है –

I. लगातार प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बनने वाले डगर एवं खम्भों की ऊँचाई को ध्यान में रखते हुए समुचित प्रकार के धरा का उपबंध।

II. झोपड़िया, घर के खम्भों की नींव की गहराई काफी पर्याप्त हो और भवन निर्माण के नियमानुकूल हो।

III. अगरतन यदि झोपड़ीनुमा है तो इसके छत में टीन के शीट का प्रयोग न करने की जागरूकता पैदा करना तथा इसके जगह प्लास्टिक या एसबेस्टस शीट का प्रयोग करना।

IV. यदि टीन के शीट का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका ढलान चारों ओर हो।

V. बाँस के खम्भे के आधार के लिए जमीन के अंदर कंक्रीट खूंटे का प्रबंध।

1. छत को उड़ा ले जाने वाले झोंका है जो बाँस से निर्मित है,

(क) बाँस के आधार खम्भों को बोरिक एसिड तथा बोरेक्स पाउडर से रासायनिक रूप से उपचारित करना ताकि वे सड़ें नहीं।

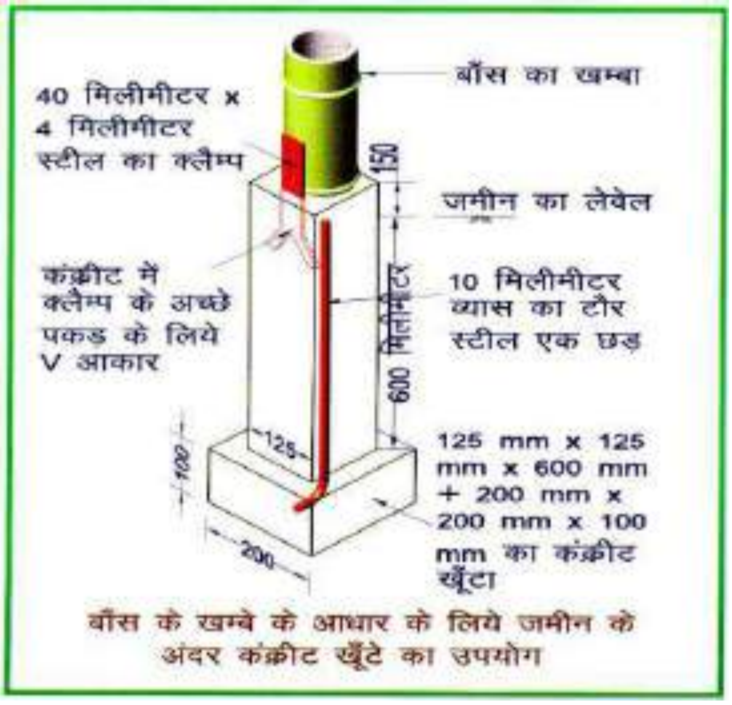

(ख) बाँस के कोनों के ऊपरी भाग को बाँस के टुकड़े से ही जकड़ देना।

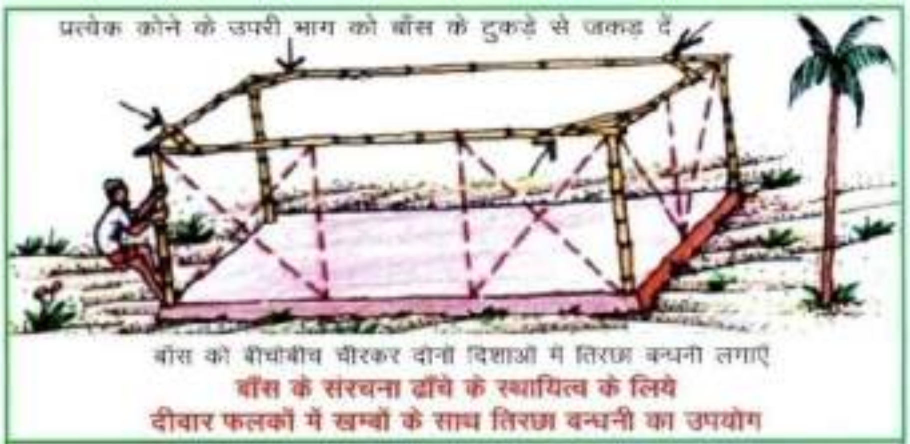

बाँस के खम्बों के बीच तिरछा बन्धनी लगाएँ।
बाँसों को नायलन टेप अथवा GI तार से बाँधें।

(ग) बाँस को बीचोंबीच चीर कर दोनों दिशाओं में तिरछा बन्धनी लगाना।

(घ) बाँस के खम्भों के बीच तिरछा बन्धनी लगाना।

(ङ) बाँस को नायलन टेप अथवा जी.आई. तार से बाँधना।

(च) 'जे–बोल्ट' के सहारे, पर्लिन के साथ, जस्ता स्टील चादर को जकड़ देना

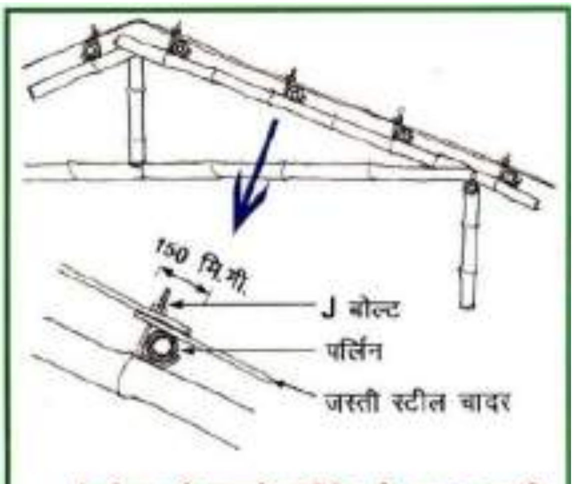

J बोल्ट के सहारे, पर्लिन के साथ, जस्ती स्टील चादर को जकड़ देने का विवरण

शीट को जकड़ने के लिये मरोड़वाले कील या J बोल्ट का उपयोग

छत के GI चादर को अलकतरा वाशर के साथ J जे बोल्ट से जकड़ दें।

(छ) छत के जी.आई. चादर को अलकतरे वाशर के साथ 'जे–बोल्ट' के साथ जकड़ना

2. खाद्यान्न का पर्याप्त भण्डार रखना।
3. जे.सी.बी./क्रेन से सम्बन्धित सूचना अद्यतन कर रखना।
4. पॉलिथिन शीट की पर्याप्त मात्रा स्टॉक कर रखना।
5. शवागार का शीघ्र संचालन हो सके इस हेतु सारी व्यवस्था कर रखना
6. अधिक गम्भीर स्थिति में [illegible] को तैयार रखना ताकि शवागार की व्यवस्था कायम रहे

स्रोत : एन.आई.डी.एम.

अनुलग्नक–(59) शीतलहर (पाला) को आपदा श्रेणी में रखने के सम्बन्ध मे :

संचिका संख्या– 1प्र0आ0–36/2002/4285/आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक– 18/10/12

विषय:– **शीत लहर (Cold Wave)/पाला (Frost) को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 32–3/2010–एन0डी0एम0 1 दिनांक–13.08.2012 द्वारा भारत सरकार ने **शीत लहर (Cold Wave)/पाला (Frost)** को राज्य आपदा रिस्पॉस कोष /राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉस कोष के अन्तर्गत साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य की देयता के लिए प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

साहाय्य मानदर के अनुरूप राज्य आपदा रिस्पॉस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉस कोष के अंतर्गत साहाय्य प्राप्त करने के लिए निम्नरूपेण मानक निर्धारित किया गया है–

(क) किसी क्षेत्र को शीत लहर से प्रभावित निम्न परिस्थितियों में माना जायगा:–

(i) वैसे क्षेत्र जहाँ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे अधिक हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय।

(ii) वैसे क्षेत्र जहाँ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय।

(ख) किसी क्षेत्र में यदि तापमान शून्य डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय तथा यह रबी/खरीफ **फसल के मौसम में उस क्षेत्र विशेष के लिए असामान्य स्थिति हो,** तब उस क्षेत्र को पाला (Frost) **प्रभावित क्षेत्र माना जायगा।**

राज्य में किसी जिले को शीत लहर /पाला से प्रभावित मानने के लिये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्गत तापमान आकड़ों के आधार पर निर्णय लिया जायगा।

रबी/खरीफ फसल के 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक की क्षति होने पर एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 से अनुदान देय होगा।

केन्द्रीय दल के द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का आकलन किया जायगा। शीत लहर (Cold Wave)/पाला (Frost) से प्रभावितों को ओलापात अथवा सूखा राहत के लिए निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप सहायता दिनांक–13.08.2012 के प्रभाव से देय होगी।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक – (60) पॉलीथीन शीट्स खरीदी के सम्बन्ध में :

अनुलग्नक– 07 (ख) (द्रष्टव्य कंडिका 2.4g)

पॉलिथीन शीटस के क्रय के संबंध में पत्र

पत्रांक–I प्रा0आ0–13/08...910 (५०).../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
अपर आयुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना/ नालन्दा/ भोजपुर/ बक्सर/ सारण/
सिवान/ गोपालगंज/ मुजफ्फरपुर/ सीतामढ़ी/
शिवहर/ पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/
वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/सहरसा/
सुपौल/मधेपुरा/पूर्णियाँ/अररिया/ किशनगंज/
कटिहार/ मुंगेर/ लक्खीसराय/ खगड़िया/
बेगुसराय/ भागलपुर।

पटना–15, दिनांक– 25/6/09

विषयः पॉलीथीन शीट्स का क्रय करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पॉलीथीन शीट्स क्रय हेतु विभागीय पत्रांक 1495 दिनांक 13.06.08 द्वारा गत वर्ष डी.जी.एस.एण्ड.डी. से निबंधित फर्म/ सप्लायर की सूची भेजी गई है। इस वर्ष भी डी.जी.एस.एण्ड.डी. से निबंधित फर्म/सप्लायर की सूची की मांग विभाग द्वारा की गई है जो http://dgsnd.gov.in पर उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार पॉलीथीन शीट्स का क्रय निविदा कर की जा सकती है– परंतु क्रय हेतु अधिकतम दर DGS&D के निर्धारित दर से अधिक नहीं होगा। गुणवत्ता भी DGS&D के मानकों के अनुरूप होगा।

विश्वासभाजन

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

अनुलग्नक–(61) केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 118 अंतर्गत गति नियंत्रक (Speed Governer) लगाये जाने की बाध्यता

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
"अधिसूचना"

संख्या–परि०वि०– 41 पटना, दिनांक– 9/1/17

केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 118 (केन्द्रीय मोटरवाहन (छठा संशोधन) नियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित) के प्रावधानों के अधीन सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना सं0–290 (अ) दिनांक–15.04.2015 के आलोक में यह अधिसूचित किया जाता है कि :–

1. सभी परिवहन यानों में वाहन विनिर्माता द्वारा या तो विनिर्माण के प्रक्रम पर या व्यवहारी के प्रक्रम पर गति नियंत्रक (Speed Governer) लगाये जाने की बाध्यता होगी, जो समय–समय पर यथासंशोधित AIS : 018/2001 मानक के अनुरूप पूर्व नियत की गई 80 किलोमीटर प्रतिघण्टा की अधिकतम पूर्व नियत गति का होगा।

परन्तु, निम्न परिवहन यान जो कि

(i) दोपहिया
(ii) तिपहिया
(iii) चौपहिया साईकिल
(iv) यात्रियों और उनके सामान के वहन के लिए उपयोग किए गए चारपहिया जिसके बैठने की क्षमता चालक सीट के साथ–साथ आठ यात्रियों से अधिक नही है (एम 1 प्रवर्ग) और यान का सकल भार 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।
(v) अग्निशामक
(vi) एम्बुलेंस
(vii) पुलिस यान
(viii) ऐसे यान जिन्हें केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण अभिकरण द्वारा सत्यापित और प्रमाणीकृत किया गया है कि, उनकी अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रतिघण्टा से अधिक नहीं है,

में गति नियंत्रक (Speed Governer) लगाने की बाध्यता नही होगी।

परन्तु यह और भी कि, ऐसे परिवहन यान, जिसका प्रयोग

(i) डम्पर
(ii) टैंकर
(iii) या, जो परिसंकटमय माल का वहन करते हैं
(iv) या, वाहनों का कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें,

में विनिर्माता द्वारा या विनिर्माता के स्तर पर या व्यवहारी के प्रस्तर पर समय–समय पर यथासंशोधित AIS : 018/2001 के अनुरूप नियत की गई 60 किलोमीटर प्रतिघण्टा तथा स्कूल बस हेतु 40 किलोमीटर प्रतिघण्टा की अधिकतम पूर्व नियत गति रखने वाले गति नियंत्रक (Speed Governer) लगाने की बाध्यता होगी।

2. ऐसे परिवहन यान जो इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व निबंधित हुए हैं तथा जिसमें कंडिका (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत गति नियंत्रक (Speed Governer)

लगाने की बाध्यता है, ऐसे यानो के प्रचालनो द्वारा 31 जनवरी 2017 को या उससे पूर्व कंडिका (1) के प्रावधानो के अनुसार यथा विनिर्दिष्ट गति का गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) लगाने की बाध्यता होगी।

3. परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुमोदित व संसूचित विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये गति नियंत्रक ही मान्य होंगे। वाहनों में लगाये जाने वाला गति नियंत्रक राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का अधिकारिक सील (मुहर) से इस प्रकार सुसज्जित किया जाएगा कि उसे बिना छेडछाड किए तोडा या हटाया न जा सके।

4. गति नियंत्रक विनिर्माता एजेंसी को केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण अभिकरण

   (i) Automotive Research Association of India (ARAI)

   (ii) Central Institute of Road Technology (CIRT)

   (iii) International Centre for Automotive Technology (ICAT)

   (iv) Vehicle Research & Development Establishmen (VRDE)

   से Type Approval Certificate AIS : 018/2001 के अनुरूप प्राप्त करनी होगी। तथा विनिर्दिष्ट प्रकार के गति नियंत्रक यंत्र को विनिर्दिष्ट वाहन के लिए प्रमाणीकृत किया जाएगा, जिसका उल्लेख एजेंसी द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत निर्गत परीक्षण प्रमाण पत्र में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मॉडल के लिए अधिकृत परीक्षण एजेंसी से अलग से परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। गति नियंत्रक (Speed Limiting Device) Electromagnetic Compatibility (EMC) जैसा कि AIS-004 (Part 3)/1999 (समय–समय पर यथा संशोधित) के विशिष्टताओं के अनुरूप होगा।

5. उपर्युक्त कंडिका–4 के अनुसार गति नियंत्रक (Speed Governer) निर्माता कंपनी को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 126 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट एजेन्सियों/अभिकरणों में से किसी एक अभिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं गति नियंत्रक के मूल्य (प्रतिष्ठापन शुल्क सहित) के साथ राज्य के अन्दर बिक्री हेतु राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के समक्ष आवेदन समर्पित करना होगा। विहित आवेदन पत्रो की जाँच कर समीक्षोपरात राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा गति नियंत्रक की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना कोई भी गति नियंत्रक निर्माता कंपनी राज्य के अन्दर अपने उत्पाद की बिक्री नही करेगी।

6. अनुमति प्राप्त विनिर्माता कंपनी द्वारा जिस जिले में अपने डीलर/वितरक नियुक्त किया जाएगा, डीलर वितरक के पूरा पता के साथ उसकी सूचना संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को दी जाएगी। डीलर/वितरक द्वारा वाहनों में निर्धारित मानक का Speed Governer लगाया जाएगा एवं पत्येक वाहन हेतु एक फिटमेन्ट सर्टीफिकेट जारी किया जाएगा।

7. वाहनों मे Speed Governer लगाने के क्रम में निर्धारित मानक 100mm × 60mm का बारकोड युक्त स्टीकर सामने वाले वींडस्क्रीन के उपरीभाग के बायें तरफ 55mm का

वृत्ताकार में लगाया जाएगा जिसमें ट्रेडमार्क/विनिर्माता का प्रतीक चिन्ह, सीरियल नं0–आदि अंकित होगा।

8. गति नियंत्रक (Speed Governer) के विनिर्माताओं/प्राधिकृत एजेंन्सियो को प्रबधन सूचना प्रणाली (MIS) रखना होगा, जिसमे वाहनों में लगाये जाने वाले Speed Governer का लेखा जोखा अंकित होगा।

9. गति नियत्रक निर्माता कंपनी/प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा फिटमेन्ट प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा जिसकी प्रथम प्रति संबंधित जिला परिवहन कार्यालय हेतु द्वितीय प्रति वाहन के साथ एवं तृतीय प्रति निर्माता कंपनी के डीलर/वितरक कार्यालय में संधारित की जाएगी, जो किसी भी समय विभागीय अधिकारियों द्वारा जाँच हेतु प्रस्तुत की जा सकेगी।

10. वाहनों में लगाये जाने वाले Speed Governer से संबंधित विक्रय बिल एवं फिटमेन्ट सर्टीफिकेट डीलर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorization Signatory) द्वारा अपने हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा।

11. वाहनों में Speed Governer लगाये जाने के पश्चात फिटमेन्ट प्रमाण–पत्र एवं संबंधित वाहन के साथ वाहन स्वामी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा संबधित जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक के समक्ष सील (मुहर) के लिए उपस्थित होना होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक द्वारा जाँचोपरांत अधिकारिक सील (मुहर) से इस प्रकार सुसज्जित किया जाएगा कि उसे बिना छेड़छाड़ किए तोड़ा या हटाया न जा सके।

12. कंपनी द्वारा प्राधिकृत डीलर/वितरक एवं जिला परिवहन पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह वाहनों में लगाये गए Speed Governer की सूचना फिटमेन्ट प्रमाण–पत्र के साथ एन0 आई0 सी0, पटना एवं विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही एन0 आई0 सी0 इसके लिए एक वाहन डाटाबेस पर एक नया सॉफ्टवेयर विकसित करेगा।

13. ऐसे किसी यान, जिसमें इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार गति नियंत्रक लगाने की बाध्यता है, का निबंधन संबधित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा तब तक नही किया जाएगा जब तक कि इस अधिसूचना के प्रावधानों के तहत यान मे गति नियंत्रक (Speed Governer) नहीं लगाया गया हो।

14. अधिसूचना निर्गत करने के पश्चात गति नियंत्रक लगाने वाली एजेन्सी हेतु Eligibility Criteria निर्गत किया जाएगा।

15. स्पीड गवर्नर के संबंध में दिए गए निर्देशों पर परिवहन विभाग द्वारा समीक्षा कर समय–समय पर अनुदेश निर्गत किया जाएगा।

16. एतद्संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0–1951 दिनांक –22.04.2016 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 06/विविध(स्पीड गवर्नर)–16/2016 41 पटना, दिनांक– 9/1/17

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0 गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0 डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियाँ कार्यालय व्यवहार हेतु इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–

उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 06/विविध(स्पीड गवर्नर)–16/2016 41 पटना, दिनांक– 9/1/17

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 06/विविध(स्पीड गवर्नर)–16/2016 41 पटना, दिनांक– 9/1/17

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/–

उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 06/विविध(स्पीड गवर्नर)–16/2016 41 पटना, दिनांक– 9/1/17

प्रतिलिपि– सभी राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश के परिवहन आयुक्त/सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, 1, संसद मार्ग, परिवहन भवन, नई दिल्ली –110001/S.D. Banga, Secretary , Committee on Road Safety, R.No-222-A, Vigyan Bhawan Annexe, Maulana Azad Road, New Delhi-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव 9/1/17

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

9/1/17

अनुलग्नक –(G2) सड़क दुर्घटना से सम्बंधित आंकड़े एकत्रित करने हेतु प्रपत्र :

Most Immediate

सत्यमेव जयते

KIRTI SAXENA
SENIOR ADVISER (TRW)
Telefax: 011-23389017

भारत सरकार
Government of India
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
Ministry of Road Transport & Highways
परिवहन अनुसंधान विभाग
(Transport Research Wing)
आई.डी.ए. बिल्डिंग, जामनगर हाऊस
शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली - 110011
I.D.A. Building, Jam Nagar House
Shahjahan Road, New Delhi-110011

No.MR-17018/1/2014-TRW **June 28, 2016**

To,

The Director General of Police/IGs/ADG(Traffic)/SPs (All States/UTs and million plus cities)

Subject: Introduction of revised format for collection of road accident data.

Sir,

This Ministry has been making continuous efforts to bring in uniformity and consistency in the data collection methods and formats being used across the country. In this regard, the 19-Table APRAD format presently in use for reporting of road accident data (calendar year-wise) by the States/ UTs to Transport Research Wing, Ministry of Road Transport & Highways is slightly modified incorporating a few items of current importance and a few road related aspects. Modifications have been made with merging of a few tables and deleting a few unnecessary items. The format has now revised into 17-Table format.

3.Police Deptt. of all States/U.Ts are requested to start using the enclosed revised format for reporting road accident data to Transport Research Wing of the Ministry of Road Transport and Highways w.e.f the calendar year 2016. The data/inputs for the calendar year 2016 may please be sent by the States/U.Ts to TRW by January end or beginning of February 2017as per the revised format.

4. The revised format may please be circulated to all Districts/ Police Thana and all concerned for recording/ reporting of road accident data. Inputs, if any, for further improvement of road accident data format may also please be sent to Transport Research Wing.

Encl: as above

Yours faithfully,

Kirti Saxena

(Kirti Saxena)

ROAD ACCIDENT STATISTICS

(For reporting to TRW, MoRTH)

Statement containing particulars of Road Accidents in the State/UT ---------for the calendar year ----------

Total Number Of Road Accidents Classified According To Month Of The Year

Month	Type of Accidents					Number of persons involved		
	Fatal	GI	MI	NI	Total	Killed	Grievously Injured	Minor Injured
1. January								
2. February								
3. March								
4. April								
5. May								
6. June								
7. July								
8. August								
9. September								
10. October								
11. November								
12. December								
TOTAL								

Note:

F : Fatal accidents

GI : Grevious Injury accidents

MI : Minor Injury accidents

NI : Non - Injury accidents

2. Accidents Classified According To Area And Time

Time	Urban								Rural							
	Type of Accidents					Number of persons			Type of Accidents					Number of persons		
	Fatal	GI	MI	NI	Total	Killed	Grievously Injured	Minor Injured	Fatal	GI	MI	NI	Total	Killed	Grievously Injured	Minor Injured
06.00 to 9.00 hrs (Day)																
09.00 to 12.00 hrs (Day)																
12.00 to 15.00 hrs (Day)																
15.00 to 18.00 hrs (Day)																
18.00 to 21.00 hrs (Night)																
21.00 to 24.00 hrs (Night)																
00.00 to 3.00 hrs (Night)																
03.00 to 6.00 hrs (Night)																
TOTAL																

3. Accidents Classified According To Classification of Roads

Classification of Road	Fatal		Grievous Injury		Minor Injury		Non-Injury
	Accidents	Killed	Accidents	Injured	Accidents	Injured	Accidents
1. Expressways							
2. National Highways							
3. State Highways							
4. Other Roads							
(Total Surfaced + Un surfaced)							
(a) Surfaced (b) Un surfaced							

4. Accidents Classified According To Location *

Location	Number of Accidents					Number of Persons	
	F	GI	MI	NI	Total	Killed	Injured
1. Near School/College/any other educational Institutes							
2. Pedestrian crossing							
3. Market Place							
4. Near Office Complex							
5. Near a Religious Place							
6. Near Hospital							
7. Residential Area							
8. Encroached Area							
9. Narrow bridge or culverts							
10. Near Petrol Pump							
11. Near Bus stop							
12. Near or on Road under construction							
13. Open Area							
TOTAL							

*** GPS to be indicated if available.**

5. Accidents Classified According To Type Of Junction And Traffic Control

Type of Junction/ Traffic Control	Number of Accidents					Number of Persons	
	F	GI	MI	NI	Total	Killed	Injured
A). Type of Junction-Total							
1. T-Junction							
2. Y-Junction							
3. Four armed Junction							
4. Round about Junction							
5. Rail Crossings*							
B). Type of Traffic Control-Total							
1. Traffic Light Signal							
2. Police Controlled							
3. Stop Sign							
4. Flashing Signal/Blinker							
5. Uncontrolled							

*** Not to include rail collision accident data.**

6. Accidents Classified According To Weather Conditions

Weather Condition	Number of Accidents					Number of Persons	
	F	GI	MI	NI	Total	Killed	Injured
1. Fine/Clear							
2. Mist/ Foggy							
3. Cloudy							
4. Rainy							
5. Snowfall							
6. Hail/Sleet							
7. Dust Storm							
8. Others *							
TOTAL							

*** Specify only the name of other category of weather conditions......**

7. Accidents Classified According to Type of Vehicles And Other Objects Involved

Type of Vehicles Primarily Responsible	Number of Accidents					Number of Persons		
	F	GI	MI	NI	Total	Killed	Grievously Injured	Minor Injured
(A) Motor Vehicles- Total								
1. Motor Cycle/ Scooter								
2. Moped/Scootty								
3. Auto rickshaw								
4. Motor Car								
5. Jeep								
6. Taxi								
7. Bus								
8. Truck/Lorry								
9. Tempo								
10. Articulated Vehicle/Trolly								
11. E-Rickshaw								
12.Tractor								
(B) Non-Motorized Vehicles - Total								
1. Cycle								
2. Cycle Rickshaw								
3. Hand drawn Vehicle								
4. Animal drawn Vehicle								
(C) Other Objects								
1. Pedestrian								
2. Animal								
3. Tree								
4. Other Fixed Objects								
(D) TOTAL (A)+(B)+(C)								

8. Accidents Classified According to Age of Vehicle

Age of Vehicle (Year)	Number of Accidents					Number of persons	
	F	GI	MI	NI	Total	Killed	Injured
1. Less than 5							
2. 5-10							
3. 10-15							
4. 15 & above							
TOTAL							

9. Accidents Classified According to Nature of Accident

Nature of Accident	Number of Accidents					Number of Persons	
	F	GI	MI	NI	Total	Killed	Injured
1. Hit & Run							
2. Head on Collision							
3.Hit from Back							
4. Hit from side							
5. Hit fixed objects							
6. Hit pedestrian							
7. Overturning							
8. Others							
TOTAL							

10. Accidents Classified According To Cause

Causes of Accident	Number of Accidents					Number of persons		
	F	GI	MI	NI	Total	Killed	Grievously Injured	Minor Injured
1. Fault of Driver of Motor Vehicle								
2. Fault of Driver of Non-Motorized Vehicle								
3. Fault of Pedestrian								
4. Fault of Passenger								
5. Mechanical Defect in Motor Vehicle								
6. Engineering /Designing fault								
7. Defect in Road Condition								
8. Stray Animals								
9. Poor Light condition								
10. Other Causes *								
11. Causes not known								
TOTAL								

*** Please specify only the name of other type of causes for e.g weather conditions, Ongoing road works etc.**

11. Accidents Classified According to Fault of Driver of Motor Vehicle

Fault of Driver	Number of Accidents					Number of Persons	
	F	GI	MI	NI	Total	Killed	Injured
1. Consumption of Alco. or Drug							
2. Exceeded Lawful Speed (Over speeding)							
3. Jumping Red Light							
4.Driving on wrong side							
5. Jumping/Changing lanes							
6. Improper Overtaking							
7. Using Mobile Phones while driving							
8. Asleep or Fatigued or Sick							
9. Other improper actions							
TOTAL							

12. Accidents Classified According To Type Of Victims , Age And Sex

Victims	Persons Killed		Grievously Injured		Minor Injured	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female
(A) Victims (Drivers) - Total						
1. Less than 18 years						
2 18-25						
3. 25-35						
4. 35-45						
5. 45-60						
6 .60 and Above						
7. Unknown Age						
(B) Victims (Passengers) - Total						
1. Less than 18 years						
2 18-25						
3. 25-35						
4. 35-45						
5. 45-60						
6 .60 and Above						
7. Unknown Age						
(C) Total (A) + (B)						

13. Accidents Classified According To Details Of Drivers

Details of Drivers	Number of Accidents				
	Fatal	GI	MI	NI	Total
(A) Driver's Age - Total					
1. Less than 18 years					
2 18-25					
3. 25-35					
4. 35-45					
5. 45-60					
6 .60 and Above					
7. Unknown Age					
(B) Educational Quali. of Driver - Total					
1. Less than 8th Standard					
2. Standard 8-10					
3. Standard 10 and Above					
4. Qualification not known					
(C) Type of Licence - Total					
1. Regular Licence					
2. Learner's Licence					
3. Without Licence					

14. Accidents Classified According To Particulars Of Vehicle

Particulars of Vehicles	Number of Accidents					Number of Persons	
	F	GI	MI	NI	Total	Killed	Injured
(A) Load - Total							
1.Overloaded/ Overcrowded							
2. Load Protruding							
(B) Vehicular Defect-Total							
1. Defective Brakes							
2. Defective Steering/Axle							
3. Punctured or Burst Tyres							
4. Worn out Tyres							
5. Other serious Mech. Defect							

15. Accidents Classified According to Type of Persons Killed/Injured:

Persons	Male					Female				
	F	GI	MI	NI	Total	F	GI	MI	NI	Total
1. Pedestrian										
2. Bycycles										
a). Drivers										
b). Passengers										
3. Motor Cycles										
a). Drivers										
b). Passengers										
4. Scooters										
a). Drivers										
b). Passengers										
5. Mopeds										
a). Drivers										
b). Passengers										
6. Auto Rickshaws										
a). Drivers										
b). Passengers										
7. Cars, taxies Vans & LMV										
a). Drivers										
b). Passengers										
8. Trucks										
a). Drivers										
b). Passengers										
9. Buses										
a). Drivers										
b). Passengers										
10 . Other Motor vehicles										
a). Drivers										
b). Passengers										
11. Animal Drawn Vehicles										
a). Drivers										
b). Passengers										

12. Cycle Rickshaws										
a). Drivers										
b). Passengers										
13. E-Rickshaw										
a). Drivers										
b). Passengers										
14. Hand Carts & rickshaws										
a). Drivers										
b). Passengers										
15. Non-wearing of Helmet										
a). Drivers										
b). Passengers										
16. Non-wearing of seat belt										
a). Drivers										
b). Passengers										
17. Other Persons										
TOTAL										
a). Drivers										
b). Pedestrian + Passengers + other persons										

अनुलग्नक –(63) उद्योग से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने का प्रपत्र :

(अद्यतन स्थिति की जानकारी)

क्र. स.	उद्योग का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या	मालिक/मुख्य कार्यकारी पदा. का नाम एवं मोबाईल संख्या	फैक्ट्री/उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु का नाम एवं प्रकार	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	फैक्ट्री/उद्योग का प्रकार (खतरनाक/गैर खतरनाक)	क्षेत्रफल जिसमें फैक्ट्री कार्य कर रही है।	फैक्ट्री से संभावित खतरा (समुदाय के लिए)	फैक्ट्री से संभावित खतरा (कार्यरत कर्मी के लिए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

अनुलग्नक –(64) जिला प्रशासन एवं पुलिस के पदाधिकारियों की सम्पर्क सूची :

पदनाम	दूरभाष	ईमेल
प्रमंडल आयुक्त	0612 - 2222205 0612 - 2230788 (Fax.)	patcom-bih@nic.in
जिलाधिकारी	0612 - 2219545 (O) 0612 - 2219097 (R) 0612 - 2219383 (R) 0612 - 2218900 (Fax)	dm-patna.bih@nic.in
वरीय पुलिस अधिक्षक, पटना	0612-2214318 (O) 0612-2119745 (O) 0612-2320047 (R) 0612-2321467 (R) 0612-2320393 (Fax)	ssp-patna-bih@nic.in
नगर पुलिस अधिक्षक (केन्द्रीय)	0612 – 2219423 (O) 0612 – 2219041 (R)	spcity-patna-bih@nic.in
नगर पुलिस अधिक्षक (पश्चिमी)	0612-2219360 (O)	
नगर पुलिस अधिक्षक (पूर्वी)	0612-2219359	
पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण)	0612-2219559 (O) 0612-2321535 (R) 0612-2321535 (Fax)	sprural-patna-bih@nic.in
पुलिस अधिक्षक (यातायात)	0612-2219543 (O) 0612-2240404 (R)	

अनुलग्नक – (65) विभिन्न नियंत्रण कक्ष एवं आपातकाल हेल्पलाईन की संपर्क सूची :

राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र टॉल फ्री नम्बर	0612–2217301 / 305 1070	
आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष	0612–2215000	
जिला नियंत्रण कक्ष, पटना	0612–2219810 / 2219234	
पुलिस नियंत्रण कक्ष, पटना	0612 –2201975 / 76 / 77 / 78	9431820411
	0612 – 2201976 फैक्स	9431830083
बिजली विभाग, पटना कंट्रोल रूम	0612–2286032	
नगर निगम नियंत्रण कक्ष	0612–2911134 / 35 / 3201372 / 73	
फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम	0612–2222223 / 2229385 / 101 स्टेट फायर अफसर – पटना फायर अफसर – फ्रेजरबाग – सचिवालय – पटना सिटी –	 9473199836 9473199838 9473199834 9431420436 9473199837

अनुलग्नक – (66) पटना में अवस्थित अस्पतालों एवं एम्बुलेन्स की सम्पर्क सूची :

अस्पताल का नाम	दूरभाष
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल	2670132
नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	2631159
गर्दनीबाग डिस्पेन्सरी	2212309
राजेन्द्र नगर डिस्पेन्सरी	2670044
इण्डियन रेड क्रॉस सोसाइटी	2234869
कुर्जी होली फैमली अस्पताल	2252540 / 2262516 / 2264117
इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पीएमसीएच	2309107 / 2309100
महावीर कैंसर इंस्टीच्युट	2253127 / 2253966 / 2253967
इंदिरा गाँधी आर्युविज्ञान चिकित्सा संस्थान (ईम्स), शेखपुरा	2297225 / 2292329

एम्बुलेन्स	
अपातकालीन	102 / 108
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल	2681786
गर्दनीबाग अस्पताल	2222309
राजेन्द्र नगर	2680044
रेड क्रॉस	2686247
पारस एच.एम.आर.आई. अस्पताल (कुल 3 एम्बुलेंस)	7107777
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (कुल 2 एम्बुलेन्स)	9199350007 / 8521603910
जीवक हार्ट अस्पताल, कंकड़बाग, पटना	2365514 / 2345895

अनुलग्नक – (67) निजी (प्राईवेट) एम्बुलेंस एवं एयर एम्बुलेंस सर्विसेज सेवा सूची :

नाम		पता	मोबाईल
1	अरुण कुमार	पी.एम.सी.एच.पटना	9535018335
2	आकाश सिंह	कुर्जी हॉस्पीटल पटना	9535078710
3	आदित्य एम्बुलेंस	एन.एम.सी.एच पटना	9234194775
4	किशोर राय	पी.एम.सी.एच.पटना	9939557492
5	कृष्णा एम्बुलेंस सेवा	कुर्जी हॉस्पीटल पटना	9334202010
6	गणेश कुमार	पी.एम.सी.एच.पटना	9931013962
7	गायत्री एम्बुलेंस	कुर्जी हॉस्पीटल पटना	9535470510
8	गौरव एम्बुलेंस	एन.एम.सी.एच पटना	9931550541
9	गौरी एम्बुलेंस	एन.एम.सी.एच पटना	9931657152
10	मनोज कुमार	पी.एम.सी.एच.पटना	9308818982
11	महावीर एम्बुलेंस	आई.जी.आई.एम.एस., पटना	9334413704
12	माँ अम्बे एम्बुलेंस	कुर्जी हॉस्पीटल पटना	9334787109
13	माँ शारदा एम्बुलेंस	आई.जी.आई.एम.एस., पटना	9931051951
एयर एम्बुलेंस सर्विसेज			
नाम		पता	मोबाइल न0
1	अशोका रेस्क्यू	नई दिल्ली	9510304143
2	अंश एविएशन	मुम्बई	9987341111
3	इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पीटल	नई दिल्ली	011–26925858
4	इस्पान मेडिकल	नई दिल्ली	011–23388222
5	एयर रेस्क्यू	नई दिल्ली	011–23388222
6	द मैं जन	नई दिल्ली	011–07775002
7	पवनमुक्ती एयर एण्ड ट्रेन एम्बुलेंस	शेखपुरा, बेली रोड, पटना	8521959874
8	पाटलीपुत्रा एयर चार्टर	पटना	9591040533
9	सिमा लाईफ सर्विसेज	मुम्बई	022–28999991
10	स्काई फुजन	मुम्बई	022–30540130
11	स्काई लाईट एविएशन	गोरेगाव,मुम्बई	022–49179007
12	सूर्यनकोस्ट कार्डियक एण्ड एम्बुलेंस सर्विसेज	मुम्बई	022–22200138
13	हेरिटेज एविएशन	नई दिल्ली	9511404015
14	नन्द सिंह	आई.जी.आई.एम.एस., पटना	9334581054

अनुलग्नक – (68) पटना जिले मे (102) एम्बुलेन्स की उपलब्धता एवं संपर्क सूची :

क्र0	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्रखंड का नाम	एम्बुलेन्स का निबंधन संख्या	ड्राईवर का नाम एवं दूरभाष संख्या	ई.एम.टी0 का नाम एवं दूरभाष संख्या
1	अथमलगोला	बीआर 01पी–एफ0935	श्री रंजन कुमार–9939200442 श्री धर्मवीर कुमार–8083347150	कोई नहीं

2	बख्तियारपुर	बीआर 01 पीपी–0940	श्री सुधीर कुमार सिंह पप्पु कुमार 9334025807	कोई नहीं
3	बाढ़	जिला स 132 / 108 प्रा0स्वा0 केन्द्र, बाढ़ को उपलब्ध नहीं कराया है।		
4	बेलछी	माननीय सांसद ललन सिंह द्वारा 1 एम्बुलेंस संचालित है		
5	बिहटा	बीआर 01पी–डी 314	श्री रमेश कुमार–8804876093 श्री मनोज कुमार–9308742507	विनोद शाम– 9934739750 अमीत कु०–9852234203
6	दानापुर	बीआर 01पीजाइ–1035	श्री मुकेश कुमार–9852649045 श्री जितेन्द्र कुमार–9031077107	दीपक कु०–9534097713 रविरंजन–9572752070
7	दनियांवा	बीआर 01 पीसी– 2970	श्री जितेन्द्र कुमार	विनय कु सिंह–7549928415 राहुल किशोर–9234492236
8	धनरूआ	बीआर 01 पीएफ–0934	श्री धर्मवीर पासवान–7705045008 श्री सिद्धेश्वर–7870253664	अमीत कु०–9308895034 मणीभूषण कु0–7705045008
9	दुल्हिन बाजार	बीआर 01 पीसी – 2965	श्री कमलेश कुमार–8873280390 श्री शम्भु कुमार– 7739003601	दिलीप कु०–7077188019 राजु कुमार–9852848211
10	फतुहाँ	बीआर 01 पीसी – 2973	श्री सियाराम कुमार–7654147005 श्री रणधीर कुमार–9204530925	म0अब्दुल्लाह–8935890891 नगेन्द्र ठाकुर–8083403980
11	घोसवारी	बीआर 01 पीजाइ –1083	श्री राजु कुमार–9525714929 श्री पंकज कुमार–9097448612	नहीं
12	खुसरूपुर	बीआर 01 पीजी – 2971	श्री बिरेन्द्र कुमार– 8507805087	रवी कुमार–9572752870
13	मसौढ़ी	बीआर 01 पीजी – 1:38	श्री सुनील कुमार–9931098301 श्री अभिषेक कु०– 9308727240	गोपाल कु0 पंकज–9334401704 रजीत कु0 रंजन–9472305201
14	मनेर	बीआर01पीएफ–1003	श्री दिनेश कुमार–9852702559 श्री सुर्जीत कुमार–9093717186	
15	मोकामा मराची	बीआर 01 पीजी – 1:39	श्री राजय पंडित–9931877629 श्री सुनील कुमार पासवान–8581010223	रजीत कु०–8804043756 कमलेन्दर कु०– 8083412870
16	मोकामा रेफरल	बीआर 01 पीजी – 1138	श्री विनोद कुमार–9934575234 श्री निरंजन कुमार–9061079210	सुबोध–9852014755 निरंजन कुमार–9504753345
17	नौबतपुर रेफरल	बीआर 01 पीईए – 1141	श्री नीरज पासवान–8809497782 श्री शिवराम–9798920004	मनोज कु०–9934028126 ओमप्रकाश मलिक–9380833408
18	पुनपुन	बीआर 01 पी– 2978	काफी समय से टूटा हुआ है।	
19	पटना सदर	बीआर 01 पीसी – 8906	श्री प्रमोद कुमार–9973095505 श्री रविन्द्र पासवान–8883797452	मुकेश कु०–7870514921 अरूण कुमार ठाकुर–8534427328
20	पालीगंज	बीआर 01 पीजी – 1140		रामाकान्त प्रसाद सिन्हा
21	फुलवारीशरीफ		श्री भूपेन्द्र कुमार ओझा–9308071028 श्री मोहम्मद पटेल–7488412254	अजय कु०–9350123551 सुनील कु०–7870215609

22	पटना सदर	बीआर 01 पीजी – 9095		सुनील–9905250025
23	सम्पतचक	बीआर 01 पीसी – 2972	रंजन कुमार / दीपक कुमार पाण्डे 9939088087	गोपाल शरण सी – 8573855717
24	अनुमंडल मसौढ़ी	बीआर 01 पीएफ – 0941	श्री हरेराम सिंह–7077070654 श्री लक्ष्मण प्रसाद–9631539519	चन्द्रभूषण कुमार – 9122322845 पप्पु कुमार–9471948884
25	अनुमंडल बाढ़	बीआर 01 पीएफ– 1110	श्री राजीव कुमार–9801069345	

अनुलग्नक – (69) ब्लड बैंकों की सूची :

क्र॰	ब्लड बैंक केन्द्र का नाम	सम्पर्क संख्या
01	पी.एम.सी.एच., अशोक राजपथ, पटना	0612–2300334
02	इंदिरा गाँधी इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना	2257099,287099,287404,283744,287225
03	कुर्जी होली फेमिली हास्पीटल, पटना	2262540, 2262516,9835280915
04	लाईफ लाईन ब्लड बैंक, जी.एम.रोड पटना	2303025, 9234990509
05	पाटलीपुत्र ब्लड बैंक, अशोक राजपथ, पटना	0612.2300840
06	नेशनल ब्लड बैंक एण्ड रिसर्च सेन्टर,कंकड़बाग,पटना	2355575
07	महावीर कैंसर इंस्टीच्यूट, फुलवारीशरीफ, पटना	2253127, 2253956
08	पॉम न्यू हास्पीटल ब्लड बैंक, अम्बेदकर पथ, नन्दपुरी, राजपुर, पटना	2595738, 9334123578
09	स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल ब्लड बैंक द्वारा जयप्रभा हास्पीटल, कंकड़बाग, पटना	0612.2355805, 3253172
10	पारस एचएमआरआई अस्पताल	7107525 (डॉ. शशांक कुमार)
	रूबन हार्ट अस्पताल, कंकड़बाग, पटना	8509147888 (डॉ. एस. शरण)
11	लायन्स ऑरगन ब्लड बैंक, कंकड़बाग, पटना	0612–2305814
12	रूबन अस्पताल, पाटलीपुत्र, पटना	8406003121 (कौशल किशोर)
13	ऑरगन रेखा ब्लड बैंक, कोठ हस्पीटल न्यू बाईपास	

अनुलग्नक – (70) पटना जिला चिकित्सकीय त्वरित प्रत्युत्तर दल :

क्र॰	नाम	पदनाम	तैनाती स्थान	सम्पर्क संख्या
1	श्री रामबालक प्रसाद	ए॰एस॰आई॰	पी.एच., अथमलगोला	9973715408
2	श्री रमेन्द्र राम	एस॰आई॰	एस॰आई॰ अथमलगोला पटना	9199032409
3	श्री कृष्णा प्रसाद	ए॰एस॰आई॰	पी.एच॰ नौबतपुर	9199021054
4	श्री दशरथ साह	फार्मासिस्ट	पी.एच.सी॰ मसौढ़ी	9552903599
5	सुश्री पवन कुमारी	ए॰एन॰एम॰	पी.एच.सी॰ मसौढ़ी	9380435758
6	डॉ॰ मिथिलेश कुमार	एम॰ओ॰	पी.एच.सी॰ मसौढ़ी	9431003424
7	श्री मोहन महेश राम	एस॰आई॰	पी.एच॰, धनरूआ	9931157021
8	श्री लाल बहादुर पासवान	एस॰आई॰	पी.एच॰ दानापुर,	8541014111
9	श्री अशोक कुमार सिंह	एस॰आई॰	पी.एच॰, दीदारगंज,	9334227249
10	श्री अरूण कुमार सिंह	ए॰एस॰आई॰	पी.एच॰, दीदारगंज,	9534914040

अनुलग्नक – (71) पटना जिले के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधा :

क्र. सं.	अस्पताल का नाम	मोबाईल	आपात चिकित्सा	सर्जरी	एम्बुलेंस	रेडियोलॉजी / सिटी स्कैन	एम.आर.आई.
1	बाढ़ पी.एच.सी.	9470003593	✓		✓		
2	फतुहा पी.एच.सी.	9470003555	✓		✓		
3	पटना सदर पी.एच.सी.	9470003590	✓		✓		
4	फुलवारीशरीफ पी.एच.सी.	9470003591	✓		✓		
5	दानापुर पी.एच.सी.	9470003603	✓		✓		
6	मनेर पी.एच.सी.	9470003592	✓		✓		
7	बिहटा पी.एच.सी.	9470003596	✓		✓		
8	बिक्रम पी.एच.सी.	9470003606	✓		✓		
9	पालीगंज पी.एच.सी.	9470003602	✓		✓		
10	नौबतपुर पी.एच.सी.	9470003605	✓		✓		
11	पुनपुन पी.एच.सी.	9470003598	✓		✓		
12	मसौढ़ी पी.एच.सी.	9470003604	✓		✓		
13	धनरुआ पी.एच.सी.	9470003595	✓		✓		
14	बख्तियारपुर पी.एच.सी.	9470003594	✓		✓		
15	पंडारक पी.एच.सी.	9470003607	✓		✓		
16	मोकामा पी.एच.सी.	9470003597	✓		✓		
17	दनियावां पी.एच.सी.	9470003609	✓		✓		
18	सम्पतचक पी.एच.सी.	9470003608	✓		✓		
19	दुल्हिन बाजार पी.एच.सी.	9470003611	✓		✓		
20	बेलछी पी.एच.सी.	9470003614	✓		✓		
21	घोसवरी पी.एच.सी.	9470003610	✓		✓		
22	खुसरुपुर पी.एच.सी.	9470003615	✓		✓		
23	अथमलगोला पी.एच.सी.	9470003616	✓		✓		
24	एसडीएच बाढ़		✓		✓		
25	एसडीएच दानापुर		✓		✓		
26	राजेन्द्र नगर अस्पताल	2670044 2662923	✓		✓		
27	गर्दनीबाग अस्पताल	9470003548	✓		✓		
28	राजवंशी नगर अस्पताल		✓		✓		
29	न्यू गार्डीनर रोड अस्पताल	9470003557	✓		✓		
30	जी.जी.एस. अस्पताल, पटना सिटी	9470003553	✓		✓		
31	पटना मेडिकल कॉलेज	2300132 2670132	✓		✓	✓	
32	नालंदा मेडिकल कॉलेज	9470003568	✓		✓	✓	
33	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	2451923	✓			✓	शीघ्र
34	आईजीआईएमएस		✓			✓	
35	आरएमआरआईएमएस		✓			✓	
36	राजेश्वर अस्पताल	9334203699	✓	✓		✓	
37	रूबन अस्पताल, पाटलीपुत्र, पटना	8405003132 8405003133	✓	✓		✓	

		2270059 / 97					
38	मगध अस्पताल	9334153363	✓	✓		✓	
39	कुर्जी अस्पताल		✓	✓		✓	
40	जगदीश मेमोरियल	9334153228 928363121	✓	✓		✓	
41	श्री साईं अस्पताल	9771450950 938631698	✓	✓		✓	
42	राजरोग अस्पताल, पटना	2262642 2262261 / 77	✓	✓		✓	
43	पारस एचएमआरआइ अस्पताल, पटना	8294429251 9934033242 7107777	✓	✓		✓	✓
44	फोर्ड अस्पताल, पटना	3215854	✓	✓		✓	
45	रूबन अस्पताल	9431023462	✓	✓		✓	✓
46	हार्ट अस्पताल, कंकड़बाग, पटना	9334156124 2356126	✓	✓		✓	
47	जीवक हार्ट अस्पताल, कंकड़बाग, पटना	2363814 2343895	✓				
48	चौधरी डायग्नोस्टिक सेन्टर	2683526	✓	✓	✓	✓	
49	अनुप इंस्टीच्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, कंकड़बाग, पटना	2354130 8292782656 2			✓	✓	

स्रोत – पटना जिला स्वास्थ्य समिति एवं निजी अस्पताल –2016

अनुलग्नक –(72) आपदा प्रत्युत्तर के लिए पटना के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध शय्या की स्थिति :

1.	**पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल** में कुल 1700 शय्या है तथा आपातकाल हेतु 220 शय्या निर्धारित है। चिकित्सकों की कुल संख्या 200 तथा नर्सों की संख्या 1000 है। अस्पताल के शवगृह में 6 शव सुरक्षित रखने की व्यवस्था है तथा 1 शव वाहन (1099) उपलब्ध है।
2.	**नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल** में कुल 533 शय्या है जिसमें औषधि एवं सर्जरी विभागों में क्रमशः 185 एवं 130 शय्या है। आपातकालीन आई.सी.यू. 4 है जब की बर्न विभाग एवं मेडिसीन विभाग में 1–1 आई.सी.यू. उपलब्ध है।
3.	**पारस एच.एम.आर.आइ. अस्पताल**, बेली रोड, राजा बाजार, में उपलब्ध 275 बेड में से विशेष परिस्थितियों में 50 रोगियों के चिकित्सीय सुविधा का इंतजाम है।
4.	**कुर्जी होली अस्पताल**, सदाकत आश्रम कुल उपलब्ध बेड की संख्या 300 है जिसमें से 25 आई.सी.यू. एवं 6 आपातकालीन बेड उपलब्ध है।
5.	**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)** पटना में कुल 180 बेड है जिसमें से आई.सी.यू. 6 एवं 12 हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट (एच.डी.यू.) उपलब्ध है वार्ड में 40 विशेष बेड उपलब्ध है
6.	**जीवक हार्ट अस्पताल**, कंकड़बाग में कुल 40 बेड उपलब्ध है जिसमें से 9 आई.सी.यू. एवं 6 आपातकाल बेड है।
7.	**रूबन मेमोरियल अस्पताल**, पाटलीपुत्रा में कुल 200 बेड उपलब्ध है जिसमें 12 आई.सी.यू., 15 आई.सी.सी.यू. एवं 15 हाई डिपेनडेन्सी यूनिट (एच.डी.यू.) है। इसके अतिरिक्त 5 बेड विशेष आपदा स्थिति के लिए सुरक्षित रखे गये है।
8.	**अनुप इंस्टीच्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स अस्पताल**, कंकड़बाग में 24 घंटे आपातकालीन सुविधा उपलब्ध है जिसमें उपलब्ध 100 बेड में 10 आई.सी.यू. के लिए है जब कि 6 बेड आपातकालीन सुविधा के लिए सुरक्षित है।
9.	**शवगृह (मोरचुअरी) : पी.एम.सी.एच.** के शवगृह में 6 शव सुरक्षित रखने की व्यवस्था है तथा 1 शव वाहन (1099) उपलब्ध है। **आई.जी.आई.एम.एस.** में 3 शवों को रखने की व्यवस्था है जबकि आपातकाल के समय 15 शवों का खुले शवगृह में पोस्टमार्टम किया जा सकता है। **एन.एम.सी.एच.** में शवगृह का

निर्माण बाकी है। रेड क्रॉस भवन में ब्लड बैंक उपलब्ध है।
10. **बायोमेडिकल वेस्ट** : आई.जी.आई.एम.एस. द्वारा पटना सहित नालन्दा, बक्सर, कैमूर, आरा एवं रोहतास के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों से प्राप्त कचड़ा को 'इनसिनिरेटर' यंत्र से नष्ट किया जाता है।
11. **राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टिट्यूट** : अगमकुआँ, जल–जनित, टी.बी., एच.आई.भी./एड्स हेतु विशेष अनुसंधान एवं चिकित्सा, 150 शय्या उपलब्ध, 0 शय्या आई.सी.यू.।

अनुलग्नक –(73) अनुमंडलीय मजिस्ट्रेट एवं अन्य पदाधिकारियों की सूची :

पदनाम	दूरभाष	मोबाईल	ईमेल
सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट, पटना	0612–2201781	9473191200	sdo_patnasadar@yahoo.com
सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट, दानापुर	06115–227421	9473191201	sdodanapur10@gmail.com
सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट, पटना सिटी	0612–2631813	9473191202	sdopatnacity@gmail.com
सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट, मसौढ़ी	0612–2434111	9473191203	sdo.masaurhi@gmail.com
सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट, बाढ़	06132–242305	9473191204	sdmbarh@gmail.com
सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट, पालीगंज	06135–277375	9955235066	sdmpaliganj@gmail.com
जिला भू एवं राजस्व पदाधिकारी, बाढ़		8544412304	dclrbarh@yahoo.com
जिला भू एवं राजस्व पदाधिकारी,दानापुर		8544412305	dclrdanapur94@gmail.com
जिला भू एवं राजस्व पदाधिकारी,मसौढ़ी		8544412306	surajdc1@gmail.com
जिला भू एवं राजस्व पदाधिकारी, पालीगंज		8544412307	dclr.pali@gmail.com
जिला भू एवं राजस्व पदा॰ पटना सिटी		8544412308	dclrpatnacity@gmail.com
जिला भू एवं राजस्व पदा॰ पटना सदर		8544412309	dclrpatnasadar@gmail.com

अनुलग्नक –(74) खंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों का संपर्क सूची :

क्र॰	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	दूरभाष	मोबाईल न0
	पटना सदर अनुमंडल के अन्तर्गत		
01	प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना सदर	2302465	9431818000 / 9561927549
02	प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ	2556190	9431818002 / 7782971310
03	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सम्पतचक	2494486	9431818449 / 9431844109
04	अंचलाधिकारी, पटना सदर		8544412704 / 9334101711
05	अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ		8544412705 / 9471828720
06	अंचलाधिकारी, सम्पतचक		8544412706 / 8986188075
	पटना सिटी अनुमंडल के अन्तर्गत		
07	प्रखंड विकास पदाधिकारी, फतुहा		9431818012 / 9472275308
08	प्रखंड विकास पदाधिकारी, दनियावाँ		9431818446
09	प्रखंड विकास पदाधिकारी, खुशरूपुर		9431818013 / 9973173950
10	अंचलाधिकारी, फतुहा		8544412702 / 9631098898
11	अंचलाधिकारी, दनियावाँ		8544412701 / 9162502493
12	अंचलाधिकारी, खुशरूपुर		8544412703 / 8409799023
	बाढ़ अनुमंडल के अन्तर्गत		
13	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाढ़	06132–242125	9431818006 / 9430884700
14	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बख्तियारपुर	06132–220457	9431818011 / 9430829091
15	प्रखंड विकास पदाधिकारी, अथमलगोला	06132–250127	9431818014 / 9234212501
16	प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंडारक	06132–250127	9431818445 / 9931445997
17	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलछी		9431818015 / 9835400101
18	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोकामा	06132–238225	9431818007 / 9939710730
19	प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोसवरी		9431818447 / 8002059199
20	अंचलाधिकारी, बाढ़		8544412740 / 9431045099
21	अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर		8544412745 / 9304879151
22	अंचलाधिकारी, अथमलगोला		8544412744 / 9431040299

23	अंचलाधिकारी, पंडारक		8544412750 / 9931445997
24	अंचलाधिकारी, घोसवरी		8544412748 / 9430079041
25	अंचलाधिकारी, मोकामा		8544412749 / 9709391308
26	अंचलाधिकारी, बेलछी		8544412747 / 9431482000
पालीगंज अनुमंडल के अन्तर्गत			
27	प्रखंड विकास पदाधिकारी, पालीगंज		9431818005 / 993995297
28	प्रखंड विकास पदाधिकारी, दुल्हिनबाजार		9431818010 / 9801980727
29	प्रखंड विकास पदाधिकारी, विक्रम		9431818444 / 9097350430
30	अंचलाधिकारी, पालीगंज		8544412700 / 9334107219
31	अंचलाधिकारी, दुल्हिनबाजार		8544412759 / 8084880283
32	अंचलाधिकारी, विक्रम		8544412758 / 9162344010
मसौढ़ी अनुमंडल के अन्तर्गत			
33	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मसौढ़ी	2434248	9431515037 / 9431450069
34	प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुनपुन	2477277	9431818008 / 9934222414
35	प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनरूआ	2484019	9431818001 / 9431400294
36	अंचलाधिकारी, मसौढ़ी		8544412756 / 9835498077
37	अंचलाधिकारी, पुनपुन		8544412757 / 9931035073
38	अंचलाधिकारी, धनरूआ		8544412755 / 9835498077
दानापुर अनुमंडल के अन्तर्गत			
39	प्रखंड विकास पदाधिकारी, दानापुर		9431818010 / 9431493153
40	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनेर		9431818009 / 9380813040
41	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा	06115–252412	9431818003 / 8002148880
42	प्रखंड विकास पदाधिकारी,नौबतपुर	06135–200357	9431818004 / 9939709202
43	अंचलाधिकारी, दानापुर		9544412752 / 9431002534
44	अंचलाधिकारी, मनेर		8544412753 / 9939713359
45	अंचलाधिकारी, बिहटा		8544412751 / 9431818003
46	अंचलाधिकारी, नौबतपुर		8544412754 / 9531041047

अनुलग्नक –(75) पटना नगर निगम / अंचल कार्यालय / नगर परिषद / सिटी मैनेजर की सूची :

पदाधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल
श्री अभिषेक सिंह, आईएएस	नगर निगम आयुक्त	9470489578
श्रीमती सीता साहू	मेयर	——
श्री विशाल आनन्द	कार्यकारी अधिकारी, नूतन राजधानी	9470489573
श्री अजय कुमार	कार्यकारी अधिकारी, पटना सिटी	9470489027
मो० इमरान आलम	कार्यकारी अधिकारी, कंकड़बाग	9470489584
अब्दुल हमीद	कार्यकारी अधिकारी, बाँकीपुर	9470489509
श्री शशिभूषण प्रसाद	कार्यकारी अधिकारी, दानापुर निजामत	9470488382 / 8409007700
श्रीमती संगीता देवी	अध्यक्ष, दानापुर	9334104917
श्री सुजीत कुमार	अध्यक्ष, खगौल	9308930531
खालदा गुशुन	अध्यक्ष, फुलवारीशरीफ	9334005404 / 9835000140
श्रीमती शकुन्तला देवी	अध्यक्ष, बाढ़	9431035325
श्रीमती रंजू देवी	अध्यक्ष, मोकामा	9430249436
श्री रजनीकान्त कुमार	अध्यक्ष, मसौढ़ी	9006020005
श्रीमती उर्मिला देवी	अध्यक्ष, फतुहा	9931079302
श्रीमती अंजू देवी	अध्यक्ष, मनेर	9304980375
फरीदा खाना	अध्यक्ष, बख्तियारपुर	9430905083
श्री विजय कुमार	अध्यक्ष, खुसरूपुर	7570524793
श्री सुनिल कुमार	अध्यक्ष, विक्रम	9431469559
श्री कौशल कौशिक	अध्यक्ष, नौबतपुर	9540371525

श्रीमती बबिता देवी	अध्यक्ष, शाहपुर	9431849939
श्रीमती सुमति देवी	अध्यक्ष, परसा बाजार	8083900354
श्री नन्दा नंद सिंह	कार्यकारी अधिकारी, बाढ़	9470488554 / 9430039280
श्री प्रभात रंजन	कार्यकारी अधिकारी, खगौल	
श्री प्रहलाद लाल	कार्यकारी अधिकारी, मसौढ़ी	9470488334 / 9934072740
श्री नन्दा नंद सिंह	कार्यकारी अधिकारी, मोकामा	9470488554 / 9430039280
श्री लखिन्द्र पासवान	कार्यकारी अधिकारी, फुलवारीशरीफ	9470488395 / 8862880982
श्रीमती अनुप कुमारी	कार्यकारी अधिकारी, बख्तियारपुर	8930070716
श्री श्याम नंदन प्रसाद	कार्यकारी अधिकारी, फतुहा	9431490000
श्री गोपाल साह	कार्यकारी अधिकारी, खुसरूपुर	8404980952
श्री अशोक प्रसाद सिंह	कार्यकारी अधिकारी, मनेर	9431847237
श्री राजीव कुमार सिंह	कार्यकारी अधिकारी, नौबतपुर	9431075599
श्रीमती कुमारी हिमानी	कार्यकारी अधिकारी, परसा बाजार	9472462472
श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	कार्यकारी अधिकारी, शाहपुर	8294803202
सिटी मैनेजर		
अमित कुमार सिन्हा	पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम	9934778294
रोशन कुमार	पटना नगर निगम	9308472152
अरविन्द कुमार	नूतन राजधानी अंचल पटना नगर निगम	9304125321
कृष्णा दयाल	पटना नगर निगम	9552029522
पुनम रानी	पटना नगर निगम	9470725816
रणधीर किशोर	बाँकीपुर अंचल, पटना नगर निगम	9708320949
अभय सिंह	दानापुर नगर परिषद	9334910084
विष्णु प्रभाकर लाल	खगौल नगर परिषद	8909482175
विनय कुमार	फतुहा नगर पंचायत	9570915811
दीपक कुमार तिवारी	खुसरूपुर नगर पंचायत	7250444794
मो. शाहनवाज फैजल	मनेर नगर पंचायत	9535005352

अनुलग्नक –(76) पटना नगर निगम में उपलब्ध मानव एवं यांत्रिक संसाधन :

क्र.सं.	मानव संसाधन	संख्या
1	सफाई मजदूर	4043 (1012 स्थायी / 3013 दैनिक)
2	सफाई पर्यवेक्षक	38
3	सफाई निरीक्षक	3
4	चालक	20
5	सहायक स्वास्थ्य पदा.	3
6	कार्यपालक पदा.	4
7	अपर / उप नगर आयुक्त(सफाई)	1

यांत्रिक संसाधन

क्र.सं.	यांत्रिक संसाधन	संख्या
1	ट्रैक्टर	139(13 निगम / 120 किराये)
2	टीपर	8
3	हाईवा	18
4	जे.सी.बी. / लोडर / पोकलेन	13
5	बॉबकैट	12
6	कॉम्पैक्टर	25
7	फॉगिंग मशीन	10
8	ऑटो टीपर	155
9	जेटिंग कम सक्शन मशीन	6(4 बड़ा / 2 छोटा)
10	हाथ गाड़ी	838

11	पम्प (5 एच.पी.)	8
12	पम्प (5 एच.पी.)	6
13	पम्प (10 एच.पी.)	14
14	पम्प (22 एच.पी.)	8
15	पम्प (38 एच.पी.)	4
16	पम्प (इलेक्ट्रिक)	4

अनुलग्नक –(76 क) बुडको द्वारा संचालित विभिन्न स्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन –

क्र.सं.	स्थायी डी.पी.एस. का नाम	क्र.सं.	स्थायी डी.पी.एस. का नाम	क्र.सं.	स्थायी डी.पी.एस. का नाम
1	अशोक नगर डी.पी.एस.	16	आर. के. एवेन्यू डी.पी.एस.	30	एस.पी.वर्मा रोड डी.पी.एस.
2	योगीपुर एन.बी.सी.सी. डी.पी.एस.	17	कदमकुआँ डी.पी.एस.	31	छज्जूबाग डी.पी.एस.
3	योगीपुर डी.पी.एस.	18	कृष्णानगर डी.पी.एस.	32	राजभवन डी.पी.एस.
4	टी.भी. टावर डी.पी.एस.	19	अलावल डी.पी.एस.	33	हाईकोर्ट डी.पी.एस.
5	बहादुरपुर हाउसिंग बोर्ड डी.पी.एस.	20	मंदिरी पुराना डी.पी.एस.	34	डॉ.जाकिर हुसैन डी.पी.एस.
6	ट्रान्सपोर्ट नगर डी.पी.एस.	21	मंदिरी नया डी.पी.एस.	35	400 रोड राजवंशीनगर डी.पी.एस.
7	पहाड़ी एन.बी.सी.सी. डी.पी.एस.	22	राजापुर पुराना डी.पी.एस.	36	80 रोड राजवंशीनगर डी.पी.एस.
8	पहाड़ी पुराना डी.पी.एस.	23	राजापुर नया डी.पी.एस.	37	800 रोड शास्त्रीनगर डी.पी.एस.
9	पहाड़ी नया डी.पी.एस.	24	कुर्जी डी.पी.एस.	38	मीठापुर डी.पी.एस.
10	हनुकी मोड़ डी.पी.एस.	25	गोसाई टोला डी.पी.एस.	39	गर्दनीबाग डी.पी.एस.
11	एन.एम.सी.एच. डी.पी.एस.	26	पुनाईचक डी.पी.एस.	40	एम.एल.ए. फ्लैट डी.पी.एस.
13	सादलपुर डी.पी.एस.	27	एस.के.पुरी डी.पी.एस.	41	सिंचाई भवन डी.पी.एस.
14	रामपुर डी.पी.एस.	28	बोरिंग रोड डी.पी.एस.	42	विकास भवन डी.पी.एस.
15	सैदपुर डी.पी.एस.	29	ऑफिसर्स फ्लैट डी.पी.एस.	43	सी.आई.डी. कॉलोनी डी.पी.एस.

अनुलग्नक –(76 ख) मॉनसून अवधि मे संचालित अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन –

क्र.सं.	अस्थायी डी.पी.एस. का नाम	क्र.सं.	अस्थायी डी.पी.एस. का नाम
1	दशरथा TDPS	16	नरसुना TDPS
2	रामकृष्ण नगर TDPS	17	राजीव नगर TDPS
3	जगनपुरा TDPS	18	दीघा थाना TDPS
4	नंदलाल छपरा TDPS	19	दीघा नगर TDPS
5	श्रीनगर कॉलनी TDPS	20	हाईटेक हॉर्टिकल्चर TDPS
6	कांग्रेस मैदान TDPS	21	दीघा AIIMS नहर पर TDPS
7	आर.के.एवेन्यू TDPS	22	दानापुर गुलजीत रोड TDPS
8	एन.सी.सी. मैदान TDPS	23	फ्लोडीस्क TDPS
9	बकरी बाजार TDPS	24	ईशापुर ब्रह्मस्थान TDPS
10	शीतला मंदिर TDPS	25	बेउर ब्रीज पुल TDPS
11	बीग हॉस्पीटल TDPS	26	मंगे विहार इस्लामपुर TDPS
13	कृष्णा निकेतन TDPS	27	पुलिस कॉलोनी TDPS
14	जकरियापुर TDPS	28	रूपसपुर TDPS
15	ज्ञानपुर TDPS	29	शबरी नगर TDPS

अनुलग्नक –(77) पटना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी की सूची :

	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी	9431005020	
क्र.सं.	**प्रखंड**	**मोबाईल**	**कुल आंगनवाड़ी केन्द्र**
1	पटना सदर–1	9431005073	169
2	पटना सदर–2	9431005078	192
3	पटना सदर–3	9431005079	171
4	पटना सदर–4	9431005080	115
5	पटना सदर–5	9431005081	168
6	पटना ग्रामीण	9431005072	93
7	बख्तियारपुर	9431005059	253
8	बाढ़	9431005060	263
9	बिहटा	9431005061	223
10	बिक्रम	9431005062	172
11	दानापुर	9431005063	238
12	धनरूआ	9431005064	229
13	फतुहा–दनियावाँ	9431005065	246
14	मनेर	9431005066	223
15	मसौढ़ी	9431005067	219
16	मोकामा–घोसवरी	9431005068	247
17	नौबतपुर	9431005069	215
18	पालीगंज	9431005070	241
19	पंडारक	9431005071	146
20	फुलवारीशरीफ	9431005074	211
21	पुनपुन	9431005075	213
22	दुल्हिन बाजार	9431005076	133
23	खुशरूपुर	9431005077	95

अनुलग्नक –(78) सम्पतचक प्रखंड महिला पर्यवेक्षिकाओं की सूची :

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सम्पतचक : सोनिका मंदिलवार–9431005075

क्रं.	महिला पर्यवेक्षिका का नाम	मोबाईल	पंचायत का नाम
1	श्रीमती मधुलता कुमारी	8507334245	बैरिया गोनपुरा
2	श्रीमती रीता कुमारी	9472256733	सोनागोपालपुर
3	श्रीमती रीता कुमारी	9472256733	सिपुरा
4	श्रीमती प्रेम महता	9386095270	भेलवारा हरिणपुर
5	श्रीमती रंजू सिंह	9570356905	कण्डाप नारायणपुर
6	श्रीमती रंजु कुमारी	9835885451	लखना फतुआरा

अनुलग्नक – (79) पुनपुन प्रखंड में कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं की सूची :

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुनपुन :– सोनिका मदिलगार (9431005075)

क्र.	महिला पर्यवेक्षिका का नाम	पंचायत का नाम
1	श्रीमती मधुलता कुमारी	पुनपुन
2	श्रीमती मधुलता कुमारी	पोतही
3	श्रीमती मधुलता कुमारी	बेरिगा करणपुरा
4	श्रीमती रीता कुमारी	लखनपार
5	श्रीमती रीता कुमारी	पंमार गाह
6	श्रीमती रीता कुमारी	सोनागोपालपुर
7	श्रीमती रीता कुमारी	सिपुरा
8	श्रीमती रीता कुमारी	कनौजी कचुआरा
9	श्रीमती रीता कुमारी	पंनार नट
10	श्रीमती प्रिया मेहता	डुमरी
11	श्रीमती प्रिया मेहता	भेलगावा हरिनापुर
12	श्रीमती प्रिया मेहता	डुमरी
13	श्रीमती प्रिया मेहता	पारस
14	श्रीमती रंजू कुमारी	कल्याणपुर
15	श्रीमती रंजू कुमारी	केन्दु
16	श्रीमती रंजू कुमारी	अकौना
17	श्रीमती रंजू कुमारी	नेहरावाँ
18	श्रीमती रंजू कुमारी	लका कचुआरा
19	श्रीमती रंजना सिंह	लखना उत्तरी
20	श्रीमती रंजना सिंह	लखना पूर्वी
21	श्रीमती रंजना सिंह	बरह
22	श्रीमती रीता सिंह	बरावाँ
23	श्रीमती रंजना सिंह	कन्हाई गनपुर
24	श्रीमती रंजना सिंह	लखना पूर्वी

अनुलग्नक – (80) पटना पूर्वी, मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख चिकित्सकों की सूची :

पूर्वी पटना क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सक			
जेनरल सर्जन			
	नाम	पता	टेलीफोन/मोबाईल
1	डॉ. अनुराग सिंह	गायघाट, पटना	0612–2327529
2	डॉ. के. एन. दुबे	कुम्हरार, पटना	0612–2340927
3	डॉ. पी. कुमार	मेन रोड, कुम्हरार, पटना	9279328334
4	डॉ. पी. के. अग्रवाल	ईस्ट ऑफ गुरहट्टा मोड़, पटना सिटी	0612–2641903
5	डॉ. बी.सी. झा	नवाब बहादुर रोड, पटना सिटी	0612–3257102
6	डॉ. राजेश कुमार	भद्रघाट गुलजारबाग,पटना	0612–2631030
7	डॉ. सुधीर कुमार शर्मा	गुरहट्टा, पटना सिटी	0612–2685740
जेनरल फिजिशियन			
	नाम	पता	टेलीफोन/मोबाईल
1	डॉ. अमर कुमार	कुम्हरार, पटना	0612–0980413
2	डॉ. अरूण कुमार गुप्ता	विवेकानन्द कॉलोनी के पूर्व, गायघाट, पटना	9535107389
3	डॉ. असरार अली	दरगाह रोड, पत्थर की मस्जिद, पटना	9934080430
4	डॉ. एस. के. सिन्हा	पटना सिटी, पटना	9535410102
5	डॉ. एस. बी. पाण्डेय	सामने दुर्गा मंदिर, दनियावाँ, पटना	9956032718
6	डॉ. त्रिलोकी प्रसाद गोलवारा	गोलवारा लेन, पटना सिटी	9334119254
7	डॉ. नदीम अशरफ	आलमगंज, पटना	0612–2309718

8	डॉ. मो. फजल	पश्चिम दरवाजा, पटना सिटी	0612-3259017
9	डॉ. रमेश कुमार	गायघाट, पटना	0612-2309173
10	डॉ. एम0 एल0 गुप्ता	चौहट्टा, पटना सिटी	9973135452
11	डॉ. विजय कुमार	भद्रघाट, गुलजारबाग, पटना	0612-2631030
	मध्य पटना क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सक		
	जेनरल सर्जन		
	नाम	पता	टेलीफोन/मोबाईल
1	डा. अजीत सिंह	राजेन्द्र नगर, पटना	0612-2620555
2	डा. अनिल कुमार	मोनीपुर, न्यू बाईपास रोड, पटना	9279952870
3	डा. अनिल कुमार सिंह	कंकड़बाग मेन रोड, पटना	0612-6992982
4	डा. अभिषेक अग्रवाल	नार्थ एस.के.पुरी, बोरिंग रोड, पटना	9905313408
5	डा. अरविंद कुमार	कंकड़बाग मेन रोड, पटना	0612-6992982
6	डा. ओम प्रकाश	कुम्हरार, पटना	9279328334
7	डा. अशोक कुमार सिंह	ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड	0612-2522920
8	डा. आलोक अभिजीत	खजांची रोड, पटना	0612-2302245
9	डा. ए. यू. सिद्दीकी	बाकरगंज, पटना	0612-3201110
10	डा. ए. के. झा	म्यूनिसिपल कुँआ, पटना	9234932016
11	डॉ. एन.एन. प्रसाद	कंकड़बाग मेन रोड, पटना	.6120992982
12	डॉ. एस.एन. मिश्रा	डाक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	9431878209
13	डॉ. एस.के.जैन	आर.के.भट्टाचार्या रोड, राजेन्द्र पथ, पटना	0612-2322122
14	डॉ. जी. अंसारी	बहादुरपुर गुमटी के पास, रोड न.11, पटना	
15	डॉ. डी. एन. प्रसाद	मेन रोड, कंकड़बाग, पटना	0612-6980413
16	डॉ. डी. के. चौधरी	पटना कॉलेज के सामने, अशोक राजपथ, पटना	9430022421
17	डॉ. नरेन्द्र प्रसाद	डाक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	0612-2352931
18	डॉ. पंकज कुमार	बी-20, कंकड़बाग, पटना	0612-6587905
19	डॉ. पंकज कुमार	मीठापुर पटना	9360802089
20	डॉ. प्रवीण कुमार	बहादुरपुर गुमटी के पास, राजेन्द्र नगर, पटना	0612-2684225
21	डॉ. प्रमोद कुमार सिंह	अशोका हॉस्पीटल, रोड न. 3, राजेन्द्र नगर, पटना	0612-6507403
22	डॉ. निरंजन किशोर	न्यू बाईपास रोड, मीठापुर गोलंबर के पास, पटना	9535013034
23	डॉ. बी.डी. पाण्डेय	मेन रोड, कंकड़बाग, पटना	9431040932
24	डॉ. यू.पी.एन. सिंह	कंकड़बाग, पटना	0612-2350752
25	डॉ. रविन्द्र कुमार सिंह	कंकड़बाग, पटना	0612-2347431
26	डॉ. राकेश कुमार	पटना	9934333707
27	डॉ. राजेश कुमार सिंह	डाक्टर्स कॉलोनी, पटना	9102221401
28	डॉ. रमजी प्रसाद सिंह	कंकड़बाग, पटना	0612-3202503
29	डॉ. विनय	कंकड़बाग, पटना	0612-2350021
30	डॉ. श्यामल सिंह	पूर्वी राजेन्द्र नगर, पटना	0612-2319704
31	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	डॉक्टर्स कॉलनी, कंकड़बाग, पटना	0612-2352140
32	डॉ. सुनील कुमार	निअर मीठापुर बस स्टैण्ड, पटना	
33	डॉ. संजय कुमार	कंकड़बाग, पटना	0612-2352070
34	डॉ. संजय केशरी	लंगरटोली, पटना	9234194476
35	डॉ. संतोष कुमार	पी.सी.कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	0612-2342891

	जेनरल फिजिशियन		
	नाम	पता	टेलीफोन/मोबाईल
1	डॉ. अरूण कुमार सिन्हा	कंकड़बाग कॉलोनी, पटना	0612-2348339
2	डॉ. अरूण कृष्ण प्रसाद	कदमकुआँ, पटना	9431040782
3	डॉ. अभिषेक कुमार	डाक्टर्स कॉलोनी गोलम्बर के पास, कंकड़बाग	0612-2360230
4	डॉ. अखिलेश कुमार सिन्हा	राजेन्द्र नगर, पटना	0612-2074488

5	डॉ. अजित कपूर	अजय कुमार रोड, राजेन्द्र नगर, पटना	0612–2687202
6	डॉ. अनिल कुमार ठाकुर	कंकड़बाग, पटना	0612–2351940
7	डॉ. अनिल शर्मा	भूतनाथ रोड, पटना	9430484387
8	डॉ. अमित कुमार सिन्हा	कंकड़बाग, पटना	9973791890
9	डॉ. अरूण कुमार सिन्हा	कंकड़बाग, पटना	9430005834
10	डॉ. अरूण कुमार सिन्हा	कंकड़बाग मेन रोड, पटना	0612–6992982
11	डॉ. अरूण तिवारी	रानी घाट, महेन्द्रू, पटना	9234809059
12	डॉ. अशोक शंकर सिंह	अजय कुमार रोड, पटना	0612–2690803
13	डॉ. अशोक सिंह	बीएसएनएल एक्सचेंज, राजेन्द्र नगर, पटना	0612–2721223
14	डॉ. आलोक अभिजीत	खजांची रोड, पटना	0612–2302245
15	डॉ. आशीष नारायण सिंह	सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना	0612–2223232
16	डॉ. आदित्य शर्मा	राजेन्द्र नगर, पटना	9334792053
17	डॉ. आर० एन० सिंह	हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना	0612–2354930
18	डॉ. आर० एम० शर्मा	कदमकुआँ, पटना	0612–2689885
19	डॉ. आर० के० मोदी	राजेन्द्र नगर, पटना	0612–2671709
20	डॉ. आर० प्रसाद	राजेन्द्र नगर, पटना	0612–2687402
21	डॉ. अरूण कुमार सिन्हा	राजेश्वर हॉस्पीटल, पटना	9430005834
22	डॉ. उदय कुमार	राजेन्द्र नगर, पटना	0612–2687202
23	डॉ. उमा शंकर सिंह	पटना	9234055376
24	डॉ. ए० एन० सिन्हा	राजेन्द्र नगर, पटना	0612–2668223
25	डॉ. एस० के० ईश्वरनील	राजेन्द्र नगर, पटना	0612–2671335
26	डॉ. एस. रंजन विनोद	अजय कुमार रोड, राजेन्द्र नगर, पटना	0612–6588489
27	डॉ. कृष्ण कुमार	गोरिया मठ, पटना	9334030061
28	डॉ. के. पी. भट्टाचार्य	राजेन्द्र पथ, पटना	0612–2321085
29	डॉ. के. पी. सिंह	के–694, इलाही मार्केट लॉक, कंकड़बाग, पटना	0612–2262022
30	डॉ. कोमल शरण	अशोक राजपथ, पटना	0612–6803321
31	डॉ. गौतम मोदी	राजेन्द्र नगर, पटना	0612–2671709
32	डॉ. घनश्याम झा	कंकड़बाग, पटना	0612–2348454
33	डॉ. जितेन्द्र कुमार	कंकड़बाग, पटना	0612–2350110
34	डॉ. डी. के. शर्मा	पोस्टल पार्क, पटना	9835292043
35	डॉ. दयानंद सिंह	[illegible], कंकड़बाग, पटना	9334122292
36	डॉ. दिवाकर तेजस्वी	एक्जिबिशन रोड, पटना	0612–2206904
37	डॉ. नरेश कुमार श्रीवास्तव	बहादुरपुर, पटना	9835082727
38	डॉ. नीरज सिन्हा	कंकड़बाग, पटना	0612–2362850
39	डॉ. पंकज कुमार	केन्द्रीय विद्यालय के सामने, पत्रकार नगर,पटना	0612–6587905
40	डॉ. परमात्मा सिंह	खजांची रोड, दैग नर्सिंग होम के बगल, पटना	9308599197
41	डॉ. पी. के. सिन्हा	पी.सी.कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	0612–2360520
42	डॉ. पी. बनर्जी	मीठापुर पटना	0612–2522274
43	डॉ. पी.सी. वर्मा	पी.सी.कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	0612–2355779
44	डॉ. प्रदीप कुमार	इन्द्रलेन, न्यू जक्कनपुर, पटना	0612–2245703
45	डॉ. बी. पी. पाण्डेय	अर्श हॉस्पीटल, मेन रोड, कंकड़बाग, पटना	9334707529
46	डॉ. बी.जी. पाण्डेय	मेन रोड, कंकड़बाग, पटना	9431040932
47	डॉ. ब्रजेश सिंह	त्रिवेणी हॉस्पीटल, न्यू बस स्टैण्ड,मीठापुर, पटना	0612–3207012
48	डॉ. मदन मोहन सिन्हा	हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना	0612–2354020
49	डॉ. मनीष कुमार	राजेन्द्र नगर, पटना	9234761948
50	डॉ. मनीष कुमार रंजन	न्यू बाईपास रोड, पटना	9380049702
51	डॉ. मनोज कुमार	लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना	9380570305
52	डॉ. मुकेश कुमार	पत्रकार नगर, कंकड़बाग, पटना	9835078509

53	डॉ. यू. पी. सिंह	बन्दर टोला, बी–एरिया, मीठापुर, पटना	0612–0941505
54	डॉ. यू.पी. सिन्हा	डाक्टर्स कॉलोनी, पटना	0612–2395170
55	डॉ. राजन कुमार	कंकड़बाग मेन रोड, पटना	0612–0992982
56	डॉ. राजन ठाकुर	कंकड़बाग, पटना	0612–2250235
57	डॉ. राजेश्वर ठाकुर	पटना	0612–2630101
58	डॉ. राजेश सिन्हा	नाला रोड, पटना	0612–2721818
59	डॉ. राम बाबू प्रसाद	पटना	9531778125
60	डॉ. विजय कुमार दास	बाईपास रोड, कंकड़बाग, पटना	9472231758
61	डॉ. विजय खेमका	कंकड़बाग, पटना	0612–2351111
62	डॉ. विजय प्रकाश	राजेन्द्र नगर, पटना	9334333289
63	डॉ. विमल कारक	राजेन्द्र नगर, पटना	9535401111
64	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	कंकड़बाग, पटना	9431073007
65	डॉ. शकील अहमद	नाला रोड, पटना	0612–3209147
66	डॉ. शशि शंकर	कंकड़बाग कॉलोनी, पटना	0612–2405319
67	डॉ. शंकर सिंह	नाला रोड, पटना	0612–2431910
68	डॉ. शैलेश गुप्त	कंकड़बाग, पटना	0612–2300532
69	डॉ. शैलेन्द्र कुमार	पॉपुलर नर्सिंग होम, अशोकराजपथ, पटना	9334709144
70	डॉ. शैलेन्द्र कुमार	डाक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	0612–3210709
71	डॉ. शैलेन्द्र शर्मा	डाक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	9431075001
72	डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह	पी. सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	9304606601
73	डॉ. संजय कुमार	डाक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	0612–2307200
74	डॉ. संजय कुमार	कंकड़बाग, मेन रोड, पटना	0612–0992982
75	डॉ. संजीव कुमार ठाकुर	कंकड़बाग मेन रोड, पटना	0612–0992982
76	डॉ. सत्यांग कुमार	एम/45–कंकड़बाग, पटना	0612–2342891
77	डॉ. सच्चिदानन्द चौधरी	न्यू चित्रगुप्त नगर, पटना	0612–2300443
78	डॉ. सहजानन्द प्रसाद सिंह	तिलक नगर, कंकड़बाग, पटना	9334118098
79	डॉ. एस.पी. ठाकुर	फ्रेजर रोड, पटना	0612–2220546
80	डॉ. सुभाष कुमार	भूतनाथ रोड, कंकड़बाग, पटना	0612–2355720
81	डॉ. सुनील कुमार अग्रवाल	कदमकुआं, पटना	9535068222
82	डॉ. सुभाष प्रसाद गुप्ता	ठाकुरबाड़ी कदमकुआं पटना	0612–2721006
83	डॉ. श्याम कुमार	राजेन्द्र नगर	0612–2687100
	कार्डियोलाजिस्ट		
	नाम	पता	टेलीफोन/मोबाईल
1	डॉ. अजित प्रधान	6, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	0612–2365814
2	डॉ. अभिनव भगत	बैंकमैन कॉलोनी, पटना	0612–2307997
3	डॉ. अमिताभ शर्मा	न्यू बाईपास (एन.एच.30), खेमनीचक, पटना	0612–3214884
4	डॉ. अरविन्द कुमार	6, डाक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	0612–2305814
5	डॉ. आर०के० अग्रवाल	सी.डी.ए. बिल्डिंग के सामने, राजेन्द्र पथ, पटना	0612–2323030
6	डॉ. आलोक कुमार	6, डाक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	0612–2345895
7	डॉ. ओम प्रकाश साहा	अ/44, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	9431492291
8	डॉ. एस० एस० चटर्जी	रोड नं0 6 ई, राजेन्द्र नगर, पटना	0612–2687818
9	डॉ. मनमोहन सिंह	बैंकमैन कॉलोनी, पटना	0612–2307997
10	डॉ. प्रभात कुमार	राजेन्द्र नगर, पटना	0612–3203919
11	डॉ. पी० के० ओझा	करबिगहिया, पटना जंक्शन	0612–2500808
12	डॉ. यू०सी० सामल	नया टोला, पटना	0612–2674321
13	डॉ. राजीव कृष्णा	बैंकमैन कॉलोनी, पटना	0612–2367997

गैस्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्ट्स			
	नाम	पता	टेलीफोन / मोबाईल
1	डॉ॰ अब्दुल कारिम	बाकरगंज, पटना	0612–0992982
2	डॉ॰ नीरज सिन्हा	शालिमपुर अहरा, कदमकुआं, पटना	0612–2321490
3	डॉ॰ विमल	पटना	0612–2248423
4	डॉ॰ मनोज कुमार	बहादुरपुर, पटना	9431002174
5	डॉ॰ राजेश नारायण	लोहिया नगर, पटना	0612–2002800
6	डॉ॰ रामानन्द शाह सुमन	कंकड़बाग, पटना	9835093102
7	डॉ॰ विजय कुमार	बहादुरपुर, पटना	0612–2287031
8	डॉ॰ विजय प्रकाश	मलाहीपुर चौक, कंकड़बाग, पटना	0612–2353535
दंत चिकित्सक			
1	डॉ॰ अजय कुमार जायसवाल	अशोक राजपथ, मोहल्ला, पटना	0612–2089997
2	डॉ॰ अनुराग राय	हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना	9835089539
3	डॉ॰ अभिजीत ऋषभ	दिनकर गोलंबर, राजेन्द्र नगर, पटना	9334272193
4	डॉ॰ अभिषेक कुमार	कंकड़बाग, पटना	9835435953
5	डॉ॰ अभिषेक कुमार रंजन	लंगरटोली, पंपुलर पलेश, पटना	0612–2352427
6	डॉ॰ अमल किशोर	भूतनाथ मोड़, कंकड़बाग मेन रोड, पटना	9334040707
7	डॉ॰ अमरेन्द्र सिंह	लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना	9334499907
8	डॉ॰ अमित कुमार	महावीर कुआँ, पटना	9472080339
9	डॉ॰ अमित कुमार	पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	9334254001
10	डॉ॰ अमित राम	राजेन्द्र राम प्लाजा, एग्जीबिशन रोड, पटना	0612–222331
11	डॉ॰ आर॰ पी॰ सिंह	डाक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	0612–352015
12	डॉ॰ आलोक कुमार	अपोलो बाईपास रोड, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, पटना	9852400079
13	डॉ॰ इन्द्रनील बख्शी	लंगर टोली गली, नाला रोड पटना	9431024707
अनेस्थेटीस्ट्स			
1	डॉ॰ अजय कुमार	अजय कुमार रोड, राजेन्द्र नगर, पटना	9334087579
2	डॉ॰ अवधेश कुमार सिन्हा	बैंक रोड, पटना	0612–2218470
3	डॉ॰ आशीश मणि	रोड नं0–2, राजेन्द्र नगर, पटना	0612–2353090
4	डॉ॰ अशोक कुमार	ई–13, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	0612–2354230
5	डॉ॰ अशोक कुमार गुप्ता	काटी फैक्ट्री रोड, पटना	0612–2350828
6	डॉ॰ आर॰ के॰ सुमन	कंकड़बाग, पटना	9835038702
7	डॉ॰ ओम प्रकाश	कंकड़बाग, मेन रोड, पटना	0612–0992982
8	डॉ॰ उत्तम कुमार	कंकड़बाग, मेन रोड, पटना	0612–0992982
9	डॉ॰ ए॰ के॰ नारायणन	पटना	9430441039
10	डॉ॰ एन॰ एन॰ प्रसाद	पी / 60, डॉ॰ कॉलोनी कंकड़बाग पटना	9835055337
11	डॉ॰ एस॰ के॰ वर्मा	कंकड़बाग, पटना	0612–2350589
12	डॉ॰ कलिम अहमद	कंकड़बाग, मेन रोड, पटना	0612–0992982
13	डॉ॰ जी॰ के॰ सिन्हा	राजेन्द्र नगर, पटना	0612–2082582
14	डॉ॰ डी॰ एन॰ सिन्हा	शशी निकेतन, चित्रगुप्त नगर, कंकड़बाग, पटना	0612–2353151
15	डॉ॰ धनंजय कुमार सुमन	एम / 6, डॉ॰ कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	0612–2365814
16	डॉ॰ नवीन चौधरी	कंकड़बाग, मेन रोड, पटना	0612–0992982
17	डॉ॰ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव	डॉ॰ आर॰ के॰ सुमन, कंकड़बाग, पटना	0612–2080905
18	डॉ॰ प्रवीण कुमार	पटना	9430559083
19	डॉ॰ बी॰ एन॰ प्रसाद	कंकड़बाग, पटना	0612–2020911
20	डॉ॰ बी॰ के॰ प्रसाद	राजेन्द्र नगर, पटना	9431041234
21	डॉ॰ भगवान दास	बाईपास रोड, कंकड़बाग, पटना	9334750035
22	डॉ॰ रजेश वर्मा	अपोलो ट्रामा सेन्टर, कंकड़बाग, पटना	9835037790

23	डॉ. विजय कुमार	रोड न0–1, राजेन्द्र नगर, पटना	0612–080993
24	डॉ. उजय कुमार सिंह	अजय कुमार रोड, राजेन्द्र नगर, पटना	9334200138
25	डा0 सुभाष कुमार	अजय कुमार रोड, राजेन्द्र नगर, पटना	9334480202
26	शशांक शेखर	वाणक्य हॉस्पीटल, डॉक्टर्स कॉलोनी, पटना	9334597567
27	डॉ. शशि भूषण सिन्हा	कंकड़बाग, पटना	9431072828
28	डॉ. हरीश प्रसाद	कंकड़बाग मेन रोड, पटना	0612–0992982
	पश्चिमी पटना क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सक		
	जेनरल सर्जन		
	नाम	**पता**	**टेलीफोन/मोबाईल**
1	डा. अखिलेश्वर प्रसाद सिंह	विजय नगर, रुकनपुरा, पटना	9535003032
2	डा. अब्दुल हई	शेखपुरा, पटना	0612–2295981
3	डा. आर.के.गोस्वामी	शेखपुरा, बेली रोड, पटना	8986124046
4	डॉ. एन. के. लाल	पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना	0612–2262042
5	डॉ. एन. पी. नारायण	ए.एन.कॉलेज के नजदीक, बोरिंग रोड, पटना	0612–2265205
6	डॉ. अमरेन्द्र कुमार	आशियाना नगर रोड, पटना	0612–2588086
7	डॉ. के.के.कश्यप	बोरिंग रोड, पटना	9535021853
8	डॉ. ई. मजुमदार	पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना	0612–2262542
9	डॉ. दीपक टंडन	आर.के.स्टेट बिल्डीग, राजा बाजार, पटना	9552229460/7566941134
10	डॉ. दिलीप कुमार	शहदेव महतो मार्ग, बोरिंग रोड, पटना	0612–0523251
11	डॉ. पी.पी.यादव	इंदा हास्पिटल, शरिस्ताबाद, पटना	9334163137
12	डॉ. प्रमोद कुमार झा	राजेश कुमार पथ, एस. के. पुरी, पटना	9334540105
13	डॉ. प्रियरंजन	न्यू पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना	9431003539
14	डॉ. बी. के. सिंह	बोरिंग रोड, पटना	0612–2532993
15	डॉ. बी. पी. सिन्हा	बोरिंग रोड, पटना	9334101790
16	डॉ. मोहन कपूर	पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना	0612–2221053
17	डॉ. विपिन कुमार सिंह	रुकनपुरा, बेली रोड, पटना	0612–2598410
18	डॉ. श्याम किशोर	शेखपुरा, पटना	0612–0589203
19	डॉ. सत्यम कुमार झा	आरोग्यम हाइटेक, हरनीचक मोड़, अनीशाबाद, पटना	
20	डॉ. राजन सिन्हा	आरोही नर्सिंग होम, शेखपुरा, पटना	9535039262
	जेनरल फिजिशियन		
1	डॉ. अंजुम आरा	पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना	0612–2243171
2	डॉ. अजय आलोक	नार्थ एस.के.पुरी, बोरिंग रोड, पटना	0612–2572510
3	डॉ. अजय प्रताप	राजवंशी नगर, पटना	9934039037
4	डॉ. अजय सिन्हा	इन्द्रप्रस्थ अपार्टमेंट, न्यू बोरिंग केनाल रोड, पटना	9931918228
5	डॉ. अनुराग शरण	शेखपुरा, पटना	0612–2284302
6	डॉ. अभिषेक आनंद	राजीव नगर, अल्पना कॉलोनी, केशरी नगर, पटना	9535200772
7	डॉ. अजीत कुमार मिश्र	बोरिंग रोड, पटना	9334829477
8	डॉ. अतुल कुमार	बेली रोड, रुकनपुरा, पटना	9431035728
9	डॉ. अनुराग शरण	शेखपुरा, पटना	0612–2284302
10	डॉ. अरुण कुमार सिन्हा	एस. के. पुरी, बोरिंग रोड, पटना	0612–2080242
11	डॉ. आर0 आर0 सिन्हा	नेहरू नगर, पटना	9334214258
12	डॉ. ए0 सिंह	साउथ मंदिरी, बोरिंग रोड, पटना	0612–2522274
13	डॉ. एस0 एन0 मिश्रा	मौना पथ, राजपुरा, पटना	0612–3119830
14	डॉ. ए0 के0 अग्रवाल	पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना	0612–2230580
15	डॉ. एस. के. प्रियदर्शी	राजा बाजार, पटना	0612–2295283
16	डॉ. एस. पी. सिंह	पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना	0612–2304251
17	डॉ. ए0 मुजफ्फर	चाँद मेमोरियल हॉस्पीटल, पाटलीपुत्रा कॉलोनी	9431450054
18	डॉ. गिरीश अग्रवाल	पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना	0612–2341029

19	डॉ॰ गुप्तेश्वर सिंह	108–सी.डी.ए.कॉलोनी, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना	9431025252
20	डॉ॰ गोपाल प्रसाद	गर्दनीबाग, पटना	9931793399
21	डॉ॰ गोपाल प्रसाद	एस. के. पुरी, पटना	0612–2572510
22	डॉ॰ गौरी शंकर सिंह	न्यू पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना	0612–2270827
23	डॉ॰ ज्ञान प्रकाश	नेहरू नगर, पटना	0612–2263204
24	डॉ॰ तौसीफ अहमद	फुलवारीशरीफ, पटना	0612–2231501
25	डॉ॰ देवाशीष गांगुली	राजा बाजार, बेली रोड, पटना	0612–2295219
26	डॉ॰ निखिलेश्वर प्रसाद वर्मा	शिवपुरी, पटना	0612–2297820
27	डॉ॰ पी. के. वर्मा	पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना	9430600129
28	डॉ॰ प्रभाकर देवराज	लोदीपुर, पटना	0612–2261903
29	डॉ॰ प्रवीण कुमार	श्रीकृष्णपुरी, बोरिंग रोड, पटना	0612–2541580
30	डॉ॰ प्रशान्त चन्द्र सिन्हा	श्रीकृष्णपुरी, पटना	9470067703
31	डॉ॰ बसन्त कुमार सिंह	शिव मन्दिर के सामने, गर्दनीबाग, पटना	0612–2227573
32	डॉ॰ बी. के. अग्रवाल	शेखपुरा, पटना	0612–2295289
33	डॉ॰ बी. के. तिवारी	पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना	9470020995
34	डॉ॰ बी. के. सक्सेना	पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना	0612–2312696
35	डॉ॰ विनय कुमार सिन्हा	कंकड़बाग पथ रोड, पटना	7570912777
36	डॉ॰ ब्रजेन्द्र कुमार	विष्णु पैलेस के सामने, ई॰ बोरिंग केनाल रोड, पटना	0612–2275243
37	डॉ॰ मजहर मकबूल	बरगान पार्क, एस.के.पुरी, पटना	9334319594
38	डॉ॰ मनोज कुमार	राजा बाजार, पटना	0612–2290530
39	डॉ॰ मनोज कुमार	22 बी, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना	9308800110
40	डॉ॰ महेश कुमार	कवि रमण पथ, नागेश्वर कॉलोनी बोरिंग रोड,	0612–2522301
41	डॉ॰ महेश्वरी शरण	शेखपुरा, पटना	9431284553
42	डॉ॰ मासूम खान	कश्मीरी कोठी, अशियाना रोड, पटना	9934758003
43	डॉ॰ मुमताज	फुलवारीशरीफ, पटना	0612–2210231
44	डॉ॰ मेनका पाण्डेय	ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना	0612–2533385
45	डॉ॰ मो. शाहिद सिद्दिकी	नेहरू नगर, पटना	0612–2263204
46	डॉ॰ रमेश चन्द्र सिंह	मार्शल बाजार, दानापुर	
47	डॉ॰ रवीन्द्र कुमार	एस. के. नगर, पटना	0612–2537827
48	डॉ॰ रवीन्द्र कुमार सिन्हा	एस. के. पुरी, पटना	0612–3292396
49	डॉ॰ राजा राम प्रसाद	जी.डी. मिश्रा पथ, न्यू पी.पी.कॉलोनी, पटना	9308540560
50	डॉ॰ विजय कुमार	मार्शल बाजार, दानापुर, पटना	9771450026
51	डॉ॰ विजय कुमार गुप्ता	आशियाना पैलेस, बोरिंग पाटलीपुत्रा रोड, पटना	9431012211
52	डॉ॰ विनय कुमार	राजा बाजार, बेली रोड, पटना	9334203282
53	डॉ॰ विमल कुमार	हरनीचक,अनीसाबाद, पटना	0612–2251288
54	डॉ॰ विवेक वर्मा	पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना	9431012211
55	डॉ॰ बी. के. गुप्ता	पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना	9431012211
56	डॉ॰ श्याम बिहारी	ब्रह्मस्थानी रोड, बेली रोड, पटना	9334125190
57	डॉ॰ सजीव कुमार झा	रोड न. 21, एस.के.नगर, पटना	9470835365
58	डॉ॰ एस.पी.जायसवाल	स्टेट बैंक कॉलोनी, बेली रोड, शेखपुर, पटना	0612–3292101
59	डॉ॰ सुभाष कुमार	रिलायंस वेब वर्ल्ड के पास, ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड	9430900029
कार्डियोलाजिस्ट			
	नाम	पता	टेलीफोन / मोबाईल
1	डॉ॰ के॰ के॰ गरूण	शेखपुरा, पटना	0612–2299233
2	डॉ॰ निशान्त त्रिपाठी	बोरिंग रोड, पटना	0612–2287031
3	डॉ॰ प्रमोद कुमार	बेली रोड, राजा बाजार, पटना	0612–2290144
4	डॉ॰ विरेन्द्र कुमार सिंह	बोरिंग रोड, पटना	0612–2570328
5	डॉ॰ रवि विष्णु	बेली रोड, शेखपुर, पटना	0612–2297099

6	डॉ. किरण सिन्हा	बेली रोड, राजा बाजार, पटना	0612-2290144
7	डॉ. राजीव कुमार	पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना	9430064884
8	डॉ. सजल सिंह	बेली रोड, राजा बाजार, पटना	0612-2290144
		गेस्ट्रॉइन्ट्रोलोजिस्ट्स	
	नाम	पता	टेलीफोन/मोबाईल
1	डॉ. आलोक अभिजीत	पटना	0612-2302244
2	डॉ. इन्दु शेखर ठाकुर	पटना	0612-2302244
3	डॉ. कृष्ण कुमार खन्ना	कुर्जी पाटलीपुत्रा, पटना	0612-2260793
4	डॉ. जयदीप सिंह	अशियाना नगर, पटना	9431230235
5	डॉ. लक्ष्मीनारायण शाह	शेखपुरा, पटना-14	9535419043
6	डॉ. नवीन कुमार	कुर्जी, पटना	0612-3094098
7	डॉ. वी. के. अग्रवाल	बेली रोड, शेखपुर, पटना	0612-2595289
8	डॉ. मनोज कुमार	बोरिंग रोड, पटना	9535052758
9	डॉ. मो. ग्यासुद्दीन राईं	अशियाना, पटना	0612-2295293
10	डॉ. योगेन्द्र प्रसाद	पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना	0612-2264023
11	डॉ. राजेन्द्र किशोर	महेश नगर, पटना	0612-2302244
12	डॉ. राजदेव कुमार	राजा बाजार, बेली रोड, पटना	9334338883
13	डॉ. वी. के. अग्रवाल	शेखपुरा, बेली रोड, पटना	0612-2295289
		दंत चिकित्सक	
1	डॉ. अजय कुमार सिंह	बुद्धा कॉलोनी, पटना	0612-2530830
2	डॉ. अनिल कुमार सिंह	कृष्ण अपार्टमेंट, बोरिंग रोड, पटना	0612-2578079
3	डॉ. अनूप कुमार	शिवपुरी, पटना	0612-2889120
4	डॉ. अमलेश कुमार	अनीसाबाद, पटना	0612-2253595
5	डॉ. अमिताभ सिन्हा	बोरिंग रोड, पटना	9431040050
6	डॉ. अंजली सिंह	एस. के. पुरी, पटना	9431022012
7	डॉ. आशुतोष सिन्हा	ईस्ट बोरिंग कनेाल रोड, पटना	9798240525
8	डॉ. आर० के० सिंह	रोड न०-05, दीघा घाट, पटना	0612-2207347
9	डॉ. आशुतोष	ईस्ट बोरिंग कनेाल रोड, पटना	9431800079
10	डॉ. ओम प्रकाश	ईस्ट बोरिंग कनेाल रोड, पटना	0612-2522001
11	डॉ. इन्दु कुमारी	राजा बाजार, पटना	9535287221
		अनेस्थेटीस्ट्स	
1	डॉ. अरूण कुमार	ईस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना	9431044957
2	डॉ. एन० के० शुक्ला	पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना	0612-2260201
3	डॉ. नरेश कुमार	बोरिंग केनाल रोड, पटना	9334311117
4	डॉ. मुकेश कुमार	आई.जी.आई.एम.एस., पटना	8521959874
5	डॉ. राजीव कुमार	156-ई, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना	9535295940
6	डॉ. विजय कुमार	जगदेव पथ, पटना	0612-2590800
7	डॉ. राजीव कुमार	आई.जी.आई.एम.एस.कॉलोनी, पटना	9535008714

अनुलग्नक – (81) पटना स्थित प्रशिक्षित गोताखोरों की सूची :

क्र.सं.	गोताखोरों का नाम	पिता का नाम एवं पता	मोबाईल न.
1	श्री राजेन्द्र सहनी	बालू घाट, बोरिंगा भवन, गुलजारबाग, महेन्द्रू, पटना	9552235261
2	श्री कैलाश सहनी	फैजमपुर, रानी घाट, चौक, पटना सिटी	9798974756
1	श्री संदीप सहनी	श्री राजेन्द्र सहनी, गाय घाट, पटना सिटी	9552235261
2	श्री अनुराग सहनी	श्री राजेन्द्र सहनी, गाय घाट, पटना सिटी	9852235261
3	श्री रजीत सहनी	स्व. अशोक सहनी, गाय घाट, पटना सिटी	
4	श्री जमुन सहनी	श्री गंगा सहनी, गाय घाट, पटना सिटी	
5	श्री महेन्द्र सहनी	श्री जगदीश सहनी, गाय घाट, पटना सिटी	
6	श्री नगलु सहनी	स्व. लखन सहनी, गाय घाट, पटना सिटी	

7	श्री सुनील सहनी	श्री महावीर सहनी, गंगा घाट, पटना सिटी	
8	श्री सीताराम सहनी	श्री कल्लू सहनी, गंगा घाट, पटना सिटी	
9	श्री बिरजू सहनी	श्री कंगन सहनी, गंगा घाट, पटना सिटी	9598974766
10	श्री विजय सहनी	श्री कंगन सहनी, गंगा घाट, पटना सिटी	9798974766
11	श्री अजय सहनी	स्व॰ नान्हो सहनी, गंगा घाट, पटना सिटी	
12	श्री अनिल सहनी	स्व॰ नान्हो सहनी, गंगा घाट, पटना सिटी	
13	श्री भविष्य कुमार	स्व॰ रामाधार राम, ग्राम–हल्दी छपरा, नगरटोला, मनेर	7705948001
14	श्री राज कुमार	स्व॰ रामस्वरूप राम, ग्राम–हल्दी छपरा, नगरटोला, मनेर	8935882408
15	श्री विजय कुमार	श्री सुग्रीव राम, ग्राम–हल्दी छपरा, नगरटोला, मनेर	8271038057
16	श्री भीम राज	श्री सुरेन्द्र राम, ग्राम–हल्दी छपरा, नगरटोला, मनेर	8084120018

स्रोत : आपदा प्रबंधन शाखा, पटना

अनुलग्नक – (82) जल खोज एवं बचाव प्रशिक्षित कर्मी :

क्र॰सं॰	नाम	पहचान	पता	मोबाईल	फोटो
1	मो॰ आजाद	5349 बिहार पुलिस	स्व॰ मो॰ हुसैन, राम कॉलोनी, आइ.टी.आई. दीघा, पटना	9535012908	
		नागरिक			
1	राजन कु॰ गुप्ता	नागरिक	श्री रामाश्रय प्र॰ गुप्ता, भन्नर पोखर, बाँकीपुर, पीरबहोर, पटना	9934289077	
2	रितेश कुमार	नागरिक	श्री रामबाबू सहनी, नाला रोड, लाखटोली गली, बाँकीपुर, कदमकुआँ, पटना	8504444061	
3	आदित्य नारायण	नागरिक	श्री अश्वनी कुमार राजाबाग, बाँकीपुर, पीरबहोर, पटना	9334550503	
4	बिकास कुमार	नागरिक	श्री महेन्द्र पासवान, दीघा, पटना	9534007801	
5	राकेश कुमार	नागरिक	श्री सुरेश पासवान, दीघा पटना	9128201987	
6	राजेश कुमार	नागरिक	श्री जुगल महतो, दीघा, पटना	9525043340	
7	रोहित प्रकाश	नागरिक	श्री रामबाबू सहनी, नाला रोड, लाखटोली गली, बाँकीपुर, कदमकुआँ, पटना	8504444061	
8	प्रफुल चन्द्रा	नागरिक	श्री शैलेश चन्द्रा, सुमति पथ, रानी घाट, महेन्द्रू, सुलतानगंज, पटना		
9	अरुण कु॰ पासवान	नागरिक	श्री नाथु पासवान, महाराजगंज, गुलजारबाग, आलमगंज, पटना	9693833395	

10	रजीश राज	नागरिक	श्री शत्रुघ्न प्रसाद, चकमुसल्लमपुर कोयरी टोला, महेन्द्रु पटना	8987305327	
11	अभिषेक कुमार	नागरिक	श्री नरेश प्रसाद, कलेक्टरीयट घाट, बाँकीपुर, पीरबहोर, पटना	9708392400	
12	रवि भुषण प्रसाद	नागरिक	स्व० राम नन्द प्रसाद, शीतल नगर, गुलजारबाग.आलमगंज पटना	9334334371	
13	रजनीश रंजन	नागरिक	श्री नन्दकि प्रसाद लोहिया नगर, पत्रकारनगर, पटना	9380521313	
14	शुभम कु० राहुल	नागरिक	श्री राजकिशोर प्रसाद, मनसपुर, सिरांसा, जानीपुर, पटना		
15	राजन कुमार	नागरिक	श्री उपेन्द्र सिंह, बेतड्डा बकिया, मसौढ़ी, पटना		
16	जितेन्द्र कुमार	नागरिक	श्री मदनलाल गुप्ता, सुरजकुंड, लाल चौक, गया	9472074324	
17	संतोष कुमार	नागरिक	श्री राम गोविन्द सिंह हुसैन चक, मसौढ़ी, पटना	9535203989	

अनुलग्नक –(83) पटना जिले में नावों के निबंधन की सूची :

क्र० सं०	अनुमंडल का नाम	पूर्व से निबंधित नावों की संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या वर्ष 2017–18	सत्यापनोपरांत प्राप्त आवेदन की संख्या	कुल निबंधित नावों की संख्या	मोटरयान निरीक्षक के यहाँ लंबित आवेदनों की संख्या (नाविकों द्वारा नाव उपलब्ध नहीं कराने के कारण)
1	पटना सदर	21	39	28	49	11
2	पटना सिटी	26	132	87	113	45
3	दानापुर	32	137	130	162	7
4	बाढ़	38	91	67	105	24
5	मसौढ़ी	11	—	—	11	—
6	पालीगंज	9	—	—	9	—
	कुल	**137**	**399**	**312**	**449**	**87**

स्रोत: जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना

अनुलग्नक –(84) महत्वपूर्ण नक्शें : (पटना के सभी अस्पताल)

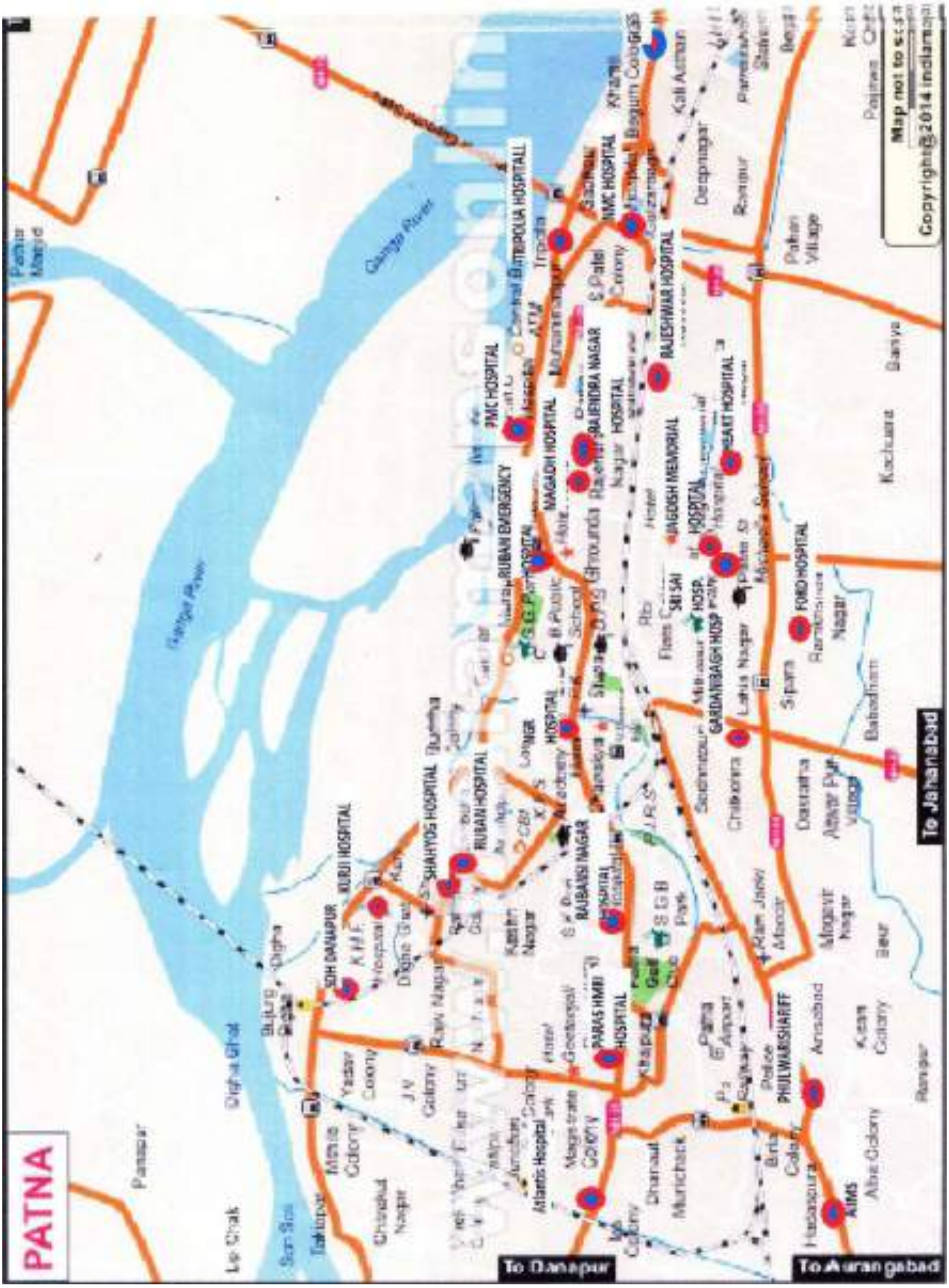

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का मानचित्र:

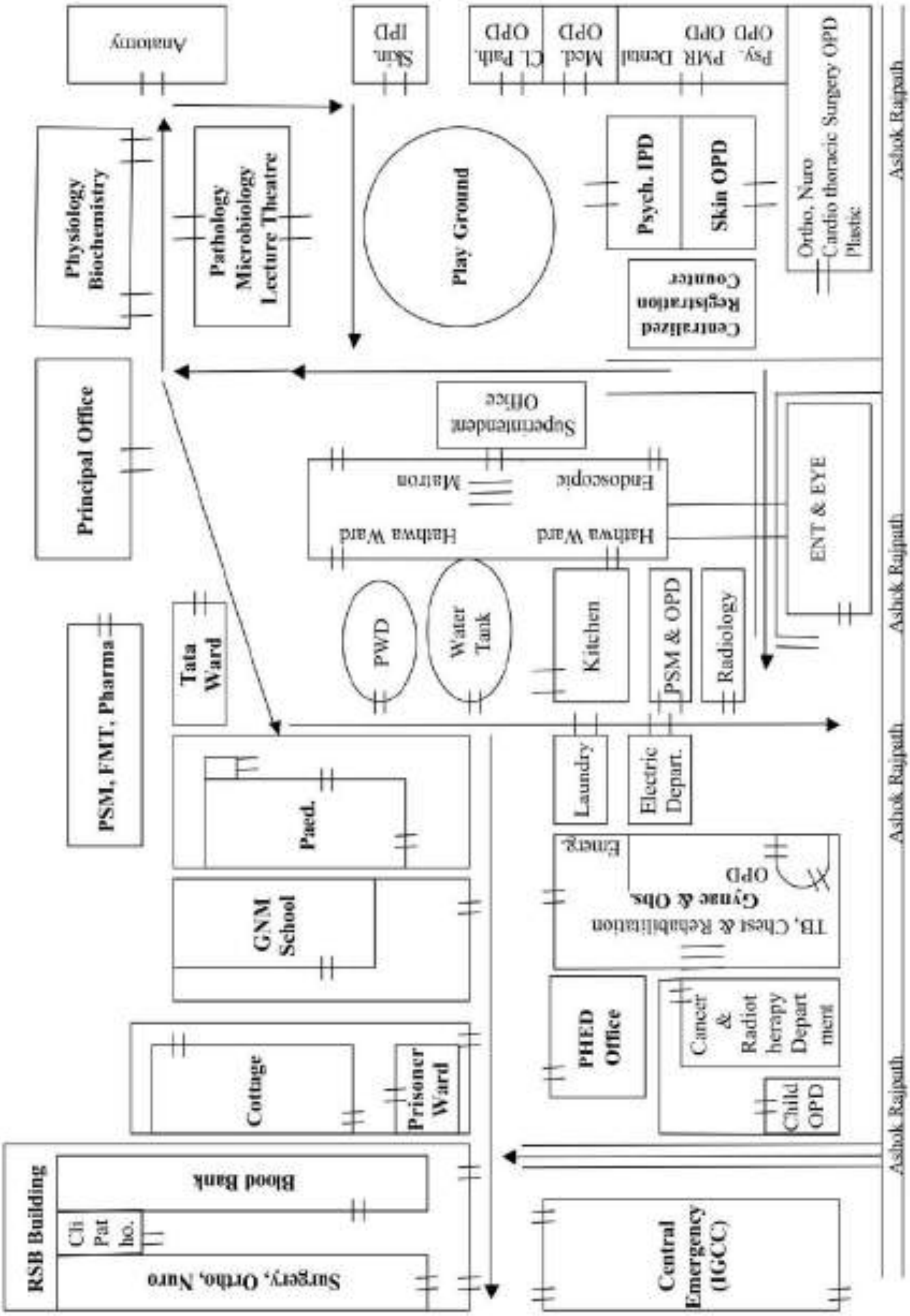

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का बिहार दिवस–2017 में पवेलियन

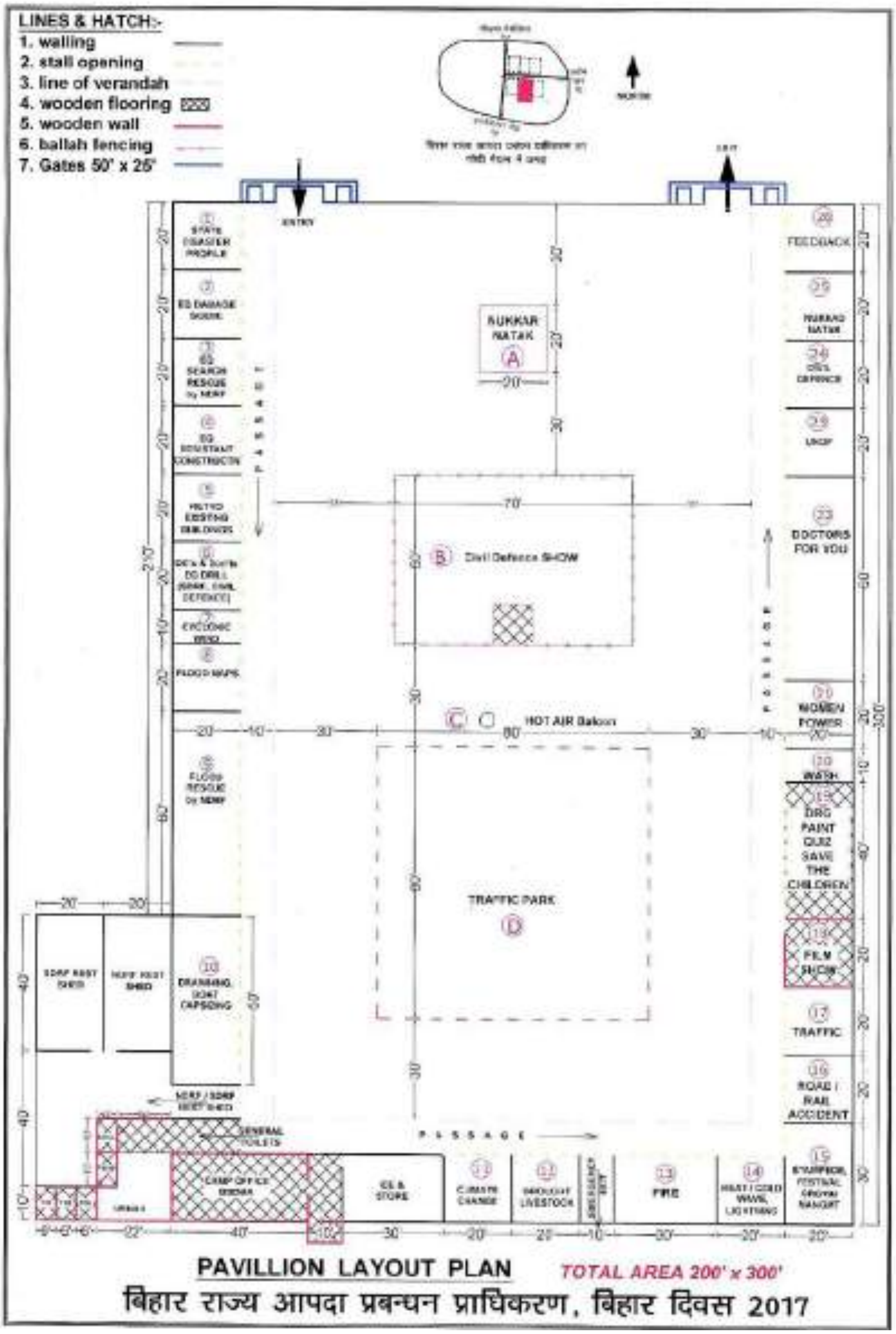

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का बिहार दिवस–2018 मे पवेलियन

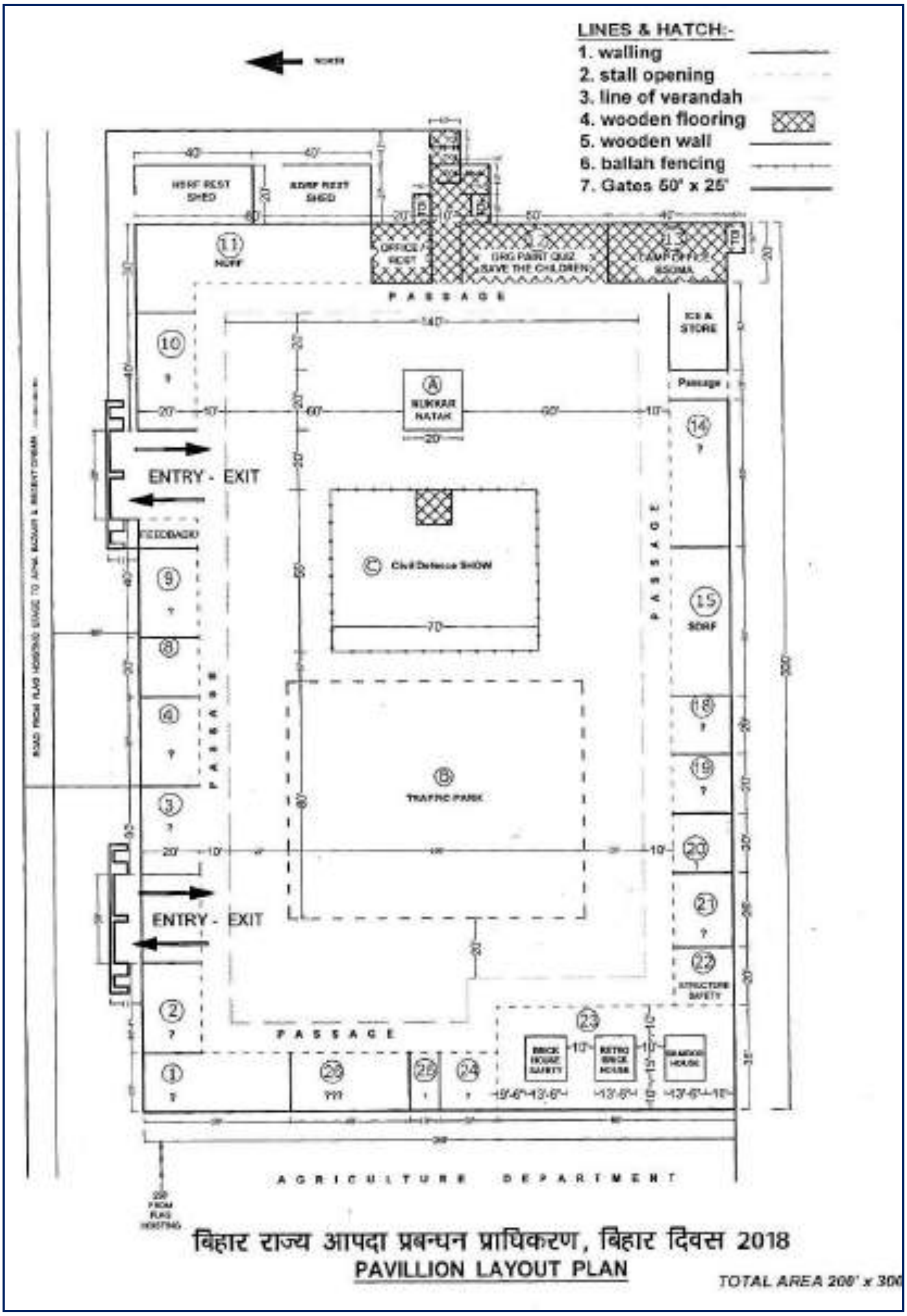

गाँधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस एवं बिहार दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था का मानचित्र :

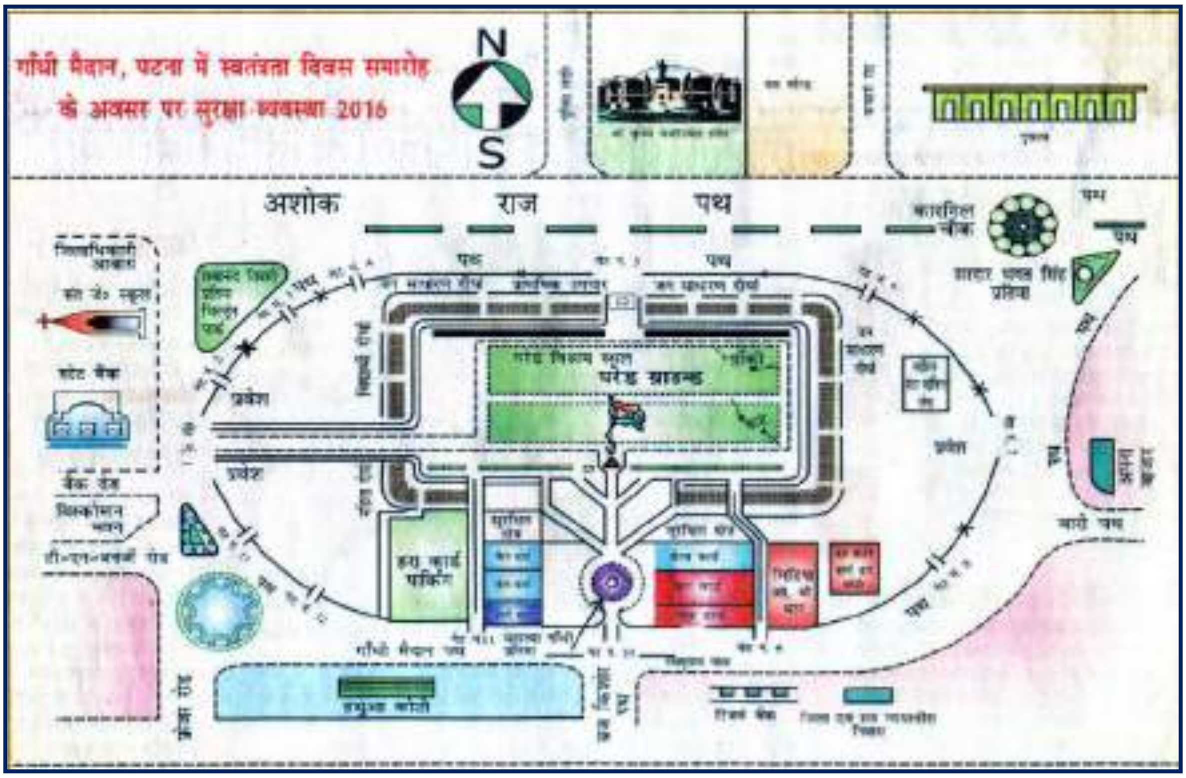

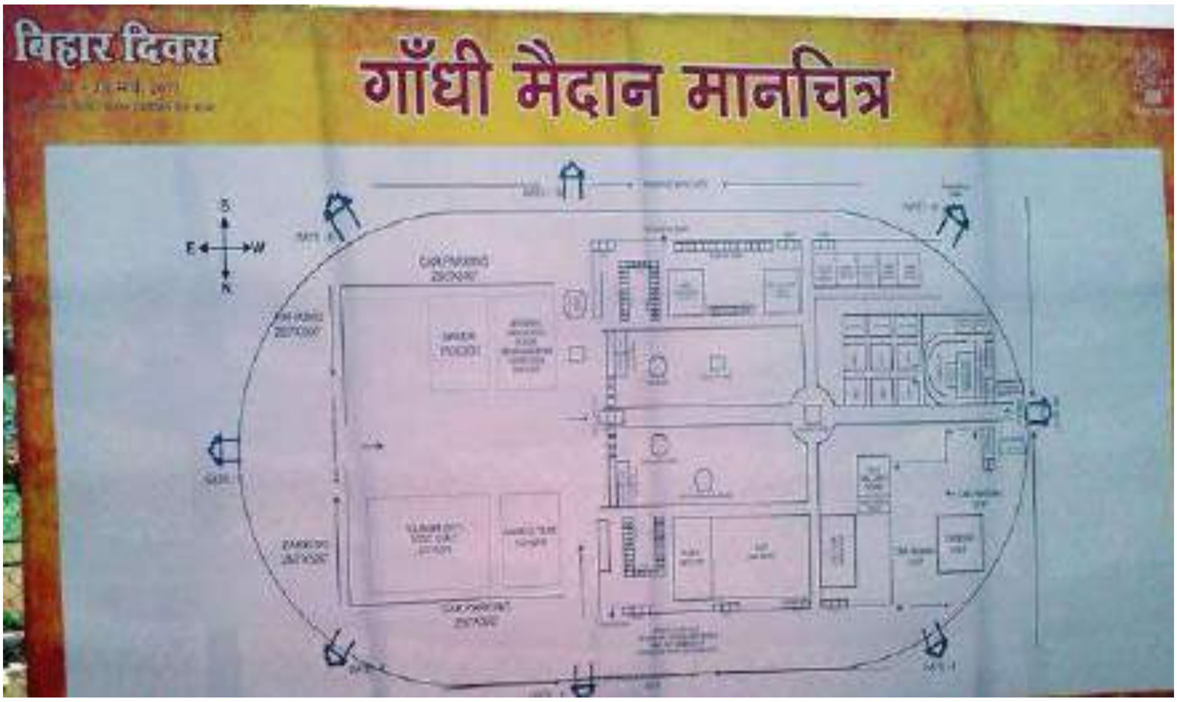

टेन्ट सिटी, दरबार हॉल का मानचित्र :

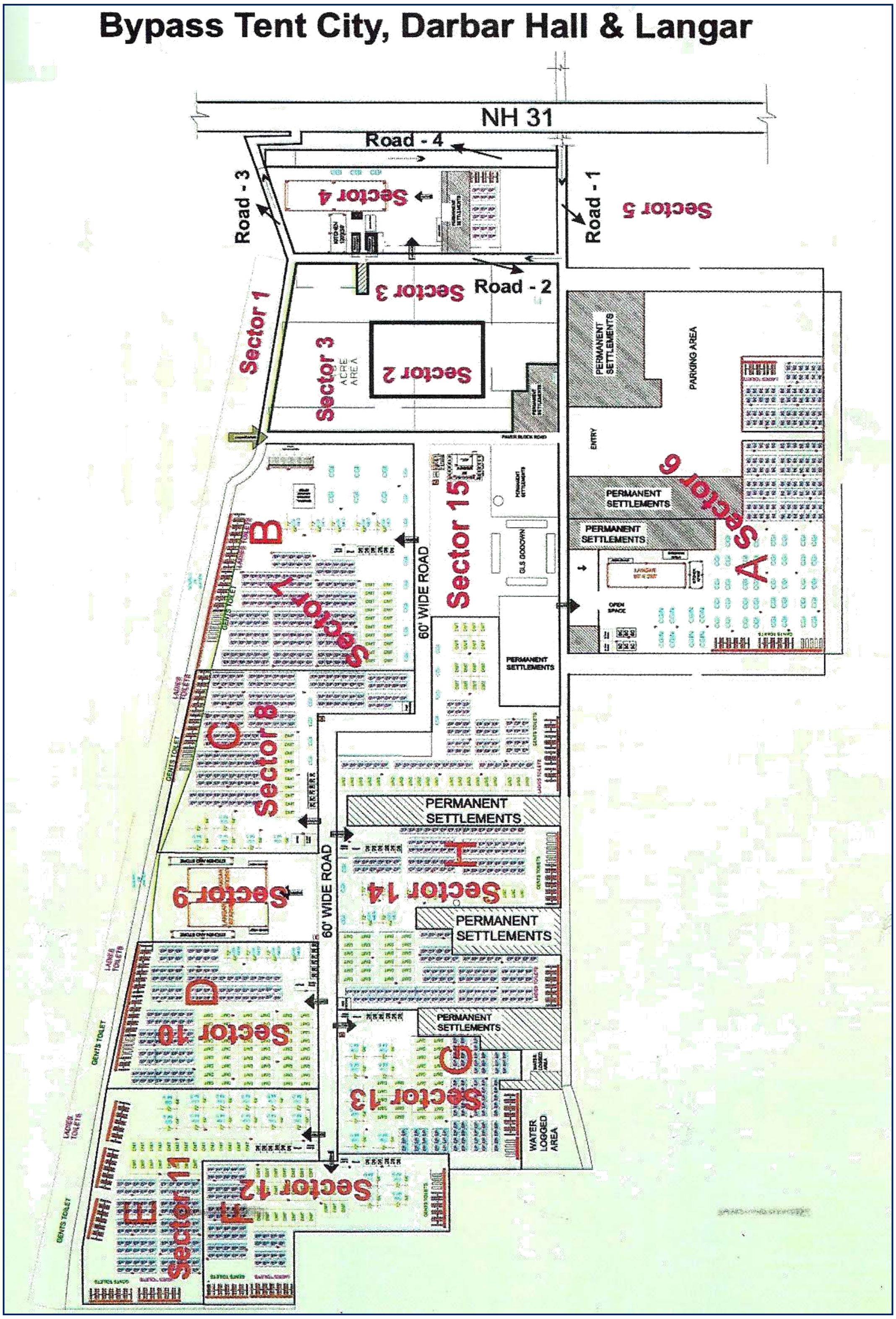

अनुलग्नक –(85) नाव नाविकों की सूची :

क्र.	अंचल का नाम	सरकारी / प्राईवेट	नाविकों का नाम / पता / मोबाइल न.
1	धनरूआ	सरकारी	श्री मुकेश कु., पिता–अवधेश प्र., ग्राम–बहरामपुर, मो.–9570215158
2	धनरूआ	सरकारी	श्री राजनंदन पासवान, पिता–श्री मिश्री पासवान, ग्रा–पोलडीह, मो.–919989 054
3	धनरूआ	सरकारी	श्री नरेश केवट, पिता–स्व0 गनौरी केवट, ग्रा–सगादहा, मो.–7541002211
4	पुनपुन	प्राईवेट	श्री मुन्ना चौधरी, ग्रा.–देवरिया, मो.–5521200000
5	पुनपुन	प्राईवेट	श्री प्यारे चौधरी, ग्रा.–देवरिया, मो.–9572142104
6	पुनपुन	प्राईवेट	श्री प्रमोद पासवान ग्रा.–देवरिया, मो.–7091715883
7	पुनपुन	प्राईवेट	श्री महेश चौधरी, ग्रा.–देवरिया, मो.–9102418575
8	पुनपुन	प्राईवेट	श्री उमेश चौधरी ग्रा.–पोआरी, मो.–7858970040
9	पुनपुन	प्राईवेट	श्री रामलखन चौधरी, ग्रा.–पोआरी,
10	पटना सदर	प्राईवेट	श्री प्रमोद कुमार, ग्रा.–नकटा दियारा
11	पटना सदर	प्राईवेट	श्री जगप्रकाश राय, ग्रा.–नकटा दियारा
12	पटना सदर	प्राईवेट	श्री राम विनोद राय, ग्रा.–नकटा दियारा
13	पटना सदर	प्राईवेट	श्री जवाहर राय, ग्रा.–नकटा दियारा
14	पटना सदर	प्राईवेट	श्री जितेन्द्र राय, ग्रा.–नकटा दियारा
15	पटना सदर	प्राईवेट	श्री शिशुपाल राय, ग्रा.–नकटा दियारा
16	पटना सदर	प्राईवेट	श्री उपेन्द्र राय, ग्रा.–नकटा दियारा
17	पटना सदर	प्राईवेट	श्री अमरजीत राय, ग्रा.–नकटा दियारा
18	पटना सदर	प्राईवेट	श्री चाँदनी राय, ग्रा.–नकटा दियारा
19	पटना सदर	प्राईवेट	श्री रमोद राय, ग्रा.–नकटा दियारा
20	पटना सदर	प्राईवेट	श्री सोहन राय, ग्रा.–नकटा दियारा
21	पटना सदर	प्राईवेट	श्री ओम प्रकाश राय, ग्रा.–नकटा दियारा
22	पटना सदर	प्राईवेट	श्री लाल मोहन राय, ग्रा.–नकटा दियारा
23	पटना सदर	प्राईवेट	श्री कमेश्वर राय, ग्रा.–नकटा दियारा
24	पटना सदर	प्राईवेट	श्री दिनानाथ राय, ग्रा.–नकटा दियारा
25	पटना सदर	प्राईवेट	श्री शत्रुघ्न राय, ग्रा.–नकटा दियारा
26	पटना सदर	प्राईवेट	श्री महेश राय, ग्रा.–नकटा दियारा
27	पटना सदर	प्राईवेट	श्री जवाहर राय, ग्रा.–नकटा दियारा
28	पटना सदर	प्राईवेट	श्री विजय राय, ग्रा.–नकटा दियारा
29	पटना सदर	प्राईवेट	श्री सरोज राय, ग्रा.–नकटा दियारा
30	पटना सदर	प्राईवेट	श्री महाराज राय ग्रा.–नकटा दियारा
31	पटना सदर	प्राईवेट	श्री शिवाय राय राय, ग्रा.–नकटा दियारा
32	पटना सदर	प्राईवेट	श्री सुनील कुमार, ग्रा.–नकटा दियारा
33	पटना सदर	प्राईवेट	श्री कन्हाई राय, ग्रा.–नकटा दियारा
34	पटना सदर	प्राईवेट	श्री अनिल कुमार, ग्रा.–नकटा दियारा
35	पटना सदर	प्राईवेट	श्री धर्मेन्द्र कुमार, ग्रा.–नकटा दियारा
36	पटना सदर	प्राईवेट	श्री शंकर राय, ग्रा.–नकटा दियारा
37	मनेर	सरकारी	श्री राजू महतो, ग्रा.–बड़ा दियारा
38	मनेर	सरकारी	श्री नगीना यादव, ग्रा.–पश्चिमी मनेर, मो.–8292252557
39	मनेर	सरकारी	श्री रामबाबू, ग्रा0–बड़ा दियारा, मो0–9199702729
40	मनेर	सरकारी	श्री सूरज पासवान, ग्रा.–रामपुर, मो.–8909692323
41	मनेर	सरकारी	श्री दिनेश मांझी, ग्रा.– आजाद नगर
42	मनेर	प्राईवेट	श्री संतोष महतो, ग्रा.–नया टोला घाट मो.–8241397027
43	मनेर	प्राईवेट	श्री कृष्ण कुमार, ग्रा.–नया टोला घाट मो.–9523736517
44	मनेर	प्राईवेट	श्री विनोद महतो, ग्रा.–उमानाथ मो.–9097389448
45	मनेर	प्राईवेट	श्री भूषण महतो, ग्रा.–नया टोला घाट मो.–5294820025
46	मनेर	प्राईवेट	श्री दिनेश महतो, ग्रा.–नया टोला घाट मो.–9705340825
47	मोकामा	सरकारी	श्री सुनील कुमार सिंह, ग्रा.–नरपुर, मो.–8409842570

48	मोकामा	सरकारी	श्री अनील कुमार बिन्द, ग्रा॰–बहरपुर मो॰–9988261362
49	मोकामा	सरकारी	श्री रामचन्द्र सिंह, ग्रा॰–शिवनार, मो॰–5051714441
50	मोकामा	सरकारी	श्री सुंदर महतो, ग्रा॰–शिवनार, मो॰–7242081027
51	मोकामा	सरकारी	श्री सियाराम निषाद, ग्रा॰–मोर, मो॰–9934055840
52	पंडारक	सरकारी	श्री रामधनी मांझी, ग्रा॰ –मोगलानी चक, अजगारा बथान
53	पंडारक	सरकारी	श्री अवधेश गोप, ग्रा॰–लालपुर नीरपुर
54	पंडारक	सरकारी	श्री मनोज सहनी, ग्रा॰–गेनुआ बराह
55	पंडारक	सरकारी	श्री भोला पासवान, ग्रा॰–सरहन
56	पंडारक	सरकारी	श्री नरेश मांझी, ग्रा॰–सरहन
57	पंडारक	सरकारी	श्री सागरजी मुखिया, ग्रा॰– कालाचन्द्र नकजलाल
58	पंडारक	सरकारी	श्री नवल किशोर प्रसाद, ग्रा0–धनुषबिगहा
59	पंडारक	सरकारी	श्री प्रभु पासवान, ग्रा॰–मुबारकपुर
60	पंडारक	प्राइवेट	श्री श्लोक यादव, ग्रा॰–आमहार लेमुआबाद
61	पंडारक	प्राइवेट	श्री भोगल महतो, ग्रा॰–मिन्दटोली
62	पंडारक	प्राइवेट	श्री सिकन्दर राय, ग्रा॰+पं0–पंडारक
63	पंडारक	प्राइवेट	श्रीलेखा राम, ग्रा॰ –नगा टोल पंडारक
64	पंडारक	प्राइवेट	श्रीलक्खु यादव, ग्रा॰–दरगाही टोल लेमुआबाद
65	पंडारक	प्राइवेट	श्री प्रद्युमन महतो, ग्रा॰–मिंद टोली, पंडारक
66	घोसवरी	सरकारी	श्री लखन मांझी, ग्रा॰–काठरा, मो॰–9973049075
67	घोसवरी	सरकारी	श्री धनेश्वर प्रसाद, ग्रा॰–बड़कीबिगहा कुर्मीचक, मो॰–9234258800
68	घोसवरी	प्राइवेट	श्री प्रमोद पासवान, ग्रा॰+पं0–सम्यागढ़, मो॰–8002102458
69	घोसवरी	प्राइवेट	श्री साधु यादव, ग्रा0–रामपुर, मो॰–7542993173
70	घोसवरी	प्राइवेट	श्री साधु शरण पासवान, ग्रा॰–प्रहलादपुर, मो॰–8877975281
71	घोसवरी	प्राइवेट	श्री शिव कुमार चौहान, ग्रा॰–शोभनीचक, मो॰–9570079059
72	घोसवरी	प्राइवेट	श्री उमा सहनी, ग्रा0–त्रिमुहान, मो॰–9006610725
73	घोसवरी	प्राइवेट	श्री संजय सहनी, ग्रा॰–त्रिमुहान, मो॰–9006610728
74	घोसवरी	प्राइवेट	श्री पुरन सहनी, ग्रा॰–त्रिमुहान, मो॰–9801607301
75	घोसवरी	प्राइवेट	श्री केदार केवट, ग्रा॰–कुमीचक, मो॰–9470622210
76	घोसवरी	प्राइवेट	श्री सिकन्दर यादव, ग्रा॰–जागीर टोला नासर, मो॰–7857980511
77	घोसवरी	प्राइवेट	श्री सुबोध कुमार ग्रा॰–करस, मो॰–7277115479
78	बेलछी	सरकारी	श्री कुशील पासवान ग्रा॰ –फतेहपुर, मो॰–7250356694
79	बेलछी	सरकारी	श्री बिन्दु प्रसाद, ग्रा॰–बरह, मो॰–8864009328
80	बेलछी	सरकारी	श्री कमलेश यादव, ग्रा॰–हरापुर, मो॰–8877364810
81	बेलछी	सरकारी	श्री चन्दन पासवान, ग्रा॰–हरानुरा, मो॰–9955161056
82	बेलछी	सरकारी	श्री धर्मवीर मांझी, ग्रा॰–मुर्तजापुर मो॰–7031575028
83	बेलछी	सरकारी	श्री अनील प्रसाद, ग्रा॰–मदनपुर, मो॰–8864009328
84	बेलछी	सरकारी	श्री राजेश प्रसाद, पिता–सिद्धेश्वर प्रसाद, मो॰–9162978183
85	बेलछी	सरकारी	श्री रमेश कुमार, ग्रा॰–गोपालपुर, मो॰–9925180431
86	बेलछी	सरकारी	श्री सुनील कुमार ग्रा॰ –गोपालपुर, मो॰–9162978183
87	बेलछी	सरकारी	श्री नागेन्द्र कुमार यादव, ग्रा॰–लक्षोपुर, मो॰–8877397849
88	बेलछी	सरकारी	श्री सगीर खान, ग्रा॰–मगारिगहा, मो॰–8070210705
89	अथमलगोला	सरकारी	श्री कैलु पासवान, ग्रा॰–रामनगर दियारा
90	अथमलगोला	सरकारी	श्री जगेन्द्र राय, ग्रा॰–रामनगर दियारा
91	अथमलगोला	प्राइवेट	श्री जगकान्त सिंह, ग्रा॰–रामनगर करारी कापर, मो॰–7050472458
92	अथमलगोला	प्राइवेट	श्री पिंटु कुमार, ग्रा॰–रामनगर दियारा
93	अथमलगोला	प्राइवेट	श्री कुणाल कुमार, ग्रा॰–रामनगर दियारा
94	अथमलगोला	प्राइवेट	श्री अमर कुमार, ग्रा॰–कल्याणपुर
95	अथमलगोला	प्राइवेट	श्री शिव कुमार, ग्रा॰–कल्याणपुर, मो॰–7352950027
96	अथमलगोला	प्राइवेट	श्री सांगी राय, ग्रा॰–रामनगर दियारा
97	अथमलगोला	प्राइवेट	श्री अशोक चौधरी, ग्रा॰–रामनगर दियारा

98	अथमलगोला	प्राइवेट	श्री सुखारी चौधरी, ग्रा०–रामनगर दियारा
99	अथमलगोला	प्राइवेट	श्री गनौरी चौधरी, ग्रा०–रामनगर दियारा
100	अथमलगोला	प्राइवेट	श्री हरिहर प्र० सिंह, ग्रा०–रामनगर कचारी कमाला, मो०9155542229
101	अथमलगोला	प्राइवेट	श्री सुखदेव राय, ग्रा०–उसमानपुर
102	अथमलगोला	प्राइवेट	श्री सोने लाल राय, ग्रा०–रामनगर दियारा
103	फतुहा	सरकारी	दिनेश सहनी, ग्रा०–सम्मरापुर, मो०–7050332973
104	फतुहा	प्राइवेट	उमेश सहनी, ग्रा०–सम्मरापुर, मो०–9135014309
105	फतुहा	प्राइवेट	जवाहर सहनी, ग्रा०–सम्मरापुर, मो०–9135798409
106	फतुहा	प्राइवेट	जवाहर सहनी, ग्रा०–सम्मरापुर, मो०–9955968374
107	फतुहा	प्राइवेट	सीताराम सहनी, ग्रा०–सम्मरापुर, मो०–8084276207
108	फतुहा	प्राइवेट	राजेश सहनी, ग्रा०–सम्मरापुर, मो०–8228869080
109	फतुहा	प्राइवेट	अखिलेश सहनी, ग्रा०–सम्मरापुर, मो०–7050530571
110	फतुहा	प्राइवेट	सुरेश सहनी, ग्रा०–सम्मरापुर, मो०–7462545035
111	फतुहा	प्राइवेट	विजय सहनी, ग्रा०–सम्मरापुर, मो०–9523921991
112	फतुहा	प्राइवेट	मुकेश कुमार सहनी, ग्रा०–सम्मरापुर, मो०–9781531171
113	फतुहा	प्राइवेट	कृष्णा चौधरी, ग्रा०–गढ़ोचक, मो०–9386003495
114	फतुहा	प्राइवेट	रामानन्द सहनी, ग्रा०–सम्मरापुर, मो०–9708542465
115	फतुहा	प्राइवेट	कुन्दन कुमार, ग्रा०–सम्मरापुर, मो०–9955908314
116	फतुहा	प्राइवेट	फुलानन्द कुंवर, ग्रा०–मकदलीम, मो०–9135890248
117	फतुहा	प्राइवेट	लाल बहादुर चौधरी, ग्रा०–गढ़ोचक, मो०–8507732082
118	फतुहा	प्राइवेट	जवाहिर पासवान, पिता–बिल्टू पासवान, ग्रा०–सम्मरापुर,
119	फतुहा	प्राइवेट	अर्जुन पासवान, पिता–झौरी पासवान, ग्रा०–कल्याणपुर,
120	खुसरूपुर	सरकारी	फुलन मांझी, ग्रा०–हरदासबीघा, नौरंगा, मो०–9117009033
121	खुसरूपुर	सरकारी	मुन्ना बिंद, ग्रा०–बालुपर नौरंगा, मो०–9102542812
122	खुसरूपुर	प्राइवेट	चन्द्र सिंह, ग्रा०–नौरंगा, मो०–9798810010
123	खुसरूपुर	प्राइवेट	नारायण बिंद, ग्रा०–बालुपर नौरंगा, मो०–9525278503
124	खुसरूपुर	प्राइवेट	रामशील सिंह, ग्रा०–फतेहपुर, मो०–7856972803
125	खुसरूपुर	प्राइवेट	फुलन मांझी, ग्रा०–नौरंगा, मो०–7631751843
126	खुसरूपुर	प्राइवेट	भोला सिंह, ग्रा०–नौरंगा, मो०–8409125209
127	खुसरूपुर	प्राइवेट	कौशल सिंह, ग्रा०–हैबतपुर, मो०–7277092029
128	खुसरूपुर	प्राइवेट	कमलेश राय, ग्रा०–दुर्गनपुर, मो०–8538575434
129	खुसरूपुर	प्राइवेट	बिन बिंद, ग्रा०–रामनपुर
130	दानापुर	सरकारी	नंदन कुमार, ग्रा०–नया टियरी, मो०–7519232200
131	दानापुर	सरकारी	सुदर्शन राय, ग्रा०–नया टियरी, मो०–7645071048
132	दानापुर	सरकारी	बनारसी राय, ग्रा०–नया टियरी, मो०–8102512017
133	दानापुर	प्राइवेट	लक्ष्मी नारायण राय, ग्रा०–नया टियरी, मो०–7279501745
134	दानापुर	प्राइवेट	गणेश राय, ग्रा०–पुरानी पानापुर, मो०–7519770031
135	दानापुर	प्राइवेट	विरेन्द्र राय, ग्रा०–नया टियरी, मो०–9852382905
136	दानापुर	प्राइवेट	ऋषि राय, ग्रा०–पुरानी पानापुर, मो०–7277880531
137	दानापुर	प्राइवेट	केशव प्रसाद, ग्रा०–पुरानी पानापुर, मो०–9852429070
138	दानापुर	प्राइवेट	घनश्याम राय, ग्रा०–नया टियरी, मो०–9852352905
139	दानापुर	प्राइवेट	कृपाल राय, ग्रा०–पुरानी पानापुर, मो०–75192322001
140	दानापुर	प्राइवेट	राकेश राय, ग्रा०–पुरानी पानापुर, मो०–5534858981
141	दानापुर	प्राइवेट	इन्द्र देव राय, ग्रा०–पुरानी पानापुर, मो०–7279801745
142	दानापुर	प्राइवेट	प्रभु राय, ग्रा०–पुरानी पानापुर, मो०–7702846102
143	दानापुर	प्राइवेट	मनोज राय, ग्रा०–नया पानापुर नया टियरी, मो०–7277580531
144	दानापुर	प्राइवेट	दिलीप कुमार, ग्रा०–नया पानापुर नया टियरी, मो०–9852429070
145	दानापुर	प्राइवेट	बिरबल राय, ग्रा०–नया पानापुर, नया टियरी, मो०–7279801745
146	दानापुर	प्राइवेट	बनारसी राय, ग्रा०–नया पानापुर, नया टियरी, मो०–7762840107
147	दानापुर	प्राइवेट	सुदर्शन राय, ग्रा०–नया पानापुर, नया टियरी, मो०–9852352905

148	दानापुर	प्राइवेट	दिनेश राय, ग्रा०–नया पानापुर, नया दियरी, मो०–7519770031
149	दानापुर	प्राइवेट	सिकन्द्र राय, ग्रा०–नया पानापुर, नया दियरी, मो०–8102512017
150	दानापुर	प्राइवेट	लक्ष्मण राय, ग्रा०–नया पानापुर, नया दियरी, मो०–9852382905
151	दानापुर	प्राइवेट	अनिल राय, ग्रा०–नया पानापुर, नया दियरी, मो०–8804556881
152	दानापुर	प्राइवेट	लक्ष्मण राय, ग्रा०–नया पानापुर, नया दियरी, मो०–7762840107
153	दानापुर	प्राइवेट	हरेन्द्र राय, ग्रा०–नया पानापुर, नया दियरी, मो०–8804556881
154	दानापुर	प्राइवेट	मुन्ना राय, ग्रा०–नया पानापुर, नया दियरी, मो०–7279831746
155	दानापुर	प्राइवेट	कमलेश राय, ग्रा०–नया पानापुर, नया दियरी, मो०–985238905
156	दानापुर	प्राइवेट	दिपन राय, ग्रा०–नया पानापुर, नया दियरी, मो०–8102512017
157	नौबतपुर	प्राइवेट	चन्देश्वर दास, पि0–बुधन रविदास, ग्रा०–सलारपुर
158	नौबतपुर	प्राइवेट	सुरेन्द्र दास, पि0–राम रम, ग्रा०–सलारपुर
159	नौबतपुर	प्राइवेट	हरदेव रविदास, पि0–रामचन्द्र रविदास, ग्रा०–सलारपुर
160	बिहटा	प्राइवेट	रावण चौधरी, ग्रा०–परेव, मो०–9001045950
161	बिहटा	प्राइवेट	ओम नारायण चौधरी, ग्रा०–परेव, मो०–9973335032
162	बिहटा	प्राइवेट	श्री नारायण चौधरी पि0–मानकी चौधरी, परेव
163	बिहटा	प्राइवेट	धनजय चौधरी, ग्रा०–परेव, मो०–9334078204
164	बिहटा	प्राइवेट	महेश चौधरी, ग्रा०–परेव, मो०–7782010906
165	मनेर	सरकारी	अवधेन्द्र कु०, ग्रा०–किता चौहत्तर पूर्वी छिहनार, मो०–7250310753
166	मनेर	सरकारी	बदरी महतो, ग्रा०–किता चौहत्तर पूर्वी छिहनार
167	मनेर	सरकारी	भुवल राय, ग्रा०–किता चौहत्तर म0 छिहनार
168	मनेर	सरकारी	बिशुन दयाल राय, किताचौहत्तर प०बदल टोल, मो०–9934300003
169	मनेर	सरकारी	भूप राय, ग्रा०–किता चौहत्तर प० बदल टोल
170	मनेर	सरकारी	महेश राय, ग्रा०–किता चौहत्तर प० बदल टोला
171	मनेर	सरकारी	सोनु कुमार, ग्रा०–मगरपाल, मो०–7250310753
172	मनेर	सरकारी	सरोज राय, ग्रा०–मगरपाल, मो०–7250310753
173	मनेर	प्राइवेट	दुखेश राय, पिता–गुदर राय, ग्रा०–बदल टोला
174	मनेर	प्राइवेट	भोला राय पिता–स्व0 उमा राय, ग्रा०–बदल टोल
175	मनेर	प्राइवेट	शंकर राय, पिता–स्व0 बच्चा राय, ग्रा०–पुराना टोला
176	मनेर	प्राइवेट	किशोर राय, पिता–विश्वनाथ राय, ग्रा०–सात आना
177	मनेर	प्राइवेट	राजेश राय, पिता–वशिष्ठ राय, ग्रा०–सात आना
178	मनेर	प्राइवेट	शंकर राय, पिता–तपसी राय, ग्रा०–सात आना
179	मनेर	प्राइवेट	राजन राय, पिता–शिवदा राय, ग्रा०–सात आना
180	मनेर	प्राइवेट	भोला राय, पिता–गर्कौल राय, ग्रा०–पुराना टोला
181	मनेर	प्राइवेट	सुग्रीम राय, पिता–मुनेश्वर राय, ग्रा०–सात आना
182	मनेर	प्राइवेट	दशरथ राय, पिता–जगदीश राय, ग्रा०–सात आना
183	मनेर	प्राइवेट	सुरेन्द्र सिंह, पिता–बिरेन्द्र सिंह, ग्रा०–राम नगर
184	मनेर	प्राइवेट	सुभाष राय, पिता–स्व0 देवमुजन राय,ग्रा०छिहनार, मो०–7250310753
185	मनेर	प्राइवेट	मंगरु राय, पिता–राम राय, ग्रा०–महावीर टोला
186	मनेर	प्राइवेट	शिव राय, पिता–कैलाश राय, ग्रा०–नीलकंठ टोला
187	मनेर	प्राइवेट	दयानन्द राय, पिता–स्व0 जनेश्वरराय, ग्रा०–छिहनार
188	मनेर	प्राइवेट	लाल साहेब राय, पिता–महेन्द्र राय, ग्रा०–दुर्बेला
189	मनेर	प्राइवेट	रजीत राय, पिता–मोहन राय, ग्रा०–छिहनार
190	मनेर	प्राइवेट	बेहरु महतो, पिता–नथुनी महतो, ग्रा०–छिहनार
191	पालीगंज	प्राइवेट	ओम प्रकाश चौधरी, ग्रा०–महमदपुर मो0–9771010803
192	पालीगंज	प्राइवेट	जगदेव चौधरी, ग्रा०–बहादुरगंज, मो0–7033124504
193	पालीगंज	प्राइवेट	परमेश्वर चौधरी, ग्रा०–बहादुरगंज, मो0–8969702968
194	पालीगंज	प्राइवेट	राम परमेश्वर चौधरी, ग्रा०–बहादुरगंज
195	पालीगंज	प्राइवेट	धनेश्वर चौधरी, ग्रा०–बहादुरगंज
196	पालीगंज	प्राइवेट	नन्द लाल चौधरी, ग्रा०–बहादुरगंज
197	पालीगंज	प्राइवेट	महावीर चौधरी ग्रा०–महाबलीपुर

198	पालीगंज	प्राइवेट	रंग लाल चौधरी, ग्रा.–महामलीपुर
199	पालीगंज	प्राइवेट	जमादार चौधरी, ग्रा.–महमदपुर
200	पालीगंज	प्राइवेट	ज्ञानचंद चौधरी, ग्रा.–महमदपुर

अनुलग्नक –(86) गाँधी मैदान के पास जल स्रोतों (हाईड्रेंट) की सूची :

क्र सं.	स्थान का नाम	जिम्मेवार व्यक्ति का नाम	मोबाईल
1	मौर्या होटल	श्री आर. के. सिंह	9234780285
2	एस.बी.आई. मेन ब्रांच	श्री पी. के. सिंह	9431017473
3	अग्निशामालय पटना	श्री अरविन्द प्रसाद	9473199838
4	मोना सिनेमा	पाण्डेय जी	9334080740
5	गाँधी मैदान गेट न. 5	महावीर जी	7631052830

अनुलग्नक –(87) शहर में जल स्रोतों (हाईड्रेंट) की सूची :

क्र.सं.	हाईड्रेंट का स्थान	
1	ईदरगंज, पानी टंकी	
2	करमलीचक, पानी टंकी	
3	सबीचौड़, पानी टंकी	
4	किला रोड, पानी टंकी	
5	बेगमपुर नाला पर, पानी टंकी	
6	डंका इमली, पानी टंकी, गाय घाट	
7	भूतनाथ रोड, सेक्टर–G, पानी टंकी	
8	हनुमान नगर पानी टंकी	
9	मलाही पकड़ी, पानी टंकी	
10	गोलकपुर, एन.आई.टी. पानी टंकी	
11	अन्टा घाट, पानी टंकी	
12	रामपुर बाजार समिति, पानी टंकी	
13	लोहानीपुर, पानी टंकी	
14	शिवपुर बेऊर, पानी टंकी	
15	हार्डिंग रोड, पानी टंकी	
16	गार्डनर रोड, नगर निगम पानी टंकी	
17	हजवाली मोड़, रानी घाट, पानी टंकी	
18	पटना जंक्शन पानी टंकी	
19	ए.एन.कॉलेज, पानी टंकी	
20	शेखपुरा मोड़, पानी टंकी	
21	सादलपुर	प्रस्तावित
22	अशोकपुरी चौराहा, वार्ड–2	
23	दुजरा, अशोक राज पथ	
23	दीघा गेट न. 93	
24	कुर्जी	

स्रोत: जलापूर्ति शाखा, पटना नगर निगम

अनुलग्नक –(88) पम्पिंग स्टेशन एवं पंपों की संख्या :

क्र.	एजेन्सी	पम्पिंग स्टेशन	ट्रांसफार्मर		वर्तमान मे पंपो की संख्या			कुल क्षमता	
			वर्तमान (के.भी.ए.)	कुल (के.भी.ए.)	विद्युत	डिजल	कुल (एच.पी.)	एच.पी.	एम. एल. डी.
1	बि.रा.ज.प.	पहाड़ी पुराना	2x50	2(1000)	2x350	1x198	3(898)	3(3980)	588
2	बि.रा.ज.प.	पहाड़ी नया	4x500	4(2000)	1x350 1x220 2x425		4(1420)	4(1420)	847

3	बि.रा.ज.प.	गंगेपुर	1x250 2x400 3x500	6(2550)	1x170 2x250 1x270 2x335	1x198 1x375	8(2183)	8(2183)	769
4	बि.रा.ज.प.	राज भवन	1X150 1x250	2(400)	1x40 2x125		3(290)	3(290)	92
5	बि.रा.ज.प.	सैदपुर	2x500	2(1000)	2x270 2x100	1x198 1x375	6(1313)	6(1313)	442
6	बि.रा.ज.प.	आर.के.एवेन्यू	2x300	2(600)	1x100 1x125 1x75	1x156	4(506)	4(506)	166
7	बि.रा.ज.प.	कृष्णागार	1x150 1x300	2(450)	2x100 1x150	1x156	4(481)	4(481)	166
8	बि.रा.ज.प.	एस.पी.वर्मा रोड	1x300	1(300)	2x75 1x100	1x156	4(406)	4(406)	131
9	बि.रा.ज.प.	अदालतगंज	1x500	1(500)	2x175	1x198	3(548)	3(548)	346
10	बि.रा.ज.प.	मन्दिरी पुराना	1x300 1x500	2(800)	1x175 1x350	1x198	3(723)	3(723)	467
11	बि.रा.ज.प.	मन्दिरी नया	3x500	3(1500)	2x220 1x350 1x425		4(1215)	4(1215)	677
12	बि.रा.ज.प.	राजापुर पुराना	2x500	2(1000)	2x350	1x498	3(1198)	3(1198)	726
13	बि.रा.ज.प.	राजापुर नया	3x500	3(1500)	1x350 1x220 2x425		4(1420)	4(1420)	798
14	बि.रा.ज.प.	कुर्जी	3x500	3(1500)	1x350 2x425 1x220	1x375	5(1795)	5(1795)	902
15	बि.रा.ज.प.	पुनाईचक	3x500	3(1500)	2x220 2x175	1x375	5(1165)	5(1165)	587
16	बि.रा.ज.प.	राजवंशीनगर	1x400	1(150)	2x50 1x20	1x156	4(276)	4(276)	87
17	बि.रा.ज.प.	मीठापुर	1x400 1x300	2(700)	2x125 1x170	2x75 1x156	6(726)	6(726)	242
18	बि.रा.ज.प.	गर्दनीबाग	2x150	2(300)	2x100	1x100	3(300)	3(300)	109
19	बि.रा.ज.प.	सादिकपुर	1x350	1(350)	2x90 2x60		4(300)	4(300)	54.17
		सब टोटल	**44**	**44(18100)**	**58**	**18**	**80(17153)**	**88(17153)**	**8196**
20	बि.रा.ज.प.	शास्त्रीनगर			1x25 1x25		2(50)	2(50)	11
21	बि.रा.ज.प.	राजवंशीनगर			1x10 1x15		2(25)	2(25)	8.64
22	बि.रा.ज.प.	डा.जाकिर हुसैन इंस्टीच्यूट			2x15		2(30)	2(30)	2.59
23	बि.रा.ज.प.	ऑफिसर्स फ्लैट			2x15		2(30)	2(30)	6.91
24	बि.रा.ज.प.	सी.आई.डी.कॉलोनी				1x5	1(5)	1(5)	0.70
25	बि.रा.ज.प.	एन.एम.सी.एच.	1x150	1(150)	3x40	1x38	5(195.5)	5(195.5)	41
		सब टोटल	**1**	**1(150)**	**11**	**3**	**14(335.5)**	**14(335.5)**	**70.84**
26	पी.एच.सी.	राजभवन			2x10		2(20)	2(20)	8.64
27	पी.एच.सी.	हाई कोर्ट	1x7.5			1x5	2(12.5)	2(12.5)	1.98
28	पी.एच.सी.	आर.ब्लॉक			2x5		2(10)	2(10)	2.07
29	पी.एच.सी.	एस.के.पुरी	1x150 1x200	2(350)	1x100 1x75	1x75	3(250)	3(250)	72

30	पी.एम.सी.	बोरिंग रोड			2x30	1x38	3(98)	3(98)	24.19
31	पी.एम.सी.	कदमकुआँ	1x150	1(150)	2x75		3(188)	3(188)	55.30
32	पी.एम.सी.	बहादुरपुर,हा.बो. नगर	4x150 2x100	6(650)	2x50 3x150		5(550)	5(550)	162.43
33	पी.एम.सी.	हनुमान मंदिर	1x100	1(100)	2x25		2(50)	2(50)	17.28
34	पी.एम.सी.	छज्जूबाग			1x7-5		1(7.5)	1(7.5)	1.3
35	पी.एम.सी.	रामपुर	1x250 1x400	2(650)	1x125 1x240	1x102	3(467)	3(467)	147
36	पी.एम.सी.	बहादुरपुर	1x400 1x150	2(550)	1x250 2x75		3(400)	3(400)	241.92
		ग्रांड टोटल	**13**	**13(2200)**	**24**	**5**	**29(2053)**	**29(2053)**	**734.11**

नोट : पंपिंग क्षमता (एच.पी.) ब्रैकेट में

1	बि.रा.ज.प.	पहाड़ी	4x375		4x375		150	150	96.768
2	बि.रा.ज.प.	सैदपुर	4x500		3x510		1530	1530	72.576

अनुलग्नक –(89) वन प्रमंडल (स्वचलित मशीन एवं मानव चलित आरा मशीन सूची) :

क्र.	नाम एवं पता	मो. नं.
1	मो. मुमताज अहमद, पिता– स्व. मो. अब्दुल हसन, नसिरिलगंज, शाहिलपुर, दानापुर, पटना	9308700993
2	श्री पारसनाथ महतो, पिता– स्व. गुलु महतो, दाउदपुर, दानापुर, पटना	7301030207
3	श्री राजकुमार महतो, पिता– स्व. बुधन महतो, दाउदपुर, दानापुर, पटना	
4	श्री शिवनंद महतो, पिता–स्व. मकुन महतो, दाउदपुर, दानापुर, पटना	
5	श्री लड्डु परासान, पिता– श्री रामी नारायन, दाउदपुर, दानापुर, पटना	
6	श्री रंजीत महतो, पिता– स्व. दशाई महतो, दाउदपुर, दानापुर पटना	
7	श्री कृपाल महतो, पिता– स्व. कन्नो महतो, दाउदपुर, दानापुर, पटना	
8	श्री अखलेश कुमार, पिता– श्री पारसनाथ महतो, दाउदपुर, दानापुर, पटना	9534105008
9	श्री निखलेश कुमार, पिता–श्री पारसनाथ महतो, दाउदपुर, दानापुर, पटना	9552707200
10	श्री मोगल महतो, पिता– स्व. देवनन्दन महतो, दाउदपुर, दानापुर, पटना	7488390594
11	मो. मुश्ताक अहमद, पिता– मो. मुमताज अहमद	8540914477
12	हाट कमर्शियल एजेंसी, बेगुसराय	9431211569
13	सिद्धेश्वर पंडित, पिता–स्व. भोला पंडित, धोरासरी (पैरा कटर)	9552515474
14	सुशील कुमार, पिता– स्व. कन्हाई महतो, ग्रा. कोरडी,धरारसरी (ड्रिलिंग मशीन)	7033449278

अनुलग्नक –(90) अन्य उपलब्ध निजी संसाधन :

■ टेन्ट उपलब्धता :

1. गुरुनानक टेंट एंड पंडाल– नया टोला –9334207274
2. महावीर टेंट एंड पंडाल– बेलदार गंज, पटना –800005
3. बिजली कर्मी – 9334120303
4. सोनी इलेक्ट्रीकल्स, साहित्य सम्मेलन के पीछे, कदम कुआँ, पटना, मो. 7979066521
5. टेन्ट हाउस/चादर सप्लाई एवं जूस सप्लाई – मो. 8507016115
6. लाईट एवं जेनरेटर हाउस – मो. 8804849554
7. विडियोग्राफी – मो. 7260909057
8. मुस्कान टेन्ट हाउस, सकरोहर, अविनाश कुमार, फुलवारी, मो–880951252
9. शैलेश टेन्ट हाउस, सकरवाड़ा, बेलारी, शैलेश कुमार
10. गणपत टेन्ट हाउस, सकरवाड़ा, बेलारी, गणपत मालाकार
11. राहुल टेन्ट हाउस फतेहपुर, बेलारी, राहुल प्रसाद, मो. 7480550970

12. आदित्य साउन्ड, नागाटोली, बेलछी, राजीव कुमार, मो॰ 8969720008

13. मुस्कान साउंड एवं टेन्ट हाउस, घोसवरी, मो.9955919000

■ **सामुदायिक रसोई–**

1. **अभिजित कुमार**

   मेसर्स आदित्य ग्रुप ऑफ सर्विसेज (500 लोग)

   कमला सदन, रोड नं॰ 10 (ई), राजेन्द्र नगर, पटना, मो॰ 9801412513

2. **मेसर्स ओम रूद्र ट्रेडर्स** (100 लोग)

   जगाली कॉम्पलेक्स, 101, मॉडस्टी लेन,

   बोरिंग रोड, पटना, मो॰ 5789505205

3. **कमलकांत बाबा,**

   हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समीप, अशोपथ, पटना, मो॰ 9931458220

4. सुरेन्द्र कुमार, पिता– स्व॰ रामलखन साव, घोसवरी मो. 9709315229

■ जाल–महाजाल :–

1. जमुना सहनी –बराह, बेलछी
2. बच्चन प्रसाद – सिकन्दर, बेलछी
3. साधो केवट – सिकन्दरा, बेलछी,
4. रामनारायण केवट – सिकन्दर, बेलछी, मो॰ 9661395875
5. विदेशी साहनी, पिता– स्व॰ बलिराम सहनी, घोसवरी, मो. 9097950098

■ निजी मोटर पम्प धारक :–

1. रोहित कुमार–मनकौरा, मो॰ 9431098294
2. रमेश सिंह – मनकौरा, मो॰ 9931880301
3. रविन्द्र प्रसाद–बेलछी, मो॰ 9061814505
4. राम उदेश प्र॰–बेलछी, मो॰ 8294400470
5. बृज किशोर प्र॰–बेलछी, मो॰ 7631904954
6. राजमणी प्र॰– बेलछी, मो॰ 8409565053
7. योगेन्द्र यादव, पिता–परमेश्वर यादव, घोसवरी

■ वाटर टैंकर :–

1. श्री परमानन्द सिन्हा, श्री राम इन्टरप्राइजेज, जार्ड फैक्ट्री रोड,
   महात्मा गाँधी नगर, कंकड़बाग, पटना, मो. 9334540023
2. श्री विनोद कुमार राय, ग्राम–शिवनगर पोस्ट–दानापुर,
   मनेर, पटना मो. 9470895704
3. श्री कामेश्वर राय, माँ शिव जल सेवा, इन्द्रपुरी, रोड नं॰ 15
   पटना–800024, मो॰ 9334299397, 9334651010
4. श्री विनोद कुमार सिंह, ग्राम–हथियाकांध, पोस्ट सरारी, थाना– शाहपुर,
   दानापुर , पटना, मो. 9162120749
5. एस.ई. इन्जीनियरिंग प्र॰ लि॰ रॉयल सिटी, पुरा जमशा कॉलनी,
   दानापुर, पटना, मो. 9350795808

6. रणविजय कुमार यादव, पिता— नरसिंह यादव, (दैजना),
गोसाईटोला, पटना, मो. 8054071711

■ **निजी संवेदक एवं स्वयं सेवक :—**

1. रजीव कुमार सिंह—फतेहपुर, बेलछी, मो॰ 9934011738
2. ब्रजेश कुमार सिंह—मनजौर, बेलछी, मो॰ 9939505310
3. सविता देवी, पति शैलेन्द्र प्र॰ कंसारी, बेलछी, मो॰ 9939017943
4. रणविजय कुमार यादव, पिता— नरसिंह यादव, (दैजना), गंगासरी, मो. 8054071711
5. आशिष कुमार, पिता—रघु रजक सा॰ त्रिमुहान, मो. 7093127288
6. रविन्द्र कुमार, पिता—रामचन्द्र राम, कुर्मीचक, मो. 822089552
7. प्रमोद कुमार, पिता— शिवनन्द्र रजक, रायपुर, मो. 7250015178

अनुलग्नक –(91) छठ के मौके पर भीड़ नियंत्रण हेतु गठित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के दल :

क्र॰	दल	प्रतिनियुक्ति स्थल	दायित्व
1	नदी गश्ती	विभाजित सेक्टरों में मोटरबोट, नाव, लाइफ जैकेट, गोताखोर तथा फ्लैंकर युक्त	नाव पर **प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी** संबंधित घाटों पर सतत निगरानी एवं गश्ती करेंगे। नोडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करेंगे, सॅंध्या रिपोर्ट देंगे
2	एन.डी.आर.एफ., एस.डी.आर.एफ. दल	सभी सेक्टरों पर मोटर बोट, नाव, नाविक तथा एवं गोताखोर के साथ।	**सेक्टर पदाधिकारी** से समन्वय बनाते रखना तथा किसी भी आकस्मिक आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करना। सॅंध्या रिपोर्ट देना।
3	तालाब / बड़े जलाशयों पर व्यवस्था दल	सभी चिह्नित स्थलों पर	सभी स्थलों पर जनहित नियंत्रित करने के सारे संसाधन की व्यवस्था करना
4	प्रकाश व्यवस्था	घाट तथा सभी महत्वपूर्ण पहुँच मार्ग	नगर **निगम** तथा **बुडको, विद्युत विभाग** संयुक्त रूप से प्रकाश की व्यवस्था करेंगे तथा जेनरेटर एवं सर्चलाईट लाइट की भी व्यवस्था करेंगे।
5	घाटों की सफाई तथा बैरिकेडिंग	सभी घाटों पर	घाटों की सफाई, चूना, बालू भरना, ब्लिचिंग पाउडर आदि की व्यवस्था।
6	शौचालय एवं मूत्रालय	सभी घाटों पर (पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग)	**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** द्वारा पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग साईनेज सहित निर्धारित संख्या में शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था। सॅंध्या रिपोर्ट देना।
7	कपड़ा बदलने का कक्ष	सभी घाटों पर	**कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग** सभी घाटों पर अपारदर्शी महिला एवं पुरूष के लिए अलग–अलग कपड़ा बदलने हेतु रूम की व्यवस्था करेंगे।
8	महत्वपूर्ण निर्देशों / दूरभाष प्रदर्शन	सभी घाटों पर तथा पहुँच मार्गों पर	**जिला सूचना पदाधिकारी, पटना** द्वारा महत्वपूर्ण दूरभाष संख्या तथा निर्देशों का प्रचार–प्रसार करना। सॅंध्या रिपोर्ट देना।
9	पीपा पुल	यदि आवश्यक हो तो	**बिहार राज्य पुल निर्माण निगम** द्वारा दोनों छोरों पर दण्डाधिकारी तथा पुलिस बल के साथ उपस्थिति। सॅंध्या रिपोर्ट देना।
10	ह्यूम पाईप तथा पुलिया	यदि आवश्यक हो तो	**बुडको** द्वारा दोनों छोरों पर दण्डाधिकारी तथा पुलिस बल के साथ उपस्थिति। सॅंध्या रिपोर्ट देना।
11	नियंत्रण कक्ष	जिला मुख्यालय में	सभी सम्बंधित विभागों के **नोडल पदाधिकारी**, खोये हुए व्यक्ति तथा खोयापाया से प्राप्त रिपोर्ट पर कार्रवाई।
12	जलापूर्ति	सभी घाटों पर	**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** जलापूर्ति की व्यवस्था करेंगे तथा आवश्यकतानुसार वाटर टैंकर की व्यवस्था करेंगे।

13	चिकित्सा दल	सभी घाटों पर	**असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा** पदाधिकारी सभी घाटों तथा पूजा स्थलों पर चिकित्सक सहित एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे तथा आकस्मिक स्थिति के लिए निजी नर्सिंग होम को भी तैयार रखेंगे। सौरिस्थ रिपोर्ट देना।
14	फायर ब्रिगेड	अत्यधिक भीड़–भाड़ वाले घाटों पर	**अग्निशमन पदाधिकारी**, अनुमण्डलाधिकारी के निर्देश पर अग्निशमन की व्यवस्था करेंगे तथा सकीर्ण रास्ते वाले जगहों पर अग्निशमन की वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे।
15	सड़क मरम्मति	सभी पहुँच मार्गों पर	**पथ निर्माण** विभाग के द्वारा पहुँच मार्गों की मरम्मति एवं जल छिड़काव। सौरिस्थ रिपोर्ट देना।
16	यातायात	सभी मार्गों पर	**भवन निर्माण विभाग, पुलिस अधीक्षक यातायात** द्वारा ड्राप बैरिकेडिंग ड्रॉप गेट का निर्माण करेंगे। पुलिस अधीक्षक यातायात से सम्बंधित नक्शे को जनहित में जारी करेंगे तथा यातायात को सुचारू बनाये रखेंगे।
17	वाच टावर, सहायक नियंत्रण कक्ष, पार्किंग स्थल	विभिन्न घाटों पर निर्मित वाच टावर सहायक नियंत्रण कक्ष एवं अस्थायी पार्किंग स्थल	प्रतिनियुक्त **दंडाधिकारी** हैण्ड होल्ड माईक, मेगाफोन तथा दोनों ईगल लाईट के साथ वाचटावर पर रहेंगे तथा सम्पूर्ण भीड़ पर कड़ी नजर रखेंगे।
18	खतरनाक घाट	अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा घोषित	**नगर निगम, मुक्को** सभी खतरनाक घाटों पर छठव्रतियों को नहीं जाने का विनम्रतापूर्वक अनुरोध करेंगे।
19	विडियोग्राफी/सी.सी.टी.भी.	सभी घाटों पर	**अनुमंडल पदाधिकारी** द्वारा की गयी व्यवस्था से भीड़ पर नजर रखा जायगा।
20	पैदल गश्ती	सभी घाटों एवं सड़कों के लिए	**पुलिस केन्द्र पटना** द्वारा प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी भीड़ पर पैनकर नजर रखेंगे।
21	टेंट कुर्सी एवं माईक	चिह्नित घाटों पर	**नजारत–उप–समाहर्त्ता** टेंट एवं माईक की व्यवस्था करेंगे ताकि भीड़ प्रबंधन में आसानी हो।
22	बम तथा स्वान दस्ता	जिला नियंत्रण कक्ष	सूचना प्राप्त होने पर अल्प अवधि में सम्बंधित स्थल की जाँच करना तथा सौरिस्थ रिपोर्ट देना।
23	एन्टिसा बंदेह जाँच	सभी घाट एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थल तथा सड़कों पर	**अपर पुलिस अधीक्षक** अभियान एन्टिस बंदेह जाँच सुनिश्चित करेंगे तथा एस.डी.आर.एफ. के साथ प्रशिक्षित कर्मी की प्रतिनियुक्ति करेंगे।
24	महत्वपूर्ण घाटों पर गोताखोर	सभी महत्वपूर्ण घाटों पर	**मुक्को** व्यवस्था करेगा।
25	असूचना संग्रहण	सभी घाटों से	असामाजिक गतिविधियों से जुड़े किसी भी सूचना का जाँच–पड़ताल करना।
26	नागरिक सुरक्षा	उन सभी स्थलों पर जहाँ नागरिक सुरक्षा का क्षेत्र है।	विभिन्न वाच टावर तथा घाट पर स्वयंसेवकों को प्रतिनियुक्त करना तथा खोज एवं बचाव कार्य की जवाबदेही देना।
27	छठ पूजा समिति	समिति के सचिव, अध्यक्ष	घाटों पर प्रतिनियुक्त **दंडाधिकारी** पूजा समिति से समन्वय कर पूजा को शांतिपूर्वक निपटाने में सहयोग करेंगे।
28	छठ कण्ट्रोल	जिला में	**उप विकास आयुक्त** स्तर के पदाधिकारी एवं **आपदा प्रबंधन प्रभारी दंडाधिकारी** तथा स्थापना उप समाहर्त्ता संयुक्त रूप से सभी कार्यों का अनुश्रवण करेंगे तथा छठ सम्पन्न होने तक क्रियाशील रहेंगे।
29	अन्य अनुमंडल	जिला में सदर को छोड़ अन्य अनुमंडल के क्षेत्र	सम्बंधित **अनुमंडल पदाधिकारी** अनुमंडल में भीड़ नियंत्रण और छठ पर्व के सुसंचालन के लिए प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
30	अन्यान्य	सम्पूर्ण घाट/पूजा स्थल	पटाखे आदि के छोड़ने पर पूरी तरह नजर रखेंगे और किसी भी परिस्थिति में इसे नहीं छोड़ने देंगे
31	ब्रिफिंग एवंप्रशिक्षण	जिला/अनुमंडल स्तर पर	प्रतिनियुक्त सभी स्तर के कर्मियों का प्रशिक्षण एवं आवश्यकतानुसार एक या उससे अधिक दिनों का

अनुलग्नक –(92) विद्युत जन शिकायत कक्ष की सूची :

कार्यपालक अभियंता	2504535 / 9431004346		
पावर सब स्टेशन (पश्चिम सर्किल)		**पावर सब स्टेशन (पूरब सर्किल)**	
बोर्ड कॉलोनी	2287167 / 2280471	कंकड़बाग	6415535
एस.के.पुरी	2540763 / 2540292	अशोक नगर	2352699
पाटलीपुत्रा	2262257	बहादुरपुर	2352186 / 9304337204
दानापुर	06115–220502 / 9934904424	करबिगहिया	6420051
वेटनरी कॉलेज	2021324	गायघाट	6414777
दीघा	2561217	मीना बाजार	2631268
खगौल डी/एस	3208010	एन.एम.सी.एच.	6413327
एक्साइज कॉलोनी	2587424	मंगल तालाब	2642334
गर्दनीबाग	9234255301	मालसलामी	2645336
गार्डीखाना	06115.231287	कटर	2641354
जक्कनपुर	2244756	मछुआटोली	2671053
भुसौला	9934087093	राजेन्द्र नगर	2672853
अनीशाबाद	2252236	एस.के. मेमोरियल	6420904
राजापुर	6151464	पहाड़ी	9304591752
वाल्मी	3207993	सैदपुर	2685237
विकास भवन	2227384 / 3207993 / 9835402000		
विद्युत भवन	2222781		
सिंचाई भवन	2217244		
आई.जी.आई.एम.एस.	2280358		
ए.एन.कॉलेज	2275545 / 2200407		
बन्दर बगीचा	2222820 / 22317532 / 9234919305		
मौर्यलोक	2221337 / 9234919510		
पावर सब स्टेशन			
बाढ़	06132.242311		
मोकामा	9204503044		
बख्तियारपुर	9608094231		
हाथीदह	9097172519		
बिहटा (ओल्ड)	0612.2601341		
मनेर	06115.652054		
पालीगंज	9279100233		
लाल भदारा	06135.651090		
कनपा	06135.651208		
मसौढ़ी (न्यू)	0612.2434252		
मसौढ़ी (ओल्ड)	9934087824		
पुनपुन	9973953578		
सम्पतचक	9308893640		

अनुलग्नक –(93) विद्युत क्षमता :

विद्युत उपलब्धता : अन्य माँग और आर्थिक समृद्धि बनाए रखने के लिए बिजली को बुनियादी ढाँचा एक महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि उद्योग, व्यापार तथा आर्थिक प्रक्षेत्रों को बिजली की आवश्यकता होगी। वहीं अन्य महत्वपूर्ण सेवाएँ यथा स्वास्थ्य, पानी की आपूर्ति, ट्रैफिक नियंत्रण तथा संचार व्यवस्था के साथ ऐसी चीज है जो आधुनिक समाज का नुकसान करना होगा लम्बे समय तक बिजली के गुल रहने से इसका सीधा असर आर्थिक एवं सुरक्षा गतिविधियों पर पड़ता है

इसलिए आपदा के समय पुनर्बहाली सफल करने के लिए इन बिजली के साधनों को लचीलापन बनाए रखने की आवश्यकता है इन सभी कामों को सुचारू बनाये रखने हेतु पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है

- **पावर सब स्टेशन –**
  - 33/11 के.वी. क्षमता के कुल 51 पावर सब स्टेशन हैं। इन पावर स्टेशनों का होना बिजली सिस्टम को कायम रखने हेतु बहुत जरूरी है।
  - लगभग सभी पावर सब स्टेशन में अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर ताकि उनकी क्षमता को 5 एम.वी.ए. से 10 एम.वी.ए. तक बढ़ाया जा सके।
  - इसके अलावा सभी पावर सब स्टेशन को 33 के.वी. का अनेक स्रोत उपलब्ध कराये गये हैं ताकि आपदा की स्थिति में (एक स्रोत में बाधा होने पर) भी बिजली आपूर्ति बनाई रखी जा सके।
  - ऐसी आपदा की स्थिति में एक ट्रांसफॉर्मर से विद्युत आपूर्ति में बाधा होने के बावजूद कोई असर नहीं आयेगा क्योंकि अन्य ट्रांसफॉर्मर कार्यरत रहेंगे।
- **वितरण ट्रांसफॉर्मर –**
  - बिजली के उपकरण के द्वारा ही 11 के.वी. के बिजली को 440 वोल्ट में बदला जाता है। पूरे पेसू के क्षेत्र में 5000 वितरण ट्रांसफॉर्मर की स्थापना की गयी है। इन वितरण ट्रांसफॉर्मर को 50 से 60 प्रतिशत तक कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है।
  - प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर के साथ 'स्पेयर लोड' होने की वजह से किसी क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मर के जलने या क्षतिग्रस्त होने पर उन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति करने में सफल होता है।
- **33 के.वी. लाईन –**
  - यह वह संरचना है जो ग्रिड सब स्टेशन (132/33 के.वी.) तथा पावर सब स्टेशन (33/11 के.वी.) के बीच केबल नेटवर्क स्थापित किये हैं जो किसी आपदा से न्यूनतम संवेदनशील है।
- **11 के.वी. लाईन –**
  - यह वह संरचना है जो पावर सब स्टेशन (33/11 के.वी.) तथा ट्रांसफॉर्मर (11/0.4 के.वी.) में सम्पर्क स्थापित करता है 11 के.वी. लाईन का भूतल तथा एरियल बंच केबल ने बिजली सुदृढ़ता प्रदान की है।
- **आर.एम.यू. –**
  - शहर में 300 से ज्यादा रिंग मेन यूनिट लगाये गये हैं। आपदा की दृष्टि से आर.एम.यू. इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर किसी एक स्थान में क्षति होती है तो उससे विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होती है। आपूर्ति बाधित लाईन स्वतः अलग–अलग हो जाती है और आपूर्ति निर्बाध रहती है।
- **एफ.पी.आई. –**
  - फॉल्ट पासेज इण्डिकेटर का काम ही है कि वह हमें किसी प्रकार की गड़बड़ी को स्पष्ट बताता रहे। सभी 33 के.वी. तथा 11 के.वी. लाइनों में 547 एफ.पी.आई. लगाया गया है। अतः आपदा से हुई क्षति को आसानी से पहचान सकेंगे।
- **न्यूमीरीकल रिले –**
  - यह एक अत्यन्त आधुनिक, संवेदनशील तथा विश्वसनीय उपकरण है जो लगभग 300 रिले उपकरण के माध्यम से सम्भावित क्षति से किसी भी 'फीडर' को बचा लेती है इससे विद्युत आधारभूत तथा विद्युत उपकरण की सम्भावित क्षति से बचाने में सुविधा होती है।

यह बताने की आवश्यकता है कि पेसू ने अपने को किसी भी आपदा की स्थिति में विद्युत पुनर्बहाल करने हेतु अत्याधुनिक मशीनी उपकरण लगा रखे हैं। साथ ही सभी वृहद संस्थानों यथा पी.एम.सी.एच., एन.एम.सी.एच., आई.जी.आई.एम.एस., हवाई अड्डा, दानापुर कैन्टोनमेंट, बी.आई.टी. दोनों को ग्रिड से एक से ज्यादा स्रोत से बिजली आपूर्ति करती है।

अनुलग्नक –(94) बाढ़ प्रमंडलों के अभियंता एवं उनके अधीन पड़ने वाले तटबंधों की सूची :

क्र.सं.	बाढ़ प्रमंडल	मुख्यालय	तटबंध
1	कार्यपालक अभियंता, सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल	खगौल	1. दीघा–मनेर (कि.मी. 28.80 से 80.60) 2. सोनाबाद–मनेर (कि.मी.50.00 से 85.20 एवं कि.मी. 0.00 से 25.00)
2	कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल	पटना सिटी, करबिगहिया	पुनपुन बाया तटबंध (पुनपुन रेलवे लाईन से गौरीचक–चेन सं. 764 से 1245 एवं खजूरी चेन सं. 0 से 189)
3	कार्यपालक अभियंता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल	दीघा	आरडी सं. 10.8 (नरियलगढ़) से आरडी 29.8.9 मईल
3(ए)	कार्यपालक अभियंता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल	दीघा	1. दानापुर बिहटा तटबंध (0.00 आरडी से 22.00 आरडी) 2. ढेंगनाला बायां तटबंध (0.00 आरडी से 12.25 आरडी) 3. ढेंगनाला दायां तटबंध (0.00 आरडी से 3.250 आरडी) 4. पसरी नाला बायां तटबंध (0.00 आरडी से 07.10 आरडी) 5. पसरी नाला दायां तटबंध (0.00 आरडी से 05.60 आरडी)
4	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल	बाढ़	**घोसवरी अंचल**–लगुचक ईशानगर शहरी, रामपुर नारायणपुर, चकशम्स अब्दुल्लापुरकुमीचक, मालपुर, रामनगर कुमीचक, पैजुना
5	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल	बख्तियारपुर	**अथमलगोला अंचल**– जमींदारी बांध करजान से सूरजपुर, फुलेपुर, आरापुर (5.49 कि.मी.), जमीन्दारी बांध धमलचक (3.51 कि.मी.), सिरीसगापुर जमींदारी बांध (4.2 कि.मी.)
6	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल	बख्तियारपुर	**बाढ़ अंचल**– जमींदारी बांध रोहम, नहरोंस, नेलौर, बेउना, नदवा, जांबार
7	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल	बख्तियारपुर	**पंडारक अंचल**– जमींदारी बांध परूअने चककुनाल, परसण्डा रामपुर
8	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल	बख्तियारपुर	**बेलछी अंचल**– जमींदारी बांध मुहम्मदपुरचक मीरगढ़, बिशुनपुर मलचक, बिशुनपुर, अहरती, बलौरी, भिलोचक, बंदीचक, खलीलचक, कैमा,कैमरचौक अमौली, दल्लुचक, अजरकाबे शादकसोहर एवं महमूद शादकशाहपुर
9	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल	बख्तियारपुर	**बख्तियारपुर अंचल**– जमींदारी बांध रूपाइस (8.14 कि.मी.), सिरसी (2.70 कि.मी.) टोंक (5.89 कि.मी.), विधिपुर (5.90 कि.मी.), रामना(4.57 कि.मी.), रानीसोपुर (ईदपुर) लगनपुर (0.75 कि.मी.), बहादुरपुर (बाहापुर) (5 कि.मी.)

अनुलग्नक –(95) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के पास उपलब्ध विभिन्न मशीन उपकरण :

S/No.	Name of Each Equipment	AUTH	AVAIL	DEF
I	**CSSR EQUIPMENT**			
1.	Generator Portable 2500 W Kerosene fuel	78	65	13
2.	Chipping Hammer Bosch or eqpt. . 1050 W. Lmp 280/mte	72	72	-
3.	Rotary rescue saw petrol driven (Partner or eqpt)100cc	72	22	50
4.	Angle cutter (electric) Partner or epqt 2300 W 4500 – 5500 mm	90	75	15
5.	Diamond tipeped blade (dia. 300 mm) for angle cutter	90	80	10
6.	Composite blade Replacement for angle cutter (dia 300 mm)	900	637	263
7.	Reciprocating saw (Hitachi, Dewalt or eqpt) 600 W 2600st/m	72	60	12
8.	Reciprocating saw blade metal L – 150 mm 24 TPI	720	720	--
9.	Reciprocating saw blade Wood L 240 MM 5 TPI	720	720	--
10.	Circular saw (Hitachi/Dewalt or eqpt) 1800 w. 5500 rpm	72	66	06
11.	Circular saw carbide tip blade dia 235 mm	72	72	-
12.	Electric drill (Bosch GBM 10 or eqvt) 420 W. 2200 rpm at no	72	60	12
13.	Key hole saw complete set with 4 different sizes of saws	72	65	07
14.	Electric drill bit set (complete set of 19 bits)	72	26	46
15.	Rotary Hammer drill (Bosch GBH 2.24 or eqpvt) 620 W, 4850	72	66	06
16.	Rotary drill bit dia 200 mm, 10" long (SDS tpe of eqvt)	72	65	07
17.	Ventilator and air tube with mortar length 7 MD 12"	36	30	06
18.	Hydraulic jack 10 T (Gerpruffe Sicherchrif GS/CE or eqvt)	72	01	71
19.	Come along 1.5 T capacity with std length 1.5 M (Titan or eqvt)	06	05	01
20.	Diamond tip replacement blade 12" for rotary rescue saw	36	05	31
21.	Chipping Hammer Bits – flat (12"x18" dia: 19mm) Bosch SDS	18	16	02
22.	Chipping Hammer Bits Pointed (12"x18" dia: 19mm) Bosch SDS	18	16	02
23.	BA sets light weight with spare cylinders	36	33	03
24.	Bullet chain saw	18	15	03
25.	Distress signal unit	216	180	36
26.	Portable shelters 10' x 14'	36	30	06
27.	Portable shelters 10'x 23'	36	35	01
28.	Power pack with unit tool	18	--	18
29.	PVC Suit	36	34	02
30.	Ramset with matching foot pump	18	15	03
31.	Inflatable Lighting Tower	18	16	02
32.	Cordless Hammer drill	18	15	03
33.	Drill bit set for cordless drill	36	30	06
34.	Spare battery for cordless hammer drill	36	30	06
35.	Gas cutter 450 mm (Heavy duty)	18	18	--

36.	Gas cutter/ regulator	18	18	--
37.	LPG Cylinder /Acetylene cylinder	36	30	06
38.	Oxygen cylinder 30 – 35 Kgs	36	30	06
39.	Rubber pipe Dupone type	18	18	--
40.	Air lifting bag set with ari cylinder	06	05	01
41.	Combination Cutter With Spreader	06	05	01
42.	Diamond chain saw	06	06	-
43.	Hand Held Gas Detector	12	--	12
44.	Floating pump	06	05	01
45.	Hammer drill concrete	06	05	01
46.	Portable Light weight high Pressure Pump	06	--	06
47.	Multi cable winch	06	05	01
48.	Portable generator set 10.5 KVA	06	06	--
49.	Victim location unit (with breeching system)	06	05	01
50.	Base station with essentials accessories (25 watts)	24	--	24
51.	Leak tester for testing respiratory eqpts	01	01	-
52.	Thermal Imaging camera	02	02	-
53.	Life Detector Type-I	02	03	-
54.	Life Detector Type-II	02	02	-
55.	Video camera with accessories	03	03	-
56.	Petrol operated Wood/ Tree cutter	-	04	-
57.	Portable Generator EU 701SN RDT	-	05	-
58.	Water Jet blankets (8'x6')	12		12
II	**MFR &AMBULANCE EQUIPMENT**			
1.	Portable Ultra Sound Machine	01	-	01
[redacted]	[redacted] **EQUIPMENT**			
1.	Teletector	12	12	-
2.	Gm survey meter	36	36	-
3.	Contamination monitor	36	36	-
4.	Mini rod meter	12	12	-
5.	Portable alpha contamination monitor	06	07	-
6.	Electronic dosimeter	279	276	03
7.	Beta gamma counting system	02	01	01
8.	Alpha counting system	01	-	01
9.	Micro survey paper/meter	12	12	-
10.	Breathing apparatus set with spare cylinders	12	12	-
11.	Integrated hood mask	18	06	12
12.	Respirator (gas mask) with 2 canisters	270	111	159
13.	Butyl rubber gloves (inner & outer)	270	31	239
14.	NBC over boots	270	107	163
15.	Water poison detection kit	06	04	02
16.	Residual vapour detection kit	06	06	-
[redacted]	[redacted] colour detection paper	270	253	17
18.	Personal decontamination kit	270	98	172
19.	NBC first aid kit Type'A'	24	-	24
20.	NBC first aid kit Type 'B'	04	-	04
21.	Portable decontamination apparatus	12	15	-
22.	Resuscitator	36	18	18
23.	Portable gamma spectrometer	01	-	01
24.	C W sampling kit	08	08	-
25.	Decontamination	06	-	06
26.	NBC suits permeable	125	105	20
27.	NBC suits impermeable	72	01	71
28.	Multi gas detector	02	-	02
29.	'A' level suits	12	04	08
30.	Latex gloves (pairs)	432	382	50
IV	**WATER RESCUE EQUIPMENT**			

अनुलग्नक–(96) राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के पास उपलब्ध विभिन्न मशीन उपकरण :

LIST OF DISASTER MANAGEMENT EQUIPMENTS

Medical First Responder (MFR)

LIST OF DISASTER MANAGEMENT EQUIPMENTS
Medical First Responder (MFR)

क्र.सं.	सामग्री का नाम	आवश्यकता	उपलब्ध	शेष की जरूरत
1	Bite Sticks	90	30	60
2	Blood Pressure Cuff With Dial	90	30	60
3	Collar Stiff Neck Short	144	48	96
4	Collar Stiff Neck Regular	144	48	96
5	Collar Stiff No Neck	144	48	96
6	Collar Stiff Neck Paediatrics	144	48	96
7	Collar Stiff Neck Tall Imported	144	-	144
8	Pocket Mask (Cpr) (Microshield)	90	30	60
9	Dressing abdominal 7-12”	72	24	48
10	Gauze Dressing Vaseline	216	72	144
11	Glasses Eye Protection	900	-	900
12	Dressing multi trauma 12”x3”	180	-	180
13	Obstetrical Kit Disposable	180	24	156
14	Pen Light	100	30	70
15	Regular Oxygen Lsp # 170-02 Withlight Weight Cylinder (6”Ltrs)	90	30	60
16	Restrain Patient- 1pc 8”Strap	144	-	144
17	Restrain Patient- 2pc 8”Strap	144	-	144
18	Scissors Paramedical	90	30	60
19	Stethoscope	90	30	60
20	Sponge Sterile 4x4”	10800	3600	7200
21	Tape Dermical/Cloth 1”	432	144	288
22	Tape Dermical Cloth 2”	648	216	432
23	Wooden Spine Board Ful And Half With Velero	90	-	-
24	Kit Carrying Bag Nylon	90	30	60
25	Full Kit Bag Hard	18	18	-
26	Band Aid 1”X3”(Pkts)	180	-	180
27	Bandage Kling 6”(5m Roll)	864	216	648
28	Bandage Kling 3”(5m Roll)	864	216	648
29	Bandage Triangular 40”x40”	864	288	576
30	Cup Paper Hot/Cold 8 Ounce	360	-	360
31	Depressor- Tongue	90	30	60
32	Gloves Sterile Latex Medium	1800	600	1200
33	Gloves Sterile Latex Large	5400	1800	3600
34	Gloves Sterile Latex X Large	5400	1800+790	2590
35	Mask Oxygen Adult Non Re-Brether Universal Size	180	60	120
36	Mask Oxygen Paediatric Non Re-Brething Universal Size	180	60	120
37	Mask Universal Size	1800	3000	-

38	Oxygen Cannula Nasal	90	30	60
39	Triage Ribbon Green (50m Roll) Tape	72	24	48
40	Triage Ribbon Red (50m Roll) Tape	72	24	48
41	Triage Ribbon Black(50m Roll) Tape	72	24	48
42	Triage Ribbon Yellow (50m Roll) Tape	72	24	48
43	Bandage Elastic 3” Ace (2.7 M)	648	216	432
44	Bandage Elastic 6” Ace (2.7 M)	648	216	432
45	Padded Board Splint (Wooden) Short	180	180	-
46	Padded Board Splint (Wooden) Medium	180	180	-
47	Padded Board Splint (Wooden) Large	180	180	-
48	Menkin Face Shield 100 Cc/Pkt	54	18	36
49	Bag Value Mask- Adult (Disposable)	90	06	84
50	Bag Value Mask- Child (Disposable)	90	30	60
51	Flexible Splint (Large/Medium/Small)	216	216	-
52	Peneumatic Spling Set	36	36	-
53	Portabe Suction Equipment	02	01	01
54	Mannual Suction Unite	02	06	-
55	Infantry Pack (Cpr Manikin) 05 Pcs With Lugs Pag	06	06	-
56	Sqiardrpm Plus (Cpr Mannikin) 05 Pcs	06	06	-
57	Ob Manikin	01	06	-
58	Stetho Scope	25	30	-
59	BP Apparatus Digital	19	06	13
60	BP Apparatus Mercury	25	12	13
61	Oxygen Cylinder 680 ltr.	19	19	-
62	Thermometer Digital	78	24	54
63	Otoscope & Nasal Speculum	19	06	13
64	Autoclave	19	06	13
65	Bag Value Mask Adult (Silicon)	19	06	13
66	Bag Value Mask Child (Silicon)	19	06	13
67	Bag Value Mask Infant (Silicon)	19	16	13
68	Sterilizing Drum	19	06	13
69	Torch	78	24	54
70	Glucometer	19	06	13
71	Emergency Tray With Lid SS	19	06	13
72	Tray With Lid SS	38	12	26
73	Artery Forceps Steraight	76	24	52
74	Artyry Forceps Curved	114	36	78
75	Cheatles Forceps	19	06	13
76	Kidney Tray SS	38	12	26
77	Urine Can SS	38	12	26
78	Bowl SS Small	19	06	13
79	Stretcher/Spine Board With Accessories	147	147	-
80	Laryngoscope	38	12	26
81	Plier 8”	72	24	48
82	Chisel for Concrete ½”	72	24	48
83	Chisel for Concrete 1”	72	24	48
84	Spades	180	60	120
85	Round Shovel 8x8”	72	24	48

86	Spade Shovel 12x10”	72	24	48
87	Screw Driver Set	72	24	48
88	Hacksaw 12”Tubular With Blade	72	24	48
89	Hand Saw	-	02	-
90	Tin Snip 12”	72	24	48
91	Sledge Hammer 7kg	144	35	109
92	Sledge Hammer 10kg	144	35	109
93	File Flate 12”	72	24	48
94	Carpenter Hammer 3”	144	48	96
95	Extension Cord	72	72	-
96	Dust Mask	1800	600	1200
97	Mega Phone	72	72	-
98	Angle Cutter	90	90	-
99	Diamond Tipped Blade For Angle Cutter	90	90	-
100	Composite Blade For Angle Cutter	900	900	-
101	R.P. Saw	72	72	-
102	R.P. Saw Hlade For Mettle	720	720	-
103	R.P. Saw Hlade For Wood	720	720	-
104	Circular Saw	72	72	-
105	Circular Saw Carbide Blade	72	72	-
106	Electric Drill Machine	72	24	48
107	Key Hall Saw Complete Set	72	24	48
108	Electric Drill Bit Set	72	24	48
109	Rotary Hammer Drill	72	72	-
110	Hydrolic Jack	18	18	-
111	Come Along 1.5 T	18	06	12
112	Diamond Tip Replacement Blade 12” for R.P. Saw	36	12	24
113	Chipping Hammer Bits Flat	18	12	06
114	Chipping Hammer Bits Pointed	18	12	06
115	Safety Vest	72	274	+202
116	Scene Tap 100m Roll	72	02	70
117	Hack Saw Replacement Blade 12”L	72	24	48
118	Ear Plug	3600	1200	2400
119	Knee Pad Cusion 1”	144	144	-
120	Heavy Duty Work Gloves	144	48	96
121	Fire Extinguisher 20 LBS	72	72	-
122	Tarpaulin 4”x4”	144	144	-
123	Tarpaulin 6”x6”	144	144	-
124	Nose Mask	1800	600	1200
125	Traffic Cones	90	30	60
126	Face Shield	72	18	54
127	Generator Portable 2500w Kerosene Fuel	78	24	54
128	Chipping Hammer Mdm Weight	72	56	16
129	Personal Diving Kit	12	12	-
130	High Pressure Breathing Air Compressor	02	02	-
131	Electric Blower	-	06	-
132	Whishel Set	-	250	-
133	Full Kit Bag Hard	-	18	-

134	Safety Helmet	82	274	548
135	Bullet Chin Saw	18	18	-
136	Inflatable Lighting Tower	18	18	-
137	Cordless Hammer Dril	18	06	12
138	Drill Bit Set For Cordless Srill	36	12	24
139	Spare Battery For Cordless Hammer Drill	36	12	24
140	Combination Cutter With Spreaders	06	06	-
141	Portable Light Weight High Pressure Pump	06	06	-
142	Multi Cable Winch	06	06	-
143	Generator Portable Set 10 Kva Silent Type	06	02	04
144	Video Camera With Accessories	03	01	02
145	Diamond Chain Saw With 16"Guide Bar And Chain	06	03	03
146	Replacement 16"Dia Diamond Tipped Blade	-	36	-
147	Chipping Hammer Heavy Duty	-	18	-
148	Chipping Hammer Heavy Duty Bit Flat	-	02	-
149	Chipping Hammer Heavy Duty Bit Pointed	-	02	-
150	Boat	-	73+ (3 Trai..)	76
151	OBM	-	73+ (3 Trai..)	76
152	Replacement 16"Diamaond Tipped Blade	-	36	-
153	Drill Bits For Rottary Hammer	-	24	-
154	Tower Light	-	18	-

अनुलग्नक–(97) आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर मुखिया एवं सरपंच का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण:

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना– 800001

विषय :– आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर मुखिया एवं सरपंच का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण।

जिला :– पटना।

दिनांक :– 08–09 मार्च, 2018

मास्टर ट्रेनर्स की सूची

क्र० सं०	प्रखण्ड का नाम	नाम (Name)	पदनाम (Designation)	पंचायत का नाम (Name of Panchayat)	मोबाईल नं० (Mobile Number)
1	पटना सदर	श्री शंकर प्रसाद	मुखिया	पुनाडीह	9472647302
2	पटना सदर	श्री मनोज कुमार	सरपंच	मरची	9135251729
3	फुलवारीशरीफ	श्री रवि कुमार	मुखिया	कुरकुरी	9709651804
4	फुलवारीशरीफ	श्री प्रभात कुमार	सरपंच	कुरकुरी	8678906391
5	फुलवारीशरीफ	श्री संतोष कुमार	सरपंच	मैनपुर अंदा	7488199796
6	सम्पतचक	श्री राम नाथ यादव	मुखिया	बैरिया कर्णपुरा	8651868515
7	मनेर	श्री राधेश्याम सिंह	मुखिया	किताचौहत्तर (मध्य)	9934988071
8	मनेर	श्री सुबोध कुमार	सरपंच	किताचौहत्तर (मध्य)	9835425928
9	बिहटा	श्री दिनेश कुमार	सरपंच	कुन्जवाँ	9934597293
10	नौबतपुर	श्री सुदर्शन पंडित	मुखिया	जैतीपुर	7488346512
11	नौबतपुर	श्री मनीष कुमार	सरपंच	जैतीपुर	9608129582
12	विक्रम	श्री सुशील कुमार	मुखिया	मोहीयावाँ, शिवगढ़	9308874902
13	विक्रम	श्रीमती विभा देवी	सरपंच	महजपुरा	7250119320
14	दुल्हिन बाजार	श्री चन्दन कुमार	मुखिया	अण्डआ, एकसीवा	9546915620
15	दुल्हिन बाजार	श्री रजनीकान्त	सरपंच	उत्तर सोरमपुर	9431295119
16	पालीगंज	श्री फिरोज आलम	मुखिया	जरखा	8809447646
17	पालीगंज	श्री राज रंजन वर्मा	सरपंच	मरहरा	8210263481
18	मसौढ़ी	श्रीमती नीरु देवी	सरपंच	बेरा	9931473804
19	पुनपुन	श्री सतगुरु प्रसाद	मुखिया	पुनपुन	9430253046
20	पुनपुन	श्री अजय कुमार	सरपंच	अकौना	9304079572
21	धनरुआ	श्री शंकर कुमार	मुखिया	नदवाँ	7903206842
22	धनरुआ	श्री अजय पासवान	सरपंच	विजयपुरा	7833066901
23	फतुहाँ	श्री दिलीप कुमार	मुखिया	मोइउद्दीनपुर	9835682337
24	फतुहाँ	श्री जितेन्द्र कुमार	सरपंच	उस्फा	6201606090

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	नाम (Name)	पदनाम (Designation)	पंचायत का नाम (Name of Panchayat)	मोबाईल नं0 (Mobile Number)
25	खुशरुपुर	श्री उपेन्द्र पासवान	मुखिया	हैवतपुर	9122747009
26	खुशरुपुर	श्री विजय कुमार	सरपंच	हैवतपुर	9934992482
27	बख्तियारपुर	श्री मनोज कुमार	मुखिया	हरदासपुर दियारा	9905804686
28	अथमलगोला	श्री राणा पंकज कुमार	मुखिया	रामनगर दियारा	6252035780
29	अथमलगोला	श्री नवीन कुमार सिंह	सरपंच	रामनगर दियारा	9905671908
30	बेलछी	श्री अभिमन्यु कुमार	मुखिया	अन्दौली दर्वेशपुर	7004390314 9905067666
31	बेलछी	श्री सतिश चन्द प्रियदर्शी	सरपंच	सकसोहरा पश्चिमी	7903517841 8651327208
32	बाढ़	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	मुखिया	राणा बिगहा	9905999995
33	बाढ़	श्री आनन्द मोहन सिंह	सरपंच	राणा बिगहा	9308702787
34	पण्डारक	श्री मनोज राम	मुखिया	कोन्दी	9709745029
35	पण्डारक	श्री मणिकान्त साव	सरपंच	बिहारी बिगहा	9504256625
36	घोसवरी	श्रीमती ममता देवी	मुखिया	घोसबरी	7488741697
37	घोसवरी	श्री मनोज कुमार	सरपंच	कुर्मीचक	6200394327
38	मोकामा	श्री मुकेश कुमार	मुखिया	रामपुर डुमरा	9955607078
39	मोकामा	श्री राम सिंह	सरपंच	रामपुर डुमरा	7050692340
	दिनांक :– 16–17 अगस्त 2018 (जो दिनांक 08–09 मार्च, 2018 को अनुपस्थित थे)				
40	दनियावाँ	श्री ब्रहम्देव ठाकुर	सरपंच	खरभैया	9334822315
41	बख्तियारपुर	श्री गणेश कुमार	सरपंच	मंझौली	7739164164
42	दानापुर	श्री शंकर चौधरी	मुखिया	लखनी बिगहा	9304819122
43	दानापुर	श्री राकेश कुमार	सरपंच	कोथवाँ	7488466287

20/8/18

अनुलग्नक – (98) जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य :

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अन्तर्गत इनका विस्तृत उल्लेख है। आपदा का निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी कालखंड में इनको प्रदत्त शक्तियाँ तथा कृत्य को नीचे वर्गीकृत किया गया है।

(क) आपदा निवारण एवं शमन काल धारा 30 की उपधारा –

(v) विभिन्न जिलास्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हो ,

(vi) जिला स्तर पर सरकारी विभाग और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा

(viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा ,

(ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा ,

(xx) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका के या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको मार्गनिर्देश दे सकेगा .

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उसका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा .

(xxiii) जिले के किसी क्षेत्र में संनिर्माण की जाँच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे संनिर्माण के लिए अधिकथित मानक का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया है, संबद्ध प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो निदेश दे सकेगा .

(ख) पूर्व तैयारी धारा 30 की उपधारा –

(x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए सभी की क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हो ,

(xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकारियों को जहाँ कोई आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा .

(xii) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्त्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा .

(xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से समुदाय शिक्षण प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुलभ बना सकेगा .

(xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना का प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा

(xv) जिला स्तर पर मोचन योजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा .

(xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें .

(xviii) जिला स्तर पर राज्य सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निदेश दे सकेगा .

(ग) आपदा मोचन काल धारा 30 की उपधारा –

(xvi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा ;

(xxiv) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान कर सकेगा जिनका किसी आपदा की आशंका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय तथा स्वच्छता की व्यवस्था कर सकेगा .

(xxv) राहत सामग्री और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा .

अनुलग्नक – (99) सर्वेक्षण आधारित 5% पंचायतों में आपदा चिह्निकरण :

प्रखंड	पंचायत	बाढ़	भूकंप	सुखाड़	ओलावृष्टि	आग	औद्योगिक दुर्घटना	सड़क दुर्घटना	शीत लहर	लू	भीड़ / मेला	नीलगाय / सुअर	तूफान	भू कटाव
दुल्हिन बाजार	सलारशोरमपुर	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—
	आहुआरकरीमा	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—
विक्रम	अख्तियारपुर	—	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—
दानापुर	काशीमचक	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	✓	—	—
मनेर	शेरपुर पश्चिमी	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	किता चौहत्तर	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓
	ब्यापुर	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	—	—
मसौढ़ी	सिकन्दरपुर	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—
	नदौल	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—
फतुहा	कोलहर	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—
नौबतपुर	फरीदपुर	—	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
फुलवारीशरीफ	रामपुर फरीदपुर	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—	✓	—	—
सम्पतचक	कलाप पारनपुर	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पुनपुन	पोठही	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
बेलछी	कोरारी	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
बाढ़	एकडंगा	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—
अथमलगोला	रामनगर	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—
	कुल	8	11	14	2	12	3	9	4	4	2	4	1	1

- मुख्य आपदाएँ : आग / भूकंप / सुखाड़ / सड़क दुर्घटना तथा बाढ़ सबसे प्रबल खतरा है
- **आकस्मिक आपदाएँ** :जिले में शीतलहर / लू तथा नीलगाय एक औसत खतरे के रूप चिह्नित है।

अनुलग्नक–(100) सर्वेक्षण आधारित 5%अनुमंडल स्तरीय बैठक के आधार पर चिन्हित खतरे तथा जोखिम:

अनुमंडल	प्रखंड	पंचायत	भूकम्प	आग	सूखा	सड़क दुर्घटना	शीतलहर	बाढ़	वज्रपात	अन्य
पालीगंज	पालीगंज	धरहरा	✓	x	x	✓	x	x	x	
		नया पतना	✓	✓	✓	x	✓	x	x	
		रूढ़सं पैगंबरदाहा	✓	✓	x	x	x	x	x	
		चंडोस	✓	x	✓	x	x	x	x	
	दुल्हिन बाजार	सोनिवान	✓	x	x	x	x	✓	✓	
		रानीपुर	✓	x	✓	✓	x	x	x	
		सांडा	✓	✓	✓	x	x	x	x	
		धाना निसरपुरा	✓	x	✓	x	x	x	x	
		काब	✓	x	✓	x	x	x	x	
		ऐनखाँ	✓	x	✓	✓	x	x	x	
		अछुआ तड़ैया	✓	x	✓	✓	x	x	x	
		भरतपुरा	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
		नरही पिरही	✓	✓	✓	x	x	x	x	
	बिक्रम	गोरखरी	✓	✓	✓	x	x	x	x	
दानापुर	दानापुर	पतलापुर	✓	✓	x	x	x	x	x	जंगली सूअर
		पुरानी पानापुर	✓	✓	x	x	x	x	x	नीलगाय
		कासिमचक	✓	✓	x	x	x	x	x	भूस्खलन
		हलमपुर	✓	✓	x	x	x	x	x	नीलगाय भू-कटाव, जंगली सूअर
		गंगहारा	✓	✓		✓				
	मनेर	सराय	✓	✓		✓	✓	✓	x	नीलगाय
		दरवेशपुर दक्षिणी	✓	x		✓	✓	✓	x	
		शेरपुर पूर्वी	✓	✓	x	✓	x	✓	x	नीलगाय
	बिहटा	अमहरा	✓	✓		✓	✓	✓	x	नीलगाय / सुअर
		बिष्णुपुर	✓	✓		✓	✓	✓	x	नीलगाय / सुअर
		कूराम	✓	x		x	✓	x	x	
		जौंरिया	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	भूस्खलन रेल दुर्घटना
		दिलावरपुर दौलतपुर	✓	✓	x	✓	✓	x	x	नीलगाय
		राघोपुर	x	x	✓	✓	✓	x	✓	
		आनन्दपुर	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	
		परेव	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	डाल का डर रसायन का डर
		पैनाठी	✓	x	✓	✓	✓	x	x	नीलगाय, डेंगू रोग
		सदीसोपुर	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	
	नौबतपुर	तरेत	✓	x	✓	x	x	x	✓	

पटना सदर	पटना सदर	पटना सदर	✓	✓	x	✓	x	फ्लश फ्लड	x	रेल दुर्घटना डूबना
		नकटा दियारा	✓	✓	x	x	x	✓	x	नाव दुर्घटना
	फुलवारीशरीफ	अलमपुर गोनपुरा	✓	x	x	x	x	x	x	शहरीकरण नीलगाय
		[illegible]	✓	x	x	x	x	x	x	नीलगाय
		कुरथौल	✓	x	x	x	x	x	x	नीलगाय
		परसा बाजार	✓	x	x	✓	x	x	x	रेल दुर्घटना
		शिवाला	✓	x	x	✓	x	x	x	नीलगाय
		[illegible]		x						[illegible]
		बी०एम०पी / बीडीओ	✓	✓	x	✓	x	x	x	नीलगाय
	संपतचक	[illegible]	✓	✓	x	x	x	✓	x	[illegible] नीलगाय
		[illegible]	✓	✓	x	x	x	✓	x	
		[illegible]	✓	x	x	x	x	फ्लश फ्लड	x	
		[illegible]	✓	x	x	x	x	x	x	[illegible]
		बैरिया [illegible]	✓	✓	x	x	x	✓	x	नीलगाय
		[illegible]	✓	x	x	x	x	x	x	
		बी०डी०ओ०	✓	✓	x	✓	x	✓	x	भूकम्प
मसौढ़ी	मसौढ़ी	[illegible]	✓	✓	✓	x	x	x	x	नीलगाय
	पुनपुन	पुनपुन बीडीओ	✓	x	x	✓	x	x	x	डूबना
पटना सिटी	फतुहा	[illegible]	✓	x	x	✓	x	x	x	रेल दुर्घटना
		फतुहा	✓	x	x	x	x	x	x	रेल दुर्घटना
		नसाई	✓	x	✓	✓	x	x	x	डूबना
		[illegible]	✓	x	x	x	x	x	x	नीलगाय
		अलावलपुर	✓	x	x	x	x	x	x	नीलगाय
		[illegible]	✓	x	x	x	x	x	x	डूबना [illegible]
		[illegible]	✓	x	x	x	x	x	x	भूकम्प / [illegible]
		[illegible]	✓	x	✓	x	x	x	x	नीलगाय
		[illegible]	✓	x	x	x	x	x	x	भूकम्प
		[illegible]	✓	x	✓	✓	x	✓	x	
		[illegible]	✓	✓	✓	✓	x	x	x	नीलगाय
		फतुहा [illegible]	✓	x	x	✓	x	x	x	भू–कटाव / भीड़ [illegible]
	दनियावां	शाहजहांपुर	✓	x	x	✓	x	x	✓	[illegible]
		सलारपुर	✓	x	x	✓	x	✓	x	
		दनियावां	✓	x	x	✓	x	x	✓	जल स्तर नीचे
	खुशरूपुर	[illegible]	✓	x	x	x	x	x	x	बन्दर
		नगर पंचायत	✓	x	x	x	x	x	x	बन्दर
		बैकटपुर	✓	x	x	x	x	✓	x	भीड़ मंदिर में डूबना

बाढ़	बाढ़	रणा बिगहा	✓	✓	x	x	x	x	x	नीलगाय, सुअर
		अनवरपुर	✓	✓	x	x	x	x	x	नीलगाय
		नदगांव	✓	x	x	x	x	✓	x	
	बख्तियारपुर	रननगर	✓	x	x	x	x	x	x	
		मिर्सा	✓	✓	x	x	x	✓	x	नीलगाय, सुअर जर्मन कटाव
		हिदायतपुर सैदपुर	✓	✓	x	x	x	x	x	नीलगाय
		करनौती	✓	x	x	x	x	x	x	नीलगाय
		रूपस महाजी	✓	✓	x	x	x	✓	x	नीलगाय
		रूपस चैकठा	x	x	x	x	x	x	x	x
		नगर पंचायत	x	x	x	x	x	x	x	x
		नेगजपुरा	✓	✓	x	x	x	✓	x	
	घोसवारी	बैंडाओं	✓	x	x	x	x	✓	x	जल जमाव
	मोकामा	नकरा	✓	✓	x	✓	x	✓	x	नीलगाय, सुअर डूबना, आग
		जसला दियारा	✓	✓	x	x	x	x	x	नीलगाय सुअर भूकटाव
	अथमलगोला	करजान	✓	x	x	x	x	x	x	नीलगाय, सुअर
		उसमानपुर	✓	✓	x	x	x	x	x	नीलगाय, सुअर भूकटाव
		जलालपुर	✓	x	x	x	x	x	x	नीलगाय, सुअर भूकटाव
	बेलछी	लोदानी	✓	✓	✓	x	x	✓	x	भूकटाव
		सकलहर पुरी	✓	✓	✓	x	x	x	x	
	पंडारक	बरुआने	✓	x	x	x	x	✓	x	फसल नष्ट
		ढीबर	✓	x	x	x	x	✓	x	भूकटाव / नहर फटना
		रंदी	✓	✓	x	✓	x	✓	x	भूकटाव, डूबना, NTPC
		अजगरा	✓	x	x	x	x	✓	x	नीलगाय
		टेकुआरा	✓	x	x	✓	x	x	x	
		चकजलाल	✓	x	x	x	x	x	x	काई

कारक आपदाओं के :

भूकंप : पक्के मकान, घनी आबादी ।
सूखा : सिंचाई की व्यवस्था का अभाव, मिट्टी की प्रकृति (बलुआही)।
आग : असावधानी, बिजली के तार (11000, 33000 वोल्ट के तार)।
बाढ़ : नदी , गंगा, सोन, पुनपुन, दरधा, महाने, बांध, नेहर, लोकाइन, लंबाई आदि तथा जल निकासी की व्यवस्था में पर्याप्त कमी.
सड़क दुर्घटना : सड़क निर्माण, ज्यादा सड़क पर।
नीलगाय : हरे खड़े फसल।

अनुलग्नक – (101) सर्वेक्षण आधारित 5% पंचायतों मे खतरा/जोखिम/संवेदनशीलता :

पंचायत	खतरा	जोखिम	संवेदनशीलता
	प्रखण्ड– मनेर		
19 पंचायत में वर्षा का पानी का अभाव, सिंचाई के साधन का अभाव। शेष पंचायत सूखा से प्रभावित नहीं है।		सूखा	फसल
ग्यासपुर, सिमराछ, साकर, शेरपुर पश्चिमी, शेरपुर पूर्वी, रूपसपुर, बलुआँ, छतरा, दरवेशपुर, दहीली, मगरपाल किता चौहत्तर प0, किता चौहत्तर पू0, किता चौहत्तर मध्य, रतनपुर सिंगार लौकिर, शुभभद्रा, महिनावाँ, ग्यासपुर, सादीकपुर	नहर में पानी नहीं रहने के कारण	सूखा	फसल
शेरपुर प0, शेरपुर पूर्वी	शेरपुर प0, शेरपुर पूर्वी को छोड़कर शेष सभी पंचायत में आग का खतरा बना हुआ है। मुख्य रूप से खाना बनाने एवं दीपक के कारण आग झोपड़ी में लगता है।	आग	घर, झोपड़ी, जान–माल
मगरपाल, किता चौहत्तर पूर्वी, शुभभद्रा, ग्यासपुर	वर्षा का अभाव	सड़क दुर्घटना	जान–माल
		सभी पंचायत कमोबेश अतिवृष्टि, शीतलहर, लू के चपेट में आता है	
सादिकपुर एवं शेरपुर	नीलगाय		फसल
	प्रखण्ड– दानापुर		
कासिमचक	वर्षा की कमी एवं पटवन का साधन नहीं	सूखा	जान–माल एवं फसल
कासिमचक	फूस की झोपड़ी, खाना बनाने एवं राख फेंकने से	आग	घर, जान–माल एवं फसल
कासीमचक	पतलापुर	सड़क दुर्घटना	जान–माल की क्षति
कासीमचक	लू की घटना होती है।	गर्मी के तेज धूप से	
	प्रखण्ड– बिहटा		
नेउरा	वर्षा का अभाव तथा जल स्तर की कमी	सूखा	फसल
नेउरा	बिहटा–सगौल मुख्य मार्ग पर (नेउरा गाँव चौमुहानी के पास)	सड़क दुर्घटना	जान–माल
	प्रखण्ड– पुनपुन		
पोठही	वर्षा का अभाव एवं सिंचाई के साधन की कमी	सूखा	फसल, जान–माल
पोठही	बिजली का तार	आग	घर, फसल, जान–माल
पोठही	रेलवे लाइन से होकर सरकारी पथ का न होना	रेल दुर्घटना	जान–माल

प्रखण्ड– नौबतपुर			
फतेहपुर	सोन नहर से पानी का अभाव	सूखा	फसल, जीव–जन्तु
फतेहपुर	नौबतपुर–मसौढ़ी पथ (पुल पर)	सड़क दुर्घटना	जान–माल
प्रखण्ड– बख्तियारपुर			
रामनगर रामगंगा		सूखा	
रामनगर रामगंगा		आग	
सिधेपुर नरौली	एन.एच.,एस.एच., ग्रामीण सड़क (भगवानपुर, सुन्दरपुर, नरौली ग्राम)	सड़क दुर्घटना	जान–माल
घोसगारी	एन.एच.–30 पुराना एवं नया–बख्तियारपुर एवं सालीमपुर	सड़क दुर्घटना	जान–माल
अलीपुर	एन.एच.–30– अलीपुर एवं बिहटा ग्राम	सड़क दुर्घटना	जान–माल
हिदायतपुर रैंकपुर	एन.एच.–30– सालिमपुर	सड़क दुर्घटना	जान–माल
चम्पापुर	एन.एच.–30	सड़क दुर्घटना	जान–माल
मझौली	एन.एच.–30 सालिमपुर	सड़क दुर्घटना	जान–माल
रामनगर रामगंगा		भूकम्प, ओलावृष्टि, शीतलहर, लू	
प्रखण्ड– पंडारक			
ढीबर, रैली, मरांची, लेम्वा अगवा, ढ़ाकरक, पूरी पडरक, गोलारा, श्यामपुर, सिरारी, निमहा, कोन्दी, उमाबें, गंगाजलान, खुशहालचक, अजगरा, नवादाँ, रूपस भदौर, बराअने बराई	सिंचाई के साधन का अभाव	सूखा	फसल, जानवर
ढीबर, रैली, मरांची, लेम्वा अगवा, ढ़ाकरक, पूरी पडरक, गोलारा, श्यामपुर, सिरारी, निमहा, कोन्दी, उमाबें, बकफलान, खुशहालचक, अजगरा, नवादाँ, रूपस भदौर, बराअने बराई		आग	फसल, जान–माल
ढीबर, रैली, मरांची, लेम्वा अगवा, ढ़ाकरक, पूरी पडरक, गोलारा, श्यामपुर, सिरारी, निमहा, कोन्दी, उमाबें, बकफलान, खुशहालचक, अजगरा, नवादाँ, रूपस भदौर, बराअने बराई		सड़क दुर्घटना	जान–माल
ढीबर, रैली, मरांची, लेम्वा अगवा, ढ़ाकरक, पूरी पडरक, गोलारा, श्यामपुर, सिरारी, निमहा, कोन्दी, उमाबें, बकफलान, खुशहालचक, अजगरा, नवादाँ, रूपस भदौर, बराअने बराई		भूकम्प, ओला, शीतलहर, लू	जान–माल
घोसवरी प्रखण्ड			
घोसवारी, गंगाइ गाँव, कुम्हरा, कुमीचक, पचजाना, रामनगर, तराए, सिमुझान		सूखा	जान–माल
रामनगर, तराए, सिमुझान		सूखा	जान–माल

प्रखण्ड–अथमलगोला			
रामनगर दियारा, सबीना, रामनगर बुरई गाछ, कल्याणपुर, महादुरपुर, करजान, रोउरा फुलेलपुर		सूखा	फसल, जान–माल
रामनगर दियारा, सबीना, रामनगर बुरई गाछ, कल्याणपुर, महादुरपुर, करजान		आग	जान–माल
रामनगर दियारा, सबीना, रामनगर बुरई गाछ, कल्याणपुर, महादुरपुर, करजान		सड़क दुर्घटना	जान–माल
रामनगर दियारा, सबीना, रामनगर बुरई गाछ, कल्याणपुर, महादुरपुर, करजान, रोउरा फुलेलपुर		चक्रवात, ओलावृष्टि, शीतलहर	फसल, जान–माल
प्रखण्ड– फतुहा			
जठुली, मंजीपुर		सूखा	
जठुली, मंजीपुर		आग	
जठुली, मंजीपुर		सड़क दुर्घटना	
जठुली, मंजीपुर		ओलावृष्टि, शीतलहर, लू	
जठुली, मंजीपुर		नीलगाय, सुअर	
प्रखण्ड– दनियावाँ			
हेमतपुर, बांसा, मोमिनपुर, अल्लागलपुर		सूखा	
हेमतपुर, बांसा, मोमिनपुर, सुल्तानगवक		आग	
हेमतपुर, बांसा, मोमिनपुर,		सड़क दुर्घटना	
		ओलावृष्टि, शीतलहर, लू	
प्रखण्ड– फुलवारीशरीफ			
रामपुर–फरीदपुर	पानी का अभाव, नहर सूखा	सूखा	फसल
रामपुर–फरीदपुर	गैस, बिजली का तार	आग	फसल, जान–माल
रामपुर–फरीदपुर	ब्रह्मस्थान से फरीदपुर गाँव (नौबतपुर एन एच रोड)	सड़क दुर्घटना	फसल, जान–माल
रामपुर–फरीदपुर	पॉल्ट्री उद्योग में मशाल मिक्स एवं ईंट भट्ठा	औद्योगिक दुर्घटना	जान–माल
रामपुर–फरीदपुर	हरा फसल एवं पेड़–पौधा	नीलगाय	फसल
प्रखण्ड– बिक्रम			
अख्तियारपुर, मझौली	नहर में पानी की कमी	सूखा	फसल
अख्तियारपुर, मझौली	झोंपड़ी	आग	जन–धन, माल
अख्तियारपुर, मझौली	पाली– बिहटा सड़क (अख्तियारपुर–नोहसापुर से मझौली के बीच)	सड़क दुर्घटना	जन–धन

अनुलग्नक – (102) विभिन्न प्रखंडों के माध्यम से प्राप्त पंचायतों के खतरे/जोखिम/संवेदनशीलता :

पंचायत	खतरा	जोखिम	संवेदनशीलता
	प्रखण्ड– घोसवारी		
घोसवारी	टाल क्षेत्र/ अतिवृष्टि/ मोहाने नदी/ पानी निकास नहीं	बाढ़	जान–माल
	टाल क्षेत्र/ अतिवृष्टि/मोहाने नदी/पानी निकास की व्यवस्था नहीं होना	बाढ़	जान–माल की क्षति
गोसाईं गाँव	"	"	"
कुम्हरा	"	"	"
कुर्मीचक	"	"	"
पैजना	"	"	"
रामनगर	"	"	"
गरसार	"	"	"
त्रिमुहानी	"	"	"
	प्रखण्ड– पंडारक		
पंडारक	नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण/गंगा नदी	बाढ़	जान–माल
ढीबर	गंगा नदी	बाढ़	जान–माल
रैली	गंगा नदी	बाढ़	जान–माल
परसगा	✓	"	"
लेमुआबाद	✓	"	"
प0 पंडारक	✓	"	"
पूर्वी पंडारक	✓	"	"
गोबरा शंभुपुर	✓	"	"
बिहारी बिगहा	✓	"	"
कोन्दी	✓	"	"
एकमार्गी	✓	"	"
बकसलाल	✓	"	"
खुशहालचक	✓	"	"
अजगरा बकार्गी	✓	"	"
दर्वे भदौर	✓	"	"
बरूआने बभोट	✓	"	"
	प्रखण्ड–अथमलगोला		
अथमलगोला		बाढ़	जान–माल
रामनगर दियारा	✓	"	"
सबनीमा	✓	"	"
एरानावक	✓	"	"
रामनगर करारी कुम्हार	✓	"	"
कल्याणपुर	✓	"	"
बहादुरपुर	✓	"	"
करजान	✓	"	"
सोहरा फुलेलपुर	✓	"	"

प्रखण्ड–बख्तियारपुर			
रूपस	गंगा नदी	बाढ़	फसल
हरदासपुर दियारा	गंगा नदी	बाढ़	फसल
रामनगर	गंगा नदी, बाढ़ कटाव	बाढ़	जन–धन
काला दियारा	गंगा नदी	बाढ़	जन–धन
प्रखण्ड– फतुहा			
जैतुली	गंगा नदी एवं पुनपुन नदी	बाढ़	जान–माल
मौजीपुर	गंगा नदी	बाढ़	जान–माल
प्रखण्ड–खुशरूपुर			
खुशरूपुर	गंगा नदी, धोवा	**बाढ़**	**धन–जन**
हरदास बिगहा	गंगा एवं पुनपुन नदी	''	''
मोरियमपुर	गंगा एवं पुनपुन नदी	''	''
बैकटपुर	नदी	''	''
शुकरसेनगर	नदी	''	''
हंसनापुर	नदी	''	''
बांझा	नदी	''	''
अलावलपुर	नदी	''	''
प्रखण्ड– संपतचक			
कणगाज गरगापुर	पुनपुन नदी	बाढ़	धन–जन
प्रखण्ड– दानापुर			
कासिमचक	गंगा नदी एवं कटाव	बाढ़	जान–माल
प्रखण्ड– मनेर			
मनेर	गंगा एवं सोन नदी	बाढ़	जान–माल
ब्यापुर	नदी	बाढ़	जान–माल
सिंगाड़ा	✓	✓	जान–माल
गोंक	x	x	जान–माल
शेरपुर पश्चिम	✓	बाढ़	जान–माल
शेरपुर पूर्वी	✓	बाढ़	जान–माल
खासपुर	गंगा नदी, आरापुर नहर भर जाने से, बिक्रम.पाली का पानी आने से	बाढ़	जान–माल
बलुआं	✓	बाढ़	जान–माल
सराय	x	x	x
दरवेशपुर दक्षिणी	✓	बाढ़	जान–माल
दरवेशपुर उत्तरी	✓	बाढ़	जान–माल
भगरचक	✓	बाढ़	जान–माल
किता चौहत्तर प0	✓	बाढ़	जान–माल
किता चौहत्तर पू0	✓	बाढ़	जान–माल
किता चौहत्तर मध्य	✓	बाढ़	जान–माल
रामपुर दियारा	✓	बाढ़	जान–माल
सुअर मरवा	नदी	बाढ़	जान–माल
माधोपुर	x	x	x
ग्यासपुर	x	x	x
सादिकपुर	✓	बाढ़	जान–माल

प्रखण्ड– पटना सदर										
पंचायत	बाढ़	भूकम्प	सूखा	चक्रवात	ओलावृष्टि	आग	औद्योगिक दुर्घटना	सड़क दुर्घटना	शीतलहर	लू
सोनावां	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
पुनाडीह	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
म्हुली	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
पूर्वी मैनपुरा	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
प०... नपुरा	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
उत्तरी मैनपुरा	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
नकटा दियारा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
पूर्वी दीघा	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
प० दीघा	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
फतेहपुर	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓
मरची	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓

अनुलग्नक – (103) सर्वेक्षण आधारित 5% पंचायतों में संरचनात्मक संसाधन :

प्रखण्ड	पंचायत	विद्यालय	महाविद्यालय	अस्पताल	पंचायत भवन	अन्य भवन	ऊँचा चबूतरा	ऊँची सड़क	ऊँचा आश्रयस्थल	संचार के साधन	सरकारी वाहन	नाव/मोटर बोट	जनवितरण दुकान	जे.सी.बी.	पीने के पानी के स्रोत	ट्रैक्टर
फुलवारी	रामपुर फरीदपुर	08	3	–	01	1	–	–	–	–	–	–	04	02	07	50
संपतचक	कण्डाप गोनपुर	10	–	–	–	9	–	–	–	–	30	–	08	02	10	20
पुनपुन	पाल्ही	09	–	02	–	4	1	–	–	–	15	–	05	4	09	25
दानापुर	कासिम चक	10	–	–	01	5	–	–	2	–	–	40	06	–	10	50
मनेर	शेरपुर पश्चिमी	07	–	–	01	4	–	–	–	–	–	200	04	10	07	25
	ब्रह्मपुर	05	–	–	–	1	–	–	–	–	–	05	06	2	05	10
	किता चौहत्तर	05	2	–	01	4	–	–	–	नं.	–	–	04	2		20
बिहटा	नेउरा	08	4	02	–	6	–	–	–	–	–	–	05	3	07	08
नौबतपुर	फतेहपुर	09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	02	1	08	12
बिक्रम	अख्तियारपुर मझौली	07	–	01	01	2	–		–	–	–	–	04	–	06	08
दुल्हिन बाजार	सलार रोसमपुर	07	1	–	01	4	1	2	20	–	–	–	02	–	01	10
	आढ़ुआरा सकरिरा	05	1	01	–	6	–	–	–	–	–	–	04	–	05	08
फतुहा	कोल्हर	09	–	01	–	4	–	–	–	नं.	–	–	04	3	08	50
बिहटा	सिकन्दर पुर	09	–	–	–	2	–	–	–	नं.	–	–	07	7	08	35
बेलछी	कोरारी	11	–	–	01	–	–	–	–	नं.	–	–	03	–	08	10
अथमल गोला	रामनगर	04	–	01	01	–	7	–	–	नं.	–	–	03	–	03	20
बाढ़	एकडंगा	07	–	01	–	2	2	–	–	–	–	02	05	–	07	25

अनुलग्नक – (104) सर्वेक्षण आधारित 5 प्रतिशत पंचायतों मानव संसाधन :

प्रखण्ड	पंचायत	डॉक्टर	भूतपूर्व सैनिक	शिक्षक	नल मिस्त्री	बिजली मिस्त्री	नर्स	राजमिस्त्री	एन.सी.सी.	नेहरू युवा केन्द्र	नागरिक सुरक्षा	मैकेनिक	कृषि पदा0	किसान सलाहकार	आशा कार्यकर्ता	आंगनवाड़ी सेविका	विकास मित्र	ग्राम रक्षा दल	नाविक
संपतचक	जगदीश नारायणपुर	4	15	20	30	01	02	30	20	—	—	02	—	01	14	12	01	—	—
पुनपुन	पंचवी	1	05	—	13	05	05	100	06	—	—	05	—	01	05	08	01	—	—
मनेर	शेरपुर पश्चिमी	2	04	35	04	04	—	20	05	—	—	15	01	01	07	13	—	01	200
	व्यासपुर	5	10	30	10	03	—	20	—	—	—	10	01	01	12	10	01	—	05
	किता चौहत्तर	—	05	10	—	—	02	—	—	—	—	—	—	01	08	06	01	—	—
बिहटा	नहर	—	—	50	20	10	01	50	02	—	—	10	01	01	08	08	01	—	—
नौबतपुर	फरीदपुर	—	10	40	—	—	—	10	—	—	—	01	01	01	07	08	01	—	—
बिक्रम	अख्तियारपुर नवादा	—	04	35	04	05	—	20	02	—	—	10	01	01	08	05	01	—	—
दुल्हीन बाजार	उलार सोरमपुर	4	11	—	—	09	04	16	07	50	11	05	01	01	05	12	01	01	12
	अहियापुर सकरैया	—	03	15	20	04	01	08	—	01	—	—	—	01	06	07	01	—	—
फतुहा	जेठुली	—	05	—	—	—	—	50	—	—	—	10	—	01	08	08	01	01	—
बिहटा	सिकन्दरपुर	3	05	35	05	04	—	50	—	—	—	08	—	01	10	10	01	01	—
बेलछी	जोधनी	5	01	15	—	—	01	10	—	—	—	01	—	—	02	06	01	—	—
अथमलगोला	रामनगर	1	10	30	02	06	01	20	—	—	—	04	—	01	05	06	01	—	—
बाढ़	एकडंगा	—	20	20	—	—	01	06	05	—	—	—	—	01	12	05	01	—	10

अनुलग्नक – (105) पूर्व के वर्षों में विभिन्न नदियों के आक्राम्य स्थलों की सूची :

क्र०	कार्य का नाम
	गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा, पटना
01	दानापुर दियारा स्थित ग्राम गंगहारा से मानापुर के बीच पुनर्स्थापन एप अप स्कीम एवं डाउन स्कीम में कटाव निरोधक कार्य।
02	पी.टी.पी. बांध के पास विभिन्न बिन्दुओं पर कटाव निरोधक कार्य का पुनर्स्थापन कार्य।
	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बख्तियारपुर, पटना
01	दानापुर दियारा स्थित ग्राम गंगहारा से मानापुर के बीच पुनर्स्थापन एप अप स्कीम एवं डाउन स्कीम में कटाव निरोधक कार्य।
02	पटना जिला के 1. बख्तियारपुर प्रखण्ड अन्तर्गत गंगा नदी के बांये किनारे स्थित दियारा में कराए गए कटाव निरोधक कार्य का पुनर्स्थापन कार्य. 2. बख्तियारपुर प्रखण्ड अन्तर्गत गंगा नदी के दांये किनारे ग्राम राघोपुर में कटाव निरोधक कार्य. 3. मोकामा प्रखण्ड अन्तर्गत मरांचियों (ग्राम–शिवनार) में पुनर्स्थापन एवं कटाव निरोधक कार्य।
03	पन्दीपीपी बांध के नजदीक नकटा ड्रेनेज का कारण 903 कि०–1101 मि० ड्रेनेज में पक्का कलवर्ट निर्माण का कार्य ।
	पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद, पटना
01	पुनपुन नदी के बायें किनारे पर हेमजापुर ग्राम में पूर्व में कराए गये कटाव निरोधक कार्य एवं विस्तार का कार्य।
02	पुनपुन प्रखण्ड के शेखपुरा ग्राम के निकट पुनपुन नदी के दाया किनारे पर कटाव निरोधक का कार्य
03	पालीगंज प्रखण्ड के मसरूण ग्राम के दाया किनारे में कटाव निरोधक का कार्य।
04	पालीगंज प्रखण्ड के ग्राम बहादुर गंज में ग्राम सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक का कार्य।
05	पुनपुन नदी के बाया किनारे पर ग्राम जोगपुर में कटाव निरोधक का कार्य।
06	पुनपुन प्रखण्ड के अलावलपुर ग्राम के निकट पुनपुन नदी के दाया किनारे पर कटाव निरोधक का कार्य।

07	पुनपुन प्रखण्ड के बेगार ग्राम के निकट पुनपुन नदी के दाया किनारे पर कटाव निरोधक का कार्य।
08	पालीगंज प्रखण्ड के नरौली मठिया ग्राम मे प्राथमिक विद्यालय (अनुसूचित जाति) के नदी के बाया किनारे मे कटाव निरोधक का कार्य।
09	पालीगंज प्रखण्ड के ग्राम महाराजगंज मे पुनपुन नदी पर कटाव निरोधक का कार्य।
10	पालीगंज प्रखण्ड के ग्राम हामीदनगर मे पुनपुन नदी पर कटाव निरोधक का कार्य।
11	पालीगंज प्रखण्ड के ग्राम पिजरावा मे ग्राम एवं विद्यालय सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक का कार्य।
12	पालीगंज प्रखण्ड के ग्राम सोहरना मे ग्राम, विद्यालय एवं मंदिर सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक का कार्य।
13	पालीगंज प्रखण्ड के ग्राम सिगोड़ी मे ग्राम एवं कब्रिस्तान सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक का कार्य।
14	पालीगंज प्रखण्ड के ग्राम अलीपुर मे ग्राम सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक का कार्य।
15	पुनपुन बाढ़ सुरक्षा अंचल प्रमण्डल अनिसाबाद पटना के अन्तर्गत पूर्व मे कराये गये कटाव निरोधक कार्य के स्थल ग्राम नोनियाचक, देवरिया, मतिगा, नदेवा एवं कजुआ मे अवशेष कटाव निरोधक कार्य का मरम्मति कार्य।
16	पुनपुन नदी के दाया भाग मे बैमा नजियाचक ग्राम मे कटाव निरोधक का कार्य।
17	पुनपुन नदी के दाया भाग पर नीमा ठाकुरबाड़ी से भभौल जाने वाली पथ मे कटाव निरोधक का कार्य।
18	पुनपुन नदी के दाया किनारे पर भभौल बाजार मे कटाव निरोधक का कार्य।
19	पुनपुन नदी के बाया किनारे पर महम्मदपुर ग्राम मे कटाव निरोधक का कार्य।
20	पुनपुन प्रखण्ड के जहिदपुर ग्राम से मनोरा ग्राम तक पुनपुन नदी के बाया किनारे पर कटाव निरोधक का कार्य।
21	पुनपुन प्रखण्ड के सुलतानचक ग्राम के निकट पुनपुन नदी के दाया किनारे पर कटाव निरोधक का कार्य।

अनुलग्नक – (106) अंचलवार जल जमाव से ग्रसित स्थल एवं जल निकासी के उपाय की सूची :

नूतन अंचल					
क्र॰ सं॰	वार्ड सं॰	जल–जमाव से ग्रसित स्थल का नाम	जल–जमाव के कारण	जल–जमाव को दूर करने हेतु प्रयास	समस्या का स्थायी उपाय
1	1	राजीव नगर रोड न. 23	नाला का निर्माण सही नही है एवं नाला क्षतिग्रस्त है।	5 एच.पी. एवं 10 एच. पी. मशीन द्वारा जल की निकासी होती है।	नया नाला का निर्माण
		राजीव नगर रोड न. 21	नाला नही है।		
		अरवाला रोड	सड़क नीचा है।		सड़क को ऊँचा करने की आवश्यकता।
		हरिजन टोली, दीघा	नाला ऊँचा एवं मकान नीचा है।		नाला को मकान के समतल करने की आवश्यकता है
2	3	रामभवन नगर, रूपसपुर	नाला नही है।	जे.सी.बी. से गड्ढा कर जल की निकासी की जा रही है।	नया नाला का निर्माण
3	4	कौटिल्य नगर 217 के पास	भारी बारिश होने के कारण	दो पम्प (5 एच.पी.) से जल की निकासी की जा रही है।	
4	6	रोड न. 9 एवं 8 बी	नाला नही है	बिजली चलित पम्पिंग सेट द्वारा जल की निकासी की जा रही है	नया नाला का निर्माण
5	7	शिवपुरी सब्जी मार्केट		फटठा मारकर जल की निकासी की जा रही है	
		शिवपुरी शनि मंदिर पथ	मेनहोल क्षतिग्रस्त है।		नया मेनहॉल का निर्माण
		गोकुल पथ प॰ पटेल नगर	नाला जाम होने के कारण		नया नाला का निर्माण
		प॰पटेल नगर बी॰भट्टाचार्या से रोटी बैंक तक	सड़क से नाला ऊँचा होने के कारण		सड़क को ऊँचा करने की आवश्यकता
		प॰ पटेल नगर रोड न. 8	नाला एवं सड़क	5 एच.पी. पम्प से जल	नया मेनहॉल का निर्माण

			पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के कारण	की निकासी की जा रही है।	
		व. पटेल नगर रोड न. 6 (3ए)	पाईप लाईन के डायमीटर छोटा एवं मैनहोल क्षतिग्रस्त	फटा मारकर जल की निकासी की जा रही है	
		इन्द्रपुरी रोड न. 12 –15	नाला नही है		नया नाला का निर्माण
6	8	रोड न. 5		स्वयं जल की निकासी	
7	9	जल जमाव है	नाला नही है		
8	10	पुलिस कॉलोनी, डी. सेक्टर	भारी वर्षा के कारण	10 एच.पी. पम्प से जल की निकासी की जा रही है।	
9	11	कृष्णविहार कॉलोनी	नाला नही है		
10	12	अब्दुल्ला चौक से अरुण केशरी के दुकान तक			
11	13	भीखाचक नहर पर रोड नं. 10 पंचमंदिर	नहर के पानी का सड़क पर बहाव	10 एच.पी. पम्प से जल की निकासी की जा रही है।	नाला का निर्माण
12	14	नया टोला रोड, आजाद पथ, पू. टोला शरिस्ताबाद एवं प. शरिस्ताबाद	भारी वर्षा के कारण	22 एच.पी. पम्प से जल की निकासी की जा रही है।	पुष्पांजली के पास न्यू बेयर मन कर नया मैनहोल की आवश्यकता
		राजनापुरी अकलू चौक			रोड को ऊंचा + गैस गोदाम के पास 300 फीट के पाईप लाईन की आवश्यकता
13	15	गर्दनीबाग रोड न. 2,3,4	नाला से रोड नीचा है	10 एच.पी. पम्प से जल की निकासी की जा रही है।	रोड को ऊँचा करने की आवश्यकता
14	16	पत्थर गली	भारी वर्षा के कारण	स्वयं जल की निकासी	कोई विकल्प नही
15	17	जगन्नाथपुर मथुरा कॉम्प्लेक्स गली	रोड एवं नाला क्षतिग्रस्त	फटा मारकर जल की निकासी की जा रही है	नाला का निर्माण
16	18	भरत लाल टंडन हाउस पुरन्दरपुर	सड़क नीचा के कारण		सड़क ऊँचा करने की आवश्यकता
17	19	मीठापुर शौचालय के पास	रोड एवं नाला क्षतिग्रस्त	सक्शन मशीन से जल निकासी	कॅल्वर्ट का निर्माण
18	20	पुनाईचक सब्जी मंडी	भारी वर्षा के कारण	स्वयं जल की निकासी	कोई विकल्प नही
19	21	वतागन पार्क	मोहनपुर सम्प हाउस चलन से नाला का ओवर फ्लो	175 एच.पी. पम्प से जल की निकासी की जा रही है।	
20	22	न्यू पाटलीपुत्र 1 नं.	नाला लेवलिंग के कारण	स्वयं जल की निकासी	कोई विकल्प नही
21	22ए	बांगला स्कूल के दक्षिण	कम क्षमता का पाईप	मजदूर द्वारा	जे.ई. सफाई कराया गया
22	22बी	साई मंदिर चौराहा के पूरब			
23	22सी	संतमाईकल स्कूल के पास			
24	25	कृष्णानगर रोड न. 8, पार्क के पास	भारी वर्षा के कारण	फटा मारकर जल की निकासी की जा रही है	नाला चौड़ा करने की आवश्यकता
25	26	आदर्श कॉलोनी पार्क न. 1 के पीछे	सड़क नीचा के कारण		कोई विकल्प नही
26	27	गांधी मैदान एवं एसबीआई के पास		स्वयं जल की निकासी	

बाँकीपुर अंचल					
क्र० सं०	वार्ड सं०	जल-जमाव से प्रभावित स्थल का नाम	जल-जमाव के कारण	जल-जमाव को दूर करने हेतु प्रयास	समस्या का स्थायी उपाय
27	36	पृथ्वीराज चौराहा	भारी वर्षा के कारण	22 एवं 10 एच.पी. पम्प से जल की निकासी की जा रही है।	कांग्रेस मैदान सम्प हाउस की क्षमता बढ़ाना, पीरमुहानी सम्प हाउस की क्षमता उन्नयन एवं पाईप लाईन का निर्माण
		रेलवे हंटर रोड	भूगत नाला जाम के कारण	धीरे-धीरे जल निकासी	खराब पाईप को बदलना
		कांग्रेस मैदान रोड, नवल किशोर रोड, जनक किशोर रोड	भारी वर्षा के कारण	सैदपुर सम्प द्वारा जल निकासी की जा रही है	जनक किशोर रोड एवं नवल किशोर रोड का पाईप का 'डाईमिटर' बढ़ाना एवं सैदपुर सम्प हाउस की क्षमता को बढ़ाना तथा अतिरिक्त आउट-फ्लो का बढ़ाना
		खेतान मार्केट रोड, भट्टपोखर रोड	भारी वर्षा के कारण	आर.के.एवेन्यू सम्प हाउस द्वारा जल निकासी की जा रही है	खेतान मार्केट रोड, भट्टपोखर रोड में पाईप का 'डाईमिटर' बढ़ाना एवं सीवरेज लाईन को अलग से सम्प हाउस में मिलाया जाए तथा सम्प की क्षमता को बढ़ाया जाए।
28	38	लंगरटोली चौराहा, दरियापुर रोड	भारी वर्षा के कारण	सैदपुर सम्प द्वारा जल निकासी की जा रही है	लंगरटोली चौराहा दरियापुर रोड, सीवरेज लाईन का 'डाईमिटर' बढ़ाना एवं सम्प की क्षमता को बढ़ाया जाए।
29	39	राज्जीबाग रोड	भारी वर्षा के कारण		राज्जीबाग रोड में सीवरेज लाईन का 'डाईमिटर' बढ़ाना एवं अलग से सम्प हाउस से मिलाना।
30	40	महावीर कॉलोनी	सीवरेज पाईप का 'डाईमिटर' एवं सम्प की क्षमता कम होना	10 एच.पी. पम्प से जल की निकासी की जा रही है।	सीवरेज पाईप का 'डाईमिटर' एवं रामपुर सम्प की क्षमता बढ़ाना।
31		अलका कॉलोनी		38 एच.पी. पम्प से जल की निकासी की जा रही है।	सीवरेज पाईप का 'डाईमिटर' एवं बिस्कोमान सम्प की क्षमता बढ़ाना।
32	43	राजेन्द्र नगर रोड नं. 1	भारी वर्षा के कारण	सैदपुर सम्प द्वारा जल निकासी	सैदपुर सम्प की क्षमता बढ़ाना।
		राजेन्द्र नगर रोड नं. 2		सैदपुर सम्प द्वारा जल निकासी	
		जगत नारायण रोड			सीवरेज पाईप का 'डाईमिटर' एवं बिस्कोमान सम्प की क्षमता बढ़ाना।
		बहादुरपुर, राजेन्द्र नगर रोड नं. 13 से	सीवरेज पाईप का 'डाईमिटर' एवं सम्प की क्षमता बढ़ाना।		सैदपुर सम्प की क्षमता उन्नयन
		वाचस्पति नगर		10 एच.पी. पम्प से	सीवरेज पाईप का

क्र० सं०	वार्ड सं०	जल–जमाव से प्रभावित स्थल का नाम	जल–जमाव के कारण	जल–जमाव को दूर करने हेतु प्रयास	समस्या का स्थायी उपाय
				जल की निकासी की जा रही है।	'डायमिटर' एवं विस्तारीकरण साथ की क्षमता बढ़ाना।
		शिव शक्ति नगर, मजदूरी नगर			सीवरेज लाईन का 'डायमिटर' एवं सम्पपुर साथ की क्षमता बढ़ाना।
कंकड़बाग अंचल					
क्र० सं०	**वार्ड सं०**	**जल–जमाव से प्रभावित स्थल का नाम**	**जल–जमाव के कारण**	**जल–जमाव को दूर करने हेतु प्रयास**	**समस्या का स्थायी उपाय**
33	29	रामनगर/मनोकामना मंदिर	प्रभावी क्षमता युक्त नाला का अभाव	38 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	नाला का निर्माण
		आदर्श मुहल्ला/गोरख पार्क चौराहा		22 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	
		जयपुरिया मास्टर गली		10 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	
		न्यू करबिगहिया कब्रिस्तान			
34	30	दशरथा बनरटोली के पास			
		संजय नगर			
35	31	इंदिरा नगर/चन्दन पार्क सब्जी मंडी के पास		22 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	
36	32	राम लखन पथ		38 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	
		रोड न. 14		38 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	
		रोड न. 8		10 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	
		जगनपुरा			
37	33	फौजदार राय मंदिर के सामने		38 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	
38	34	बग्गी अखाड़ा	प्रभावी क्षमता युक्त नाला का अभाव	22 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	नाला का निर्माण
39	35	एन.आई.जी. कॉलोनी, श्री राम नर्सिंग होम के पास		38 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	
		एन.आई.जी. शालीमार मोड़			
40	44	एन.आई.जी.97/98 के पास		22 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	
41	45	यशोदा अपार्टमेंट, बहादुरपुर पुल के पास		38 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	
		डेन्टल कॉलेज के पास दुर्गा मंदिर		22 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	
		विकास विहार बंगाली		10 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	
42	46	सेक्टर 3, कबीर पार्क		22 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	
		एम.आई.जी. अगम कुआँ के पश्चिमी भाग में			
43	55	हनुमान मोड़ रजपुर के पास		8 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	
		भागवत नगर		22 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	
		ठाकुर नगर टोला बड़ा गली		8 एच.पी. पम्प से जल की निकासी	

		पटना सिटी अंचल			
	वार्ड सं.	जल-जमाव से प्रभावित स्थल का नाम	जल-जमाव के कारण	जल-जमाव को दूर करने हेतु प्रयास	समस्या का स्थायी उपाय
44	54	सिन्हा कॉलनी	सड़क का ढाल सही नहीं	पम्प लगाकर जल की निकासी की जा रही है	सड़क का मरम्मति कराना
45	72	बारावाड़ी नाला की ओर जाने वाली सड़क	अशोक राजपथ का नाला 3-4 फीट ऊँचा के कारण		सड़क एवं नाला का मरम्मति कराना
46	71/72	शरीफागंज	नाला जाम, सड़क टूटा फूटा/अवरुद्ध नाला	पम्प एवं मोटर से जल की निकासी की जा रही है	
47	60/57	दुल्ही गली	कुँई छोटा है एवं तीन वार्ड का पानी इस नाले से गुजरता है		
48	60	पाली गली	सड़क नीचे होने के कारण		
49	65	सदर गली	नाला ऊँचा के कारण		
		मारूफगंज गली	नाला पर अतिक्रमण		

अनुलग्नक – (107) पटना के कुछ बड़े आवासीय कॉलोनी (शहरी जलजमाव) :

क्र.सं.	बिहार सरकार	केन्द्र सरकार	निजी/सहकारी समितियाँ
1	राजवंशी नगर	पी.एण्ड.टी. कॉलोनी	आशियाना नगर
2	शास्त्री नगर	रेलवे कॉलोनी	कृषि नगर
3	गर्दनीबाग	आर.बी.आई. कॉलोनी	पुलिस कॉलोनी
4	श्रीकृष्णापुरी		एल.आई.सी.कॉलोनी
5	पाटलीपुत्र कॉलोनी		ए.जी.कॉलोनी
6	कंकड़बाग कॉलोनी		राजीव नगर
7	बहादुरपुर कॉलोनी		बुद्धा कॉलोनी
8	राजेन्द्र नगर कॉलोनी		श्रीकृष्ण नगर (आई.ए.एस.) कॉलोनी
9	हनुमान नगर		आनन्दपुरी
10	छज्जूबाग		एम.एल.ए. कोऑपरेटिव
11	सी.डी.ए. कॉलोनी		बिस्कोमान कॉलोनी

स्रोत: पटना महायोजना 2031 एवं अन्य

अनुलग्नक – (108) स्टैटिक/मोबाईल दलो की प्रतिनियुक्ति सूची :

क्र.	अंचल का नाम	कार्यपालक अभि0/कार्यपालक अभि0 तथा सहायक स्वास्थ्य पदा0 का नाम/दूरभाष सं0	अंचल में पड़ने वाले मुख्य कॉलोनी का नाम	अंचल में अवस्थित बिहार राज्य जल पर्षद/पटना नगर निगम के मोबाईल दल सदस्यों का नाम	मोबाईल दल से संबद्ध मुख्य नाला	अंचल में अवस्थित बिहार राज्य जल पर्षद/पटना नगर निगम/पटना आवास बोर्ड का पम्पिंग स्टेशन का नाम/दूरभाष सं0	बिहार राज्य जल पर्षद एवं पटना नगर निगम के पम्पिंग स्टेशनों पर स्टैटिक रूप से प्रतिनियुक्त पदा0/कर्मी
1	नूतन राजधानी अंचल	1. नू.रा.अं. अंचल प.न.नि. मो–9470488573 2. स.स्वा.पद. मो.–9470488564 9334473955 3. कार्य.अभि. प.न.नि. (वि.नं.–9431821564) 4. कार्य.अभि. प.न.नि., पटना मो.–9470488614	एस.के.पुरी, एस.के.नगर, राजवंशी नगर, नर्सिंग होम कॉलोनी, विद्युत बोर्ड कॉलोनी, एस.बी. कॉलोनी न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी, पुनाईचक, बोरिंग रोड कुर्जी नंदेरी गर्दनीबाग, जक्कनपुर, मीठापुर	<u>दल सं0–1 प्रथम पाली</u> 6.00 बजे सुबह से 6.00 बजे शाम तक 1. क.अ.,प.न.नि. –9431726628 2. मैकेनिकल हेल्पर 3. एक इलेक्ट्रीशियन हेल्पर एन.आर. पर 4. रूपक मजदूर प.न.नि. <u>दल सं0–1 द्वितीय पाली</u> 6.00 बजे शाम से 6.00 बजे सुबह तक 1. क.अ. प.न.नि. 9507767851 2. रूपक ऑपरेटर,प.न.नि. 3. इलेक्ट्रीशियन 4. चालक,प.न.नि.	नंदेरी नाला सर्पेन्टाइन नाला राजापुर नाला कुर्जी नाला आनन्दपुरी नाला पटेल नगर नाला	1. <u>कुर्जी</u> नृत्यालय– कुर्जी पंपिंग स्टेशन 2. <u>राजापुर नया एवं पुराना</u> नृत्यालय– राजापुर पंपिंग स्टेशन 3.<u>नंदेरी नया एवं पुराना</u> नृत्यालय– नंदेरी पंपिंग स्टेशन	6 बजे सुबह से 2 बजे अप. तक क.अ. लोक स्वा. अभि.वि. (प्रति. क उपस्थित) 2 बजे अप. से 10 बजे रात्रि तक क.अ. लोक स्वा.अभि.वि. (प्रति. क उपस्थित) 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक, क.अभि., लोक स्वा.अभि. वि. (प्रति. क उपस्थित) 6 बजे सुबह से 2 बजे अप. तक क.अ. लोक स्वा. अभि.वि. (प्रति. क उपस्थित) 2 बजे अप. से 10 बजे रात्रि तक क.अ. लोक स्वा.अभि.वि. (प्रति. क उपस्थित) 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक, क.अभि., लोक स्वा.अभि. वि. (प्रति. क उपस्थित) 6 बजे सुबह से 2 बजे अप. तक क.अ. लोक स्वा. अभि.वि. (प्रति. क उपस्थित)

						4.पुनाईचक,एस.के. पुरी, बोरिंग रोड, जाकिर हुसैन ऑफिसर्स फ्लैट, हड़ताली नाला–पुनाईचक पंपिंग स्टेशन राजवंशी नगर (ड्रेनेज/सिवरेज) शास्त्री नगर सी. आई.डी. कॉलोनी, राजभवन नाला–राजवंशी नगर	2 बजे अप. से 10 बजे रात्रि तक,क.अ. लोक स्वा.अभि.वि. (प्रति. के अन्दर) 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक, क.अभि., लोक स्वा.अभि. वि. (प्रति. के अन्दर) 6 बजे सुबह से 2 बजे अप. तक प्रभारक, प.न.नि. मो.–9234797319 2 बजे अप. से 10 बजे रात्रि तक पालक प. न.नि. मो.–9432557012 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक, मो.–9431648738 6 बजे सुबह से 2 बजे अप. तक प्रभारक, प.न.नि. मो.–9432832689 2 बजे अप. से 10 बजे रात्रि तक प्रभारक प.न.नि. मो.–9835269963 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक, स.अ., वि.रा.ज.प. मो.9431857129

2	कंकड़बाग अंचल	1. कार्य.पद. कंकड़बाग अंचल, प.न.नि. मो.-9470488584 2. सहा.अ.पदा. मो.-9334473985 3. कार्य.अभि. मो.-9431628934	सैदपुर, बबू बाजार, गर्दनीबाग, आर. ब्लॉक, कंकड़बाग, बहादुरपुर, पहाड़ी	मोबाइल दल सं0-2 प्रथम पाली 6.00 बजे सुबह से 6.00 बजे शाम तक 1. क.अभि. वि.रा.ज.प. -9304516787 2. इलेक्ट्रीशियन, वि.रा.ज.प. 3. इलेक्ट्रीशियन हेल्पर 4. मैकेनिक 5. मैकेनिकल हेल्पर मोबाइल दल सं0-2 द्वितीय पाली 6.00 बजे शाम से 6.00 बजे सुबह तक 1. क.अभि., प.न.नि. मो.-9234270430 2. स.म.,प.न.नि. 3. इलेक्ट्रीशियन एन.आर. 4.इलेक्ट्रीशियन हेल्पर एन.आर. 5. मैकेनिकल हेल्पर	1.योगीपुर आइसफैक्ट्री तक 2.सैदपुर बस स्टैण्ड से नन्दलाल छपरा तक 3.कंकड़बाग टूल नाला	1. सैदपुर एवं आर.ब्लॉक नाला-सैदपुर पंपिंग स्टेशन 2.गर्दनीबाग बबू बाजार योगीपुर नया भवन, चन्द्रपुरा, टी.पी.टावर, बहादुरपुर आवास बोर्ड नाला-योगीपुर पंपिंग स्टेशन 4.पहाड़ी (नया/पुराना) नाला-पहाड़ी पंपिंग स्टेशन	8 बजे सुबह से 2 बजे अप. तक क.अ. लोक स्वा.अभि.वि. (प्रति. के ऊपरवत्) 2 बजे अप. से 10 बजे रात्रि तक क.अ., लोक स्वा.अभि.वि. (प्रति. के ऊपरवत्) 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक, श्री रामबालक रजक, क.अभि., वि.रा.ज.प. मो.- 9939967953 8 बजे सुबह से 2 बजे अप. तक क.अ. लोक स्वा.अभि.वि. (प्रति. के ऊपरवत्) 2 बजे अप. से 10 बजे रात्रि तक क.अ., लोक स्वा.अभि.वि. (प्रति. के ऊपरवत्) 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक, क.अभि., लोक स्वा.अभि.वि. (प्रति. के ऊपरवत्) 8 बजे सुबह से 2 बजे अप. तक स.नि., प.न.नि., मो. -9708236673 2 बजे अप. से 10 बजे रात्रि तक प्रभारी सहा. अभि., प.न.नि. मो.- 9546992534 10 बजे रात्रि

							से 6 बजे सुबह तक, स.अ. वि.रा.ज.प. मो.–9431159863 6 बजे सुबह से 2 बजे अप. तक स.अभि. वि.रा.ज.प., मो.–9155013428 2 बजे अप. से 10 बजे रात्रि तक स.नि., प.न.नि. मो.–9453898479 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक, जलकार्य, प.न.नि., मो.–9431944921
3	बांकीपुर अंचल	1. उप.नग.आ.,प.न.नि. मो.–9470488529 2.स्वा.स्व.पदा., 9470488565 3. कार्य.अभि. मो.–9470488614	कदमकुआं राजेन्द्र नगर, लोहानीपुर, ढेलवा, नालारोड, ... नवाबगंज, सैदपुर रामपुर	<u>मोबाइल टीम सं0–3 प्रथम पाली</u> 6.00 बजे सुबह से 6.00 बजे शाम तक 1. फोरमैन 2. मकेनिकल हेल्पर 3. मेकेनिकल हेल्पर 4.इलेक्ट्रीशियन हेल्पर (एन.आर. पर) 5. चेनमैन प.न.नि., बांकीपुर अंचल <u>मोबाइल टीम सं0–3 द्वितीय पाली</u> 6.00 बजे शाम से 6.00 बजे सुबह तक 1. प्रभारी सहा.अ., प.न.नि. मो. 9939563640 / 966130067 2 2.एक इलेक्ट्रीशियन, एन. आर. 3.एक हेल्पर इलेक्ट्रीशियन एन.आर. 4. स.पर्यवेक्षक प्रभारी, प. न.नि. 5. स.पर्यवेक्षक बांकीपुर अंचल, प.न.नि.	1. बाकरगंज नाला 2. सैदपुर नाला 3. एस.पी.वर्मा रोड नाला	1.कुम्हरार 2.एस.पी.वर्मा रोड, आटा चक्की रोड कुल्हड़िया कुम्हरार–एस.पी. वर्मा रोड पंपिंग स्टेशन	6 बजे सुबह से 2 बजे अप. तक स.अ. वि.रा.ज.प. मो. 9572235050 2 बजे अप. से 10 बजे रात्रि तक क.अभि., प.न. नि. 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक, प.न.नि. मो.– 9905264935 6 बजे सुबह से 2 बजे अप. तक स.अ. वि.रा.ज. प.मो.– 9572872529 2 बजे अप. से 10 बजे रात्रि तक क.अभि. बांक

							स्वा. अभि. वि. (प्रतिनियुक्ति के अन्तर्गत) 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक, क.अभि. यांत्रिक स्वा. अभि. वि. (प्रतिनियुक्ति के अन्तर्गत) उपर्युक्त अभियंता एस. पी.वर्मा रोड अंचल, इलेक्ट्रिशियन एवं न्यूसेंस–एस. पी. वर्मा रोड, पंपिंग स्टेशन के भी वैकल्पिक व्यवस्था तक पर्यवेक्षण करेंगे।
4	पटना सिटी अंचल	1. कार.पदा. मो.–9470488627 2.स.अ.पदा. मो.–9334110353 3. कार.अभि. पटना सिटी अंचल मो.–93341984561	कदमकुआं सैदपुर रानपुर	मोबाइल दल सं०–4 प्रथम पाली 6.00 बजे सुबह से 6.00 बजे शाम तक 1. क.अ., प.न.नि. मो.–9934524684 2.. सफाई पर्यवेक्षक मोबाइल दल सं०–4 द्वितीय पाली 6.00 बजे शाम से 6.00 बजे सुबह तक 1. स.अभि., प.न.नि. मो.–9835224587 2. प्र.स.पर्यवेक्षक 3. अनुसेवी			

अनुलग्नक – (109) सुपर मोबाईल दलों की प्रतिनियुक्ति सूची :

क्र.	पदाधिकारी का नाम	कार्यक्षेत्र	निर्देश
1	मो0 गाजिद अली अंसारी कार्यपालक अभियंता गंगा परियोजना प्र0स0–1, पटना मो0–8544427915 मो0 रमन कुमार, सहायक अभियंता,बि.रा.ज.प.	एल.पी. गया रोड, सैदपुर, सैदपुर एस.टी.पी., आर. के. एवेन्यू, कदमकुँआ, रामपुर, कंकड़बाग, पीरमुहानी, कृष्णानगर, अलावाल	कार्यपालक अभियंता 1 सभी पंपिंग प्लांटो को सतत निरीक्षण करते रहने तथा उससे संबंधित प्रतिवेदन नियंत्रण कक्ष अधीक्षण अभियंता–1/प्रबंध निदेशक तथा संबंधित पदाधिकारी को देंगे प्रतिदिन 4.00 बजे संध्या में प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। प्लांट पर पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मचारी संबंधित सूचना भी प्रतिवेदन में अवश्य देंगे। यह दल एस.टी.पी. सैदपुर से कार्यालय से नियंत्रण होगा। सहायक अभियंता 8.00 बजे सुबह से 8.00 बजे रात्रि तक सभी स्टेशनों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
2	श्री मिथलेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता गंगा परियोजना प्र0स0–2, बेऊर, पटना मो0–8544427921 श्रीमन नारायण, क. अभि., प.न.नि..म.9431821504	पुनाईचक, राजवंशीनगर ड्रेनेज सीवरेज कुर्जी राजापुर नया/पुराना, मंदिरी नया/पुराना, शास्त्रीनगर, बोरिंग रोड, एस.के.पुरी, हाईकोर्ट, राजभवन, आर.ब्लॉक, जाकिर हुसैन ऑफिसर्स फ्लैट बेली रोड, सी.आई.डी. कॉलोनी, राजभवन	कार्यपालक अभियंता–2 सभी पंपिंग प्लांटो को सतत निरीक्षण करते रहने तथा उससे संबंधित प्रतिवेदन नियंत्रण कक्ष अधीक्षण अभियंता–1/प्रबंध निदेशक तथा संबंधित पदाधिकारी को देंगे प्रतिदिन 4.00 बजे संध्या में प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। प्लांट पर पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मचारी संबंधित सूचना भी प्रतिवेदन में अवश्य देंगे यह दल कुर्जी पंपिंग स्टेशन से नियंत्रित होगा सहायक अभियंता 8.00 बजे सुबह से 8.00 बजे रात्रि तक सभी स्टेशनों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
3	श्री नसीम अख्तर, कार्यपालक अभियंता गंगा परियोजना प्र0स0–5, पटना मो.–8544427950 श्री अविनाश सिंह, क. अभि., प.न.नि. मो.–9334198456	मीठापुर, गर्दनीबाग, जोगीपुर, गंगा भवन, बहादुरपुर, डी.पी. टावर, बहादुरपुर आवास बोर्ड, कनुओ आर.एन.आर.आई. पहाड़ी, नया/पुराना बाबु बाजार, आर ब्लॉक आर. एन.आर.आई.	कार्यपालक अभियंता–5 सभी पंपिंग प्लांटो को सतत निरीक्षण करते रहने तथा उससे संबंधित प्रतिवेदन नियंत्रण कक्ष अधीक्षण अभियंता–1/प्रबंध निदेशक तथा संबंधित पदाधिकारी को देंगे प्रतिदिन 4.00 बजे संध्या में प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। प्लांट पर पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मचारी संबंधित सूचना भी प्रतिवेदन में अवश्य देंगे। यह दल जोगीपुर पंपिंग स्टेशन से नियंत्रित होगा। सहायक अभियंता 8.00 बजे सुबह से 8.00 बजे रात्रि तक सभी स्टेशनों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
4	श्री राजीव रंजन लाल कार्यपालक अभियंता प्र.स. –4, पटना मो.–8544427945 श्री ललन सिंह, का.अभि., प.न.नि..म.9470489014	सुरक्षित दल के रूप में रहेगा एवं आवश्यकतानुसार मुख्य अभियंता/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद के आदेशानुसार कार्य करेंगे एवं संबंधित विभिन्न विभागों यथा पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड इत्यादि के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्य का निष्पादन करेंगे	

अनुलग्नक – (110) नियंत्रण कक्ष में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न पंजियों का संधारण किया जाएगा कर्त्तव्य पंजी (Attendance Register) यह पंजी निम्नांकित प्रपत्र में संधारित की जाएगी :

क्रमांक	तिथि	पाली संख्या	कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त पदा0 / कर्मी0 का नाम एवं पदनाम	पदा0 / कर्मी0 का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

कर्म पुस्तिका (Log Book) यह पंजी निम्नांकित प्रपत्र में संधारित की जाएगी :

क्रमांक	तिथि	समय	प्राप्त संवाद	स्रोत	सम्प्रेषित	संवाद किसे दिया गया	सम्प्रेषण का समय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

वर्षापात एवं वर्षा पूर्वानुमान पंजी– इस पंजी का संधारण निम्नांकित प्रपत्र में किया जायगा

वास्तविक वर्षापात			वर्षापात का पूर्वानुमान (पाँच दिनों के लिए)										
तिथि	वर्षापात (मि.मी. में)	स्थान	तिथि (प्रथम)	पूर्वानुमान	तिथि (द्वितीय)	पूर्वानुमान	तिथि (तृतीय)	पूर्वानुमान	तिथि (चतुर्थ)	पूर्वानुमान	तिथि (पंचम)	पूर्वानुमान	अभ्युक्ति
1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

पत्र प्राप्ति एवं उस पर निर्गत पंजी – इसका संधारण मानक प्रपत्र में किया जायगा।

अनुलग्नक – (111) पंपिंग स्टेशन एवं पंपों की संख्या :

क्र.	एजेन्सी	पंपिंग स्टेशन	ट्रांसफार्मर		वर्तमान में पंपों की संख्या			कुल क्षमता	
			वर्तमान (के.भी.ए.)	कुल (के.भी.ए.)	विद्युत	डिजल	कुल (एच.पी.)	एच.पी.	एम.एल.डी.
1	बि.रा.ज.प.	पहाड़ी पूरब	2x50	2(1000)	2x350	1x198	3(898)	3(3980)	588
2	बि.रा.ज.प.	पहाड़ी [illegible]	4x500	4(2000)	1x350 1x220 2x425		4(1420)	4(1420)	847
3	बि.रा.ज.प.	[illegible]	1x250 2x400 3x500	6(2550)	1x170 2x250 1x270 2x335	1x198 1x375	8(2183)	8(2183)	769
4	बि.रा.ज.प.	[illegible]	1X150 1x250	2(400)	1x40 2x125		3(290)	3(290)	92
5	बि.रा.ज.प.	सैदपुर	2x500	2(1000)	2x270 2x100	1x198 1x375	6(1313)	6(1313)	442
6	बि.रा.ज.प.	[illegible]	2x300	2()600)	1x100 1x125 1x75	1x156	4(506)	4(506)	166
7	बि.रा.ज.प.	[illegible]	1x150 1x300	2(450)	2x100 1x150	1x156	4(481)	4(481)	166
8	बि.रा.ज.प.	एस.पी.वर्मा रोड	1x300	1(300)	2x75 1x100	1x156	4(406)	4(406)	131
9	बि.रा.ज.प.	[illegible]	1x500	1(500)	2x175	1x198	3(548)	3(548)	346
10	बि.रा.ज.प.	नंदेरे पूरब	1x300 1x500	2(800)	1x175 1x350	1x198	3(723)	3(723)	467

11	बि.रा.ज.प.	नदेरी गंज	3x500	3(1500)	2x220 1x350 1x425		4(1215)	4(1215)	677
12	बि.रा.ज.प.	राजापुर पुराना	2x500	2(1000)	2x350	1x498	3(1198)	3(1198)	726
13	बि.रा.ज.प.	राजापुर नया	3x500	3(1500)	1x350 1x220 2x425		4(1420)	4(1420)	798
14	बि.रा.ज.प.	कुर्जी	3x500	3(1500)	1x350 2x425 1x220	1x375	5(1795)	5(1795)	902
15	बि.रा.ज.प.	पुनाइचक	3x500	3(1500)	2x220 2x175	1x375	5(1165)	5(1165)	587
16	बि.रा.ज.प.	राजेन्द्रनगर	1x400	1(150)	2x50 1x20	1x156	4(276)	4(276)	87
17	बि.रा.ज.प.	नेपालपुर	1x400 1x300	2(700)	2x125 1x170	2x75 1x156	6(726)	6(726)	242
18	बि.रा.ज.प.	गर्दनीबाग	2x150	2(300)	2x100	1x100	3(300)	3(300)	109
19	बि.रा.ज.प.	रुदलपुर	1x350	1(350)	2x90 2x60		4(300)	4(300)	54.17
		सब टोटल	**44**	**44(18100)**	**58**	**18**	**80(17153)**	**88(17153)**	**8196**
20	बि.रा.ज.प.	शास्त्रीनगर			1x25 1x25		2(50)	2(50)	11
21	बि.रा.ज.प.	राजेन्द्रनगर			1x10 1x15		2(25)	2(25)	8.64
22	बि.रा.ज.प.	डा.जाकिर हुसैन इंस्टीच्यूट			2x15		2(30)	2(30)	2.59
23	बि.रा.ज.प.	आफिसर्स फ्लैट			2x15		2(30)	2(30)	6.91
24	बि.रा.ज.प.	सी.आई.डी. कॉलोनी				1x5	1(5)	1(5)	0.70
25	बि.रा.ज.प.	एन.एम.सी.एच.	1x150	1(150)	3x40	1x38	5(195.5)	5(195.5)	41
		सब टोटल	**1**	**1(150)**	**11**	**3**	**14(335.5)**	**14(335.5)**	**70.84**
26	पी.एम.सी.	राजभवन			2x10		2(20)	2(20)	8.64
27	पी.एम.सी.	हाई कोर्ट	1x7.5			1x5	2(12.5)	2(12.5)	1.98
28	पी.एम.सी.	आर.ब्लॉक			2x5		2(10)	2(10)	2.07
29	पी.एम.सी.	एस.के.पुरी	1x150 1x200	2(350)	1x100 1x75	1x75	3(250)	3(250)	72
30	पी.एम.सी.	बोरिंग रोड			2x30	1x38	3(98)	3(98)	24.19
31	पी.एम.सी.	कदमकुआँ	1x150	1(150)	2x75		3(188)	3(188)	55.30
32	पी.एम.सी.	बहादुरपुर टी.पी. नगर	4x150 2x100	6(650)	2x50 3x150		5(550)	5(550)	162.43
33	पी.एम.सी.	धनुकी मोड	1x100	1(100)	2x25		2(50)	2(50)	17.28
34	पी.एम.सी.	गुलजारबाग			1x7-5		1(7.5)	1(7.5)	1.3
35	पी.एम.सी.	रानीपुर	1x250 1x400	2(650)	1x125 1x240	1x102	3(467)	3(467)	147
36	बी.एस.बी.	बहादुरपुर	1x400 1x150	2(550)	1x250 2x75		3(400)	3(400)	241.92
		सब टोटल	**13**	**13(2200)**	**24**	**5**	**29(2053)**	**29(2053)**	**734.11**

नोट : पंपिंग क्षमता (एम.पी.) ब्रैकेट में

1	बी.रा.ज.प.	पहाड़ी	4x375		4x375		150	150	96.768
2	बी.रा.ज.प.	सैदपुर	4x500		3x510		1530	1530	72.576

अनुलग्नक – (112) जिले में प्रखंडवार स्कूलों की संख्या :

क्र. सं	प्रखंड का नाम	प्राथमिक एवं प्रा. और केवल माध्यमिक	प्रा. सह उ. प्रा. मा. एवं उ. मा.	प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक सह उच्च माध्यमिक	केवल माध्यमिक	मा. सह उच्च मा.	उ. प्रा. सह मा.	उ. प्रा. सह मा. एवं उ. मा.	केवल उ. मा. / इं. कॉ.	केवल उच्च प्रा.	केवल उ. प्रा.
1	अथमलगोला	1	–	41	28	3	4	–	–	–	–	–
2	बख्तियारपुर	2	–	88	48	2	8	–	1	–	–	–
3	बाढ़	3	–	80	45	2	5	–	1	–	–	–
4	बेलछी	–	–	37	32	–	3	–	–	–		–
5	बिहटा	12	4	129	103	7	8	2	–	–	2	–
6	बिक्रम	1	–	82	62	4	7	1	1	–	3	–
7	दानापुर	4	4	130	84	3	10	1	1	–	–	–
8	दनियावाँ	1	–	43	24	–	4	–	–	–	–	–
9	धनरूआ	3	–	153	73	4	7	4	–	–	1	–
10	दुल्हिन बाजार	3	–	68	32	4	3	–	–	–	1	–
11	फतुहा	8	–	86	41	2	5	3	–	–	2	–
12	घोसवरी	–	–	41	17	2	1	–	–	–	–	–
13	खुशरूपुर	5	2	53	30	–	1	–	–	–	1	–
14	मनेर	2	3	121	50	2	7	1	–	–	1	–
15	मसौढ़ी	4	–	121	89	6	7	–	–	–	–	–
16	मोकामा	2	2	79	35	4	6	–	1	–	–	–
17	नौबतपुर	3	2	143	58	7	2	–	–	–	1	–
18	पालीगंज	7	–	114	82	10	6	–	–	–	1	–
19	पंडारक	–	–	80	36	3	5	–	–	–	–	–
20	पटना सदर ग्रामीण	4	3	32	22	3	6	–	–	–	–	–
21	पटना सदर शहरी	23	16	253	356	29	35	10	8	2	–	–
22	फुलवारीशरीफ	5	6	130	85	4	3	1	–	–	–	–
23	पुनपुन	3	1	123	41	2	5	1	–	–	–	2
24	सम्पतचक	3	4	52	25	1	1	2	–	–	–	–
	कुल	99	47	2279	1498	104	149	26	13	2	13	2

स्रोत: जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना

अनुलग्नक – (113) पटना जिला में जोखिम वाले उद्योग :

क्र॰ सं॰	उद्योग का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या	फैक्ट्री / उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु का नाम एवं प्रकार	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	फैक्ट्री / उद्योग का प्रकार (Hazardous Non - Hazardous)	फैक्ट्री के संभावित खतरा (अनुमान के लिए)	फैक्ट्री के संभावित खतरा (कामगार कर्मी के लिए)
1	2	3	4	5	6	7
1	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सिपारा वितरण मंडल, पटना–800020	पेट्रोलियम स्टोरेज एवं बिक्री	100	खतरनाक	आग, गैस रिसाव इत्यादि	आग, गैस रिसाव इत्यादि
2	नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, सुपर पावर स्टेशन, बाढ़, पटना–803215	विद्युत	275	खतरनाक	आग, गैस रिसाव इत्यादि	आग, गैस रिसाव इत्यादि
3	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, पकड़ी भाया अनिशाबाद, पटना–800002	पेट्रोलियम स्टोरेज एवं बिक्री	20 / 250	खतरनाक	आग, गैस रिसाव इत्यादि	आग, गैस रिसाव इत्यादि
4	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, फतुहा औद्योगिक क्षेत्र, पटना–803201	पेट्रोलियम स्टोरेज एवं बिक्री	55 / 100	खतरनाक	आग, गैस रिसाव इत्यादि	आग, गैस रिसाव इत्यादि
5	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि., बरौनी, कानपुर पाइप लाईन, सिपारा, पटना	पेट्रोलियम स्टोरेज एवं बिक्री	50	खतरनाक	आग, गैस रिसाव इत्यादि	आग, गैस रिसाव इत्यादि
6	बालाजी मिनी स्टील एंड रिरोलिंग प्रा. लि. महादेवपुर, फुलवारी, बिहटा, पटना	स्टील रिरोलिंग	100	खतरनाक	आग	आग
7	यूनाईटेड ब्रिवरेज इंडिया प्रा. लि. प्लाट नं. ए1 इंड एरिया, कोपाखालन, नौबतपुर, पटना	माल्ट उत्पादन	300 / 500	खतरनाक	आग	आग
8	पाटलीपुत्र इंडस्ट्रियल गैसेज लि., सबलपुर, पटना	ऑक्सीजन	14	खतरनाक	आग	आग
9	आईओसी एयरोफ्यूल, मार्केटिंग डीविजन, एविएशन फ्यूल, पटना एयरपोर्ट, पटना	पेट्रोलियम स्टोरेज एवं बिक्री	*15 / 50	खतरनाक	–	–
10	यूनाईटेड पेपर बोर्ड प्रा. लि., औद्योगिक क्षेत्र, पटना–13	पेपर उत्पादन	–	खतरनाक		
11	बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन(एनटीपीसी), बाढ़ पटना	बिजली उत्पादन	–	खतरनाक	कोल गैस	–
12	वैशाली पाटलीपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. पटना डेयरी प्रोजेक्ट, फुलवारीशरीफ, पटना	दुग्ध उत्पादन	–	खतरनाक		

13	अनुज डेयरी प्रा॰ लि॰, कुम्हरार, हनुमाननगर पटना	दुग्ध उत्पादन	–	खतरनाक		
14	नेचुरल डेयरी प्रा॰ लि॰, एनएस–11, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्र, पटना	दुग्ध उत्पादन	–	खतरनाक		
15	पिनेकल इण्डस्ट्रीज प्रा॰ लि॰, देवकुली, बिहटा, पटना		–			
16	भोलाराम स्टील प्रा॰ लि॰, नासरीगंज, दानापुर, पटना		–			
17	हीरा साइकिल्स लि॰, औद्योगिक क्षेत्र, बिहटा, पटना	मेटल सरफेस ट्रिटमेंट/इलक्ट्रो प्लेटिंग/गेलवेनाइजिंग	–	खतरनाक		

[illegible]

*अधिकतम प्रस्तावित संख्या के विरुद्ध काम करने वाले कर्मचारियों की वास्तविक संख्या

नोट: संख्या 1 से 9 तक मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना से प्राप्त।

विभागों/एजेंसियों के आपदानुरूप कार्य :

भूकंप :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		• जिला आपदा प्रबंधन योजना में भूकम्प से जुड़ी शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य तथा भूकम्परोधी जोन के अनुरूप भवन निर्माण का अनुश्रवण । • प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय जोखिम न्यूनीकरण कार्य की समीक्षा एवं अनुश्रवण • निषेधीकरण, न्यूनीकरण तथा प्रत्युत्तर एवं पूर्व तैयारी के संदर्भ में निर्धारित मानकों को ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित योजना में शामिल हो को, सुनिश्चित करना । • ग्राम पंचायतों द्वारा संपादित किए जाने वाली योजनाओं में भूकम्परोधी संरचनाओं के मानकों को शामिल कराने की पहल करना। • हितधारकों के कार्य–पंचायती राज प्रतिनिधियों का, स्वयंसेवकों का, लाईन विभाग के लोगों का आपदा प्रबंधन योजना (ग्रामस्तरीय) में निर्धारित कार्यों का प्रशिक्षण।	• संरचनात्मक ढांचों के निर्माण का विश्लेषण एवं जोखिम का आकलन • विश्लेषण के उपरान्त विभिन्न सहभागी दायित्वों का निर्धारण । • भूकम्प से संबंधित ग्राम आपदा प्रबंधन योजना निर्माण कराने की पहल । • ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न दल का गठन किए जाने को सुनिश्चित करना • भूकम्प से निपटने की तैयारी के मॉकड्रिल का अभ्यास कराना ।
2	भवन निर्माण	• भूकम्प रोधी भवन निर्माण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण संहिता–2014 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कराना	• रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग के दौरान चिन्हित कमजोर भवनों का रेट्रो फिटिंग।	• पूर्व से निर्मित सभी सरकारी भवनों के खासकर सभी अस्पताल, स्कूल एवं प्रशासनिक कार्यालय भवनों की भूकम्प रोधी क्षमता का आकलन–रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग करना। • भूकम्प रोधी भवन निर्माण तकनीक का प्रचार–प्रसार एवं जिले में कार्यरत सभी अभियन्ताओं, राज–मिस्त्रियों, इलेक्ट्रिक–मिस्त्री तथा बार–बाईंडर का प्रशिक्षण।

1	2	3	4	5
3	नगर निकाय	• भवन निर्माण के अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करते हुए नक्शा पास करना। • जर्जर भवनों को चिह्नित करना तथा इसके आवासीय उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। • सिस्मिक जोन –IV को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण से पूर्व रेरा अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की अनुमति देना।	• भूकम्प के दृष्टिकोण से कमजोर भवन का रेट्रो फिटिंग कराना।	• निकाय के पास उपलब्ध भारी वाहन – डोजर, डम्पर तथा क्रेन इत्यादि के सन्निकट मरम्मति एवं रखरखाव कर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखना। • आवासीय एवं व्यावसायिक दोनों से निर्मित सड़कों को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखना।
4	स्वास्थ्य विभाग (सिविल सर्जन एवं उनके अधीनस्थ अस्पताल एवं कार्यालय)		• भूकम्प के दौरान घायल व्यक्तियों को त्वरित समुचित चिकित्सा सुनिश्चित करने हेतु नजदीक के ट्रॉमा सेन्टर, ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, एम.आर.आई., एक्सरे तथा सर्जिकल सेन्टर को चिन्हित करना। • अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना। • अस्पतालों का 'रेट्रो फिटिंग' का कार्य। • अस्पतालों में बड़ी तादाद में घायलों हेतु प्रबंधन योजना तैयार करना।	• जिला स्तरीय स्वास्थ्य भूकम्प से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना। • एम्बुलेंस को पूरी तरह सुसज्जित कर तैयार रखना। • प्राथमिक चिकित्सकों / आशा कार्यकर्त्ता को सक्रिय एवं तैयार रखना। • इन अस्पतालों में अनिवार्य जीवन रक्षक दवाएं तथा अन्य सहायक सामग्री का पर्याप्त भण्डारण रखना।
5	अग्निशमन विभाग		• खोज एवं बचाव हेतु कर्मचारियों का प्रशिक्षण • भवन में अग्नि सुरक्षा का ऑडिट सुनिश्चित करना।	• भूकम्प के दौरान घटित अग्निकांडों से निपटने के लिए अग्निशमन यन्त्रों एवं वाहनों तथा प्रशिक्षित कार्मिकों को सदैव तैयार तथा तत्पर रखना।
6	एन.डी.आर.एफ / एस.डी.आर.एफ / रेड क्रॉस / सिविल डिफेन्स		• मॉक ड्रिल के माध्यम से जनजागरूकता एवं जन प्रशिक्षण करना • समुदाय क्षमता निर्माण करना तथा स्वयं भी खोज एवं बचाव के लिए तत्पर एवं तैयार रहना	
7	शिक्षा विभाग	• बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि. तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवन का भूकम्प रोधी निर्माण सुनिश्चित करना	• विद्यालयों में प्रति वर्ष भूकम्प सुरक्षा सप्ताह का आयोजन • स्कूलों में आपदा प्रबंधन योजना बनाने को सुनिश्चित करना	• राहत शिविर स्थापित करने हेतु स्कूल के खेल मैदान को चिन्हित कर के रखना तथा इन शिविरों में शरणार्थी बच्चों के पढ़ाई–लिखाई हेतु अध्यापकों का प्रतिनियोजन। • जन–जागरूकता द्वारा निषेधात्मक कार्यों का ज्ञान कराना। प्रत्येक स्कूल में भूकम्प के दौरान अपने आप को सुरक्षित करने हेतु समय–समय पर मॉक ड्रिल कराना।

				• प्रत्येक स्कूल में स्कूल आपदा प्रत्युत्तर दल जैसे – प्राथमिक चिकित्सा दल, रक्षा एवं शरण स्थल निगरानी दल, आपातकालीन अलार्म दल, निकासी दल, खोज एवं बचाव दल, इत्यादि का गठन तथा इनका नियमित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना ।

बाढ़ :–

क्र.	विभाग / संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• रिंग बाँध, लघु बाँध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृति देना। • जिले के सभी 540 स्लूईस गेट का रखरखाव एवं मरम्मति। • ''फ्लड प्लेन जोनिंग'' करने के उपरान्त नदियों के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण एवं लोगों को बसाने से रोकने के लिए समुचित अधिनियम बनाना एवं लागू करना।	• जिला आपदा प्रबंधन योजना में बाढ़ से जुड़े निर्माण का शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य योजना का अनुश्रवण। • पंचायत स्तर पर की जा रही शमनीकरण, न्यूनीकरण की गतिविधियों का अनुश्रवण करना। पंचायतीराज प्रतिनिधियों तथा बाढ़ राहत प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण। • बाढ़ प्रभावित पंचायतों की सूची तैयार करना। ग्राम पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर बाढ़ जोखिम विश्लेषण। बाढ़ प्रभावित पंचायतों की अपनी बाढ़ प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं अनुमोदन।	• बाढ़ पूर्वानुमान, चेतावनी तथा आवश्यक सूचना सभी हितधारकों तक तत्काल पहुँचाने के लिए प्रभावी सूचना तंत्र की स्थापना। • बाढ़ राहत प्रकोष्ठ का गठन एवं सदस्यों को आवश्यक जानकारी से अवगत कराना। • बाढ़ पूर्व तैयारी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार *(खंड–2 के अनुलग्नक–52 पर)* प्रत्येक वर्ष तैयारी सम्पन्न करना। • जिला टास्क फोर्स द्वारा पूर्व तैयारी की समीक्षा।
2	जल संसाधन विभाग (बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण)	• बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का निरूपण एवं निर्माण। • पूर्व से निर्मित किन्तु क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं की मरम्मति एवं पुनर्स्थापन • संभावित जलजमाव वाले क्षेत्र में जल निस्सरण योजनाओं का निरूपण एवं निर्माण • सनेर–डीह तटबंध पर स्लूईस गेट का निर्माण। • पुनपुन–फतुहा के बीच 2 कि.मी. में बाँध का निर्माण	• गंगा, सोन एवं पुनपुन नदी के तट पर निर्मित बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंधों का सुदृढ़ीकरण। पुनपुन में पईन का सुदृढ़ीकरण। • मसौढ़ी, बख्तियारपुर, खुसरूपुर, सम्पतचक, दनियावाँ प्रखंडों में जमींदारी बाँधों की मरम्मति एवं ऊँचा करना। • नदी के अवक्रमण स्थलों को चिन्हित करना। जहाँ पर बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनती हो वहाँ शीघ्रता से तत्परता पूर्वक नदी के बहाव की दिशा परिवर्तित करने के लिए समुचित संरचनाओं का निर्माण • बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के बीच बाढ़ से बचाव	• आपदा पूर्व संभावित बाढ़ की स्थिति का आकलन । सभी बाढ़ प्रमंडल द्वारा सम्पन्न करना।*(देखें खंड–2 के अनुलग्नक –54)* • संभावित बाढ़ के संबंध में जारी निर्देशिका के आलोक में पूर्व तैयारी सुनिश्चित करना। • बाढ़ प्रबंधन कैलेण्डर का निर्माण। • वर्षा ऋतु में नदियों के जलस्राव मापन हेतु 'रीवर गेज' की स्थापना, दैनिक जलस्राव पठन की निगरानी तथा बाढ़ का पूर्वानुमान। • आपदा पूर्व चेतावनी प्रसारित करने हेतु सूचना तंत्र का विकास एवं नियोजन । • संभावित बाढ़ के दौरान इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निर्माण सामग्रियों का

			के संबंध में आवश्यक सलाह / जानकारी का प्रचार – प्रसार। • नहर प्रणाली में जल सुनिश्चित करना सिंचाई सुविधा देना	चिह्नित स्थलों पर भंडारण
1	**2**	**3**	**4**	**5**
3	भूमि एवं राजस्व			• हेली पैड स्थल की अवस्थिति तय करना • शरण स्थल का चयन।
4	शिक्षा	**बाढ़ प्रवण पंचायतों में :** • बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का निर्माण बाढ़ प्रवण जमीन पर नहीं कराना	**बाढ़ प्रवण पंचायतों में :** • तैराकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा इस हेतु विद्यालयों में तैराक सह प्रशिक्षक की नियुक्ति करना • विद्यालय में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। • बाढ़ से बचाव एवं बाढ़ जनित बिमारियों से बचाव हेतु छात्र–छात्राओं को जानकारी देना। • जन–जागरूकता द्वारा निषेधात्मक गतिविधियों का ज्ञान कराना जैसे बाढ़ के पानी के प्रवाह से बचना, बच्चों को बाढ़ के पानी के पास नहीं जाने देना, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना तथा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी उपर्युक्त निषेधात्मक गतिविधियों के अनुपालन पर बल देना।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में राहत शिविर स्थापित करने हेतु स्कूल भवन को चिन्हित कर रखना तथा शिविरों में शरणार्थी बच्चों के पढ़ाई– लिखाई हेतु अध्यापकों का प्रतिनियोजन। • विद्यालय में आपदा से संबंधित विभिन्न प्रकार के दलों का गठन करना, जैसे – प्राथमिक चिकित्सा दल, राहत एवं शरण स्थल निगरानी दल, ख॰ व॰ प्रत्युत्तर दल का गठन तथा इनके नियमित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना
5	ग्रामीण अभियंत्रण संगठन	• बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में पूर्व में अधिकतम जल स्तर का ध्यान में रख कर सड़क निर्माण करना।	• सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों में ख॰ व॰ आपदा प्रबंधन को समेकित रूप से शामिल करना।	• बाढ़ ग्रस्त इलाके तक वैकल्पिक पहुँच पथ की जानकारी एकत्र कर नक्शे पर अंकित करना।
6	सड़क निर्माण विभाग			• बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में निर्माणधीन / प्रस्तावित सड़क पूर्णतः बाढ़रोधी बने इस पर जोर देना। बाढ़रोधी सड़क बनाने हेतु समुदाय में जागरूकता के लिए कार्य करना

1	2	3	4	5
7	स्वास्थ्य		• विभिन्न बिमारियों से जुड़े टीकाकरण करना। • चलन्त चिकित्सा केन्द्र में बाढ़ पीड़ितों का चिकित्सा उपलब्ध कराना • आशा कार्यकर्ता / ए.एन.एम. का प्रशिक्षण ताकि, राहत शिविर से सम्भावित प्रसव कार्य सुरक्षित एवं सुगम हो। • प्रभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस के साथ–साथ चिकित्सकों का नियोजन।	• स्वास्थ्य सम्बंधी कार्य एवं जरूरतों का आकलन करना। • फर्स्ट एड कीट तैयार रखना । • बाढ़ प्रवण इलाकों में सुरक्षित खानपान तथा स्वच्छता के संबंध में स्थानीय नर्सों तथा आशा कार्यकर्त्ता के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना • जिला अस्पतालों / अनु–मंडल एवं रेफरल अस्पतालों / प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं उप केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में आपातकालीन दवाईयाँ, ओ.आर.एस. पैकेट, हैलोजन की गोली, ब्लिचिंग पाउडर इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण • विभिन्न बिमारियों से जुड़े टीके लगाने की पूर्व तैयारी रखना • आपूर्ति किये जा रहे दवा एवं खाद्य पदार्थ के स्तर एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।
8	खाद्य एवं आपूर्त्ति			• बाढ़ प्रवण पंचायतों में बाढ़ से पूर्व बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भण्डारण कर लेना • बाढ़ ग्रस्त इलाकों तक वैकल्पिक पहुँच पथ की जानकारी एकत्र कर नक्शे पर अंकित करना।
9	पंचायती राज		• बाढ़ को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन योजना बनाना। • समुदाय को बाढ़ प्रबंधन की ट्रेनिंग देकर जागरूक बनाना।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में निर्माणधीन / प्रस्तावित मकान पूर्णतः बाढ़रोधी बने इस पर जोर देना। बाढ़रोधी मकान बनाने हेतु समुदाय में जागरूकता के कार्य करना
10	कृषि		• आपदा प्रबंधन में कृषकों एवं अन्य सम्बंधित हितधारकों को प्रशिक्षित करना। • कृषि क्षेत्र में आपदा प्रबंधन कार्य योजना तैयार करना। (आकस्मिक फसल योजना)	• बाढ़ प्रवण पंचायतों के लिए वैकल्पिक कृषि योजना तैयार करना • चौर क्षेत्र में जहाँ जल जमाव की सम्भावना हो वहाँ जल सह पौधे जैसे धैंचा, ईख आदि

			• कृषि कार्य से संबंधित जन–जागरूकता अभियान का संचालन • धान की वह प्रजाति जिसको पानी में कुछ दिन डूबे रहने पर भी उत्पादन में कमी नहीं होती है, का प्रचार–प्रसार एवं प्रदर्शन करना तथा बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में इसे उगाने पर बल देना ।	फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रेरित करना । • अधिकाधिक क्षेत्र में गरमा फसल उगाने को प्रेरित करना । • अल्पाधिक नमी तथा कम समय में उगने वाले चारे और फसल के बीज, खाद आदि का भंडारण • बाढ़ के तुरन्त बाद जिस फसल को कम समय में उगाया जा सके उसे हेतु प्रोत्साहित करना ।
1	2	3	4	5
11	पशुपालन		• बाढ़ के पहले एक समेकित कार्य योजना तैयार करना • पशु चिकित्सक एवं सहायकों को बाढ़ में डूबने वाले पशुओं का रोकथाम का प्रशिक्षण देना। • लोगों में जागरूकता अभियान चलाना।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में चारे का पर्याप्त भण्डारण करना। • सभी पशुओं का सुरक्षा तथा अन्य रोगों से संबंधित टीकाकरण को सुनिश्चित करना। • पशुओं के लिए पशु शरण–स्थल चिन्हित करना । • मत्स्य पालन क्षेत्र के चारों तरफ से ऊँची जाली लगाकर घेर देना, ताकि मछली के बहाव को रोका जा सके।
12	परिवहन		• नाव परिचालन से संबंधित अधिनियम को सख्ती से लागू कराना • राज्य प्राधिकरण द्वारा नाविक को प्रशिक्षण एवं जागरूक अभियान का संचालन करना।	• बाढ़ प्रवण पंचायत के नियोजन हेतु पर्याप्त संख्या में नाव तथा नाविक का सूचीकरण ।
13	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण		• प्रभावित क्षेत्र में खराब पड़े नलकूप का मरम्मति सुनिश्चित करना ।	• शुद्ध पेयजल हेतु ब्लीचिंग की टिकिया/ क्लोरीन की टिकिया की आपूर्ति एवं समुचित भंडारण।
14	एस.डी.आर.एफ./एन.डी. आर.एफ. एवं अन्य एजेन्सियाँ		• प्रशिक्षण एवं जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।	• नागरिक सुरक्षा दल का गठन। • बाढ़ प्रवण पंचायतों में गठित त्वरित प्रत्युत्तर दलों का प्रशिक्षण। • मॉकड्रिल का आयोजन करना • बाढ़ प्रवण पंचायतों में समुदाय का प्रशिक्षण।
15	केन्द्रीय जल आयोग/ मौसम विभाग			• बाढ़ पूर्वानुमान की सूचना सार्वजनिक तौर पर सम्प्रेषित करना।

शहरी बाढ़ (जलजमाव) :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/आयुक्त, पटना नगर निगम	• जलजमाव का स्थाई निराकरण ढूढ़ना • नगर निगम अधिनियम का अनुपालन। • बिल्डिंग बाई–लॉज का अनुपालन। • सभी वार अंचलों का आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।	• अधिकतर जलजमाव ग्रसित स्थल में जलजमाव के कारण एवं समस्या का स्थायी उपाय पर काम करना। (खंड–2 के अनुलग्नक–100 पर)	
2	नगर विकास/ नगर निगम/जल पर्षद	• मास्टर प्लान तैयार करना। • नगर निगम एवं जल पर्षद के दायित्व तय करना।	• टाउन प्लानिंग, सड़क ड्रेनेज का नक्शा तैयार करना। • नगर निगम की क्षमता मे वृद्धि करना • ड्रेनेज की नियमित सफाई तथा गाद निकालना। • सिटी मैनेजर एवं सफाई सुपरवाइजर में समन्वय स्थापित करना	• बरसात के पूर्व निगम में अतिरिक्त स्टैटिक एवं मोबाइल दल का गठन • पम्पिंग स्टेशन का संचालन सुचारू रूप से हो तथा इसके जल निष्कासण क्षमता में वृद्धि। • इन स्टेशन पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। • नियंत्रण कक्ष का स्थापना। (*देखें खंड–2 के अनुलग्नक –108 एवं 109*)

सूखा :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		• सूखा राहत कोषों का गठन एवं विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना। • मौसम पूर्वानुमान की जानकारी सभी हितधारक तक पहुँचाना • जमाखोरी को सख्ती से रोकना। • फसल क्षति बीमा योजना मे शामिल हेतु सलाह देना।	• ग्राम पंचायत/प्रखंड स्तर पर प्रभावित किसान एवं ग्रामीण हितधारकों से सम्पर्क कर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रहे/होने वाले जोखिम के प्रति सचेत एवं जागरूक करना। • सूखा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्माण • अकाल प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर रखना।

1	2	3	4	5
2	कृषि विभाग सभी जिलाओं में वर्षामापक यंत्रों के अधिष्ठापन कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस संबंध में स्थल चयन का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रखंडों को निदेश दिया जा चुका है। साथ ही साथ सभी प्रखंड में स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) अधिष्ठापन प्रस्तावित है। आपदा से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े जैसे तापमान, वर्षा, पवन वेग, आर्द्रता आदि का सटीक आंकड़ा तत्काल AWS से प्राप्त होता है।	• ड्रीप सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन देना। • सूखारोधी एवं कम सिंचाई वाली फसलों को लगाने को प्रोत्साहन देना • भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु चेक डेम, जल छाजन तथा जैविक खाद बनाने हेतु योजना का निरूपण एवं क्रियान्वयन। • पर्माकल्चर कृषक मित्र का गठन कर इनके माध्यम से सूखा अथवा जलवायु परिवर्तन सह कृषि को प्रोत्साहित किया जाना।	• सूखा की दृष्टि से आकस्मिक फसल योजना का निर्माण। सूखा/कम वर्षा/कम जल आधारित फसल का चयन तथा उनका प्रचार–प्रसार। • कृषकों से संवाद का उपाय करना • चारा से जुड़ी फसलों को लगाने को प्रोत्साहित करना • बीज बैंक तैयार करना एवं उसके आधार पर शमनीकरण तथा न्यूनीकरण के उपाय का निर्धारण करना तथा हितधारकों के द्वारा अनुपालन कराना। • प्रयोगशाला में किये गये अनुसंधान से विकसित तकनीकों का प्रत्यक्षण खेतों में करना। • सूखा एवं जलवायुवीय परिवर्तन के अनुरूप विभिन्न फसलों के लिए अनुसंधान तथा कृषक प्रशिक्षण। • सूखे की स्थिति में कृषि डीजल अनुदान देना तथा लोन, मालगुजारी, सिंचाई एवं बिजली रकम अदा करने पर तात्कालिक रोक लगाना।	• वैकल्पिक खेती हेतु भण्डारित बीज को समय से कृषक के बीच पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना। • जिला आपदा प्रबंधन योजना से सूखा से जुड़े शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्यो का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन । • उत्कृष्ट जल प्रबंधन हेतु जन जागरूकता के कार्य करना। इसके लिए कैलेण्डर, बुकलेट, पोस्टर, दिवार पेन्टिंग, होर्डिंग, अखबार, रेडियो संदेश, टेलीविजन आदि को माध्यम बनाया जा सकता है। • कृषि रसायन, खाद, उपचारित बीज आदि का संरक्षण एवं भंडारण • वैकल्पिक पशुचारा उत्पादन योजना का निरूपण करना। • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा समग्र जिला कृषि योजना को प्रोत्साहित करना।
3	पंचायती राज विभाग जिला परिषद/ पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत	• समुदाय द्वारा उपयोग के बाद अवशिष्ट जल का पुर्नउपयोग पर बल देना	• सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न रोजगारोन्मुख सरकारी योजना गैर सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना	• तालाबों, नहरें आदि की खुदाई/साफ कराना/सुरक्षित रखना • सभी पंचायतों में वर्षा ऋतु के पहले अनाज का भण्डारण करके रखना। • पर्यावरण सुरक्षा एवं हरियाली हेतु जागरूकता अभियान चलाना।

1	2	3	4	5
4	जल संसाधन (सिंचाई सृजन) सुखा से निपटने हेतु प्रभावकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि उत्पादन यंत्रणाएं चलायी जा रही है। सूखा से सामना करने के दृष्टि से सरकार ने ग्रामीण नलकूप योजना के माध्यम से ज्यादा पटवन करने का प्रयास किया है साथ ही बंद पड़े सरकारी नलकूप को यांत्रिक मरम्मती एवं इन्हें नियमित बिजली मुहैया करायी जा रही है। भू-जल की वास्तविक स्थिति पता लगाने के लिए जिले में 'ऑटोमैटिक डिजिटल वाटर रिकॉर्डर' अधिष्ठापित किया गया है। (स्रोत कृषि विभाग एवं लघु जलसंसाधन विभाग, बिहार)	• पटना जिले में सोन नहर प्रणाली के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त/ अर्धनिर्मित/ अनिर्मित नहरों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण करना। • सिंचाई नहरों के कमान्ड क्षेत्र में खेतों तक सुचारू रूप से पानी पहुँचाने के लिए जलवाहा/ सिंचाई नाली की मरम्मति एवं निर्माण। • जल वितरण नियंत्रण। सभी सिंचाई नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • जल संसाधन के नहर आदि पर सौर ऊर्जा स्थापन लगा कर यथासम्भव जल वाष्पीकरण को रोकना।	• सुखाड़ की अवधि की चेतावनी के मद्देनजर "आकस्मिक फसल योजना" तैयार करना। जिससे सुखाड़ के समय उपलब्ध पानी का सीमित उपयोग हो सके।	• जिले के असिंचित खेतों को सिंचित बनाने के लिए सिंचाई योजना का निरूपण। • निर्मित सिंचाई योजनाओं का मरम्मति एवं जीर्णोद्धार। • नहरों में सिंचाई जल की उपलब्धता में कमी होने पर बारी-बारी से सभी खेतों तक आवश्यकता के अनुरूप पानी पहुँचाने की योजना बना कर रखना।
5	लघु जल संसाधन		• सभी सिंचाई योजनाओं में सृजित सिंचाई क्षमता हासिल करना। • वर्षा जल संरक्षण को आधारकर विद्यालय/ घरेलू/ सार्वजनिक स्थान पर, प्रोत्साहन करना • ड्रीप/ स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने पर बल/ जोर देना	• सभी नलकूपों को ऊर्जान्वित तथा कार्यकारी बनाये रखना। • सिंचाई नहरों एवं सार्वजनिक पोखर से गाद को हटाना।
6	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	• प्रति व्यक्ति कम-से-कम 40 लीटर पानी की व्यवस्था हेतु तंत्र (System) विकसित करना। • स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा वातावरण की स्वच्छता सुनिश्चित करना। • हर घर नल का जल योजना का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना	• सूखा ग्रस्त इलाके में पानी की समस्या पर निगरानी रखना तथा टैंकर से जल आपूर्ति की व्यवस्था करना • जल स्रोतों की नियमित सफाई तथा इसे संक्रमण रहित बनाना • लाईफ लाईन भवन यथा अस्पताल/ विद्यालय आदि में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को अबाध बनाना।	• सभी पेयजल स्रोतों यथा चापाकल, नलकूप, कुओं के डिसइन्फेक्शन की व्यवस्था करना। (सन्दर्भ बिहार सरकार का SOP देखें खंड-2, के अनुलग्नक- 2 एवं 5 पर) • ब्लिचिंग पाउडर तथा हैलोजन टेबलेट की पर्याप्त व्यवस्था सुरक्षित रखना।

7	पशुपालन	• पशुओं का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करना	• पशु चारा शिविर लगाकर पर्याप्त चारे की आपूर्ति। • कृषि अनुषांगिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्यपालन आदि को प्रोत्साहित करना।	• जानवरों के लिए सामूहिक चारा, पानी, शिविर स्थल को चिह्नित करना। • मौसम विशेष की बिमारियों से बचने हेतु पशुओं का टीकाकरण करना।
8	समाज कल्याण (ICDS)		• आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ओ.आर.एस. पैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना • उपलब्ध सुविधा का प्रचार–प्रसार करना।	• आंगनबाड़ी के क्षेत्राधिकार में आने वाले बच्चे, गर्भवती, दूध पिलाती माताएँ आदि के सूची का अद्यतन करना
9	ऊर्जा		• विद्युत की नियमित आपूर्ति बनाए रखना। • राजकीय नलकूप के पंप को ऊर्जान्वित बनाये रखना।	• सूखे की स्थिति में विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक इंतजाम करना।
10	ग्रामीण विकास		• मनरेगा तथा राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित "सात निश्चय योजना" के तहत रोजगार मुहैया करना।	
11	स्वास्थ्य		• सूखा से जुड़ी कुपोषण एवं निर्जलीकरण जैसी बिमारियों की निगरानी करना। • आवश्यकतानुसार ओ.आर.एस. पैकेट का पर्याप्त मात्रा में वितरण करना। • जन–जागरूकता अभियान चलाना।	• स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों एवं जरूरतों का आकलन करना। • फर्स्ट एड कीट तैयार रखना । • पर्याप्त मात्रा में आपातकालीन दवाईयाँ, ओ.आर.एस. पैकेट इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण।
12	गृह			• चारा वितरण केन्द्र, अन्य खाद्य पदार्थ वितरण केन्द्रों पर वितरण के समय पुलिस बल तैनाती।
13	मौसम विभाग			• मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान समाचार की घोषणा करना तथा सम्बन्धित विभागों को इससे अवगत कराना।
14	बैंक		• सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना। • विभिन्न ऋण देने वाली एजेंसियों के द्वारा किसानों को आसान किस्तों पर कर्ज उपलब्ध कराने का प्रबंधन करना एवं इस आशय की लोगों को जानकारी प्रदान करना।	
15	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण		• सार्वजनिक वितरण तंत्र को मजबूत करना, अन्त्योदय अन्न योजना को प्रोत्साहित करना एवं उचित मूल्य की दुकानों पर निगरानी रखना।	• क्षतिग्रस्त गोदाम की मरम्मति एवं रख रखाव तथा खाद्यान्न का भंडारण करना।

16	सहकारिता विभाग		• कृषि यांत्रिक बैंक की स्थापना तथा किसानों को मशीनरी उपलब्ध कराना। (किराया पर)	

अग्नि :–

क्र.	विभाग / संस्थान का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• बिहार फायर रूल्स 2014 का अनुपालन। (www.home.bih.nic.in/Fire/bfs.htm) • बिहार भवन निर्माण उपविधि 2014 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना। (www.bcd.bih.nic.in)	• अगलगी से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाने, दूरदर्शन एवं रेडियो से जिला स्तर से सुझाव / सलाह का प्रसारण करना तथा बिहार गृह रक्षावाहिनी के मुख्यालय पटना के पत्रांक 1042 दिनांक 02.03.2010 का अनुपालन सुनिश्चित करना *(खंड–2 के अनुलग्नक–56 पर)* • अग्नि से संबंधित जोखिम एवं कारणों का विश्लेषण करना तथा संबंधित हितधारकों के दायित्वों से जुड़े एक चेक लिस्ट तैयार करना। • इस चेक लिस्ट के आधार पर गाँवों का मूल्यांकन कर इन्हें अग्नि आपदा संभावित गाँव घोषित कर कार्रवाई करना।	• आपातकालीन संचालन केन्द्र को आधुनिक संचार साधनों से युक्त करना। • अग्नि से जुड़ी तकनीकों एवं बचाव उपायों से संबंधित क्षमता निर्माण– पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के ग्रामीण स्तरीय कर्मी, स्वयंसेवकों तथा गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों का, अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाने जैसी गतिविधियों का नियमित आयोजन करना। • अग्नि सुरक्षा से जुड़ी कालबद्ध कार्यक्रम बनाना
2	अग्निशमन सेवा		• बहुमंजली इमारतों एवं कारखानों में अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था से युक्त नक्शे के आधार पर ही निर्माण की अनुमति देना। • जिले में महत्वपूर्ण भवनों का अग्निशमन योजना तैयार करना तथा समय–समय पर इसे मॉकड्रिल के माध्यम से परीक्षण करना। • अग्निशमन कर्मी के नियमित प्रशिक्षण का आयोजन करना। • लोगों के लिए अग्नि बचाव हेतु जन जागरूकता के कार्य करना।	• जिला, अनुमंडल एवं थाना स्तर पर स्थापित अग्निशमन केन्द्र के टेलीफोन तथा मोबाईल नं., सार्वजनिक करना। • अपने अग्निशमन वाहन को आवश्यक सामग्री से हर दम लैस रखना एवं प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मियों को हमेशा तैयार रखना। • अग्नि प्रभाव क्षेत्र के सड़कों का अद्यतन नक्शा रखना, उनसे पूरी तरह परिचित होना तथा उनका नियमित अवलोकन करना। • अग्निशमन के अत्याधुनिक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना

3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	• ग्रामीण पाइप जलपूर्ति योजना में प्रत्येक 2 कि॰मी॰ पर हाइड्रेन्ट निर्माण संबंधी राज्य सरकार का संकल्प कारगर हो। (पत्रांक 0654 दि॰ 24.12.2015 राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक)	• प्रति 2 कि॰मी॰ पर एक हाइड्रेन्ट को क्रियाशील रखना। संबंधित संकल्प खंड–2 के अनुलग्नक–57 पर संलग्नित है। • पर्याप्त संख्या में बड़े व्यास वाले नलकूप निर्माण की योजना बनाना।	• नलकूप से अग्निशमन के लिए बनी गाड़ियों में जल भरने की सुविधा को लगाना।
4	**शिक्षा विभाग**			• सभी विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन • सामुदायिक जागरूकता के अन्य कार्य करना।
5	भवन निर्माण विभाग	• बिहार फायर रूल्स 2014 का अनुपालन। • बिहार भवन निर्माण रूल्स 2014 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन। • विभिन्न प्रकार के अस्पतालों, बैंकों, रसायन उद्योगों तथा ज्वलनशील कारखानों के भवनों को अग्निरोधी बनाने सुरक्षा नक्शे के आधार पर ही निर्माण की अनुमति देना।	अग्निकाण्डों से सबक लेकर सुरक्षा संबंधी निर्देशों में समय–समय पर आवश्यक सुधार करना।	• भवन निर्माण में अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग एवं भंडारण को हतोत्साहित करना।
6	पंचायती राज विभाग	• अग्नि पीड़ित, गरीब व वंचित पक्ष को ध्यान में रखते हुए अग्निरोधी मुक्त करना। • अग्नि रोधी मकान बनाने की तकनीक को अपनी पंचायत की भावी योजना में समाहित करना।	• ग्रामीण भवनों/झोपड़ियों के निर्माण में अग्निशमन तकनीक के प्रयोग पर ध्यान देना। झोपड़ियों के निचले हिस्से तथा छप्पर रखने की जगह पर मिट्टी लेपन करना। • गर्मी के महीनों में अग्निकांड से बचाव हेतु खाना बनाने के समय में बदलाव सार्वजनिक कार्यों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अन्य बातों पर पंचायत द्वारा गर्मियों का संदेश करना। • गाँव आधारित आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना। • अग्नि से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन (*खंड–2 के अनुलग्नक–4*)	• गाँव के भवन/झोपड़ियों के निर्माण के बीच स्थान जरूर हो ताकि वहाँ तक अग्नि की स्थिति में पहुँच आसान हो सके। • गाँवों में पोखरे, आहर, पईन, ताल तलैया, कुएँ आदि जल स्रोतों का उपयोग रखना, उनकी उड़ाही करा कर तैयार रखना। • अग्नि से संबंधित जन जागरूकता के कार्य चलाना • ग्राम स्तर पर अग्निशमन सामग्री यथा जलश्रोत, पम्पिंग सेट, डेरा पाइप, नोजल लंबी सीढ़ी आदि की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

7	नगर निगम		• अग्निकाण्ड से बचाव के विभिन्न उपायों को दीवारों पर जन जागरूकता हेतु पेंटिंग / पोस्टर आदि बनवाना / लगाना • नये भवनों के निर्माण का नक्शा पारित करना जो पर्याप्त या निर्धारित चौड़ाई वाली सड़कों पर हो ताकि अग्निशमन वाहन वहाँ पहुँच सके।	• घनी आबादी के बीच गुजरने वाली सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखना • विभिन्न जगहों पर बड़े व्यास वाले नलकूपों को लगाना।
8	स्वास्थ्य विभाग			• अस्पतालों की सूची, उपलब्ध चिकित्सा सुविधा का विवरण तथा उसकी पहुँच पथ की जानकारी स्थानीय अग्निशमन कार्यालय / थाना को उपलब्ध कराना। • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमंडल तथा सदर अस्पतालों में विशिष्ट सुविधा युक्त "बर्न यूनिट" की स्थापना का प्रयास। • एम्बुलेंस की व्यवस्था दुरूस्त रखना।
9	पशुपालन			• पालतू पशुओं को अग्निकाण्ड से सुरक्षित रखने के लिए पशुपालकों को जागरूक करना। • अग्निकाण्ड से पीड़ित पशुओं के लिए दवाई आदि का समुचित भण्डारण करना।

भीड़/भगदड़ :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** **भगदड़ के चार मूल कारक (FIST)** (Force) भीड़ का बल – घनत्व आधारित। (Infromation) सूचना – सही या गलत। (Space) जगह – बैठने की, कॉरिडोर, निकास आदि। (Time) समय – घटना का कालखंड।	• भगदड़ रोकने हेतु जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन तथा विद्युत विभागों के उत्तरदायित्व तय करना। *(खंड–2 के अनुलग्नक–93)* • एकत्रित भीड़ द्वारा आवश्यकता के अनुसार समय सीमा के अंदर उनके उद्देश्यों को सम्पन्न करा देना।	• मुख्य त्योहारों तथा अन्य अवसर पर भीड़ नियंत्रण योजना बनाना जिसमें हितधारकों की भूमिका सुनिश्चित हो। • संभावित भीड़ में बच्चों/वृद्धों/महिलाओं/दिव्यांगों हेतु परिचय पत्र का निर्माण एवं वितरण। • चिन्हित स्थल पर महत्वपूर्ण विभाग तथा पुलिस कंट्रोल रूम, अस्पताल, पीने के पानी का स्थल, शौचालय, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विश्राम स्थल इत्यादि को तैयार करना तथा इसकी अवस्थिति के बारे में जगह–जगह पर जानकारी (साईनेज सहित) उपलब्ध कराना। • भीड़ मनोविज्ञान, पूर्व के हादसे तथा की जानेवाली कारवाई पर फिल्म का प्रदर्शन कर जागरूकता फैलाना। • पंजीकरण की व्यवस्था। • भीड़/भगदड़ पर नजर रखने के लिए वाच टावर का निर्माण।	• भीड़/मेला वाले स्थान का नक्शा बनाना तथा प्रवेश, निकासी एवं सुरक्षा के स्थान को चिह्नित कर प्रभावी भीड़ प्रबंधन हेतु योजना तैयार करना। • किसी भी स्थान विशेष एवं खास समय पर जुटने वाली संभावित भीड़ की संख्या का पूर्वानुमान। • पुलिस एवं स्वयंसेवकों को भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण। • मॉक ड्रील के रूप में भीड़ को नियंत्रित करने का पूर्व अभ्यास। • कार्य योजना का लिखित रूप में आवश्यक होना। • जिले में नियमित भीड़–भाड़ वाले मौकों को चिह्नित करना तथा इसका जोखिम विश्लेषण–हितधारक के दायित्वों का निर्धारण। • एसओपी के आधार पर सभी 31 बिन्दुओं पर तैयारी सुनिश्चित करना। *(खंड–2 के अनुलग्नक–91)*

2	**पुलिस** आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ने 34 तरह की आपदा की स्थितियों की पहचान की है। इसमें भीड़ प्रबंधन भी शामिल है। भगदड़ या किसी तरह की अनहोनी को टालने के लिए चार तरह विकसित किये जाने चाहिए– पहला– पंजीकरण की व्यवस्था। दूसरा– पुलिस एवं स्वयं सेवक का प्रशिक्षण देने की जरूरत । तीसरा– बाहर होने के क्रम में भीड़ का नियंत्रित करना एवं पूर्व अभ्यास। चौथा– कार्य योजना का लिखित रूप में होना।	• जहाँ सुरक्षा संदिग्ध हो वहाँ भीड़ एकत्र न होने देना। 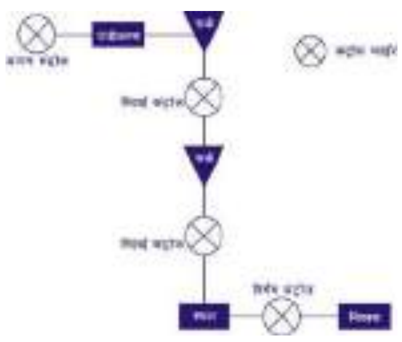	• यदि निकास एवं प्रवेश मार्ग पर्याप्त क्षमता वाली हो तो दोनों का ही आने–जाने के लिए खोल कर रखना। • कार्तिक पूर्णिमा, दुर्गा पूजा या छठ के मौके पर मेला क्षेत्र सह नियंत्रण कक्ष की स्थापना। • किसी समय यदि भीड़ ज्यादा हो तो आवश्यकतानुसार निकास के समय प्रवेश मार्ग को भी निकास मार्ग में परिवर्तित करते हुए प्रवेश को प्रतिबंधित कर देना। • निकास एवं प्रवेश मार्ग एक ही हो तो आने एवं जाने के लिए बारी–बारी से खोलना। • वाहन पार्किंग स्थल का चिह्निकरण एवं प्रबंधन। • भीड़ वाले स्थल से अस्पताल के मार्ग को अवरोध रहित रखना। • असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना • अफवाहों और अफवाह फैलाने वालों पर नियंत्रण रखना।	• भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति। • त्योहार के अवसर पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना। • प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों एवं स्वयंसेवकों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण ।
3	**स्वास्थ्य**		• भीड़–भाड़ वाले आयोजनों/स्थानों पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु कार्य योजना बनाना। • संभावित स्थल पर एम्बुलेंस और चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या रखना।	• संभावित भगदड़ वाले स्थल के निकटवर्ती अस्पतालों को चिन्हित कर तैयार रहने का आदेश निर्गत करना। • स्थानीय अस्पताल को संसाधन युक्त कर रखना। • पर्याप्त मात्रा में दवाईयों, बैन्डेज, स्ट्रेचर उपलब्ध रखना ।
4	**अग्निशमन**		• भीड़ एकत्रित होने वाले स्थलों पर निर्मित टेन्ट अथवा पंडाल की 'फायर प्रूफ' होने की जाँच कर स्वीकृति प्रदान करना एवं अनुमोदित करना। • अग्निशमन वाहन/दल की सभी स्थलों पर पहुँच पथ सुनिश्चित करना। • पंडाल अथवा टेन्ट आदि लगाने के लिए मानकों (सेफ्टी फॉयर) की मार्गदर्शिका तैयार करना	• भीड़–भाड़ वाले स्थान पर हाइड्रेन्ट स्थल की पहचान कर रखना। • अग्निशमन वाहन तथा हाइड्रेन्ट को चालू हालत में रखना • मॉकड्रिल आयोजित करना।

सड़क/रेल सुरक्षा :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	पटना जिले के पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजन कर सड़क सुरक्षा के सभी आयामों का अध्ययन करना तथा निषेधीकरण के उपाय ढूढ़ना।	• Blackspot को चिन्हित कर दुर्घटना के कारणों का निराकरण करना। (खंड–2 के अनुलग्नक–13) पर सुझाव का व्यापक प्रचार–प्रसार संलग्न है) • हर वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह (9–15 जनवरी) का आयोजन। एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्कूली बच्चों एवं युवाओं का वृहद भागीदारी सुनिश्चित करने के कार्यक्रम लेना • चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना /सम्बद्धता प्रदान करना।	• जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन एवं नियमित बैठक। • कॉम्युनिटी पुलिसिंग को प्रोत्साहित करना। • पर्व, त्योहार एवं अन्य अवसर पर सड़क सुरक्षा का संदेश का प्रचार–प्रसार करना।
2	परिवहन	• मोटर वाहन अधिनियम का सख्ती से पालन । • वाहन चलाने के समय मोबाईल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाना। • परिवहन विभाग,बिहार सरकार, द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2017 को निम्न आशय का निर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना– ✓ वाहनों 80 कि.मी./घंटा की अधिकतम गति से ज्यादा की नहीं होगी ✓ सभी स्कूल बसों में उपयोग होने वाली चार पहिया वाहनों में 40 किलोमीटर अधिकतम गति हेतु "गति नियंत्रक" लगाना की बाध्यता होगी ✓ दुपहिया, तिपहिया, अग्निशामक, पुलिस वाहन, एम्बुलेंस, आदि का गति नियंत्रक लगाने की बाध्यता नहीं होगी।	• वाहनों का नियत समय पर फिटनेस की जाँच तथा चालकों का समय–समय पर स्वास्थ्य एवं दृष्टि दोष की जाँच कर अनुपयुक्त वाहनों एवं अस्वस्थ चालकों को प्रतिबंधित करना • सीट बेल्ट/हेलमेट का प्रयोग निश्चित रूप से हो, इसे सुनिश्चित करना। • सड़क सुरक्षा के संबंध में जन–जागरूकता अभियान चलाना	• सरकारी/गैर सरकारी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के साथ इसमें लगने वाली आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

	'गति नियंत्रक' लगाने की बाध्यता • गाड़ियाँ 60 कि.मी./घंटा की अधिकतम गति से ज्यादा की नहीं चलेंगी। • सभी स्कूल बसों व सामान ढोने वाली सभी तरह की गाड़ियों में 40 किलोमीटर अधिकतम गति हेतु 'गति नियंत्रक' लगाने की बाध्यता होगी। • एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड अग्निशामक, पुलिस वाहन एम्बुलेंस आदि का गति नियंत्रक लगाने की बाध्यता नहीं है। • डम्पर, टैंकर, माल वाहक या अन्य भारी वाहन को अधिकतम 60 कि.मी./घंटा का गति नियंत्रक लगाना होगा परिवहन विभाग, बिहार सरकार दिनांक 9 जनवरी, 2013	✓ डम्पर, टैंकर, माल वाहक या अन्य भारी वाहन का अधिकतम 60 कि.मी./घंटा का गति नियंत्रक लगाना होगा • परिवहन विभाग, बिहार द्वारा दिनांक 24.08.2010 को निम्न आदेश के संदर्भ में निर्गत अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करना – ✓ बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना के दृष्टिगत रात्रिकालीन परिवहन को सुरक्षित बनाने हेतु समस्त परिवहन यानों में निर्धारित मानक एवं डिजाइन के 'रिफ्लेक्टिव टेप' (परावर्तक टेप) लगाया जाना है। इसमें ट्रेलर भी सम्मिलित है *(खंड–2 के अनुलग्नक–61 पर)*		
1	**2**	**3**	**4**	**5**
3	**पुलिस**	• ट्रैफिक नियम का अनुपालन सुनिश्चित करना		• सड़क दुर्घटना के संबंध में 17 बिन्दुओं वाली परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी फॉर्मेट में जानकारी एकत्रित कर प्रतिवेदित करना। *(खंड–2 के अनुलग्नक– 62 पर)* • सभी मुख्य सड़कों एवं चौराहों पर विभिन्न समयों पर ट्रैफिक घनत्व का आकलन कर आवश्यकतानुसार ट्रैफिक लाईट की स्थापना तथा ट्रैफिक पुलिस का प्रतिनियोजन। • सड़कों की परिवहन क्षमता तथा ट्रैफिक घनत्व के आलोक में "नो–इंट्री" तथा "वन–वे" ट्रैफिक का निर्धारण। • विशेष समारोहों/आयोजनों के समय एवं उनके

				इर्द-गिर्द के सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था का पुनर्निधारण। • दुर्घटना प्रवण स्थलों के आस-पास क्रेन/अग्निशमन वाहन की तैनाती।
4	**स्वास्थ्य**		• पर्याप्त पारामेडिकल कर्मी को ड्यूटी पर नियोजित करना ताकि घायल को अस्पताल ले जाने में कठिनाई नहीं हो। • सड़कों के आस-पास कोई ट्रॉमा सेन्टर, तथा रेफरल अस्पताल हो उसकी जानकारी सड़क के किनारे साईनेज एवं दूरी के साथ लगाना।	• Black spot वाले चिन्हित स्थलों के समीप के PHC को उत्क्रमित कर एम्बुलेंस सेवा युक्त चिकित्सा केन्द्र की स्थापना करना। • Black spot वाले चिन्हित स्थलों के समीप एम्बुलेंस और चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध रखना • अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाईयाँ, बैण्डेज, स्ट्रेचर उपलब्ध रखना । • प्रत्येक अस्पताल में नजदीकी ब्लड बैंक, एम.आर.आई. एक्सरे सेन्टर तथा ब्लड डोनर एवं विशेषज्ञ सर्जन की जानकारी संधारित कर रखना। • समुदाय के स्वयंसेवकों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देना। • प्रत्येक अस्पताल में आपदा प्रभावित जनसंख्या की चिकित्सा सहायता के लिए त्वरित मोचन दल (Quick Response Team) का गठन।

1	2	3	4	5
5	सड़क **निर्माण / ग्रामीण** सड़क निर्माण सड़क सुरक्षा के 10 गोल्डेन रूल्स • [illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible]	• निर्मित सड़कों से अनाधिकृत ठोकरों को हटाना एवं नया ठोकर निर्माण पर पाबंदी लगाना। • उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा से सम्बंधित गठित समिति ने तीन प्रमुख दिशा निर्देश जारी किये हैं। वे हैं – ✓ उच्च पथ द्वारा सड़कों के डिजाइन, निर्माण एवं उपयोग की अवस्था में इन सड़क नेटवर्क 'उपयोगकर्त्ता के अनुकूल' हो, इसको ध्यान में रखकर सड़क सुरक्षा अंकेक्षण (रोड सेफ्टी ऑडिट) की जाय ✓ दस करोड़ से ज्यादा लागत वाले सड़कों का सड़क सुरक्षा अंकेक्षण सुनिश्चित की जानी चाहिए ✓ राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च पथ तथा मुख्य जिला सड़कों पर तीव्र मोड़ व विभिन्न ढलान वाली सड़कों पर वाहनों को धीमा किये जाने सम्बंधी कानून स्थिति की रिपोर्ट का संकलन।	• सड़क Black spot को चिन्हित कर Signage लगाना। इन सड़कों को दुरुस्त करना। • सड़क सुरक्षा के दस गोल्डेन रूल्स के अनुपालन पर बल देना। • सड़क पर बने पुलों की चौड़ाई बढ़ाना। • वैकल्पिक सड़कों का निर्माण • सड़क अनुरेखन में सुधार तथा ब्लाइंड कर्वों को सीधा करना। • खतरनाक सड़कों की पहचान। • सड़क सुरक्षा पर समय–समय पर नियमित अध्ययन करना। सड़क दुर्घटना से सम्बंधित आंकड़े विहित प्रपत्र में एकत्रित करने सम्बंधी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों का अनुपालन किया जाना है। *(खंड–2 के अनुलग्नक–02 पर)* • डीपीआर तैयार करते समय दुर्घटना के विभिन्न कारणों एवं निराकरण को डिजाइन में शामिल करना।	• सड़क पर सफेद रंग का विभाजक चिन्ह से सभी लेन का स्पष्ट चिन्हिकरण • सड़क सुरक्षा चिह्नों का निश्चित तौर पर सभी आवश्यक स्थानों पर लगाना। • तीखे मोड़ पर स्टील के चमकीले पट्ट लगाना। • पैदल पथ पार के लिए जेबरा क्रॉसिंग बनाना। • घनी बस्ती के बीच से जा रही सड़क से सुरक्षा के लिए बसावट वाले गाँव में सड़क सुरक्षा सम्बंधी जन जागरूकता चलाना
6	शिक्षा		• विद्यालयों में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन • विभिन्न सड़क सुरक्षा चिन्हों की जानकारी तथा प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान छात्र–छात्राओं को देना	

7	भारतीय रेल	• सभी फाटक रहित रेलवे क्रॉसिंग पर रेल मित्र की नियुक्ति करना • रेलवे सेफ्टी कोड का अनुपालन सुनिश्चित कराना। • (रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 151 के अन्तर्गत लापरवाही पूर्वक मानव रहित लेवल क्रॉसिंग पार करना दण्डनीय अपराध है तथा इसके लिए एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है।)	• सभी मानवरहित रेल पथ समपार से गुजरने वाले वाहन के लिए निम्नांकित निर्देश पट्टिका स्थापित करना :– ✓ गाड़ी फर्स्ट गियर में डालकर ही पार करें। ✓ गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम बन्द कर दें। ✓ समपार फाटक पार करते समय इयरफोन का प्रयोग न करें।	• ट्रैक का उचित मेन्टेनेंस करना। • निर्धारित गति सीमा के अनुसार रेल का परिचालन सुनिश्चित करना • आपातकाल मेडिकल भान, आपातकाल एवं एण्ड आर दल भान एवं रेल प्रोटेक्शन फोर्स को तैयार रखना। • रेलवे अस्पताल को चिकित्सक, पारा मेडिकल एवं आपातकालीन चिकित्सा उपकरण से सुसज्जित एवं तैयार रखना। • समपार के दोनों ओर पर लंबी झाड़ियों की नियमित कटाई एवं सफाई

नाव दुर्घटना एवं डुबान (नदी, तालाब, गड्ढे): –

क्र.	विभाग / संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• बंगाल नौ घाट अधिनियम 1885 का अनुपालन। • बिहार आदर्श नियमावली – मॉडल बोट रूल्स, 2011 का पालन। • नदी, पईन, तालाब, झील, आदि उपलब्ध होना तथा खतरनाक नदी / घाटों पर चेतावनी बोर्ड / पट्ट लगाना।	• खतरनाक घोषित स्थलों पर परिचालन प्रतिबंधित करना। • खतरे की जगह पर बच्चों की पहुँच को प्रतिबंधित करना। • चिह्नित खतरनाक जगहों में ढलान सुधार लाना और चेतावनी संकेत आदि लगाना। • नदी, तालाब के पास पाए जाने वाले गाँव के बच्चों का तैराकी प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करना।	• नाविकों का प्रशिक्षण • नदी घाट का निर्माण। • तालाबों की घेराबंदी। • स्थानीय लोगों को जहाँ नाव से नदी / नहर पार करने का स्थान हो, गोताखोरी एवं तैराकी का प्रशिक्षण। • विभिन्न घाटों पर बांस–बल्ला रस्सा नाव एवं नाविकों की व्यवस्था।
2	परिवहन	• बिहार आदर्श नौ घाट नियमावली – मॉडल बोट रूल्स, 2011का पालन। (देखें परिवहन विभाग, बिहार का वेबसाइट)	• नाव को बनावट, उसके विभिन्न हिस्से, आकार एवं प्रकार। नाव का रंग। नौका की भार वाहन व यात्रियों की क्षमता निर्धारित किया जाना नाव पर भार आलेख (लोडलाईन) चिह्नित किया जाना। नाव पर यात्री एवं सामग्री की एक साथ ढुलाई में सावधानियाँ बरतना (संदर्भ – बि.रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा तैयार सुरक्षित नौका परिचालन का प्रशिक्षण मॉड्यूल)	• नावों का निबंधन। • नावों पर निबंधन संख्या अंकित करना।

3	पुलिस		• खतरनाक घाट का चिह्निकरण एवं पहरा देना।	
4	ग्रामीण अभियंत्रण संगठन			• नदी, नहर, तालाब, झील, झरना की घेराबंदी । • घाट का निर्माण करना।
5	स्वास्थ्य			• प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस और चिकित्सकों की मौजूदगी सुनिश्चित करना।

गर्मी लू / शीतलहर / ठनका : –

क्र.	विभाग / संस्थान का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	**(क) गर्मी–लू** • स्कूल / कॉलेज तथा सरकारी / गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना। • बच्चों का विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिवर्तन करना। गंभीर लू की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना। • मनरेगा के कार्य तथा अन्य निर्माण कार्यों में ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना (पेज–2 के अनुलग्नक–7 पर) **(ख) शीतलहर** • बच्चों का विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिवर्तन करना। गंभीर शीतलहर की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना।	**(क) गर्मी–लू** • बाजार / रेलवे स्टेशन / बस अड्डा इत्यादि जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था। **निम्नांकित सुझाव का व्यापक प्रचार–प्रसार–** • यदि बाहर निकलना आवश्यक हो तो खाली पेट कभी नहीं निकलें। • पानी पी कर एवं शरीर को पूर्ण तरह ढक कर निकलें। • गर्म हवा से हमेशा अपने को बचा कर रखें। • पीने का पानी लेकर चलें तथा निर्जलीकरण से बचें। • फलाहार का प्रयोग जरूर करें **(ख) शीतलहर** • शरीर को बाहरी स्रोतों से गर्म रखना, धूप खिलने पर धूप का सेवन। • सार्वजनिक स्थल पर सोने वाले गृह विहीन लोग तथा रैन बसेरा, टमटम पड़ाव, रिक्शा पड़ाव, मुसाफिरखाना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि के निकट कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अलाव जलाने की व्यवस्था करना • खुले आकाश के नीचे रात्रि विश्राम करने वाले गृह विहिन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को बिछाने एवं ओढ़ने के लिए कम्बल उपलब्ध	**(क) गर्मी–लू** • मौसम पूर्वानुमान की घोषणा का संज्ञान लेना • पहनने के सूती कपड़ों का यथा संभव उपयोग तथा गर्म एवं बासी खाना खाने हेतु जागरूकता अभियान चलाना। **(ख) शीतलहर** • अलाव की व्यवस्था रखना। • जाड़े से बचाव हेतु गर्म कपड़ों की व्यवस्था करना। • शीतलहर के प्रभाव एवं उपायों तथा उपकरणों की जानकारी से लोगों को अवगत कराना। • मरीजों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करना **(ग) ठनका –** • ऊँचे भवनों में तड़ित चालक लगाना।

			कराना। (ग) ठनका – • ठनका की आशंका वाले मौसम में ऊँचे वृक्ष, बिजली का खम्भा, टावर इत्यादि के नीचे शरण लेने से रोकना। • ठनका की संभावना के मद्देनजर मोबाईल अथवा बिजली के उपकरण के प्रयोग से परहेज की सलाह देना। • घर के खिड़की दरवाजे एवं वृक्ष के बीच धातु के तार जोड़ रखने से मना करना। • नदी/नहर/तालाब से बाहर रहने की सलाह देना।	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2	स्वास्थ्य विभाग		(क) गर्मी–लू • समुदाय के लिए गर्मी–लू से बचने हेतु समय समय पर आवश्यक परामर्श जारी करना । (ख) शीतलहर • समुदाय के लिए शीतलहर से बचने हेतु समय समय पर आवश्यक परामर्श जारी करना इलाज करना।	(क) गर्मी–लू • गर्मी–लू जनित बीमारी यथा घमौरी (गर्मी के कारण फोड़े), ऐंठन (गर्मी के कारण क्रैम्प), बेहोश हो जाना (गर्मी से मूर्छा), गर्मी से थकावट, तापाघात (सनस्ट्रोक), निर्जलीकरण (डिहाईड्रेशन) की चिकित्सा हेतु आवश्यक मात्रा में दवा का भण्डारण। (ख) शीतलहर • शीतलहर जनित बीमारी यथा फ्रॉस्टनीप – मनुष्य के अंगों में सुन्नपन होना, अस्थायी तौर पर चमड़ी का रंग नीला सफेद पड़ जाना/फ्रॉस्टबाइट, तुषार उपघात – ठण्ढे धातु के छूने से/चिलब्लेन/हाइपोथर्मिया के इलाज हेतु आवश्यक मात्रा में दवा का भण्डारण।
3	पशुपालन विभाग		• पशुधन/पॉल्ट्री फार्म/डेयरी फार्म को गर्मी–लू एवं शीतलहर से बचाव के उपायों के लिए उचित सलाह का प्रचार–प्रसार।	• पशु संबंधित दवाइयों का भण्डारण करना।

संदूषित जल : –

क्र.	विभाग / संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण			• जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन
2	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	• दूषित चापाकल को चिन्हित कर लाल रंग से रंगना। • लौह कील लगा कर पानी शुद्धिकरण। • संक्रमित रूप की पहचान कर उसके उपयोग पर रोक लगाना • हर घर नल का जल योजना का विस्तार।	• ग्रामीण पाईप जलपूर्ति के माध्यम से पानी के सप्लाई के श्रोत पे ट्रीटमेंट संयत्र लगाना। • आर्सेनिक प्रभाव में निम्नलिखित कदम उठाना जरूरी है– ✓ सुरक्षित एवं दूषित पानी के श्रोतों की पहचान। ✓ गाँव स्तर की जोग्रोफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जी.आई.एस.) द्वारा का संकलन। ✓ सभी हितधारकों हेतु जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा के बीच पारदर्शी सूचना प्रणाली विकसित करना ✓ वैकल्पिक पेयजल स्रोत प्रदान करना • पारम्परिक जल स्रोतों, का स्वच्छ कुँओं में कनवर्ट करना। • जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना और जल स्रोतो की गुणवत्ता का मैंपिंग ।	• इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन कम्युनिकेशन (आई.ई.सी.) उपकरण विकसित करना सामुदायिक स्वयंसेवकों, सीमान्ती पदाधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठन हेतु, जिसमें मिथकों तथा वास्तविकताओं पर पूछे जाने वाले प्रश्न, पोस्टर पर संकेत एवं लक्षण, सामान्य जागरूकता चित्र और फील्ड स्टाफ के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना। • उपचार संयत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव। • प्रभावित क्षेत्रों में लाल और नीले हैण्ड पम्प का अर्थ प्रचारित प्रसारित करना। • संक्रमित क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली और रिचार्जिंग सिस्टम का व्यापक निर्माण करना। • पाइप जलापूर्ति के लिए सबसे सुरक्षित सतही अथवा भूगर्भ जल भंडार का पता लगा कर उपयोग में लाना

चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि : –

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		• ग्रामीण इलाकों में विशेष तरह के ढाल वाली छतों तथा मॉडल वाले संरचनाओं के निर्माण कार्य में विशेष सावधानियाँ बरतने की जरूरत होगी। इसकी विशिष्टि का विवरण चित्र सहित–*(खंड–2 के अनुलग्नक–58 पर)*	• मौसम विभाग से प्राप्त चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि संबंधी पूर्व सूचना को प्रचारित–प्रसारित करना। तथा सभी विभागियों को सचेत करना। • सार्वजनिक स्थलों पर मौसम पूर्वानुमान संबंधी जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक करते रहना • गाँव के स्तर पर आँधी, तूफान से संबंधित जोखिम का विश्लेषण करना। विश्लेषण में गाँव के स्तर पर संवेदनशील समुदाय एवं विभागियों को भी शामिल करना एवं सचेत करना। • सरकार द्वारा जारी 'एडवाइजरी' का प्रचार–प्रसार करना। • ग्राम स्तर के सरकारी कर्मी, सिविल सोसाइटी कर्मी आदि को प्रशिक्षित करना।
2	स्वास्थ्य विभाग			• प्रभावित इलाके के ट्रामा सेन्टर सहित सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को तैयार होकर 24 x7 रहने का आदेश देना। • आस–पास के सभी ब्लड बैंक जाँच केन्द्र को सतत् सतर्क रहने का हेतु निर्देश देना।

स्वास्थ्य समस्याएँ : –

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला स्वास्थ्य समिति (सिविल सर्जन)	• पटना एवं नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इन्स्टिट्यूट में डेंगू की विशेष जाँच व्यवस्था सुनिश्चित रहना।	• लावारिस कुत्तों की संख्या में कमी लाना। • सभी स्वास्थ्य केन्द्र पर रैबिज वैक्सीन (ARV) की उपलब्धता • डेंगू/चिकनगुनिया का विनाश मच्छरों का पखवाड़ा द्वारा सफाया करना।	• डेंगू/चिकनगुनिया के मौसम में पूर्व से प्रचार–प्रसार, जागरूकता अभियान चलाना • सभी अस्पतालों को इन मौसम में पूर्व से सतर्क रहना। • ग्रसित रोगियों हेतु अस्पतालों में अलग वार्ड की व्यवस्था करना। • पर्याप्त मात्रा में खून (प्लेटलेट तथा प्लाज्मा) का स्टोरेज, दवा तथा आई.वी.फ्लूड की पर्याप्त व्यवस्था रखना।
2	नगर निगम		• स्वच्छता एवं साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करना।	• ग्रसित इलाकों में बार–बार फॉगिंग करना।

\+ \+ \+ \+ \+ \+